चतुर्दश माला, खंड 36, अंक 15

गुरुवार, 18 दिसम्बर, 2008
27 अग्रहायण, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र (भाग दो)
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 36 में अंक 11 से 18 तक हैं)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FJ-025
Block 'G'
Acc. No. 15-76
Dated 15 Jun 2010

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

रेनू बाला सूदन
सहायक सम्पादक

© 2009 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 36, चौदहवां सत्र (भाग दो), 2008/1930 (शक)]

अंक 15, गुरुवार, 18 दिसम्बर, 2008/27 अग्रहायण, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 282 से 286	2–54
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 281 और 287 से 300	54–102
अतारांकित प्रश्न संख्या 2913 से 3130 और 3132 से 3142	103–340
सभा पटल पर रखे गए पत्र	340–359
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	359–360
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक	360
संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन अध्यक्ष का विनिश्चय	360
अंतर संसदीय संघ (आईपीयू) की 119वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल द्वारा भाग लेने संबंधी प्रतिवेदन	361
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
विवरण	361
कृषि संबंधी स्थायी समिति	
42वां से 45वां प्रतिवेदन	361–362
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
(एक) 32वां प्रतिवेदन	362
(दो) विवरण	362–363
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	
(एक) 22वां और 23वां प्रतिवेदन	364
(दो) विवरण	364
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
73वां से 79वां प्रतिवेदन	364–365

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति	
23वां और 24वां प्रतिवेदन	365
शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति	
38वां प्रतिवेदन	366
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति	
(एक) 33वां प्रतिवेदन	366
(दो) साक्ष्य	366
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	366–373
(एक) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 27वें, 32वें और 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्रीमती मीरा कुमार	366–367
(दो) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री राम विलास पासवान	367–368
(तीन) (क) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यकरण और निष्पादन के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 108वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	368
(ख) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 95वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	369
(ग) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 104वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	369–370
(घ) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 113वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	370–371
(ङ) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 119वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्रीमती अम्बिका सोनी	371–372
(चार) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 195वें, 204वें और 208वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री रघुनाथ झा	372
(पांच) रेल संरक्षा आयोग के कार्यकरण के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 98वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री प्रफुल पटेल	373

विषय	कॉलम
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2008-09.	373
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2008-09.	374
भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2008.	374
सदस्यों द्वारा निवेदन	
26.11.2008 को आतंकवादी हमले में मुंबई एटीएस चीफ के मारे जाने के बारे में कैबिनेट मंत्री के कथित वक्तव्य से उत्पन्न स्थिति के बारे में	375–397
नियम 377 के अधीन मामले.	397–402
(एक) भारतीय वायुसेना को अतिरिक्त जनशक्ति और नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से लैस किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेश कलमाड़ी	398
(दो) देश में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना की नीति की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री हंसराज गं. अहीर	398–399
(तीन) भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता	
योगी आदित्यनाथ	399–400
(चार) दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को रोके जाने की आवश्यकता	
श्री निहाल चन्द	400
(पांच) पश्चिम बंगाल में हुगली के डनलप रबड़ कारखाने को भारत सरकार द्वारा अधिगृहीत किए जाने की आवश्यकता	
श्री सांताश्री चटर्जी	400–401
(छह) समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के निजीकरण के निर्णय को वापस लिए जाने की आवश्यकता	
श्री पी. करुणाकरन	401–402
नियम 193 के अधीन चर्चा	
देश में आर्थिक स्थिति की समीक्षा	404–518
श्री रूपचंद पाल	404–414
श्री अनंत कुमार	414–420
श्री आर. प्रभु	420–426
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	426–431
श्री मोहन सिंह	433–440

विषय		कॉलम
	श्री सी. कुप्पुसामी	440–442
	श्री अनंत गंगाराम गीते	442–448
	श्री भर्तृहरि महताब	448–453
	श्री गुरुदास दासगुप्त	453–459
	श्री लक्ष्मण सिंह	459–465
	श्री सन्दीप दीक्षित	465–470
	श्री पी. करुणाकरन	470–471
	श्रीमती सुमित्रा महाजन	471–475
	श्री राम कृपाल यादव	475–478
	प्रो. एम. रामदास	478–481
	श्री किन्जरपु येरननायडु	481–482
	श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	482–483
	श्री गणेश सिंह	483–485
	डा. के.एस. मनोज	485–487
	श्री फ्रांसिस फैन्थम	487–488
	श्री एस.के. खारवेनथन	489–491
	श्री पी. चिदम्बरम	491–507
अनुबंध-I		
	तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	519
	अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	520–526
अनुबंध-II		
	तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	527–528
	अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	527–530

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 18 दिसम्बर, 2008/27 अग्रहायण, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको प्रश्नकाल के पश्चात् अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, माननीय मंत्री श्री ए.आर. अंतुले को अवश्य ही माफी मांगनी चाहिये ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका रवैय्या सहयोगात्मक रहा है। मैं आशा कर रहा हूं कि उन्हें कोई पद अवश्य मिलेगा। आपके सहयोग के लिये धन्यवाद।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: योगी जी, आप को-आपरेट नहीं करेंगे। तो कौन करेगा? आप तो मार्गदर्शन करेंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने हमेशा ही आपका सम्मान किया है।

अब, प्रश्न संख्या 281 - श्री पंकज चौधरी - उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 282 - श्री आनंदराव विठोबा अडसूल

...*(व्यवधान)*

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): महोदय, एक और सदस्य हैं जिनका नाम सूचीबद्ध किया गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह सदस्य नहीं है।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 282, श्री आनंदराव विठोबा अडसूल।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय भेषज नीति

***282. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई राष्ट्रीय भेषज नीति को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब के क्या कारण हैं;

(ख) नई प्रस्तावित नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस नीति को शीघ्र अंतिम रूप देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विभिन्न स्टेकधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात् इस विभाग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय भेषज नीति के प्रारूप अनुमोदनार्थ को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। मंत्रिमंडल ने दिनांक 11.1.2007 को आयोजित अपनी बैठक में इस नीति पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि सर्वप्रथम इस मामले पर मंत्रियों के समूह जीओएम द्वारा विचार किया जाए। मंत्रियों के समूह का गठन कर लिया गया है और इसकी अब तक दिनांक 10.4.2007, 12.9.2007, 30.1.2008 तथा 30.4.2008 को

चार बैठकें आयोजित की गई हैं। मंत्रियों के समूह को अभी अपनी सिफारिशें मंत्रिमंडल को देनी हैं। मंत्रियों के समूह द्वारा इस संबंध में निर्णय लिए जाने के बाद ही भेषज नीति के मामले पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। अतः इस नीति को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब हुआ है।

(ख) इस भेषज नीति, 2006 के प्रारूप की प्रमुख विशेषताएं हैं: औषध विनियामक प्रणाली को मजबूत बनाना, पेटेंट कार्यालय की अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना, अनुसंधान और विकास पर ध्यान केन्द्रित करना, औषधीय विज्ञानों में मानव संसाधन विकास, औषधों पर उत्पाद शुल्क का युक्तिकरण, सरकार द्वारा दवा की बल्क खरीद की प्रणाली को चुस्त बनाना, जेनरिक दवाओं का संवर्द्धन, सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय फार्मा उद्यमों (सीपीएसईज) को मजबूत बनाना, गरीबों खासकर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों तक दवाओं की पहुंच बनाने की योजनाएं, अच्छी विनिर्माण प्रथाओं के लिए (औषध और सौंदर्य प्रसाधन नियमावली, 1945 के) शिड्यूल-एम के क्रियान्वयन के लिए ब्याज-सब्सिडी की योजनाएं, फार्मा निर्यात पर अपेक्षाकृत अधिक बल, एनपीपीए का पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण, अधिक मार्जिन के साथ विनिर्दिष्ट आवश्यक दवाओं को मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत लाकर, जेनरिक दवाओं आदि पर ट्रेड मार्जिन का विनियमन आदि द्वारा औषध मूल्य नियंत्रण की संशोधित प्रणाली।

(ग) मंत्रियों के समूह द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों से संबंधित अपेक्षित जानकारी पहले ही दी जा चुकी है। विभाग फार्मा नीति को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिए जाने के लिए मंत्रियों के समूह का निर्णय शीघ्र प्राप्त करने के निरंतर प्रयास कर रहा है।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का सारे देश में प्रत्येक जिले में अपने खुदरा स्टोरों की स्थापना करके बाजार मूल्य से आधी कीमत पर उपभोक्ताओं को एंटी-बायोटिक, पेन-किलर, एलर्जी-निवारक जैसी प्रसिद्ध औषधियों को बेचने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: महोदय, दो तरह की दवाइयां होती हैं, एक दवाई वह है, जो अंडर कंट्रोल है, शिड्यूल ड्रग्स है और जो दूसरी है, वह डी-कंट्रोल है। जो 74 बल्क ड्रग्स हैं, अभी तक वे अंडर कंट्रोल हैं। जो अंडर कंट्रोल है, उस दवाई का कीमत और प्रोडक्शन सरकार देखती है और उसका दाम भी सरकार तय करती है, लेकिन डी-कंट्रोल दवाई के ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसके लिए जो हम न्यू फार्मास्युटिकल पालिसी बनाने जा रहे हैं, उसके अंतर्गत 354 दवाओं को कंट्रोल के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव किया है, जिसमें सभी इसेंशियल ड्रग्स हैं। अगर वह पालिसी पास हो जाती है, तो जो भी इसेंशियल ड्रग्स हैं, उनकी कीमत अभी जितनी है, उसके मुकाबले आटोमैटिकली 50 प्रतिशत हो जाएगी। जो जेनेटिक ड्रग्स हैं, वे बेस हैं, उसके आधार पर ब्रांडेड होते हैं। जो जेनेटिक ड्रग्स हैं, उनके लिए हम लोगों ने जन-औषधि कार्यालय प्रत्येक जिले में खोलने का निर्णय लिया है। उसे हमने अभी अमृतसर से शुरू किया है। आपको जानकर खुशी होगी कि जिस दवाई की कीमत 27 रुपए थी, वह आज 2 रुपए 22 पैसे पर बिक रही है, जिसका दाम 40 रुपए था, वह 3 तीन रुपए में बिक रही है, लेकिन वे जेनेटिक दवाइयां हैं। जहां तक डी-कंट्रोल का सवाल है, वह पालिसी के अंतर्गत आएगा।

[अनुवाद]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: महोदय, मैंने यह पूछा था कि क्या सरकार प्रत्येक जिले में अपने खुदरा स्टोरों की स्थापना करेगी अथवा नहीं।

दूसरे, सरकार द्वारा उपभोक्ताओं विशेषकर उन लोगों जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तथा अशिक्षित हैं, के बीच जागरूकता पैदा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: महोदय, मैंने कहा कि जो जन-औषधि कार्यालय है, उसे प्रत्येक डिस्ट्रिक्टवाइज खोलने की प्लानिंग है। जहां तक दूसरा इनका सवाल है, उसके संबंध में हम लोग कोशिश कर रहे हैं और वह हमारी पालिसी के अंतर्गत है। जब हमारी वह पालिसी लागू हो जाएगी, तो आपकी जो समस्या है, उसका निदान हो जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव-उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

डा. वल्लभभाई कथीरिया: अध्यक्ष महोदय, जो नेशनल फार्मास्युटिकल पालिसी बन रही है, उसमें हमारे देश के करीब दस हजार से ज्यादा मेडिकल प्लांट्स और आयुर्वेदिक फार्मा कोपिया जो बहुत सालों से चले आ रहे हैं। उनके बारे में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आयुर्वेद की ट्रेडिशनल मेडिसन्स हैं, उन्हें भी नेशनल फार्मास्युटिकल पालिसी में इन्क्लूड करने का प्लान है या नहीं?

श्री राम विलास पासवान: महोदय, नेशनल फार्मास्युटिकल पालिसी के बारे में हमने ऑलरेडी दे दिया है कि कौन-कौन सी चीज का हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य में

[अनुवाद]

औषध विनियामक प्रणाली को मजबूत करना, पेटेंट कार्यालय अवसंरचना को मजबूत करना, अनुसंधान तथा विकास पर ध्यान केन्द्रित करना, औषधीय विज्ञान संबंधी मानव संसाधन विकास, उत्पाद-शुल्क को तर्कसंगत करना, सरकार द्वारा औषधियों की बल्क खरीद संबंधी प्रणाली को सुव्यवस्थित करना, जेनरिक औषधियों का संवर्द्धन, फार्मा सी.पी.एस.ई. को मजबूत करना, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिये औषधियों को उनकी पहुंच में लाने संबंधी योजना।

[हिन्दी]

जो इन्होंने पूछा था, उसके लिये आलरेडी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

शेड्यूल-एम के कार्यान्वयन हेतु ब्याज राजसहायता की योजना तथा फार्मा निर्यात पर अत्यधिक बल देना। एन.पी.पी.ए. को मजबूत करना, बढ़े हुए मार्जिन के साथ औषध कीमत नियंत्रण, जिनेरिक औषधियों पर व्यापार मार्जिन का विनियमन। ये मुख्य बातें हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. वल्लभभाई कथीरिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आयुर्वेदिक मेडिसन्स के बारे में जानना चाहता था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री अधीर चौधरी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अधीर चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, आपको शायद मालूम होगा कि ज्यादातर मैनुफैक्चरिंग ऑपरेशन हमारे हिन्दुस्तान में तीन-चार स्टेट्स में केन्द्रित है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश आदि। मैं जानना चाहता हूं कि ईस्टर्न और नार्थ ईस्टर्न इंडिया में मैनुफैक्चरिंग आपरेशन को बढ़ावा देने के लिए आपने क्या नेशनल फार्मास्युटिकल पालिसी में कोई सजैशन रखा है, क्योंकि यहां स्किल्ड और मैनपावर की कोई कमी नहीं है।

दूसरी बात यह है कि बायो-डायवर्सिटी के दौरान भी यह इलाका अच्छी तरह चुना जाता है? फिर लुक ईस्ट पालिसी भी हमारे सामने है। जैसे ईस्ट और नार्थ ईस्ट में जियोग्राफिकल लोकेशन भी है। इस सबको मद्देनजर रखते हुए फार्मास्युटिकल पालिसी में ईस्टर्न और नार्थ ईस्टर्न रीजन में मैनुफैक्चरिंग कोआपरेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या कोई प्रस्ताव लिया गया है?

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, हम आलरेडी उसे रिव्यू कर रहे हैं और वहां जीरो प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी है। ऐसी जगहों पर जहां 16 प्रतिशत था, उस समय भी वहां जीरो प्रतिशत था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. बाबू राव मिडियम-उपस्थित नहीं।

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लाभ हेतु प्रस्तावित राष्ट्रीय औषधीय नीति के अंतर्गत राशन की दुकानों की तर्ज पर सारे देश में सस्ती केमिस्ट की दुकानों को खोलने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए हमने दो पालिसी सलैक्ट की थी—जिनमें एक थी कि स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जाए। आपको मालूम है कि एक अप्रैल से बिलो पावर्टी लाइन वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना चालू कर दी गयी है और एक करोड़ 20 लाख लोगों को 35 हजार रुपये तक फ्री में मेडिसन की सुविधा प्राप्त होगी। उनके पास हैल्थ कार्ड रहेगा जिसके आधार पर वे बीमा करेंगे। लेकिन धीरे-धीरे जितने भी बीपीएल परिवार हैं, उन तक यह योजना ले जाने का हमारा कार्यक्रम है। उसके बाद जो जेनरिक दवाइयां हैं, बेसिक दवाई तो जेनरिक ही होती है, उसके लिए जैसा हमने कहा कि हमारी एक स्कीम जन-औषध है, उसके तहत हमने बिक्री शुरू की है और उसमें आटोमेटिक दाम, शायद आपको जानकारी होगी कि मैंने इसी लोक सभा में कहा था कि सेट्राजिन का होल सेल में कास्ट आफ प्रोडक्शन एक

रुपये 20 पैसे है और मार्केट में उसकी कीमत 37 रुपये है, कहीं-कहीं 27 रुपये है। ऐसी दवाओं को जन-औषधि में लाकर हम डेढ़-दो रुपये रीजनेबल प्राइज पर बेचने का काम कर रहे हैं। उस स्कीम को पूरे देश में लागू करने की हमारी योजना है। अभी अमृतसर में यह योजना लागू कर दी गयी है।

[अनुवाद]

एडवोकेट सुरेश कुरुप: स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत उन लोगों तथा संगठनों की लंबे समय से यह मांग है कि दवाइयों का विपणन ब्रांड नाम की बजाय केवल जेनरिक नाम से ही किया जाना चाहिये। यदि इसे कार्यान्वित किया जाता है तो तुरंत ही इससे औषधियों की कीमतों में गिरावट आयेगी। अत:, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस महत्वपूर्ण पहलू को राष्ट्रीय औषध नीति में शामिल किया जायेगा।

श्री राम विलास पासवान: इसे राष्ट्रीय औषध नीति में शामिल किया गया है तथा हमने सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

उनके जो भी हास्पिटल्स हैं, उनमें जेनरिक दवाओं का ही उपयोग हो। हम लोगों के जो पीएसयूज हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास जितने पीएसयूज थे, वे मृतप्राय: थे। हमारा टोटल टर्नओवर 80 हजार करोड़ रुपये का है, जिसमें हमारा पब्लिक अंडरटेकिंग्स केवल 500 करोड़ रुपये का है, वह भी सब बीमार था। हमने आलरेडी एचएएल को रिवाइव कर दिया है, बंगाल केमिकल्स को रिवाइव कर दिया है। अभी आईडीपीएल का मामला चल रहा है। हमारा जो परपज है, उसे हम उसी आधार पर कर रहे हैं और उसे आलरेडी हमने पालिसी में जोड़ रखा है।

इथेनाल मिश्रित पेट्रोल

+

*283. **श्री सुभाष सुरेशचंद्र:**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इथेनाल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पेट्रोल और डीजल में इथेनाल तथा रतनजोत के अर्क का मिश्रण करने के पश्चात् इनकी बिक्री शुरू कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के पेट्रोल और डीजल की अब तक कितनी मात्रा की बिक्री की गई है तथा इस मिश्रित ईंधन का मूल्य क्या है;

(घ) पेट्रोल और डीजल में इथेनाल तथा रतनजोत को कितनी मात्रा में मिलाया जा सकता है;

(ङ) क्या सरकार का विचार पेट्रोल में अनिवार्य रूप से 10 प्रतिशत इथेनाल मिश्रित करने की शर्त लागू करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 20 सितंबर, 2006 की अपनी अधिसूचना के द्वारा तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को निर्देश दिए हैं कि वे 1 नवंबर, 2006 से पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप को छोड़कर, समस्त देश में, भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशनों के अनुसार, वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अध्यधीन 5% एथेनोल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) बेचें।

2. इस समय अभिज्ञात किये गए 20 राज्यों और 4 संघ शासित प्रदेशों में से 14 राज्यों और 3 संघ शासित प्रदेशों में 5% ईबीपी कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। ओएमसीज ने एथेनोल की निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया है और इन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सभी स्थलों पर ईबीपी निर्गम अब शुरू कर दिए गए हैं।

3. मौजूदा जैव-डीजल क्रय नीति के अनुसार, 5% जैव-डीजल को हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) में मिश्रित किया जाता है। जैव-डीजल का क्रय मूल्य 22.8.2006 से 26.50 रुपये प्रति लीटर है।

4. सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां अभी तक अभिज्ञात किये गए क्रय केन्द्रों पर जैव-डीजल की खरीद नहीं कर पाई हैं क्योंकि जिन पक्षकारों ने अपनी दिलचस्पी व्यक्त की है, वे घोषित मूल्य पर आपूर्ति करने के इच्छुक नहीं हैं।

5. (1) ओएमसीज द्वारा 5% एथेनोल मिश्रित पेट्रोल की मात्रा निम्नानुसार है:

वर्ष	आईओसीएल द्वारा बेची गई ईबीपी की मात्रा (करोड़ लीटर)	बीपीसीएल द्वारा बेची गई ईबीपी की मात्रा (करोड़ लीटर)	एचपीसीएल द्वारा बेची गई ईबीपी की मात्रा (करोड़ लीटर)	(कुल (करोड़ लीटर)
2008-09 (नवंबर 2008 तक)	174.3	81.088	76.1999	331.5879
2007-08	266.3	116.974	121.4141	504.6881
2006-07	91.3	34.742	43.4409	169.4829
2005-06	42.6	20.206		62.806
			कुल योग	1068.5649

(2) ओएमसीज द्वारा बेची गई 5% जैव-डीजल की मात्रा - शून्य

6. एथेनोल मिश्रित पेट्रोल और जैव-डीजल का प्रति लीटर मूल्य वही है जो क्रमशः सामान्य पेट्रोल और डीजल का है।

(ङ) और (च) मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 9.10.2007 को निर्णय लिया था कि पूरे देश में (जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और द्वीप सीमा क्षेत्रों को छोड़ कर) तत्काल प्रभाव से पेट्रोल में 5% एथेनोल का मिश्रण अनिवार्य बनाया जाए और अक्तूबर 2007 से पेट्रोल में 10% एथेनोल का ऐच्छिक मिश्रण किया जाए और अक्तूबर 2008 से मिश्रण अनिवार्य बनाया जाए।

2. ओएमसीज एथेनोल की अंतर्राज्यीय बे-रोकटोक आवाजाही और राज्य सरकारों द्वारा इस पर शुल्क लगाने के संबंध में कुछ कठिनाइयों का सामना कर रही हैं जिससे 5% ईबीपी कार्यक्रम का कार्यान्वयन भी प्रभावित हो रहा है। इसके अतिरिक्त, एथेनोल की आपूर्तियां मांग को पूरा करने के लिए पार्याप्त नहीं हैं। इस प्रकार 5% ईबीपी कार्यक्रम को भी अभी तक मजबूत नहीं बनाया गया है।

3. इसके अतिरिक्त, सोसायटी फार इंडियन आटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (एसआईएएम) ने 2 पहियों और तिपहियों सहित जो पहले से सड़क पर चल रहे हैं और इस समय इस्तेमाल में आ रहे आटो इंजिएनों में 10% ईबीपी के साथ उनकी संगतता के बारे में कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं। ई10 के साथ इंजिनों की संगतता का मूल्यांकन करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ओएमसीज को उत्तर प्रदेश में आंवला डिपो और कर्नाटक में देसूर डिपो में 10% एथेनोल का इस्तेमाल करके प्रायोगिक परियोजना हाथ में लेने के निर्देश दिए हैं।

4. यदि पूरे देश में मिश्रण को 10% स्तर तक बढ़ाया जाना है, तो यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी अधिसूचित स्थलों पर अपेक्षित मात्राओं में पर्याप्त एथेनोल कार्यक्रम के लिए उपलब्ध है और ओएमसीज ईबीपी की बिक्री में अल्प वसूली नहीं झेल रही हैं। इसके अतिरिक्त, आटो इंजिनों के साथ 10% ईबीपी की संगतता से संबंधित मुद्दों और राज्यों द्वारा एथेनोल की खरीद के संबंध में विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई जा रही विभिन्न प्रक्रियाओं के सरलीकरण और एकरूपता लाने के लिए और राज्यीय शुल्कों का मुद्दा पुनः हल किए जाने की जरूरत है।

[अनुवाद]

***श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:** धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने नवम्बर 2006 से इथनाल की खरीद का फैसला लिया था और इस आशय के अनुदेश भी जारी किए गए थे। महाराष्ट्र सरकार ने एक बार फिर इस संबंध में मांग की है। आपके अनुदेश संबंधित डीपुओं तक नहीं पहुंचे। सभी डीपुओं को अनुदेश जारी करना आवश्यक है, यदि इथनाल के मिश्रण को अनिवार्य कर दिया गया है तो क्या उन डीपुओं पर कार्रवाई की जाएगी जो अनुदेशों का कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं? क्या सरकार इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार के संकल्प का अनुमोदन करेगी?

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल: अध्यक्ष महोदय, हमारी महाराष्ट्र सरकार के साथ पहले 21 रुपये 50 पैसे से कम रेट पर इथेनाल खरीदने की बात हुई थी। मगर 21 रुपये 50 पैसे में बहुत सी राज्य सरकारों ने इथेनाल नहीं दिया, इसलिए फिर से टेंडर निकाला गया। लेकिन वह टेंडर भी उससे ज्यादा रेट यानी 28 रुपये पर लीटर

*मूलतः मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आया है। यह रेट ज्यादा है, इसलिए हम उनके साथ नेगोसियेशन भी कर रहे हैं। मगर नेगोसियेशन में भी बात नहीं बन रही है। अब 28 रुपये पर लीटर इथेनाल लेने से जो सस्ता पेट्रोल देने की बात हो रही है, वह नहीं हो सकती है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उनका कहना है कि जो भी निर्णय लिया जाता है उसका कार्यान्वयन नहीं किया जाता है। इन निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। वे यही पूछ रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल: अध्यक्ष महोदय, इथेनाल उठाने के बारे में हमारा कहना है कि जितना इथेनाल हमें लेना है, उतना हमने लिया ही है। अब जहां से हमें इथेनाल लेना है वहां से हमने उसे लिया है। हमें जितना इथेनाल चाहिए उतना इथेनाल हमने लिया है। करीब 45 करोड़ लीटर हमने इथेनाल उठाया है। बाकी जो इथेनाल हमें लेना है, वह हमें नहीं मिलता है क्योंकि वे रेट ज्यादा मांग रहे हैं। अब रेट के बारे में जो तय करना चाहिए, पहले का टेंडर तीन साल का था, उस तीन साल के टेंडर में किसानों और फैक्टरीज को कम पैसा मिलता है, इसलिए वे लोग कह रहे हैं कि हमें ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। अब ज्यादा पैसा देने से हम जो सस्ता पेट्रोल देने की बात कर रहे हैं, वह नहीं हो पायेगा क्योंकि इथेनाल का रेट ज्यादा होने से उसकी कीमत और बढ़ जायेगी। इसमें ये सारी बातें हैं।

[अनुवाद]

***श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख:** देश में बड़ी संख्या में गन्ना उत्पादक हैं। उन्हें हर वर्ष कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यदि ये दरें वहनीय नहीं हों तो क्या सरकार चीनी और सीरे पर उत्पाद शुल्क की छूट देने अथवा गन्ना उत्पादकों, राज्य सरकार तथा उन कारखाना मालिकों को कुछ अन्य सहायता देने पर विचार करेगी जो इथेनाल का उत्पादन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह मंत्रालय इसका किस तरह से उत्तर दे सकता है?

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल: महोदय, माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं, वह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से रिलेटेड हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, यह आपके मंत्रालय से संबंधित नहीं है, मैं आपसे सहमत हूं,

[हिन्दी]

लेकिन आप इसे पास-आन कर दीजिए।

श्री दिनशा पटेल: हां ठीक है, वैसे यह प्रश्न एग्रीकल्चर मिनिस्टर से किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। इसे पास-आन कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी—उपस्थित नहीं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 21 रुपए 25 पैसे में लोग इथेनाल देने के लिए तैयार नहीं हैं। यह बात सही नहीं है। पिछले साल महाराष्ट्र कापरेटिव शुगर फेडरेशन, नेशनल कापरेटिव शुगर फेडरेशन, इसका सभी लोगों ने प्रजेंटेशन किया कि कंपनी माल उठा नहीं रही है, कंपनी माल लेने में दिलचस्पी नहीं रखती है। अभी रेशेसन के दौर में सरकार की क्या नीति होगी जिसके कारण पांच प्रतिशत जो मैंडेटरी है, उसे बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने के बारे में उन्होंने जवाब दिया है कि दो स्टडी ग्रुप, एक कर्नाटक और दूसरा यूपी में लगाए गए हैं, तो यह मैंडेटरी कब होगा? इसके साथ ही टाइम्स आफ इंडिया में एक न्यूज है कि भारत सरकार, इंडियन आयल कंपनी ब्राजील में 2,500 करोड़ रुपए खर्च करके इथेनाल बनाने जा रही हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार वहां इथेनाल बनाने जा रहे हैं और हिन्दुस्तान में इथेनाल उठाया नहीं जा रहा है जिससे किसान और उद्योग परेशान हैं, ब्राजील जो पैसा लगा रहा है वो भारत में सहकारी चीनी उद्योग में लगाए तो चीनी उद्योग को मदद होगी। इस बारे में सरकार की नीति क्या है?

श्री दिनशा पटेल: महोदय, माननीय सदस्य जो पूछ रहे हैं, ईबीपी कार्यक्रम के अंतर्गत तीन वर्ष में वर्ष 2006 से 2009 तक के लिए, 180 करोड़ लीटर इथेनाल की आवश्यकता की तुलना में 30 नवंबर, 2008 तक तेल उत्पादक कंपनियों द्वारा केवल 45.6 करोड़ लीटर इथेनाल का ही उत्पादन किया जा सका है। वर्ष 2007-08 के दौरान 1435 करोड़ लीटर पेट्रोल की कुल बिक्री की तुलना में 505 करोड़ लीटर इथेनाल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री हुई

*मूलत: मराठी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

थी। इसका अर्थ है कि 35 प्रतिशत पेट्रोल इथेनाल मिश्रित मिलता है। माननीय सदस्य इनवेस्टमेंट की जो बात कह रहे हैं, ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है। ब्राजील के साथ तेल कंपनियों की इसके बारे में बात हो रही थी, लेकिन उसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

[अनुवाद]

डा. सुजान चक्रवर्ती: धन्यवाद महोदय। इसी बीच भारत सरकार ने औषधि निर्माण विभाग के नाम पर एक-एक नए विभाग का सृजन किया है। इसे औषध नीति सहित औषध निर्माण से संबंधित सभी मुद्दों की देख-रेख करनी होती है। लेकिन मूल्य निर्धारण और अन्य के अलावा औषध-निर्माण का बहुत महत्वपूर्ण घटक पहला औषध-निर्माण क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का प्रश्न तथा दूसरा भेषज विनियमन का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: इस प्रश्न का संबंध पेट्रोलियम मंत्रालय से है। आप पहले के मामले से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। यह प्रश्न समाप्त हो गया है।

डा. सुजान चक्रवर्ती: महोदय, मुझे खेद है।

अध्यक्ष महोदय: आप इसे अगली बार उठाएं। शायद आप थोड़ी देर से आए हैं।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: मैं नहीं जानता कि इसका संबंध आपके मंत्रालय से है या नहीं लेकिन इसका संबंध इथेनाल से तो है।

महोदय, वर्ष 2007 में अमेरिका और अन्य जगहों में लाखों एकड़ में, मक्का, गेहूं और और अन्य फसलें लोगों को खाद्यान्न देने की बजाए कारों में बायो ईंधन मुहैया कराने के लिए उठाई गई। क्या भारत के भी बायो-ईंधन के रूप में इथेनाल बनाने के लिए खाद्यान्नों को परिवर्तित किया जा रहा है? क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है? मैं समझता हूं आप इसे गन्ने से बना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री वीरेन्द्र कुमार इसका संबंध कृषि मंत्रालय से है। वह इन नीतियों के संबंध में निर्णय नहीं करते हैं। मैं समझता हूं कि इन नीतियों का निर्धारण कृषि मंत्रालय करता है।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: इसका संबंध इथेनाल से है। मैं समझता हूं कि इथेनाल से संबंधित यह समीचीन प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: यह एक और प्रश्न है जिसे पास-आन कर दिया जाएगा।

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: ठीक है।

अध्यक्ष महोदय: आपकी रुचि मिश्रण के बजाय इथेनाल के उत्पादन में अधिक है।

[हिन्दी]

श्री मुन्शी राम: महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 28 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से टेण्डर आए हैं, लेकिन इथेनाल का असर गन्ने के उत्पादन और उसके रेट पर होगा। इसलिए मेरा मंत्री जी से कहना है कि इथेनाल की खरीददारी के लिए क्या आप कोई ठोस कार्य करने के लिए तैयार हैं या फिर इसे केवल कागजों में ही छोड़ेंगे? इथेनाल गन्ने के शीरे से बनता है, इसलिए इसका असर गन्ने की खरीददारी और उसके रेट पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

श्री दिनशा पटेल: मैंने पहले ही बताया कि किसानों की मदद करने के लिए पेट्रोल में पांच प्रतिशत इथेनाल मिलाकर बेचने की योजना है। इथेनाल शुगर इंडस्ट्री का बायो प्रोडक्ट है। यह शराब और दूसरी चीजों में भी यूज होता है। इसके अलावा दवाइयों में भी इसका उपयोग किया जाता है। वहां इसका उपयोग ज्यादा होता है। हम चाहते हैं कि किसानों को फायदा हो इसलिए पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके पांच प्रतिशत इथेनाल पेट्रोल में मिलाने की योजना बनाई है। अगर हमें भविष्य में इथेनाल पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो हम पेट्रोल में इसकी मात्रा दस प्रतिशत तक कर सकते हैं, लेकिन अभी यह हमें ज्यादा नहीं मिल रहा है और जो मिलता है, वह ज्यादा रेट पर मिलता है।

[अनुवाद]

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: महोदय, अमेरिका, ब्राजील आदि जैसे देशों में खाद्य फसलों का उपयोग बायो-डीजल का उत्पादन करने के लिए हो रहा है। इस तरह से खाद्य की अन्तर्राष्ट्रीय उपलब्धता घट गई है, जिसके कारण खाद्य की कीमतें भी बढ़ रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय ने कोई ऐसा अध्ययन कराया है कि यदि ऐसी चीजें हमारे देश में शुरू होती है तो हमारी खाद्य सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, यह इस मंत्रालय से संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, पेट्रोल में 20 प्रतिशत तक इथेनाल को हम मिक्स कर सकते हैं। दुनिया में कई देश ऐसा

कर रहे हैं। मंत्री जी ने कहा कि सरकार ने यह निर्णय दो मुख्य उद्देश्यों को सामने रखकर लिया है। एक उद्देश्य तो यह है कि जितना इथेनाल पेट्रोल में मिलाया जाएगा, उतने पेट्रोल की हमें बचत होगी, क्योंकि हम काफी बड़ी मात्रा में पेट्रोल का आयात करते हैं। दूसरा उद्देश्य यह है कि जो शुगर इंडस्ट्री है, गन्ना उत्पादक हैं, वे इससे जुड़े हुए हैं। सारी शुगर इंडस्ट्री इथेनाल का उत्पादन करती है। यदि इथेनाल का इस्तेमाल पेट्रोल में किया जाएगा तो किसानों को इससे लाभ हो सकता है। महाराष्ट्र से मांग आ रही है कि वहां सबसे ज्यादा शुगर इंडस्ट्रीज हैं, सहकारी क्षेत्र में भी काफी शुगर इंडस्ट्रीज हैं और वहां गन्ने का उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है। मंत्री जी पेट्रोल में इथेनाल का पांच प्रतिशत इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, तो इसे 20 प्रतिशत तक ले जाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदयः कृपया प्रश्न पूछें।

श्री अनंत गंगाराम गीतेः मंत्री जी ने यह भी कहा कि उन्हें इथेनाल अधिक दाम पर मिल रहा है। महाराष्ट्र के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जब आप अन्य राज्यों से इथेनाल ले सकते हैं और आसानी से ले सकते हैं तो फिर महाराष्ट्र के किसानों से या शुगर इंडस्ट्री वालों से क्यों नहीं बात करते? इसके अलावा किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए पांच प्रतिशत की जगह दस प्रतिशत इथेनाल का इस्तेमाल पेट्रोल में करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी?

श्री दिनशा पटेलः महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि यह मसला कृषि मंत्रालय से भी जुड़ा हुआ है। अगर गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है तो हम इथेनाल का पेट्रोल में इस्तेमाल पांच प्रतिशत की जगह दस प्रतिशत भी कर सकते हैं। इसके लिए मौजूदा आटो इंडस्ट्री के साथ भी बातचीत की जा रही है। जो दोपहिया और तिपहिया वाहनों के कार्बोरेटर हैं, उसमें कुछ बदलाव के लिए आटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी सोचना पड़ेगा, फिर आगे जाकर इस पर कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए इन दोनों विभागों के साथ मिलकर हमें काम करना पड़ेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आपने ये सभी सुझाव दिए हैं उन्होंने इस पर विचार किया है और इनका कार्यान्वयन इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार में कौन हैं।

श्रीमती मेनका गांधीः महोदय, पेट्रोल के साथ इथेनाल मिश्रण का यह प्रश्न इसलिए नहीं उठा कि पेट्रोल की कमी है बल्कि हवा में उत्सर्जित की जा रही CO_2 की मात्रा पर भी प्रभाव पड़ सकता है जिसका प्रभाव वैश्विक ताप वृद्धि पर भी होगा। हमने इसे इसलिए अपनाया क्योंकि ब्राजील ने ऐसा किया, दक्षिण अमेरिका ने ऐसा किया, उत्तरी अमेरिका ने ऐसा किया। लेकिन क्या इन दो तेलों के मिश्रण द्वारा उत्सर्जित CO_2 की मात्रा के संबंध में यहां कोई अध्ययन कराया गया है और दूसरा यह कि इन तेलों के यत्किंचित मिश्रण से किसी वाहन की माइलेज में कोई सुधार होता है या कमी आती है, जिस मामले में यह सही नहीं है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः क्या आपने ऐसी कोई स्टडी की है?

श्री दिनशा पटेलः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या ने जो बात कही है, उसके बारे में मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन जो कार्बोरेटर का मामला है, दोपहिया और तिपहिया वाहनों में लगे कार्बोरेटर में बदलाव करना होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैं समझता हूं कि आप अगली बार विशिष्ट प्रश्न पूछें। तो वे अध्ययन करायेंगे और बता पायेंगे।

प्रश्न संख्या 284 – श्री कमला प्रसाद रावत–उपस्थित नहीं।

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम

[हिन्दी]

रेल पुल

+*284. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडमः
श्री कमला प्रसाद रावतः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय रेलवे के नेटवर्क में कितने पुल हैं;

(ख) क्या रेलवे ने कई पुलों को खतरनाक घोषित कर दिया है जिनका तत्काल नवीकरण करने अथवा उनके स्थान पर नया पुल बनाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी डिवीजन-वार ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 1.4.2008 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल प्रणाली में 1,27,768 अदद रेल पुल हैं।

(ख) और (ग) जी हां। 1.12.2008 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेल प्रणाली में डिस्ट्रेस्ड पुलों की सं. 66 है। इन डिस्ट्रेस्ड पुलों का मंडल-वार ब्यौरा अनुबंध के रूप में संलग्न है।

भारतीय रेलों पर पुलों का पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण एक सतत प्रक्रिया है। रेल पुलों का पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण संबंधी कार्य पुलों की वास्तविक स्थिति, जिसका पता फील्ड में किए गए नियमित जांचों के दौरान लगाया जाता है, के आधार पर करती है। ऐसे कुछ पुलों को, जिनकी वास्तविक स्थिति बिगड़ती हुई प्रतीत होती है, पुनर्स्थापन की आवश्यकता की ओर संकेत करते हैं, डिस्ट्रेस्ड पुलों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये बहरहाल, न तो असुरक्षित होते हैं और न ही जीर्ण-शीर्ण होते हैं। डिस्ट्रेस्ड पुलों के पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण को शीघ्र प्राथमिकता दी जाती है। यदि आवश्यकता होती है, तो ऐसे पुलों पर पुनर्स्थापन/पुनर्निर्माण/सुदृढ़ीकरण के कार्य के चलने तक उपयुक्त गति प्रतिबंध लगाए जाते हैं। 2001-02 से भारतीय रेलों पर कुल 899 अदद डिस्ट्रेस्ड पुल पुनर्स्थापित/पुनर्निर्मित/सुदृढ़ीकृत किए गए हैं, जिसमें चालू वर्ष के दौरान नवम्बर, 2008 तक पूरे किए गए 22 अदद पुल भी शामिल हैं।

अनुबंध

रेलवे	मंडल	डिस्ट्रेस्ड पुलों की संख्या (1.12.2008 की स्थिति के अनुसार)	
		मंडलवार	जोड़ (रेलवार)
1	2	3	4
मध्य	भुसावल	5	6
	नागपुर	1	
पूर्व	हावड़ा	3	5
	माल्दा टाउन	1	
	सियालदह	1	
पूर्व मध्य	दानापुर	3	8
	मुगलसराय	1	
	समस्तीपुर	4	
पूर्व तट	खोरधा रोड	1	3
	वाल्टेयर	2	
उत्तर	अंबाला	1	10
	दिल्ली	5	
	फिरोजपुर	2	
	लखनऊ	1	
	मुरादाबाद	1	
उत्तर मध्य	आगरा	1	1
पूर्वोत्तर	इज्जतनगर	1	9
	लखनऊ	6	
	वाराणसी	2	
पूर्वोत्तर सीमा		0	0
उत्तर पश्चिम	जयपुर	1	1
दक्षिण	चेन्नई	1	2
	त्रिवेंद्रम	1	
दक्षिण मध्य	गुंतकल	1	6
	हैदराबाद	2	
	नांदेड़	1	
	सिंकदराबाद	2	
दक्षिण पूर्व	चक्रधरपुर	2	5
	रांची	3	
दक्षिण पूर्व मध्य	बिलासपुर	1	1
दक्षिण पश्चिम	मैसूर	2	2
पश्चिम	अहमदाबाद	1	3
	रतलाम	1	
	वडोदरा	1	
पश्चिम मध्य	जबलपुर	3	4
	कोटा	1	
	जोड़		66

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: सर, मैं आपकी इजाजत से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 1998 में रेलवे सेफ्टी रिन्यू कमेटी पार्ट (1) में 262 ब्रिजों को खतरनाक घोषित किया गया है, उसमें से आज तक कितने पूरे हुए हैं और कितनों का रैनोवेशन हुआ है?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: महोदय, 1998 में गठित की गई समिति ने विशेषज्ञों की एक उप-समिति नियुक्त की थी जिसने इन जीर्ण-शीर्ण और पुराने पुलों का किस प्रकार से पुनरुद्धार किया जाए इस बात का जायजा लिया था। इसने कुछ सिफारिशें की थीं जिसमें कहा कि उन्होंने इस्पात की क्षमता प्रयोग की गई सामग्री, कार्य की गुणवत्ता, भार क्षमता आदि पर विचार किया है। उस रिपोर्ट के आधार पर वर्षों से हम इस प्रकार का पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण का कार्य कर रहे हैं। वर्ष 1988-89 से आज की स्थिति तक, मैं आपको आंकड़े देता हूं। वर्ष 1989-90 के दौरान हमने लगभग 484 पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया है। वर्ष 1990-91 में हमने 374 पुलों का निर्माण किया। वर्ष 1991-92 में हमने 292 पुलों का और वर्ष 1992-93 में 689 पुलों का, वर्ष 1993-94 में 640 पुलों का, वर्ष 1994-95 में 355 पुलों का और 1995-96 में हमने 718 पुलों का निर्माण किया।

अध्यक्ष महोदय: आपको 20 वर्ष के आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री आर. वेलु: उन्होंने इसके बारे में पूछा है।

अध्यक्ष महोदय: आप उन्हें भिजवा दें।

श्री आर. वेलु: *जी, मैं उन्हें जानकारी भिजवा दूंगा।*

[हिन्दी]

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: सर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मेरे क्षेत्र जामनगर के अंदर कंबालिया रोड पर अंध-आश्रम के पास ओवर-ब्रिज के लिए सन् 2000 में एप्लाई किया, लेकिन आठ साल बीत जाने के बाद भी उसमें कोई बात आगे नहीं बढ़ी है। क्या ये ओवर-ब्रिज को तत्काल बनाएंगे?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: मेरे विचार से वे फ्लाई ओवर पुलों के बारे में बात कर रहे हैं। यह प्रश्न रेल पुलों, रेल ऊपरि पुलों के बारे में है, यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आप ठीक कह रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव। क्या आप नाराज हैं?

श्री राम कृपाल यादव: नहीं मैं कभी नाराज नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप नाराज हैं, तो आप विशिष्ट प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में पूर्व मध्य रेलवे के संबंध में बातें कही हैं जो बातें हमारे क्षेत्र दानापुर, मुगलसराय और समस्तीपुर से संबंधित हैं। इन्होंने कहा है कि 8 ऐसे रेल पुल हैं जो खतरनाक हैं। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि दानापुर जो हमारे संसदीय क्षेत्र का पार्ट है वहां कौन-कौन से पुल खतरनाक हैं और उनके लिए आप कितनी राशि आवंटित करने जा रहे हैं और कब बनाने जा रहे हैं। साथ ही आपने खतरनाक पुलों से मुक्ति दिलाने के लिए कौन से कदम उठाए हैं?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: ये पुल पुराने जरूर हैं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि ये खतरनाक पुल हैं। वे न तो असुरक्षित हैं और न ही जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं। वे कुछ पुराने प्रतीत होते हैं और हम उन्हें प्राथमिकता दे रहे हैं और जैसी भी आवश्यकता है उनका पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण किया जा रहा है। परन्तु पुराने पुलों के मामलों में इस वर्ष में सभी 35 डिवीजनों में 66 पुलों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: मेरे प्रश्न के संदर्भ में माननीय मंत्री जी का जवाब नहीं आ रहा है। मैंने पूछा है कि कितनी राशि आप घोषित करने जा रहे हैं और कब तक पुल बनेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ये आपको देश की स्थिति के बारे में बताने का प्रयास कर रहे थे। यदि आप जानना नहीं चाहते, तो क्या किया जा सकता है?

[हिन्दी]

दानापुर के बारे में बताएं?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: दानापुर में तीन पुल हैं। वहां कोई समस्या नहीं है। निधि की कोई समस्या नहीं है। इस वर्ष पुलों के कार्य हेतु हमने 606.00 करोड़ रु. का आवंटन किया है और कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: उनके प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में देश के अंदर कुल 66 रेलवे पुलों को खतरनाक घोषित किया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में शान्ति बनाए रखें। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह: मेरा मानना है कि इतने बड़े देश में मंत्री जी ने खतरनाक पुलों की जो संख्या बताई है, वह बहुत कम है। मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम-मध्य रेलवे में मंत्री जी ने कुल चार रेलवे पुलों को खतरनाक बताया है। जबलपुर से लेकर इलाहाबाद तक, लगभग 400 किलोमीटर के ट्रेक में कई ऐसे पुल हैं, जो बहुत पुराने हैं, अंग्रेजों के जमाने के हैं। वे रेलवे पुल बहुत ही खतरनाक हैं। मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या इन्होंने इन रेलवे पुलों का भी निरीक्षण करवाया है?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया यह एक प्रासंगिक प्रश्न है, परन्तु इस मुद्दे पर मैं उन्हें कुछ बताना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि केवल 66 पुल हैं। देश में लगभग 1,27,768 पुल हैं जिनमें से लगभग 51,340 पुल अर्थात् 42 प्रतिशत पुल 100 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं, लगभग 75,600 पुल 80 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 90,387 पुल 60 वर्ष पुराने हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 42 प्रतिशत पुल 100 वर्ष पुराने हैं, 62 प्रतिशत 80 वर्ष पुराने और लगभग 75 प्रतिशत लगभग 60 वर्ष पुराने हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी पुल खतरनाक अथवा जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं।

जैसा कि मैंने पहले बताया है कि पुलों की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया जाता है। देश में एक व्यवस्थित ढंग से और निश्चित समय अन्तराल पर बहु-स्तरीय निरीक्षण किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुल संरक्षा श्रेणियों में महत्वपूर्ण हैं विशेष रूप से तब जब हम अधिक भार बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। हम सघन निगरानी करने पर विचार कर रहे हैं। यह देखने के लिए जांच की जा रही है कि क्या ये पुल भार सहन करने में सक्षम हैं। स्थिति ऐसी है कि हम हर बात गम्भीरता से लेंगे और देखेंगे कि पश्चिम रेल में क्या किया जा रहा है और इसमें पुलों का ध्यान रखा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री पी. करुणाकरन, कृपया संक्षिप्त उत्तर हेतु संक्षिप्त प्रश्न पूछें।

श्री पी. करुणाकरन: महोदय, रेलवे ने कोंकण रेलवे का निर्माण किया और इसे चालू किया जो हमारे देश की एक शानदार परियोजना है। इस योजना का उद्देश्य रेल सेवाओं का सुचारू प्रचालन करना था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा केरल और कर्नाटक को जोड़ने वाला नेथरवाथी पुल है। पुराना पुल वास्तव में पुराना है क्योंकि यह ब्रिटिश शासन काल में बनाया गया था और वर्षों पूर्व नए पुल के निर्माण का कार्य आरम्भ किया गया था परन्तु यह अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इस प्रकार कोंकण रेलवे उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रहा है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया था।

क्या आपके माध्यम से मैं सरकार से यह जान सकता हूं कि नये पुल को कब तक चालू कर दिया जाएगा? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी यह बेहतर होगा कि प्रत्येक पुल के बारे में विस्तृत जानकारी उन्हें भेज दें।

श्री आर. वेलु: जी महोदय।

अध्यक्ष महोदय: अन्यथा, हम चर्चा जारी नहीं रख पाएंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वे आपको अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वे प्रत्येक पुल की स्थिति, मरम्मत की ' , स्थिति, आदि के बारे में उत्तर नहीं दे सकते।

...(व्यवधान)

श्री पी. करुणाकरन: यह पुल कोंकण परियोजना में है और मंत्री जी उसके बारे में जानते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री अब्दुल्लाकुट्टी: महोदय, वे इसके बारे में जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे नहीं मालूम आपने उन्हें कुछ बताया है अथवा नहीं। क्या आपके पास इस बारे में पूरी जानकारी है?

श्री आर. वेलु: महोदय, यह पुल पूरा होने को है। हम चाहेंगे कि सदस्यों की चिंताओं का निवारण हो।

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक है।

श्री ए. कृष्णास्वामी: धन्यवाद महोदय। मैंने खराब हो चुके पुलों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट पढ़ी है। परन्तु अनेक नये अधूरे पुल पड़े हुए हैं, क्योंकि निर्माण में काफी देरी होने की वजह से खराब हो रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले छह वर्षों से रेलवे ऊपरि पुलों का निर्माण हो रहा है और उनका निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है।

अध्यक्ष महोदय: हर कोई अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है।

श्री ए. कृष्णास्वामी: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने नए पुलों पर पिछले पांच सालों से भी अधिक समय से कार्य चल रहा है? उन्हें शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इन पुलों को उपयोग करने से पूर्व उन्हें नाकारा पुल घोषित किए जाने से बचा जा सके?

श्री आर. वेलु: चाहे खराब दिखने वाले अथवा जीर्ण-शीर्ण अथवा नये पुलों का निर्माण हो, इनके निर्माण में चार वर्ष का समय तो लगता ही है। हमारे माननीय सदस्य जानते हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में दो रेलवे ऊपरि पुल हैं। यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है और यह एक अलग मामला है, परन्तु मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं उनमें से एक का निर्माण शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। दूसरे पुल के संबंध में हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भूमि आदि की कमी के कारण संपर्क मार्ग अभी भी लंबित पड़े हैं और माननीय सदस्य इसके बारे में जानते हैं। हम उनके साथ सम्पर्क में हैं। ...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: इसकी अनुमति नहीं है और इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री कृष्णास्वामी के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मंत्री जी इसका उत्तर न दिया जाए। मेरी अनुमति के बिना कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 285 लोकप्रिय मंत्रालय से संबंधित है। श्री निखिल कुमार।

कोहरे के कारण उड़ानों में विलम्ब

***285. श्री निखिल कुमार:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कोहरे के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकांश उड़ानों के पायलट विमान उतारने की कैट-3 प्रणाली में प्रशिक्षित नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि कोहरे की स्थिति में भी उड़ान सेवाएं बाधित न हों?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) आई.जी.आई. हवाई अड्डे पर रनवे 28/10 तथा 29/11 कैट-3 बी परिस्थितियों के अंतर्गत परिचालनों के लिए सुसज्जित हैं यह प्रणाली 50 मीटर तक आर.वी.आर. परिस्थितियों में परिचालन के लिए है। बहरहाल, कभी-कभी घने कोहरे की स्थिति में जब दृश्यता 50 मीटर से भी कम हो जाती है या अन्य कारणों से जैसे प्रशिक्षित पायलटों की अनुपलब्धता आदि के कारण कुछ उड़ानें विलम्ब से उड़ती हैं/डाइवर्ट की जाती हैं। चालू मौसम के दौरान, दिनांक 21.11.2008 तथा दिनांक 11.12.2008 को एक-एक घरेलू उड़ान तथा 21.11.2008 को 8 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कोहरे के कारण डाइवर्ट की गईं।

(ग) और (घ) नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) खंड-7, शृंखला-'एक्स', भाग-1 में निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार पायलटों को निम्न दृश्यता परिस्थितियों के दौरान कैट-2/3 प्रचालनों के लिए एयरलाइनों द्वारा पायलटों को अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाना अपेक्षित है।

भारतीय प्रचालकों के पास इस समय उपलब्ध योग्यता प्राप्त भारतीय पायलटों की सूची अनुबंध में संलग्न है।

हालांकि, घरेलू एयरलाइनों के लिए निम्न दृश्यता परिस्थितियों के दौरान प्रचालन के लिए अपने पायलटों को प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य अपेक्षा नहीं है, बहरहाल, इन एयरलाइनों को निम्न दृश्यता परिस्थितियों में प्रचालन के लिए अपने पायलटों को प्रशिक्षित कराने हेतु समय-समय पर प्रोत्साहित किया जाता है।

कोहरे वाले हवाई अड्डों के लिए/से घरेलू अनुसूचित प्रचालकों की उड़ान अनुसूचियों को प्रचालकों के पास निम्न दृश्यता परिस्थितियों में प्रचालन के लिए उपलब्ध प्रशिक्षित पायलटों की संख्या तथा उपलब्ध उपयुक्त विमानों के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कैट-2/3 प्रचालनों के लिए प्रशिक्षित पायलटों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं जो इस प्रकार हैं:—

(1) अनुदेशक/परीक्षक के रूप में केवल कैट-2/3 योग्यता प्राप्त पायलटों को ही स्वीकृति प्रदान की जाती है ताकि प्रचालनों की दक्षता में सुधार लाने के लिए निम्न दृश्यता परिस्थितियों के दौरान कैट-2/3 प्रचालनों के लिए और अधिक प्रशिक्षित पायलटों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(2) कैट-2/3 प्रचालनों के लिए पायलटों के प्रशिक्षण संबंधी नागर विमानन अपेक्षाओं में यथा निर्धारित उड़ान अनुभव तथा सिम्यूलेटर प्रशिक्षण अपेक्षाओं की समीक्षा की गई है और उनको युक्तियुक्त बनाया गया है।

(3) पृष्ठांकन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (इंडोर्समेंट ट्रेनिंग स्लेबस) में निम्न दृश्यता कैट-2/3 प्रचालन प्रशिक्षण अपेक्षाओं को शामिल किया गया है तथा प्रचालकों द्वारा इसे अपनी-अपनी प्रशिक्षण नियमावली में निर्धारित किया गया है।

अनुबंध

दिनांक 11 दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार कैट-2/3 प्रचालनों के लिए उपलब्ध योग्यता-प्राप्त भारतीयों पायलटों की वर्तमान संख्या

प्रचालक का नाम	भारतीय कैट-2		भारतीय कैट-3	
	पीआईसी	पी-2	पीआईसी	पी-2
1	2	3	4	5
नैसिल(ए)	11	05	95	69
नैसिल (आई)	34	28	148	94
जेट एयरवेज	86	54	102	58
जेट लाइट	43	38	–	–
स्पाइस जेट एयरलाइंस	33	24	–	–
इंडिगो	–	–	33	26
किंगफिशर एयरलाइंस	09	07	93	53
गो एयर	04	06	04	06
कुल	220	162	475	306
सकल योग				1163

श्री निखिल कुमार: कोहरे से सामान्यत: हमारी सभी उड़ानों में विलंब होता है तथा कोहरे से कम दृश्यता की स्थिति भी पैदा हो जाती है। वास्तव में कुछ एयरलाइन एक माह तक अपनी उड़ानों को या तो रद्द कर देती हैं या फिर स्थगित कर देती हैं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, यदि आपके पास चर्चा करने हेतु बहुत सारे महत्वपूर्ण मामले हैं तो कृपया बाहर जाकर चर्चा करें तथा फिर वापिस आयें। यह जगह आपकी छोटी-छोटी बैठकें आयोजित करने हेतु नहीं है।

श्री निखिल कुमार: मैं यह कह रहा था कि कोहरे से हमारी सभी उड़ानों में विलंब होता है।

अध्यक्ष महोदय: श्री निखिल कुमार, कृपया विशिष्ट प्रश्न पूछें।

श्री निखिल कुमार: जी हां, महोदय, मैं विशिष्ट प्रश्न ही पूछूंगा। इन सभी विलंब तथा असुरक्षा के कारण मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि कृपया हमें यह बतायें कि क्या सरकार पायलटों हेतु कैट-तीन परिस्थितियों के अंतर्गत प्रशिक्षण लेना अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है?

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, कोहरे की परिस्थितियां प्राकृतिक बात है; यह किसी भी हवाई अड्डे पर कार्य संचालन को प्रभावित कर सकती है जो दृश्यता स्थितियों पर निर्भर है। यह एक सुरक्षा संबंधी मुद्दा है। तथापि, नई प्रौद्योगिकियों से हमें कम दृश्यता वाली स्थितियों में भी कार्य संचालन करने में मदद मिलती है। जैसाकि हम सब जानते है कि नये उपकरणों को शामिल किया जा रहा है। दिल्ली में हमारे पास कैट-तीन-बी कार्य संचालन उपलब्ध हैं, जो न केवल इस रनवे (धावनपथ) पर है जो अब तक मुख्य रनवे

था लेकिन उस नये रनवे पर भी है जिसका निर्माण हाल ही में किया गया है। हम न केवल कैट-तीन बी कार्य संचालन का विस्तार करने पर ध्यान दे रहे हैं, अपितु उत्तर भारत में अनेक हवाई अड्डों में कैट-एक तथा दो कार्य संचालन पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। यह आपकी सूचना के लिये है कि कोलकाता में भी यह कैट-दो है जिसमें 350 मीटर तक दृश्यता होती है ताकि कार्यसंचालन जितना संभव हो सके सामान्य ढंग से किया जा सके। तथापि, मैं यह बात दोहराता हूं कि यह एक प्राकृतिक बात है तथा सुरक्षा के मद्देनजर तथा हवाई जहाज में उड़ान भरने वालों के हित में हमें सुरक्षा मानदण्डों को सुनिश्चित करना होता है। इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। विमानन में या तो 100% सुरक्षा है अथवा शून्य प्रतिशत।

प्रशिक्षित पायलटों के मामले में मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त कर सकता हूं कि यह निरन्तर चलने वाली कवायद है। विगत में हमारे पास बहुत ही कम कैट-तीन-बी प्रशिक्षित पायलट थे। अब हमारे पास कैट दो तथा तीन के बीच लगभग 1163 पायलट हैं जो प्रशिक्षित हैं। हमने विगत कुछ वर्षों में निरन्तरता आधार पर यह प्रयास किया है। पुनः, मैं यह बात दोहराता हूं कि कैट-तीन-बी प्रशिक्षित पायलट इसलिये पायलट नहीं बन पाते कि वे एक निश्चित प्रशिक्षण से गुजरे हैं। पायलट का अनुभव भी मायने रखता है तथा कुछ वर्षों के दौरान ही एक पायलट कैट एक से दो, दो से तीन, तीन से तीन ए, बी तथा सी में स्नातक होता है। इसलिये, मैं माननीय सदस्यों से यह आग्रह करता हूं कि वे इन बाध्यताओं तथा प्रयासों को समझे, जो यह सुनिश्चित करने हेतु किये जा रहे हैं कि न केवल न्यूनतम बाधायें आयें अपितु यात्रियों की 100% सुरक्षा भी रहे।

श्री निखिल कुमार: महोदय, यद्यपि मुझे इसे अनिवार्य तथा आवश्यक बनाने के बारे में मेरे प्रश्न का कोई सटीक सा उत्तर नहीं मिला था फिर भी....

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा: ''सुरक्षा के कारणों हेतु.....''

श्री निखिल कुमार: मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि मैं पुनः पटना जैसे छोटे हवाई अड्डों से भरी जाने वाली उड़ानों की बात कर रहा हूं चाहे फिर वे सरकार द्वारा कैट-तीन परिस्थितियों जैसी आधुनिक उपस्करों तथा आधुनिक उड़ान संबंधी हालतों से सुसज्जित करने की पटना जैसे छोटे हवाई अड्डों के प्रस्ताव की बात हो। मैं विशेषकर पटना का उल्लेख कर रहा हूं, क्योंकि हम सभी को यह जानकारी है कि यहां पर बहुत ही छोटा रनवे है तथा बहुत लंबे समय से इसका विस्तार करने का प्रस्ताव है। वह प्रस्ताव अब मंत्रालय के पास लंबित है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे हमें यह बतायें कि क्या सरकार की इसके विस्तार की योजना है।

अध्यक्ष महोदय: आप कोहरे पर प्रश्न पूछ कर पटना के हवाईअड्डे का विस्तार चाहते हैं।

श्री प्रफुल पटेल: प्रथम भाग को केवल पूरा करने के लिये जिसके संबंध में माननीय सदस्य अनिवार्य प्रशिक्षण के संदर्भ में संतुष्ट नहीं थे, मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि इसके कुछ भाग का उत्तर दिया गया है तथा सबसे प्रमुख बात यह है कि देश में सभी हवाईअड्डों के लिये कैट तीन-बी की आवश्यकता नहीं है। यदि एक हवाई जहाज मुम्बई अथवा चेन्नई अथवा कई अन्य शहरों में उतरता है तो आपको कैट तीन-बी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। अतः, प्रत्येक पायलट हेतु कैट-तीन-बी को अनिवार्य करना भी आवश्यक नहीं है तथा आपकी सूचना हेतु मैं अपनी बात दोहराता हूं कि संसार में कहीं भी एक पायलट को कैट-तीन-बी होना अनिवार्य नहीं है। मुद्दा केवल यह है कि यदि आप कैट-तीन बी परिस्थिति में हैं तो आपको उस प्रकार के कार्यसंचालन हेतु प्रशिक्षित होना चाहिये। इसीलिये, निरन्तरता के आधार पर उत्तरी क्षेत्र में बढ़े हुए कोहरे के कारण तथा अब और ज्यादा उड़ाने हो गई हैं। जबकि विगत में कैट दो-बी अथवा कैट तीन-बी द्वारा केवल दिल्ली को ही कवर किया जाता था। जैसा कि मैंने कहा हम अब कैट एक, दो तथा तीन का विस्तार विभिन्न हवाईअड्डों पर भी कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: वह पटना के बारे में पूछ रहे थे।

श्री प्रफुल पटेल: पटना के बारे में मैं यह कहूंगा कि हमारे पास आई.एल.एस. है अर्थात् कैट-एक। परन्तु मुझे विश्वास है कि हम इसमें आगे और उन्नयन करने में सक्षम होंगे जो और अधिक उड़ानों की आगे उपलब्धता पर निर्भर करता है। अन्ततोगत्वा, ये बहुत ही महंगे उपकरण हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह रनवे का विस्तार चाहते हैं।

श्री प्रफुल पटेल: जैसाकि उन्हें भी अच्छी जानकारी है, पटना के विस्तार के संबंध में कुछ बाधायें हैं जो धन देने में एयरपोर्ट अथारिटी की नहीं है। रनवे के विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। एक तरफ बोटनिकल गार्डन (वानस्पतिक पार्क) है तथा पर्यावरण तथा हरियाली के कारण पेड़ों की भी कटाई नहीं हो सकती है। इससे एक तरफ रनवे की उपलब्धता तथा हवाईअड्डे के उपयोग पर भी प्रतिबंध लग रहा है तथा दूसरी तरफ रनवे का विस्तार नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, यहां पर रेलवे लाइन अथवा रेलवे

का मुद्दा है। मैं माननीय रेल मंत्री से बात कर रहा हूं जो बिहार के पटना से है। मुझे आशा है कि हम इसका समाधान करने में सक्षम होंगे। जब कभी भी इसे किया जायेगा हमें इसे सभा के ध्यान में लाकर खुशी होगी।

श्री अनंत कुमार: महोदय, मैं पूरी तरह से माननीय मंत्री से सहमत हूं कि आई.एल.एस. कैट-तीन-बी तथा कैट-तीन-सी की आवश्यकता केवल ऐसे हवाई अड्डों जहां कोहरा अत्यधिक होने की संभावना रहती है, हेतु है। इसीलिये, आपके माध्यम से मेरा प्रश्न यह है कि पहले दिल्ली में आई.जी.आई. हवाईड्डे को कैट-सी बनाने की योजना थी। यह केवल कैट-बी है। कैट-सी जीरो लैंडिंग है जिसे वह जानते हैं। श्रीनगर, कारगिल, लेह तथा थ्योस हवाई अड्डों के संबंध में योजना क्या है.....

अध्यक्ष महोदय: तथा बंगलौर के बारे में भी।

श्री अनंत कुमार: वह जानते हैं कि बंगलौर के लिये क्या चाहिये। हमारे पास पहले से ही आई.एल.एस. है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल साधन ही पर्याप्त नहीं हैं, पायलटों को उन परिस्थितियों में प्रचालन हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। इसे अनिवार्य क्यों नहीं बनाया गया है? क्या आई.एल.एस. कैट-तीन-बी तथा कैट तीन-सी हवाईअड्डों में प्रचालन हेतु पायलटों के प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाने की योजनायें हैं?

श्री प्रफुल पटेल: इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा, एक पायलट केवल दिल्ली तथा लखनऊ और दिल्ली तथा लेह के बीच ही उड़ान नहीं भरता है अपितु एक पायलट पूरे देश में उड़ान भरता है। जैसा कि मैंने कहा था, यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। एक नया पायलट अचानक ही कैट-तीन बी पर प्रचालन नहीं कर सकता है। पायलट को प्रशिक्षण दिया जाना होता है। फिर भी यह एक मानव निपुणता है तथा यहां पर एक प्रक्रिया है। परन्तु तथ्य यह है कि यदि आप कैट-तीन-बी परिस्थिति में लैंडिंग चाहते हैं तो एक पायलट को उसके लिये आवश्यक रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। अन्यथा, उसे धरती पर उतरने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

मैं इस सभा को आधा मिनट और जानकारी देना चाहता हूं। कई बार आप हवाईजहाज में बैठते हैं तथा आप देखते हैं कि 'एक हवाई जहाज उड़ान भर रहा है तथा आपका हवाईजहाज उड़ान नहीं भर रहा है?' यह इसलिये है क्योंकि प्रत्येक पायलट को निश्चित तौर पर प्रतीक्षा करनी होती है; कभी-कभार उन कम दृश्यता परिस्थितियों में अगले हवाई जहाज के पायलट को वह प्रमाणपत्र मिल जाता है तथा इसीलिये वह उड़ान भर सकता है जबकि आपका हवाई जहाज उस विशिष्ट दिन को जब तक कि दृश्यता में आगे और सुधार नहीं होता उड़ान भरने में सक्षम नहीं होगा। अत: मैं जानता हूं कि वहां पर कभी-कभार इस प्रकार की उलझन हो जाती है। मुझे कभी-कभी माननीय संसद सदस्यों से सूचना मिली है कि जिस हजाई जहाज में मैं बैठा हूं वह उड़ान क्यों नहीं भर रहा है तथा अन्य हवाई जहाज क्यों चले गये हैं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय संसद सदस्य भी उड़ानों को रुकवा देते हैं।

श्री प्रफुल पटेल: वह मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। आपको उस पर फैसला करने का पूरा अधिकार है। मैं नहीं कर सकता हूं। मैं श्री अनंत कुमार को केवल यह बताना चाहता हूं कि वह मेरे पूर्ववर्ती हैं—तथा कैट-तीन बी तथा कैट-तीन सी के बीच अन्तर 'केवल 50 मीटर तथा शून्य मीटर' है। अत:, कोई अन्तर नहीं है— यदि यह केवल 50 मीटर है तथा हवाई जहाज की लंबाई 50 मीटर से ज्यादा है। इसलिये, यह वास्तव में इतना मायने नहीं रखता चाहे यह कैट-तीन बी अथवा कैट-तीन सी हो; यह लगभग एक जैसा है। हम केवल वही करेंगे जो यात्रियों की सुरक्षा हेतु है; हम प्रयोग करने का प्रयास नहीं करेंगे; हम विश्व-स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों का अनुसरण कर रहे हैं। दिल्ली हवाईअड्डा संसार में किसी भी अन्य हवाईअड्डे से कम नहीं है।

हम श्रीनगर मुद्दे के बारे में कार्यवाही कर रहे है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: हवाईजहाजों के मामले में विलंब हमेशा ही होता है जो कि 5-6 घंटे अथवा इससे भी ज्यादा का हो जाता है। मुझे एक बहुत ही छोटा सा कारण कि एक अप्रचलित (पुराने) हवाईजहाज का उपयोग किया जा रहा था हेतु आठ घंटों के लिये हवाईजहाज के भीतर धरने पर बैठना पड़ा था। हर बार यह या तो कोचीन अथवा त्रिवेन्द्रम में 3-4 घंटे के लिये होता है।

अध्यक्ष महोदय: परन्तु वह कोहरे के कारण नहीं है। यहां पर हम कोहरे के संबंध में बात कर रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: कोहरा विलंब का एक कारण है। कोहरे के कारण विलंब के अतिरिक्त—जैसाकि यात्रियों द्वारा कहा गया है—निजी एयरलाइनों को प्रोत्साहित करने के लिये अप्रचलित हवाईजहाजों का प्रचालन किया जा रहा है; यदि एयर इंडिया इस तरह प्रचालन करती है तो लोग निजी एअरलाइनों को वरीयता देंगे; इस तरह वे एअर इंडिया की जगह निजी एअरलाइनों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम एअर इंडिया सेवा को और अच्छा चाहते हैं तथा इसे फलना-फूलना भी चाहिये। परन्तु नीति इस तरह की है जिससे

हमेशा ही विलंब होगा और लोग हमेशा ही निजी एअरलाइनों को वरीयता देते रहेंगे। इस तरह हमें निजी एअरलाइनों का सहारा लेने हेतु बाध्य किया जायेगा। यह हमारे देश के लिये अच्छा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन जी, पुराने लोगों के लिये वे मेरी आपकी तथा अन्य लोगों की तरह अप्रचलित हवाईजहाज प्रदान कर रहे है। वे चाहते हैं कि हम अप्रचलित हवाईजहाज के साथ चलें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: परन्तु मैं आपको अपने आये दिन के अनुभव से बता रहा हूं।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि— हर वह चीज जिसकी उम्र ज्यादा हो गई है अप्रचलित है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: आपने मुझे एअर इंडिया से आश्वासन दिया है; मुझे लिखित आश्वासन मिला है कि एक नया हवाईजहाज दिनांक 1 जनवरी से प्रदान किया जायेगा।

श्री प्रफुल पटेल: क्या आपको वह मिल गया है?

श्री वरकला राधाकृष्णन: जी हां।

श्री प्रफुल पटेल: तो फिर आप मुझसे अब क्यों पूछ रहे हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णन: वे मुझे हवाईजहाज से बाहर करना चाहते थे। अत:, उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था; वे इसके लिए बाध्य थे।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, मैं आपको आश्वास्त कर सकता हूं कि उनकी अभी भी मांग है।

मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, उन्हें लिखित रूप में उत्तर मिला है।

अध्यक्ष महोदय: आप उनसे हवाईजहाज में आठ घंटे रहने की आशा न करें।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, आठ घंटे इसलिये क्योंकि उन्होंने इसे आठ घंटे बना दिया था; अन्यथा, यह आठ घंटे नहीं होते।

अध्यक्ष महोदय: भविष्य में उनका अच्छा खासा ध्यान रखा जायेगा।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यहां बहुत अच्छे उदाहरण दिये हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जैसे ए.टी.सी. होता है, उस ए.टी.सी. में कुछ ऐसा इक्युपमैन्ट लगाने के बारे में पहले कहा गया था, जो पायलट को घने कोहरे में डायरेक्शन दे सकता है। ऐसा इक्युपमैन्ट पहले लाने वाले थे और उसे हर एयरपोर्ट पर ए.टी.सी. पर लगाने की बात हुई थी। मंत्री जी यह बतायें कि वह कब से होने वाला है?

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, जहां आवश्यकता है, वहां आलरेडी वे यंत्र दिये गये हैं और यह आनगोइंग प्रोसैस है, जैसे-जैसे हवाई जहाज का ट्रैफिक देश में बढ़ेगा तो जहां-जहां आवश्यकता होगी, वहां उसे लगाया जायेगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम कुछ उदार विषयों पर आते हैं।

प्रश्न संख्या 286 श्री रामदास आठवले।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, आप क्वैश्चन नम्बर बोलें।

श्री रामदास आठवले: मुझे प्रफुल भाई के विषय पर बोलना है।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, क्या क्वैश्चन नम्बर 286 में आप इंटरैस्टिड हैं? आप प्रश्न 286 पर बोलना चाहते हैं या नहीं?

श्री रामदास आठवले: महोदय, मेरा आई.सी. नम्बर भी 286 है। लकिली मेरा यह नम्बर आया है।

अध्यक्ष महोदय: यह मजाक की जगह नहीं है। आप सप्लीमैन्ट्री प्रश्न पूछिये।

ऐतिहासिक स्मारक

+
***286. श्री रामदास आठवले:**
श्री सुब्रत बोस:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों की स्थानवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन स्मारकों के संरक्षण और रख-रखाव पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने राष्ट्रमंडल खेलों को ध्यान में रखते हुए राजधानी के ऐतिहासिक स्मारकों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था करने तथा उनका जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितने स्मारकों की पहचान की गई है;

(ङ) यूनेस्को की विरासत सूची में कितने स्मारक हैं; और

(च) विरासत सूची में और अधिक स्मारकों को सम्मिलित करने हेतु मंत्रालय द्वारा आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली में 174, हरियाणा में 21 तथा तथा उत्तर प्रदेश में 4 स्मारक/स्थल हैं जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। स्थान-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा नवम्बर, 2008 तक इन स्मारकों के परिरक्षण तथा रख-रखाव पर व्यय की गई धनराशि निम्नानुसार है:

2005-06	759.51
2006-07	876.24
2007-08	811.70
2008-09 (नवम्बर, 2008 तक)	699.39

(ग) और (घ) दिल्ली में जीर्णोद्धार के लिए 46 स्मारकों की पहचान की गई है तथा 13 स्मारकों को प्रदीप्त करने का प्रस्ताव है जिसका ब्यौरा क्रमश: अनुबंध-II और III में दिया गया है।

(ङ) यूनेस्को की विश्व दाय सूची में 22 सांस्कृतिक स्थल तथा 5 प्राकृतिक स्थल दर्ज हैं जिनमें से 3 स्मारक अर्थात् कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा तथा लाल किला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हैं जिसका ब्यौरा अनुबंध-IV में दिया गया है।

(च) विश्व दाय स्थलों की अनन्तिम सूची में शामिल सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक दाय स्थलों की सूची अनुबंध-V में दी गई है।

अनुबंध I

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान
1	2	3
दिल्ली		
1.	बुर्जी, जहां पर जहांपनाह की दीवार राय पथौरा किले से मिलती है	अदचीनी
2.	राय पिथौरा किले का रैम्प व प्रवेशद्वार	अदचीनी
3.	नवाब बहादुर जाविद खान का प्रसिद्ध संगमरमर का मकबरा	अलीगंज
4.	लाल बंगला	बाबरपुर, काकानगर
5.	खैर-उल-मंजिल	बाबरपुर, बाजीपुर काकानगर
6.	कोस मीनार अथवा मुगला मील का पत्थर	बाबरपुर, बाजीपुर काकानगर
7.	शेरशाह का मोती द्वार, दिल्ली	बाबरपुर, बाजीपुर काकानगर
8.	बेगमपुरी मस्जिद	बेगमपुर
9.	फूल चादर जलसेतु अथवा नजफगढ़ झील जलसेतु	चौकरी मुबारकबाद
10.	लाल गुम्बद	चिराग दिल्ली
11.	बहलोल लोदी का मकबरा	चिराग दिल्ली
12.	अजमेरी गेट	बाजार अजमेरी गेट
13.	अलीपुर कब्रिस्तान	दिल्ली-अलीपुर कैंपिंग ग्राउंड
14.	अशोक स्तंभ	फिरोजाबाद (फिरोजशाह किला अथवा विक्रम नगर कालोनी)
15.	बारा खंभा कब्रिस्तान	इम्पीरियल सिटी
16.	चैबुर्जी	हिंदुराव अस्पताल के पास पहाड़ी
17.	इरेमो कब्रिस्तान	किशनगंज रेलवे स्टेशन
18.	दिल्ली किला अथवा लाल किला, नौबत खाना, दीवान-ए-आम, मुमताज महल, रंग महल, बैठक, मस्जिद बुर्ज, दीवान-ए-खास, मोती मस्जिद, सावन भादों, शाह बुर्ज, हम्माम तथा उसके आसपास के बगीचे, रास्ते, चबूतरे तथा वाटर कोर्सेज	लाल किला

1	2	3
19.	दिल्ली गेट	दरियागंज
20.	ले. एडवर्ड तथा अन्यों की कब्रें जिन्हें 1857 में मारा गया था	उत्तरी रिज, फ्लैग स्टाफ टावर के समीप, सिविल लाइंस
21.	नजफ खान के साथ लगी दीवार तथा मकबरा	सफदरजंग फ्लाईओवर
22.	फ्लैग स्टाफ टावर	चौबुर्जी मस्जिद के 400 गज उत्तर
23.	जंतर मंतर	कनाट प्लेस
24.	कश्मीरी गेट तथा शहर दीवार का हिस्सा जोकि कश्मीरी गेट के दोनों तरफ और दूसरी तरफ दीवार के उत्तरी कोने पर जहां पानी की बुर्जी भी शामिल है तथा शहर दीवार का बाहरी हिस्सा जहां से दिखता है	कश्मीरी गेट
25.	कोटला फिरोजशाह तथा दीवारें, बुर्जियां तथा प्रवेशद्वार एवं बाग, पुरानी मस्जिद तथा कुआं तथा इसमें शामिल अन्य अवशेष	जेल के दो फर्लांग पूर्व तथा शाहजहांनाबाद, दिल्ली के दक्षिण पूर्व कोने के दक्षिण से तीन फर्लांग
26.	लाल दरवाजा, शेरशाह की दिल्ली की बाहरी दीवारों का उत्तरी द्वार	दिल्ली गेट के दक्षिण में तीन फर्लांग
27.	लोथिअन रोड कब्रिस्तान	कश्मीरी गेट
28.	मस्जिद	कुदसिया बाग
29.	म्यूटिनी टेलीग्राफ स्मारक	पुराने टेलिग्राफ भवन के सामने, कश्मीरी गेट
30.	निकलसन (अथवा कश्मीरी गेट) कब्रिस्तान	कश्मीरी गेट
31.	निकलसन की मूर्ति तथा उसका प्लेटफार्म तथा उसके आसपास के बाग, रास्ते तथा अहाता दीवार	कश्मीरी गेट के बाहर
32.	हिन्दूराव अस्पताल के एकदम समीप प्राचीन बावली	रिज, दिल्ली
33.	बाग का पुराना प्रवेशद्वार	कुदसिया, दिल्ली
34.	पीरहैब-उत्तर में तथा हिन्दूराव अस्पताल के समीप	रिज, दिल्ली
35.	शहर दीवार का वह हिस्सा जहां ब्रिगे. जान निकलसन को 14 सितम्बर, 1857 को घातक रूप से जख्मी कर दिया गया था	रिज, दिल्ली
36.	रोशनारा बाग में पंजाबी गेट	म्यूनिसिपल बोर्ड स्कूल के सामने, सब्जी मंडी
37.	पुराना किला (इन्द्रपट) अथवा दिल्ली अपनी सभी दीवारों, तोरणपथों, प्रवेशद्वारों तथा बुर्जियों, शेरशाह की मस्जिद किला कोहना मस्जिद, शेरमंडल तथा भूमिगत गलियारों को जाने वाले प्रवेशद्वार	शाहजहांनाबाद, दिल्ली के दिल्ली गेट से 2 मील दक्षिण की तरफ
38.	राजपुर म्यूटिनी कब्रिस्तान	पुराना राजपुर कैंटूमेंट, उत्तरी जिला
39.	प्राचीन मैगाजीरा तथा उनके साथ लगे हुए भवनों के बचे हुए प्रवेशद्वार	पोस्ट आफिस, दिल्ली
40.	शेरशाह का गेट तथा उसके साथ लगी दीवारें तथा बुर्जियां तथा उसके सामने दोनों तरफ की संरचनाओं के अवशेष	पुराना किले के एकदम सामने व खैरूल मंजिल मस्जिद के उत्तर पूर्व में
41.	सीज बैटरी का स्थल जिसे सैमी हाउस बैटरी के नाम से जाना जाता है जिसमें निम्नलिखित शिलालेख हैं: बैटरी, सैमी हाउस, मेजर रेमिंगटन टेंक, आर.ए. कमांडिंग आर्मामेंट 89 पाउंड। मोरी बुर्ज के समीप कमांड ग्राउंड	म्यूटिनी स्मारक के 300 गज पूर्व में
42.	शिलालेख सहित सीज बैटरी का स्थल	पुलिस लाइन में अस्पताल के पूर्व में
43.	शिलालेख सहित सीज बैटरी का स्थल	कर्जन हाउस का परिसर
44.	शिलालेख सहित सीज बैटरी का स्थल	दिल्ली क्लब मैदान के दक्षिण पश्चिम प्रवेश द्वार के समीप बाग में
45.	दिल्ली किले के पास सुनहरी मस्जिद	दिल्ली किला
46.	कै. मैक बर्नार्ट एवं अन्यों का मकबरा जोकि किशनगंज के आक्रमण में मारे गए	किशनगंज
47.	गियासुद्दीन खान का मकबरा	तुगलकाबाद
48.	रोशनारा का मकबरा तथा बारादरी	सब्जी मंडी

1	2	3
49.	मौहल्ला बुलबुली खाना में रजिया बेगम का मकबरा	शाहजहांनाबाद
50.	सफदरजंग का मकबरा (मिर्जा मुकीम मंसूरी अली खान) तथा इसकी दीवारें, प्रवेशद्वार, बाग तथा बाग के पूर्वी तरफ मस्जिद	लोदी रोड, नई दिल्ली
51.	त्रिपोलिया प्रवेशद्वार	दिल्ली-करनाल मार्ग
52.	उग्रसेन की बावली	जंतर-मंतर के समीप
53.	दरिया खान का मकबरा	पूर्वी किदवई नगर
54.	घियासपुर स्थित बावली	निजामुद्दीन
55.	मिर्जा मुजफ्फर का मकबरा, छोटा बादशाह नं. 153, घियासपुर	निजामुद्दीन
56.	अमीर खुसरो का मकबरा, घियासपुर	निजामुद्दीन
57.	मिर्जा मुजफ्फर का मकबरा, बड़ा बादशाह नं. 151, घियासपुर	निजामुद्दीन
58.	निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, घियासपुर, नं. 197	निजामुद्दीन
59.	अज्ञात मकबरा, घियासपुर नं. 153	निजामुद्दीन
60.	1. फिरोजशाह का मकबरा 2. सं. 1 के पश्चिम में गुम्बदाकार भवन 3. 1 व 2 के बीच में दालान 4. सं. 3 के दक्षिण में गुम्बदाकार भवन तथा उसका आंगन 5. सं. 1 से 10 तक के उत्तर में दालान तथा सभी ध्वस्त भवन 6. सं. 1 से 5 की तरफ पांच छतरियां 7. सं. 6 के उत्तर में पुराना द्वार 8. सं. 7 के उत्तर-पश्चिम में तीन छतरियां 9. सं. 8 के उत्तर-पश्चिम में गुम्बदाकार भवन के ध्वस्त आंगन तथा उसके दालान 10. सं. 4 से पूर्व की तरफ जा रही पुरानी दीवार 11. उपरोक्त स्मारकों को घेरती हुई 2.23 एकड़ भूमि जो कि	हौजखास

1	2	3
	उत्तर: छंगा तथा मेहरचंद पुत्र श्री हंसराम व उदेराम पुत्र कुशा के मकानों से दक्षिण: गढ़ी मुनकान रास्ता पूर्व: गांव का स्थल जोकि गांव के लोगों के मकान हैं जैसे नोटस जदर पुत्र जयसिंह छम्बर तथा फील्ड नं. 338 एवं 331 जोकि नैदार तथा अन्यों से संबंधित है पश्चिम: फील्ड नं. 185 जोकि उदाराम पुत्र कुशल जाट तथा फील्ड नं. 186 जोकि जागिण व संजावल राजपूत से संबंधित है, सं. 195 घैरमुनकीन जोहर, जोकि जाटों व मुसलमानों से संबंधित है तथा फील्ड नं. 196, घैरमुनकीन पाल से घिरी हुई है	
61.	मस्जिद सहित बाग-ए-आलम गुम्बद	हुमायूंपुर
62.	काली गुंटी	हुमायूंपुर हौजखास
63.	टेफेवाला गुम्बद	हुमायूंपुर डीयर पार्क हौजखास
64.	अरब सराय	पट्टी हौज इन्द्रपेट में घीयापुर
65.	पुराना किला की तरफ उत्तर की दिशा की तरफ वाला अरब की सराय का प्रवेशद्वार	अरब सराय गांव के समीप
66.	हुमायूं के मकबरे की तरफ पूर्व की दिशा की तरफ वाला अरब की सराय का प्रवेशद्वार	अरब सराय गांव के समीप
67.	अरब सराय व आबादी-बाग-मुहालिमा के बचे हुए प्रवेशद्वार	अरब सराय गांव के समीप
68.	लाखरवाला गुम्बद मकबरा	इन्द्रपट एस्टेट, सुंदर नर्सरी
69.	सुन्दरवाला बुर्ज	इन्द्रपट एस्टेट, सुंदर नर्सरी
70.	सुन्दरवाला महल	इन्द्रपट एस्टेट, सुंदर नर्सरी
71.	विजय मंडल, साथ के गुंबद, भवन तथा बेगमपुर के उत्तर की तरफ दालान	कालूसराय गांव में सर्वप्रिय विहार
72.	पुराना लोदी ब्रिज, रास्तों सहित	सिकंदर लोदी के मकबरे के पास, खैरपुर
73.	दालान व आंगन सहित मस्जिद तथा बड़ा गुम्बद मस्जिद में गुम्बदाकार प्रवेश	खैरपुर
74.	मौहम्मद शाह का मकबरा जिसे मुबारक खान के गुम्बज के नाम से भी जाना जाता है	खैरपुर

1	2	3
75.	सिकंदर लोदी का मकबरा तथा उसके साथ लगी दीवारें तथा बुर्जियां, द्वार तथा परिसर	खैरपुर
76.	शीश गुम्बद के नाम से जाना जाने वाला अज्ञात मकबरा जिसमें सजावट के लिए नीली टाइलें लगी हैं	खैरपुर
77.	खंदी अथवा पोती का गुम्बद 111-280	हौजखास व कुतुब रोड के बीच खरेरा गांव
78.	बीरन का गुम्बद 282	हौजखास व कुतुब रोड के बीच खरेरा गांव
79.	बीवी और दादी का गुम्बद 281	हौजखास व कुतुब रोड के बीच खरेरा गांव
80.	चोर मीनार नं. 289 भाग 3	खरेरा हौजखास एन्कलेव
81.	चोटी गुंटी	खरेरा गांव ग्रीन पार्क
82.	खरेरा की ईदगाह सं. 287, भाग 3	खरेरा गांव हौजखास एन्कलेव
83.	नीली मस्जिद	खरेरा गांव हौजखास एन्कलेव
84.	सकरी गुमटी सं. 284	खरेरा गांव ग्रीन पार्क
85.	खिड़की मस्जिद	खिड़की गांव
86.	सतपुला 111-216	खिड़की गांव
87.	यूसुफ कुत्तल का मकबरा	खिड़की गांव में फील्ड नं. 81, रामलाल की संपत्ति
88.	महरौली में जहाज महल	महरौली
89.	प्लेटफार्म व प्रवेशद्वार सहित शमसीद तालाब	महरौली
90.	मोती मस्जिद	महरौली
91.	बहादुर शाह-2 का प्राचीन महल उर्फ महरौली का लाल महल	महरौली
92.	बारासंभा 285	खरेरा गांव मकबरे जोकि हौजखास, कुतुब रोड के बीच हैं
93.	कुतुब पुरातत्वीय क्षेत्र जिसकी अब फेंसिंग कर दी गई है, जिसमें मस्जिद, लौह स्तंभ, कुतुबुद्दीन की मीनार, अर्द्ध निर्मित मीनार, सभी स्तंभावली, स्क्रीन मेहराब, अल्तमश का मकबरा, कॉलेज, अलाउद्दीन के भवन, इमाम जमीन का मकबरा तथा उपरोक्त क्षेत्र में लगे उत्कीर्ण पत्थर तथा बाग, रास्ते तथा पानी के चैनल तथा सभी प्रवेशद्वार तथा अलाई दरवाजा व उपरोक्त क्षेत्र में सभी कब्रें	महरौली

1	2	3
94.	आदम खान का मकबरा आरामगाह	महरौली
95.	मौलाना जमाली-कमाली का मकबरा और मस्जिद	महरौली
96.	दौबर मस्जिद	महरौली
97.	सोहन गेट से आदम खान के मकबरे तक लाल कोट व राय पिथौरा किले की दीवारें तथा बाहरी दीवार के पास खाई को मिलाकर	महरौली खसरा नं. 1783, 1765, 1766, 1767, 1770, 1772, 1773, 1768, तथा 1764
98.	लाल कोट व राय पिथौरा किले की दीवारों के आपस में मिलने का स्थान	जमाली-कमाली मस्जिद के पास महरौली खसरा नं. 1754 लाडो सराय खसरा नं. 86 व 87
99.	प्रवेशद्वारों व बुर्जियों सहित राय पिथौरा किले की दीवार	महरौली
100.	गांव मुबारकपुर में मुबारकपुर, कोटला के द्वारा व दीवारें	मुबारकपुर गांव, कोटला
101.	मोती की मस्जिद	साउथ एक्सटेंशन पार्ट 2 के पीछे
102.	इंचला वाली गुंटी	मुबारकपुर गांव, कोटला
103.	काला गुम्बद	मुबारकपुर गांव, कोटला
104.	बड़े खान के मकबरे, मुबारकपुर कोटला	मुबारकपुर गांव, कोटला
105.	छोटे खान के मकबरे, मुबारकपुर-कोटला	मुबारकपुर गांव, कोटला
106.	मुबारकपुर, कोटला में मुबारिक का मकबरा	मुबारकपुर गांव, कोटला
107.	मुबारक शाह के मकबरे के साथ की मस्जिद	मुबारकपुर गांव, कोटला
108.	भूरा खान का मकबरा	मुबारकपुर गांव, कोटला
109.	तीन बुर्जी वाला गुम्बद	मुबारकपुर गांव 11, 304
110.	बिना नाम का मकबरा	मुबारकपुर गांव 11, 305
111.	खावली	मुनीरका 11, 318
112.	मुंडा गुम्बद	मुनीरका, 302
113.	बिना नाम की मस्जिद	मुनीरका, 314
114.	बिना नाम की मस्जिद	मुनीरका, 313
115.	बिना नाम की मस्जिद	मुनीरका, 315

1	2	3
116.	बिना नाम की मस्जिद	मुनीरका, 316
117.	बिना नाम की मस्जिद	मुनीरका, 317
118.	1. अज्ञात मस्जिद 2. अज्ञात मकबरा	मुनीरका, 321 एवं 322
119.	वजीरपुर का गुम्बद	मुनीरका, 312
120.	अफसाह वाल्ला की मस्जिद जोकि हुमायूं के मकबरे के पश्चिम द्वार के बाहर स्थित है तथा इसके दालान व आंगन जिसके पूर्व में हुमायूं का मकबरा, पश्चिम में अरब सराय की आबादी, उत्तर में सड़क तथा खसरा सं. 252 तथा दक्षिण में अरब सराय की आबादी	निजामुद्दीन
121.	गुफा के उत्तरी प्रवेशद्वार के बाहर बारांखंभा	निजामुद्दीन
122.	निजामुद्दीन के समीप बड़ा पुल	निजामुद्दीन दक्षिण
123.	मिर्जा निजामुद्दीन अजीज का कोकलताश का मकबरा तथा बाराखंभा	निजामुद्दीन
124.	जहांआरा बेगम की कब्र	निजामुद्दीन
125.	मोहम्मद शाह की कब्र	निजामुद्दीन
126.	मिर्जा जहांगीर की कब्र	निजामुद्दीन
127.	हुमायूं का मकबरा, इसके प्लेटफार्म, बाग, लगी हुई दीवारें तथा प्रवेशद्वार खसरा सं. 258 जो पूर्व की तरफ मीरी सिंह के खसरा सं. 180, 181 तथा 244 तथा पश्चिम की तरफ खसरा सं. 268 तथा 253, उत्तर में खसरा सं. 266, दक्षिण में मीरी सिंह की खसरा सं. 245 तथा सैय्यद मौहम्मद के खसरा सं. 248 व 249 से घिरी है	निजामुद्दीन
128.	हुमायूं के मकबरे के दक्षिण कोने से बाहर लगा हुआ नीला गुम्बद खसरा सं. 243 जोकि पूर्व में खसरा सं. 182 से, पश्चिम में हुमायूं के मकबरे से, उत्तर में खसरा सं. 181 से तथा दक्षिण में मीरी सिंह के खसरा सं. 244 से घिरा हुआ है	निजामुद्दीन
129.	नीली छतरी अथवा सब्ज बुर्ज	निजामुद्दीन पूर्वी
130.	अफसरवाला की मस्जिद के एकदम तथा अफसरवाला का मकबरा	निजामुद्दीन
131.	अतगाह खान का मकबरा	निजामुद्दीन
132.	ईसा खान का मकबरा तथा उसके साथ की दीवारें तथा बाग, प्रवेशद्वार तथा मस्जिद खसरा सं. 281 जोकि पूर्व में अरब की सराय खसरा सं. 236, पश्चिम में खसरा सं. 283, पिआरे लाल की कब्रगाह, तथा बढोन की खसरा सं. 283, उत्तर में पंडित बृज वल्लभ का खसरा सं. 236 तथा दक्षिण में अरब सराय खसरा सं. 238 से घिरा है	निजामुद्दीन
133.	खान-ए-खाना का मकबरा	निजामुद्दीन
134.	रेलवे स्टेशन के समीप तीन गुम्बदों के साथ मकबरा	निजामुद्दीन
135.	शिकारगाह कुशक-11-327	पुराना कुशक गांव
136.	बादली-की-सराय के प्रवेशद्वार	पीपलथला गांव
137.	धोक शाहपुर तथा अढहेनी की संपत्ति जोकि 31 सराय शाह फील्ड सं. 84 में स्थित है, में शेख कबरुद्दीन का मकबरा जिसे रकाबवाला गुम्बद भी जाना जाता है	मालवीय नगर
138.	शाहपुर जाट के खसरा सं. 88, 265, 447 में सीरी की ध्वस्त दीवारों की पंक्तियां, बुर्जियां तथा प्रवेशद्वार	शाहपुर जाट
139.	शाहपुरजाट में खसरा सं. 14 में सीरी मोहम्मदी वली के अंदरुनी भवन बुलबुल की खसरा सं. 256, शाहपुरजाट मखदुम की खसरा सं. 255, शाहपुरजाट बारादरी शाहपुर जाट मुतियन वाला गुम्बद शाहपुर जाट थाना वाला शाहपुर जाट	शाहपुर जाट
140.	नाई - का - कोट	तुगलकाबाद, कोटला
141.	गियासुद्दीन तुगलकाबाद, का मकबरा, दीवारें तथा बुर्ज, द्वार तथा दादा खान के मकबरे सहित कावबे	तुगलकाबाद

1	2	3
142.	मोहम्मद तुगलकाबादशाह का मकबरा	बदरपुर जेल
143.	तुगलकाबाद के पुराने नगर की दीवारें	बदरपुर जेल
144.	तुगलकाबाद किले की भीतरी तथा बाहरी किलेबंदियों की दीवारें, द्वार, बुर्ज एवं भीतरी भवन	तुगलकाबाद
145.	आदिलाबाद (मोहम्मदाबाद) की दीवारें, द्वार तथा बुर्ज और तुगलकाबाद से वहां जाने वाला काजवे	तुगलकाबाद
146.	मकबरा	वजीराबाद
147.	मस्जिद	वजीराबाद
148.	समीप का पुल	वजीराबाद
149.	सर्वेक्षण भूखंड सं. 167 के भाग में स्थित जोगा बाई नामक टीला	जामिया नगर
150.	अशोक शिलालेख	कैलाश कालोनी के पूर्व में
151.	मंढी मस्जिद	लाडो सराय
152.	मस्जिद तथा छतरी वाली राजों की बैन	लाडो सराय
153.	बादुन गेट	लाडो सराय
154.	लाल कोट का गेटवे	लाडो सराय
155.	रायपिथौरा किले का गेटवे	लाडो सराय
156.	रायपिथौरा किला तथा जहांपनाह की दीवारों का स्थान जहां वे आपस में मिलती हैं	हौजरानी तथा लाडोसराय
157.	सुल्तान घारी का मकबरा	नालिकपुर कोही
158.	(गंडक की बावली) के स्थानीय नाम से प्रसिद्ध निमज्जन (डायविंग) दीवार नामक बावली	महरौली
159.	अहाता जिसमें शाह आलम तथा बहादुरशाह-2 के मकबरे हैं	महरौली
160.	फील्ड सं. 157-81, 1586-97, 1614 तथा 1624 में महरौली स्थित केन्द्र में लाल प्रस्तर पैवेलियन वाला हौज शमसी	महरौली
161.	लौह स्तम्भ हिन्दू	महरौली
162.	प्राचीन मस्जिद	पालम
163.	शीश महल	शालीमार बाग गांव हैदरपुर
164.	अशोक स्तम्भ	हिन्दूराव अस्पताल के बीच रिज पर
165.	सराय शाहजी	मालवीयनगर
166.	आजिम खान मकबरा	लाडो सराय
167.	शेख मुहम्मद इब्राहिम जॉक की मजार	चिंद बाग, कदम शरीफ, पहाड़गंज, दिल्ली
168.	चहारदीवारी असद बुर्ज, वाटर गेट, दिल्ली गेट, लाहोरी गेट, जहांगीर गेट, छत्ता बाजार, बावली	लाल किला, दिल्ली
169.	चहारदीवारी, द्वार बुर्जियां तथा सलीमगढ़ किले की प्राचीन इमारत	बेला रोड
170.	शाहजहॉनाबाद की शहरी दीवार के भाग	अंसारी रोड
171.	सतन नारायण भवन	दिल्ली सचोरा खुर्द दीनानाथ मार्ग, रोशनारा रोड, दिल्ली
172.	बलवान खान का मकबरा तथा जमाली-कमाली	लाडो सराय, महरौली, दिल्ली
173.	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास अज्ञात मकबरा	प्रगति विहार, नई दिल्ली
174.	मिर्जा गालिब की मजार	निजामुद्दीन

हरियाणा

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम	स्थान	जिला
1	2	3	4
1.	कोस मीनार सं. 18	असनपुर	फरीदाबाद
2.	बंध या बांध	अनंगपुर	फरीदाबाद
3.	कोस मीनार सं. 22	औरंगाबाद	फरीदाबाद
4.	कोस मीनार सं. 24	बंचारी	फरीदाबाद
5.	कोस मीनार सं. 25	बंचारी	फरीदाबाद
6.	कोस मीनार सं. 27	फुलखान	फरीदाबाद
7.	कोस मीनार सं. 16	गघपुरी	फरीदाबाद

1	2	3	4
8.	कोस मीनार सं. 17	गधपुरी	फरीदाबाद
9.	कोस मीनार सं. 26	होडल	फरीदाबाद
10.	कोस मीनार सं. 23	खतियासा	फरीदाबाद
11.	कोस मीनार सं. 21	खेड़ा सराय (बामनी खेड़ा)	फरीदाबाद
12.	कोस मीनार सं. 20	खुसरोपुर (कुसालीपुर)	फरीदाबाद
13.	कोस मीनार सं. 10	खाचा सराय (घोसीपुर सराय)	फरीदाबाद
14.	बरियानाला के ऊपर मुगल पुल	खाचा सराय (एतमादपुर)	फरीदाबाद
15.	सूरज कुंड मेसनरी	लकड़पुर	फरीदाबाद
16.	कोस मीनार सं. 11	मवई (फरीदाबाद सैक्टर 29)	फरीदाबाद
17.	कोस मीनार सं. 13	मबेसर	फरीदाबाद
18.	कोस मीनार सं. 19	फलवल	फरीदाबाद
19.	कोस मीनार सं. 15	सीकरी	फरीदाबाद
20.	बावली गौस अली शाह	फर्रुख नगर	गुड़गांव
21.	अला वरदी खान की मस्जिद	सराय अला वरदी खान	गुड़गांव
उत्तर प्रदेश			
1.	पुरातत्वीय स्थल और अवशेष	गुलिस्तानपुर	गाजियाबाद
2.	राजा करण का खेरा	परगनापुर मुस्तफाबाद	गाजियाबाद
3.	कब्रिस्तान	मेरठ-दिल्ली रोड	गाजियाबाद
4.	प्राचीन मंदिर तथा मैसनरी टैंक	धनकौर	गाजियाबाद

अनुबंध II

राष्ट्रमंडल खेल - 2010 के परिप्रेक्ष्य में मरम्मत के लिए पहचान किए गए दिल्ली के केन्द्रीय संरक्षित स्मारक

क्र.सं.	स्मारक का नाम
1	2
1.	पुराना किला परिसर
2.	खैरूल मंजिल मस्जिद
3.	शेरशाह गेट
4.	हुमायूं का मकबरा परिसर
5.	खान-ए-खाना मकबरा
6.	सब्ज बुर्ज
7.	नीला गुम्बद
8.	भू-हालिमा मकबरा
9.	अरब की सराय
10.	बारा खम्भा
11.	हजरत निजामुद्दीन परिसर में स्मारक समूह
12.	सफदरजंग मकबरा परिसर
13.	लोदी गार्डन स्मारक (5) मोहम्मद शाह का मकबरा बड़ा गुम्बद मस्जिद शीश गुम्बद सिकन्दर लोदी का मकबरा अथपुला
14.	नजफखान का मकबरा
15.	नगर दीवार, कश्मीरी गेट
16.	वजीराबाद पुल, मकबरा तथा मस्जिद
17.	कोटला फिरोजशाह
18.	दिल्ली गेट, दरियागंज
19.	नगर दीवार, दरियागंज
20.	खूनी दरवाजा
21.	जन्तर-मन्तर परिसर
22.	लाल बंगला
23.	उग्रसेन की बावली
24.	लालकिला परिसर
25.	अजमेरी गेट
26.	सलीम गढ़ किला
27.	अशोक का शिला लेख

1	2
28.	वीरां का गुम्बद
29.	दादी पोती
30.	सकरी गुम्टी
31.	बारा खम्भा
32.	मोहम्मदी वाली मस्जिद
33.	लाल गुम्बद
34.	तीन बुर्जी
35.	सीरी फोर्ट दीवार
	1. पंचशील पार्क के साथ लगा क्षेत्र
	2. एशियाड विलेज के साथ लगा क्षेत्र
	3. एशियाड टावर से सीरी फोर्ट खेल परिसर तक की दीवार का हिस्सा
36.	हौज खास परिसर
37.	जहांपनाह दीवार
38.	किला राय पिथौरा दीवार
39.	सतपुला
40.	कुतुब मीनार परिसर
41.	जमाली कमाली का मकबरा तथा मस्जिद
42.	आजिम खान का मकबरा, अणुव्रत मार्ग
43.	बलवान का मकबरा तथा अवशेष
44.	तुगलकाबाद किला
45.	गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा
46.	आदिलाबाद किला

अनुबंध III

राष्ट्रमंडल खेल - 2010 के परिप्रेक्ष्य में प्रदीप्तीकरण के लिए प्रस्तावित दिल्ली के केन्द्रीय संरक्षित स्मारक

क्र.सं.	स्मारक का नाम
1	2
1.	सफदरजंग मकबरा
2.	सब्ज बुर्ज, निजामुद्दीन
3.	पुराना किला
4.	शेरशाह गेट तथा मस्जिद
5.	कोटला फिरोजशाह, फिरोजाबाद
6.	खान-ए-खाना, निजामुद्दीन
7.	बड़ा खम्भा, निजामुद्दीन
8.	लाल दरवाजा, दिल्ली गेट
9.	छोटी गुम्टी, ग्रीन पार्क
10.	सीकरी गुम्टी, ग्रीन पार्क
11.	बीरन का गुम्बद, ग्रीन पार्क
12.	दादी पोती, ग्रीन पार्क
13.	नजफखान का मकबरा, जोर बाग

अनुबंध IV

भारत में विश्व दाय स्थल

क्र.सं.	स्थल का नाम	राज्य
1	2	3
सांस्कृतिक स्थल		
1.	अजन्ता गुफाएं (1983)	महाराष्ट्र
2.	एलोरा गुफाएं (1983)	महाराष्ट्र
3.	आगरा किला (1983)	उत्तर प्रदेश
4.	ताजमहल (1983)	उत्तर प्रदेश
5.	सूर्य मंदिर, कोणार्क (1984)	उड़ीसा
6.	स्मारक समूह, महाबलीपुरम (1984)	तमिलनाडु
7.	चर्च तथा कान्वेंट्स, गोवा (1986)	गोवा
8.	मंदिर समूह, खजुराहो (1986)	मध्य प्रदेश
9.	स्मारक समूह, हम्पी (1986)	कर्नाटक
10.	स्मारक समूह, फतेहपुर सीकरी (1986)	उत्तर प्रदेश
11.	मंदिर समूह, पट्टडकल (1987)	कर्नाटक
12.	एलिफेंटा गुफाएं (1987)	महाराष्ट्र

1	2	3
13.	तंजावुर, गंगईकोंडाचोलापुरम तथा दारासुरम स्थित महान विद्यमान चोल मंदिर (1987 तथा 2004)	तमिलनाडु
14.	बौद्ध स्मारक, सांची (1989)	मध्य प्रदेश
15.	हुमायूं का मकबरा, दिल्ली (1993)	दिल्ली
16.	कुतुब मीनार परिसर, दिल्ली	दिल्ली
17.	माउंटेन रेलवे आफ इंडिया (दार्जिलिंग 1999, नीलगिरि 2005 कालका शिमला 2008)	पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश
18.	महाबोधि मंदिर, बोधगया (2002)	बिहार
19.	प्रागैतिहासिक शैलाश्रय, भीमबेटका (2003)	मध्य प्रदेश
20.	चम्पानेर-पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान (2004)	गुजरात
21.	छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (पूर्व विक्टोरिया टर्मिनस), (2004)	महाराष्ट्र
22.	लालकिला परिसर (2007)	दिल्ली
प्राकृतिक स्थल		
1.	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (1985)	असम
2.	मानस वन्य जीव अभयारण्य (1985)	असम
3.	केयोलादेव राष्ट्रीय उद्यान (1985)	राजस्थान
4.	सुन्दरवन राष्ट्रीय उद्यान (1987)	पश्चिम बंगाल
5.	नंदा देवी तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान (1988, 2005)	उत्तराखण्ड

अनुबंध V

यूनेस्को विश्व दाय समिति द्वारा अनुमोदित अनंतिम सूची में शामिल किए गए भारत के सांस्कृतिक स्थलों की सूची

क्र.सं.	स्थल का नाम	राज्य
1	2	3
सांस्कृतिक दाय स्थल		
1.	प्राचीन बौद्ध स्थल, सारनाथ	उत्तर प्रदेश
2.	अल्ची चोस-कोर के नाम से विख्यात बौद्ध मठीय परिसर, अल्ची (लेह)	जम्मू और कश्मीर
3.	हड़प्पन शहर धोलावीरा, जिला कच्छ	गुजरात
4.	गोलकोंडा किला, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
5.	स्मारक समूह, मांडू, जिला धार	मध्य प्रदेश
6.	हेमिस गुम्फा	जम्मू और कश्मीर
7.	मत्तनचेरी महल, एरनाकुलम	केरल
8.	रानी की वाव (रानी का सीढ़ीदार कुआं) पाटन, जिला मेहसाणा	गुजरात
9.	ब्रह्मपुत्र नदी की मध्य धारा में माजुली नदी द्वीप	असम
10.	विष्णुपुर स्थित मंदिर	पश्चिम बंगाल
11.	शेर शाह सूरी का मकबरा, सासाराम	बिहार
12.	श्री हरि मंदिर साहिब, अमृतसर	पंजाब
13.	माथेरन लाइट रेलवे (भारत की माउंटेन रेलवे का विस्तार)	महाराष्ट्र
14.	चंडीगढ़ आधुनिक वास्तुकला (ले करबूसियर)	चंडीगढ़
प्राकृतिक दाय स्थल		
15.	केनोचेंडजोंगा राष्ट्रीय पार्क	पश्चिम बंगाल
16.	वाइल्ड ऐस सैंचुरी	गुजरात
17.	नामदफाह राष्ट्रीय पार्क	अरुणाचल प्रदेश
18.	पश्चिमी घाट (सात सब क्लस्टरों सहित) 1. पश्चिमी घाट - अगस्तमलई सब क्लस्टर (पांच स्थल एलीमेंट सहित) 2. पश्चिमी घाट - पेरियार सब क्लस्टर (छः स्थल एलीमेंट सहित) 3. पश्चिमी घाट - अन्नामलई सब क्लस्टर (सात स्थल एलीमेंट सहित) 4. पश्चिमी घाट - नीलगिरि सब क्लस्टर (छः स्थल एलीमेंट सहित) 5. पश्चिमी घाट - तलकावेरी सब क्लस्टर (छः स्थल एलीमेंट सहित) 6. पश्चिमी घाट - कुदरेमुख सब क्लस्टर (पांच स्थल एलीमेंट सहित) 7. पश्चिमी घाट - सहेदरी सब क्लस्टर (चार स्थल एलीमेंट सहित)	तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में राष्ट्रीय महत्व के बहुत से स्मारक हैं और हमारा देश स्मारकों के लिए बहुत जाना माना जाता है। मेरा प्रश्न यही है कि राजधानी दिल्ली में कम से कम 174 स्मारक हैं और इनमें से 46 स्मारकों का जीर्णोद्धार होना तय किया गया है। यह जीर्णोद्धार कब तक होने वाला है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: दूसरा प्रश्न अगली बार में होगा।

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का बी पार्ट यह है कि महाराष्ट्र में जो भिक्षाभूमि और चेत्तभूमि स्मारक है, इनको भी राष्ट्रीय स्मारक में अन्तर्भाव करने के बारे में क्या सरकार विचार करेगी?

श्रीमती अम्बिका सोनी: सर, दिल्ली में 174 सेन्ट्रली प्रौटेक्टेड मोन्यूमेंट्स हैं, उनमें से 46 के लिए तय किया गया है कि वर्ष 2010 के खेलों के लिए उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हालांकि तमाम 174 मोन्यूमेंट्स की देखरेख सेन्ट्रली प्रौटेक्टेड होने के कारण केन्द्र के हाथ में है और यह देखरेख शुरू हो चुकी है और इनमें कुछ पर जो विशेष रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन का काम करना है, वह काम शुरू हो चुका है और हमें उम्मीद है कि वर्ष 2010 के खेलों से काफी पहले यह कार्य समाप्त हो जाएगा।

जहां तक बी पार्ट का सवाल है, वैसे तो हमारे देश में बहुत ज्यादा मोन्युमेंट्स और साइट्स हैं जिनकी देखरेख प्रदेश की सरकारों या एएसआई के द्वारा करनी चाहिए लेकिन 1958 का आर्केलाजीकल सर्वे का जो कानून है, उस कानून के मुताबिक कुछ नियम होने चाहिए कि सौ साल से ऊपर जिनकी आरटिस्टिक्स हिस्टोरिकल या आरकेलाजीकल वैल्यु हो, इन सब बातों का मुआयना करने के बाद ही यह तय किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: इंक्वायरी तो करनी चाहिए। हमने भी भेजा था। लेकिन इंक्वायरी भी नहीं हुई।

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री प्रश्न है कि हमारे महाराष्ट्र के नाशिक में बौद्ध लेन है लेकिन उसका नाम पांडव लेन है। जब वहां पांडव आये ही नहीं तो उसका नाम पांडवलेन क्यों रखा है? ...*(व्यवधान)* और जहां कौरव होते हैं, वहां पांडव क्यों रहेंगे? इसीलिए मेरा प्रश्न यही है कि वह पूरी बौद्ध लेन है लेकिन उसका नाम पांडवलेन है, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि पांडवलेन से नाम बदलकर उसका नाम क्या सरकार बौद्धलेन करने वाली है? मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि गया में महादेव मंदिर है, वह बुद्ध का मंदिर है लेकिन उसकी कमेटी में हिन्दू भी शामिल होते हैं, उस पूरी ट्रस्ट में, उस पूरी कमेटी में बौद्ध लोगों को लेने के बारे में आपका क्या विचार है?

अध्यक्ष महोदय: चार प्रश्न आपने पूछ लिये हैं। चलिए, ठीक है।

...(व्यवधान)

श्रीमती अम्बिका सोनी: अध्यक्ष महोदय, जहां तक कौरव, पांडव और बुद्धभूमि की बात है, मैं माननीय सदस्य से कहूंगी कि उनके निजी सुझाव पर मैं देखूंगी कि उस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जहां तक महाबौद्धी मंदिर का सवाल है, यह वर्ल्ड हेरीटेज साईट है और इसकी जो ओरिजिनल ट्रस्ट थी, वह एक हिन्दू परिवार की निजी प्रोपर्टी मानी जाती थी लेकिन जब इसकी देखरेख के लिए बहुत वर्ष पहले हम लोगों ने वर्ल्ड हेरीटेज साइट पर सुझाव दिए तो उस निजी ट्रस्ट द्वारा यह हम लोगों को देने के लिए उनकी केवल एक ही शर्त थी कि उनके कुछ सदस्य, उनके धर्म के कुछ सदस्य उसमें सम्मिलित होंगे। अब हम लोगों के प्रयास से उस ट्रस्ट में चार बौद्ध धर्म के, वहां के डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर, वहां का ओरिजिनल ट्रस्ट के नोमिनेटेड पीपुल भी सब उसमें हैं। उस ट्रस्ट को अपने हाथ में लेने का यह एक समझौता था।

[अनुवाद]

श्री सुव्रत बोस: महोदय, मैं प्रश्न के भाग (ग) और (घ) के उत्तरों में दिए गए अनुबंध तीन का उल्लेख करना चाहूंगा। केवल 13 ऐसे ऐतिहासिक स्थल है जहां प्रकाश व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है। दिल्ली क्षेत्र में ऐतिहासिक स्थलों की कुल संख्या को देखते हुए यह संख्या काफी कम है।

क्या माननीय मंत्री महोदय, राष्ट्रकुल खेल 2010 के समय और अधिक ऐतिहासिक स्थलों को प्रदीप्त करने पर विचार करेंगी ताकि दिल्ली में राष्ट्रकुल खेलों में भाग लेने आए खिलाड़ियों को दिल्ली के इतिहास के बारे में उचित जानकारी मिल सके। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगी कि राष्ट्रकुल खेलों के समय इन स्मारकों पर विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं होगी?

अध्यक्ष महोदय: यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

श्रीमती अम्बिका सोनी: महोदय, राष्ट्रकुल खेलों के लिए हमने विशेष प्रकाश व्यवस्था हेतु 13 ऐतिहासिक स्थलों का चयन किया है। इन 13 ऐतिहासिक स्थलों के अतिरिक्त तीन ऐतिहासिक स्थलों पर ऐतिहासिक दृष्टि से पहले ही प्रकाश व्यवस्था की जा चुकी है। हम उन ऐतिहासिक स्थलों को उजागर कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि इन ऐतिहासिक स्थलों पर

प्रकाश व्यवस्था करना बहुत कठिन कार्य था। हमने व्यवस्था की निगरानी करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी क्योंकि यह हम केवल उन्हीं एजेंसी पर नहीं छोड़ सकते थे। बात यह नहीं है कि एजेंसी कितनी सक्षम हो सकती है। यदि हम वर्ष 2010 तक 13 ऐतिहासिक स्थलों पर प्रकाश व्यवस्था करने में सफल हो पाते हैं तो यह अच्छी उपलब्धि होगी। इसके पश्चात् हम कुछ अन्य स्थलों पर विचार करेंगे।

श्रीमती तेजस्विनी गौड़ा: महोदय, ऐतिहासिक स्थलों के बेहतर रख-रखाव के लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देना चाहती हूं साथ ही मैं उनसे यह जानना चाहूंगी कि हिन्दू मंदिरों, किलों, गिरजाघरों, मस्जिदों, जैन मंदिरों और अन्य ऐतिहासिक स्थलों चाहे वे भारत के शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हों, के लिए कोई योजना है। हमारे देश में ऐसे अनेक स्थल हैं। ये सभी इमारतें अनेकता में एकता तथा समृद्ध विरासत और भारत भूमि की हमारी संस्कृति को परिलक्षित करते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या कर्नाटक के रामनगर जिले के मगडी नामक स्थान पर बैंगलूरू के संस्थापक नंदप्रभु केम्पेगौड़ा के किले के पुनर्निर्माण की कोई योजना है। यदि हां, तो इसके पुनर्निर्माण, रख-रखाव हेतु और पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु इसे प्रदर्शित करने के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है।

श्रीमती अम्बिका सोनी: महोदय, पर्यटन को बढ़ावा देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। वे परियोजनाओं, स्थलों और मार्ग जिनका चयन किये जाने की सिफारिशें करते हैं वह एक सामान्य प्रक्रिया होती है जिसका हमें अनुपालन करना होता है। इसके अतिरिक्त अनके संसद सदस्य निवेदन भेजते हैं जिन्हें हम राज्य सरकारों को भेजते हैं और प्राथमिकता के आधार पर हम उन पर कार्य करते हैं।

जहां तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का संबंध है, यूनेस्को के दिशानिर्देशों के अनुसार जिनका हम पालन करते हैं, हमें किसी प्रकार के पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं है। हम केवल उस भाग अथवा हिस्से को संरक्षित, सुरक्षित रख सकते हैं अथवा मरम्मत कर सकते है जो टूट-फूट रहे हैं। हमें किसी ऐतिहासिक स्थल जो किसी समय पर मौजूद रहा है, का पुनर्निर्माण करने की अनुमति नहीं है।

जहां तक किसी किले विशेष का संबंध है और यदि माननीय सदस्य इसे पर्यटन के प्रयोजन से विकसित करवाना चाहें तो इसके लिए उन्हें सीधे राज्य सरकार के माध्यम से निवेदन भेजना होगा।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन: महोदय, मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक स्थलों के रूप में जो सूची हमें दी गई है, हम देख सकते हैं कि तमिलनाडु के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों का उल्लेख भी किया गया है। परन्तु यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा अनुमोदित अनंतिम सूची में तमिलनाडु के किसी भी स्थल को स्थान नहीं दिया गया है। हम सभी रामेश्वरम के बारे में जानते हैं जो कि एक ऐतिहासिक धरोहर नगर है। रामेश्वरम मंदिर राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। यह एक अति आकर्षक मंदिर है और यह स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। वहां एक परम पावन मंदिर भी है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। अन्यथा उत्तर देने के लिए समय नहीं होगा।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन: मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहती हूं कि क्या रामेश्वरम को यूनेस्को विश्व धरोहर समिति सूची में शामिल करने के लिए तमिलनाडु से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। क्या एक महान और सुन्दर शहर रामेश्वरम पर विचार करने का कोई विचार है?

श्रीमती अम्बिका सोनी: महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहती हूं कि यूनेस्को को प्राकृतिक धरोहर स्थलों की अनंतिम सूची में पश्चिमी घाट और तमिलनाडु स्थित इसके कुछ भाग इसमें शामिल हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

जहां तक रामेश्वरम मंदिर का संबंध है, तमिलानडु के महाबलिपुरम में स्थित अनेक उत्कृष्ट मंदिर विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हैं। परन्तु ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यूनेस्को के अनुसार अनंतिम सूची में विचार हेतु शामिल किए जाने के लिए एक फॉरमेट भरा जाना होता है। इस संबंध में अभी तक हमें प्रस्ताव नहीं मिला है।

[हिन्दी]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेलवे में आपदा प्रबंधन प्रणाली

***281. श्री पंकज चौधरी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दुर्घटना के प्रारंभिक घंटों के भीतर रेलवे की गैर-सरकारी संगठनों के समन्वय से दुर्घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्यों हेतु तुरन्त पहुंचने संबंधी तैयारी क्या है;

(ख) क्या रेलवे की वर्तमान आपदा प्रबंधन योजना में समन्वय का अभाव है तथा यह आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या रेलवे ने भारतीय रेलवे की आपातकालीन सेवाओं में सुधार करने के मद्देनजर विदेशी कंपनियों की सेवाएं लेने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) रेलें दुर्घटना के प्रारंभिक घंटों के भीतर अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों के समन्वय से बचाव और राहत कार्यों के लिए स्थलों पर तत्काल पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार रहती हैं। दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर, न केवल रेलवे के संसाधन जैसे दुर्घटना राहत चिकित्सा वैन, दुर्घटना राहत गाड़ियां बल्कि आवश्यकता के अनुसार अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों में भी संसाधनों की मांग की जाती है। इस प्रयोजन हेतु, रेलवे स्टेशनों और रेलवे अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों के साथ-साथ मंडल और क्षेत्रीय रेलों के मुख्यालयों के नियंत्रण कक्षों में ऐसे गैर-रेलवे संसाधनों का संपर्क ब्यौरा रखा जाता है।

(ख) और (ग) जी नहीं। रेलवे विशिष्ट सूचना तथा उस समय उपलब्ध गैर-रेलवे सूचना पर आधारित क्षेत्रीय रेलों द्वारा मंडल और क्षेत्रीय रेलवे स्तरों पर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई हैं। इन योजनाओं की आवधिक समीक्षा की जाती है तथा नई जानकारियों के आधार पर इन्हें अद्यतन किया जाता है जो एक सतत प्रक्रिया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत तेल ब्लाकों का आबंटन

***287. श्री वसुदेव आचार्य: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आबंटन के लिए पता लगाए गए तेल तथा गैस ब्लाकों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के अंतर्गत कंपनी-वार तथा क्षेत्र-वार कितने ब्लाक आबंटित किए गए;

(ख) उन ब्लाकों का भंडारवार ब्यौरा क्या है जहां उत्पादन शुरू किया जा चुका है तथा अन्य आबंटित ब्लाकों का ब्यौरा क्या है जहां उत्पादन शीघ्र शुरू होने की संभावना है;

(ग) आबंटित कंपनियों की सरकार के साथ लाभ हिस्सेदारी से संबंधित शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कृष्णा-गोदावरी बेसिन से तेल तथा प्राकृतिक गैस की बिक्री से होने वाले लाभ में आबंटित कंपनियों की सरकार के साथ हिस्सेदारी का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (घ) भारत सरकार एक प्रतियोगी बोली प्रणाली की मार्फत नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के अंतर्गत अन्वेषण ब्लाक प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय तेल कंपनियां (एनओसीज), भारतीय तथा विदेशी कंपनियों को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस (पीईएलएस) प्राप्त करने के लिए समान आधार की बजाए एक दूसरे से प्रतियोगिता करनी होती है। अज तक एनईएलपी के छः दौर संपन्न हो गए हैं और भूमि पर, उथले समुद्र और गहरे समुद्र वाले ब्लाकों के लिए 162 उत्पादन भागीदारी संविदाओं (पीएससीज) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जिन अन्वेषण ब्लाकों के लिए पीएससीज पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उनकी कंपनी-वार सूची विवरण में संलग्न है।

उत्पादन भागीदारी संविदायें सरकार और राष्ट्रीय तेल कंपनियों/निजी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/निवेशकर्ताओं के बीच दीर्घावधि संविदाएं होती हैं जिनमें कोई संविदाकार सभी पूर्व उत्पादन जोखिमों (अन्वेषण जोखिमों) का उत्तरदायित्व लेता है और उत्पादन में से, यदि कोई हो, लागत तथा लाभ का हिस्सा दोनों प्राप्त करता है। सरकार द्वारा कोई निवेश नहीं किया जाता है। जब उत्पादन आरंभ होता है, अनुमेय लागत घटाकर सकल राजस्व में से "प्राफिट पेट्रोलियम" निकाला जाता है और फिर पीएससी के अनुसार सरकार तथा संविदाकार के बीच बांटा जाता है। यदि किसी ब्लाक से उत्पादन नहीं होता है तो उस ब्लाक में अन्वेषण का पूरा खर्च संविदाकार द्वारा वहन किया जाता है।

इस समय, कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस का उत्पादन, 3 एनईएलपी ब्लाकों अर्थात् गुजरात राज्य में 2 ब्लाकों और कृष्णा-गोदावरी बेसिन में एक ब्लाक से हो रहा है। गुजरात में मैसर्स नाइको रिसोर्सेज द्वारा परिचालित ब्लाक सीबी-ओएनएन-2000/2 में लगभग 0.3 मिलियन मीटरिक मानक घनमीटर प्रतिदिन

(एमएमएससीएमडी) की दर से प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जा रहा है। गुजरात राज्य पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (जीएसपीसी) द्वारा प्रचालित अन्य ब्लाक सीबी-ओएनएन-2000/1 में लगभग 500 बैरल प्रतिदिन की दर से कच्चे तेल का उत्पादन किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) द्वारा प्रचालित कृष्णा-गोदावरी बेसिन में ब्लाक केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 से 17 सितंबर, 2008 से 10,000 बैरल प्रतिदिन की दर से प्रथम गहरे समुद्र से कच्चे तेल का उत्पादन आरंभ हुआ है। केजी बेसिन से प्राकृतिक गैस का उत्पादन 2009 के आरंभ से शुरू होने की संभावना है।

केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 में लगभग 334 मिलियन मीटरी टन तेल के समकक्ष (एमएमटीओई), सीबी-ओएनएन-2000/1 में लगभग 0.25 एमएमटीओई तथा सीबी-ओएनएन-2000/2 में लगभग 0.644 एमएमटीओई के अनुमानित भंडार हैं। अन्य ब्लाकों में भंडारों की जानकारी जहां पहले ही खोज कर ली गई हैं, खोजों के मूल्यांकन और उत्पादन क्षमता के आकलन के बाद ही होगी।

सरकार के साथ प्रॉफिट पेट्रोलियम की भागीदारी जिसमें एनईएलपी के अंतर्गत कृष्णा-गोदावरी बेसिन भी शामिल है, बोली योग्य राजकोषीय दृष्टि से प्रत्येक अन्वेषण ब्लाक विशिष्ट है जिसमें सरकार का बोली योग्य लाभ हिस्सा तथा बोली योग्य लागत वसूली सीमा सामिल है। कृष्णा-गोदावरी बेसिन में सभी अन्वेषण ब्लाकों के लिए सरकार की लाभ भागीदारी की गणना केवल प्रत्येक ब्लाक में कच्चे तेल/प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर की जाएगी। तथापि, केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 ब्लाक के संबंध में जहां उत्पादन आरंभ हो गया है, 90 की वार्षिक लागत वसूली सीमा पर सरकार के लाभ का हिस्सा नीचे दर्शाया गया है:—

इन्वेस्टमेंट मल्टिपल ट्रेंच (आईएम)	सरकार का प्रॉफिट पेट्रोलियम का हिस्सा	संविदाकार का प्रॉफिट पेट्रोलियम
1.5 से कम	10%	90%
1.5-2.0	16%	84%
2.0-2.5	28%	72%
2.5-3.0	85%	15%
3.0-3.5	85%	15%
3.5 से अधिक	85%	15%

प्रॉफिट पेट्रोलियम की गणना प्रतिवर्ष परियोजना से प्राप्त राजस्व तथा संविदाकार द्वारा व्यय की गई लागत के आधार पर की जाती है। प्रॉफिट पेट्रोलियम कम्प्यूटेशन के एनईएलपी माडल से सरकार को ऊंचे मूल्यों पर अधिक प्रॉफिट पेट्रोलियम का हिस्सा और तेल तथा गैस का अधिक उत्पादन मिलता है।

विवरण

क्र.सं.	ब्लाक का नाम	क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	संयुक्त उद्यम भागीदार और % में हिस्सा
1	2	3	4
ओएनजीसी			
अपतट			
1.	एमएन-ओएसएन-97/3*	2710	ओएनजीसी-85%, गेल 15%
2.	एमबी-ओएसएन-97/4*	13954	ओएनजीसी-70%, आईओसी 30%
3.	केके-ओएसएन-97/3*	15910	ओएनजीसी-100%
4.	केजी-ओएसएन-97/1*	2236	ओएनजीसी-100%
5.	एमबी-ओएसएन-2000/1*	18414	ओएनजीसी-75%, आईओसी 15%, जीएसपीसी-10%
6.	केके-ओएसएन-2000/1*	16125	ओएनजीसी-100%
7.	सीवाई-ओएसएन-2000/1*	4440	ओएनजीसी-100%

1	2	3	4
8.	सीवाई-ओएसएन-2000/2*	3530	ओएनजीसी-100%
9.	एमएन-ओएसएन-2000/1*	5047	ओएनजीसी-100%
10.	एमएन-ओएसएन-2000/2*	4061	ओएनजीसी-40%, गेल-20%, आईओसी 20%, ओआईएल 20%
11.	डब्ल्यूबी-ओएसएन-2000/1*	6700	ओएनजीसी-85%, आईओसी 15%
12.	जीएस-ओएसएन-2000/1	7101	ओएनजीसी-100%
13.	केके-ओएसएन-2001/2	10588	ओएनजीसी-100%
14.	जीएस-ओएसएन-2003/1	5970	ओएनजीसी-51% और सीईआईएल 49%
15.	केके-ओएसएन-2001/3	6445	ओएनजीसी-100%
16.	सीबी-ओएसएन-2003/1	2394	ओएनजीसी-100%
17.	जीएस-ओएसएन-2004/1	6589	ओएनजीसी-100%
18.	केजी-ओएसएन-2004/1	1151	ओएनजीसी-(55%), बीजीईपीआई (45%)
	कुल अफतट	133365	
गहरा जल			
19.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2	7295	ओएनजीसी-90%, सीईआईएल 10%
20.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/4	4970	ओएनजीसी-85%, ओआईएल 15%
21.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/5	4490	ओएनजीसी-100%
22.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-98/3	4988	ओएनजीसी-100%
23.	जीएस-डीडब्ल्यूएन-2000/1*	13937	ओएनजीसी-100%
24.	जीएस-डीडब्ल्यूएन-2000/2*	14825	ओएनजीसी-85%, गेल-15%
25.	एमबी-डीडब्ल्यूएन-2000/1*	11239	ओएनजीसी-85%, आईओसी-15%
26.	एमबी-डीडब्ल्यूएन-2000/2*	19106	ओएनजीसी-50%, गेल-15%, आईओसी-15%, ओआईएल-10%, जीएसपीएस-10%
27.	सीवाई-डीडब्ल्यूएन-2001/1	12425	ओएनजीसी-80% और ओआईएल-20%
28.	केके-डीडब्ल्यूएन-2001/3	21775	ओएनजीसी-100%
29.	केके-डीडब्ल्यूएन-2000/2*	20998	ओएनजीसी-85%, गेल-15%
30.	केके-डीडब्ल्यूएन-2000/4*	26149	ओएनजीसी-100%
31.	जीएस-डीडब्ल्यूएन-2000/1*	21450	ओएनजीसी-100%

1	2	3	4
32.	केके-डीडब्ल्यूएन-2002/2	22810	ओएनजीसी-80%, एचपीसीएल-20
33.	केके-डीडब्ल्यूएन-2002/3	20910	ओएनजीसी-80%, एचपीसीएल-20
34.	केजी-डीडब्ल्यूएन-2002/1	10600	ओएनजीसी-70, ओआईएल-20, बीपीसीएल-10
35.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-2002/1	9980	ओएनजीसी-70, ओआईएल-20, बीपीसीएल-10
36.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-2002/2	11390	ओएनजीसी-100%
37.	एनईसी-डीडब्ल्यूएन-2002/2	15465	ओएनजीसी-100%
38.	एएन-डीडब्ल्यूएन-2002/1	10990	ओएनजीसी-100%
39.	एएन-डीडब्ल्यूएन-2002/2	12494	ओएनजीसी-100%
40.	एएन-डीडब्ल्यूएन-2003/1	9970	ओएनजीसी-100%
41.	केके-डीडब्ल्यूएन-2004/1	12324	ओएनजीसी-45%, केर्न इंडिया लि. 40%, टाटा 15%
42.	सीवाई-डीडब्ल्यूएन-2004/1	10302	ओएनजीसी-70%, जीएसपीसी 10%, एचपीसीएल 10%, गेल 10%
43.	सीवाई-डीडब्ल्यूएन-2004/2	12059	ओएनजीसी-70%, जीएसपीसी 10%, एचपीसीएल 10%, गेल 10%
44.	सीवाई-डीडब्ल्यूएन-2004/3	12017	ओएनजीसी-70%, जीएसपीसी 10%, एचपीसीएल 10%, गेल 10%
45.	सीवाई-डीडब्ल्यूएन-2004/4	12025	ओएनजीसी-70%, जीएसपीसी 10%, एचपीसीएल 10%, गेल 10%
46.	सीवाई-पीआर-डीडब्ल्यूएन-2004/1	13451	ओएनजीसी-70%, जीएसपीसी 10%, एचपीसीएल 10%, गेल 10%
47.	सीवाई-पीआर-डीडब्ल्यूएन-2004/2	9994	ओएनजीसी-70%, जीएसपीसी 10%, एचपीसीएल 10%, गेल 10%
48.	केजी-डीडब्ल्यूएन-2004/1	11951	ओएनजीसी-70%, जीएसपीसी 10%, एचपीसीएल 10%, गेल 10%
49.	केजी-डीडब्ल्यूएन-2004/2	11851	ओएनजीसी-60%, जीएसपीसी 10%, एचपीसीएल 10%, गेल 10%, बीपीसीएल 10%
50.	केजी-डीडब्ल्यूएन-2004/3	6205	ओएनजीसी-70%, जीएसपीसी 10%, एचपीसीएल 10%, गेल 10%
51.	केजी-डीडब्ल्यूएन-2004/5	11922	ओएनजीसी-50%, जीएसपीसी 10%, एचपीसीएल 10%, गेल 10%, बीपीसीएल 10%
52.	केजी-डीडब्ल्यूएन-2004/6	10907	ओएनजीसी-60%, जीएसपीसी 10%, एचपीसीएल 10%, गेल 10%, ओआईएल 10%
	कुल	443265	
तटीय			
53.	डब्ल्यूबी-ओएनएन-2000/1*	12505	ओएनजीसी-85%, ओआईसी 15%
54.	जीवी-ओएनएन-2001/1*	23500	ओएनजीसी-85%, ओआईसी 15%

1	2	3	4
55.	जीवी-ओएनएन-97/1*	18375	ओएनजीसी-40%, ओआईसी 30%, सीईआईएल 15% और सीईईपीसी 15%
56.	एए-ओएनएन-2001/1	2257	ओएनजीसी-100%
57.	एए-ओएनएन-2001/2	4005	ओएनजीसी-80%, ओआईसी 20%
58.	एए-ओएनएन-2001/3	110	ओएनजीसी-85% और ओआईएल 15%
59.	एए-ओएनएन-2001/4	645	ओएनजीसी-100%
60.	एचएफ-ओएनएन-2001/1	1514	ओएनजीसी-100%
61.	सीबी-ओएनएन-2001/1	215	ओएनजीसी-70%, सीईआईएल 15% और सीईडी 15%
62.	पीजी-ओएनएन-2001/1	5190	ओएनजीसी-100%
63.	एए-ओएनएन-2002/4	1060	ओएनजीसी-90, ओआईएल 10
64.	सीबी-ओएनएन-2002/1	135	ओएनजीसी-70, सीईबीजीआई 30
65.	सीवाई-ओएनएन-2002/2	135	ओएनजीसी-60, बीपीसीएल 40
66.	पीए-ओएनएन-2004/1	2537	ओएनजीसी-100%
67.	जीवी-ओएनएन-2004/1	8354	ओएनजीसी-100%
68.	वीएन-ओएनएन-2004/1	5801	ओएनजीसी-100%
69.	वीएन-ओएनएन-2004/2	4466	ओएनजीसी-100%
70.	सीबी-ओएनएन-2004/1	32	ओएनजीसी-50%, जीएसपीसी-40%, एचईआरएएमईसी-10%
71.	सीबी-ओएनएन-2004/2	423	ओएनजीसी-50%, जीएसपीसी-40%, सनतेरा रेस. लिमि. 10%
72.	सीबी-ओएनएन-2004/3	113	ओएनजीसी-40%, जीएसपीसी-35%, एनसर्च 25%
73.	सीबी-ओएनएन-2004/4	70	ओएनजीसी-50%, जीएसपीसी-40%, हेरामेक-10%
74.	सीवाई-ओएनएन-2004/1	214	ओएनजीसी-80%, बीपीसीएल-20%
75.	सीवाई-ओएनएन-2004/2	375	ओएनजीसी-80%, बीपीसीएल-20%
	कुल	1245291	
आरआईएल			
अपतट			
1.	केजी-ओएसएन-97/2*	4790	आरआईएल 100%

*त्यागे गए ब्लाक्स

1	2	3	4
2.	केजी-ओएसएन-97/3*	2460	आरआईएल 100%
3.	केजी-ओएसएन-97/4*	4020	आरआईएल 100%
4.	एनईसी-ओएसएन-97/2	10755	आरआईएल 90% और एनआईकेओ 10%
5.	जीके-ओएसएन-97/1*	1465	आरआईएल 100%
6.	एसआर-ओएसएन-97/1*	5040	आरआईएल 100%
7.	एमबी-ओएसएन-97/2*	5270	आरआईएल 90% और एनआईकेओ 10%
8.	एमबी-ओएसएन-97/3*	5740	आरआईएल 100%
9.	केके-ओएसएन-97/2*	14395	आरआईएल 100%
10.	जीएस-ओएसएन-2001/1	8841	आरआईएल 90% और एचईपीआई 10%
11.	केजी-ओएसएन-2001/1	1100	आरआईएल 100%
12.	केजी-ओएसएन-2001/2	210	आरआईएल 100%
	कुल अपतट	64086	
गहरा जल			
13.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/1	8100	आरआईएल 100%
14.	केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3	7645	आरआईएल 90% और एनआईकेओ 10%
15.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-98/2	7195	आरआईएल 100%
16.	केके-डीडब्ल्यूएन-2000/1*	18113	आरआईएल 100%
17.	केके-डीडब्ल्यूएन-2000/3*	14889	आरआईएल 100%
18.	केके-डीडब्ल्यूएन-2001/1	27315	आरआईएल 100%
19.	केके-डीडब्ल्यूएन-2001/2	31515	आरआईएल 100%
20.	सीवाई-डीडब्ल्यूएन-2001/2	14325	आरआईएल 100%
21.	सीवाई-पीआर-डीडब्ल्यूएन-2001/3	8600	आरआईएल 100%
22.	सीवाई-पीआर-डीडब्ल्यूएन-2001/4	10509	आरआईएल 100%
23.	पीआर-डीडब्ल्यूएन-2001/1	8255	आरआईएल 90%, एचईपीआई 10%
24.	केजी-डीडब्ल्यूएन-2001/1	11605	आरआईएल 90%, एचईपीआई 10%
25.	एनईसी-डीडब्ल्यूएन-2002/1	25565	आरआईएल 90%, एचएआरडीवाई 10%
26.	केके-डीडब्ल्यूएन-2003/1	18245	आरआईएल 100%

1	2	3	4
27.	केके-डीडब्ल्यूएन-2003/2	12285	आरआईएल 100%
28.	केजी-डीडब्ल्यूएन-2003/1	3288	आरआईएल 90%, एचईपीएल 10%
29.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-2003/1	17050	आरआईएल 85%, और एनआर(वी)एल 15%
30.	केजी-डीडब्ल्यूएन-2004/4	6205	आरआईएल 100%
31.	केजी-डीडब्ल्यूएन-2004/7	11856	आरआईएल 100%
32.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-2004/1	9885	आरआईएल 100%
33.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-2004/2	11813	आरआईएल 100%
34.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-2004/3	11316	आरआईएल 100%
35.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-2004/4	8822	आरआईएल 100%
36.	एमएन-डीडब्ल्यूएन-2004/5	10845	आरआईएल 100%
	कुल गहरा जल	315322	
अपतट			
37.	एएस-ओएनएन-2000/1	6215	आरआईएल 90%, एचएआरडीवाई 10%
38.	सीबी-ओएनएन-2003/1	635	आरआईएल 100%
	कुल तटीय	6850	
	कुल आरआईएल	386258	
ओआईएल			
अपतट			
1.	सीवाई-ओएसएन-97/2*	5215	ओआईएल 100%
	कुल अपतट	5215	
तटीय			
2.	आरजे-ओएनएल-2000/1	1862	ओआईएल 100%
3.	आरजे-ओएनएन-2002/1	9900	ओआईएल-60, ओएनजीसी-40
4.	एए-ओएनएन-2002/3	25565	ओआईएल-60, ओएनजीसी-40
5.	आरजे-ओएनएन-2001/1	3425	ओएनजीसी-30% और ओआईएल 70%
6.	एमएन-ओएनएन-2000/1	5903	ओएनजीसी 20%, गेल 20%, आईओसी 20%, ओआईएल 40%

*त्यागे गए ब्लाक्स

1	2	3	4
7.	एए-ओएनएन-2003/3	275	ओआईएल 85% और एचपीसीएल 15%
8.	एमजेड-ओएनएन-2004/1	3213	ओआईएल 75%, सनतेरा 10%, शिव-वानी 15%
9.	एए-ओएनएन-2004/1	144	ओआईएल 85%, शिव-वानी 15%
10.	एए-ओएनएन-2004/1	218	ओआईएल 90%, सनतेरा 10%
11.	आरजे-ओएनएन-2004/2	2196	ओआईएल 75%, जियोग्लोबाल 25%
12.	आरजे-ओएनएन-2004/3	1330	ओआईएल 60%, जियोग्लोबल 25%, एचपीसीएल 15%
13.	केजे-ओएनएन-2004/1	549	ओआईएल 90%, जियोग्लोबल 10%
	कुल तटीय	54580	
	कुल ओआईएल	59795	
जीएसपीएस			
अपतट			
14.	केजी-ओएसएन-2001/3	1850	जीएसपीसी 80%, जीजीआर 10%, जेओजीपीएल 10%
15.	एमबी-ओएसएन-2004/1	1520	जीएसपीसी 20%, आईओसी 20%, गेल 20%, एचपीसीएल 20%, पैट्रोगैस 20%
	कुल अपतट	3370	
तटीय			
16.	सीबी-ओएनएन-2000/1 (इनगोली)	1424	जीएसपीसी 60%, गेल 40%
17.	सीबी-ओएनएन-2002/3	285	जीएसपीसी 55, जेईएल-20, पीपीसीएल 15, जीजीआर 10
18.	सीबी-ओएनएन-2003/2	448	जीएसपीएसी 50%, गेल 20%, जेसीपीएल 20% और जीजीआर 10%
19.	आरजे-ओएनएन-2004/1	4613	जीएसपीएसी 20%, गेल 20%, एचपीसीएल 20%, हालवर्थी (पनामा) 10%, नितिनफायर (नई दिल्ली) 10%, सिल्वरवेव (म्यांमार) 10%, बीपीसीएल 10%
20.	केजी-ओएनएन-2004/2	1140	जीएसपीसी 40%, गेल 40%, पेट्रोगैस 20%
	कुल तटीय	7910	
	कुल जीएसपीसी	11280	
जुबलियंट आयल			
तटीय			
21.	एए-ओएनएन-2002/1	1680	जेओजीपीएल-20%, गेल-80%

1	2	3	4
22.	सीबी-ओएनएन-2002/2	125	जेओजीपीएल-(30), जीएसपीसी-60 और जीजीआर-10
23.	सीवाई-ओएनएन-2002/1	680	जेओजीपीएल-30, गेल-50, जीएसपीसी-20
24.	एए-ओएनएन-2003/1	81	जेओजीपी 10%, जेएसपीएल 35%, जीएसपीसी 20% और गेल 35%
	कुल जुबलियंट आयल	2566	
केर्न			
तटीय			
25.	जीवी-ओएनएन-2002/1	15550	सीपीआईएल-50, सीईएसएल-50
26.	जीवी-ओएनएन-2003/1	7210	सीईआईएल 24%, सीईआईएल 25% और ओएनजीसी 51%
27.	वीएन-ओएनएन-2003/1	3585	सीईआईएल 24%, सीईआईएल 25% और ओएनजीसी 51%
28.	केजी-ओएनएन-2003/1	1697	सीईआईएल 24%, ओएनजीसी 51% और सीईआईएल 25%
	कुल तटीय	28042	
अपतट			
29.	पीआर-ओएसएन-2004/1	9417	केर्न एनर्जी (10%), केर्न इंडिया (25%), ओएनजीसी 35%, टाटा 30%
	कुल केर्न	37459	
ईएनआई			
30.	आरजे-ओएनएन-2003/1	1335	ईएनआई 34%, ओएनजीसी 36%, सीईआईएल 30%
31.	एएन-डीडब्ल्यूएन-2003/2	13,110	ईएनआई 40%, ओएनजीसी 45% और गेल 15%
	कुल ईएनआई	14445	
फोकस			
32.	आरजे-ओएनएन-2003/2	13195	एफईएल 10% और बीआईएल 40% और एक्सओएच 50%
33.	सीबी-ओएसएन-2004/1	2616	फोकस 10%, न्यूबरी 90%
	कुल फोकस	15811	
जियो पैट्रोल इंडिया			
34.	एए-ओएनएन-2003/2	295	जीपीआई 30%, एनटीपीसी 40% और सीआरएल 30%
	कुल जियो पैट्रोल इंडिया	295	
जियोग्लोबल रिसोर्सिस			
35.	डीएस-ओएनएन-2003/1	3155	जीजीआर 100%
36.	डीएस-ओएनएन-2004/1	2649	जियोग्लोबल रिसोर्सिस (बारबडोस) 100%
	कुल जियोग्लोबल	5804	

1	2	3	4
नाइको			
37.	सीबी-ओएनएन-2000/2 (एनएस-भीमा)	419	नाइको 100%
38.	सीवाई-ओएनएन-2003/1	957	एनआर (वी) एल 100%
	कुल नाइको	1376	
संतोस इंटरनेशनल			
39.	एनईसी-डीडब्ल्यूएन-2004/1	7790	संतोस इंटरनेशनल ओपरेशन्स पीट. लिमि. 100%
40.	एनईसी-डीडब्ल्यूएन-2004/2	8706	संतोस 100%
	कुल संतोस	16496	
पेट्रोगैस			
41.	एमबी-ओएसएन-2004/2	741	पेट्रोगैस 20%, गेल 20%, आईओसी 20%, जीएसपीसी 20%, एचपीसीएल 20%
	कुल पेट्रोगैस	741	
नेफटोगेज			
42.	एमजेड-ओएनएन-2004/2	3619	नेफटोगेज 10%, आरएनआरएल 10%, जियापेट्रोल 10%, आरईएल 70%
43.	एए-ओएनएन-2004/4	95	अदानी इंटरप्राइसिस 35%, अदानी पोर्ट 20%, नेफटोगेज 10%, जेयसी (मुम्बई) 35%
44.	सीबी-ओएनएन-2004/5	75	अदानी इंटरप्राइसिस 35%, अदानी पोर्ट 20%, नेफटोगेज 10%, वेल्सपुन 35%
	कुल नेफटोगेज	3789	
एस्सार			
45.	एए-ओएनएन-2004/3	1252	एस्सार एनर्जी 90%, एस्सार आयल 10%
46.	एए-ओएनएन-2004/5	46	एस्सार एनर्जी 90%, एस्सार आयल 10%
	कुल एस्सार	1298	
प्राइज पेट्रोलियम			
47.	एसआर-ओएनएन-2004/1	13277	प्राइज पेट्रोलियम 10%, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमि. 90%
	कुल प्राइज पेट्रोलियम	13277	
गेजप्रोम			
48.	एनईसी-ओएसएन-97/1	7779	गेल 50% और गेजप्रोम 50%
	कुल गेजप्रोम	7779	
	कुल जोड़	192211	
एचओईसी			
49.	सीवाई-ओएसएन-97/1	3705	एचओईसी (80%), एमआईएल (20%)
	कुल एचओईसी	3705	
	कुल जोड़	56562	

*त्यागे गए ब्लाक्स

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत स्मारक

***288. श्री फ्रांसिस फैन्थम:**
प्रो. एम. रामदास:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इन स्मारकों पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) उपर्युक्त स्थलों को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) क्या कतिपय स्मारक जीर्ण-शीर्ण अवस्था में तथा ढहने के कगार पर हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इन स्मारकों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन राष्ट्रीय महत्व के केन्द्रीय संरक्षिक स्मारकों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण, परिरक्षण तथा पर्यावरण संबंधी विकास पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	धनराशि (लाख रुपए)
1.	2005-06	10195.00
2.	2006-07	10816.89
3.	2007-08	12886.19
4.	2008-09	8036.55 (नवम्बर 2008 तक)

(ग) से (च) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अधिसूचित स्मारकों/स्थलों का संरक्षण तथा रखरखाव करता है जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है तथा ये अच्छी स्थिति में संरक्षित हैं। केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। वार्षिक संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारकों का संरक्षण, परिरक्षण, रखरखाव तथा पर्यावरण संबंधी विकास करता है जो स्मारकों की आवश्यकता तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की राज्य-वार तथा मंडल-वार सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्मारकों की संख्या	मंडल का नाम	स्मारकों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	137	हैदराबाद	137
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	गुवाहाटी	3
3.	असम	55	गुवाहाटी	55
4.	बिहार	70	पटना	70
5.	छत्तीसगढ़	47	रायपुर	47
6.	दमन एवं दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	12	वड़ोदरा	12
7.	गोवा	21	गोवा	21
8.	गुजरात	202	वड़ोदरा	202

1	2	3	4	5
9.	हरियाणा	90	चंडीगढ़	90
10.	हिमाचल प्रदेश	40	शिमला	40
11.	जम्मू-कश्मीर	69	श्रीनगर	69
12.	झारखण्ड	12	रांची	12
13.	कर्नाटक	507	बंगलौर	208
			धारवाड़	299
14.	केरल	26	त्रिसूर	26
15.	मध्य प्रदेश	292	भोपाल	292
16.	महाराष्ट्र	285	औरंगाबाद	168
			मुम्बई	117
17.	मणिपुर	1	गुवाहाटी	1
18.	मेघालय	8	गुवाहाटी	8
19.	नागालैंड	4	गुवाहाटी	4
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	175	दिल्ली	175
21.	उड़ीसा	78	भुवनेश्वर	78
22.	पाण्डिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	7	चेन्नई	7
23.	पंजाब	31	चंडीगढ़	31
24.	राजस्थान	162	जयपुर	162
25.	सिक्किम	3	कोलकाता	3
26.	तमिलनाडु	413	चेन्नई	403
			त्रिसूर	10
27.	त्रिपुरा	8	गुवाहाटी	8
28.	उत्तर प्रदेश	742	आगरा	265
			लखनऊ	365
			पटना	112
29.	उत्तराखण्ड	42	देहरादून	42
30.	पश्चिम बंगाल	133	कोलकाता	133
	कुल	3675	कुल	3675

कान्फरेन्स पर्यटन

*289. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कान्फरेन्स पर्यटन को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग की सेवा क्षेत्र समिति ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त प्रयोजनार्थ स्थलों के चयन हेतु क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(च) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां सरकार का देश में कान्फरेन्स पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अवसंरचना स्थापित करने का विचार है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) जी, हां। भारत का, भारत और विदेश में पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से, माइस सहित, एक बहुत आकर्षक पर्यटन गंतव्य के रूप में संवर्धन किया जा रहा है। भारत में बैठकों, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी (माइस) पर्यटन के संवर्धन के लिए संभाव्य मार्केटों में कान्फरेन्स पर्यटन पर साहित्य और सीडीज का वितरण किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2007-08 में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और फरीदाबाद, गुड़गांव, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों में समागम केन्द्रों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80-आईडी (1) के अंतर्गत 5 वर्षों के लिए कर छूट की घोषणा की है।

(ग) और (घ) सेवा क्षेत्र पर हाई लेवल ग्रुप की रिपोर्ट (मार्च, 2008) में यह पाया गया कि देश में चार अथवा पांच बड़े समागम केन्द्रों की स्थापना से विशिष्ट रूप से माइस संभावना का लाभ उठाने में सहायता मिलेगी।

(ङ) और (च) स्थलों के चयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार, 'भू स्वामित्व एजेंसियों' और 'निजी क्षेत्र' की है। पर्यटन मंत्रालय सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर अपनी विभिन्न योजनाओं के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

एन.एम.डी.एफ.सी. का कार्यकरण

*290. श्री नवीन जिन्दल:
श्री भाईलाल:

क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के कार्यकरण का विश्लेषण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसकी संरचना क्या है तथा समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) समिति की सिफारिश पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एनएमडीएफसी द्वारा अल्पसंख्यकों विशेषरूप से पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले लोगों को अब तक राज्य-वार कुल कितनी धनराशि का ऋण दिया गया है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों के अल्पसंख्यकों के लिए यह ऋण कितना सहायक सिद्ध हुआ है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(छ) क्या एनएमडीएफसी योजनाओं को पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाकी राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम में लागू किया गया है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) जी, हां।

(ख) समिति के संघटन के उल्लेख संबंधी दिनांक 13.07.2006 के आदेश की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। समिति की मुख्य अनुशंसा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास निगम (एनएमडीसी) नामक नई संस्था के गठन से संबंधित है जो तीन सहायक कंपनियों अर्थात् अल्पसंख्यक भागीदारी (एमपी), वर्तमान अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) और राष्ट्रीय वक्फ विकास अभिकरण के लिए धारक कंपनी होगी।

(ग) विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद सरकार ने एनएमडीएफसी की पुनर्संरचना को 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे

दी है। परिकल्पित संरचना में एनएमडीएफसी शामिल होगा जिसे धारा 25 के तहत की कंपनी से गैर-जमाकर्ता, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में परिवर्तित किया जायेगा तथा यह दो सहायक कंपनियों अर्थात् अल्पसंख्यक भागीदारी (एमपी) और राष्ट्रीय वक्फ विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) के लिए धारक कंपनी होगी।

(घ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों सहित देशभर में प्रदान किए गए कुल ऋण से संबंधित विवरण इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	कुल राशि	पूर्वोत्तर राज्य
2005-06	180.11	11.67
2006-07	112.75	8.25
2007-08	144.12	12.82
2008-09 (30.11.2008 तक)	95.50	3.50

(ङ) और (च) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने दिनांक 1.4.2001 से 31.3.2006 तक की अवधि के दौरान अपनी वित्तपोषित योजनाओं का मूल्यांकन कराया है। अध्ययन के लिए देशभर के 10 राज्यों के नमूने लिए गए थे जिसमें पूर्वोत्तर में नागालैंड राज्य भी शामिल है। मूल्यांकन से स्पष्ट हुआ है कि नागालैंड में लाभार्थियों के नमूनों में से 99.30% गरीबी रेखा से दुगुने के स्तर को पार कर गए हैं।

(छ) और (ज) एनएमडीएफसी द्वारा अपनी योजनाओं का वित्तपोषण मुख्यत: राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से तथा शेष गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से किया जाता है। पूर्वोत्तर में एनएमडीएफसी योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से असम, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में किया जा रहा है। मणिपुर, मेघालय और सिक्किम राज्यों में राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां कार्य नहीं कर रही हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किसी भी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी को नामित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनएमडीएफसी इन राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से लघु-ऋण कार्यक्रम कार्यान्वित करने का प्रयास करता रहा है। इन राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान एनएमडीएफसी द्वारा संवितरित लघु-ऋण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है:-

(लाख रुपए)

वर्ष	मणिपुर	मेघालय	अरुणाचल प्रदेश
2005-06	-	-	2.25
2006-07	-	-	-
2007-08	1.80	3.60	-
2008-09 (31.11.2008 तक)	-	-	-

विवरण

सं. 12-14/2006-एमसी
भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

9वां तल, जीवन प्रकाश बिल्डिंग,
25, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
नई दिल्ली-1
दिनांक : 13 जुलाई, 2006

आदेश

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली के ढंग दोनों की समीक्षा इस निगम को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से अपेक्षित एवं आवश्यक होने के कारण निगम की कार्यप्रणाली की समीक्षा और समुचित उपायों की अनुशंसा करने के लिए निम्नलिखित सदस्यों के संयोजन वाली विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है:-

1. श्री नासिर मुंजी, गैर-कार्यकारी अध्यक्ष, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लि.
2. श्री शितिन देसाई, कार्यकारी उपाध्यक्ष, डीएसपी मेरिल लिंच लि.
3. श्री विक्रम लिमया, कार्यकारी निदेशक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लि.
4. श्री एस.आर. अय्यर, पूर्व कार्यकारी निदेशक, स्टेट बैंक आफ इंडिया और पूर्व अध्यक्ष-क्रेडिट इन्फोरमेशन ब्यूरो (आई) लि.
5. श्री एच.एन. साइनर, मुख्य कार्यकारी और सचिव, इंडियन बैंक एसोसिएशन

6. श्री सुजीत दत्ता, संयुक्त सचिव
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

7. श्री आर.एन. शास्त्री, प्रबंध निदेशक-संयोजक,
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम

2. यह समिति निगम की संचलनात्मक कार्य निष्पादन और कार्यनीति में सुधार लाए जाने संबंधी कार्य योजना का सुझाव देगी। समिति अपनी रिपोर्ट दो माह की अवधि में प्रस्तुत करेगी।

3. एनएमडीएफसी द्वारा समिति को लिपिकीय सहायता प्रदान की जाएगी। समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता के प्रयोजन से ग्रेड-1 का सरकारी अधिकारी माना जायेगा। व्यय का वहन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम द्वारा किया जायेगा।

ह./-
(एस.सी. गुलाटी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23765008

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम,
1, तैमूर नगर, डी/996 के सामने, न्यू फ्रेन्ड्स कालोनी,
नई दिल्ली-65

मालभाड़े में वृद्धि

*291. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा हाल ही में मालभाड़े में अचानक एवं बिना घोषणा के की गई वृद्धि के कारण व्यापारियों और आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे को मालभाड़े में की गयी वृद्धि के कारण दक्षिण रेलवे सहित विभिन्न जोनों में माल-ढुलाई रेलवे की बजाय सड़क मार्ग से होने की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या रेलवे ने मालभाड़े में की गयी वृद्धि को वापस लेने एवं माल यातायात के स्तर में वृद्धि करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) से (च) रेल उपयोगकर्ताओं से देशीय लौह अयस्क, सीमेंट, कोयले एवं कोक के वर्गीकरण में हाल ही बदलावों के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों की जांच की गई थी और उन्हें स्वीकार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया। यह उल्लेखनीय है कि वस्तुओं के वर्गीकरण में बदलावों की पहले से घोषणा नहीं की जा सकती क्योंकि ये रेलवे की आंतरिक बजट कवायदें होती हैं।

रेल से बड़े पैमाने पर सड़क की ओर यातायात डायवर्ट होने की रेलवे को कोई जानकारी नहीं है। लदान अप्रैल-नवंबर 2007 में 502.19 मिलियन टन की तुलना में अप्रैल-नवंबर 2008 के दौरान 534.60 मिलियन टन हो गया है और इस प्रकार इसमें 6.45% की वृद्धि दर्ज की गई है। विशेषकर दक्षिण रेलवे पर रेलवे का लदान अप्रैल-नवंबर 2007 में 18.84 मिलियन टन की तुलना में बढ़कर अप्रैल-नवंबर 2008 के दौरान 22.17 मिलियन टन हो गया है और इस प्रकार इसमें भी 17.68% की वृद्धि दर्ज की गई है।

हाल ही में रेलवे ने यातायात को बढ़ावा देने और रेलवे की भागीदारी बढ़ाने के लिए अनेक रियायतें प्रदान की हैं।

प्रयोग में न लाए जा रहे विमानपत्तनों का विकास

*292. **श्री उदय सिंह:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक अंतर्राष्ट्रीय कन्सलटेंसी फर्म ने सरकार से देश में प्रयोग में न लाए जा रहे विमानपत्तनों को प्रयोग में लाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या देश में नियमित विमानपत्तनों पर यातायात के बोझ को कम करने हेतु छोटे विमानपत्तन विकसित करने की अत्यंत आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) सरकार को किसी ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपने 32 गैर-प्रचालनिक हवाईअड्डों के बारे में एक व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन करने के लिए मैसर्स राईट्स लिमिटेड को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। परामर्शदाता की रिपोर्ट दिसम्बर माह के अंत तक प्राप्त होने की संभावना है। डिफेंस/निजी क्षेत्र तथा राज्य सरकारों के प्रचालन हेतु प्रयोग न किये जा रहे 326 हवाईअड्डों/हवाईपट्टियों के प्रचालनीकरण के लिए एक पूर्व-व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन कराने की भी योजना है। अध्ययन और उस पर की गई सिफारिशों के आधार पर प्रचालन हेतु क्षमतायुक्त पाये जाने वाले हवाईअड्डों/हवाईपट्टियों के विकास/प्रचालनीकरण के बारे में विचार किया जाएगा ताकि देश में विमान सेवा सम्पर्कता में सुधार लाया जा सके।

विमानपत्तनों पर अप्रयुक्त भूमि

*293. **श्री नरहरि महतो:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न विमानपत्तनों पर विशाल भूमि क्षेत्र अप्रयुक्त पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या खाली पड़ी भूमि और वाणिज्यिक उपयोग हेतु इसके समुचित उपयोग के संबंध में कोई आकलन किया गया है ताकि इससे कुछ राजस्व अर्जित किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो खाली पड़ी इस भूमि का ब्यौरा क्या है तथा इस भूमि के बेहतर और वाणिज्यिक उपयोग हेतु यदि किन्हीं योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया है तो वे क्या हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं। अधिकांश हवाईअड्डों पर, या तो उपलब्ध भूमि को वैमानिकी और इससे संबंधित कार्यों के लिए हाथ में लिया जा चुका है, अथवा यह इन कार्यों के लिए प्रयुक्त की जानी है।

(ख) और (ग) बढ़ते हुए गैर-वैमानिकी राजस्व की अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के अनुरूप, हवाईअड्डा प्रचालक, समय-समय पर लागू कानूनों द्वारा लगाई गई सीमाओं के भीतर उपलब्ध भूमि का वाणिज्यिक उपयोग शुरू करते हैं। वर्तमान में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए 24 चुने हुए गैर-महानगरीय हवाईअड्डों यथा अहमदाबाद, अमृतसर, गुवाहाटी, जयपुर, उदयपुर, त्रिवेन्द्रम, लखनऊ, मदुरै, मंगलौर, औरंगाबाद, खजुराहो, राजकोट, वडोदरा, भोपाल, इन्दौर, रायपुर, विजाग, त्रिची, भुवनेश्वर, वाराणसी, अगरतला, देहरादून, रांची तथा दीमापुर के सिटी साइड के विकास की योजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की आई.जी.आई. एयरपोर्ट, दिल्ली पर एक आतिथ्य केन्द्र (होस्पीटलिटी डिस्ट्रिक्ट) विकसित करने की योजनाएं हैं।

प्रशिक्षित पायलटों की कमी

*294. **श्री सनत कुमार मंडल:**
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के तेजी से विकसित हो रहे नागर विमानन क्षेत्र को प्रशिक्षित पायलटों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप विमानन क्षेत्र का विस्तार किस हद तक प्रभावित हो रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) जी, नहीं। इस समय सामान्यत: पायलटों की कोई कमी नहीं है। बहरहाल, इस समय विभिन आकार-प्रकार वाले विमानों के पायलटों, विशेष रूप से कमाण्डर की कमी है। नागर विमानन क्षेत्र वृद्धि में गिरावट से ग्रस्त है और अधिकांश सभी एयरलाइनों ने नए पायलटों की भर्ती में पर्याप्त रूप से कमी की है।

(घ) दीर्घकालिक अवधि के लिए पर्याप्त संख्या में गुणवत्ता वाले पायलटों की उपलब्धता के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (इग्नुआ) को अवसंरचना के स्तरोन्नयन के माध्यम से तथा अतिरिक्त ट्रेनर विमानों की खरीद द्वारा आधुनिक बनाया जा रहा है। इग्नुआ ने अपने प्रबंधन को व्यावसायिक बनाने के लिए मैसर्स सीएई, जो इस क्षेत्र का एक ख्याति-प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय संगठन है, के साथ प्रबंधन संविदा करार किया है। सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तत्वावधान में संयुक्त उद्यम के रूप में महाराष्ट्र में गोंदिया में एक विश्व स्तरीय संस्थान की स्थापना का भी निर्णय लिया है। देश के अन्य फ्लाईंग क्लबों को भी नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा तथा एयरो क्लब आफ इंडिया के माध्यम से ट्रेनर विमानों की खरीद के लिए निधियां उपलब्ध कराकर केन्द्र सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों का प्रशासनिक व्यय

*295. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत में कमी आने के कारण सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा दिये जाने वाले लाभांश में आनुपातिक रूप से वृद्धि की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल कंपनियां प्रशासनिक व्यय के रूप में काफी धनराशि खर्च कर रही हैं जिसके परिणामस्वरूप सरकार को कम लाभांश मिल रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) और (ख) अगस्त, 2008 तक अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अभूतपूर्व स्तरों के कारण, 3 तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज), (इंडियन आयल कार्पोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन) ने अप्रैल-सितंबर, 2008 की अवधि के लिए 14,431 करोड़ रु. का संयुक्त घाटा घोषित किया है। नवंबर, 2008 के अंत में, उनका संयुक्त उधार 1,15,000 करोड़ रु. तक बढ़ गया तथा वर्ष 2008-09 के लिए उनका ब्याज भार 8,100 करोड़ रु. होने की संभावना है। वर्तमान मूल्यों पर भी ओएमसीज की चार महत्वपूर्ण पेट्रोलियम उत्पादों पर कुल अल्प वसूलियां वर्ष 2008-09 के दौरान 1,10,381 करोड़ रु. होने का अनुमान है। ओएमसीज की निवल पूंजी का बहुत अधिक ह्रास हुआ है और उनके ऋण इक्विटी अनुपात में भारी गिरावट आई है। लाभांश के भुगतान का निर्णय वित्तीय वर्ष के अंत में वित्तीय परिणामों पर पर्याप्त विचार करने के बाद निदेशक बोर्ड स्तर पर किया जाता है।

(ग) से (ङ) तेल के सार्वजनिक उपक्रम अपने प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता का पालन कर रहे हैं और इसके लिए उनके पास पर्याप्त नियंत्रण प्रणाली है ताकि फिजूल खर्ची को रोका जा सके। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे मितव्ययिता के उपायों का कड़ाई से पालन करें और व्यय विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार व्यय के युक्तिसंगत उपाय करें।

रेलवे की आय में कमी

***296. श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की आय में कमी आई है जैसा कि 11 नवम्बर, 2008 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या माल ढुलाई से होने वाली आय में भारी कमी दर्ज की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रेलवे द्वारा मालभाड़े से होने वाली आय में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) से (घ) जी, हां। अक्टूबर 2008 माह में रेलवे की राजस्व आमदनी की समग्र वृद्धि में तीव्र गिरावट आई है जो प्रारंभिक आधार पर अनुमानित आमदनी की सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष इसी माह में दर्ज 19.31% की वृद्धि की तुलना में 6.52% है। बहरहाल, अप्रैल से अक्टूबर 2008 तक आमदनी में 15.76% संचयी वृद्धि हुई है जब कि गत वर्ष की तद्नुरूपी अवधि में यह 11.96% थी।

चालू वित्तीय वर्ष के लिए उपर्युक्त सांख्यिकी रूझान रिपोर्टिंग के अनुसार माह दर माह आधार पर आमदनी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि अक्टूबर 2008 के दौरान माल यातायात से आमदनी जो रेलवे की राजस्व आमदनी का प्रमुख भाग है, पिछले वर्ष के तदनुरूपी माह की तुलना में गिरकर इकहरे अंक 4.91% पर पहुंच गया है।

रेलवे की माल आमदनी में गिरावट के लिए, आर्थिक मंदी के मौजूदा परिवेश में परिवहन के लिए बाजार मांग में कमी आना, जिम्मेदार है।

(ङ) रेलवे की वित्तीय सुदृढ़ता पर मंदी के असर का सामना करने के लिए रेल परिवहन की मांग बढ़ाने हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। इसमें कम दूरी की सीमेंट यातायात पर 40% डिस्काउंट और निर्यात के लिए लौह अयस्क पर 50% तक की दूरी-आधारित भाड़ा रियायत शामिल है।

विवरण

प्रारंभिक आधार पर अनुमानित आमदनी का विवरण

(करोड़ रुपये)

	यात्री		%कमीबेशी	सामान		%कमीबेशी	फुटकर		%कमीबेशी	अन्य कोचिंग		%कमीबेशी	जोड़		%कमीबेशी
माह	2007-08	2008-09		2007-08	2008-09		2007-08	2008-09		2007-08	2008-09		2007-08	2008-09	
अप्रैल	1616.69	1793.98	10.97	3680.64	4391.55	19.31	52.24	52.85	1.17	150.83	182.21	20.80	5500.40	6420.59	16.73
मई	1698.86	1840.92	8.36	3723.31	4679.81	25.69	48.47	64.31	32.68	165.80	175.92	6.10	5636.44	6760.96	19.95
जून	1535.72	1695.22	10.39	3614.73	4293.32	18.77	83.92	84.92	1.19	154.64	150.23	-2.85	5389.01	6223.69	15.49
जुलाई	1472.00	1865.28	26.72	3563.44	4412.50	23.83	59.08	86.86	47.02	138.52	149.69	8.06	5233.04	6514.33	24.48
अगस्त	1528.70	1845.64	20.73	3638.96	4201.66	15.46	50.77	66.49	30.96	134.92	154.87	14.79	5353.35	6268.66	17.10
सितंबर	1648.04	1697.30	2.99	3556.15	4140.37	16.43	73.31	89.80	22.49	154.72	143.06	-7.54	5432.22	6070.53	11.75
अक्टूबर	1649.06	1818.16	10.25	3911.50	4103.73	4.91	141.56	146.45	3.45	155.16	171.02	10.22	5857.28	6239.36	6.52
अप्रैल से अक्टूबर	11160.90	12575.05	12.67	25688.18	30151.97	17.38	572.88	692.95	20.96	1059.87	1127.55	6.39	38481.83	44547.52	15.76

[हिन्दी]

पहाड़ी, जनजातीय और सुदूर क्षेत्रों में रह रहे नि:शक्त व्यक्ति

***297. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पहाड़ी, जनजातीय और सुदूर क्षेत्रों में रह रहे शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु कोई अलग निधियां आवंटित की हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त क्षेत्रों के लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इन योजनाओं का लाभ लक्षित क्षेत्रों तक पहुंचे; और

(ङ) इनके परिणामस्वरूप कितनी प्रगति हुई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) से (ङ) सरकार, विकलांग व्यक्तियों के लाभार्थ अन्य बातों के साथ-साथ दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) और विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्र/उपकरण की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता योजना (एडिप) का कार्यान्वयन करती है। इसके अतिरिक्त, जिला स्तर पर विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने हेतु जिला विकलांगजन पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी) स्थापित किए जाते हैं।

डीडीआरएस और एडिप योजनाओं के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग से आबंटन किया जाता है। लाभार्थियों के लिए सेवाओं के एक समान विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए, 2007-08 से एडिप योजना के अंतर्गत जिलावार वित्तीय आबंटन किया जा रहा है।

एडिप एवं डीडीआरएस योजनाओं के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों, अन्य पहाड़ी राज्यों और 10% से अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले दूसरे राज्यों को निर्गत राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है। इन सभी राज्यों में कार्यरत दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास केन्द्रों की संख्या संलग्न विवरण-III में दी गयी है।

विवरण I

दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना के अंतर्गत निर्गत राशि (लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (30.11.08 तक)	कुल
पूर्वोत्तर राज्य						
1.	अरुणाचल प्रदेश	3.1	5.5	10.7	1.5	20.7
2.	असम	73.2	91.8	84.7	18.8	268.5
3.	मणिपुर	87.8	144.9	125.7	37.6	396.0
4.	मेघालय	76.9	31.8	85.2	9.3	203.1
5.	मिजोरम	20.5	21.8	12.5	3.0	57.8
6.	नागालैंड	0.0	0.0	1.4	0	1.4
7.	त्रिपुरा	10.9	12.2	11.9	2.5	37.4
8.	सिक्किम	0	0.0	0.0	0	0.0
अन्य पहाड़ी राज्य						
9.	जम्मू-कश्मीर	10.8	13.6	7.9	18.5	50.8
10.	हिमाचल प्रदेश	29.5	38.3	11.5	18.2	97.5
11.	उत्तराखण्ड	80.8	55.4	44.0	5.9	186.2
10% से अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले अन्य राज्य						
12.	छत्तीसगढ़	49.8	52.0	39.2	11.1	152.1
13.	झारखंड	9.7	5.0	166.7	1.9	183.2
14.	उड़ीसा	240.2	253.8	426.1	178.1	1098.3
15.	मध्य प्रदेश	137.1	120.2	134.6	51.2	443.1
16.	गुजरात	115.7	93.5	81.2	25.5	315.9
17.	राजस्थान	152.2	126.1	182.7	33.8	494.8
	कुल	825.9	757.9	1093.9	344.3	4006.8

विवरण II

एडिप योजना के अंतर्गत निर्गत/आबंटित राशि (लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य	2007-08 (निर्गत)	2008-09 (आबंटित)
1	2	3	4
1.	**पूर्वोत्तर राज्य**		
1.	असम	265.9	651
2.	सिक्किम	9.8	22
3.	मेघालय	20.5	40
4.	अरुणाचल प्रदेश	27.7	53
5.	मणिपुर	15.6	42
6.	त्रिपुरा	22.7	71
7.	मिजोरम	9.7	34

1	2	3	4
8.	नागालैंड	18.8	37
2.	**पूर्वोत्तर राज्यों से बाहर पहाड़ी राज्य**		
9.	जम्मू-कश्मीर	64.4	52
10.	हिमाचल प्रदेश	17.7	30
11.	उत्तराखंड	28.9	36
3.	**10% से अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले अन्य राज्य**		
12.	छत्तीसगढ़	85	69
13.	झारखंड	12	75
14.	उड़ीसा	424	167
15.	मध्य प्रदेश	84	230
16.	गुजरात	76	172
17.	राजस्थान	370	230

टिप्पणी: 2007-08 से पूर्व एडिप योजना के अंतर्गत राज्यवार राशि आबंटित नहीं की जाती थी।

विवरण III

जिला विकलांगजन पुनर्वास केन्द्रों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	कार्यरत जिला विकलांगजन पुनर्वास केन्द्रों की संख्या
1	2	3
पूर्वोत्तर राज्य		
1.	अरुणाचल प्रदेश	3
2.	असम	8
3.	मणिपुर	3
4.	मेघालय	3
5.	मिजोरम	3
6.	नागालैंड	1
7.	सिक्किम	1
8.	त्रिपुरा	3
अन्य पहाड़ी राज्य		
9.	हिमाचल प्रेदश	3
10.	जम्मू-कश्मीर	3
11.	उत्तराखंड	4
10% से अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले अन्य राज्य		
12.	छत्तीसगढ़	6
13.	झारखंड	5
14.	उड़ीसा	8
15.	मध्य प्रदेश	18
16.	गुजरात	9
17.	राजस्थान	9
	कुल	90

मिट्टी के तेल की कालाबाजारी

***298. श्री हरिकेवल प्रसाद:**
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न राज्यों में राजसहायता प्राप्त मिट्टी के तेल की बड़े पैमाने पर खुले बाजार में बिक्री किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा गत' दो वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) उन पर राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार मिट्टी के तेल के अन्यत्र प्रयोग को रोकने हेतु इसकी खुले बाजार में एक लीटर के पैक में बिक्री करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (ग) मिट्टी तेल और पेट्रोल एवं डीजल के बीच मूल्य में भारी अंतर होने के कारण, कुछ बेइमान तत्वों द्वारा मिट्टी तेल (एसकेओ) की कालाबाजारी की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने रिपोर्ट किया है कि थोक व्यापारियों द्वारा मिट्टी तेल की कालाबाजारी के 36 मामले 2006-07, 2007-08 और 2008-09 (अप्रैल-सितंबर, 2008 तक) में ध्यान में आए थे। कालाबाजारी के राज्यवार मामलों के ब्यौरे और उन पर की गई कार्रवाई संबंधी विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) ऐसे ग्राहक जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नहीं आते, उन्हें छोटे पैकिटों में उत्पाद की स्वीकार्यता का अनुमान लगाने के लिए प्रारंभ में एक लीटर के छोटे पैकिट में परीक्षण आधार पर मिट्टी तेल की बिक्री शुरू करने की योजना बनाई गई थी। इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने परीक्षण आधार पर एक लीटर शीशे की बोतल में मिट्टी तेल बेचने के लिए रेवाड़ी (हरियाणा) में प्रायोगिक संयंत्र स्थापित किया है। इस संयंत्र की भरण क्षमता 3,00,000 बोतल प्रति मास है। उत्पादन 17.10.2007 से शुरू हो गया है। वर्तमान बिक्री लगभग 1,00,000 बोतल प्रति मास है। इस उत्पाद को अब हरियाणा राज्य के फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रेवाड़ी और झज्झर जिलों में परिक्षण आधारित विपणन किया जा रहा है।

(च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी तेल की कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से, केन्द्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी मिट्टी तेल (इस्तेमाल पर प्रतिबंध और अधिकतम मूल्य निर्धारण) आदेश, 1993 में प्रावधान किए हैं जिसके अनुसार, डीलर पीडीएस मिट्टी तेल सरकार या ओएमसीज द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं बेच सकते और यह कि पीडीएस मिट्टी तेल के डीलरों को सुस्पष्ट स्थान पर भंडार के स्थान सहित कारोबार के स्थान पर सामान एवं मूल्य बोर्ड प्रमुखता से प्रदर्शित करना चाहिए। राज्य सरकारें काला बाजारी और अन्य अनियमितताओं में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में सक्षम हैं।

राजसहायता प्राप्त मिट्टी तेल के विपथन को रोकने के उद्देश्य से और पेट्रोलियम उत्पादों को ढोने वाले टैंक ट्रक के संचलन पर निगरानी रखने के उद्देश्य से सरकार ने वैश्विक अवस्थिति प्रणाली (जीपीएस) आधारित सभी टैंक ट्रकों का वाहन पता लगाने वाली प्रणाली स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज को परामर्श दिया है। इस प्रणाली की आवश्यक विशेषताएं है कि पीडीएस एसकेओ ले जा रहे वाहन ऐसी जुगत से युक्त हों, जिन्हें आपूर्ति स्थल से छोड़ने के समय से गतंव्य स्थान पर पहुंचने तक वास्तविक समय पर पता लगाये जा सकते हों।

आटो ईंधनों में मिलावट को रोकने के लिए राजसहायता प्राप्त मिट्टी तेल के विपथन को रोकने के लिए भी, सरकार ने ओएमसीज को अपमिश्रकों में मार्कर शुरू करने के लिए भी परामर्श दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज ने दिनांक 1.10.2006 से अखिल भारतीय आधार पर मिट्टी तेल में मार्कर लागू करना शुरू कर दिया है। इस प्रणाली के तहत, मार्कर सभी डिपुओं में मिट्टी तेल में डाला जा रहा है। मार्कर की उपस्थिति से मिट्टी तेल में बहुत कम स्तर की मिलावट भी पकड़ी जा सकती है। मिट्टी तेल में मिलावट रोकने में मार्कर प्रणाली शुरू करने के संबंध में प्रावधान करने के लिए, एमएस/एचएसडी नियंत्रण आदेश, 2005, एसकेओ नियंत्रण आदेश, 1993 और एमडीजी 2005 संशोधित किए गए हैं। निजी क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को भी साथ-साथ कह दिया गया है कि वे मिट्टी तेल में मार्कर शुरू कराएं जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज द्वारा किया जा रहा है।

विवरण

राज्य का नाम	पता लगाए गए मामलों की संख्या	की गई कार्रवाई/एसकेओ आपूर्तियों के निलंबन की अवधि
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1	जून 2007 से निलंबित
बिहार	1	11 अगस्त, 2007 से जनवरी, 2008 तक निलंबित
	1	11 अक्तूबर, 2007 से आज तक निलंबित

1	2	3
	1	21 नवम्बर, 2007 से आज तक निलंबित
	1	9 अप्रैल, 2008 से सितम्बर, 2008 तक निलंबित
झारखंड	1	अगस्त, 2007 से अक्तूबर, 2008 तक निलंबित
	1	जुलाई, 2007 से आज तक आपूर्तियां निलंबित
	1	सितम्बर, 2008 से आज तक निलंबित
हरियाणा	1	नवम्बर, 2006 से आज तक निलंबित
	1	नवम्बर, 2007 से आज तक निलंबित
	1	अगस्त, 2007 से आज तक निलंबित
	1	फरवरी, 2006 से अक्तूबर, 2006 तक निलंबित
	1	दिसम्बर, 2006 से जनवरी, 2007 तक निलंबित
	1	7 नवम्बर, 2007 से आज तक निलंबित
	1	फरवरी, 2006 से जून, 2007 तक निलंबित
हिमाचल प्रदेश	1	मई, 2008 से आज तक निलंबित
कर्नाटक	1	अगस्त, 2007 में डीलरशिप समाप्त की
	1	25 सितम्बर, 2008 से 5 दिसम्बर, 2008 तक निलंबित
	1	25 सितम्बर, 2008 से 5 दिसम्बर, 2008 तक निलंबित
मध्य प्रदेश	1	अप्रैल, 2008 से अगस्त, 2008 तक निलंबित
	1	24 जुलाई, 2008 से आज तक निलंबित
	1	22 नवम्बर, 2006 से जून, 2007 तक निलंबित
	1	2 सितम्बर, 2006 से 13 नवम्बर, 2006 तक निलंबित
	1	जनवरी, 2008 से सितम्बर, 2008 तक निलंबित
महाराष्ट्र	1	24 जून, 2008 से 19 सितम्बर, 2008 तक निलंबित
	1	24 जुलाई, 2008 से आज तक निलंबित
पंजाब	1	16.7.2008 को डीलरशिप समाप्त की गई
	1	फरवरी, 2007 में डीलरशिप समाप्त की गई
	1	जनवरी, 2008 से आज तक निलंबित
	1	8 मई, 2007 से 20 अगस्त, 2008 तक निलंबित
	1	8 अप्रैल, 2008 से 11 जुलाई, 2008 तक निलंबित

1	2	3
उत्तर प्रदेश	1	16 जनवरी, 2008 से 15 जुलाई, 2008 तक निलंबित
	1	16 जनवरी, 2008 से 15 जुलाई, 2008 तक निलंबित
	1	5 मार्च, 2008 से आज तक निलंबित
	1	2 जून, 2008 से 14 जुलाई 2008 तक निलंबित
	1	फरवरी, 2008 से आज तक निलंबित
कुल	36	

विपणन अनुशासन संबंधी दिशानिर्देशों का पालन न किया जाना

*299. **श्री वी.के. दुग्मर:**
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की आपूर्ति के विनियमन हेतु विपणन अनुशासन संबंधी दिशानिर्देशों के मुख्य उपबंध क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विपणन अनुशासन संबंधी दिशानिर्देशों का सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा अनुपालन किया जाए;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अंतर्गत घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अवैध उपयोग एवं इनकी कालाबाजारी के राज्य-वार कितने मामले जानकारी में आए हैं; और

(घ) इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही की जा रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) गैर घरेलू इस्तेमाल के लिए घरेलू एलपीजी सिलिंडर के विपथन, ग्राहकों से अप्राधिकृत प्रभारों की वसूली, कम वजन के सिलिंडरों की आपूर्ति, जाली अंतरण वाउचर की जानबूझ कर स्वीकार्यता, नकली उपकरण रखने, बीआईएस भिन्न/घटिया उपकरण की बिक्री, कार्पोरेशन के उपकरणों की कमी, होट प्लेटों की जबरन बिक्री, अनिवार्य रिकार्डों की धोखेबाजी, शिकायतों पर नहीं पहुंचने, रीफिल आपूर्ति/सिलिंडर के रिसाव में विलंब, नकद दो और ले जाओ छूट नहीं देने, रीफिल आपूर्तियों की बिना बारी की अप्राधिकृत आपूर्तियां, रीफिल आपूर्तियों की घर से भिन्न की अप्राधिकृत सुपुर्दगी, उपभोक्ताओं से एकत्रित कार्पोरेशन की अदायगियां जानबुझ कर रोकने, ग्राहकों के साथ अभद्र व्यवहार, अधिक वसूल करने, नए कनैक्शन के लिए पंजीकरण हेतु इन्कार, बिना बारी के अतिरिक्त सिलिंडरों को अप्राधिकृत रूप में जारी करने, आदि जैसे गंभीर कदाचारों के लिए चूककर्ता डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एमडीजी), 2001 जारी किए गए थे और 12.4.2001 से लागू किए गए थे।

एमडीजी, 2001 में चूककर्ता एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध अन्य कार्रवाई करने के साथ-साथ निम्नलिखित कार्रवाई किए जाने की व्यवस्था है:-

- प्रथम अपराध के लिए 20,000 रुपये का जुर्माना और वाणिज्यिक दरों पर विपथित एलपीजी का मूल्य।
- दूसरे अपराध के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना और वाणिज्यिक दरों पर विपथित एलपीजी का मूल्य।
- तीसरे अपराध के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप की समाप्ति।

(ख) जब कभी ओएमसीज को शिकायतें प्राप्त होती हैं इनकी जांच की जाती है और यदि शिकायत की पुष्टि हो जाती है तो एमडीजी के प्रावधानों के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर/ डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ग) ओएमसीज ने 2005-06, 2006-07, 2007-08 और अप्रैल, 2008 से अक्तूबर, 2008 तक वर्षों के दौरान, अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों द्वारा एलपीजी के विपथन/कालाबाजारी के 2283 मामले पकड़े हैं। चूककर्ता डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध एमडीजी के प्रावधानों/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के अनुसार कार्रवाई की गई थी। इसके अतिरिक्त, राज्य परिवहन प्राधिकारियों द्वारा 2005-06, 2006-

07, 2007-08 और अप्रैल, 2008 से अक्तूबर, 2008 तक वर्षों के दौरान, अपने वाहनों में घरेलू एलपीजी का दुरुपयोग करते हुए 6540 मोटर चालक पकड़े गए हैं। राज्यवार ब्यौरे संबंधित ओएमसीज के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

(घ) एलपीजी सिलिंडरों के विपथन/कालाबाजारी को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने "तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000" अधिनियमित किया है और "विपणन अनुशासन दिशानिर्देश, 2001" बनाए हैं जिसमें चूककर्ता एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध दांडिक कार्रवाई की व्यवस्था है।

ओएमसीज द्वारा की गई कार्रवाई के अलावा राज्य सरकारें घरेलू एलपीजी की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन प्रख्यापित एलपीजी (आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अधीन शक्तिप्रदत्त हैं। इसी प्रकार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के माप तथा तौल विभाग कम वजन वाले एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति करने वाले एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आरंभ करते हैं। राज्य सरकारों को अनधिकृत उपयोग के लिए घरेलू सिलिंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए समय-समय पर सावधान किया गया है।

सरकार ने विज्ञापन जारी किए हैं जिनमें जनता को सावधान किया गया है कि घरेलू एलपीजी का गैर घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग गैर कानूनी, खतरनाक तथा राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है। इन विज्ञापनों के माध्यम से आम जनता का सहयोग मांगा जाता है कि वे ओएमसीज को किसी प्रकार की अनियमितता/कदाचार की रिपोर्ट करें।

ओएमसीज के अधिकारी डिस्ट्रीब्यूटरों के गोदाम, सुपुर्दगी स्थलों, और साथ ही रास्ते में आकस्मिक जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई कालाबाजारी नहीं हो रही है। ओएमसीज के डिस्ट्रीब्यूटरों को सुपुर्दगी से पहले अपने गोदामों पर सिलिंडरों के वजन की जांच के लिए कड़े अनुदेश दिये गये हैं और केवल निर्धारित वजन वाले सिलिंडर ही ग्राहकों को सुपुर्द किए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरों को यह सुनिश्चित करने के निदेश भी दिये गये हैं कि सीलों की जांच करें और सुपुर्दगी के समय ग्राहकों को भी दिखाएं। यदि ग्राहक द्वारा कम वजन का कोई सिलिंडर प्राप्त किया जाता है तो ओएमसीज द्वारा किसी प्रभार के लगाये बिना नया भरा हुआ सिलिंडर दिया जाता है।

ओएमसीज ने घरेलू एलपीजी का अप्राधिकृत इस्तेमाल के लिए विपथन को नियंत्रित करने के लिए घरेलू और गैर घरेलू एलपीजी सिलिंडरों के लिए अलग-अलग रंग शुरू किए हैं।

[अनुवाद]

यात्रा संबंधी परामर्श

*300. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न देशों द्वारा समय-समय पर यात्रा न करने का परामर्श दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में विदेशी पर्यटकों के प्रवाह पर इन परामर्शों का क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले पर संबंधित देशों के साथ बातचीत की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) विभिन्न देशों द्वारा, समय-समय पर यात्रा संबंधी परामर्श जारी किए गए हैं, जिनमें उनके नागरिकों को परामर्श दिया गया है कि वे यात्रा करने से बचें अथवा देश के अस्थायी रूप से अशांत क्षेत्रों की यात्रा करते समय सावधानी बरतें।

(ग) देश में विदेशी पर्यटक आगमन बढ़ना जारी है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	विदेशी पर्यटक आगमन	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि
2005	3.92 मिलियन	13.3
2006	4.45 मिलियन	13.5
2007	5.08 मिलियन	14.3
2008 (जनवरी-नवम्बर)	4.84 मिलियन	8.0 (जनवरी-नवम्बर 2007 की तुलना में)

(घ) और (ङ) यह मामला मंत्रालय द्वारा जेजू, दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) कार्यकारी परिषद और हैदराबाद में पेसिफिक एशिया ट्रेवल मार्ट (पाटा) ट्रेवल मार्ट 2008 जैसे अंतर्राष्ट्रीय फोरा को संदर्भित करते हुए उठाया गया है। मामला विदेश स्थित भारतीय मिशनों के माध्यम से भी उठाया गया है। इसके परिणामस्वरूप कुछ देशों ने समीक्षा की है और उनके द्वारा जारी परामर्श को या तो हटा दिया है अथवा डाउनग्रेड कर दिया है।

[हिन्दी]

उर्वरक कंपनी कृभको की खरीद

2913. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको) के प्रबंधन ने शाहजहांपुर स्थित उर्वरक कंपनी को पूर्व प्रस्तावित मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीदा था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर उत्तर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वृंदावन का विकास

2914. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वृंदावन नगर की पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण खराब स्थिति में है तथा वृंदावन का भ्रमण करने वाले घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों तथा तीर्थयात्रियों को गंदगी, खराब सड़क, भीड़-भाड़ तथा खुली पार्किंग की समस्या का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन संस्मारक पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित स्मारकों/स्थलों के संरक्षण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। गंदगी, खराब सड़कों, भीड़-भाड़ तथा खुली पार्किंग से संबंधित समस्या सहित किसी शहर की पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण से संबंधित मामला संबंधित राज्य सरकार/स्थानीय निकाय के कार्य क्षेत्र में आता है।

पूरे देश में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा पर्यटक स्थलों का विकास और रखरखाव करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से प्राप्त उन परियोजना प्रस्तावों के लिए प्रोडक्ट/इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आफ डेस्टीनेशन एण्ड सर्किट्स योजना के अंतर्गत केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण होते हैं। तथापि, राज्य सरकारों को पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत करते समय राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसी सुविधाओं, जिनके लिए धनराशि रिलीज की जाती है, के रखरखाव तथा प्रबंधन की जिम्मेदारी लें।

दसवीं योजना अवधि के दौरान पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वृन्दावन के आस-पास निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी:

(लाख रुपये)

परियोजना का नाम	धनराशि
गोवर्धन में कुसुम सरोवर का जीर्णोद्धार तथा सौंदर्यीकरण (2004-2005)	100.77
गांव मुखराय, मथुरा में ग्रामीण पर्यटन का विकास (2005-2006)	45.89
जिला मथुरा में गोवर्धन की छतरियों का जीर्णोद्धार तथा सौंदर्यीकरण (2005-2006)	58.60
वृन्दावन में गोवर्धन तथा वृन्दावन अनुसंधान संस्थान के लिए परिक्रमा पथ की स्थल सर्वेक्षण योजना तैयार करना (2005-2006)	0.79
बृज चौरासी कोस परिक्रमा पर्यटन सर्किट का विकास (2006-2007)	441.53

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में रसोई गैस की अपर्याप्त आपूर्ति

2915. श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उत्तर प्रदेश में रसोई गैस के वितरक उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं तथा उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलिंडर खुद गैस एजेंसी के गोदाम से लाना पड़ता है तथा अधिक मूल्य अदा करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान वितरकों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या ये रसोई गैस वितरक गैस सिलिंडरों की कालाबाजारी में शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने रिपोर्ट दी है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश सहित सारे देश में समग्र रूप से एलपीजी की कमी नहीं है और वितरकों को, एलपीजी वितरकों के पास पंजीकृत ग्राहकों की वास्तविक मांग के अनुसार ओएमसीज द्वारा देशीय उत्पादन और आयातों के माध्यम से एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।

वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और अप्रैल से अक्तूबर 2008 के दौरान ओएमसीज ने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य में एलपीजी की कालाबाजारी/घरों में सुपुर्दगी न करने और ग्राहकों को नकद दो और ले जाओ छूट प्रदान न करने के 167 मामले पकड़े हैं। विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी)/ डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के प्रावधानों के अनुसार सभी दोषी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी।

ई-पेमेंट प्रणाली

2916. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे मालढुलाई सेवाओं हेतु ड्राफ्टों एवं चैकों से भुगतान करने में प्रयोक्ताओं द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों से परिचित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का मालढुलाई भुगतान हेतु इलैक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे रेलवे के सभी डिवीजनों में कब तक शुरू कर दिया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। ग्राहकों को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से मालभाड़े का भुगतान करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि भुगतान किए जाने वाले माल भाड़े की सही राशि की अग्रिम जानकारी नहीं रहती है।

(ग) से (ङ) भारतीय रेल के सभी मंडलों पर मालभाड़े के भुगतान के लिए ई-पेमेंट प्रणाली पहले ही शुरू की जा चुकी है। ई-पेमेंट प्रणाली के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। 8.12.2008 की स्थिति के अनुसार, 97 ग्राहकों द्वारा पहले ही ई-पेमेंट माध्यम द्वारा माल भाड़े का भुगतान करना शुरू कर दिया गया है। अन्य ग्राहकों के साथ ई-पेमेंट द्वारा माल भाड़े का भुगतान करने के लिए करार करने हेतु संपर्क किया गया है।

अनुदान सहायता योजनाएं

2917. श्री के. विरुपाक्षप्पा: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष की सभी अनुदान सहायता योजनाओं का प्रचार किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार सहायता अनुदान की नई योजनाएं शुरू कर अपनी विद्यमान योजनाओं को अन्य संगठनों को हस्तांतरित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) जी, नहीं। कुछ स्कीमों में आशोधन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) विकेन्द्रीकरण उन आशोधनों पर निर्भर करता है जिन्हें अंतिम रूप से सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

पाषाण पेंटिंग

2918. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले की श्री सैलय ' , पर्वत माला तथा वारंगल जिले के थाडवई मंडल में कोई प्राचीन पाषाण पेंटिंग पाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये पेंटिंग ईसा पूर्व 3000 इस्वी की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (घ) आंध्र प्रदेश सरकार के पुरातत्व विभाग ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश के श्रीसाईलम, महबूबनगर जिले से लगभग 10 कि.मी. की दूरी पर वन में और वारंगल जिले के नरसापुर तथा वाडिया गांव में अक्कामाहादेवी गुहालू में कुछ प्रागैतिहासिक शैल चित्र देखे गए हैं। इन चित्रों में हिरण, मोर जैसे पशु मूलभाव और लाल रंग में चित्रित मानव आकृतियां प्रदर्शित हैं।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई हेतु निविदाएं

2919. डा. रामकृष्ण कुसमरिया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने अगस्त, 2008 में पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई हेतु ठेकेदारों तथा पेट्रोल पंप डीलरों से निविदाएं आमंत्रित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने ठेकेदारों के मौजूदा ठेकों की अवधि 31 दिसंबर, 2008 तक बढ़ा दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने डिपुओं/टर्मिनल स्थलों से थोक मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए संविदायें प्रदान करने हेतु अगस्त 2008 में सार्वजनिक निविदाएं आमंत्रित नहीं की हैं। तथापि, आईओसीएल द्वारा जून-जुलाई 2008 के दौरान उत्तर, पश्चिम एवं कुछ पूर्वी राज्यों के स्थानों के लिए नियत तिथियों के अनुसार सार्वजनिक निविदाएं आमंत्रित की गई थीं।

(ग) और (घ) कुछ परिवहनकर्ताओं द्वारा दायर किए गए अदालती मामलों और तकनीकी कारणों से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के पठानकोट स्थानों के लिए विद्यमान परिवहन संविदा 31 दिसंबर 2008 तक बढ़ाई गई है।

मध्य प्रदेश के उर्वरकों का आबंटन

2920. डा. रामलखन सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगामी रबी फसल के लिए मध्य प्रदेश के भिंड तथा दतिया के लिए अलग-अलग उर्वरकों का कितना कोटा आबंटित किया गया;

(ख) उक्त कोटा निर्धारित करने के क्या आधार हैं;

(ग) क्या उक्त क्षेत्रों में खरीफ फसल नगण्य होती है क्योंकि चालू वर्ष के दौरान काफी ज्यादा बारिश हुई है तथा इस क्षेत्र के लोग रबी फसल पर निर्भर हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में खेती के दो फसल के अनुपात में उर्वरक आबंटित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ङ) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो सरकार के आंशिक संचलन और वितरण के अधीन है। केन्द्र सरकार राज्य स्तर पर यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। राज्य सरकारें राज्य के अंदर इसके वितरण के लिए जिम्मेदार होती हैं।

अन्य सभी उर्वरकों अर्थात् डीएपी, एमओपी, एसएसपी और एनपीके आदि 1992 से नियंत्रणमुक्त/असरणीबद्ध हैं। नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की मासिक आपूर्ति योजनाएं राज्य सरकार के परामर्श से इन उर्वरकों के उत्पादकों/आयातकों द्वारा बनाई जाती हैं। फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की उपलब्धता पर निर्णय बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर लिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार, कृषि निदेशालय, भोपाल ने सूचित किया है कि गत पांच वर्षों के दौरान उर्वरकों का कोटा जिला-वार मांग और औसत खपत के आधार पर निश्चित किया जाता है। विभिन्न फसलों के अंतर्गत खरीफ लगभग 106 लाख हैक्टेयर अर्थात् लक्षित क्षेत्र का 100.6% में की जाती है। वर्तमान रबी के दौरान, कुल बुवाई क्षेत्र 73.98 लाख हैक्टेयर है अर्थात् लक्षित क्षेत्र का 87% है तथा किसान पूर्णत: रबी की फसल पर निर्भर नहीं करते हैं। वर्तमान रबी 2008-09 के लिए मध्य प्रदेश में उर्वरक का जिला-वार लक्ष्य संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

रबी 2008-09 में उर्वरक का अनंतिम कार्यक्रम

इकाई: मी. टन

जिला/प्रभाग	यूरिया	ए.एस.	सी.ए.एन.	एस.एस.पी.	एमओपी	डीएपी	12:32:16	20:20:0	15:15:15	एमएपी	10:26:26	पोषक तत्व			
												एन	पी	के	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
जबलपुर	20000	50	120	1096	1470	11906	550	265	0	2945	715	11898	7598	1156	20652
कटनी	10000	0	0	5000	200	6000	810	1000	0	1200	100	6119	4669	276	11064
मांडला	2230	30	0	410	75	1200	60	350	0	20	0	1327	717	55	2099
डिन्डोरी	300	0	0	100	10	125	35	0	0	0	0	165	85	12	261
बालाघाट	4500	50	0	250	400	3200	100	250	0	600	450	2829	2023	373	5225
छिन्दवाड़ा	20000	0	0	4500	2200	4800	1490	200	0	0	0	10283	3445	1558	15286
सिवनी	10000	0	0	1500	300	4400	1000	400	0	800	100	5690	3106	366	9162
नरसिंहपुर	15000	50	0	6000	1450	6000	990	400	0	1500	300	8384	4975	1106	14465
जबलपुर प्रभाग	82030	180	120	18856	6105	37631	5036	2865	0	7065	1665	46694	26618	4902	78214
सागर	16000	0	0	3250	300	14900	1325	3900	0	1700	3900	11098	10476	1406	22980
दामोह	7200	0	0	120	200	7900	1120	1350	0	2000	1380	5496	5680	658	11835
पन्ना	3500	0	0	200	50	9400	1850	500	0	0	0	3624	5048	326	8998
छतरपुर	20000	0	0	2000	150	19200	2240	1000	0	4500	0	13620	12409	448	26477
टीकमगढ़	19000	0	0	6000	150	18200	1600	1200	0	2650	1000	12840	11722	606	25168
सागर प्रभाग	64700	0	0	11570	850	69600	8135	7950	0	10850	6280	46678	45335	3444	95457
रेवा	12650	650	310	17330	2550	2500	1290	1000	0	0	0	6831	4536	1736	13103
सतना	16000	0	0	600	450	20300	1865	6500	0	0	2500	12788	11981	1218	25987
सिधि	5150	0	0	528	53	2300	490	432	0	0	0	2928	1386	110	4424
सिंगरोली	5300	0	0	462	43	2700	430	372	0	0	0	3050	1528	95	4673
शहडोल	4000	0	0	500	150	3700	475	240	0	0	0	2611	1982	166	4759
अनोप्पुर	810	0	0	50	65	850	70	90	0	0	0	552	439	50	1042
उमरिया	3600	0	0	797	73	2100	100	91	0	0	0	2064	1144	60	3268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
रेवा प्रभाग	47510	650	310	20267	3384	34450	4720	8725	0	0	2500	30825	22995	3436	57255
इन्दौर	43000	50	400	30800	3455	7200	6650	1000	0	650	2800	22536	11634	3865	38035
धार	55000	100	120	20000	4000	15400	11500	2000	0	1000	1000	30112	15144	4500	49756
झाबुआ	13000	0	0	3367	215	2133	1880	800	0	0	0	6750	2282	430	9461
अलीराजपुर	11400	0	0	3042	196	1868	1650	691	0	0	0	5916	2012	382	8310
खरगांव	22000	0	0	8030	3150	4070	4110	992	0	500	1000	11699	5191	2808	19697
बडवानी	14000	200	0	5200	1450	5500	1960	850	0	300	0	7908	4315	1184	13407
खंडवा	16800	0	0	3860	2100	5555	1610	450	0	1665	228	9217	4703	1577	15497
बुरहानपुर	10350	810	0	2499	6115	1963	1280	77	130	0	422	5507	1857	4003	11367
इन्दौर प्रभाग	185550	1160	520	76798	20681	43689	30640	6860	130	4115	5450	99645	47138	18748	165530
उज्जैन	45000	0	0	33000	2500	9000	9200	1200	0	0	0	23664	12604	2972	39240
रतलाम	25000	0	0	16500	3900	8000	3880	500	170	0	700	13601	7869	3168	24639
मंदसौर	16500	0	60	12500	500	6000	3870	730	180	0	380	9360	6270	1045	16676
नीमच	12600	100	200	7500	600	3900	4100	300	50	1300	2000	7471	5570	1544	14584
देवास	34550	110	370	27000	1795	6550	3370	425	0	0	3600	18036	9432	2552	30021
शाजापुर	25000	50	0	26000	350	6200	3020	400	90	0	2900	13372	8826	1461	23659
उज्जैन प्रभाग	158650	260	630	122500	9645	39650	27440	3555	490	1300	9580	85504	50571	12742	148817
ग्वालियर	23000	350	110	600	400	14000	2210	1400	140	50	200	13789	7622	667	22078
शिवपुरी	14000	50	0	6500	100	11000	1600	600	0	0	0	8742	6732	316	15790
गुना	20000	0	0	3000	150	10900	1500	500	0	0	0	11442	6074	330	17846
अशोक नगर	8650	200	0	1600	110	10700	3200	1500	0	0	75	6637	6522	598	13756
दतिया	18000	0	0	1000	25	9000	2500	1000	0	0	0	10400	5300	415	16115
ग्वालियर प्रभाग	83650	600	110	12700	785	55600	11010	5000	140	50	275	51010	32250	2325	85585
भिंड	35000	2000	110	2500	800	18000	3450	5000	90	0	600	21255	10954	1202	33410
मोरेना	30000	1600	0	3007	1000	11300	2050	5500	0	0	0	17500	7435	928	25863
शिवपुरकला	11000	0	0	700	145	6900	650	0	0	750	0	6463	3884	191	10538
चम्बल प्रभाग	76000	3600	110	6207	1945	36200	6150	10500	90	750	600	45218	22273	2321	69811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
भोपाल	16250	0	0	4000	300	8400	1000	100	0	0	350	9162	4935	431	14528
सिहोर	20510	0	0	14102	1200	15380	1200	1320	950	6600	3150	13795	14373	1874	30041
रायसेन	35000	0	0	5350	750	21700	1510	600	0	1600	200	20503	12325	744	33572
विदिशा	20950	0	0	450	155	25700	1550	4375	0	1500	1050	15594	14318	614	30526
बेतुल	22000	0	0	4000	1000	5000	3010	200	200	0	0	11451	3973	1112	16536
राजगढ़	21000	0	0	1780	300	9000	800	1950	0	0	400	11806	7738	412	19956
भोपाल प्रभाग	135710	0	0	45702	3705	85180	9070	8545	1150	9700	5150	82311	57662	5186	145159
होशंगाबाद	86200	0	0	12000	2500	34000	4100	0	0	0	0	46264	18872	2156	67292
हरदा	30000	0	0	3400	400	14000	3700	0	0	2500	2500	17289	10118	1482	28889
होशंगाबाद प्रभाग	116200	0	0	15400	2900	48000	7800	0	0	2500	2500	63553	28990	3638	96181
मध्य प्रदेश राज्य	950000	6450	1800	330000	50000	450000	110000	54000	2000	36330	34000	551436	333832	56740	942008

कोटा मंडल में सड़क उपरिपुल

2921. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा कोटा मंडल में राज्य सरकार के वित्तपोषण से सड़क उपरिपुलों के निर्माण हेतु अनुमोदन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) ऊपरी सड़क पुलों के 6 कार्य अनुमोदित किए गए हैं तथा रेलों के कोटा मंडल में राज्य सरकार के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर निर्मित किए जा रहे हैं।

रेल परियोजनाओं की लागत भागीदारी

2922. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे विभिन्न रेल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों से 50 प्रतिशत लागत मूल्य वसूल कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर योगदान के लागत मूल्य के आधार पर मंजूर की गई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित उक्त राज्य सरकारें अपने राज्यों में चालू रेल परियोजनाओं के लागत मूल्य का 50 प्रतिशत देने को सहमत हो गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। बहरहाल, राज्य सरकार से उनके राज्य की नई लाइन तथा आमान परिवर्तन परियोजनाओं की लागत की कम से कम 50% की भागीदारी करने का अनुरोध किया गया है ताकि परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जा सके। कुछ राज्य सरकारों द्वारा, परियोजनाएं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करते समय, चालू परियोजनाओं तथा नई परियोजनाओं की लागत में भागीदारी करने के प्रस्ताव किए गए हैं।

(ख) से (घ) पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष में राज्य सरकारों की 50% अंशदान वाली निम्नलिखित परियोजनाओं को रेलवे बजट में शामिल किया गया है:-

(1) उत्तराखंड-देवबंद (मुजफ्फरनगर) से रुड़की तक नई बड़ी आमान लाइन (27.45 किमी)

(2) कर्नाटक/आंध्र प्रदेश-कुड्डापा से बेंगलूरू तक नई बड़ी आमान लाइन (बंग्रापेट) (255.4 किमी); (आंध्र प्रदेश सरकार ने लागत में 50% भागीदारी करने की सहमति दे दी है)

(3) पश्चिम बंगाल-बर्धमान से कटवा तक आमान परिवर्तन (51.52 किमी.)

राज्य सरकारों ने इन परियोजनाओं के लिए निधियां मुहैया कराने के लिए सहमति दे दी है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विमानन कंपनी का इक्विटी आधार

2923. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय विमानन कंपनी का इक्विटी आधार बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) नेशनल एविएशन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड (नैसिल) ने कंपनी में अतिरिक्त इक्विटी बढ़ाने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है जिसकी जांच-पड़ताल की जा रही है।

गुजरात में रेल परियोजनाएं

2924. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य सरकार तथा रेलवे के बीच व्यय हिस्सेदारी के आधार पर गुजरात में रेल पटरियों के चौड़ीकरण, रेलमार्गों के विद्युतीकरण इत्यादि हेतु चल रही रेल परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने भागीदारी आधार राज्यों द्वारा 2/3 तथा रेलवे द्वारा 1/3 के स्थान पर 50:50 करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) प्रत्येक परियोजना के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान रेलवे द्वारा कितने धन का आबंटन किया गया तथा प्रत्येक परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) राज्य सरकार और रेलवे के बीच लागत में भागीदारी के आधार पर गुजरात राज्य में आमान परिवर्तन और रेल मार्ग के विद्युतीकरण संबंधी कोई परियोजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बड़े शहरों में मल्टीपल एयरपोर्ट

2925. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बंगलौर, दिल्ली आदि जैसे भारतीय शहरों में मल्टीपल एयरपोर्ट को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में अगले 15 वर्षों के लिए हवाई यातायात का अनुमान लगाने हेतु कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो देश के सभी प्रमुख शहरी क्षेत्रों में कम से कम दो एयरपोर्ट विकसित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) विमानन सेक्टर में अत्यधिक बढ़ती वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तथा प्रमुख हवाईअड्डों पर भीड़भाड़ को कम करने की दृष्टि से भारत सरकार ने ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के लिए एक नई नीति को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, दूरदराज के क्षेत्रों तथा औद्योगिक स्थलों के लिए विमान सेवा सम्पर्कता को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने नये ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के अनुमोदन संबंधी प्रक्रिया को भी सरल कर दिया है। यदि एक मौजूदा सिविलियन हवाईअड्डे की 150 कि.मी. की परिधि के भीतर ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है तो मौजूदा हवाईअड्डे पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच की जाएगी। इस प्रकार के मामलों पर सरकार द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विमान यातायात में हाल के गिरावटी रुझानों को ध्यान में रखते हुए अगले 15 वर्षों के लिए भारत में विमान यातायात अनुमान से संबंधित एक अध्ययन कराया है।

अहमदाबाद में अम्बेडकर भवन

2926. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने अहमदाबाद (गुजरात) में अम्बेडकर भवन के निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, हां।

(ख) इस प्रस्ताव को डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान की योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था अत: इसे अनुमोदित नहीं किया जा सका।

कृषि पर्यटन

2927. श्री के.एस. राव: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों के लिए किसानों को कृषि पर्यटन, आतिथ्य, सफाई एवं विपणन में प्रशिक्षण देकर सुविधाओं का सृजन एवं प्रबंध कर कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कृषि पर्यटन से किसानों को क्या-क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) महाराष्ट्र में पुणे में कृषि पर्यटन विकास निगम (ए.टी.डी.सी.) द्वारा शुरू किए गए कृषि पर्यटन की सफलता का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (घ) महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने कृषि पर्यटन सहित, पर्यटन के विकास और संवर्धन हेतु वर्ष 2006 में अपनी पर्यटन नीति घोषित की है। जुलाई, 2005 में स्थापित एक गैर-सरकारी संगठन, कृषि पर्यटन विकास निगम (ए.टी.डी.सी.) को उनकी "महाभ्रमण योजना" के अंतर्गत, महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रत्यायन प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है और वह कृषकों के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, महिला सेल्फ-हेल्प ग्रुपों के सशक्तिकरण और सूचना आदि के प्रचार-प्रसार के माध्यम से कृषि पर्यटन का संवर्धन कर रहा है।

[हिन्दी]

साइड बर्थ में स्थान की कमी

2928. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेलगाड़ियों में द्वितीय श्रेणी शयनयान में कुछ अतिरिक्त सीटें लगाई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या साइड बर्थ में स्थान की कमी के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि रेलवे के इस अभियान से यात्रियों को असुविधा हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कदम उठाने के क्या कारण हैं तथा रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) स्लीपर श्रेणी के सवारी डिब्बों में यात्री वहन क्षमता को बढ़ाने हेतु इस प्रकार के नवनिर्मित सवारी डिब्बों में एक अतिरिक्त देशान्तरीय मध्य शायिका लगाई जा रही है। मौजूदा डिब्बों में भी इसी तरह की शायिकाएं लगाए जाने का कार्य भी प्रगति पर है।

देशान्तरीय मिडिल शायिका के डिजाइन और आयाम और इसमें चढ़ने की व्यवस्था का विधिवत आकलन कर दिया गया है और इसे अंतिम रूप देने से पूर्व इनका परीक्षण भी किया जा चुका है। यात्रियों की सुरक्षा, आराम तथा एरगोनोमिक्स को सुनिश्चित करने हेतु भी अपेक्षित ध्यान दिया गया है। इसके अलावा, इस उपाय से डिब्बों की वहन क्षमता में लगभग 12.5% की वृद्धि होगी और अंतत: मांग और आपूर्ति के विशाल अंतर को कम करने में सहायता मिलेगी।

[अनुवाद]

गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (गेल) द्वारा पेट्रो-रसायन संयंत्रों की स्थापना

2929. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने पेट्रो-रसायन संयंत्रों की स्थापना हेतु कतिपय राष्ट्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त पेट्रो-रसायन संयंत्रों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) अपनी विश्वव्यापी पहल के भाग के रूप में गेल, गैस समृद्ध देशों जैसे मध्य-पूर्व और अफ्रीका, रूस और सीआईएस देशों में पेट्रो-रसायन परिसर स्थापित करने के लिए अवसरों की तलाश कर रही है।

(ख) गेल, उपर्युक्त उल्लिखित देशों की विभिन्न पेट्रो-रसायन कंपनियों के साथ चर्चाओं के प्रारंभिक स्तर पर है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विटामिन 'सी' टेबलेट की कमी

2930. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विटामिन 'सी' के टेबलेट की भारी कमी है तथा लोकप्रिय विटामिन 'सी' टेबलेट सेलिन, सक्सी, च्वसी और लिम्सी तेजी से कम हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) विटामिन "सी" टैबलेटों की कमी का कारण मध्यवर्ती के मूल्य में वृद्धि थी जिसका मुख्यत: आयात किया जाता है। प्रमुख आयातित मध्यवर्ती की वास्तविक लागत के साथ-साथ रुपए के मुकाबले अमेरिकी डालर की विनिमय दर तथा अन्य कच्चे माल की लागतों को ध्यान में रखते हुए एनपीपीए ने हाल ही में बल्क औषध विटामिन "सी" और उसके फार्मूलेशन के मूल्य में वृद्धि की है।

ऐतिहासिक स्मारकों पर व्यय

2931. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में ब्रिटिश काल के दौरान बनाए गए विभिन्न विरासत भवनों के संरक्षण, अनुरक्षण तथा रख-रखाव पर कितना व्यय हुआ है; और

(ख) इन स्थलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरक इकाइयों को सब्सिडी का अतिरिक्त भुगतान

2932. श्री हितेन बर्मन: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने व्यय सुधार समिति द्वारा यथा संस्तुत यूरिया इकाइयों को दिये गये विंटेज भत्ता को समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उर्वरक इकाइयों को सब्सिडी तंत्र के माध्यम से उद्योग को किये गये कम से कम 1900 करोड़ रु. का अतिरिक्त भुगतान लौटाना होगा;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक इकाई से वसूली गयी सब्सिडी राशि कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा यूरिया इकाइयों से किस प्रकार इस राशि को वसूलने का विचार है तथा इसके परिणामत: उनका उत्पादन कितना प्रभावित होगा?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने यूरिया इकाइयों के लिए उस समय लागू प्रतिधारण मूल्य योजना की 7वीं और 8वीं मूल्य निर्धारण अवधियों के दौरान विंटेज भत्ता चरणबद्ध अवस्था में, नीचे दिए गए चरणों के अनुसार वापस ले लिया है:

क्र.सं.	अवधि	विंटेज भत्ता
1.	1997-98	5%
2.	1998-99	4%
3.	1999-2000	2%
4.	31.3.2000 के बाद	शून्य

(ग) से (ङ) चूंकि उपर्युक्त भत्ते को वापस लेने के बाद इस खाते पर कोई भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

अल्पसंख्यकों की स्थिति संबंधी कृतक बल

2933. श्रीमती के. रानी: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अल्पसंख्यकों की सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षणिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कृतक बल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा इस पर की गयी अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कृतक बल की सिफारिशों के अनुसरण में तमिलनाडु में अल्पसंख्यकों की स्थिति सुधारने के लिए अब तक क्या कार्य किये गये हैं और इनके क्या परिणाम हैं?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) और (ख) भारत में अल्पसंख्यकों के भौगोलिक संवितरण संबंधी जटिलताओं से संबंधित अन्तर्मंत्रालयीन कृतक बल की सिफारिशों और तमिलनाडु राज्य के नगरों सहित अल्पसंख्यक बहुल अभिनिर्धारित नगरों की सूची अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है। सम्बद्ध मंत्रालय/विभागों से अनुरोध किया गया है कि वे सिफारिशों पर समुचित कार्रवाई करें।

कोल्हापुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस

2934. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1050 अप/1049 डाउन कोल्हापुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाने और इसकी सेवाएं राजकोट तक बढ़ाने की मांग पर विचार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) 1049/1050 श्री छत्रपति शाहू महाराज (टी)-अहमदाबाद एक्सप्रेस (साप्ताहिक) के फेरे बढ़ाने और राजकोट तक इसका विस्तार करने के मामले की जांच की गई थी लेकिन परिचालनिक कठिनाइयों तथा संसाधनों की तंगी के कारण इसे फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

कलोल से काटोसेन तक बरास्ता कडी आमान परिवर्तन

2935. श्री जीवाभाई ए. पटेल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे कलोल से काटोसेन तक बरास्ता कडी आमान परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जी नहीं। बहरहाल, 2001-02 में कलोल-कडी-काटोसेन के आमान परिवर्तन के लिए एक सर्वेक्षण पूरा किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 37.23 किमी. लंबी लाइन के आमान परिवर्तन की लागत (-) 0.75 प्रतिशत की दर सहित 49.87 करोड़ रुपए आंकी गई है। अलाभप्रद प्रकृति, चालू परियोजनाओं के भारी थ्रो-फारवर्ड तथा संसाधनों की तंगियों को देखते हुए परियोजना पर विचार नहीं किया जा सका।

पश्चिम मध्य रेल जोन में सुरक्षोपाय

2936. श्री राकेश सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने पश्चिम मध्य रेल जोन में यात्रियों के लिए विभिन्न सुरक्षोपाय किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, हां। रेलवे ने सभी प्रमुख/संवेदनशील स्टेशनों पर सुरक्षा करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। हाल ही में महानगरों के सभी चारों रेलवे स्टेशनों तथा भारतीय रेल के 140 भेद्य और संवेदनशील स्टेशनों पर एकीकृत सुरक्षा प्रणाली संस्थापित करने का दो चरणों में विनिश्चय किया गया है। इस प्रणाली में चरण-I में पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल और इटारसी तथा चरण-II में बीना और कोटा शामिल होंगे।

एकीकृत सुरक्षा प्रणाली में मोटे तौर पर निम्नलिखित व्यापक क्षेत्र शामिल हैं:-

1. सीसीटीवी प्रणाली
2. पहुंच नियंत्रण
3. व्यक्ति और उनके सामान की जांच प्रणाली
4. विस्फोटकों का पता लगाना और उनके निपटान संबंधी प्रणाली।

[अनुवाद]

दवाइयों के अधिकतम खुदरा मूल्य पर उत्पाद शुल्क

2937. श्री डी. विट्टल राव: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्पाद शुल्क अपवंचन को रोकने तथा दवाइयों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को नियंत्रित करने के लिए दवाइयों के अधिकतम खुदरा मूल्य पर उत्पाद शुल्क लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्पाद शुल्क मुक्त राज्यों में एक ही कंपनी द्वारा समान सक्रिय भेषज संघटकों पर आधारित नई ब्रांड की दवा शृंखला लाने से दवा मूल्य नियंत्रण आदेश निरर्थक हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने स्वतंत्र लघु भेषज इकाइयों को जिन राज्यों में छूट प्राप्त नहीं है वहां 10 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के व्यापारावर्त तक दवा मूल्य नियंत्रण आदेश के उपबंधों से छूट देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या ऐसे अनुरोध से प्रतिस्पर्धा अत्यधिक बढ़ेगी तथा दवाओं की विशेषत: आवश्यक तथा कैंसर रोधी दवाओं की कीमतें घटेंगी; और

(छ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) दिनांक 8.1.2005 से पूर्व भेषजों और दवाओं के लेन-देन मूल्य (एक्स-फैक्टरी मूल्य) पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता था। दवाओं के एक्स-फैक्टरी मूल्यों और उत्पाद शुल्क के उद्देश्य हेतु निर्धारणीय मूल्य के बीच व्यापक अंतर था जिसके परिणामस्वरूप विवाद और मुकदमेबाजी होती रहती थी। निर्धारण में निश्चितता लाने के उद्देश्य से संबंधित विनिर्माण संघों, प्रशासनिक मंत्रालय तथा राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण से परामर्श करके वित्त मंत्रालय ने दिनांक 8.1.2005 से औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अंतर्गत एलोपैथिक दवाओं को इन दवाओं के पैकेजों पर घोषित किए जाने वाले खुदरा मूल्य के आधार पर उत्पांद शुल्क के अधीन ला दिया है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सक्रिय रूप से इस विभाग के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) से (छ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में रेल संपर्क

2938. श्री जुएल ओराम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का कलिंग नगर, जखापुरा, सुकिंदा रोड, दैतारी, बंसपानी तथा बरबील के बीच पर्याप्त रेल संपर्क उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कलिंग नगर से बरसुआन, बंदामुंडा और राउरकेला तक पारदीप पत्तन से जोड़ने तथा संपर्क बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त कार्य के कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) वर्ष 2008-09 के रेल बजट में जाखपुरा, सुकिंदा रोड, तोमका (दैतारी से 8 किमी. दूर, जो कि दुमका-दैतारी शाखा मार्ग पर स्थित है) के रास्ते पुरी और केन्दुझारगढ़ के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाए जाने की घोषणा की गई है। इस समय, पदापहाड़-बांसपानी और बांसपानी-जाखली खंड यात्री गाड़ियों को चलाए जाने के लिए उपयुक्त नहीं है।

(ग) तालचेर से विमलगढ़, अंगुल से सुकिंदा और हरिदासपुर से पारादीप के लिए नई लाइनों का कार्य आरंभ कर दिया गया है और इन लाइनों का कार्य पूरा होने पर कलिंगनगर क्षेत्र, राउरकेला, बांडामुंडा, बरसुआं से पारादीप पत्तन के लिए एक वैकल्पिक रेल संपर्क उपलब्ध हो जाएगा।

(घ) हरिदासपुर-पारादीप लाइन के कार्य को 2010-11 के दौरान पूरा कर लिए जाने की संभावना है। अंगुल-सुकिंदा और तालचेर-विमलगढ़, अन्य दो लाइनों के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

बनसान्द्रा रेल स्टेशन का उन्नयन

2939. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बनसान्ड्रा में रेल स्टेशन के उन्नयन हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) बनसान्ड्रा पी. एच स्टेशन नवापुर-गुनुपुर छोटी लाइन खंड पर स्थित है। बहरहाल, छोटी लाइन बंद कर दी गई है और उखाड़ दी गई है क्योंकि इस लाइन का फिलहाल आमान परिवर्तन किया जा रहा है और वर्ष 2009-10 के दौरान इस कार्य को पूरा करने की योजना है। इस स्टेशन को अपग्रेड करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

बुलेट-प्रूफ इंजन

2940. श्री एल. राजगोपाल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने देश के आतंक प्रभावित क्षेत्रों में बुलेट-प्रूफ इंजन वाली मालगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कदम से देश के आतंक प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं समेत वस्तुओं की ढुलाई में कितनी सहायता मिलेगी;

(ग) क्या गार्ड केबिन को बुलेट-प्रूफ नहीं बनाया गया है तथा उसमें बालू की बोरियां मात्र दी गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो रेलगाड़ियों के चालकों के समान गार्ड को सुरक्षा देने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) धमकी के मद्देनजर चुनिंदा मालगाड़ियों को बुलेट प्रूफ इंजनों के साथ चलाया जा रहा है। इस प्रक्रिया में, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के मीटर आमान वाले आठ डीजल इंजनों को आशोधित किया गया है और इनमें बुलेट प्रूफ कैब की व्यवस्था कर दी गई है। मीटर आमान वाले 29 डीजल इंजनों को चरणबद्ध आधार पर आशोधित करने की योजना है। इसका उद्देश्य इंजन चालक दल में विश्वास बहाल करना है।

(ग) और (घ) फिलहाल गार्ड केबिन को बुलेट प्रूफ बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जहां कहीं भी आवश्यक है वहां पर गार्ड और गाड़ी की सुरक्षा हेतु हथियारबंद पुलिसकर्मी ब्रेक वैन में यात्रा करते हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2941. श्री सुभाष महरिया: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में वर्तमान में कार्यशील खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ख) इन उद्योगों में कितना निवेश किया गया है;

(ग) इन उद्योगों द्वारा कितने मूल्य का उत्पादन किया गया है; और

(घ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों तथा शीतागारों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) राजस्थान समेत देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों/यूनिटों संबंधी आंकड़े तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निवेश एवं उत्पादन के ब्यौरे केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कार्यान्वयन एजेंसियों/उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार संबंधी स्कीम के तहत सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र तथा मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए है अथवा दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रुपए है, सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देता है।

(ख) से (घ) देश में गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार संबंधी स्कीम और शीतागार स्कीम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(लाख रुपए)

स्कीम का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09 (नवंबर, 2008 तक)
नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना	106.795	471.060	381.300	362.185
शीतागार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

पेट्रोल डिपो के लिए सुरक्षा मानदंड

2942. श्री गणेश सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्थापित पेट्रोलियम डिपो निर्धारित सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित मानदंड का अनुपालन नहीं करने के परिणामत: विभिन्न कंपनियों के बंद हुए पेट्रोल, डीजल डिपो की संख्या का राज्य-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) जी, हां। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने रिपोर्ट दी है कि देश के सभी पेट्रोलियम डिपुओं में पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) और तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) के निर्धारित सुरक्षा नियंत्रणों/मानकों का पालन किया जाता है।

गत तीन वर्षों के दौरान निम्न डिपुओं को सुरक्षा कारणों के लिए स्थानांतरित/पुन:स्थापन/बंद कर दिया गया है।

कंपनी का नाम	स्थान (राज्य)
इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड	सतना (मध्य प्रदेश)
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	सतना (मध्य प्रदेश)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	शकूरबस्ती (दिल्ली)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	डलगांव (पश्चिम बंगाल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	कटक (उड़ीसा)

[अनुवाद]

तेल कंपनियों द्वारा मितव्ययिता उपाय

2943. श्री किरिप चालिहा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रमुख तेल कंपनियों द्वारा जनवरी 2008 से अपनाए गए मितव्ययिता उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकारी क्षेत्र की प्रमुख तेल कंपनियों द्वारा मितव्ययिता उपायों द्वारा चालू वर्ष में कुल कितनी बचत की गई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) सभी सार्वजनिक क्षेत्र तेल उपक्रमों को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित मितव्ययिता दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन की सलाह दी गई है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र तेल उपक्रमों को घरेलू और विदेशी यात्रा व्यय शीर्षों के तहत अपने गैर-योजना व्यय में 10% कमी करने की सलाह दी है। इसके अतिरिक्त, उन्हें सम्मेलन/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करते समय पूर्ण किफायत बरतने की सलाह दी गई है।

(ख) अप्रैल-सितंबर 2008 की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े तेल उपक्रमों द्वारा किए गए मितव्ययिता उपायों के कारण बचतों की राशि निम्नवत् है:-

1.	ओएनजीसी	324.14 करोड़ रुपए
2.	गेल	0.85 करोड़ रुपए
3.	ओआईएल	32.04 करोड़ रुपए
4.	आईओसीएल	514.30 करोड़ रुपए
5.	बीपीसीएल	109 करोड़ रुपए
6.	एचपीसीएल	183 करोड़ रुपए

[हिन्दी]

नये विमानपत्तन टर्मिनल पर यात्री प्रभार

2944. श्री बापू हरी चौरे:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में नये विमानपत्तन टर्मिनलों पर यात्री प्रभार लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार एकत्रित राशि का किस उद्देश्य हेतु उपयोग किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) देश के सभी हवाईअड्डों पर पहले से ही विमान पर चढ़ने वाले यात्रियों से 200/- रुपये की दर से यात्री सेवा शुल्क वसूल किया जा रहा है। बहरहाल, भारत सरकार द्वारा हैदराबाद अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (एचआईएएल) तथा बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (बीआईएएल) के साथ

किये गये रियायत करारों के अनुसार दोनों ही कम्पनियों को किसी प्रकार के राजस्व अंतर को पूरा करने के लिए प्रयोक्ता विकास शुल्क (यूडीएस) (घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय) लगाने की अनुमति दी गई है।

एचआईएएल के हैदराबाद के समीप शमशाबाद में स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए भारत सरकार ने तदर्थ आधार पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों से 1000/- रुपये (सभी करों सहित) की दर से प्रयोक्ता विकास शुल्क वसूलने तथा घरेलू यात्रा करने वाले यात्रियों से 375/- रुपये (सभी कर सहित) की दर से प्रयोक्ता विकास शुल्क वसूलने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। बीआईएएल ने बंगलौर के समीप देवनहल्ली में स्थित बंगलौर अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों से 1070/- रुपये (सभी करों सहित) की दर से प्रयोक्ता विकास शुल्क वसूलने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

[अनुवाद]

कला एवं कलाकारों को संरक्षण

2945. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक ताकतों द्वारा कला एवं कलाकारों पर बढ़ते हमले पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सांप्रदायिक रूप से उकसाए गये मोरल पुलिस द्वारा कला और कलाकारों पर हमले से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टीकों का आयात

2946. मो. मुकीम: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रमुख भारतीय भेषज कंपनियां चीन, क्यूबा तथा कोरिया की कंपनियों से टीकों का आयात कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन दवाओं का वास्तविक मूल्य क्या है तथा उनका विक्रय मूल्य कितना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, हां।

(ख) डीपीसीओ, 1995 के अनुसार वैक्सिनों के मूल्य सरकार द्वारा तय नहीं किए जाते हैं।

यूनीगेज नीति

2947. श्री एम. शिवन्ना: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूनीगेज नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) चुनिन्दा मार्गों को बड़े आमान में परिवर्तित करने के लिए वर्ष 1992 में शुरू की गई एक आमान परियोजना की नीति निम्नानुसार है:-

(1) इन मार्गों पर मौजूदा बड़ी लाइनों के दोहरीकरण की आवश्यकता का निराकरण करते हुए वैकल्पिक बड़ी लाइन मार्गों का विकास करने के लिए लाइनों का आमान परिवर्तन शुरू करना।

(2) पत्तनों, औद्योगिक केन्द्रों तथा संभावित वृद्धि वाले स्थानों को बड़ी लाइन से जोड़ने के लिए।

(3) सामरिक महत्व के आधार पर अपेक्षित लाइनों के आमान परिवर्तन के लिए।

(4) यानान्तरण को न्यूनतम करने के लिए यानान्तरण स्थलों पर होने वाले विलंब से बचने के लिए तथा मालडिब्बा टर्न एराउण्ड में सुधार लाने के लिए।

(5) उपर्युक्त नीति के तहत रेल उपयोगकर्त्ताओं को प्राप्त हो रही सुविधा में कमी न करते हुए सेवाओं का मानक बनाए रखते हुए कम से कम लागत पर लाइनों का आमान परिवर्तन करना।

1.4.1992 को, भारतीय रेल के नेटवर्क में 27349 मीटर लाइन (मीला)/छोटी लाइन (छोला) थी तथा 31.3.2008 तक 14838 किमी रेलवे लाइनों को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया गया है। योजना अनुमान के अनुसार, 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 10,000 किमी आमान परिवर्तन किया जाना है।

एफएसीटी के कामगारों/अधिकारियों के पारिश्रमिक में संशोधन

2948. श्री पी.सी. थामस: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल ट्रावणकोर लि. (एफएसीटी) में अधिकारियों तथा कामगारों की पेंशन आयु बढ़ाने तथा महंगाई भत्ता (डीए) के विलय हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या एफएसीटी के अधिकारियों और कामगारों की मजदूरी समीक्षा भी लम्बित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने दिनांक 26 नवंबर, 2008 के का.ज्ञा. सं. 2(70)/08-डीपीई (डब्ल्यूसी) के तहत दिनांक 1.1.2007 से आईडीए वेतनमानों के अनुसरण में बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों तथा केंद्रीय लोक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में संघ से असंबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतन और भत्तों में किए गए संशोधन का कार्यान्वयन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।

राष्ट्रीय संरक्षण नीति

2949. श्री रेवती रमन सिंह: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ऐतिहासिक इमारतों हेतु राष्ट्रीय संरक्षण नीति तैयार करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) ऐतिहासिक स्मारकों के संबंध में राष्ट्रीय संरक्षण नीति तैयार करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। तथापि, मौजूदा पद्धति के अनुसार प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित घोषित किए गए स्मारकों का अनुरक्षण तथा संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संसाधनों की उपलब्धता और कार्यों की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए किया जाता है।

गिद्धों का संरक्षण

2950. श्रीमती मेनका गांधी: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) ने गिद्धों की घटती संख्या जो अब विलुप्त होने के कगार पर हैं के कारण इन पक्षियों के संरक्षण हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो एनसीएम द्वारा उठाए गये इस कदम की वर्तमान स्थिति क्या है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) और (ख) पशु-चिकित्सा के प्रयोजन से प्रयोग किए जाने वाले 'डाइक्लोफेनाक' नामक औषधि से गिद्धों की संख्या में कमी हो रही है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पशु-चिकित्सा के प्रयोजन से 'डाइक्लोफेनाक' नामक औषधि पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है तथा भारत के औषधि महानियंत्रक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी पशु-चिकित्सा के प्रयोजन से तैयार की गई 'डाइक्लोफेनाक' के उत्पादनकर्ताओं को स्वीकृत लाइसेंस वापस लिए जाने संबंधी आदेश भी जारी किए हैं।

कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति

2951. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) से सेवानिवृत हुए कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या आईटीडीसी अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा उपचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आईटीडीसी अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) पिछले पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2003-04 से वर्ष 2007-08 तक के दौरान 413 कर्मचारी भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) से सेवानिवृत्त हुए हैं।

(ख) से (ङ) वर्तमान में आईटीडीसी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा उपचार/सुविधाएं प्रदान नहीं कर रही है। तथापि, आईटीडीसी ने वर्ष 2000 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए "पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनीफिट स्कीम" की शुरूआत की थी। वित्तीय संकट की वजह से योजना को 20.7.2001 से प्रभावी एक वर्ष की अवधि के लिए स्थगित कर दिया गया था और बाद में अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद आईटीडीसी एम्पलाइज वेलफेयर-कम-परफार्मेंस इन्सेंटिव स्कीम, जहां से "पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनीफिट स्कीम" के लिए निधिकरण किया जाना था, को ही वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2004 में प्रबंधन द्वारा वापस ले लिया गया। इसे वापस लेने के परिणामस्वरूप ट्रेड यूनियंस फेडरेशंस न्यायालय में चली गई और मामला न्यायाधीन है।

रायबरेली में रेलवे कोच फैक्टरी

2952. **श्री बालासाहिब विखे पाटील:**
श्री मोहन सिंह:
श्री निखिल कुमार:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने उत्तर प्रदेश में रायबरेली में किसी रेलवे वैगन फैक्टरी के लिए स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो फैक्टरी के निर्माण पर कितना व्यय होने की संभावना है और इसमें कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा;

(ग) क्या इस फैक्टरी के लिए आवश्यक भूमि का अर्जन कर लिया गया है और इसे रेलवे को हस्तांतरित कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस फैक्टरी के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता है;

(च) क्या रेलवे का विचार इस फैक्टरी को किसी अन्य राज्य अथवा जिले में ले जाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। रायबरेली में रेल सवारीडिब्बा कारखाना के निर्माण का प्रस्ताव है जबकि रेल मालडिब्बा कारखाने के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़े वर्गों के आर्थिक पिछड़ेपन का सर्वेक्षण

2953. **श्री पुन्नूलाल मोहले:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी), विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तथा अपने परम्परागत पेशा/शिल्पों पर निर्भर रहने वालों के आर्थिक पिछड़ेपन के संबंध में सर्वेक्षण करने के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो समिति के निष्कर्ष क्या हैं और सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वामीनाथन समिति रिपोर्ट

2954. **श्री वरकला राधाकृष्णन:**
श्री पी.सी. थामस:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने डा. एम.एस. स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के आधार पर तटीय पर्यटन के विकास के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) तटवर्ती पर्यटन सहित, पर्यटन का विकास और संवर्धन मुख्यतया राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ष, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त परियोजना के आधार पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दिशा निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों का पारस्परिक प्राथमिकता के

आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और संबंधित शीर्ष के अंतर्गत उपलब्धता की शर्त पर निधियां अवमुक्त की जाती हैं। वर्ष 2008-09 में केरल सरकार के लिए स्वीकृत की गई पर्यटन परियोजनाओं की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

इसके अलावा, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के लिए वर्ष 2008-09 में कोचीन पोर्ट में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु एक परियोजना के लिए 725.00 लाख रुपए की रिलीज के साथ, 1450.00 रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2008-09 में केरल में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	परियोजनाएं	स्वीकृत राशि	जारी की गई राशि
1.	कलामंडलम का गंतव्य विकास	207.36	155.52
2.	मालाप्पुरम, कोजीकोड, कनौर और कासरगोड जिले में मालाबार मांग्रोव इको पर्यटन परिपथ	349.36	279.49
3.	अष्टमुडी लेक क्रूज परिपथ का विकास	538.00	430.40
4.	क्लप्पाना गांव, जिला कोल्लम में ग्रामीण पर्यटन का विकास	49.60	39.68
5.	केरल में सूचना प्रौद्योगिकी की योजना के अंतर्गत आईटी आधारित पर्यटन परियोजनाओं का विकास	27.50	24.75

विशेष पर्यटन क्षेत्र का दर्जा

2955. श्री संजय धोत्रे: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों को विशेष पर्यटन क्षेत्र/पर्यटन स्थल वाले राज्यों का दर्जा प्रदान किया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक राज्य को वर्ष-वार अलग-अलग कितनी राशि का आबंटन किया गया?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) पर्यटन मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष पर्यटन क्षेत्रों/पर्यटक स्थलों का दर्जा प्रदान नहीं करता है।

तथापि, मंत्रालय पर्यटन परियोजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर, उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है:-

1. गंतव्यों और परिपथों के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास
2. कम्प्यूटरीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी
3. मेले, उत्सव और कार्यक्रम
4. ग्रामीण पर्यटन - अवसंरचना और सेवा प्रदाताओं हेतु क्षमता निर्माण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वीकृत की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं को दर्शाता हुआ विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06		2006-07		2007-08	
		स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि	स्वीकृत परियोजनाओं की सं.	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	7	2615.82	3	1540.56	9	2629.48
2.	असम	10	2140.00	9	2453.39	5	1271.90

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	अरुणाचल प्रदेश	10	2240.16	12	1887.80	10	3330.12
4.	बिहार	3	1212.23	2	1937.29	3	1194.75
5.	छत्तीसगढ़	7	1775.59	16	3540.17	4	1274.09
6.	गोवा	1	10.00	0	0.00	0	0.00
7.	गुजरात	5	2011.58	7	443.65	5	576.58
8.	हरियाणा	7	639.71	5	1836.16	11	2260.27
9.	हिमाचल प्रदेश	6	1645.00	8	1871.00	12	2286.22
10.	जम्मू-कश्मीर	22	6656.01	29	5233.82	36	6851.15
11.	झारखंड	5	1227.27	3	956.35	7	1130.47
12.	कर्नाटक	8	1706.52	4	1323.89	5	2004.71
13.	केरल	13	4858.88	18	4474.02	10	3124.31
14.	मध्य प्रदेश	12	3047.39	10	3668.47	16	3952.66
15.	महाराष्ट्र	9	2075.04	13	2839.05	5	1279.44
16.	मणिपुर	2	49.80	9	939.35	5	1110.77
17.	मेघालय	1	5.00	9	1435.29	2	674.40
18.	मिजोरम	10	2273.41	9	2613.38	5	1692.94
19.	नागालैंड	9	2528.97	8	2340.32	21	2241.35
20.	उड़ीसा	10	2309.61	13	2826.84	12	2376.30
21.	पंजाब	5	1437.67	13	3223.37	1	397.89
22.	राजस्थान	7	2591.87	8	953.84	2	1554.46
23.	सिक्किम	14	2844.56	13	2609.42	27	6036.48
24.	तमिलनाडु	19	4264.62	11	1866.41	13	2831.80
25.	त्रिपुरा	3	716.26	4	291.27	11	1110.76
26.	उत्तराखंड	13	2738.00	16	1907.50	5	2081.04
27.	उत्तर प्रदेश	18	3905.23	7	3329.06	7	2833.03
28.	पश्चिम बंगाल	5	989.35	10	2978.32	12	3243.17
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	6.25	0	0.00	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	चंडीगढ़	1	13.70	2	15.00	2	20.00
31.	दादरा व नगर हवेली	2	29.79	0	0.00	0	0.00
32.	दिल्ली	2	20.00	5	2400.09	7	749.08
33.	दमन व दीव	4	262.28	0	0.00	0	0.00
34.	लक्षद्वीप	0	0	1	7.00	1	782.73
35.	पुडुचेरी	2	469.39	1	500.00	6	1610.88
	कुल	253	61316.96	278	64242.08	277	64513.23

[हिन्दी]

सहकारी आधार पर दुकानों का आबंटन

2956. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ऐसे व्यक्तियों को सहकारी आधार पर दुकानों का आबंटन करने पर विचार कर रही है जिनकी रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित दुकानों को रेलवे स्टेशनों पर किए जा रहे विस्तार कार्य के कारण गिरा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। बहरहाल, प्रत्येक मंडल पर दो छोटे स्टेशनों पर मौजूदा दुकानदारों की सहकारी सोसायटियों के जरिए नियोजित शापिंग परिसर के विकास की रेलवे की नीति है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बीएचईएल में रिक्त पद

2957. श्री महावीर भगोरा: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बीएचईएल में रिक्त पड़े पदों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन सभी रिक्त पदों को कब तक भर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) बीएचईएल द्वारा निर्धारित उत्पादन लक्ष्यों तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) में गैर-बोर्ड स्तरीय रिक्त पदों और इन पदों को भरे जाने की संभावित समय निम्नानुसार है:

2005-06 : सभी रिक्त पदों को भर लिया गया है।

2006-07 : त्रिचि यूनिट में आर्टिजन की 36 रिक्तियों, जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसरण में रिक्त रखा गया था, को छोड़कर सभी पदों को भर लिया गया है। इन रिक्तियों को भरने का कार्य न्यायिक मामले के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।

2007-08 : झांसी यूनिट में आर्टिजन की 100 रिक्तियों की भर्ती प्रक्रिया न्यायालय केस के कारण स्थगित कर दी गई है और शेष सभी पदों को भर लिया गया है। केस का निर्णय अब बीएचईएल के पक्ष में हुआ है और इन रिक्तियों को मार्च, 2009 तक भरे जाने की संभावना है।

बीएचईएल के वर्तमान निदेशक मंडल में छह पूर्णकालिक निदेशक अर्थात्, एक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और पांच पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक हैं। गत तीन वर्षों के दौरान बीएचईएल में बोर्ड स्तरीय पूर्णकालिक रिक्तियां निम्नानुसार हैं:

	31.3.2006 की स्थिति के अनुसार	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	-	-	01

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद 1.3.2008 से रिक्त है। कंपनी के निदेशक (विद्युत) को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बोर्ड स्तरीय सभी पूर्णकालिक रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में बीएचईएल का उत्पादन लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रुपए में)

2005-06	लक्ष्य	वास्तविक
कारोबार	11000	14525
2006-07		
कारोबार	16000	18739
2007-08		
कारोबार	20000	21401
2008-09		

	बजट 2008-09 लक्ष्य	बजट नवम्बर, 2008 तक लक्ष्य	वास्तविक नवम्बर, 2008 तक
कारोबार	25000	13960	14173

[अनुवाद]

नि:शक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति

2958. श्री पी.एस. गड़वी:
श्री अजीत जोगी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नि:शक्त व्यक्तियों के लिए कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की है अथवा नई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सम्बद्ध कार्यकलापों की समीक्षा एवं समन्वयन के लिए सरकार द्वारा किसी समन्वय समिति का गठन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर, अधिकारों की रक्षा एवं समाज में समुचित भागीदारी प्रदान करने में नीति/पहलों का क्या प्रभाव पड़ा है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) भारत सरकार ने फरवरी, 2006 में राष्ट्रीय विकलांगजन नीति तैयार की जो विकलांगजन के शारीरिक, शैक्षिक और आर्थिक पुनर्वास से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, इस नीति में विकलांग महिलाओं और बच्चों के पुनर्वास, बाधारहित वातावरण, सामाजिक सुरक्षा, अनुसंधान आदि पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

भारत सरकार ने निजी क्षेत्र में विकलांगजन को रोजगार प्रदान करने के लिए दिनांक 1.4.2008 से नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करने की नई योजना आरम्भ की है जिसमें भारत सरकार द्वारा पहले 3 वर्षों के लिए निजी क्षेत्र में विकलांगजन को रोजगार प्रदान करने के लिए नियोक्ताओं का कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान का भुगतान किए जाने की व्यवस्था है। योजना 25000 रुपए प्रति माह तक मजदूरी पाने वाले व्यक्तियों के लिए है।

(ग) और (घ) जैसा कि नि:शक्तजन (समान असर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में व्यवस्था है, सरकार के सभी विभागों और अन्य संगठनों जो विकलांगजन से संबंधित मामलों को देखते हैं, के कार्यकलापों की समीक्ष और समन्वय के लिए केन्द्रीय समन्वयन समिति अस्तित्व में है जो सार्वजनिक स्थानों में बाधारहित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने, विकलांगजन के लिए समानता और पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित नीतियों और कार्यक्रमों की निगरानी करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी है।

(ङ) नीतियों और अन्य पहलों का प्रमुख प्रभाव निम्नानुसार है:-

(1) शारीरिक पुनर्वास

* विकलांगजन के लिए सहायक यंत्र और उपकरण की खरीद/फिटिंग योजना के अंतर्गत 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के लिए क्रमश: 3.12 लाख, 3.06 लाख और 2.25 लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं।

(2) शैक्षिक पुनर्वास

* 30 सितम्बर, 2008 तक 27.23 लाख विकलांग बच्चों को सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत पहचाना गया है जिनमें से 22.53 लाख बच्चों को सामान्य विद्यालयों में पंजीकृत किया गया है। 0.88 लाख विकलांग बच्चों को शिक्षा गारन्टी योजना और वैकल्पिक तथा नवीन शिक्षा योजना के अंतर्गत लाया गया है और 1.12 लाख विकलांग बच्चों को गृह-आधारित शिक्षा प्रदान की जा रही है।

* विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत 18 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों को 64,307 विद्यालयों के लिए सहायता दी गई है जिनमें 2007-08 में 3.57 लाख विकलांग बच्चों ने अध्ययन किया।

* ''दीनदयाल विकलांगजन पुनर्वास योजना'' के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित विशेष शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लगभग 700 संस्थानों में लगभग 80,000 विकलांग बच्चों को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

* प्रति वर्ष 16,950 विशेष अध्यापकों को विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

(3) आर्थिक पुनर्वास

* राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से 2005-06, 2006-07 और 2007-08 में स्व-रोजगार उपक्रमों के लिए विकलांगजन को क्रमश: 23.44 करोड़ रुपए, 25.95 करोड़ रुपए और 28.44 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं।

उड़ीसा के कोरापुट जिले में विमानपत्तन का निर्माण

2959. श्री परसुराम माझी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उड़ीसा के कोरापुट जिले में एक घरेलू विमानपत्तन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव का कार्यान्वयन ग्यारहवीं योजना के दौरान किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे की खानपान नीति

2960. श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि 2005 की खानपान नीति ने स्माल कैटरिंग एंड वैंडिंग कान्ट्रेक्टर्स को समाप्त कर दिया है जिनकी धारिता 'क', 'ख' एवं 'ग' स्टेशनों पर एक स्टाल एवं ट्राली तक सीमित थी;

(ख) यदि हां, तो क्या स्माल वैंडिंग कान्ट्रेक्टर्स को हटाने के बाद संपूर्ण रेलवे में बड़ी संख्या में खानपान एवं बिक्री स्टालों का आबंटन एक निकाय/व्यक्ति को कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, स्माल वैंडिंग कान्ट्रेक्टर्स की संख्या कितनी है जो बेरोजगार हो गए हैं; और

(घ) इस संबंध में रेलवे द्वारा किन सुधारात्मक उपायों को किए जाने पर विचार किया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उर्वरकों की तस्करी

2961. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री श्रीपाद येसो नाईक:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत से बड़े पैमाने पर उर्वरकों को तस्करी के द्वारा बांग्लादेश और नेपाल ले जाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों से तस्करी की जा रही है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी वार्षिक क्षति होने का अनुमान है; और

(घ) उर्वरकों की तस्करी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (घ) उर्वरकों की भारत से बांग्लादेश और नेपाल में तस्करी की ऐसी कोई रिपोर्ट राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, राज्य सरकारों को उर्वरक विभाग द्वारा यह सलाह दी गई है कि वे भारत से अन्य पड़ोसी देशों में भूमि और समुद्री रास्तों से उर्वरकों की तस्करी पर नजर रखें और उसको रोकें।

इसी प्रकार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा की सुरक्षा करने वाले बलों नामत: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, असम राइफल्स और सशस्त्र सीमा बल तथा कोस्ट गार्ड को भी उर्वरकों की तस्करी को रोकने के लिए सीमा पर कड़ी निगरानी बनाए रखने के लिए आगाह किया है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय गृह सचिव ने अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल सरकारों के मुख्य सचिवों को भी संबोधित किया है कि वे पड़ोसी देशों में उर्वरकों की तस्करी पर रोक लगाने के संबंधित अधिकारियों को सचेत करें।

[अनुवाद]

रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं

2962. श्री जे.एम. आरुन रशीद: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने गत तीन वर्षों के दौरान भारी मुनाफा अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे की योजना इस मुनाफे का एक भाग यात्रियों, विशेषकर लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए व्यय करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस परिधि में लाए जाने वाली संभावित रेलगाड़ियों, विशेषकर दक्षिणी राज्यों में चलाई जाने वाली रेलगाड़ियों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सृजित सरप्लस निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	सरप्लस
2005-06	6193.32
2006-07	10206.32
2007-08	13431.09

(ख) 2007-08 के दौरान यात्री सुविधाओं पर किया गया खर्च 669 करोड़ रुपए (एकल) था तथा वित्त वर्ष 2008-09 के लिए 852.50 करोड़ रुपए (बजट अनुमान) मुहैया कराया गया है।

(ग) गाड़ी-वार और राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

सीएनजी/एलपीजी कारों का उत्पादन

2963. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में संपीड़ित प्राकृतिक गैस/तरलीकृत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (सीएनजी/एलपीजी) कारों का श्रेणी-वार और वर्ष-वार कुल कितना उत्पादन एवं बिक्री हुई;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सीएनजी/एलपीजी कारों के उत्पादन के प्रतिशत में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सीएनजी/एलपीजी कारों के उपयोग के कारण ईंधन लागत में कुल कितनी बचत हुई?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा): (क) और (ख) सोसाइटी आफ आटोमोबाईल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान देश में संपीड़ित प्राकृतिक गैस/तरलीकृत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (सीएनजी/एलपीजी) कारों के उत्पादन और बिक्री का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

प्रकार	उत्पादन (संख्या)			बिक्री (संख्या)		
	2005-06	2006-07	2007-08	2005-06	2006-07	2007-08
सीएनजी	224	225	149	224	225	149
एलपीजी	12,862	41,783	51,529	12,862	41,783	51,529

एसआईएएम ने यह भी सूचित किया है कि सीएनजी वाहनों के आंकड़े केवल हिन्दुस्तान मोटर्स से संबद्ध है क्योंकि अन्य विनिर्माता अपने कारखानों में सीएनजी वाहनों का उत्पादन नहीं करते हैं। इस उद्योग के पास फैक्टरी से बाहर लगाए गए सीएनजी किट वाले वाहनों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि गत तीन वर्षों के दौरान एलपीजी उत्पादन/बिक्री की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है जबकि 2007-08 में सीएनजी के उत्पादन/बिक्री में गिरावट हुई है।

(ग) सीएनजी और एलपीजी वाहनों की संख्या के आंकड़े उद्योग के एसोसिएशन अर्थात् एसआईएएम अथवा इस विभाग द्वारा नहीं रखे जाते है। इस प्रकार ईंधन लागत पर बचत के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक स्थलों का विकास

2964. श्री संतोष गंगवार: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक महत्व वाले स्थलों के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है/तैयार किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्थलों के जिला-वार नाम एवं ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) सांस्कृतिक महत्व के स्थलों के विकास तथा संवर्धन का कार्य मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यटन संबंधी ऐसी परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को वित्तीय सहायता देता है जिन्हें राज्य सरकारों/प्रशासनों के परामर्श से चिन्हित किया जाता है। 10वीं योजना के दौरान, उत्तर प्रदेश में पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए 9589.88 लाख रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता मंजूर की गई थी। वर्ष 2007-08 के दौरान और 2008-09 में आज तक उत्तर प्रदेश में पर्यटन संबंधी परियोजनाओं के लिए 2390.47 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई थी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सांस्कृतिक योजनाएं

2965. श्री पी.सी. गद्दीगउडर: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अपने उत्तरदायित्व को कम करने तथा देश के जोनों को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए सभी केन्द्रीय संस्कृति योजनाओं का हस्तांतरण देश के संस्कृति जोनों को करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, नहीं। संस्कृति मंत्रालय की सभी स्कीमों को क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों को हस्तांतरित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जिरिबाम-तुपुल से रेलवे लाइन

2966. डा. टोकचोम मैन्या: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जिरिबाम-तुपुल रेलवे लाइन की समय-सीमा 2010 से बढ़ाकर 2012 कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना में हुई प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां, जिरिबाम से तुपुल तक रेल लाइन को बिछाने के कार्य को अब मार्च, 2012 तक पूरा कर लिए जाने की योजना है।

(ख) तिपईमुख बांध और इंफाल तक इसे जोड़ने के कारण लाइन के संरेखण को संशोधित किया जाना था इसलिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण में समय अधिक लगा। प्रतिकूल कानून एवं व्यवस्था की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भी कार्य प्रभावित हुआ है।

(ग) 68 किमी. हेतु अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। तुपुल छोर से 20 किमी. लंबा भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है और 9.9 किमी. भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है। जिरिबाम छोर से 9.9 किमी. पर कार्य आरंभ किया जा चुका है। तुपुल छोर से 16.6 किमी. हेतु मिट्टी संबंधी कार्य के लिए ठेका दे दिया गया है और 3.12.2008 से कार्य भी आरंभ हो गया है।

मुरादाबाद में हवाईपट्टी का निर्माण

2967. डा. शफीकुर्रहमान बर्क: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुरादाबाद जिले (उ.प्र.) में हवाईपट्टी का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में मुरादाबाद में एक मिनी एयरपोर्ट की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले में हवाईपट्टी के निर्माण का कार्य आरंभ नहीं किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

किन्नरों एवं भिखारियों का खतरा

2968. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यात्रियों को चलती रेलगाड़ियों में किन्नरों एवं भिखारियों के बढ़ते खतरे की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो रेलगाड़ियों में तथा रेलवे प्लेटफार्मों पर इन व्यक्तियों की गतिविधियों को रोकने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) चलती गाड़ियों में हिजड़ों और भिखारियों के कुछ मामले ध्यान में आए हैं। गाड़ियों और रेलवे प्लेटफार्मों पर हिजड़ों और भिखारियों की बुराई की जांच करने के लिए रेल सुरक्षा बल/ राजकीय पुलिस के सहयोग से टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा नियमित अभियान चलाए जाते हैं। पकड़े गए ऐसे व्यक्तियों के प्रति नियमानुसार कार्रवाई की जाती है तथा स्टेशन परिसरों तथा गाड़ियों से निकाला जाता है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) के गैस मूल्य का संशोधन

2969. श्री स्वदेश चक्रवर्ती: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केजी बेसिन से गैस उपलब्ध होते ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) के गैस मूल्य का संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आरआईएल ने सरकार से गैस का मूल्य बढ़ाकर 4.20 डालर प्रति यूनिट करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम 2.2 डालर प्रति यूनिट मूल्य पर गैस की आपूर्ति कर रही है; और

(च) यदि हां, तो गैस का मूल्य बढ़ाकर 4.20 डालर प्रति यूनिट करने की आरआईएल की मांग का क्या आधार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) जी नहीं। गैस मूल्य में वृद्धि के लिए आरआईएल द्वारा सरकार को कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) प्रशासित मूल्य तंत्र व्यवस्था (एपीएम) के तहत ओएनजीसी द्वारा एपीएम गैस विद्युत और उर्वरक क्षेत्रों को 3200 रु. प्रति हजार मानक घन मीटर (टीएससीएम) तथा परिवहन क्षेत्र और न्यायालय से अधिदेश प्राप्त छोटे उपभोक्ताओं को 3840 रु. प्रति हजार मानक घन मीटर पर आपूर्ति की जा रही है। उत्तर-पूर्व में, उपभोक्ताओं की कथित श्रेणियों को क्रमश: 1920 रु. प्रति एमएससीएम तथा 2304 रु. प्रति एमएससीएम पर आपूर्ति की जाती है। एक अमरीकी डालर 45/- रु. की दर से, इन मूल्यों को क्रमश: 1.792 अमरीकी डालर प्रति एमएमबीटीयू, 2.15 अमरीकी डालर प्रति एमएमबीटीयू, 1.076 अमरीकी डालर प्रति एमएमबीटीयू तथा 1.20 अमरीकी डालर प्रति एमएमबीटीयू माना गया है। एपीएम मूल्य की पीएससीज के तहत बाजार निर्धारित मूल्यों के साथ तुलना नहीं की जाती।

[हिन्दी]

अल्कोहल के उत्पादन में कमी

2970. श्री मोहन सिंह: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2007-08 के दौरान देश में कितनी मात्रा में अल्कोहल का उत्पादन हुआ और यह पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में कितने प्रतिशत कम था;

(ख) क्या उत्पादन में कमी चीनी मिलों द्वारा शीरा के कम उत्पादन के कारण हुई है;

(ग) यदि हां, तो क्या अल्कोहल के कम उत्पादन से भेषज कंपनियां, शराब एवं बीयर कंपनियां प्रभावित हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश में इसके द्वारा शराब एवं बीयर के उत्पादन की कितनी मात्रा प्रभावित हुई?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 10 प्रमुख अल्कोहल उत्पादक राज्यों के संबंध में अल्कोहल उत्पादन मिलियन लीटरों में निम्न प्रकार है:

वर्ष	उत्पादन, मिलियन लीटर
2004-05	1130.5
2005-06	1574.9
2006-07	2393.3

2007-08 का अनंतिम आंकड़ा यह दर्शाता है कि 2006-07 की तुलना में गन्ने की पिराई और उत्पादित सीरा लगभग 6.4% कम रहा। तदनुसार यह अनुमान है कि 2007-08 में अल्कोहल का उत्पादन भी कम हो सकता है।

(ग) और (घ) ऐसी कोई विशिष्ट सूचना नहीं है कि अल्कोहल के कम उत्पादन से औषधीय, शराब और बीयर कंपनियों पर प्रभाव पड़ा है। तथापि, अल्कोहल का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है तथा अल्कोहल की कमी की पूर्ति आयात से की जाती है।

जीवन रक्षक दवाओं एवं उर्वरकों पर राजसहायता

2971. श्री टेक लाल महतो: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जीवनरक्षक दवाओं एवं कुछ महत्वपूर्ण उर्वरकों पर दी जा रही राजसहायता वापस लेने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार किन-किन दवाओं पर उक्त राजसहायता वापस लेने पर विचार कर रही है; और

(घ) इस राजसहायता को वापस लेने से होने वाली बचत राशि का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) सरकार द्वारा जीवन रक्षक दवाओं पर कोई राजसहायता नहीं दी जाती है। इसके अतिरिक्त, उर्वरकों पर राजसहायता वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फ्रांस रेलवे के साथ समझौता ज्ञापन

2972. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे अवसंरचना के उन्नयन हेतु रेलवे ने फ्रांस रेलवे के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौता ज्ञापनों से प्राप्त लाभों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) भारतीय रेल और सोसाइटे नेशनेल डेस केमिन्स डी फर फ्रांसिस (एसएनसीएफ), दी फ्रेंच नेशनल रेलवेज के बीच आपसी हित में रेल संबंधित परियोजनाओं में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मई, 2008 में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था। सहयोग के निर्धारित क्षेत्रों में रेल सेक्टर में सिगनल एवं दूरसंचार, चल-स्टाक डिजाइन एवं अनुरक्षण प्रक्रियाएं, उच्च गति वाली रेल परियोजनाओं का विकास एवं परिचालन, संरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास शामिल हैं।

(ग) समझौता ज्ञापन से तकनीकी विशेषज्ञों की बैठकों, अन्य संस्थानों और सुविधाओं के बीच आसानी होगी। समझौता ज्ञापन के आपसी सहयोग एवं परिणामी लाभ एक चालू प्रक्रिया है जो नवीनतम प्रौद्योगिकियों एवं बेहतर प्रक्रियाओं को एक्सपोजर करने में समर्थ होगा।

पर्यटन का विकास

2973. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों (एमआईसीई) पर बहुत जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे देश में पर्यटकों के आगमन को किस प्रकार प्रोत्साहन मिलने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) जी, हां। भारत तथा विदेश में पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से एमआईसीई सहित बहु-आकर्षण पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन किया जा रहा है। भारत में बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी (एमआईसीई) पर्यटन के संवर्धन हेतु सम्भावित बाजारों में सम्मेलन पर्यटन पर साहित्य एवं सीडी वितरित किए जा रहे हैं। वर्ष 2007-08 में वित्त मंत्रालय ने दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और फरीदाबाद, गुड़गांव, गौतम बुद्ध नगर तथा गाजियाबाद में समागम केन्द्रों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80-आईडी (1) के अंतर्गत पांच वर्ष के कर अवकाश की घोषणा की है।

(ग) भारत ने सितम्बर, 2008 में हैदराबाद, भारत में सफलतापूर्वक ट्रेवल मार्ट 2008 की मेजबानी की। पाटा ट्रेवल मार्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल मार्ट है और इस कार्यक्रम की मेजबानी ने, न सिर्फ एक पर्यटक गंतव्य, बल्कि, सम्मेलनों एवं समागमों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में भारत को प्रोजेक्ट करने का अवसर प्रदान किया है, जिससे कि देश में व्यावसायिक यात्रा को बढ़ावा दिया जा सके।

मेट्रो रेल

2974. श्री रूपचन्द्र मुर्मू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेट्रो रेल ने दमदम से दक्षिणेश्वर तक प्रस्तावित नेटवर्क विस्तार संबंधी आरंभिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे के पास दमदम से दक्षिणेश्वर तक नई रेल लाइन के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) बारानगर के रास्ते दमदम से दक्षिणेश्वर तक मेट्रो रेलवे, कोलकाता के विस्तार के लिए एक प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया है। तकनीकी एवं संरक्षा संबंधित पहलुओं सहित सर्वेक्षण रिपोर्ट जांचाधीन हैं। सर्वेक्षण की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

लाइन की लंबाई (विस्तार) : 7.2 किमी. ('वाई' साइडिंग सहित)

परियोजना की अनुमानित लागत : 536.95 करोड़ रुपए

मार्ग : नौपाड़ा और बारानगर के रास्ते दमदम में दक्षिणेश्वर तक

लागत में भागीदारी :

रेलवे : 50 प्रतिशत

पश्चिम बंगाल सरकार : 50 प्रतिशत

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ए-वन का दर्जा देना

2975. श्री अनन्त नायक: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सरकारी उपक्रम कंपनियों विशेषकर सरकारी तेल उपक्रमों को ए-वन का दर्जा देने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान सरकारी तेल उपक्रमों सहित सरकार द्वारा जिन सरकारी उपक्रम कंपनियों को ए-वन का दर्जा दिया गया है उनके क्या नाम है;

(ग) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड की तर्ज पर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को ए-वन का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को उक्त दर्जा कब तक दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के मौजूदा वर्गीकरण ए, बी, सी, डी को बनाए रखने का निर्णय लिया है और इसलिए किसी सीपीएसई को ए+वन का दर्जा देने तथा किसी सीपीएसई को ए+वन दर्जा देने के लिए मानदंड का प्रश्न नहीं उठता।

निजी क्षेत्र में नि:शक्त व्यक्तियों को रोजगार

2976. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री बापू हरी चौरे:
श्री पन्नियन रवीन्द्रन:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में निजी क्षेत्र में एक लाख नि:शक्त लोगों को रोजगार देने संबंधी योजना की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत अब तक एक भी नियुक्ति नहीं हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) 2007-08 के बजट भाषण में सरकार ने शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपए प्रति माह की वेतन सीमा के साथ एक योजना के माध्यम से लगभग 1,00,000 नौकरियों को सृजित करने के लिए समर्थन देने का वचन दिया था जिसमें सरकार ने नियोक्ताओं को शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के नियमित होने और योजना के अंतर्गत पंजीकृत होने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की प्रतिपूर्ति पहले 3 वर्षों के लिए करने की सहमति दी थी। तदनुसार, निजी क्षेत्र में विकलांगजन को रोजगार प्रदान करने के लिए दिनांक 1.4.2008 से नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करने की केन्द्रीय क्षेत्र योजना आरम्भ की है जिसमें पहले 3 वर्षों के लिए निजी क्षेत्र में विकलांगजन को रोजगार प्रदान करने के लिए नियोक्ताओं को 1.4.2008 को अथवा बाद में नियुक्त विकलांगजन की कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान का भुगतान किए जाने की व्यवस्था है। योजना 25000 रुपए प्रति माह तक मजदूरी पाने वाले व्यक्तियों के लिए है।

जबकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 33 विकलांग कर्मचारियों के बारे में योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन लेने के लिए दावे प्राप्त करने की सूचना दी है, कर्मचारीय राज्य बीमा निगम ने अब तक ऐसे 21 कर्मचारियों को शामिल किए जाने की सूचना दी है।

(घ) और (ङ) योजना के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

* इस योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 26 जनवरी, 2008 को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, वाणिज्य और उद्योग चैम्बरों और विकलांगता क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को भेजा गया था।

* श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 31.3.2008 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक अधिसूचना जारी की और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने मई, 2008 में अपने-अपने कार्यालयों को योजना के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए।

* सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम को क्रमश: 1 करोड़ रुपए और 50 लाख रुपए की अग्रिम राशि नियोक्ताओं के अंशदान का वैध दावे प्राप्त होने के बाद भुगतान करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु संस्वीकृत की है।

* योजना के बारे में विज्ञापनों को नियमित अंतराल पर समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा रहा है।

* सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपनी-अपनी वेबसाइट पर इस योजना को प्रमुखता से विज्ञापित किया है।

* सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अगस्त, 2008 में सभी राज्य मुख्यमंत्रियों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों को व्यक्तिगत रूप से यह अनुरोध करते हुए पत्र लिखा कि वे योजना का प्रचार-प्रसार करें और इसकी प्रगति की नियमित रूप से निगरानी करें।

* सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अक्टूबर, 2008 में फिक्की, सीआईआई, नेस्काम, एसोचैम और पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से यह अनुरोध करते हुए पत्र लिखा कि योजना का व्यापक प्रचार किया जाए और अपने सदस्यों को नि:शक्त व्यक्तियों को नियुक्त करके योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

* फिक्की ने 17 अक्तूबर, 2008 को विकलांगजन को रोजगार देने में उद्योग जगत को शामिल करने के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।

* विकलांगजन को रोजगार देने और योजना का प्रचार करने के लिए सितम्बर, 2008 में सर्वोत्तम विकलांगजन नियोक्ता राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले 20 नियोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया गया।

* 17-18 अक्तूबर, 2008 को आयोजित सम्मेलन में राज्य कल्याण सचिवों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में योजना का तत्परता से कार्यान्वयन करें।

* योजना के लिए गठित उच्च स्तरीय निगरानी समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ योजना के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने के लिए आवश्यक कदमों पर विचार करने के लिए अब तक दो बैठकें आयोजित की हैं।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की इक्विटी में कमी

2977. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी इक्विटी 51% से कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार सरकार के हिस्से का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा): (क) और (ख) केंद्रीय सरकारी उद्यमों में विनिवेश की नीति का उल्लेख राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि सामान्य तौर पर लाभार्जनकारी कंपनियों का निजीकरण नहीं किया जाएगा।

(ग) इस संबंध में दिनांक 31 मार्च, 2007 तक की जानकारी दिनांक 28.2.2008 को संसद में प्रस्तुत अद्यतन लोग उद्यम सर्वेक्षण 2006-07, जो एक सरकारी दस्तावेज है, के विवरण संख्या-10 में उपलब्ध है।

[अनुवाद]

सिर पर मौला ढोने वालों का पुनर्वास

2978. श्री हरिन पाठक: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिर पर मौला ढोने वालों के पुनर्वास से संबंधित योजनाओं को समुचित ढंग से लागू करने के लिए निगरानी तंत्र क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास इस योजना के लिए केन्द्रीय हिस्सेदारी में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) और इस मंत्रालय के अन्य शीर्ष निगमों द्वारा मैनुअल स्केवेंजरों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना (एसआरएमएस) के तहत निर्धारित मानीटरिंग मेकेनिजम के अनुसार योजना को मानीटर किया जा रहा है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में भी समिति गठित की गई है ताकि कार्यान्वयन आगे बढ़े और महत्वपूर्ण मुद्दों पर यथा समय निर्णय हो। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भी कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन एवं मैनुअल स्केवेंजरों के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास की समीक्षा कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा भी विभिन्न स्तरों पर नियमित तौर पर योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नवरत्न कंपनियां

2979. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई नवरत्न कंपनियों ने इक्विटी बाजार से धनराशि जुटाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन कंपनियों को जनता से धनराशि जुटाने की अनुमति नहीं दे रही है जिसके परिणामस्वरूप इन कंपनियों की विस्तार योजनाओं के बुरी तरह प्रभावित होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो इन कंपनियों की पेशकश को नामंजूर किए जाने की पीछे क्या तर्क है; और

(ङ) इन कंपनियों के नवरत्न के दर्जे को बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा): (क) से (घ) सरकार ने राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) में सरकारी क्षेत्र के बारे में अपनी नीति का प्रतिपादन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि सरकार वर्तमान "नवरत्न" कंपनियों को सरकारी क्षेत्र में बनाए रखेगी और साथ ही इन कंपनियों को पूंजी बाजार से संसाधन जुटाने की अनुमति दी जाएगी। एनसीएमपी में यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकारी कंपनियों को संसाधन जुटाने के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करने तथा छोटे निवेशकों को निवेश के नए अवसर प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार ने सिद्धांत तौर पर केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के बड़े व लाभार्जनकारी उद्यमों को घरेलू शेयर बाजारों में सूचीबद्ध करने का निर्णय किया है।

(ङ) केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान करने/वापस लेने का निर्णय कार्य-निष्पादन से संबंधित छः चुनिंदा मानदण्डों के लिए प्रदत्त संयुक्त अंक के साथ-साथ शीर्ष समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किया जाता है। सरकार ने केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के नवरत्न उद्यमों के निदेशक मण्डलों को पूंजीगत व्यय, संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में निवेश, मानव संसाधन प्रबंधन आदि के क्षेत्र में अधिक शक्तियों का प्रयोग करने की भी अनुमति दी है।

राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना

2980. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास असम में कोई राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके लिए स्थान की पहचान कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इससे विषयवार कितने शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पद सृजित होंगे और इसमें कितने विद्यार्थियों को लिया जा सकता है; और

(च) उक्त प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इससे संबंधित कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (च) सरकार का तेल और गैस क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीआईपीटी) का एक विस्तार केन्द्र गुवाहाटी में स्थापित करने का प्रस्ताव है। मंत्रालय ने इस मामले में आरजीआईपीटी से एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

मलयालम को प्राचीन भाषा का दर्जा

2981. श्री पन्नियन रवीन्द्रन:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मलयालम भाषा को प्राचीन भाषा का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कच्चे तेल का उत्पादन और आयात

2982. श्री रामजीलाल सुमन:
डा. अरुण कुमार शर्मा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आगामी और विगत दशकों में आयात आवश्यकता का प्रतिशत दर्शाते हुए कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन तथा आयात का अनुपात कितना है; और

(ख) नई खोज लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) को शुरू किए जाने के बाद देश के उत्पादन परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आगामी दशकों में एनईएलपी ब्लाकों में अनुमानत: कितना योगदान मिलेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) वर्ष 2007-08 में कच्चे तेल का घरेलू उत्पादन 34.11 एमएमटी था। इसी वर्ष के दौरान कच्चे तेल का आयात 121.67 एमएमटी था। पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए देश ने 150.8 एमएमटी कच्चे तेल का संसाधन किया है। इसमें से घरेलू कच्चा तेल 19.96% आकलित किया गया और शेष 80.04% आयातित कच्चा तेल आकलित किया

गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष (2011-12) तक आयातित कच्चे तेल का अंश, संसाधित कुल कच्चे तेल का लगभग 86.3% होने का अनुमान है।

(ख) सरकार ने एनईएलपी के 6 दौरों के तहत 162 अन्वेषण ब्लाक प्रदान किए हैं। एनईएलपी के सातवें दौर के तहत 44 ब्लाक प्रदान किए गए हैं और निकट भविष्य में ब्लाक पाने वाली कंपनी/परिसंघ के साथ 44 ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। एनईएलपी ब्लाकों में कुल 68 तेल एवं गैस खोज की गई हैं। खोज एमए, डी1 एवं डी3 से तेल एवं गैस का लगभग 1.7 एमएमटी तेल एवं 30 बीसीएम गैस का अतिरिक्त उच्चतम वार्षिक उत्पादन होने की संभावना है। अन्य खोजें मूल्यांकन और वाणिज्यिकता के विभिन्न चरणों में है। तेल एवं गैस की मात्रा का पता उनकी क्षेत्र विकास योजना के अनुमोदन के बाद चलेगा।

[अनुवाद]

इस्पात कंपनियों की स्थापना हेतु एमओयू

2983. डा. राजेश मिश्रा: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस्पात कंपनियों की स्थापना हेतु केंद्र/राज्य सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी कंपनियों की स्थापना की गई है; और

(घ) नई इस्पात क्षमताओं के उत्पन्न न होने का क्या कारण है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद): (क) से (ग) इस्पात मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के रिकार्ड के अनुसार पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान खनिज समृद्ध राज्यों झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में लोहा और इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए कंपनियों के नाम सहित हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों, परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति, उनका राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) इस्पात परियोजनाएं पूंजीपरक और संसाधनपरक हैं और अधिकांश प्रमुख परियोजनाएं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण

उन इस्पात संयंत्र परियोजनाओं की सूची, जिनके लिए उड़ीसा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये गये

क्र.सं.	कंपनी का नाम	स्थिति	क्षमता: एमटीपीए	निवेश करोड़ रुपये में	समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की तिथि	वर्तमान स्थिति एवं प्रगति
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै. पटनायक स्टील एंड एलॉय लि.	पूरनपानी, जोडा, क्योंझर	0.27	337.42	4.5.2005	उत्पादन शुरू होने की संभावना
2.	मै. राठी उद्योग लि.	पोटापाली-सिकरीडी, संबलपुर	0.30	272.85	4.5.2005	भूमि अधिग्रहण के चरण में
3.	मै. विराज स्टील एंड एनर्जी लि.	कुरूपाडी पांड्यालोई, संबलपुर	0.30	207.00	4.5.2005	स्पंज लोहे इस्पात का उत्पादन शुरू
4.	मै. दीपक स्टील्स एंड पावर लि.	टोपोडीह, बारबिल, क्योंझर	0.25	195.31	4.5.2005	स्पंज लोहे का उत्पादन शुरू
5.	मै. कोणार्क इस्पात लि.	हीरमा, झारसुगुडा	0.25	196.50	4.5.2005	भूमि अधिग्रहण के चरण में
6.	मै. बीके स्टील एंड पावर लि.	उलीबुरू, बारबिल, क्योंझर	0.28	319.80	4.5.2005	स्पंज लोहे का उत्पादन शुरू
7.	मै. बीआरजी आयरन एंड स्टील कं. (प्रा.) लि.	खुरुंटी, धेनकानाल	0.25	228.05	4.5.2005	स्पंज लोहे का उत्पादन शुरू
8.	मै. जैन स्पंज (प्रा.) लि.	डुरलागा, झारसुगुडा	0.30	251.77	4.5.2005	उत्पादन शुरू होने की संभावना

1	2	3	4		5	6	7
9.	मै. जिंदल स्टैनलैस लि.	डुबुरी, जाजपुर	चरण-I चरण-II	0.8 0.8	1,612.00 5,016.00	9.6.2005	फैरो क्रोम का उत्पादन शुरू
10.	मै. रूंगटा माईन्स लि.	कमाण्डो, निकट कोईरा, सुंदरगढ़ व झारबंद धेनकानाल (प्रत्येक 1 एमटीपीए)		2.00	2275.00	3.11.2005	भूमि अधिग्रहण के चरण में
11.	मै. ब्रांड एलाय लि.	फलसपान्गा, क्योंझर		0.27	307.54	3.11.2005	भूमि अधिग्रहण के चरण में
12.	मै. ईस्टर्न स्टील्स एंड पावर लि.	लेहांडाबुड, झारसुगुडा		0.25	254.00	3.11.2005	स्पंज लोहे का उत्पादन शुरू
13.	मै. जय बालाजी ज्योति स्टील्स लि.	तानीसर, निकट लाठीकाटा सुंदरगढ़		0.33	321.14	3.11.2005	स्पंज लोहे और इस्पात का उत्पादन शुरू
14.	मै. वेलस्पून पावर एंड स्टील्स लि.	भादरक जिला या कटक या राज्य में कोई और उचित स्थान		3.00	5828.15	1.10.2006	भूमि अधिग्रहण के चरण में
15.	मै. उत्तम गालभा स्टील्स लि.	स्थान अभी तक निश्चित नहीं		3.00	6103.80	3.10.2006	भूमि अधिग्रहण के चरण में
16.	मै. एसएसएल इनर्जी लि.	नौहाटा निकट बनरपाल, अंगुल	चरण-I चरण-II	3.00	4339.00 4270.00	21.12.2006	भूमि अधिग्रहण के चरण में
17.	मै. एमजीएम स्टील्स लि.	नीमडीह, मोटागांव, धेनकनाल		0.25	208.10	22.12.2006	भूमि अधिग्रहण के चरण में
18.	मै. सुरेन्द्र माईनिंग इंडस्ट्रीज प्रा.लि.	ब्रहामुस नीमडीह, मोटागांव, धेनकनाल, बोनाई, सुंदरगढ़		0.25	221.62	22.12.2006	स्पंज लोहे का उत्पादन शुरू
19.	मै. क्रैकर्स इंडिया (एलायज) लि.	गोबर्धनपुर, क्योंझर		0.25	236.39	22.12.2006	स्पंज लोहे का उत्पादन शुरू
20.	मै. ब्राहमनी रीवर पेल्लेट लि.	टोंटो, नाल्दा क्योंझर एंड डुबुरी जाजपुर में		4.00 (पैलेट संयंत्र)	1485.00	15.3.2008	-
21.	मै. प्रधान स्टील एंड पावर (प्रा.) लि.	डुबुसिया, आथागढ, कटक		0.50	606.00	29.1.2008	-
22.	मै. टेक्टोन इस्पात प्रा.लि.	टारकाबेडा धेनकनाल		0.25	291.00	29.1.2008	-
23.	मै. आया माईन्स प्रा.लि.	टारकाबेडा धेनकनाल		0.25	227.13	29.1.2008	-

उन मेगा स्टील प्लाण्ट परियोजनाओं की सूची, जिनके लिए उड़ीसा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये गये

क्र.सं.	कंपनी का नाम	स्थिति	क्षमता: एमटीपीए	निवेश करोड़ रुपये में	समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की तिथि	वर्तमान स्थिति एवं प्रगति
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै. एस्सार स्टील उड़ीसा लि.	पारादीप	4.00	10,721	21.4.2005	भूमि अधिग्रहण के चरण में
2.	मै. पोस्को इंडिया प्रोजेक्ट (प्रा.) लि.	पारादीप	12.00	51,000	22.6.2005	भूमि अधिग्रहण के चरण में

1	2	3	4	5	6	7
3.	मै. जिंदल स्टील एंड पावर लि.	दिवोझर, क्योंझर में सन्धीकरण संयंत्र और अंगुल में इस्पात संयंत्र	6.00	13,135.02	3.11.2005	भूमि अधिग्रहण के चरण में
4.	मै. भूषण स्टील एंड स्ट्रिप्स लि.	मौरामुंडली, धेनकनाल	3.00	5,828.15	3.11.2005	स्पंज लोहे और इस्पात बिलेटों का उत्पादन शुरू
5.	मै. मित्तल स्टील कं.लि. एन.वी.	पटना, क्योंझर	12.00	40,000	21.12.2006	भूमि का पता लगा लिया गया है। डीपीआर प्रस्तुत नहीं की गयी है।

उन आयरन एण्ड इस्पात संयंत्र परियोजनाओं की सूची जिनके लिए झारखण्ड सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं

क्र.सं.	कंपनी का नाम	स्थान-स्थिति	क्षमता: एमटीपीए	निवेश करोड़ रुपए	समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने की तारीख	मौजूदा स्थिति और प्रगति
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै. बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड	चांडिल	क. स्पांज आयरन 0.21 ख. स्टील 0.5 ग. पिग आयरन 0.5	591.00	12.4.2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
2.	मै. अनिन्दीता ट्रेडर्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	रामगढ़	क. स्पांज आयरन 0.334	94.00	12.4.2005	पहला फेस चालू हो गया है
3.	मै. नारभराम गैस पोइंट प्राइवेट लिमिटेड	जमशेदपुर	क. स्पांज आयरन 0.135 ख. स्टील 0.045	200.00	12.4.2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
4.	मै. गोयल स्पांज प्राइवेट लिमिटेड	डब्ल्यू सिंघभूम	क. स्पांज आयरन 0.115 ख. स्टील 0.09	67.00	12.4.2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
5.	मै. रूंगटा माइंस लिमिटेड	चैम्बासा	क. स्पांज आयरन 0.51	517.00	12.4.2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
6.	मै. राज रैफ्रेक्टरीस (प्राइवेट) लिमिटेड	दुंदू	क. स्पांज आयरन 0.6 ख. स्टील 0.06	68.50	12.4.2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
7.	मै. कानटीस्टील लिमिटेड	चांडिल	क. स्पांज आयरन 1.2, ख. स्टील 1.4 ग. तरल स्टील 1.25	1560.00	18.7.2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
8.	मै. कोहिनूर स्टील प्राइवेट लिमिटेड	बुलन्दीह चांडिल के पास	क. स्पांज आयरन 0.225 ख. पिग आयरन 0.12	410.00	18.7.2005	पहला फेस चालू हो गया है
9.	मै. जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड	घाटशीला	क. स्पांज आयरन 5.0 ख. स्टील 5.0	11500.00	5.7.2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
10.	मै. भूषण पावर स्टील लिमिटेड	आसनबोनी, जमशेदपुर	क. स्पांज आयरन 1.5, ख. स्टील 3.0	6510.00	23.7.2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6	7
11.	मै. कल्याणी स्टील लिमिटेड	सिल्ली, रांची	क. स्पांज आयरन 0.23 ख. स्टील 1.0	1883.00	23.7.2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
12.	मै. टाटा स्टील लिमिटेड (ग्रीन फिल्ड प्रोजेक्ट)	मनोहरपुर/चांडिल	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 12.0	42000.00	8.9.2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
13.	मै. टाटा स्टील लिमिटेड (विस्तार)	जमशेदपुर	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 5.0	11000.00	8.9.2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
14.	मै. वी.एस. डेम्पो एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	मनोहरनपुर	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 0.5	1016.00	4.10.2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
15.	मै. मित्तल स्टील कंपनी एन.वी.	निर्णय नहीं लिया गया	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 12.0	40000.00	8.10.2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
16.	मै. जिंदल साउथ वेस्ट स्टील लिमिटेड	हैसलॉग, निमदीह	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 10.0	35000.00	9.11.2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
17.	मै. रांची इंटीग्रेटिड स्टील लिमिटेड	सिल्ली मुरी के पास	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 1.5	5452.00	30.12.2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
18.	मै. एस्सल माइनिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड	जगन्नाथपुर वेस्ट सिंघभूम	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 1.0	500	5.5.2006	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
19.	मै. सेसा गोआ लिमिटेड	सराइकेला खारसवान	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 0.5	300	7.9.2006	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
20.	मै. मुकंद स्टील	बारलंगा, हजारीबाग	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 2.0	1800	7.9.2006	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
21.	मै. फीग्रेड एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	गुरा एण्ड रंगामाटी वेस्ट सिंघभूम	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 0.3	250	11.9.2006	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
22.	मै. बोनाई इंडस्ट्रीयल कंपनी लिमिटेड	कुन्दूबेरा एण्ड सिंह पोखारिया, वेस्ट सिंघभूम	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 0.25	300	11.9.2006	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
23.	मै. रूंगटा माईंस लिमिटेड	चैबासा	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 4.5	1050	11.9.2006	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
24.	मै. वीनी आयरन एण्ड स्टील उद्योग लिमिटेड	लुपुंगधी, चांडिल, सरायकेला खारसवान	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 0.6	355	14.9.2006	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
25.	मै. नरसिंघ इस्पात लिमिटेड	खुन्ती, चांडिल, सरायकेला खारसवान	मिन्नी स्टील 0.25	150	14.9.2006	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
26.	मै. कोर स्टील एण्ड पावर लिमिटेड	मुसाबानी, घाटसिला	मिन्नी स्टील 1.0	1000	29.12.2006	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
27.	मै. इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड	नन्दपुर/मनोहरपुर	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 2.8	2500	12.1.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
28.	मै. मां चंडी दुर्गा इस्पात लिमिटेड	नावा ब्लाक जामतारा	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 1.1	1250	9.2.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
29.	मै. जगदम्बा फिसकल सर्विस लिमिटेड	रानेश्वर, सैयकारीपारा, धुम्का	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 1.1	1000	9.2.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
30.	मै. ब्रह्मी इम्पैक्स लिमिटेड	अफजलपुर, बालाब्लाक, जामतारा	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 1.1	1000	9.2.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
31.	मै. आधुनिक कारपोरेशन लिमिटेड	कुमाराबाद, धुम्का	इंटीग्रेटिड स्टील प्लांट 1.1	1250	9.2.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
32.	मै. ट्राइएंगल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	पत्थनमारा	स्टील प्लांट 0.24	200	14.2.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6	7
33.	मै. प्रीमियर फेरो एलाइस एण्ड सिक्यूरिटिस लिमिटेड	बारलंगा	स्टील प्लांट 1.0	750	23.2.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
34.	मै. पुष्प स्टील एण्ड माइनिंग (प्रा.) लिमिटेड	गौरीदीह और रूगई न्यू चौक्का	स्टील प्लांट 0.25	150	24.2.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
35.	मै. सारथक इंडस्ट्रीज लिमिटेड	राजखारस्वन	स्टील प्लांट 2.2	2000	26.2.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

उन इस्पात संयंत्र परियोजनाओं की सूची जिनके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए हैं

क्र.सं.	कंपनी का नाम	स्थान	क्षमता: एमटीपीए	निवेश करोड़ रुपए	समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने की तारीख	मौजूदा स्थिति और प्रगति
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै. जिंदल स्टील एंड पावर	रायगढ़	(क) इस्पात गलनशाला-1.25 (ख) धमन भट्टी-1.25 (ग) वायर राड/रोलिंग मिल-0.7	2595.00	7.1.2005	आंशिक रूप से चालू
2.	मै. छत्तीसगढ़ इलैक्ट्रिसिटी कं. लि.	रायपुर	(क) स्पंज लोहा-0.6 (ख) स्टील प्लांट-1.0	2010.00	7.1.2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
3.	मै. प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	चंपा	(क) स्पंज लोहा-0.4 (ख) इस्पात गलनशाला-0.9 (ग) कच्चा लोहा-0.25 (घ) रोलिंग/राड मिल-0.6	1017.00	7.1.2005	आंशिक रूप से चालू
4.	मै. छत्तीसगढ़ स्टील एंड पावर	जंजगीर, चंपा	स्पंज लोहा-0.38	464.88	7.1.2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
5.	मै. पुष्प स्टील एंड माइनिंग प्रा.लि.	बोराज ग्रोथ सेंटर, दुर्ग	स्पंज लोहा-0.315	380.00	7.1.2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
6.	मै. सालासार स्पंज एंड पावर लि.	रायगढ़	(क) स्पंज लोहा-0.165 (ख) स्टील-0.1	287.51	7.1.2005	आंशिक रूप से चालू
7.	मै. श्री राधे इंडस्ट्रीज प्रा.लि.	बिलासपुर	(क) स्पंज लोहा-0.26 (ख) इस्पात गलनशाला-0.05	232.50	7.1.2005	आंशिक रूप से चालू
8.	मै. सत्यार्थ स्टील एंड पावर लि.	रायपुर	(क) स्पंज लोहा-0.22 (ख) प्रेरण भट्टी-0.182 (ग) रि-रोल्ड उत्पाद-0.0314	175.00	7.1.2005	आंशिक रूप से चालू
9.	मै. एपीआई इस्पात एंड पावर टैक प्रा.लि.	रायपुर	(क) स्पंज लोहा-0.315 (ख) स्टील इनगट-0.0864	158.00	7.1.2005	आंशिक रूप से चालू
10.	मै. टापवर्थ स्टील प्रा.लि.	बोराज ग्रोथ सेंटर, दुर्ग	(क) स्पंज लोहा-0.21 (ख) इस्पात गलनशाला-0.1	129.00	7.1.2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6	7
11.	मै. क्रैस्ट स्टील एंड पावर प्रा.लि.	दुर्ग	स्पंज लोहा-0.231	116.5	7.1.2005	आंशिक रूप से चालू
12.	मै. टाटा स्टील लि.	बस्तर	एकीकृत इस्पात संयंत्र-5.00	10000 (लगभग)	4.6.2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
13.	मै. एस्सार स्टील छत्तीसगढ़ लि.	बस्तर	एकीकृत इस्पात संयंत्र-3.2	7000 (लगभग)	5.7.2005	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
14.	मै. इण्ड सिनर्जी लि. (विस्तार परियोजना)	रायगढ़	स्पंज लोहा-0.40	960.00	6.10.2006	आंशिक रूप से चालू
15.	मै. श्री बजरंज पावर लि. इस्पात लि. (विस्तार परियोजना)	रायपुर	स्पंज लोहा-0.60 धमन भट्टी-0.231	1400.00	6.10.2006	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
16.	मै एस के एस इस्पात लि. (विस्तार परियोजना)	रायपुर	स्पंज लोहा-0.33 लघु धमन भट्टी-0.5	1175.00	6.10.2006	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
17.	मै. रायपुर अलायस इंड स्टील लि. (विस्तार परियोजना)	रायपुर	स्पंज लोहा-0.50 स्टील-0.24	720.00	6.10.2006	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
18.	मै. श्री बजरंग मैटलिक्स एंड पावर लि. (विस्तार परियोजना)	रायपुर	कच्चा लोहा-0.060	109.41	21.10.2006	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
19.	मै. राजेश स्ट्रिप्स लि. (विस्तार परियोजना)	रायपुर	इस्पात गलनशाला-0.30	120.00	18.5.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
20.	मै. जिन्दल स्टील एंड पावर लि. (विस्तार परियोजना)	रायगढ़	धमन भट्टी-0.32	8000.00	18.5.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
21.	मै. भूषण पावर एंड स्टील लि.	राजनंदगांव	एकीकृत इस्पात उत्पादन सुविधा-1.2	5500.00	6.10.2006	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
22.	मै. मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लि. (विस्तार परियोजना)	नाहरपल्ली, रायगढ़	धमन भट्टी-1.0 निजी उपयोग के लिए स्पंज लोहा-0.40	2087.00	4.5.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
23.	मै. वन्दना इस्पात लि.	बोरई, दुर्ग, अजनोरा, राजनंदगांव	एकीकृत इस्पात संयंत्र-0.83	1310.00	4.5.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
24.	मै. टापवर्थ स्टील्स प्रा.लि. (विस्तार परियोजना)	बोरई, दुर्ग	धमन भट्टी-0.50	1225.74	4.5.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
25.	मै. एम एस पी स्टील एंड पावर लि. (विस्तार परियोजना)	रायगढ़	कच्चा लोहा-0.40 निजी उपयोग के लिए स्पंज लोहा-0.3	1400.00	4.5.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
26.	मै. सालासर स्पंज एंड पावर लि. (विस्तार परियोजना)	रायगढ़	इस्पात संयंत्र-0.1	230.00	4.5.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
27.	मै. प्रकाश इंडस्ट्रीज लि. (विस्तार परियोजना)	चंपा जंजगीर	एकीकृत इस्पात संयंत्र-1.2	2145.00	18.6.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
28.	मै. सिंघल इन्टरप्राईसेज प्रा.लि. (विस्तार परियोजना)	रायगढ़	स्पंज लोहा-0.24 इस्पात-0.3	500.00	23.6.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6	7
29.	मै. अंजनी स्टील प्राईवेट लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	रामगढ़	एकीकृत इस्पात संयंत्र-0.25	410.00	2.8.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
30.	मै. एच.ई.जी. लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	दुर्ग	स्पांज लोहा-0.35	280.00	2.8.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
31.	मै. मंगल स्पांज एण्ड स्टील लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	बिलासपुर	स्पांज लोहा-0.12	445.00	2.8.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
32.	मै. एस.के. सारावागी एण्ड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	बिलासपुर	स्पांज लोहा-0.21 इस्पात-0.15	330.00	2.8.2007	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
33.	मै. आरती स्पांज एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड	-	स्पांज लोहा-0.105 इस्पात गलनशाला-0.09	305.00	8.8.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
34.	मै. एपीआई इस्पात एण्ड पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड	-	स्पांज लोहा-0.525	1000	8.8.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
35.	मै. जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	-	डीआरआई संयंत्र-0.6 इस्पात गलनशाला-1.0	1450.00	8.8.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
36.	मै. बलदेव एलोइस प्राइवेट लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	-	स्पांज लोहा-0.54 एसएमएस संयंत्र-0.2	430.00	8.8.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
37.	मै. क्रेस्ट स्टील एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	-	स्पांज लोहा-0.75 इस्पात गलनशाला-0.5 इएएफ-0.32	1536.00	8.8.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
38.	मै. गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड	-	डीआरआई-0.6 इस्पात बिल्लेट-0.6	1570.00	8.8.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
39.	मै. जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	-	डीआरआई-5.1	18300.00	8.8.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
40.	मै. खेतान स्पांज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	-	स्पांज लोहा-0.09 प्रेरण भट्टी-0.06	209.00	8.8.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
41.	मै. नलवा स्टील एण्ड पावर लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	-	डीआरआई (कोयला आधारित)-0.33 इस्पात गलनशाला-0.336 डीआरआई (गैस आधारित)-2.0	3100.00	8.8.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
42.	मै. जयसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	-	स्पांज लोहा-0.6 इस्पात बिल्लेट-0.7	2020.00	8.8.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
43.	मै. नोवा आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	बिलासपुर	स्पांज लोहा-0.6	606.00	8.8.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
44.	मै. रायपुर पावर एण्ड स्टील लिमिटेड	-	स्पांज लोहा-0.135 प्रेरण भट्टी-0.09	135.00	8.8.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

1	2	3	4	5	6	7
45.	मै. रत्नमी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	-	स्पांज लोहा-0.315 इस्पात गलनशाला-0.21	550.00	8.8.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
46.	मै. रियल इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	-	स्पांज लोहा-0.30	720.00	8.8.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
47.	मै. आर.एल. स्टील एण्ड एनर्जी लिमिटेड	-	स्पांज लोहा-0.4	293.00	8.8.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
48.	मै. सत्या पावर एण्ड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	-	स्पांज लोहा-0.24	376.00	8.8.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
49.	मै. श्री श्याम स्पांज एण्ड पावर लिमिटेड (विस्तारित प्रोजेक्ट)	-	स्पांज लोहा-0.135	205.00	8.8.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
50.	मै. एसकेएस इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड	-	स्पांज लोहा-1.2 धमन भट्टी-0.27	3611.00	8.8.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
51.	मै. सुर्या ग्लोबल स्टील एण्ड जेनपावर लिमिटेड	-	डीआरआई-1.4 धमन भट्टी पीसीएम के साथ-0.6	3000.00	8.8.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
52.	मै. वीसा स्टील लिमिटेड	-	धमन भट्टी सिंटर के साथ-1.5 स्पांज लोहा-.10	4750.00	8.8.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
53.	मै. एनएमडीसी लिमिटेड	-	इंटीग्रेटिड इस्पात संयंत्र-3.0	10000.00	3.9.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
54.	मै. के. एनर्जी लिमिटेड	-	स्पांज लोहा-0.21 प्रेरण भट्टी-0.192	469.00	12.9.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
55.	मै. प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड	-	धमन भट्टी-1.15 स्पांज लोहा-1.6 इस्पात गलनशाला-2.0	2750.00	12.9.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
56.	मै. सिंघल स्टील प्राइवेट लिमिटेड	-	धमन भट्टी-0.3 स्पांज लोहा-2.0 प्रेरण भट्टी-0.3 इएएफ-0.3	700.00	1.10.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
57.	मै. एमएसपी स्टील एण्ड पावर लिमिटेड	-	स्पांज आयरन-0.9 धमन भट्टी-0.7 इस्पात गलनशाला-1.5	4930.00	1.10.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
58.	मै. महेन्द्रा स्पांज एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड	-	स्पांज लोहा-0.27 इस्पात बिल्लेट-0.15	485.00	1.10.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ
59.	मै. हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनेफिसियेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	-	स्पांज लोहा-0.405 इस्पात गलनशाला-0.216	505	3.10.2008	उत्पादन शुरू नहीं हुआ

[हिन्दी]

गैस का मूल्य निर्धारण

2984. श्री सूरज सिंह:
श्री रामजीलाल सुमन:
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में गैस की खुदरा बिक्री के प्रयोजनार्थ गठित मंत्रियों के समूह ने कोई मूल्य निर्धारण सूत्र तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सूत्र किन कारणों से तैयार किया गया;

(ग) उक्त मूल्य निर्धारण सूत्र के नियतन के क्या मानदण्ड हैं; और

(घ) देश में गैस की खुदरा बिक्री के मूल्य निर्धारण के लिए इसकी उत्पादन लागत को आधार नहीं बनाए जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के अंतर्गत गैस के मूल्य निर्धारण और गैस के वाणिज्यिक उपयोग के संबंध में एक अधिकार संपन्न मंत्री समूह (ईजीओएम) का गठन किया था।

संविदाकार द्वारा प्रस्तुत मूल्य फार्मूले का अनुमोदन सुपुर्दगी स्थल पर गैस की बिक्री के प्रयोजन के लिए किया गया है देश में गैस की खुदरा बिक्री के प्रयोजन के लिए नहीं किया गया है।

अधिकार संपन्न मंत्री समूह (ईजीओएम) ने इस मूल्य और इस फार्मूले के अनुमोदन के लिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) की रिपोर्ट पर विचार किया था। जिस कसौटी के द्वारा मूल्य निर्धारण फार्मूला निश्चित किया जाता है वे स्थाई, परिवर्तनीय कारक हैं जो कच्चे तेल के मूल्यों और बोली योग्य घटकों से संबद्ध होते हैं।

एनईएलपी संविदाओं के अंतर्गत सुपुर्दगी स्थल पर गैस की बिक्री का मूल्य निर्धारण फार्मूला आर्मस लैंथ पर मूल्य खोज पर आधारित है जैसी कि पीएससी में परिकल्पना की गई है और उत्पादन लागत पर नहीं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में आदर्श रेलवे स्टेशन

2985. श्री अर्जुन सेठी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल बजट 1999-2000 में की गई घोषणा के अनुसार उड़ीसा में पूर्व तटीय जोन में कुछ रेलवे स्टेशनों को आदर्श रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन वर्षों के दौरान ऐसे रेलवे स्टेशनों में किए गए विकास का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त श्रेणी के स्टेशनों के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई और ऐसी प्रत्येक स्टेशन के लिए कौन से विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किए गए/लागू किए गए;

(घ) क्या इस जोन के अंतर्गत भद्रक रेलवे स्टेशन को एक आदर्श स्टेशन घोषित किए जाने के बावजूद इसके सभी प्लेटफार्मों अर्थात् प्लेटफार्म संख्या 1, 2, 3 और 4 पर पर्याप्त प्लेटफार्म शेल्टर्स भी मुहैया नहीं कराए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) रेल बजट 1999-2000 में यह घोषित किया गया था कि प्रत्येक मंडल में कम से कम एक स्टेशन माडल स्टेशन के रूप में बनाने के सभी संभव प्रयास किए जाएंगे जहां उच्चतर स्तर की यात्री सुविधाएं मुहैया की जाएंगी। इस प्रकार की गई घोषणा के फलस्वरूप, उड़ीसा राज्य अर्थात् भुवनेश्वर और पुरी से पूर्वतटीय रेलवे के 2 स्टेशन माडल स्टेशन के रूप में चुने गए थे। अब तक उड़ीसा राज्य से पूर्व तटीय रेलवे के 20 स्टेशन माडल स्टेशनों के रूप में चुने गए हैं। ये स्टेशन बडाखंडिटा, ब्रह्मपुर, भद्रक, भुवनेश्वर, बिरी, कटक, धेनकेनाल, गोलंथरा, जजपुर, क्योंझर रोड, कपिलास रोड, खुरदा रोड, पुरी, रहमा, संबलपुर, सुर्ला रोड, तिटलागढ़, रायगढ़, बालूगांव, संबलपुर रोड तथा केसिंगा हैं।

(ग) से (ङ) स्टेशन-वार धनराशि का रख-रखाव किया जाता है। धनराशि योजना शीर्ष-यात्री सुविधाओं के अंतर्गत आबंटित की जाती है जिसमें माडल स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों के विकास संबंधित कार्य भी शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना शीर्ष-यात्री सुविधाओं के अंतर्गत पूर्व तटीय रेलवे के लिए आबंटित धनराशि निम्नानुसार है:

2005-06 के दौरान 8.96 करोड़ रु.

2006-07 के दौरान 13.44 करोड़ रु.

2007-08 के दौरान 24.57 करोड़ रु.

सुविधाओं के अपग्रेडेशन के प्रयोजन के लिए स्टेशनों की माडल स्टेशन योजना के अंतर्गत पहचान की जाती है तथा ऐसे स्टेशनों पर उच्चतर स्तर की सुविधाएं मुहैया की जाती हैं जिन्हें स्टेशन की कोटि के लिए विनिर्दिष्ट ''वांछनीय सुविधाएं'' कहा जाता है। ऐसे माडल स्टेशनों पर कम खर्च वाली सुविधाएं पहले मुहैया की जाती है तथा पूरी की जाती है तथा शेष सुविधाएं 31.12.2009 तक पूरी करने की योजना है।

भदरक रेलवे स्टेशन पूर्व तटीय रेलवे का 'ए' कोटि का स्टेशन है तथा इस स्टेशन पर न्यूनतम अनिवार्य सुविधाएं मुहैया कर दी गई हैं। इस स्टेशन को माडल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। इस स्टेशन पर प्लेटफार्म सायबान में कोई कमी नहीं है। प्लेटफार्म नं. 1 एवं 2 तथा 3 एवं 4 पर क्रमशः 1150 एवं 638 वर्ग मी. माप के प्लेटफार्म सायबान की व्यवस्था की गई है जो निर्धारित मानदंड से अधिक है।

रेलवे भर्ती बोर्ड

2986. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्यों में कुल कितने रेलवे भर्ती बोर्ड कार्य कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के कितने कर्मचारियों की भर्ती की गई है;

(ग) क्या भर्ती प्रक्रिया में क्षेत्रीय संतुलन को भी बरकरार रखा जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्तमान भर्ती अभियानों में हो रहे क्षेत्रीय असंतुलन के विरोध में देश के कुछ भागों में हिंसक घटनाएं हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो जिस जोन में भर्ती की जानी है उससे संबंधित रेलवे जोन में रहने वाले अभ्यार्थियों को प्राथमिकता देने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) भारतीय रेल में 20 रेलवे भर्ती बोर्ड (आर.आर.बी.) हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से विभिन्न पदों, जिनके लिए भर्ती की गई है, को दर्शाने वाले विवरण संलग्न है।

(ग) से (च) भारतीय रेल एक ऐसा संगठन है जो संपूर्ण भारतवर्ष में फैला हुआ है। समूह 'ग' पदों में भर्ती देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 20 रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से की जाती है। रेलवे भर्ती बोर्डों का क्षेत्राधिकार रेलवे की प्रशासनिक यूनिटों के आधार पर निर्धारित होता है न कि राज्य/क्षेत्र के आधार पर। रिक्तियों को रोजगार समाचारों, प्रमुख राष्ट्रीय तथा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित करने सहित इसको व्यापक रूप से प्रचारित किया जाता है और जो भी इस प्रकार की अधिसूचना के अंतर्गत आवेदन करते है उन्हें रेलवे में भर्ती के लिए विचार किया जाता है। यह प्रक्रिया केन्द्र सरकार के अधीन सभी को रोजगार में समान अवसर प्रदान करने के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में की गई व्यवस्थाओं तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है। यद्यपि पदों की विज्ञप्ति किसी एक रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा की जा सकती है तथापि देश में उम्मीदवारों को किसी भी रेल भर्ती बोर्ड में पद के लिए आवेदन करने में कोई प्रतिबंध नहीं है। हाल ही में क्षेत्रीयता के आधार पर कतिपय रे.भ.बो. के कुछ परीक्षा केन्द्रों पर बाधाएं उत्पन्न हुई हैं लेकिन रेलवे का एकमात्र उद्देश्य यह रहता है कि भर्ती किसी क्षेत्र विशेष को प्राथमिकता दिए बिना विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर निष्पक्ष रूप से की जाए।

विवरण

पिछले तीन वर्षों 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान रे.भ.बो. द्वारा विभिन्न कोटियों के लिए आयोजित की गई परीक्षाएं

1. ए.एल.पी.
2. सहायक स्टेशन मास्टर
3. गुड्स गार्ड
4. यातायात एप्रेंटिस
5. पर्यवेक्षक (रेलपथ)
6. सेक्शन इंजीनियर (यांत्रिक, बिजली, सिगनल, दूर संचार तथा सिविल)
7. कनिष्ठ इंजीनियर (यांत्रिक, बिजली, सिगनल, दूर संचार तथा सिविल)
8. ई.एस.एम.-2
9. ई.एस.एम.-3

10. टी.सी.एम.-3
11. टी.एम.एम.-3
12. डब्ल्यू.टी.एम.
13. सेक्शन अनुसंधान इंजीनियर
14. कनिष्ठ अनुसंधान इंजीनियर
15. वैज्ञानिक सहायक (मनोविज्ञान)
16. तकनीशियन ग्रेड-3 (74 विभिन्न ट्रेडों के लिए)
17. आर्मेचर वाइन्डर
18. स्विचमैन
19. जे.सी.एम.ए./सी.एम.ए.
20. मेटालोर्जिकल पर्यवेक्षक अनुसंधान
21. रासायनिक पर्यवेक्षक अनुसंधान ग्रेड-2
22. वरि. वैज्ञानिक अनुसंधान सहायक
23. जे.ए.ए. सह टाइपिस्ट
24. लेखा क्लर्क सह टाइपिस्ट
25. ई.सी:आर.सी.
26. व. क्लर्क सह टाईपिस्ट
27. क्लर्क सह टाईपिस्ट
28. हिंदी क्लर्क सह टाईपिस्ट
29. क्लर्क ग्रेड-1
30. क्लर्क ग्रेड-2
31. जूनियर क्लर्क
32. जूनियर क्लर्क सह टाईपिस्ट
33. व. क्लर्क (सीधी भर्ती)
34. ट्रेन क्लर्क
35. सहायक वाणिज्य क्लर्क
36. वाणिज्य क्लर्क
37. टिकट संग्राहक
38. हिंदी सहायक
39. जूनियर स्टेनो
40. आशुलिपिक (अंग्रेजी)
41. आशुलिपिक (हिंदी)
42. वाणिज्यिक एप्रेंटिस
43. स्टाफ नर्स
44. डाईटिशियन
45. फार्मासिस्ट
46. रेडियोग्राफर
47. स्वास्थ्य निरीक्षक
48. स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक
49. स्वास्थ्य विजिटर
50. ओरल हाइजीनिस्ट
51. क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक
52. क्लीनिकल अनुदेशक
53. फिजियोथिरेपिस्ट
54. एक्सरे तकनीशियन
55. ईसीजी तकनीशियन
56. प्रोसथीटिस्ट सह आर्थोडेन्टिस्ट
57. आडियोलोजिस्ट सह स्पीच थिरेपिस्ट
58. प्रयोगशाला सहायक
59. प्रयोगशाला अधीक्षक
60. प्रयोगशाला तकनीशियन
61. फील्ड कामगार
62. जिला विस्तार शिक्षक
63. होल्टर तकनीशियन
64. शिक्षक
65. सहायक शिक्षक
66. ड्राइवर
67. डी.एम.एस.-1
68. डी.एम.एस.-2
69. पुस्तकाध्यक्ष

70. फिजिकल अनुदेशक

71. व. प्रचारक निरीक्षक

72. बागवानी निरीक्षक

73. हाऊसकीपर

74. फिंगर प्रिंट जांचकर्ता

75. कैंटीन मैनेजर

76. सहायक कैंटीन मैनेजर

77. खानपान निरीक्षक/मैनेजर

78. जूनियर टेलीफोन आपरेटर

79. विधि सहायक

80. चेंजिंग इन्सपेक्टर

हुबली विमानपत्तन का उन्नयन

2987. श्री प्रहलाद जोशी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देशभर में विमानन अवसंरचना हेतु चलाए जा रहे अभियान के एक भाग के रूप में कुछ विमानपत्तनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विमानपत्तन के रूप में विकसित करने के लिए कोई विशेष पैकेज देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हुबली विमानपत्तन के विकास और इसे पूर्णरूप से सुसज्जित राष्ट्रीय स्तर का विमानपत्तन बनाने के लिए विशेष धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह कार्य कब तक पूरा किया जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए हवाईअड्डों का स्तरोन्नयन तथा आधुनिकीकरण किया जा रहा है। पेक्यांग (सिक्किम), ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) तथा चेथू (नागालैंड) में केन्द्र सरकार के 90% तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 10% के वित्तपोषण पैटर्न के आधार पर 3 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों का विकास किया जा रहा है। सरकार ने देश में नये ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति भी अधिसूचित की है।

(ग) और (घ) वर्ष 2007-08 में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हुबली हवाईअड्डे पर रनवे के सुदृढ़ीकरण, एप्रन के विस्तार तथा टर्मिनल भवन के नवीकरण कार्य पर 6.65 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई।

प्लास्टिक से बने बर्तनों पर प्रतिबंध

2988. श्री रनेन बर्मन: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वैज्ञानिकों के सुझावों के आधार पर प्लास्टिक से बने बर्तनों पर प्रतिबंध लगाने का है क्योंकि इससे शिशुओं की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) प्लास्टिक से बने बर्तनों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। खाद्य/खाद्य सामग्रियों और पेयजल के रखरखाव के लिए बर्तन बीआईएस मानकों द्वारा संचालित होते हैं जो मुख्यत: अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित होते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बदरपुर-धर्मानगर खंड तक सम्पर्क मार्ग

2989. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि मरम्मत/रखरखाव कार्य की कमी के कारण उत्तर सीमान्त रेलवे के अंतर्गत बदरपुर-धर्मानगर खंड में रेलवे स्टेशनों तक सम्पर्क मार्ग उपयोग के योग्य नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संपर्क मार्ग को उपयोग के योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए चाहिए कि इस संपर्क मार्ग को जनहित यातायात के योग्य बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के बदरपुर-धर्मानगर खंड के स्टेशनों के रेलवे के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी पहुंच मार्ग इस्तेमाल करने योग्य हालत में हैं और जब कभी आवश्यक होता है उनकी मरम्मत कर दी जाती है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नई ग्राउंड हैंडलिंग नीति

2990. **श्री मधु गौड यास्खी:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फेडरेशन आफ इंडियन एयरलाइन्स ने सरकार से देश के विमानपत्तनों पर नई ग्राउंड हैंडलिंग नीति की समीक्षा करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। फेडरेशन आफ इंडियन एयरलाइंस ने इस संबंध में अपना पक्ष सरकार के समक्ष रखा है।

(ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए प्रोत्साहन

2991. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए नए प्रोत्साहनों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त घोषणाओं के बाद से ऐसी प्रोत्साहन योजनाओं के प्रति क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) जी, हां। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रसंस्कृत खाद्य उद्योगों के लिए विभिन्न कर प्रोत्साहनों की घोषणा की है जिनमें शामिल हैं लघु उद्योग के लिए उत्पाद शुल्क की छूट सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये किया गया है, 100 रुपये प्रति किलोग्राम से अनधिक खुदरा कीमत वाले बिस्कुटों पर उत्पाद शुल्क को 8% से घटाकर 0% किया गया है, इंस्टेंट मिक्सेज समेत सभी प्रकार के फूड मिक्सेज पर उत्पाद सुल्क को 8% से घटाकर 0% और प्रशीतित वैनों (प्रशीतित मोटर वाहनों) पर उत्पाद शुल्क को 16% से घटाकर 8% किया गया है, सोयाबड़ी (खाद्य संपूरकों) और खाने के लिए तैयार पैक खाद्यों को उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है, खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी पर उत्पाद शुल्क को 7.5% से कम करके 5% और सूरजमुखी तेल (कच्चा) पर उत्पाद शुल्क को 65% से कम करके 50% और सूरजमुखी तेल (परिष्कृत) पर उत्पाद शुल्क को 75% से कम करके 60% किया गया है। परिष्कृत खाने योग्य तेल के मामले में 4% के विशेष अतिरिक्त शुल्क को समाप्त किया गया है। प्रौद्योगिकी कारोबार इन्क्यूबेटरों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं को सेवाकर से छूट दी गई है और इसी तरह उनके इन्क्यूबेटीस जिनका सालाना कारोबार 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है, को प्रथम तीन वर्षों के लिए सेवाकर से छूट दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में संयंत्र और मशीनरी में निवेश के संबंध में प्राथमिक क्षेत्र बैंक ऋण हेतु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की पात्रता जोकि पूर्व में 5 करोड़ रुपये थी, को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया है। फल-सब्जी आधारित नई खाद्य प्रसंस्करण यूनिट को प्रथम पांच वर्षों के लिए आयकर से पूरी तरह छूट और उसके अगले पांच वर्षों के लिए आयकर से 25% छूट प्राप्त है।

(ग) और (घ) पिछले 3-4 वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 10वीं योजना अवधि के प्रथम चार वर्षों के दौरान औसत वृद्धि दर वर्तमान कीमतों पर 13.025% की दर पर और वर्ष 1999-2000 की कीमतों पर 6.75% की दर पर थी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 13.14% सालाना की दर से वृद्धि कर रहा है। गत पांच वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोजगार और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर क्रमश: 3.9 मिलियन से बढ़कर 4.4 मिलियन और 6 मिलियन से बढ़कर 9 मिलियन हो गए हैं। गत पांच वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की प्रमुख स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं को दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं-

(लाख रुपये)

वर्ष	वित्तीय सहायता
2004-05	4041.63
2005-06	11525.13
2006-07	15978.00
2007-08	18297.00
2008-09 (15 नवम्बर, 2008 तक)	13788.00

[हिन्दी]

सूरत विमानपत्तन

2992. श्री काशी राम राणा:
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री मधुसूदन मिस्त्री:
श्री महेश कनोडीया:
श्री हरिन पाठक:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूरत विमानपत्तन के विकास की परियोजना पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो सूरत विमानपत्तन पर प्रचालित होने वाली अनुसूचित उड़ानों की संख्या कितनी है;

(ग) सूरत विमानपत्तन से कौन-कौन से शहर सीधे वायु मार्ग से जुड़े हैं तथा सूरत विमानपत्तन से उड़ानों की संख्या बढ़ाने तथा विमान सेवा सम्पर्क बढ़ाने के लिए भविष्य में क्या योजना है;

(घ) क्या सूरत विमानपत्तन के टर्मिनल भवन को पूरी तरह से चालू कर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक चालू कर दिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) इस समय, केवल एक उड़ान ऐसी है जिसका प्रचालन दिल्ली-सूरत-दिल्ली सेक्टर पर सूरत हवाईअड्डे से किया जा रहा है।

(ग) इस समय, केवल दिल्ली ही सूरत हवाईअड्डों से सीधी विमान सेवा से जुड़ा हुआ है और आगे सूरत हवाईअड्डे से अन्य हवाईअड्डों के लिए विमान सेवा संपर्क के लिए किसी एयरलाइन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दुर्गापुर स्थित मिश्रधातु इस्पात संयंत्र में बैकवार्ड इंटीग्रेशन

2993. श्री सुनील खां: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुर्गापुर स्थित मिश्रधातु इस्पात संयंत्र में बैकवार्ड इंटीग्रेशन किए जाने की संभावना है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी, नहीं। मिश्र इस्पात संयंत्र में अपरिष्कृत इस्पात का उत्पादन इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) रूट के जरिए किया जा रहा है और इस रूट में स्क्रैप का उपयोग आदान कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अत: इकाई के बैकवार्ड इंटीग्रेशन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

पेट्रोल तथा डीजल में मिलावट

2994. श्री एन. जनार्दन रेड्डी:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:
श्री कीरेन रिजीजू:
श्रीमती के. रानी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा तमिलनाडु में बड़ी मात्रा में मिलावटी पेट्रोल तथा डीजल का उत्पादन एवं बिक्री की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा चूककर्ता पेट्रोल पंपों/डिपो के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार के पास पेट्रोल पंपों तथा डिपो पर पेट्रोल तथा डीजल में मिलावट को रोकने के लिए कोई तंत्र है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान मिलावट के कितने मामले पकड़े गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने रिपोर्ट दी है कि कई राज्यों विशेषत: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं तमिलनाडु में अपमिश्रित पेट्रोल एवं डीजल का उत्पादन एवं विपणन किए जाने के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। तथापि पेट्रोल/डीजल और बाजार में उपलब्ध विभिन्न अपमिश्रकों के बीच मूल्य में भारी अंतर और पेट्रोल/डीजल के साथ इन उत्पादों के आसानी से घुलमिल जाने के कारण कुछ बेईमान तत्वों द्वारा पेट्रोल/डीजल में मिलावट की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

(ग) और (घ) ओएमसीज खुदरा बिक्री केन्द्रों का नियमित और औचक निरीक्षण करती हैं तथा मिलावट और कदाचारों में संलिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) और डीलरशिप करारों के अंतर्गत कार्रवाई भी करती है। एमडीजी में मिलावट, सीलों के साथ छेड़छाड़ वितरण इकाइयों में अनधिकृत फिटिंगों/गियरों जैसे गंभीर कदाचारों के पहले मामले में भी डीलरशिप की समाप्ति का प्रावधान है।

मिलावट की रोकथाम करने के लिए सरकार ने अनेक अतिरिक्त पहलें की हैं जैसे कि खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्वचलन, खुदरा बिक्री केन्द्रों का तृतीय पक्षकार प्रमाणन, वैश्विक स्थितिज्ञान प्रणाली (जीपीएस) के माध्यम से टैंक ट्रकों के आवागमन की निगरानी मिट्टी तेल में मार्कर का उपयोग, एमडीजी का संशोधन इत्यादि। वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 (अप्रैल-सितंबर, 2008) के दौरान पाए गए अपमिश्रण मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

वर्ष	2007-08	2008-09 (अप्रैल-सितंबर, 2008)
पता लगाए गए मामले	197	71

विमानपत्तन टर्मिनलों पर चिकित्सा केन्द्र

2995. श्री विजय कृष्ण: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विमानपत्तन टर्मिनलों पर चिकित्सा केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) आपातकालीन चिकित्सा तथा प्रथमोपचार के लिए, चेन्नई, कोलकाता तथा त्रिवेन्द्रम हवाईअड्डों पर चिकित्सा जांच कक्ष स्थापित किये गये हैं और इनमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के चिकित्सा अधिकारी तैनात किये जाते हैं।

विभिन्न राज्यों के हवाईअड्डों पर प्रतीक्षित नर्सिंग होम/अस्पतालों द्वारा अनुरक्षित किये जा रहे चिकित्सा जांच कक्ष निम्नानुसार हैं:

नागालैंड-दीमापुर; आंध्र प्रदेश-विजाग; बिहार-पटना; गुजरात-अहमदाबाद तथा वडोदरा; गोवा-गोवा; उत्तर प्रदेश-लखनऊ; राजस्थान-उदयपुर तथा जयपुर; पश्चिम बंगाल-बागडोगरा; केरल-कालीकट; तमिलनाडु-मदुरै; कर्नाटक-मंगलौर।

विभिन्न राज्यों के हवाईअड्डों पर राज्य सरकारों द्वारा अनुरक्षित किये जा रहे चिकित्सा जांच कक्ष निम्नानुसार हैं:

झारखंड-रांची; जम्मू एवं कश्मीर-जम्मू, लेह तथा श्रीनगर; मिजोरम-लेंगपुई।

दिल्ली, मुंबई तथा हैदराबाद में चिकित्सा जांच कक्षों का रख-रखाव वहां के हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा किया जा रहा है। एएआई के अन्य हवाईअड्डों पर प्रथमोपचार सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

रिग की कमी

2996. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल उत्खनन कंपनियां गत कई वर्षों से रिग की भारी कमी का सामना कर रही है तथा इस कारण वे निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकी;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा तेल उत्खनन कंपनियों को रिग की आपूर्ति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या देश में रिग का विनिर्माण करना संभव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी हां। तेल अन्वेषण कंपनियों को विशेष रूप से गहरे समुद्री क्षेत्रों के लिए रिगों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। भारत में गहरे समुद्री क्षेत्रों में वेधन लक्ष्य, गहरे समुद्री वेधन रिगों की कमी के कारण प्रभावित हुआ है।

गहरे समुद्री क्षेत्रों में रिगों की कमी के एक विश्व स्तरीय घटना है।

(ग) और (घ) भारत में जमीनी रिगों का निर्माण किया जा रहा है। तथापि, देश में अपतट रिग निर्माण के लिए अपेक्षित बुनियादी संरचना और प्रौद्योगिकी उदीयमान स्तर पर है।

कर व्यवस्था का पुनर्गठन

2997. श्री ए.वी. वेल्लारमिन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मूल्यानुसार कर समाप्त किए जाने सहित पेट्रोलियम उत्पादों संबंधी कर व्यवस्था का पुनर्गठन किए जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) सरकारी क्षेत्र की दो तेल कंपनियों तथा ओएनजीसी द्वारा उत्पादित तेल पर संग्रहित किए गए उपकर का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संग्रहित किया गया कुल उपकर सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोलियम क्षेत्र में निवेश के प्रयोजनार्थ आबंटित किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा तेल उद्योग के विकास के लिए अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) पेट्रोलियम उत्पादों के कराधान के संबंध में किए गए प्रस्तावों के आधार पर दिनांक 1.3.2008 से बिना ब्रांड वाले पेट्रोल और बिना ब्रांड वाले डीजल पर उत्पाद शुल्क का मूल्यानुसार भाग समाप्त कर दिया गया है और उसको परिवर्तित करके क्रमश: 14.35 रु. और 4.60 रु. प्रति लीटर का विशिष्ट शुल्क कर दिया गया है।

इसके अलावा सरकार ने 5.6.2008 से करों/शुल्कों में निम्नलिखित कटौतियां की हैं-

(1) कच्चे तेल पर सीमा शुल्क 5% से शून्य।

(2) पेट्रोल और डीजल पर सीमाशुल्क 7.5% से 2.5%

(3) बिना ब्रांड वाले पेट्रोल और बिना ब्रांड वाले डीजल पर उत्पादन शुल्क एक रु. प्रति लीटर। इसके परिणामस्वरूप बिना ब्रांड वाले पेट्रोल और डीजल पर उत्पादन शुल्क कम होकर क्रमश: 13.35 रु. प्रति लीटर और 3.60 रु. प्रति लीटर हो गया है।

दिनांक 1.6.2008 से अंतर्राज्यीय बिक्री अथवा माल की खरीद पर केन्द्रीय बिक्री कर 2% कम हो गया है।

बिक्री कर राज्य का विषय है और बिक्री कर की कोई पुन: संरचना संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जानी है।

(ख) से (घ) वर्ष 1974-75 से 2007-08 की अवधि के दौरान सरकार ने स्वदेशी कच्चे तेल पर उपकर के रूप में आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन, आयल इंडिया लिमिटेड और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय से 74,978.82 करोड़ रु. वसूल किए हैं। इस राशि में से सरकार ने 902.40 करोड़ रु. आयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड (ओआईडीबी) को उपलब्ध कराएं हैं। ओआईडीबी ने विकास प्रयोजनों के लिए तेल उद्योग को और आगे वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।

केरल में सड़क उपरि पुल

2998. श्री पी. राजेन्द्रन:
श्री पी.सी. थामस:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास दक्षिण रेलवे में कोट्टायम तथा एर्नाकुलम स्टेशनों के बीच करिटास के निकट सड़क उपरि पुल (आरओबी) बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल राज्य सरकार ने कोल्लम जिले के पुरावूर में आरओबी बनाए जाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) एतुमानूर और कोट्टायम के बीच केरिटास 42 कि.मी. 52/10-11 पर समपार सं. 30 के बदले ऊपरि सड़कपुल के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) जी हां।

(घ) राज्य सरकार द्वारा पारावूर और कपिल स्टेशनों के बीच समपार सं. 534 के बदले पारावूर में उपरि सड़कपुल का प्रस्ताव प्रायोजित किया गया था जिसे 2006-07 के वार्षिक कार्यक्रम के दौरान स्वीकृत किया गया था। इसके लिए राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए सामान्य प्रबंध आरेखण भेजे गए हैं।

ओएनजीसी तथा ओआईएल द्वारा एलपीजी/रिटेल डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोला जाना

2999. श्री अबु अयीश मंडल: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) तथा आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) ने देश में एलपीजी/रिटेल डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के विलय की कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका घरेलू बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) दिनांक 8 मार्च, 2002 के सरकार के संकल्प की शर्तों के अनुसार परिवहन ईंधन के विपणन के लिए प्राधिकार प्रदान करने के फलस्वरूप आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने मैंगलौर में एक खुदरा बिक्री केन्द्र चालू किया है। ओएनजीसी का फिलहाल देश में और खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने का विचार नहीं है।

सरकार ने फरवरी, 2005 में कतिपय शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन ओएनजीसी को स्वदेश में उत्पादित एलपीजी के विपणन के लिए प्राधिकार प्रदान किया था। नये व्यापारियों द्वारा एलपीजी विपणन के संबंध में प्रचालन संबंधी मुद्दों की जांच पड़ताल की गई और अन्य बातों के साथ-साथ, घरेलू एलपीजी पर राजसहायता पूरी करने की वर्तमान कार्यविधि पर विचार करके इस प्राधिकार को जनवरी 2006 माह में वापस ले लिया था।

सरकार ने एलपीजी/परिवहन ईंधन के विपणन के लिए आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) को प्राधिकार नहीं दिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऊपर भाग (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विकलांगों के लिए बजट

3000. श्री अमिताभ नन्दी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए बजटीय परिव्यय से खर्च न की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अगली पंचवर्षीय योजना में विकलांगों के लिए आबंटित स्रोतों का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए 1454 करोड़ रुपए के कुल दसवीं योजना परिव्यय के सामने, 919 करोड़ रुपए व्यय किए गए। अत: 535 करोड़ रुपए की राशि खर्च नहीं की गई है।

(ख) बजटीकृत निधि का पूर्णत: उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और गैर-सरकारी संगठनों से समय पर सभी तरह से पूर्ण अपेक्षित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

(ग) निम्न सुधारात्मक उपाय बजटीकृत निधि के इष्टतम उपयोग के लिए उठाए गए हैं:

(1) राज्य में कुल लक्षित जनसंख्या के अनुपात में लक्षित समूह की जनसंख्या पर आधारित सैद्धान्तिक आबंटन को वित्त-वर्ष के आरंभ में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सूचित किया जाता है एवं राज्य सरकारों व गैर-सरकारी संगठनों से पूर्ण प्रस्तावों की सिफारिश करने का अनुरोध किया जाता है।

(2) सभी योजनाओं के लिए राज्य स्तर पर सहायता अनुदान समिति गठित की गई हैं जहां गैर-सरकारी संगठनों को समर्थन प्रदान किया जाता है ताकि राज्य सरकारों की सिफारिश के साथ पूर्ण प्रस्ताव समय पर प्राप्त हों।

(3) राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों से प्रस्तावों की प्राप्ति की स्थिति की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाती है।

(4) तिमाही लक्ष्य नियत किए जाते हैं और सचिव द्वारा पाक्षिक तौर पर व्यय की प्रगति की समीक्षा की जाती है ताकि वर्ष भर में एकसमान व्यय को क्रमावस्था में किया जाए।

(5) संबंधित राज्य सरकार के राज्य सचिवों के साथ कार्यक्रमों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा भी की जाती है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों का आबंटन

3001. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में भारी यातायात वाली सड़कों के साथ-साथ पेट्रोल पंपों का आबंटन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक केरोसिन एजेंसियों का आबंटन करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में आबंटित केरोसिन बिक्री केन्द्रों का जिलावार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) अर्थात् इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसी) द्वारा पर्याप्त संभावना वाले और आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाए जाने वाले, पहचाने गए स्थलों पर नए खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओज) स्थापित किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आरओज कृषकों, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल और डीजल के अन्य उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आशयित होते हैं। ऐसे आरओज ग्रामीण कृषि संबंधी मांग को पूरी करने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में गुणवत्ता और सही मूल्य सुनिश्चित करते हुए उत्पाद, मुख्य रूप से एचएसडी, पहुंचाने के इरादे से स्थापित किए जाते हैं।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों सहित बाजार में पीडीएस एसकेओ के वितरण पर वास्तविक ग्राहकों को पेश आ रही कठिनाइयों पर प्राप्त फीडबैक के आधार पर, मिट्टी तेल की नई डीलरशिप स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किए जाते हैं। व्यवहार्य पाए जाने पर, ऐसी एजेंसियों के विकास के संबंध में ओएमसीज द्वारा पारदर्शी ढंग से आगे कार्रवाई की जाती है।

(घ) ओएमसीज ने पिछले तीन वर्षों के दौरान, महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी तेल की कोई डीलरशिप आबंटित नहीं की है।

[अनुवाद]

एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में सामान्य यात्री यानों की कमी

3002. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्यम दूरी के यात्रियों को लगभग सभी सुपरफास्ट तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में केवल एक या दो ही सामान्य यात्री यान होने के कारण अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा सुपरफास्ट तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में सामान्य यात्री यानों की संख्या बढ़ाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी नहीं।

अप्रैल, 2002 से अधिकांश मेल/एक्सप्रेस/सुपरफास्ट गाड़ियों की संरचना में कम-से-कम चार (04) सामान्य श्रेणी के सवारी डिब्बों को जोड़ा जा रहा है (राजधानी/शताब्दी/गरीब रथ/आरक्षित गाड़ियों जैसी पूर्णत: तथा कम दूरी की गाड़ियों को छोड़कर)।

वर्ष 2007-08 से इस संख्या में संशोधन कर दिया गया है तथा नए रेकों के साथ प्रारंभ किए गए सभी नई गाड़ियों में सामान्य श्रेणी के कम-से-कम छ: (06) डिब्बों की व्यवस्था की जा रही है।

[हिन्दी]

मंदार हिल-रामपुर हाट खंड के बीच नई रेल लाइन

3003. श्री गिरिधारी यादव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि रेल द्वारा मंदार हिल-रामपुर हाट खंड के बीच नई रेल लाइन से संबंधित कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): वर्ष 2010-11 के दौरान यह परियोजना पूरी होने की संभावना है।

[अनुवाद]

विमान टिकटों का मूल्य

3004. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री वरकला राधाकृष्णन:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमान ईंधन की कीमतों में भारी कमी हुई है किन्तु विमान कंपनियों ने विमान टिकटों के मूल्य में कमी नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास विमान कंपनियों द्वारा प्रभारित किए जाने वाले टिकटों के मूल्यों पर कोई तंत्र/नियंत्रण है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विमान टिकटों के मूल्य में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) सरकार द्वारा विमान किराये विनियमित नहीं किये जा रहे हैं। एयरलाइनों मार्केट शक्तियों के अनुसार विमान किराये वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं। अब एटीएफ की कीमतों में कमी से, एयरलाइनों ने किराए में कमी करना आरंभ कर दिया है। तथापि, एयरलाइनें भी, अर्थव्यवस्था में आई विश्वव्यापी वित्तीय मंदी से प्रभावित हुई हैं।

नई विमानपत्तन नीति

3005. **श्री अधीर चौधरी:**
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने नई विमानपत्तन नीति, 2009 की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय नई विमानपत्तन नीति के अंतर्गत पूरे देश में विभिन्न विमानपत्तनों पर ग्राउन्ड हैंडलिंग कार्य शुरू करने की योजना बना रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मौजूदा अवसंरचना अत्यधिक यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या पूर्व में यात्रियों की इस प्रकार की आवक का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण/अध्ययन कराया गया था;

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) सरकार द्वारा अप्रैल, 2008 में एक नई ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति की घोषणा की गई है। इसकी मुख्य-मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

1. सचिव, नागर विमानन की अध्यक्षता में एक संचालन समिति ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा परियोजनाओं के लिए अपेक्षित विभिन्न क्लियरैंसों के लिए समन्वय तथा मानीटरिंग करेगी।

2. सभी संबंधित एजेंसियों यथा नागर विमानन महानिदेशालय, सुरक्षा, डिफेंस आदि एजेंसियों की निबंधन एवं शर्तों का निर्धारण किया जाएगा।

3. यदि एक मौजूदा हवाईअड्डे के 150 कि.मी. की वैमानिकी दूरी के भीतर किसी नए हवाईअड्डे की स्थापना का प्रस्ताव आता है तो संचालन समिति द्वारा और तत्पश्चात् नागर विमानन मंत्रालय द्वारा उस पर विचार किया जाएगा।

4. हवाईअड्डे पर निष्पादित की जाने वाली सभी आरक्षित गतिविधियां केन्द्रीय एजेंसियों यथा अप्रवासन, सीमा-शुल्क आदि द्वारा लागत वसूली आधार पर की जाएंगी।

(ग) नई ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति में ग्राउन्ड हैंडलिंग मामलों के समाधान के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (झ) हवाईअड्डों का आधुनिकीकरण और स्तरोन्नयन एक सतत प्रक्रिया है तथा यह कार्य यातायात आवश्यकताओं, आर्थिक व्यवहार्यता, भूमि की उपलब्धता तथा अन्य संसाधनों और सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोणों आदि के आधार पर किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यातायात डाटा की नियमित मानीटरिंग करता है तथा रूझानों और अन्य संगत कारकों के आधार पर भावी अनुमान बनाता है।

हवाईअड्डों पर भीड़-भाड़ को कम करने तथा विमानन यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, इस वर्ष हैदराबाद के समीप शमशाबाद तथा बैंगलौर में 2 नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे पहले ही प्रचालनिक किए जा चुके हैं। दिल्ली तथा मुम्बई हवाईअड्डों को आधुनिकीकरण तथा स्तरोन्नयन के लिए संयुक्त उद्यम कम्पनियों को सौंप दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 35 गैर-मैट्रो हवाईअड्डों तथा 133 अन्य हवाईअड्डों को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आधुनिकीकरण तथा स्तरोन्नयन के लिए चुना गया है।

विमान सेवाएं बन्द किया जाना

3006. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया ने गत चार वर्षों के दौरान कुछ घरेलू क्षेत्रों से अपनी सेवाएं बन्द कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भुवनेश्वर विमानपत्तन एकमात्र विमानपत्तन है जहां से विमान सेवाएं सम्पर्क बहुत कम हैं; और

(घ) भुवनेश्वर से चेन्नई एवं बैंगलौर सहित महानगरों के लिए अधिक विमान सेवाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। एक वाणिज्यिक संगठन होने के कारण, एयर इंडिया अपने नेटवर्क पर सेवाओं के कार्यनिष्पादन की निरन्तर मानीटरिंग करती है। इस प्रक्रिया में, यदि कोई मार्ग उत्कृष्ट बाजार प्रयासों के बावजूद अच्छे परिणाम नहीं देता है तो एयर इंडिया ऐसे निरन्तर हानि वाले मार्गों से अपनी सेवाएं हटा लेती है।

(ग) एयर इंडिया, जेट-लाईट, किंगफिशर एयरलाइंस तथा इण्डिगो भुवनेश्वर को दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, बैंगलोर तथा हैदराबाद से जोड़ते हुए प्रतिसप्ताह क्रमश: 14, 21, 35 तथा 7 उड़ानें प्रचालित कर रही हैं।

(घ) सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विमान परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन के लिए मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। बहरहाल, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अनुसार विशिष्ट स्थानों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराएं। इस प्रकार एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अनुसार देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

डिब्रूगढ़ विमानपत्तन

3007. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिब्रूगढ़ विमानपत्तन के रनवे विस्तार तथा टर्मिनल भवन के निर्माण के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) इस परियोजना के क्रियान्वयन में क्या-क्या बाधाएं आ रही हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस विमानपत्तन की क्षमता के ईष्टतम उपयोग हेतु इस विमानपत्तन के लिए अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) रनवे विस्तार का कार्य सौंपा गया था किन्तु रक्षा प्राधिकारियों द्वारा भूमि का हस्तांतरण न किए जाने के कारण यह कार्य नहीं हो पाया जिसके परिणामस्वरूप ठेके को समयपूर्व समाप्त कर दिया गया। बहरहाल, टर्मिनल भवन का कार्य प्रगति पर है तथा इस कार्य के जनवरी, 2009 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा अधिसूचित मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों से यह अपेक्षित है कि सभी अनुसूचित एयरलाइनें ट्रंक मार्गों (कैट-1 मार्गों) पर प्रचालित अपनी क्षमता का कम से कम 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर मार्गों, जम्मू और कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह (कैट-2 मार्गों) के लिए मार्गों पर लगाए। कैट-2 मार्गों पर प्रचालित क्षमता का दस प्रतिशत अन्तर-क्षेत्रीय सम्पर्कता के लिए लगाई जाएगी। मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों के अनुपालन के अंतर्गत एयरलाइनें अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर देश में कहीं भी प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

औषध विनिर्माण कंपनियों को सहायता

3008. श्री अजीत जोगी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घाटे में चल रही औषध विनिर्माण कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन कंपनियों को चलाने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कंपनियों द्वारा विनिर्मित औषधियों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) इस विभाग द्वारा ऐसी कोई विशिष्ट जानकारी नहीं रखी जाती है। तथापि,

औषध निर्माण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में औषधों का विनिर्माण करने वाले घाटे में चल रहे फार्मा सीपीएसयूज हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एचएएल), बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीसीपीएल) एवं इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आईडीपीएल) हैं।

(ख) गत तीन वर्षों व चालू वर्ष (आज तक) के दौरान इन कंपनियों को दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण के अनुसार है।

(ग) ये कंपनियां एंटीबायोटिक्स, टैब्लेट्स, सिरप, कैप्सूल्स, आयन्टमेट एवं इंजेक्शन आदि का विनिर्माण करती हैं।

विवरण

औषध निर्माण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन फार्मा सीपीएसयूज को दी गई सहायता का ब्यौरा

सहायता राशि (रु. करोड़)

क्र.सं.	फार्मा पीएसयू का नाम	वर्ष	सहायता राशि (रु. करोड़ में)
1.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एचएएल)	2005-06	30.30
		2006-07	132.64
		2007-08	20.17 (योजना)
		2008-09 (आज तक)	शून्य
2.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (बीसीपीएल)	2005-06	9.73
		2006-07	124.19
		2007-08	20.00
		2008-09 (आज तक)	शून्य
3.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि. (आईडीपीएल)	2005-06	7.00
		2006-07	0.95
		2007-08	4.93
		2008-09 (आज तक)	शून्य

[अनुवाद]

पोत भंजन

3009. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान बेकार हो चुके विदेशी पोतों को भंजन किए जाने हेतु भारी संख्या में भारतीय पत्तनों पर लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस गतिविधि से जुड़े सुरक्षा तथा अन्य खतरों पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसी गतिविधि के लिए नियम बनाने का है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अन्य पहलुओं की रक्षा की जा सके;

(घ) यदि हां, तो ये नियम कब तक बना लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में पोत भंजन के खतरों को कम करने के लिए विभिन्न बेहतर उपाय किए गए हैं और पोत भंजन यार्डों में सुरक्षा के उपायों के संबंध में काफी सुधार हुआ है। इस समय पोत भंजन हेतु संबंधित अनुमतियां प्रदान किए जाने से पहले पोत की संबंधित एजेंसियों के पास पहुंचने से पूर्व पोत के मालिकों और रीसाइकिलर्स द्वारा खतरनाक अपशिष्ट और खतरनाक पदार्थों के मूल्यांकन सहित अग्रिम सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा वास्तविक निरीक्षण किए जाने का भी प्रावधान है। इसके अलावा, जब कभी कमियां पाई जाती हैं, उपचारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

गोवा में रेल परियोजनाएं

3010. श्री श्रीपाद येसो नाईक: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोवा में निर्माणाधीन विभिन्न रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की स्थिति क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) गोवा में कोई रेल परियोजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

औषधियों की कीमतें

3011. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री हितेन बर्मन:
श्री नरहरि महतो:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भेषज मूल्य नियंत्रण आदेश के अंतर्गत औषधियों की कीमतों पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) कितने मामलों में कीमतें अनुमत सीमा से अधिक रहीं; और

(ग) देश में औषधियों की आपूर्ति एवं उत्पादन पर मूल्य वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) और (ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डीपीसीओ, 95) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट 74 बल्क औषध और उन पर आधारित फार्मूलेशन मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत हैं और उनके मूल्य एनपीपीए द्वारा डीपीसीओ, 95 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं। पिछले तीन वर्ष (2005-06 से 2007-08) के दौरान एनपीपीए ने अनुसूचित औषधियों के मूल्य निर्धारण के 194 मामलों को अनुमोदित किया है जिसमें से 25 मामलों में मूल्य बढ़ाए गए थे और 160 मामलों में मूल्य घटाए गए थे। शेष मामलों में मूल्यों को या तो पहली बार निर्धारित किया गया था या मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया। अनुसूचित दवाओं का मूल्य निर्धारण/संशोधन डीपीसीओ, 1995 के अंतर्गत एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

गैर-अनुसूचीबद्ध औषधों के मूल्य उत्पादन लागत, विपणन/बिक्री व्यय अनुसंधान एवं विकास व्यय, व्यापार कमीशन, बाजार प्रतिस्पर्द्धा, उत्पाद नवीकरण, उत्पाद गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए विनिर्माताओं द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। जनहित पर प्रतिकूल असर पाए जाने पर सरकार सुधारात्मक उपाय करती है। अनुज्ञेय सीमा से अधिक मूल्य वृद्धि के 566 मामलों की सूचना मिली थी। इनमें से एनपीपीए ने पैरा 10(ख) के अंतर्गत 27 फार्मूलेशनों के मामलों में मूल्य निर्धारित किए हैं और कंपनियों ने 60 फार्मूलेशनों के मामले में स्वैच्छिक रूप से मूल्य कम किए हैं।

(ग) एनपीपीए देश में दवाओं के मूल्यों और उसकी उपलब्धता की नियमित रूप से निगरानी करता है और जहां कहीं आवश्यक हो, उक्त मामले में उपचारी कार्रवाई की जाती है।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का सीपीएसई द्वारा उल्लंघन

3012. श्री वाडिगा रामकृष्णा: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि केन्द्र सरकार के उपक्रमों (सीपीएसई) द्वारा अपनी अधिशेष धनराशि का 60% सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जमा किए जाने संबंधी वित्त मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन सीपीएसई का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उक्त निर्देशों का उल्लंघन किया है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) मार्च, 2008 को सीपीएसई के पास उपलब्ध नकद धनराशि एवं बैंक में जमा धनराशि का सीपीएसई-वार ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा): (क) और (ख) संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डल सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिशेष निधियों के परिनियोजन का निर्णय लेते हैं। अप्रैल, 2008 में अन्य बातों के अलावा, केंद्रीय सरकारी उद्यमों को इस परामर्श के साथ अनुदेश जारी किए गए थे कि उपलब्ध अधिशेष निधियों का कम से कम 60% की सीमा तक सार्वजनिक बैंकों (पीएसबीएस) में रखा जाना चाहिए। इन अनुदेशों को अगस्त, 2008 और अक्तूबर, 2008 में पुन: दोहराया गया था।

(ग) लोक उद्यम सर्वेक्षण 2006-07 के अनुसार, जो 28.02.2008 को संसद में रखा गया था तथा एक सरकारी दस्तावेज है, केंद्रीय सरकारी उद्यमों के पास 31.03.2007 तक 2,03,260 करोड़ रुपये का नकद एवं बैंक में जमा शेष है। केंद्रीय सरकारी उद्यम-वार नकद एवं बैंक में जमा शेष लोक उद्यम सर्वेक्षण 2006-07 के खण्ड-III में संबंधित उद्यम की बैलेंस शीट की मद सं. 2.3(ग) पर दी गई है।

[हिन्दी]

ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशनों/उद्योगों/निजी निर्माण कंपनियों को डीजल की आपूर्ति

3013. डा. रामकृष्ण कुसमरिया: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों के ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशनों, उद्योगों और निजी निर्माण कंपनियों को पेट्रोल पंपों की तुलना में कम दरों पर भारी मात्रा में डीजल मुहैया करा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा सरकारी परियोजनाओं में शामिल ठेकेदारों को बाजार दर से कम कीमत पर डीजल की बिक्री करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उपर्युक्त कंपनियों को बाजार दर पर डीजल मुहैया कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ङ) ओएमसीज द्वारा ग्राहकों को सीधे बेचे जा रहे डीजल की कीमत खुदरा बिक्री केन्द्रों द्वारा बेचे जा रहे डीजल की कीमत से भिन्न है क्योंकि खुदरा बिक्री कीमत में डीलर का कमीशन भी शामिल होता है। निर्माण कंपनियों, जिनको उपभोक्ता पंप सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, को भी सीधे ग्राहकों पर लागू दरों पर उत्पाद की आपूर्ति की जाती है।

हेरिटेज कोचों और वस्तुओं का निपटान

3014. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे हेरिटेज कोचों के संग्रह और रेलवे के स्वामित्व वाली अन्य पुरानी वस्तुओं को निजी कंपनियों को सुपुर्द करने/बेचने की किसी योजना पर कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में रेलवे के पास विद्यमान ऐसी हेरिटेज वस्तुओं का जोनवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पर्यटन की दृष्टि से हेरिटेज इंजनों, रेल के डिब्बों और रेलवे की अन्य वस्तुओं को वर्तमान में कहीं पर प्रदर्शित किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) नई दिल्ली में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, चेन्नै, मैसूर और कोलकाता में क्षेत्रीय रेल संग्रहालय, नागपुर, धूम, सुकना और कुरसेंग में मिनि रेल संग्रहालय।

रेलगाड़ियों में डकैती

3015. **श्री हंसराज गं. अहीर:**
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने 10 सितम्बर, 2008 के 'दैनिक जागरण' में 'रेल यात्रियों पर लुटेरों का धावा' शीर्षक से छपे समाचार पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे ने इस संबंध में यात्रियों की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हुई डकैती की घटनाओं का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नि:शक्त व्यक्तियों को सुविधाएं

3016. **श्री नवीन जिन्दल:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) ने प्रारूप नागर विमानन आवश्यकताओं (सी.ए.आर.) में नि:शक्त व्यक्तियों के लिए कतिपय नि:शुल्क सुविधाओं का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन्हें अधिसूचित कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। अपंग तथा/या कम मोबिलिटि वाले व्यक्तियों को विमान द्वारा ले जाने के संबंध में, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) के अनुसार एयरलाइनों द्वारा उनके लिए बिना अतिरिक्त प्रभार के व्हील चेयर उपलब्ध कराई जाती हैं। यदि अपंग व्यक्ति चाहे तो एयरलाइनों द्वारा उन्हें अपनी व्हील चेयर प्रयोग करने की अनुमति भी दी जाती है।

(ग) और (घ) अपंग तथा/या कम मोबिलिटि वाले यात्रियों की विमान यात्रा संबंधी नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर) खण्ड 3, विमान परिवहन शृंखला 'एम' भाग-1 के अंतर्गत दिनांक 1 मई 2008 को जारी हुई है तथा जो नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

रेलगाड़ी संरक्षण चेतावनी प्रणाली

3017. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने दक्षिण रेलवे में रेलगाड़ी संरक्षण चेतावनी प्रणाली (टी.पी.डब्ल्यू.एस.) शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उन खण्डों के नाम क्या हैं जिनमें वर्तमान में इस प्रणाली को लागू किया जा रहा है;

(घ) क्या निकट भविष्य में अन्य रेलवे जोनों में इस प्रणाली का विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) दक्षिण रेलवे के उपनगरीय खंड पर एक पायलट परियोजना के तौर पर गाड़ी सुरक्षा चेतावनी प्रणाली को शुरू किया गया है। यह प्रणाली 'सिगनल पासिंग एट डेंजर' के मामलों को रोकती है और गति प्रतिबंधों को क्रियान्वित करने पर जोर देती है। यह प्रणाली अधिक गति वाले मामले में चालकों को श्रव्य और दृश्य चेतावनी देती है और यदि चालक अपेक्षित कार्यवाही करने में विफल हो जाता है तो यह प्रणाली अपने आप ही ब्रेक लगा देती है।

(ग) मई, 2008 में दक्षिण रेलवे के चेन्नै सेन्ट्रल गुम्मीदिपुंडी (50 वर्ग कि.मी.) पर इस प्रणाली को चालू किया गया है।

(घ) और (ङ) उत्तर/उत्तर मध्य रेलवे के दिल्ली-आगरा खंड पर उपर्युक्त गाड़ी सुरक्षा चेतावनी प्रणाली को द्वितीय पायलट परियोजना के रूप में विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। यह परियोजना फिलहाल संस्थापना के विभिन्न सोपानों से गुजर रही है।

रेल परियोजनाओं में सरकारी निजी भागीदारी

3018. श्री के.एस. राव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में क्रियान्वित सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं की उपलब्धियां और हासिल की गईं सीख क्या हैं;

(ख) प्रतिलाभ की दरों के नए उपायों तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों के संबंध में इसके निहितार्थ एवं रेलवे की आधुनिकीकरण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार परियोजना विशिष्ट उद्यमों के लिए सरकारी निजी भागीदारी के रूप में रेलवे के साथ मिलकर काम करने हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने तथा निवेश पर पर्याप्त प्रतिलाभ प्राप्त करने के पश्चात् संयुक्त उद्यम को छोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेल मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है:

* निजी इकाइयों द्वारा रेल-वाहन कंटेनर सेवाओं का परिचालन जिसमें चल स्टाक और टर्मिनल सुविधाओं में निवेश और सेवाओं का विपणन शामिल है।
* निजी पार्टियों को पूरी पार्सल वैन और लगेज स्थान लीज पर देना।
* भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम द्वारा निजी उद्यमियों को शामिल करते हुए प्रमुख स्टेशनों पर खानपान सेवाएं, बजट होटल और फूड प्लाजा उपलब्ध कराना।
* पहचाने गए स्टेशनों का विश्व-श्रेणी के स्टेशनों के अनुरूप आधुनिकीकरण करना।
* आधुनिक सवारी डिब्बों, रेल इंजनों और अन्य रेल उपकरणों के लिए उत्पादन इकाइयों की स्थापना करना।
* बहु-आयामी लोजिस्टिक पार्कों को स्थापित करना।
* परियोजना-विशिष्ट विशेष प्रयोजन योजनाओं में महत्वपूर्ण साझेदारों की भागीदारी के जरिए पत्तन संपर्कता और अन्य रेल अवसंरचना का विकास करना।

अब तक की उपलब्धियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

कॉनकोर के साथ-साथ पिछले दो वर्षों के दौरान निजी कंटेनर गाड़ियां चलाने हेतु 15 कंटेनर गाड़ी परिचालकों ने लाइसेंस प्राप्त किए हैं। अनेक पत्तन संपर्कता परियोजनाओं जैसे गांधीधाम-पालनपुर (301 कि.मी.) आमान परिवर्तन, हसन-मंगलोर (189 कि.मी.) आमान परिवर्तन, हरिदासपुर-पाराद्वीप (82 कि.मी.) नई लाइन, ओबुलावरी पलै-कृष्णापटनम (113 कि.मी.) नई लाइन और भरूच-दाहेज (62.36 कि.मी.) आमान परिवर्तन आदि को महत्वपूर्ण साझेदारों के साथ भागीदारी में शुरू कर दिया गया है।

नई दिल्ली स्टेशन का विश्व श्रेणी के स्टेशन में पुनर्विकास हेतु कार्य शुरू हो चुका है। नई दिल्ली के अलावा, 25 अन्य स्टेशनों की विश्व श्रेणी के स्टेशनों के रूप में विकास करने हेतु पहचान की गई है। डीजल लोकोमोटिव फैक्टरी, बिजली लोकोमोटिव फैक्टरी और रेल कोच फैक्टरी को क्रमशः मरौरा, मधेपुरा और रायबरेली में गठित करने के लिए साझेदारों के चयन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। रेलवे के पास उपलब्ध अधिशेष भूमि की वाणिज्यिक उपयोगिता के लिए 100 से अधिक स्थलों को रेल भूमि विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया है।

(ख) प्रत्येक परियोजना अलग किस्म की है और सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए प्रतिफल की कोई विशिष्ट दरें निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) सामान्यतः सरकार की नीति एक सीमित अवधि के लिए लाइसेंस/रियायत प्रदान करना और विनिर्दिष्ट रियायत अवधि के बाद परिसंपत्तियों को दुबारा अधिकार में लेना है।

(घ) रे.वि.नि.लि. के जरिए निष्पादित की जाने वाली पत्तन संपर्कता परियोजनाओं हेतु, रियायत अवधि छूट की एक विनिर्दिष्ट दर पर निवेश की गई इक्विटी के वापस भुगतान के लिए अथवा 25-30 वर्षों तक सीमित है जो कि पहले कंटेनर परिचालन हेतु, लाइसेंस अवधि 20 वर्ष के लिए है जो आगे और पांच वर्षों के लिए नवीकरणीय है।

[हिन्दी]

निःशुल्क रेल यात्रा सुविधाएं

3019. डा. धीरेंद्र अग्रवाल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रोजगार हेतु परीक्षाओं और साक्षात्कारों में भाग लेने के लिए जाने वाले युवकों को निःशुल्क यात्रा सुविधाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेल मंत्रालय विभिन्न योजनाओं के अनुसार व्यक्तियों/संगठनों की अनेक कोटियों को मानार्थ पास सुविधाएं मुहैया कराती है। वित्तीय तथा अन्य फलितार्थों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा योजनाओं के दायरे को बढ़ाकर अन्य कोटियों को शामिल करना व्यावहारिक नहीं समझा जाता है।

[अनुवाद]

दवाओं की खरीद हेतु निविदा

3020. श्री उदय सिंह: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा दवाओं की खरीद हेतु जारी की जाने वाली निविदाओं में दिए गए कुल बिक्री (टर्नओवर) क्लाज की विभिन्न शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ठेकाप्राप्त आपूर्तिकर्ता ऋण लाइसेंस व्यवस्थाओं के अंतर्गत लघु इकाइयों से दवाओं की समरूप विनिर्मित आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा निविदा प्रणाली के अंतर्गत खरीदी गयी दवाओं के तुलनात्मक मूल्य क्या है;

(घ) क्या विशेषकर रेल विभाग के मूल्य काफी अधिक हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या ऐसे कदम गुणवत्ता वाली दवाएं मुहैया कराने में लघु भेषज इकाइयों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को समाप्त करने हेतु उठाए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा लघु भेषज इकाइयों से गुणवत्ता वाली दवाएं प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर खरीदने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (छ) प्रत्येक सरकारी विभाग जो दवाएं खरीदता है, उनकी अलग-अलग शर्तें होती हैं। ये शर्तें सर्वोत्तम उपलब्ध मूल्य पर गुणवत्ता वाली दवाएं खरीदने के लिए बनाई जाती हैं।

राष्ट्रीय मांस और कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड

3021. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय मांस और कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड गठित करने को कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) जी, हां। इस मंत्रालय ने स्वास्थ्यकर, सुरक्षित और पौष्टिक मांस उत्पादों के उत्पादन से जुड़े मसलों को संबोधित करने के लिए एक केन्द्रित दृष्टिकोण उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय मांस और पाल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड स्थापित करने के लिए उपाय शुरू किए हैं ताकि पहले से अधिक मूल्यवर्धन, घरेलू मानकों का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुसंगतीकरण, मानव संसाधन विकास से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने के लिए इस क्षेत्र हेतु क्षमता निर्माण और देश में समरूप और प्रभावी मांस गुणवत्ता परीक्षण प्रणालियां विकसित की जा सकें तथा मांस उद्योग की वर्तमान स्थितियों की वजह से उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण से जुड़े मसलों को संबोधित किया जा सके।

हज टर्मिनल

3022. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, नई दिल्ली पर एक 'हज टर्मिनल' का निर्माण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो हज यात्रियों को मुहैया करायी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) मैसर्स दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्रा. लिमिटेड ने तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आईजीआई

हवाईअड्डा, नई दिल्ली पर मौजूदा हज टर्मिनल का नवीकरण किया है। किए गए नवीकरण कार्य की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

(1) चैक-इन क्षेत्र के प्रवेश को चौड़ा किया गया है। (2) सुगम और शीघ्र चैक-इन सुनिश्चित करने के लिए नई एक्सरे मशीन लगाई गई है। (3) सिक्योरिटी होल्ड एरिया का पुनः संरेखण किया गया है तथा अब वहां 600 से अधिक यात्रियों की व्यवस्था की जा सकती है। (4) अप्रवासन काउंटरों की संख्या को बढ़ाकर 6 से 8 तक चैक-इन-काउंटरों को बढ़ाकर 8 से 10 कर दिया गया है। (5) उन्नत इंटिरियर सहित नई फाल्स सिलिंग की गई है। (6) मित्रों व परिवारजनों के लिए कैनोपी में एक बड़ा क्षेत्र उपलब्ध है। (7) यात्रियों द्वारा नमाज पढ़ने के लिए टर्मिनल में नमाज हाल उपलब्ध कराया गया है।

उड़ीसा में प्राचीन नगर

3023. श्री सुव्रत बोस: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में उड़ीसा में एक 2,500 वर्ष से भी अधिक प्राचीन नगर की खोज की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस नगर का सम्भावित नाम क्या है और यह कहां स्थित है;

(ग) क्या इसमें मोहनजोदड़ों और हड़प्पा सभ्यता से समानता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वर्तमान भारतीय सभ्यता इसी के अनुरूप है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) दक्कन कालेज, पुणे द्वारा शिशुपालगढ़ के आदि ऐतिहासिक अवधि के स्थल पर हाल ही में किए गए उत्खनन से पता चलता है कि इसकी आरंभिक तिथि 2500 वर्ष के पहले की हो सकती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पहले ही 1948 में स्थल का उत्खनन किया था। भुवनेश्वर के लगभग 4 कि.मी. पूर्व में स्थित शिशुपालगढ़ की पहचान अशोक के (तीसरी शता. ई.पू.) आदेश पत्रों और खारवेला के कलिंगनगर (दूसरी शता. ई.पू.) के उत्कीर्ण लेख में वर्णित तोसाली के रूप में भी की जाती है।

(ग) से (च) शिशुपालगढ़ (लगभग चौथी शता. ई.पू. से चौथी शता. ई.) हड़प्पा सभ्यता (लगभग 2500 ई.पू.) के मोहनजोदड़ो के समान नहीं है क्योंकि समय, सांस्कृतिक सामग्री और भौगोलिक दृष्टि से दोनों व्यापक रूप से अलग-अलग हैं।

कम लागत वाले विमान

3024. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निजी स्वामित्व के उन कम लागत वाले विमानों की संख्या कितनी है जो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रचालन में आए और जो विचाराधीन हैं;

(ख) क्या ये कम लागत वाले विमान सरकारी स्वामित्व वाले विमान कम्पनियों के राजस्व पक्ष के लिए खतरा बन रहे हैं तथा हवाई यातायात पर भारी दबाव बना रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश के सभी वर्ग के लोगों के लिए विमान यात्रा वहनीय और आरामदायक बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2006 से 2008 (आज की तारीख तक) इंडिगो एयरलाइंस ने अनुसूचित विमान सेवा प्रचालित की है। सरकार किसी एयरलाइन को निम्न लागत एयरलाइन के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं करती है।

सरकार ने अनुसूचित विमान परिवहन (क्षेत्रीय) सेवाएं प्रचालित करने के लिए इस अवधि के दौरान दक्षिण क्षेत्र में मैसर्स स्टार एविएशन को, उत्तरी क्षेत्र में मैसर्स एमडीएलआर को तथा पूर्वोत्तर/पूर्वी क्षेत्र के लिए मैसर्स जाव एयरलाइंस को आरम्भिक अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए हैं। इनमें से मैसर्स एमडीएलआर एयरलाइंस वर्ष 2008 से प्रचालन कर रही है।

(ख) और (ग) विमान किराए सरकार द्वारा विनियमित नहीं किए जाते हैं। एयरलाइनें बाजार शक्तियों के अनुसार विमान किराए वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) विमानन उद्योग की सहायता करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) विमानन टर्बाइन ईंधन के आयात पर सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया है;

(2) तेल कम्पनियां सितंबर, 2008 से विमानन टर्बाइन ईंधन की कीमतों को कम कर रही हैं;

(3) तेल कम्पनियों ने एयरलाइनों पर 6 महीने की बकाया राशि का भुगतान आगे-पीछे करने की अनुमति दे दी है;

(4) तेल कम्पनियों ने क्रेडिट अवधि को भी बढ़ा दिया है।

अब, एटीएफ की कीमतों में कमी होने से, एयरलाइनों ने अपने किराए कम करना आरम्भ कर दिया है।

उन्नत यात्री सूचना प्रणाली

3025. श्री ई.जी. सुवागनम: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर उन्नत यात्री सूचना प्रणाली (ए.पी.आई.एस.) का प्रचालन शुरू हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या निकट भविष्य में इस योजना को देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर विस्तारित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) गृह मंत्रालय में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों यथा दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर तथा कोचीन में दिनांक 1.8.2008 से उन्नत यात्री सूचना प्रणाली (एपीआईएस) प्रचालनिक हो गई है। सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों को भारत में प्रचालित होने वाली प्रत्येक उड़ान से आने वाले यात्रियों के संबंध में विशिष्ट सूचना एक फ्लैट फाइल में उपलब्ध करानी अपेक्षित है। भावी प्रस्ताव के रूप में एपीआईएस को केन्द्रीयकृत मोड में लागू करने का निर्णय लिया गया है जिसके द्वारा देश में एकल पते पर डाटा प्राप्त हो पाएगा।

(ग) और (घ) देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों पर इस योजना को चरणबद्ध आधार पर लागू किए जाने का प्रस्ताव है।

सांस्कृतिक संगठन को अनुदान

3026. श्री हितेन बर्मन: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सांस्कृतिक संगठनों को अनुदान देने हेतु कोई योजना विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की आवश्यक विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कितने संगठनों, यदि कोई हों, ने लाभ प्राप्त किया है; और

(घ) इन संगठनों को गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, हां। ऐसी कई स्कीमें हैं।

(ख) संस्कृति मंत्रालय को कला और सांस्कृतिक विरासत के सभी रूपों का परिरक्षण और संवर्धन करने का कार्य सौंपा गया है। इसके लिए मंत्रालय द्वारा प्रशासित विभिन्न स्कीमों के तहत सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इनकी सूची नीचे दी गई है:-

1. सांस्कृतिक संगठनों को भवन एवं उपस्कर के लिए वित्तीय सहायता।
2. विशिष्ट मंच कला परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक समूहों तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता। इस स्कीम के दो भाग हैं:
   (क) इन क्षेत्रों में अनुमोदित परियोजनाओं और कार्यक्रमों को निर्माण अनुदान दिया जाता है।
   (ख) मंच कला समूहों को अपने-अपने क्षेत्रों में स्वयं को स्थापित करने के लिए उन्हें वेतन अनुदान सहायता।
3. जनजातीय/लोक कला एवं संस्कृति के प्रोन्नयन एवं प्रसार के लिए वित्तीय सहायता।
4. मानवता की अमूर्त विरासत की श्रेष्ठ कृतियों की सुरक्षा और समर्थन के लिए वित्तीय सहायता।
5. सांस्कृतिक कार्यकलापों एवं संलग्न स्वैच्छिक संगठनों को शोध समर्थन के लिए वित्तीय सहायता।
6. हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण एवं विकास के लिए वित्तीय सहायता।
7. क्षेत्रीय और स्थानीय संग्रहालयों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता।
8. बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला के विकास हेतु वित्तीय सहायता।

9. राष्ट्रीय स्मारकों के विकास और अनुरक्षण के लिए स्वैच्छिक संगठनों/सोसायटियों को सहायता अनुदान।

10. विशिष्ट विभूतियों की शताब्दियों/वर्षगांठों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्कीमों के तहत लाभान्वित संगठनों की संख्या और उनको उपलब्ध कराई गई कुल राशि इस प्रकार है:

वर्ष	लाभान्वित संगठनों की संख्या	कुल राशि (रुपए)
2005-06	1914	43,75,27,685
2006-07	1944	60,57,25,875
2007-08	1883	28,26,35,997

[हिन्दी]

दुर्ग एक्सप्रेस का ठहराव

3027. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बेलथारा रोड और सलेमपुर में दुर्ग एक्सप्रेस का ठहराव मुहैया कराने की कोई मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मांग को अभी तक स्वीकार नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 8201/8202 दुर्ग-गोरखपुर एक्सप्रेस को बेलथारा रोड और सलेमपुर स्टेशनों पर ठहराव देने के बारे में मांगें प्राप्त हुई हैं जिनमें माननीय संसद सदस्य से प्राप्त मांग भी शामिल है। इन प्रस्तावों की जांच की गई लेकिन इन्हें व्यावहारिक नहीं पाया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क उपरिपुल

3028. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री वी.के. दुग्मर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सहित पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क उपरिपुलों (आर.ओ.बी.) तथा अंडरपास पारपथ निर्माण का कार्य लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन से स्थान हैं;

(ग) रेलवे द्वारा चालू वर्ष में उक्त लम्बित कार्य को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा रेलवे की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों संबंधी कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा किया जाता है। फिलहाल, रेलवे पर इस प्रकार के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। बहरहाल, एनएचएआई देश में रेलपथों पर 223 ऊपरी सड़क पुलों संबंधी कार्य निष्पादित कर रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सिंगापुर की सिविल एविएशन अथारिटी तथा एएआई के बीच समझौता

3029. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंगापुर की सिविल एविएशन अथारिटी तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने नागर विमानन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है तथा आपसी सहयोग के क्षेत्र कौन-कौन से हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा सिंगापुर एविएशन प्राधिकरण के बीच दिनांक 15.5.2008 को दोनों पक्षों द्वारा नागर विमानन कार्यक्रमों, परियोजनाओं, अनुसंधान संबंधी परिणामों या प्रकाशनों संबंधी सूचना के आदान-प्रदान में आपसी सहयोग; नागर विमानन प्रशिक्षण; हवाई अड्डा प्रबंधन तथा प्रचालनों में ज्ञान के आदान-प्रदान; अनुसंधान व विकास कार्यक्रमों में समन्वय तथा विमानन क्षेत्र में नई अवधारणाओं, प्रणालियों तथा सुविधाओं

के लिए संयुक्त परीक्षण तथा डैमोंस्ट्रेशन आयोजित करना; तथा आपसी सहमति आधार पर स्टाफ के आपसी दौरे के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह करार 5 वर्षों के लिए वैध है।

दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ियां

3030. **श्री सुभाष महरिया:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सराय रोहिल्ला से सादुलपुर तथा दिल्ली सराय रोहिल्ला से उदयपुर तक (चेतक एक्सप्रेस) सप्ताह में तीन बार चलने वाली रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त रेलगाड़ियों को कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) 4705/4706 दिल्ली सराय रोहिल्ला-सादुलपुर एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन) चलाने का प्रस्ताव है, जिसके चलने की तारीख इसलिए निर्धारित नहीं की जा सकी, क्योंकि दिल्ली और राजस्थान में असेंबली चुनाव के कारण माडल आचार संहिता लागू थी। 2981/2982 दिल्ली-सराय रोहिल्ला-उदयपुर चेतक एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन दिन) गाड़ी रेवाड़ी-फुलेरा (रींगस के रास्ते) खंड पर आमान परिवर्तन कार्य पूरा होने के बाद ही चलाई जा सकती है, जिसे शीघ्र पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अल्कोहल का उत्पादन

3031. **श्री निखिल कुमार:** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अल्कोहल का उत्पादन दुनिया में सबसे अधिक है और इसके उत्पादन में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अल्कोहल के उत्पादन में कमी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) भारत में अल्कोहल का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक नहीं है। ब्राजील, यूएसए विश्व के प्रमुख अल्कोहल उत्पादक देश हैं। अल्कोहल का उत्पादन गन्ने/शीरे के उत्पादन पर निर्भर करता है जो मानसून की अनुकूलता पर आश्रित है और इसका स्वरूप परिवर्तनशील है।

(ख) पेय क्षेत्र के अलावा अल्कोहल का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र खासकर अल्कोहल आधारित रसायनों के उत्पादन में भी किया जाता है। अब अल्कोहल को पेट्रोल में भी मिश्रित किया जाता है। विभिन्न उपयोक्ता क्षेत्रों से अल्कोहल की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए, अल्कोहल के उत्पादन को कम करने हेतु कोई रणनीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) लागू नहीं।

गुजरात में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को एलपीजी सिलिन्डर

3032. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास जामनगर जिले सहित पूरे गुजरात राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को रसोई गैस सिलिन्डर प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) जामनगर जिला सहित गुजरात राज्य में गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले परिवारों समेत वास्तविक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नए एलपीजी कनेक्शन जारी किए जाते हैं।

दिनांक 1.12.2008 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने गुजरात राज्य में 55.25 लाख एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए हैं। ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने गुजरात राज्य में अप्रैल से नवम्बर, 2008 के दौरान 1.52 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए हैं।

ओएमसीज ने आगे रिपोर्ट दी है कि गुजरात सरकार ने जनजातीय लोगों को घरेलू एलपीजी कनेक्शन जारी करने हेतु वनबंधु योजना आरम्भ की है। दिनांक 31.10.2008 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के तहत गुजरात राज्य में कुल 1046 एलपीजी कनेक्शन जारी किए गए हैं।

भेषज कंपनियों द्वारा अधिक बीजक बनाया जाना

3033. **मो. मुकीम:**
श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई भेषज कंपनियां औषधि बनाने की सहायक सामग्री/तैयार औषधियों का आयत कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये कंपनियां अधिक बीजक बनाने में संलिप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों, उनके उत्पादों के नाम क्या हैं तथा कितनी धनराशि बढ़ाकर ली गई;

(घ) क्या सरकार का विचार इन औषधि बनाने वाली सहायक सामग्री/तैयार औषधियों के आयात ब्यौरे तथा भारत में उनके विक्रय मूल्य की जांच करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) के ध्यान में ऐसा संदेहास्पद बीजक बनाने का एक मामला आया है जिसे आगे की जांच के लिए आयकर विभाग को संदर्भित कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) जब कभी एनपीपीए के ध्यान में अतिप्रभारित बीजक, अनुसूचीबद्ध फार्मूलेशनों को अधिसूचित मूल्य से अधिक मूल्य पर या मूल्य अनुमोदन के बगैर बेचने के कोई विशिष्ट मामले आते हैं, तब आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 1995 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा धनराशि का उपयोग

3034. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
श्री वी.के. ठुम्मर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की प्रत्येक सरकारी क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तारीख तक तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान इस पर कंपनी-वार ब्याज की कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा लिए गए ऋण का उचित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) प्रमुख तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों से लिए गए ऋण तथा अदा किए गए ब्याज को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (च) किसी तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा ऋणों के गलत उपयोग का कोई उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	बकाया ऋण	प्रदत्त ब्याज		
		2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
आईओसीएल	63754.00	881.00	1197.00	1230.00
ओएनजीसी	184.59	2.24	1.63	1.22

1	2	3	4	5
बीपीसीएल	23248.00	305.22	632.67	672.47
गेल	525.40	28.92	22.65	0.05
एचपीसीएल	28918.00	120.56	281.57	648.68
ओआईएल	1802.00	3.56	7.77	29.92

[अनुवाद]

गेल द्वारा विद्युत/उर्वरक संयंत्रों को दी गई गैस का मूल्य

3035. **श्री वी.के. दुग्मर:**
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गैस अथारिटी आफ इंडिया लि. (गेल) द्वारा विद्युत/उर्वरक संयंत्रों को वर्तमान में कितने मूल्य पर गैस की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) क्या रिलायंस नेचुरल रिजर्व्स लिमिटेड (आरएनआरएल) भविष्य में अपने संयंत्रों हेतु गैस के लिए सरकार द्वारा रु. 4.2 के एमएमबीटीयू/अनुमोदित मूल्य के बजाय 2.34 डालर/एमएमबीटीयू मूल्य पर गैस आरक्षण की मांग कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार आरएनआरएल, जिसका वर्तमान में कोई संयंत्र नहीं है, की बजाय 4.2 डालर/एमएमबीटीयू पर गैस खरीदने को तैयार आंध्र प्रदेश के विद्युत संयंत्रों को प्राथमिकता देगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) गेल द्वारा प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (एपीएम) गैस की आपूर्ति 3200 रुपए प्रति हजार मानक घन मीटर (एमएससीएम) पर की जा रही है, इसमें रायल्टी शामिल नहीं है। गेल पन्ना-मुक्ता और ताप्ती (पीएमटी) क्षेत्रों से उपलब्ध पीएमसी निर्धारित 5.65 अमरीकी डालर प्रति एमएमबीटीयू के औसत मूल्य पर गैस की आपूर्ति करती है। गेल, 4.3 अमरीकी डालर प्रति एमएमबीटीयू पर राव्वा सेटलाइट से भी गैस की आपूर्ति करती है। गेल 4.99 अमरीकी डालर प्रति एमएमबीटीयू (देहज पर) के पूल्ड मूल्य पर पीएलएल दहेज से आवधिक आधार पर पुनर्गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) की आपूर्ति करती है। गेल विद्यमान मूल्यों पर भी तत्स्थान आरएलएनजी की आपूर्ति करती है। इन मूल्यों में संचार प्रभार, कर, विपणन लाभ/सेवा प्रभार आदि शामिल नहीं हैं।

(ख) और (ग) आरएनआरएल कंपनी अधिनियम की धारा 392 के तहत बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी। वर्तमान में मामला बम्बई उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

(घ) और (ङ) सरकार ने निर्णय लिया है कि आरआईएल के केजी-डी 6 क्षेत्र से उत्पादित प्रथम 40 एमएमएससीएमडी प्राकृतिक गैस में से 18 एमएमएससीएमडी वेकार/न्यून उपयोग वाले गैस आधारित विद्युत संयंत्र जिनके 2008-09 में शुरू होने की आशा है और जो अब तरल ईंधन पर चल रहे हैं और प्राकृतिक गैस पर चलने लगेंगे, को उपलब्ध कराई जाएगी। इस निर्णय के अनुसार आंध्र प्रदेश में संयंत्रों सहित विभिन्न विद्यमान गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में विद्युत संयंत्रों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है।

निजी एयरलाइन्स के लिए बेलआउट योजना

3036. **श्री अधलराव शिवाजीराव पाटील:**
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी एयरलाइन्स को बेलआउट पैकेज देने के लिए विभिन्न वर्गों से दबाव आ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) एयरलाइनों ने विमानन टरबाईन ईंधन की कीमतों में आई तीव्र वृद्धि के कारण इस उद्योग के लिए सहायता देने के बारे में अनुरोध किया था। एयरलाइनों ने अन्य बातों के साथ-साथ एटीएफ की कीमतों को कम करने, हवाईअड्डा प्रभारों को कम करने, तेल कंपनी की देय राशियों के भुगतान के लिए रियायत अवधि दिए जाने तथा थ्रू पुट प्रभारों में कमी करने आदि के संबंध में सरकार से अनुरोध किया है।

सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू विमानन उद्योग की सहायता करने के उद्देश्य से विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें ये शामिल हैं:-

1. एटीएफ के आयात पर सीमा शुल्क को समाप्त किया गया है;
2. तेल कंपनियों ने एयरलाइनों के 6 महीने से अधिक के देयों का भुगतान आगे-पीछे करने की अनुमति दे दी है। तेल कंपनियों ने ऋण अवधि को भी बढ़ा दिया है।
3. विश्वव्यापी क्रूड आयल की कीमतों में कमी के कारण, तेल कंपनियों ने भी सितम्बर, 2008 से एटीएफ की कीमतों में कमी की है। उन्होंने मासिक आधार के स्थान पर पंद्रह दिनों के आधार पर एटीएफ की कीमतों की घोषणा करना आरंभ कर दिया है। जिसके कारण एयरलाइनों को कच्चे तेल की कीमतों में कमी होने की स्थिति में लाभ मिल रहा है।

डा. बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमाएं

3037. श्री पी.सी. थामस: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सभी सरकारी कार्यालयों तथा राज्य सरकार के कार्यालयों के सामने डा. बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने संबंधी मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन का विकास

3038. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन के विकास हेतु नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) वर्ष 2008-09 के दौरान पर्यटन मंत्रालय से केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन के विकास हेतु कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फेरीवालों को लाइसेंस जारी करना

3039. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे फेरीवालों को रेलगाड़ियों में अपना सामान बेचने के लिए लाइसेंस जारी करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में रेलवे को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इन आवेदनों पर अब तक रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) फेरीवालों को लाइसेंस प्रदान करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि रेल अधिनियम, 1989 की धारा 144 और रेल अधिनियम, 2003 (द्वितीय आशोधन) के तहत गाड़ियों में अप्राधिकृत वेंडिंग और फेरी लगाना अवैध तथा अपराध है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में लक्जरी कोच

3040. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने देश में यात्रियों के लिए लक्जरी कोच सेवा शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे डिब्बों में यात्रियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन सवारी डिब्बों में कौन-सी एजेंसी ऐसी सभी सुविधाएं प्रदान करेगी;

(ङ) क्या रेलवे ने देश में महत्वपूर्ण पर्यटक स्थानों से होकर जाने वाली रेलगाड़ियों में ऐसे सवारी डिब्बे लगाने के लिए कोई रणनीति बनाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। बहरहाल, भारतीय रेल संबंधित राज्य पर्यटन निगमों के सहयोग से पूर्व निर्धारित पैकेज टूर/यात्रा कार्यक्रम के आधार पर लक्जरी पर्यटन गाड़ियां चलाती है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दलालों के कारण समस्या

3041. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने दिनांक 3 अक्तूबर, 2008 के समाचार पत्र 'दैनिक जागरण' में 'नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से टिकट का दलाल गिरफ्तार' शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत रेल टिकटों की कालाबाजारी तथा जाली टिकट आरक्षण में संलिप्त दलालों/एजेंटों को सजा देने के लिए कोई प्रावधान नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में देश के प्रत्येक रेलवे मंडल में रेल टिकटों की कालाबाजारी तथा जाली टिकट आरक्षण में संलिप्त एजेंटों/स्टाफ को पकड़ने तथा सजा देने के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। 1.10.2008 तथा 2.10.2008 को कोई टिकट दलाल गिरफ्तार नहीं किया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलवे टिकटों की कालाबाजारी करने वाले दलालों तथा एजेंटों के विरुद्ध रेल अधिनियम, 1989 की धारा 143 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

(घ) दलालों तथा अन्य असमाजिक तत्वों की गैर-कानूनी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए रेलवे आरक्षण कार्यालयों में और उनके आसपास नियमित तथा निवारक जांचें की जाती हैं। व्यस्त एवं भीड़भाड़ की अवधि के दौरान आरक्षण कार्यालयों में निगरानी भी बढ़ा दी जाती है। इसके अतिरिक्त अप्राधिकृत व्यक्तियों से टिकटों की खरीद की प्रवृत्ति रोकने के लिए यात्री जनता को विभिन्न मीडिया के माध्यम से शिक्षित किया जाता है। इस संबंध में पकड़े गए दलालों के विरुद्ध कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। दलालों के साथ मिली-भगत में लिप्त पाए जाने पर रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। बहरहाल, मंडल-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

ईरान में रेल परियोजना

3042. श्री गणेश सिंह:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईरान में रेल परियोजना पर भारत और ईरान के बीच कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पायलटों तथा केबिन के सदस्यों के लिए चिकित्सा मानदण्ड

3043. डा. एम. जगन्नाथ:
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार घरेलू विमान कंपनियों के हाइपरटेंशन से ग्रसित होने वाले पायलटों तथा केबिन के सदस्यों को तब तक काम पर नहीं जाने दिया जाएगा जब तक उनका रक्त चाप संतोषजनक नहीं पाया जाता;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु रक्त चाप की कोई सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) नागर विमानन महानिदेशालय ने 'सिविल एयर क्रू में हाईपरटेंशन के मामलों के निपटान' पर ''वैमानिक सूचना परिपत्र'' क्रम संख्या 10/2008 जारी किया है। यदि हाईपरटेंशन की पुष्टि हो जाती है तो पायलट को विमान उड़ाने की ड्यूटी से टेक-आफ दिया जाता है तथा तब तक प्राधिकृत डाक्टर द्वारा उसका उपचार किया जाता है जब तक ब्लड प्रेशर संतोषजनक रूप से नियंत्रण में न आ जाए। अध्यक्ष, मेडिकल बोर्ड पायलट को 4 हफ्तों के लिए उड़ान ड्यूटी से 'अस्थाई रूप से अनफिट' घोषित कर सकता है तथा उसे अगली जांच के लिए इन्स्टीट्यूट आफ एरो-स्पेस मेडिसिन, बंगलौर/एयर फोर्स सेन्ट्रल मेडिकल ईस्टेबलिशमेंट, नई दिल्ली, भेज सकता है।

(ग) और (घ) ब्लड प्रेशर रिकार्डिंग 140/90 एमएमएचजी सामान्य सीमा मानी जाती है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

3044. श्री एल. राजगोपाल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के अपराधों की संख्या वर्ष 2005 में 31,300 से बढ़कर वर्ष 2007 के अंत तक लगभग 35,000 हो गई है;

(ख) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार तथा अस्पृश्यता के अपराधों से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के अपराधों को नियंत्रित करने में असफल रही है; और

(घ) यदि हां, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध इस बुराई को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य योजना बनाई गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत रजिस्टर किए गए मामलों की संख्या वर्ष 2005 में 31,387; वर्ष 2006 में 32,407 और वर्ष 2007 में 35,352 थी।

(ख) से (घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में 2006 में एक समिति गठित की गई थी ताकि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अस्पृश्यता के अपराधों और अत्याचारों को रोकने के लिए अर्थोपाय बनाने हेतु प्रभावी समन्वय हो और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का प्रभावी कार्यान्वयन हो। समिति ने छह बैठकें, दिल्ली में 18.9.2006, जयपुर में 15.1.2007, मुंबई में 11.8.2007, हैदराबाद में 28.1.2008, चंडीगढ़ में 15.3.2008 और अगरतला में 30.5.2008 को, की गईं।

चूंकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, अत: मंत्रालय ने प्रावधानों को अक्षरश: कार्यान्वित करने के लिए इनसे अनुरोध किया है। केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत देय केन्द्रीय सहायता भी मुख्यत: प्रशासनिक, प्रवर्तन और न्यायिक मशीनरी को सुदृढ़ करने एवं अन्तरजातीय विवाह, जागरूकता सृजन व प्रभावित व्यक्तियों की राहत और पुनर्वास के लिए, इन्हें प्रदान की जाती है।

क्रूज पर्यटन पर फिक्की द्वारा किया गया अध्ययन

3045. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 'फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री' (फिक्की-इवेल्यूसर्व स्टडी आन क्रूज टूरिज्म'' शीर्षक से कराए गए अध्ययन के अनुसार वर्ष 2010 तक भारतीय पत्तनों पर घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में तीन गुना वृद्धि हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच की है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) देश में क्रूज पर्यटन की व्यापक संभावना है, तद्नुसार पोत परिवहन मंत्रालय की क्रूज शिपिंग नीति अनुमोदित की गई है। वर्ष 2008-09 में क्रूज पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

1. कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोच्चि के लिए 725.00 लाख रुपए की रिलीज के साथ कोचीन पोर्ट, केरल में पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु 1450.00 लाख रुपए।
2. पूमपूहार शिपिंग कारपोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के लिए 13.17 लाख रुपए की रिलीज के साथ तमिलनाडु में नौकाओं की खरीद के लिए 52.70 लाख रुपए।

3 से 13 दिसम्बर, 2008 तक वोल्वो ओशन रेस की मेजबानी करने के लिए कोचीन पोर्ट भी विश्व के ग्यारह पोर्टों में से एक था।

मैसूर और बंगलौर के बीच आमान परिवर्तन कार्य

3046. श्री एम. शिवन्ना: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने मैसूर-बंगलौर के बीच रेल लाइन पर आमान परिवर्तन कार्य आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मैसूर और बंगलौर के बीच आमान परिवर्तन में एक बड़ी बाधा आ रही है क्योंकि इसके मार्ग में श्रीरंगपटनम के निकट एक धर्मस्थल है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा इस समस्या के समाधान तथा उक्त कार्य को बिना किसी विलंब के पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) मैसूर और बेंगलूरू के बीच आमान-परिवर्तन संबंधी कोई कार्य नहीं है क्योंकि इस खंड पर पहले ही बड़ी लाइन मौजूद है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

'ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड' का गठन

3047. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विमान दुर्घटनाओं की जांच करने के लिए एक ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नागर विमानन मंत्रालय ने इस संबंध में एक प्रस्ताव मंत्रिमण्डल सचिवालय को अनुमोदन हेतु भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामले की जांच में तेजी लाने के लिए स्वतंत्र जांच निकाय कितना सहायक सिद्ध होगा?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) नागर विमानन मंत्रालय में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, विंग को विनियामक विंग से अलग करने की कार्रवाई करने के लिए निर्णय लिया गया है जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ने सिफारिश की है। नागर विमानन महानिदेशालय से उसकी रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है।

योजना आयोग से टिप्पणियां देने के लिए राष्ट्रीय परिवहन संरक्षा बोर्ड के संबंध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव

में सांविधिक शक्तियां प्राप्त एक शीर्ष परिवहन संरक्षा संगठन के रूप में कार्य करने के लिए एक निकाय की स्थापना किए जाने का उल्लेख किया गया था। नागर विमानन मंत्रालय ने प्रस्ताव के पक्ष में अपनी टिप्पणियां दे दी थीं।

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और आपूर्ति

3048. श्री महावीर भगोरा: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के जनजातीय क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इन क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति हेतु नई डीलरशिप जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को उक्त क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की तस्करी तथा इनमें मिलावट की जानकारी है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जनजातीय क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, ग्राहकों की पेट्रोल एवं डीजल की मांग जनजातीय क्षेत्रों सहित सारे देश में तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के खुदरा बिक्री केन्द्रों के माध्यम से पूरी की जाती है।

अक्तूबर 2008 की अवधि के लिए देश में पेट्रोल, डीजल और द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की अनुमानित मांग इस प्रकार है:-

आंकड़े मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) में

पेट्रोलियम उत्पाद	मात्रा
पेट्रोल	6.44
डीजल	29.26
एलपीजी	6.90

(ग) और (घ) तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने रिपोर्ट दी है कि ग्रामीण क्षेत्रों सहित नए खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओज) स्थापित करना एक सतत प्रक्रिया है और वे सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययनों पर आधारित पर्याप्त सम्भावना वाले और आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाए जाने वाले स्थानों पर खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करते हैं। इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रक्रियाएं जैसे विज्ञापन देना, साक्षात्कार, डीलरों का चयन, प्रत्यय पत्रों का क्षेत्र सत्यापन, आशय पत्र (एलओआई) जारी करना, भूमि का प्रापण, आवश्यक सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करना, निर्माण कार्य आदि शामिल हैं।

(ङ) और (च) पेट्रोल/डीजल और बाजार में उपलब्ध विभिन्न अपमिश्रकों के बीच मूल्य में भारी अंतर और पेट्रोल/डीजल के साथ इन उत्पादों के आसानी से घुलमिल जाने के कारण कुछ बेईमान तत्वों द्वारा पेट्रोल/डीजल में मिलावट की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) खुदरा बिक्री केंद्रों का नियमित और औचक निरीक्षण करती हैं तथा मिलावट और कदाचारों में संलिप्त पाए जाने वालों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) और डीलरशिप करारों के अंतर्गत कार्रवाई भी करती हैं। एमडीजी में मिलावट, सीलों के साथ छेड़छाड़, वितरण इकाइयों में अनधिकृत फिटिंगों/गियरों जैसे गंभीर कदाचारों के पहले मामले में ही डीलरशिप की समाप्ति का प्रावधान है।

मिलावट की रोकथाम करने के लिए सरकार ने अनेक अतिरिक्त पहलें की हैं जैसे कि खुदरा बिक्री केंद्रों का स्वचलन, खुदरा बिक्री केन्द्रों का तृतीय पक्षकार प्रमाणन, वैश्विक स्थितिज्ञान प्रणाली (जीपीएस) के माध्यम से टैंक ट्रकों के आवागमन की निगरानी, जन केरोसीन परियोजना (जेकेपी) मिट्टी तेल में मार्कर का उपयोग, एमडीजी का संशोधन इत्यादि।

[अनुवाद]

अभिलेखागार विद्यालय

3049. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में चल रहे अभिलेखागार विद्यालयों के राज्य-वार तथा स्थान-वार नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उन स्थानों पर ऐसे विद्यालय स्थापित करने का है जहां ये विद्यमान नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) अभिलेखीय अध्ययन पीठ, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार अल्पकालिक पाठ्यक्रमों सहित डिप्लोमा पाठ्यक्रम का संचालन कर रहा है (प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है) जिसमें समूचे देश के उम्मीदवार भाग लेते हैं। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में उपलब्ध सूचना के अनुसार, विभिन्न राज्यों में अनेक संस्थान/ विश्वविद्यालय समय-समय पर विभिन्न अवधियों के अभिलेखीय पाठ्यक्रम चला रहे हैं। इनके ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(1) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, गुजरात

(2) बहरामपुर विश्वविद्यालय, बहरामपुर, उड़ीसा

(3) आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर, आंध्र प्रदेश

(4) गुजरात राज्य अभिलेखागार, अहमदाबाद, गुजरात

(5) राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर, राजस्थान

(6) पश्चिम बंगाल राज्य अभिलेखागार, कोलकाता, पश्चिम बंगाल

(7) तमिलनाडु राज्य अभिलेखागार, चेन्नई, तमिलनाडु

(8) उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

(ख) इस समय भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में यथा उल्लिखित।

विवरण

अभिलेखीय अध्ययन पीठ, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

व्यावसायिक स्तर पर पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं:

(क) 1 नवम्बर से 31 अक्तूबर तक एक वर्ष की अवधि का अभिलेखागार एवं अभिलेख प्रबंधन में डिप्लोमा पाठ्यक्रम।

(ख) अल्पकालिक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम:

1. अभिलेखागार प्रबंधन (6 सप्ताह का एक सत्र)
2. अभिलेख प्रबंधन (4-4 सप्ताह के दो सत्र)
3. रिप्रोग्राफी (6-6 सप्ताह के दो सत्र)
4. पुस्तक, पाण्डुलिपि एवं अभिलेखागार देखरेख एवं संरक्षण (8-8 सप्ताह के दो सत्र)।

उप-व्यावसायिक स्तर पर:

5. अभिलेखों की व्यवस्था एवं मरम्मत (6-6 सप्ताह के दो सत्र)।

खनिजों हेतु मालभाड़ा दरें

3050. श्री जुएल ओराम: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का कुछ खनिजों की मालभाड़ा दरों में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा मालभाड़ा दरों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं; और

(ग) मालभाड़ा दरों में लगातार वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय रेल की सक्रिय मूल्यनिर्धारण नीति के भाग के रूप में मालभाड़ा दर अथवा श्रेणी में परिवर्तन एक सतत् प्रक्रिया है।

एचपीसीएल, हजारवाडी एलपीजी संयंत्र में भर्ती

3051. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), हजारवाडी एलपीजी संयंत्र में 15 अक्तूबर, 2004 के पश्चात् संवर्ग-वार कितने लोगों की भर्ती की गई;

(ख) क्या भूमि गंवाने वाले लोगों को उचित अतिरिक्त मुआवजे के अनुदान हेतु अपेक्षित आदेश जारी किए जा चुके हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) 15 अक्तूबर, 2004 के बाद से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के हजारवाडी एलपीजी संयंत्र में किसी संवर्ग में कोई भर्ती नहीं हुई है।

(ख) और (ग) मामले पर राहत और पुनर्वास विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा विचार किया जाना है।

राष्ट्रीय उद्यानों से होकर गुजरने वाली रेल पटरियों पर रेल दुर्घटनाएं

3052. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तथा मटरनिया-घाट वन्यजीव मंडल सहित विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों से गुजरने वाली रेल पटरियों पर रेल दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए कोई गति-सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने रेलवे से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तथा कररनियाघाट वन्यजीवन मंडल के संपूर्ण भाग से रेल लाइन हटाने को कहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) क्या प्रख्यात पर्यावरणविदों तथा जनप्रतिनिधियों ने वन्य जीवों को बचाने हेतु मेलानी-गोंडा रेल खंड को हटाने/मार्ग परिवर्तित करने की मांग की है; और

(ज) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गयी वन्य जीवन संबंधी दुर्घटनाएं नीचे दिए अनुसार हैं:-

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या
2005-06	1
2006-07	1
2007-08	5
2008-09 (अक्तूबर, 2008 तक)	1

(ग) जी हां।

(घ) राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र में गुजरने वाली गाड़ियों के लिए अस्थायी गति प्रतिबंध नीचे दिए अनुसार है:-

(1) पालिया कालन-दुधवा— किमी. 232/6-228/6 पर स्टाप डेड + 10 कि.मी. प्र.घं. का गति प्रतिबंध।

(2) पालिया कालन-दुधवा— कि.मी. 226/0-225/9 पर 50 किमी. प्र.घं. का गति प्रतिबंध।

(3) दुधवा-सोनारीपुर— कि.मी. 222/05-221/04 पर 20 कि.मी. प्र.घं. का गति प्रतिबंध।

(4) सोनारीपुर-वेलरायन— कि.मी. 207/6-194/-6 पर 30 कि.मी. प्र.घं. का गति प्रतिबंध।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) जी हां।

(ज) रेलवे लाइन को दुधवा राष्ट्रीय पार्क से हटाकर उसका मार्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि बेलारायन से पालिया कालन के बीच रेल पथ नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक है। सामरिक कारणों और देश की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण रेल पथ के संरेखण को हटाना/उसमें परिवर्तन करना संभव नहीं होगा। वर्तमान में मामला निर्णयाधीन है और रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के समक्ष विचाराधीन है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नए संयंत्रों की स्थापना

3053. श्री संतोष गंगवार: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा देश के विभिन्न भागों में विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य में कितने नए संयंत्रों की स्थापना की गई;

(ख) स्थापित किए गए संयंत्रों का राज्य-वार, स्थान-वार तथा जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख तेल उपक्रमों द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए संयंत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	संयंत्रों का नाम	स्थल	जिला	स्टेट
1	2	3	4	5	6
1.	ओएनजीसी	(1) सी2-सी3 निष्कर्षण संयंत्र	लुवारा	भरुच	गुजरात
		(2) त्रिपुरा पावर प्रोजेक्ट्स	पल्लाटना	साऊथ त्रिपुरा	त्रिपुरा
		(3) ओएनजीसी पेट्रो-एडशिन लिमि.	लुवारा	भरुच	गुजरात
		(4) ओएनजीसी एमआरपीएल	मंगलौर एसईजेड	मंगलौर	कर्नाटक
2.	ओआईएल	प्रोडक्ट पाइपलाइन	एनआरएल	असम-सिलिगुडी	असम और पश्चिम बंगाल
3.	आईओसीएल	(1) डीजल हाइड्रोट्रियटर (डीएचडीटी)	मथुरा रिफाइनरी	मथुरा	उत्तर प्रदेश (यूपी)
		(2) इसोमेरिसेशन (आईएसओएम)	मथुरा रिफाइनरी	मथुरा	यूपी
		(3) एक्सपेंशन प्रोजेक्ट	पानीपत रिफाइनरी	पानीपत	हरियाणा
		(4) पेराक्सिलेन एंड प्यूरीफाइड ट्रेपथेलिक एसिड	पानीपत	पानीपत	हरियाणा
		(5) सीआरयू रिवेम्प, आईएसओएम यूनिट	हल्दिया रिफाइनरी	मिदनापुर/हल्दिया	पश्चिम बंगाल
		(6) केटालियटिक रिफोर्मिंग यूनिट	गुजरात रिफाइनरी	वड़ोदरा	गुजरात
		(7) सिद्धपुर संगानेर पाइपलाइन	सिद्धपुर पम्प स्टेशन	पाटन	गुजरात
		(8) सिद्धपुर संगानेर पाइपलाइन	कोट पम्प स्टेशन	पाली	राजस्थान
		(9) सिद्धपुर संगानेर पाइपलाइन	संगानेर टर्मिनल	जयपुर	राजस्थान
		(10) ब्रांच पाइपलाइन	बाघुसुरी टी-प्वाइंट	अजमेर	राजस्थान
		(11) ब्रांच पाइपलाइन	अजमेर टर्मिनल	अजमेर	राजस्थान
		(12) चेन्नई त्रिची मदुरई पाइपलाइन	चेन्नई पम्प स्टेशन	तिरूवल्लुर	राजस्थान
		(13) चेन्नई त्रिची मदुरई पाइपलाइन	मदुरई टर्मिनल	मदुरई	तमिलनाडु
		(14) चेन्नई त्रिची मदुरई पाइपलाइन	टी-प्वाइंट असानुर	विलुपुरम	तमिलनाडु
		(15) चेन्नई त्रिची मदुरई पाइपलाइन	संकारी टर्मिनल	सलेम	तमिलनाडु
		(16) चेन्नई त्रिची मदुरई पाइपलाइन	त्रिची में टेप आफ प्वाइंट	तिरूचिरापल्ली	तमिलनाडु

1	2	3	4	5	6
		(17) त्रिची में टीओपी		तिरूचिरापल्ली	तमिलनाडु
		(18) मुद्रा-कांडला पाइपलाइन		गुजरात	तमिलनाडु
		(19) मुद्रा-कांडला पाइपलाइन	चुरवा स्क्रेपर स्टेशन	कच्छ	गुजरात
		(20) कोयाली दहेज पाइपलाइन	कोयाली पम्प स्टेशन	वड़ोदरा	गुजरात
		(21) कोयाली दहेज पाइपलाइन	दहेज टर्मिनल	वड़ोदरा	गुजरात
		(22) ब्रांच पाइपलाइन	लसारिया टी-प्वाइंट	अजमेर	राजस्थान
		(23) ब्रांच पाइपलाइन	चित्तौड़गढ़ टर्मिनल	चित्तौड़गढ़	राजस्थान
		(24) चित्तौड़गढ़ में टीओपी	चित्तौड़गढ़ टीओपी	चित्तौड़गढ़	राजस्थान
		(25) पिगेबल प्रोडक्ट्स डाकलाइन	नरिमनम पम्प स्टेशन	थांजावुर	तमिलनाडु
		(26) पिगेबल प्रोडक्ट्स डाकलाइन	नागापट्टिनम पंप स्टेशन	नागापट्टिनम	तमिलनाडु
		(27) एटीफ पाइपलाइन	नागापट्टिनम जेट्टी	बंगलौर रूरल	कर्नाटक
		(28) एटीफ पाइपलाइन	एएफएस टर्मिनल	बंगलौर रूरल	कर्नाटक
		(29) पानीपत जालंधर एलपीजी पाइपलाइन	कोहान पम्प स्टेशन	करनाल	हरियाणा
		(30) पानीपत जालंधर एलपीजी पाइपलाइन	नाभा टेप आफ प्वाइंट	पटियाला	पंजाब
		(31) पानीपत जालंधर एलपीजी पाइपलाइन	जालंधर टर्मिनल	जालंधर	पंजाब
		(32) असौटी डिपो	फरीदाबाद	फरीदाबाद	हरियाणा
		(33) चित्तौड़गढ़ टर्मिनल	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	राजस्थान
		(34) पासीघाट डिपो	ईस्ट सिंग	ईस्ट सिंग	अरुणाचल प्रदेश
		(35) रामागुंडम डिपो	कसारिन नगर	कसारिन नगर	आंध्र प्रदेश
		(36) मदुरई टर्मिनल	मदुरई	मदुरई	तमिलनाडु
		(37) त्रिची टर्मिनल	त्रिची	त्रिची	तमिलनाडु
		(38) मौलखांग एलपीजी बोट्टलिंग प्लांट	कोलासिब	कोलासिब	मिजोरम
		(39) सेकमई एलपीजी बोट्टलिंग प्लांट	इम्फाल (डब्ल्यू)	इम्फाल (डब्ल्यू)	मणिपुर
		(40) रायपुर एचपीजी बोट्टलिंग प्लांट	रायगढ़	रायगढ़	छत्तीसगढ़
		(41) कोलाबा एएफएस	मुम्बई	मुम्बई	महाराष्ट्र
		(42) कोल्हापुर एएफएस	कोल्हापुर	कोल्हापुर	महाराष्ट्र
		(43) सूरत एएफएस	सूरत	सूरत	गुजरात
		(44) दमन एएफएस	दमन	दमन	दमन

[अनुवाद]

रक्षा कर्मिकों हेतु रेल आरक्षण कोटा

3054. श्री पी.सी. गद्दीगउडर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलगाड़ियों से यात्रा करने वाले रक्षा कार्मिकों का आरक्षण कोटा नहीं होता और वे कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे का विचार प्रत्येक रेलगाड़ी में एक रक्षा कोच सहित रक्षा कार्मिकों हेतु रक्षा कोटा आरक्षित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) रेलगाड़ियों में रक्षाकार्मिकों की यात्रा को सुसाध्य बनाने के उद्देश्य से रेलों ने पहले ही उनके लिए अनन्य रूप से निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था की है:-

(1) रक्षा विभाग कोटा के रूप में, जिसे रक्षा प्राधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जायेगा, शायिकाओं/सीटों के लिए चिह्नित करना।

(2) जहां कहीं व्यवहार्य हो, वहां विभिन्न मार्गों पर अनारक्षित सवारी डिब्बों में स्थान चिह्नित करना।

(3) विशेष गाड़ियां चलाना।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विमान कंपनियों की कठिनाइयों का अध्ययन करने संबंधी समिति

3055. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ईंधन के बढ़ते मूल्य तथा अन्य कठिनाइयों का सामना कर रही विमान कंपनियों की सहायता तथा विमानन उद्योग को बचाने हेतु एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने घरेलू एयरलाइनों द्वारा अनुभव की जा रही चालू वित्तीय कठिनाई से संबंधित विभिन्न मुद्दों की छानबीन करने के लिए, मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जिसमें वित्त सचिव; सचिव, नागर विमानन मंत्रालय; सचिव, राजस्व विभाग; सचिव, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय; सचिव, योजना आयोग, डा. दीपक पारिख; अध्यक्ष एचडीएफसी, प्रोफेसर डा. रघुराम, आईआईएम, अहमदाबाद शामिल हैं। समिति की दो बैठकें क्रमश: 14.8.2008 तथा 18.11.2008 को हुईं।

(ग) जी, नहीं। तथापि, समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं, जो बैठक में विचार-विमर्श किए गए मुद्दों पर आधारित हैं। अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया था:-

एयरलाइनों को हो रही हानियों पर विमानन टरबाईन ईंधन के बढ़ते मूल्य का प्रभाव, एटीएफ पर बिक्री कर का युक्तिकरण जिससे इसे घोषित माल का दर्जा दिया जा सके, एटीएफ पर सीमा शुल्क को हटाना, एयरलाइनों द्वारा एटीएफ का आयात, तेल कंपनियों द्वारा एटीएफ का मूल्य निर्धारण, निजी घरेलू एयरलाइनों को अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन की अनुमति देना, विमान परिवहन सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।

(घ) समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें भी कीं:

वित्तीय सहायता के पैकेज का निर्धारण किया जाना चाहिए, एटीएफ के मूल्य के लिए तेल कम्पनियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे तंत्र की पुन: जांच, एटीएफ पर सीमा शुल्क के मुद्दे की पुन: जांच, एयरलाइनों द्वारा एटीएफ का आयात, एटीएफ पर बिक्री कर में कटौती।

(ङ) समिति की सिफारिशों पर विमानन उद्योग की सहायता करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. एटीएफ के आयात पर सीमा शुल्क को समाप्त किया गया है,

2. तेल कंपनियां सितम्बर, 2008 से एटीएफ की कीमतों को कम कर रही हैं,

3. तेल कंपनियों ने एयरलाइनों के 6 महीने से अधिक के बकाया देयों को आगे-पीछे भुगतान करने की अनुमति दी है।

4. तेल कंपनियों ने ऋण अवधि को भी बढ़ा दिया है।

भारत और ब्रुनेई के बीच समझौता ज्ञापन

3056. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने ब्रुनेई के साथ संस्कृति, कला और खेलों के क्षेत्रों में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, हां।

(ख) इस समझौता-ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- संस्कृति, कला तथा खेल के क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित तथा विकसित करना;
- दो सरकारों के सांस्कृतिक तथा खेल संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना;
- संबंधित सरकार द्वारा अपने सांस्कृतिक तथा खेल संस्थानों में अध्ययन, प्रशिक्षण, अनुसंधान कार्य तथा सुविज्ञता हेतु संस्तुत नागरिकों का स्वागत करना;
- आदान-प्रदान का विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने तथा समझौता-ज्ञापन के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करने के लिए प्रत्येक सरकार से बराबर संख्या में प्रतिनिधियों की संयुक्त परामर्शदात्री समिति गठित करना;
- इस समझौता-ज्ञापन के निर्वचन/कार्यान्वयन के संबंध में संबंधित सरकारों के बीच किसी भी विवाद का निपटान परामर्श या बातचीत के माध्यम से किया जाएगा;
- समझौता-ज्ञापन 22.5.2008 को हस्ताक्षरित किया गया है तथा यह पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। तत्पश्चात् यह तब तक एक बार में आगे एक और वर्ष के लिए स्वत: नवीकृत हो जाएगा जब तक कि दोनों में से कोई भी सरकार इस समझौता-ज्ञापन में निर्धारित पद्धति के अनुसार इसे समाप्त नहीं कर देती।

तत्काल टिकटों का जारी किया जाना

3057. श्री भाईलाल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे रेल यात्रियों को "तत्काल" टिकट जारी करने में दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए जहां दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई आरंभ की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों हेतु अनुदान

3058. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 40.91 लाख अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1433 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस धनराशि को खर्च करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्य योजना बनाई गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वार्षिक योजना 2008-09 में अनुसूचित जातियों के कल्याण संबंधी योजनाओं के अंतर्गत 1815.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अनुदानों/निधियों को संगत योजना और लागू दिशा-निर्देशों/मानकों/नियमों के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/गैर-सरकारी संगठनों को जारी किया जाता है। चरणबद्ध तरीके से निधियों की समय से निर्मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

उच्च क्षमता वाले इंजनों का आयात

3059. श्री मोहन सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने यात्री रेलगाड़ी तथा मालगाड़ी हेतु तीव्र गति के इंजनों की आपूर्ति हेतु विदेशी कंपनियों के साथ अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये देश कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या रेलवे को इंजनों को आयात करने के लिए विवश होना पड़ा है क्योंकि स्वदेशी प्रौद्योगिकी से निर्मित डीजल तथा इलैक्ट्रिक इंजनों में अधिक भार वहन करने की क्षमता नहीं है;

(घ) यदि हां, तो देश में हैवी ड्यूटी इंजनों के विनिर्माण हेतु रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उपर्युक्त इंजनों की खरीद पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है तथा इनकी आपूर्ति कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) (1) वर्ष 1993 में मैसर्स ए बी बी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स लि., स्विटजरलैंड से प्रौद्योगिकी के अंतरण सहित 6000 एचपी 25 केवी के 30 अदद वातानुकूलित बिजली इंजनों (20 माल तथा 10 पैसेंजर) का आयात किया गया था।

(2) मैसर्स जनरल मोटर्स कारपोरेशन, यूएसए से 1995 तथा 1999 में प्रौद्योगिकी के अंतरण सहित क्रमश: 4000 एचपी के 21 अदद डीजल बिजली माल तथा 11 अदद पैसेंजर इंजनों का आयात किया गया था।

(ग) जी नहीं। बहरहाल, अधिक शक्तिशाली तथा कार्यकुशल होने के कारण उन्नत प्रौद्योगिकी के नवसृजित इंजनों का सीमित संख्या में विगत में आयात इस उद्देश्य से किया गया कि बाद में भारत में ऐसे इंजनों का निर्माण किया जा सके।

(घ) वर्ष 1990 में निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के अंतरण सहित उच्च अश्व शक्ति के माल तथा पैसेंजर रेल इंजनों के प्रारंभिक आयात के बाद, भारतीय रेलों की उत्पादन इकाइयों, डीजल रेल इंजन कारखाना तथा चितरंजन रेल इंजन कारखाना द्वारा अब ऐसे रेल इंजनों को निर्माण किया जा रहा है।

(ङ) लागू नहीं।

[अनुवाद]

महिला विमान यातायात नियंत्रक

3060. श्री किरिप चालिहा: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर बड़ी संख्या में महिलाएं विमान यातायात नियंत्रक (एटीसी) के पद पर कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महिला एटीसी को हमेशा अत्यधिक तनाव, लगातार स्थानांतरण तथा अपने पारिवारिक जीवन की अनदेखी करते हुए तनावपूर्ण परिस्थितियों में अनियमित कार्य समय में कार्य करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी समस्याएं हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) इस समय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) में कुल 96 हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारी (एटीसीओ) कार्यरत हैं।

(ग) और (घ) एएआई में एटीसीओ के लिए कार्य वातावरण अंतर्राष्ट्रीय परिपाटियों के अनुरूप हैं। जहां तक निरंतर स्थानांतरणों और अनियमित कार्य समय में काम करने का संबंध है, एएआई ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

1. सामान्यतया महिला एटीसीओ को, विभिन्न स्टेशनों पर प्रचालनिक आवश्यकताओं के अध्यधीन, उनकी पसंद के स्टेशनों पर लगाया जाता है; तथा
2. जब कभी भी महिला एटीसीओ को प्रचालनिक ड्यूटी पर तैनात किया जाता है तो कार्यस्थल पर पृथक् विश्राम कक्ष उपलब्ध कराए जाते हैं।

जीर्ण-शीर्ण स्थिति में सेंट मेरी चर्च

3061. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश के सिकन्दराबाद में स्थित एक धरोहर इमारत सेंट मेरी चर्च का एक बड़ा भाग जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) सिकंदराबाद स्थित सेंट मेरी चर्च केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है। हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा इसे दाय भवन के रूप में घोषित किया गया है। यह भवन स्थानीय चर्च के प्राधिकारियों के नियंत्रण में है। इस समय चर्च के प्राधिकारियों द्वारा कुछ संरक्षण और मरम्मत कार्य निजी एजेंसी के जरिए करवाया जा रहा है।

हैलिकाप्टर सेवाएं

3062. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गंभीर हालत वाले रोगियों को लाने और ले जाने के लिए देश भर के महत्वपूर्ण और प्रमुख सरकारी अस्पतालों में हैलिकाप्टर सेवाएं शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कुछ ऐसे निजी आपरेटर हैं जो हैलिकाप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं (एचईएमएस) प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

अनुसंधान संबंधी अनुबंध प्रदान किया जाना

3063. श्री रामदास आठवले: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में सरकार द्वारा सलाहकारों, गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक एवं अनुसंधान संगठनों को दिए गए अनुसंधान संबंधी अनुबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय की वेबसाइट पर अनुसंधान संबंधी अनुबंध उपलब्ध करा दिए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अनुबंध प्रदान करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एण्ड टी) योजना के अंतर्गत उर्वरक विभाग द्वारा भारत में ख्याति प्राप्त अनुसंधान संस्थानों को दिए गए अनुसंधान संबंधी ठेकों के ब्यौरे उत्तर के विवरण-I में दिए गए हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाईपर), एसएएस नगर को दिए गए अनुसंधान संबंधी ठेकों के वर्षवार ब्यौरे उत्तर के विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) इन अनुसंधान ठेकों के संगत विवरण विभागों के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

(घ) उर्वरक विभाग में अनुसंधान संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों का संयुक्त सचिव की अध्यक्षता वाली जांच समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाता है और उनकी सिफारिश की जाती है। तब प्रस्तावों को अंतिम रूप से अनुमोदित करने हेतु सिफारिशों को सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में गठित परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) को प्रस्तुत किया जाता है। दोनों समितियों में तकनीकी विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व होता है।

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा नाईपर, एसएएस नगर जो इस विभाग के एक स्वायत्तशासी संस्थान है, को अनुसंधान के लिए दिया गया सहायता अनुदान विभाग के तकनीकी मूल्यांकन तथा आंतरिक वित्त प्रभाग की सहमति पर आधारित था।

विवरण I

विगत तीन वर्षों के दौरान उर्वरक विभाग की परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	संस्थान का नाम	परियोजना का शीर्षक	वर्ष
1	2	3	4
1.	आईआईपी देहरादून	सीओ2 रिकवरी के लिए नई एबजार्प्सन आधारित परियोजना	2005-06
2.	आईआईटी दिल्ली	पैक्ड कालमों में कार्बन डाईआक्साइड के रासायनिक डिसोरप्सन पर अध्ययन	2005-06

1	2	3	4
3.	आईआईटी खड़गपुर	मेम्ब्रान रिएक्टर में स्टीम रिफारमिंग हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट मिक्सचर में स्व-स्थाने प्रतिक्रिया और विलगन	2005-06
4.	आईआईसीटी हैदराबाद	वायुमंडलीय सीओ2, एन2, एच2 और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए यूरिया का फोटो केटेलिटिक संश्लेषण	2005-06
5.	आईआईटी दिल्ली	क्वाइल्ड फ्लो इन्वरटर फेज 2 पर पाइलट संयंत्र अध्ययन	2005-06
6.	सेन्ट्रल साल्ट एण्ड मेरीन केमिकल्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट, भावनगर, गुजरात	नमक के उप-उत्पाद के रूप में उत्पन्न बिटन में म्यूरिएट आफ पोटाश के उत्पादन के लिए सोडा ऐश उद्योग के डिस्टीलर वेस्ट (एक्वस सीएसीएल2/एनएसीएल) का उपयोग-सेन्ट्रल साल्ट एण्ड मेरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, भावनगर, गुजरात	2006-07
7.	बीआईटीएस, पिलानी (गोवा कैम्पस)	उर्वरक अमोनिया प्लांट में मेथनाल, अमोनिया और कार्बन डाईआक्साइड को हटाने के लिए वैकल्पिक प्रक्रिया रूट पर तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन-बिट्स, पिलानी	2006-07
8.	बीआईटीएस, पिलानी (गोवा कैम्पस)	डाइअमोनियम फास्फेट (डीएपी) संयंत्र में जीवन चक्र मूल्यांकन (एलसीए) का अनुप्रयोग	2007-08
9.	एफसीआई अरावली	उर्वरक के रूप में खनिज जिप्सम का संवर्धन	2007-08
10.	प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आफ इंडिया (पीडीआईएल)	उर्वरक संयंत्रों का तकनीकी आडिट	2007-08
11.	प्रोजेक्ट डेवलपमेंट आफ इंडिया(पीडीआईएल)	प्रयुक्त उत्प्रेरकों से निकल की रिकवरी के लिए पायलट प्लांट की स्थापना	2007-08

विवरण II

विगत तीन वर्षों के दौरान रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग की परियोजनाओं के ब्यौरे

पेट्रोरसायन

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (नाईपर) को 2005-06 और 2006-07 के दौरान निम्नलिखित अनुसंधान कार्यकलापों के लिए तकनीकी मूल्यांकन प्राप्त करने तथा आईएफडी से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था-

2005-06

(1) इम्प्यूरीटीज और डिग्रेडेशन उत्पादों के मानक तैयार करना,

(2) आक्साइड स्ट्रेस की टारगेटिंग-डाइबिटिक न्यूरोपैथी में एडवांस्ड ग्लाइकेटीन एण्ड प्रोडक्ट्स पाथवे,

(3) चिराल प्रिकर्सर(स)-1 (2-थिनाइल), का उत्पादन,

(4) नोवल एंटी पैरासाइटिक एजेंट डिजाइन और सिंथेसिस का विकास।

2006-07

(5) एंटी इनफ्लेमेंटरी एजेंटों के रूप में नए रासायनिक अस्तित्वों की डिजाइन सिंथेसिस और बायोलाजिकल मूल्यांकन,

(6) कोर्डियोवेस्कुलर औषधों की सिंथेसिस के लिए ग्रीन टेक्नोलाजी।

'007-08

शून्य

[अनुवाद]

एचएमटी कर्मचारियों हेतु पेंशन योजना

3064. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) घड़ी कारखाने के कर्मचारियों की बैंक कर्मचारियों के समान पेंशन योजना को स्वीकृति दी जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा): (क) और (ख) भारत सरकार की 17.10.1995 की गजट अधिसूचना के तहत प्रख्यापित अध्यादेश जो केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के कर्मचारियों पर लागू होता है, के जरिए एचएमटी लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के कर्मचारी कर्मचारी पेंशन स्कीम-1995 में शामिल हैं। यह बैंक कर्मचारियों पर लागू पेंशन स्कीम के समान नहीं है।

(ग) एचएमटी घड़ी कारखाने के कर्मचारियों पर लागू कर्मचारी पेंशन स्कीम-1995 की विशेषताएं और लाभ बैंक कर्मचारियों पर लागू पेंशन स्कीम से भिन्न है। बैंक कर्मचारी सम्पूर्ण कर्मचारी शेयर का पेंशन निधि में अंशदान कर सकते हैं जबकि कर्मचारी पेंशन स्कीम का अंशदान 6500/- रुपए की मजदूरी तक केवल 8.33 प्रतिशत तक सीमित है।

होटल प्रबंधन संस्थान

3065. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से आतिथ्य शिक्षा आरंभ करने के साथ-साथ 19 नए होटल प्रबंधन संस्थानों की स्थापना करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में वर्तमान में कार्यरत होटल प्रबंधन संस्थानों की स्थानवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इसके लिए स्थानों की पहचान कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 25 सरकारी पाककला संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) होटल उद्योग में श्रमशक्ति की मांग तथा आपूर्ति में अंतर दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (घ) जी, हां। 11वीं योजना के दौरान पर्यटन मंत्रालय का 19 नए होटल प्रबंध संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। स्थलों की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है और पर्यटन मंत्रालय सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता की पेशकश करता है। पर्यटन मंत्रालय आईटीआईज के माध्यम से आतिथ्य शिक्षा के संचालन का भी समर्थन करेगा। अभी तक पर्यटन मंत्रालय ने संलग्न विवरण-I के अनुसार 9 होटल प्रबंध संस्थान स्वीकृत किए हैं। चल रहे होटल प्रबंध संस्थानों की एक सूची संलग्न विवरण-II में दर्शाई गई है।

(ङ) और (च) जी, हां। इनमें से 7 भोजनकला संस्थान संलग्न विवरण-I के अनुसार पहले ही स्वीकृत किए गए हैं।

(छ) यह निर्णय लिया गया है कि पर्यटन मंत्रालय मौजूदा होटल प्रबंध संस्थानों/भोजनकला संस्थानों को सुदृढ़ करने और वोकेशनल स्कूलों, आईटीआईज, पालिटेक्निक संस्थानों, सरकारी कालेजों, यूनिवर्सिटियों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में आतिथ्य पाठ्यक्रमों की शुरूआत के लिए आवश्यक अवसंरचना के सृजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

विवरण I

11वीं योजना में स्वीकृत किए गए 9 राज्य होटल प्रबंध संस्थानों एवं 7 राज्य भोजनकला संस्थानों की अवस्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अवस्थिति	स्वीकृति का वर्ष
1	2	3	4
	राज्य होटल प्रबंधन संस्थान		
1.	अरुणाचल प्रदेश	यूपिया	2007-08
2.	बिहार	आईएचएम, बोधगया	2007-08

1	2	3	4
3.	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	2007-08
4.	केरल	कोझिकोड	2007-08
5.	महाराष्ट्र	सोलापुर	2007-08
6.	मिजोरम	आईलवांग	2007-08
7.	नागालैंड	दीमापुर	2007-08
8.	पंजाब	भटिंडा	2007-08
9.	उत्तर प्रेश	फुरसतगंज	2007-08
	कुल	9	

राज्य भोजनकला संस्थान

1.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू	2007-08
2.	उत्तर प्रदेश	गढ़ मुक्तेश्वर	2007-08
3.	कर्नाटक	हासन	2007-08
4.	असम	नौगांव	2007-08
5.	बिहार	मुज्जफरपुर	2008-09
6.	पंजाब	होशियारपुर	2008-09
7.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	2008-09
	कुल	7	

विवरण II

एनसीएचएमसीटी के साथ संबद्ध चल रहे होटल प्रबंध स्थानों/ राज्य होटल प्रबंध संस्थानों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	डिग्री/पीजी डिप्लोमा/ डिप्लोमा/क्राफ्ट पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले केन्द्रीय होटल प्रबंध संस्थान	डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले राज्य होटल प्रबंध संस्थान
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	आईएचएम, हैदराबाद	-
2.	असम	आईएचएम, गुवाहाटी	-
3.	बिहार	आईएचएम, हाजीपुर	-
4.	चंडीगढ़	डा. अम्बेडकर आईएचएम, चंडीगढ़	सीआईएचएम, चंडीगढ़
5.	दिल्ली	आईएचएम, पूसा	डीआईएचएम, लाजपतनगर
6.	गोवा	आईएचएम, गोवा	-
7.	गुजरात	आईएचएम, गांधी नगर	-
8.	हरियाणा	-	एसआईएचएम, कुरूक्षेत्र
9.	हिमाचल प्रदेश	आईएचएम, कुफ्री	-
10.	जम्मू-कश्मीर	आईएचएम, श्रीनगर	-
11.	कर्नाटक	आईएचएम, बंगलौर	-
12.	केरल	आईएचएम, त्रिवेन्द्रम	एसआईएचएम, कोझिकोड
13.	मध्य प्रदेश	आईएचएम, ग्वालियर आईएचएम, भोपाल	-
14.	महाराष्ट्र	आईएचएम, मुम्बई	-
15.	मेघालय	आईएचएम, शिलांग	-
16.	उड़ीसा	आईएचएम, भुवनेश्वर	-
17.	पंजाब	आईएचएम, गुरदासपुर	-
18.	राजस्थान	आईएचएम, जयपुर	एसआईएचएम, जोधपुर
19.	सिक्किम	-	एसआईएचएम, गंगटोक
20.	तमिलनाडु	आईएचएम, चेन्नई	-
21.	उत्तर प्रदेश	आईएचएम, लखनऊ	-
22.	उत्तरांचल	-	आईएचएम, देहरादून
23.	पश्चिम बंगाल	आईएचएम, कोलकाता	-
	कुल	21	07
	कुल जोड़	28	

[हिन्दी]

तेल कंपनियों द्वारा संचालित तेल शोधनशालाएं

3066. श्री सूरज सिंह:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा तेल शोधनशालाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो ये तेल कंपनियां कौन-कौन सी हैं तथा वर्ष 2008-09 के दौरान उक्त कंपनियों द्वारा कच्चे तेल की कितनी मात्रा का प्रसंस्करण किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन कंपनियों का औसत सकल शोधन मार्जिन कितना रहा; और

(घ) पिछले वर्ष के प्रथम छह माह की तुलना में चालू वर्ष के प्रथम छह माह के दौरान तेल कंपनियों के शुद्ध लाभ में कितनी कमी आई?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) देश की 19 रिफाइनरियों में से 17 तेल रिफाइनरियों का प्रचालन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के नाम एवं उनकी रिफाइनरियों में संसाधित किए जा रहे कच्चे तेल की मात्रा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) अप्रैल-सितम्बर, 2008 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र रिफाइनरियों का औसत कुल शोधन लाभ लगभग 6.67 अमरीकी डालर/बैरल था।

(घ) अप्रैल-सितम्बर, 2007 की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 2008 के दौरान तीन तेल विपणन कंपनियों की कुल लाभ/हानि निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

	अप्रैल-सितम्बर, 2007	*अप्रैल-सितम्बर, 2008
आईओसी	5286.16	6632.00
बीपीसी	1230.88	3691.96
एचपीसी	766.10	4107.04
योग	7283.14	14431.00

*अप्रैल-सितम्बर, 2008 के आंकड़े निवल हानियां सूचित करते हैं।

विवरण

कंपनी का नाम	रिफाइनरी स्थल	अप्रैल-सितंबर, 2008 (2008-09) के दौरान संसाधित किया गया कच्चा तेल (टीएमटी)
इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)		
1.	कोयाली	6717
2.	मथुरा	4279
3.	पानीपत	6661
4.	हल्दिया	3101
5.	बरौनी	2980
6.	गुवाहाटी	512
7.	डिग्बोई	311
चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल की सहायक कंपनी)		
8.	मणली	4804
9.	नारिमनम	220
बोंगाईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमिकल्स लि. (आईओसीएल की सहायक कंपनी)		
10.	बोंगाईगांव	1013
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)		
11.	मुंबई	2854
12.	विशाख	4698
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)		
13.	मुंबई	6221
14.	कोच्चि	4030
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (बीपीसीएल की सहायक कंपनी)		
15.	नुमालीगढ़	1342
आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी)		
16.	तातीपाका	37
मैंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (ओएनजीसी की सहायक कंपनी)		
17.	मैंगलोर	6080

रेलवे स्टेशनों पर कृषि उत्पाद दुकानें

3067. श्री पंकज चौधरी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार रेलवे स्टेशनों पर कृषि उत्पादों हेतु दुकानें स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए परिवहन के बैकवर्ड इंटिग्रेशन सहित एकत्रण एवं वितरण केन्द्रों के माध्यम से कृषि उत्पादों के प्रोत्साहन की एक नीति रेल मंत्रालय के विचाराधीन है।

रेल यात्री निवास

3068. श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का शोलापुर रेलवे स्टेशन पर एक रेल यात्री निवास के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल भारतीय रेल द्वारा रेल यात्री निवास स्थापित करने का कोई विचार नहीं है। बहरहाल, रेल उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, भारतीय रेल ने 100 निर्धारित स्थलों पर बजट होटल स्थापित करने का विनिश्चय किया है। इन 100 स्थलों में से शोलापुर नहीं है।

दूरस्थ क्षेत्र रेल संपर्क योजना

3069. श्री कमला प्रसाद रावत:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरस्थ क्षेत्र रेल संपर्क योजना (आरएआरएसवाई) के अंतर्गत नई लाइनों तथा आमान परिवर्तन की कितनी परियोजनाएं आरंभ की गयी हैं;

(ख) नई लाइनों तथा आमान परिवर्तन के कितने कार्य मूल समय-सीमा से अधिक समय ले चुके हैं;

(ग) इस विलंब के क्या कारण हैं तथा परियोजनाओं की लागत में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है तथा इन्हें पूरा करने की संशोधित तिथि क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) दूरस्थ क्षेत्र रेल संपर्क योजना 2004-05 के रेल बजट (लेखानुदान) में घोषित की गयी थी। बहरहाल, परियोजना के लिए वित्त पोषण तय नहीं किया जा सका तथा यह योजना शुरू नहीं की गयी।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूर्व तटीय रेलवे में माल गोदामों का निर्माण/विस्तार

3070. श्री अर्जुन सेठी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में पूर्व तटीय रेलवे में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर माल गोदामों के निर्माण/विस्तार हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(ख) प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर इसके उपयोग का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या पूर्व तटीय जोन में भद्रक रेलवे स्टेशन हेतु आबंटित धनराशि का उपयोग कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में पूर्व तट रेलवे में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर माल शेडों के निर्माण एवं विस्तार हेतु निधियों का आवंटन एवं उपगत व्यय नीचे लिखे अनुसार है:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	वर्ष	आवंटन	व्यय
1.	कटक-पहुंच मार्ग, परिचलन क्षेत्र सहित माल टर्मिनल सुविधाओं में सुधार एवं आच्छादित माल शेड का विस्तार		2005-06	1.50	0.1797
			2006-07	1.000	2.0021
			2007-08	1.9177	0
			2008-09	0.1132	0.1415
2.	मंदिरहसौड़-दोनों तरफ प्रवेश, परिचलन क्षेत्र, प्लेटफार्म, सायबान युक्त शेड, पहुंच मार्ग एवं रोशनी व्यवस्था के साथ पूरे रेक साइडिंग का विकास		2005-06	1.00	0.58
			2006-07	1.000	0.9058
			2007-08	1.32	0.9937
			2008-09	0.1415	0.734
3.	बडगढ़ रोड-परिचलन क्षेत्र, पहुंच सड़क के लिए विकास और सायबान युक्त शेड की व्यवस्था		2005-06	1.00	0.0424
			2006-07	1.000	0.8352
			2007-08	1.40	0.6324
			2008-09	0.2829	0
4..	रायगडा-परिचलन क्षेत्र, पहुंच सड़क के लिए विकास और सायबान युक्त शेड की व्यवस्था		2005-06	1.00	0.0151
			2006-07	1.000	0.3932
			2007-08	1.222	1.5750
			2008-09	0.1188	0.0922

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोंकण रेलवे का विलय

3071. श्री बसुदेव आचार्य: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का ध्यान कोंकण रेलवे का भारतीय रेलवे में विलय करने और रेलवे के कर्मचारियों को भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के समान वेतन देने की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी नहीं। कोंकण रेल कारपोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) के निदेशक मंडल की सिफारिश पर, रेल मंत्रालय ने इस उपबंध के साथ केआरसीएल की वित्तीय पुनर्संरचना का प्रस्ताव किया है कि यह अपनी ऋण देयताओं को चुकाने के बाद भी रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बना रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के पुनर्संरचना बोर्ड (बीआरपीएसई) की सिफारिश के बाद, आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने पहले ही प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

सरकार ने विनिश्चय किया है कि केन्द्रीय महंगाई भत्ते (सीडीए) पैटर्न का अनुपालन करने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतनमान 29.8.2008 को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 6वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार 1.1.2006 से लागू किए अनुसार संशोधित होंगे। केआरसीएल में अधिकतर कर्मचारी वेतन के सीडीए पैटर्न का अनुपालन कर रहे

हैं, वे सरकारी अधिसूचना के अनुसार लागू उनके वेतनमानों का प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं।

(ग) आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन प्रस्ताव के अनुमोदन के छः महीने के भीतर लागू करना होगा।

यूनेस्को द्वारा विरासत का दर्जा

3072. **श्री फ्रांसिस फैन्थम:**
प्रो. एम. रामदास:
श्री मदन लाल शर्मा:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा भारत में कितने मंदिरों, किलों और विरासत का दर्जा रखने वाले अन्य स्थानों को मान्यता दी गई है और सरकार द्वारा उनके रखरखाव पर वार्षिक रूप से कितनी धनराशि का व्यय किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने यूनेस्को को विरासत के दर्जे के लिए उपयुक्त नए स्थानों को विश्व विरासत दर्जा दिए जाने के लिए एक सूची भेजी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन विश्व दाय स्थलों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। वर्ष 2008-09 के दौरान इनके रख-रखाव पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) से (घ) यूनेस्को विश्व दाय कन्वेंशन के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार विश्व दाय स्थल के रूप में शामिल किए जाने के लिए नामांकन डोजियर भेजने की अन्तिम तारीख 1 फरवरी, 2009 है। विश्व दाय केन्द्र को भेजे जाने के लिए कुछ नामांकन डोजियर तैयार किए जा रहे हैं।

विवरण I

भारत में विश्व दाय स्थल

सांस्कृतिक स्थल (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षणाधीन)

क्र.सं.	स्थल का नाम	राज्य
1	2	3
1.	अजन्ता गुफाएं (1983)	महाराष्ट्र
2.	एलोरा गुफाएं (1983)	महाराष्ट्र
3.	आगरा किला (1983)	उत्तर प्रदेश
4.	ताजमहल (1983)	उत्तर प्रदेश
5.	सूर्य मंदिर, कोणार्क (1984)	उड़ीसा
6.	स्मारक समूह, महाबलीपुरम (1984)	तमिलनाडु
7.	चर्चे तथा कान्वेंटें, गोवा (1986)	गोवा
8.	मंदिर समूह, खजुराहो (1986)	मध्य प्रदेश
9.	स्मारक समूह, हम्पी (1986)	कर्नाटक
10.	स्मारक समूह, फतेहपुर सीकरी (1986)	उत्तर प्रदेश
11.	मंदिर समूह, पट्टडकल (1987)	कर्नाटक
12.	एलिफेंटा गुफाएं (1987)	महाराष्ट्र
13.	तंजावुर, गंगईकोंडाचोलापुरम तथा दारासुरम स्थित महान विद्यमान चोल मंदिर (1987 तथा 2004)	तमिलनाडु
14.	बौद्ध स्मारक, सांची (1989)	मध्य प्रदेश
15.	हूमायूं का मकबरा, दिल्ली (1993)	दिल्ली
16.	कुतुब मीनार परिसर, दिल्ली (1993)	दिल्ली
17.	प्रागैतिहासिक शैलाश्रय, भीमबेटका (2003)	मध्य प्रदेश
18.	चम्पानेर-पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान (2004)	गुजरात
19.	लालकिला परिसर, दिल्ली (2007)	दिल्ली
	(रेल मंत्रालय के संरक्षणाधीन)	
20.	माउंटेन रेलवे आफ इंडिया [दार्जिलिंग (1999), नीलगिरि (2005), कालका शिमला (2008)]	पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु
21.	छत्रपति शिवाजी टर्मिनस (पूर्व विक्टोरिया टर्मिनस), मुम्बई (2004)	महाराष्ट्र
	(बौद्ध गया मंदिर प्रबंधन समिति के संरक्षणाधीन)	
22.	महाबोधि मंदिर, बौद्ध गया (2002)	बिहार

1	2	3
प्राकृतिक स्थल (पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के संरक्षणाधीन)		
1.	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (1985)	असम
2.	मानस वन्य जीव अभयारण्य (1985)	असम
3.	केयोलादेव राष्ट्रीय उद्यान (1985)	राजस्थान
4.	सुन्दरवन राष्ट्रीय उद्यान (1987)	पश्चिम बंगाल
5.	नंदा देवी तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान (1988, 2005)	उत्तराखण्ड

विवरण II

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन विश्व दाय स्थलों पर 2008-09 में खर्च की गई धनराशि

क्र.सं.	स्थल का नाम	संरचनात्मक संरक्षण		रासायनिक परिरक्षण	
		आबंटन	नवम्बर, 2008 तक व्यय	आबंटन	नवम्बर, 2008 तक व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	अजन्ता गुफाएं (1983)	रु. 73,94,995/- (गै.यो.)	रु. 31,72,805/- (गै.यो.)	शून्य	शून्य
2.	एलोरा गुफाएं (1983)	रु. 15,42,700/- (गै.यो.)	रु. 9,69,474/- (गै.यो.)	शून्य	शून्य
3.	आगरा किला (1983)	रु. 72,0000/- यो.	रु. 56,93,266/- यो.	रु. 8,10,000/- यो. रु. 4,38,000/- (गै.यो.)	रु. 1,19,526/- यो. रु. 1,37,306/- (गै.यो.)
4.	ताजमहल (1983)	रु. 1,14,50,000/- यो. रु. 4,00,000/- (गै.यो.)	रु. 1,10,93,251/- यो. शून्य (गै.यो.)	रु. 13,40,000/- यो. रु. 5,62,000/- (गै.यो.)	रु. 9,66,721/- यो. रु. 5,61,800/- (गै.यो.)
5.	सूर्य मंदिर, कोणार्क (1984)	रु. 24,00,000/- यो.	रु. 12,69,663/- यो.	रु. 13,00,000/- यो.	रु. 9,13,294/- यो.
6.	स्मारक समूह, महाबलीपुरम (1984)	रु. 21,80,000/- यो.	रु. 13,33,712/- (गै.यो.)	रु. 3,50,000/- यो.	रु. 3,29,379/- यो.
7.	चर्चे तथा कान्वेंटें, गोवा (1986)	रु. 36,70,000/- यो. रु. 13,00,000/- (गै.यो.)	रु. 32,61,900/- यो.	रु. 6,40,000/- यो. रु. 5,00,000/- (गै.यो.)	रु. 50,686/- यो. शून्य
8.	मंदिर समूह, खजुराहो (1986)	रु. 55,00,000/- यो. रु. 5,00,000/- (गै.यो.)	रु. 39,20,926/- यो. शून्य (गै.यो.)	रु. 9,20,000/- यो. रु. 5,50,000/- (गै.यो.)	रु. 1,82,400/- यो. शून्य
9.	स्मारक समूह, हम्पी (1986)	रु. 1,80,00,000/- यो. रु. 65,75,000/- (गै.यो.)	रु. 56,05,000/- यो.	रु. 50,000/- यो.	शून्य
10.	स्मारक मसूह फतेहपुर सीकरी (1986)	रु. 40,80,000/- यो. रु. 17,00,000/- (गै.यो.)	रु. 19,62,375/- यो. रु. 13,77,574/- (गै.यो.)	रु. 6,50,000/- यो. रु. 5,00,000/- (गै.यो.)	रु. 4,87,886/- यो. रु. 2,73,781/- (गै.यो.)
11.	मंदिर समूह, पट्टडकल (1987)	रु. 17,17,000/- यो. रु. 15,00,000/- (गै.यो.)	रु. 1,24,000/- यो. शून्य (गै.यो.)	शून्य	शून्य
12.	एलिफेंटा गुफाएं (1987)	रु. 14,00,000/- यो. रु. 10,00,000/- (गै.यो.)	रु. शून्य यो. रु. शून्य (गै.यो.)	रु. 60,000/- यो. रु. 5,00,000/- (गै.यो.)	रु. 11,097/- यो. रु. 72,221/- (गै.यो.)

1	2	3	4	5	6
13.	तंजावुर, गंगईकोंडाचोलापुरम तथा दारासुरम स्थित महान विद्यमान चोल मंदिर (1987 तथा 2004)	रु. 15,00,000/- यो. रु. 17,40,000/- (गै.यो.)	रु. 12,87,020/- यो. रु. 9,59,052/- (गै.यो.)	रु. 3,00,000/- यो. रु. 3,00,000/- (गै.यो.)	रु. 4,33,240/- यो. शून्य
14.	बौद्ध स्मारक, सांची (1989)	रु. 5,00,000/-	शून्य	रु. 1,20,000/- यो.	शून्य
15.	हुमायूं का मकबरा, दिल्ली (1993)	रु. 13,90,000/- यो. रु. 22,83,400/- (गै.यो.)	रु. 6,99,174/- यो. रु. 6,33,997/- (गै.यो.)	शून्य	शून्य
16.	कुतुब मीनार परिसर, दिल्ली (1993)	रु. 5,00,000/- यो. रु. 54,29,400/- (गै.यो.)	रु. 40,520/- यो. रु. 17,77,319/- (गै.यो.)	रु. 1,50,000/- यो.	शून्य
17.	प्रागैतिहासिक शैलाश्रय, भीमबेटका (2003)	शून्य	शून्य	रु. 1,20,000/- यो.	शून्य
18.	चम्पानेर-पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान (2004)	रु. 67,00,000/- यो.	रु. 39,61,977/- यो.	रु. 10,25,000/- यो.	रु. 6,89,876/- यो.
19.	लालकिला परिसर, दिल्ली (2007)	रु. 80,00,000/- यो. रु. 1,75,13,040/- (गै.यो.)	रु. 90,36,250/- यो. रु. 1,13,27,907/- (गै.यो.)	रु. 2,00,000/- (गै.यो.)	रु. 2,48,726/- (गै.यो.)

पेट्रोलियम उत्पादों पर कर में कटौती

3073. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर कर की दरों में कटौती करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) सरकार ने 5.6.2008 से करों/शुल्कों में निम्नलिखित कटौतियां की हैं-

(1) कच्चे तेल पर सीमा शुल्क 5% से शून्य।

(2) पेट्रोल तथा डीजल पर सीमा शुल्क 7.5% से 2.5%।

(3) बिना ब्रांड वाले पेट्रोल और बिना ब्रांड वाले डीजल पर उत्पाद-शुल्क 1/- रुपए प्रति लीटर।

अंतरराज्यीय बिक्री अथवा माल की खरीद पर केन्द्रीय बिक्री कर 1.6.2008 से घटा कर 2% हो गया है।

वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की दरें घटाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बिक्री कर राज्य का विषय है और बिक्री कर को घटाने के बारे में निर्णय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

भेल संबंधी समिति

3074. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने कंपनी द्वारा अपने व्यापार के लिए अपनाई जाने वाली उत्कृष्ट संभव रीति की जांच करने और इसकी सिफारिश करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा): (क) और (ख) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) में इसके व्यापार के लिए अपनाई जानी वाली

यथासंभव उत्कृष्ट नीति की जांच करने और इसकी सिफारिश करने के लिए किसी विशिष्ट समिति का गठन नहीं किया गया है। तथापि, चल रही व्यापारिक कंपनी के रूप में, कंपनी संगठन की आंतरिक आवश्यकताओं और व्यवसाय की उन स्थितियों को ध्यान में रखकर उत्कृष्ट नीति बनाती है जिन स्थितियों में यह कार्य करती है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विमान टकराने संबंधी दुर्घटनाएं

3075. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में विमान टकराने संबंधी अनेक घटनाएं होते-होते बची हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) हाल ही में विमान टकराने संबंधी कोई घटना सामने नहीं आई है।

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय ने विमान में एयरबोर्न कोलिसन एवायडेंस सिस्टम (एसीएएस) के संस्थापन की आवश्यकताओं को अनिवार्य कर दिया है। देश के प्रमुख हवाईअड्डों पर मोनो-पल्स सेकेण्डरी सर्विलेंस राडार संस्थापित किए हैं ताकि विमान यातायात नियंत्रकों को ऊंचाई संबंधी सूचना उपलब्ध कराई जा सके। प्रणाली में यातायात कनफ्लिक्ट चेतावनी को शामिल किए जाने के लिए विमान यातायात प्रबंधन सेवा को भी आधुनिक बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, विमान प्राक्सिमिटी की रिपोर्ट की सभी घटनाओं में की गई जांचों के आधार पर, जब कभी आवश्यक होता है, अतिरिक्त उपाय भी किए जाते हैं।

रेल परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण

3076. श्री प्रहलाद जोशी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे उन भूस्वामियों को वास्तव में मुआवजे का भुगतान करने से पहले विभिन्न प्रकार की प्रस्तावित परियोजनाएं शुरू कर देता है जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रणाली से भूस्वामियों के विरोध के कारण चल रहे कार्यों में अवरोध उत्पन्न होने जैसी अनेक जटिलताएं पैदा हुई हैं;

(ग) क्या दक्षिण पश्चिम रेलवे, कर्नाटक के हुबली मंडल में बेल्लारी के निकट भी दोहरीकरण कार्य के संबंध में इसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गयी थीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) भूमि सामान्यत: राज्य सरकारों द्वारा अधिग्रहित की जाती है तथा अधिग्रहण की अपेक्षित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद रेलवे को सौंपी जाती है। रेलवे राज्य सरकारों को उनकी मांग के अनुसार भुगतान करती हैं तथा राज्य सरकार द्वारा भूमि के मालिकों को सीधे ही मुआवजे का भुगतान किया जाता है। ऐसे मामले हैं जिनमें रेलवे राज्य सरकार प्राधिकारियों द्वारा भूमि के मालिकों को वास्तविक भुगतान से पहले परियोजना पर कार्य कर रही हैं क्योंकि मुआवजे के मामलों का निपटान करने में समय लगेगा।

(ख) ऐसे मामले हैं, जिनमें भूमि के मालिकों द्वारा अपर्याप्त मुआवजे का विरोध किया गया था जिससे चालू कार्यों में बाधा हुई।

(ग) और (घ) जी हां, भूमि के मालिकों के कुछ मामले हैं जिनमें वे मुआवजे के बाद कार्य शुरू करने पर जोर दे रहे हैं।

हुबली-हेबसुर दोहरीकरण में, मिट्टी की जांच जैसे प्रारंभिक कार्य मई, 2008 में शुरू किए गए थे। लेकिन भूमि के मालिकों ने स्थल पर विरोध किया और इसलिए 1.8.2008 को रेलवे को भूमि सौंप दिए जाने के बाद ही कार्य को हाथ में लिया गया था। बहरहाल, भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान अभी किया जाना है क्योंकि राज्य राजस्व प्राधिकारियों ने मुआवजे को अंतिम रूप नहीं दिया है। इसी प्रकार, धारवाड-कांबरगनवी दोहरीकरण परियोजना के समीपवर्ती डड्डी कमालपुर तथा रामपुर गांवों में, भूमि के मालिकों द्वारा विरोध किया गया था तथा रेलवे प्राधिकारियों के परामर्श से मामले सुलझा लिए गए थे।

(ङ) भूमि के मालिकों को देय मुआवजे सहित भूमि अधिग्रहण के लंबित मामलों की संवीक्षा करने के लिए राज्य प्राधिकारियों के साथ उपयुक्त स्तर पर नियमित बैठक की जाती है।

इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों में विलंब

3077. श्री भरहरि महतो: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन महीनों के दौरान इंडियन एयरलाइंस की दिल्ली से कोलकाता तथा कोलकाता से दिल्ली की आईसी-263 और आईसी-264 उड़ानें कितने दिनों अपने निर्धारित समय पर थीं;

(ख) क्या ये उड़ानें एक महीने में 15 दिनों तक विलंबित रहती हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे विलंब को टालने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस विलंब के लिए जिम्मेदार प्राधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) दिनांक 1.9.2008 से 30.11.2008 तक की बीच की अवधि के दौरान उड़ान संख्या आईसी-263, 91 टेक-आफ में से केवल 3 बार विलंब से उड़ी तथा उड़ान संख्या आईसी-264, 89 टेक-आफ में से केवल 8 बार विलंब से उड़ी, इस प्रकार, इन उड़ानों से क्रमश: 96.7% तथा 91.01% आन टाईम निष्पादन दर्शाया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की उत्पादन क्षमता

3078. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल स्थित चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की संस्थापित उत्पादन क्षमता में वृद्धि हेतु 86 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले एक कार्य को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2008-09 में विनिर्मित किए जाने वाले विद्युत चालित इंजनों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, 66 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 2007-08 में स्वीकृत एक कार्य है जो चितरंजन रेल इंजन कारखाना की उत्पादन क्षमता को प्रति वर्ष 200 तक बढ़ाने के बारे में है।

(ग) चिरेका का 2008-09 में 220 बिजली रेल इंजन उत्पादित किए जाने का लक्ष्य है।

सूरत-हजीरा रेलवे लाइन

3079. श्री हरिन पाठक:
श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:
श्री मधुसूदन मिस्त्री:
श्री महेश कनोडीया:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2008-09 के दौरान निर्माणाधीन सूरत-हजीरा रेलवे लाइन के विकास के लिए बजटीय प्रावधान का ब्यौरा क्या है;

(ख) रेल विकास निगम लि. (आरवीएनएल) ने अब तक क्या प्रगति की है;

(ग) इस परियोजना के लिए विभिन्न हिस्सेदारों/कंपनियों की इक्विटी हिस्सेदारी कितनी है; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा किए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) परियोजना विचाराधीन स्तर पर है और इसको अभी स्वीकृति हेतु प्रक्रियाबद्ध किया जाना है। इसलिए, वर्ष 2008-09 के लिए कोई बजटीय प्रावधान नहीं किए गए हैं।

(ख) पिछले चार वर्षों में रेल विकास निगम लिमिटेड ने हजारिया पर प्रस्तावित पत्तन के लिए संपर्कता मुहैया करने हेतु परियोजना के लिए चार संरेखणों का सर्वेक्षण किया गया है। बहरहाल, इनमें से कोई भी संरेखण एक या अन्य कारण से गुजरात सरकार द्वारा क्लीयर नहीं किये जा सके। बहरहाल, हाल ही में जीआईडीबी, ने 26.11.2008 के अपने पत्र के तहत तटीय विनियमित जोन (सीआरजेड) के 200-500 मी. लाइन के बीच एक संरेखण का चयन किया गया है जिसके लिए गुजरात सरकार ने सहमति दे दी है और इसके लिए आवश्यक पर्यावरण क्लियरेंस लिये जायेंगे।

(ग) भिन्न-भिन्न स्टेक होल्डरों की इक्विटी भागीदारी को परियोजना लागत को निर्धारित करने के बाद ही विनिश्चित किया जायेगा।

(घ) परियोजना की समाप्ति की योजना, परियोजना डिजाइन को अंतिम रूप देने और आवश्यक अनुमोदनों को प्राप्त करने के बाद बनाई जाएगी।

[हिन्दी]

बलिया-हावड़ा एक्सप्रेस का ठहराव

3080. श्री टेक लाल महतो: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे स्थानीय रेल यात्रियों की मांग को देखते हुए मधुपुर रेलवे स्टेशन पर बलिया-हावड़ा एक्सप्रेस का ठहराव उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक रेलवे द्वारा क्या पहल की गयी है और यह मांग कब तक पूरी होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) 1.1.2009 से छः माह के लिए प्रयोगात्मक आधार पर 3105/3106 सियालदह-बलिया एक्सप्रेस को ठहराव दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

स्मारकों के परिरक्षण के लिए धनराशि

3081. श्री दुष्यंत सिंह: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी स्मारक को केन्द्र संरक्षित घोषित करने के लिए सरकार ने क्या मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की देश के ऐतिहासिक स्मारकों का रखरखाव, संरक्षण और उनका परिरक्षण करने की कोई व्यापक योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में केन्द्र संरक्षित स्मारकों के समुचित परिरक्षण के लिए सरकार ने कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अंतर्गत ऐसे स्मारक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक महत्व के हैं तथा 100 वर्ष से अधिक समय से विद्यमान हैं, को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किया जा सकता है।

(ख) और (ग) स्मारकों का संरक्षण कार्य एक सतत प्रक्रिया है तथा प्राथमिकताओं के आधार पर तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए संरचनात्मक मरम्मत, रासायनिक परिरक्षण और उद्यान संबंधी कार्यों के लिए वार्षिक संरक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं।

चालू वित्तीय वर्ष (2008-09) के दौरान अनुमोदित कार्यों की संख्या निम्नानुसार है:

संरचनात्मक संरक्षण	-	1591
रासायनिक परिरक्षण	-	167
उद्यान संबंधी कार्य	-	335

(घ) विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के संरक्षण, परिरक्षण तथा पर्यावरण संबंधी विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यय की गई कुल धनराशि तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए प्रावधान का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	वर्ष	धनराशि (लाख रुपए में)
1.	2005-06	10195.00
2.	2006-07	10816.89
3.	2007-08	12886.19
4.	2008-09	12945.00 (आबंटित)
		8036.55 (नवम्बर, 2008 तक खर्च की गई)

बहुराष्ट्रीय और निजी कंपनियों को तेल कूपों का अंतरण

3082. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों द्वारा खोजे गए

तेलकूप खंडों/पुराने तेल क्षेत्रों की बेहतरी/क्षमता परिवर्धन करने वाली तेल प्राप्ति तकनीकों के अनुप्रयोग हेतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य निजी कंपनियों को बेचने/अंतरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये निजी कंपनियां और बहुराष्ट्रीय कंपनियां ओएनजीसी और सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों द्वारा व्यय की गई तेल और गैस अन्वेषण की लागत को वाहन नहीं कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पट्टे पर रेल भूमि

3083. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेल कर्मचारियों को खेती के प्रयोजनार्थ रेल भूमि पट्टे पर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस दिशा में कौन-कौन से कार्य शुरू किए गए हैं;

(घ) उक्त भूमि को किस दर से पट्टे पर दिया गया;

(ङ) केवल रेल कर्मचारियों को पट्टे पर रेल भूमि दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। खेती के प्रयोजन के लिए रेल कर्मचारियों को रेलवे भूमि पट्टे पर देने की रेलवे की ऐसी कोई नीति नहीं है। बहरहाल, निर्धारित शहरी क्षेत्रों में निकट भविष्य में रेलवे के अपने इस्तेमाल के लिए जिस भूमि की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अधिक अन्न उपजाओ योजना के अंतर्गत खेतीबाड़ी के लिए ग्रुप सी और डी के रेल कर्मचारियों को लाइसेंस पर देने की नीति है ताकि रेलवे की बेशकीमती भूमि को अतिक्रमण से बचाया जा सके।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आई.ओ.सी. द्वारा ग्रामीण खुदरा बिक्री केन्द्रों का विकास

3084. श्री विजय कृष्ण: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम (आईओसी) का विचार घरेलू तेल बाजार का आधुनिकीकरण/विस्तार करके बड़े स्तर पर ग्रामीण खुदरा बिक्री केन्द्रों को विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में इस क्षेत्र को विकसित करने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसी) ने सूचित किया है कि निगम घरेलू ग्रामीण बाजार में किसान सेवा केन्द्रों (केएसकेज) के नाम से अपना ग्रामीण नेटवर्क विकसित कर रहा है। 1.12.2008 की स्थिति के अनुसार आईओसी के पूरे देश में 2358 केएसकेज हैं। केएसकेज की स्थापना ईंधन केंद्रों में की जाती है और आईओसी वितरण इकाई, टैंक आदि जैसे मूल उपकरण प्रजन करती है ताकि ग्रामीण ग्राहकों की ईंधन की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।

इसके अलावा, आईओसी ने इन ग्रामीण ग्राहकों को गैर-ईंधन आवश्यकताओं जैसे उर्वरक, बीज, कीटनाशक, दैनिक आवश्यकता की मदें, बीमा आदि प्रदान करने के लिए कार्यनीतिक सहयोग भी किये हैं। केएसकेज स्थानीय ग्राहकों के लिए सुविधाओं और बचत का सृजन करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं और उन स्थानीय डीलरों के लिए उद्यम के अवसर तैयार करते हैं जो उसके बदले केएसके पर स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।

(ग) देश में, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश (पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित तथा झारखंड राज्य शामिल हैं, खुदरा बिक्री केन्द्र नेटवर्क का विस्तार तेल विपणन कंपनियों अर्थात् इंडियन आयल कार्पोरेशन

लिमिटेड (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसी) द्वारा अभिज्ञात स्थलों के व्यवहार्यता अध्ययनों के आधार पर किया जाता है जिन्हें बाद में संबंधित ओएमसीज की राज्य खुदरा विपणन योजनाओं में शामिल किया जाता है।

प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि

3085. श्री ए.वी. बेल्लारमिन:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम तथा आयल इंडिया लि. द्वारा उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमतों में निकट भविष्य में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में प्राकृतिक गैस की कीमत निर्धारित करने के लिए क्या फार्मूला/मापदंड अपनाया गया है;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) कीमत में इस वृद्धि के कारण इन दो तेल कंपनियों को कितना लाभ अर्जित होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ङ) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन तथा आयल इंडिया लि. द्वारा उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य पिछली बार 1.7.2005 से संशोधित किए गए थे। एपीएम गैस के उपभोक्ता मूल्य प्रशुल्क आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने और उस पर निर्णय लिए जाने तक तद्र्थ आधार पर 3200/- रुपए प्रति एमएससीएम (हजार मानक घन मीटर) पर निर्धारित किए गए थे। यह निर्णय लिया गया था कि ओएनजीसी और ओआईएल के लिए उत्पादक मूल्य के मुद्दे को प्रशुल्क आयोग को भेजा जाए। प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण के बारे में प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

पर्यटक स्थलों के रूप में एडम्स ब्रिज

3086. श्री संजय धोत्रे: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एडम्स ब्रिज के लिए पर्यटकों की संख्या में अचानक कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं;

(ग) क्या सरकार इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा क्या वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है?

पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) एडम्स ब्रिज के लिए घरेलू और विदेशी पर्यटक आगमनों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) से (ङ) पर्यटन का विकास एवं संवर्धन मुख्यतया संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय निधियों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता की शर्त पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 (सितम्बर तक) के दौरान, रामेश्वरम सहित, तमिलनाडु में पर्यटन के विकास हेतु क्रमश: 4264.62 लाख रुपए, 1866.41 लाख रुपए, 2831.80 लाख रुपए और 1374.59 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई।

[अनुवाद]

घरेलू एलपीजी का आटोमोबाइल ईंधन के रूप में उपयोग

3087. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) के आटोमोबाइल ईंधन के रूप में उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार का आटोमोबाइल के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) कन्वर्जन किटों को एलपीजी कन्वर्जन किटों की तुलना में सस्ती लागत पर बाजार में तुरन्त उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) सरकार ने वाहनों में राज सहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी के प्रयोग के लिए अनुमोदन नहीं दिया है। तथापि, सरकार ने तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (मोटर वाहन में प्रयोग का विनियम) आदेश, 2001 द्वारा वाहनों के लिए आटो-एलपीजी की बिक्री की अनुमति दी है। नियंत्रण आदेश के अनुसार, वाहनों में केवल आयातित या आयात-प्रतिस्थापित आटो एलपीजी का प्रयोग किया जा सकता है।

राजसहायता प्राप्त तथा गैर-राजसहायता प्राप्त एलपीजी के मूल्य में भारी अंतर के कारण राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी के विपथन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

गैर घरेलू प्रयोजनों के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के विपथन को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं-

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन प्रख्यापित एलपीजी (आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के तहत ओएमसीज ने डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का वाणिज्यिक प्रयोजनों से विपथन/काला बाजारी की मनाही है।

इस आदेश के प्रावधानों के तहत चूक करने वाले डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को शक्तिप्रदत्त बनाया गया है। राज्य सरकारों को समय-समय पर अनधिकृत प्रयोग के लिए घरेलू सिलेंडरों की काला बाजारी के विरुद्ध कदम उठाने के लिए सचेत किया जाता है।

(2) ओएमसीज के अधिकारी डिस्ट्रीब्यूटरों के गोदाम, सुपुर्दगी स्थल और साथ ही रास्ते में आकस्मिक जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई विपथन/काला बाजारी नहीं की गई है। एमडीजी के निबंधनों के अनुसार, घरेलू एलपीजी सिलेंडर का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किसी प्रकार का विपथन सिद्ध होने पर डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है-

* पहले अपराध पर 20,000 रुपये का जुर्माना तथा वाणिज्यिक दर पर विपथित एलपीजी का मूल्य।
* दूसरे अपराध पर 50,000 रुपये का जुर्माना तथा वाणिज्यिक दर पर विपथित एलपीजी का मूल्य।
* तीसरे अपराध पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त करना।

(ख) और (ग) जी, नहीं। ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि वर्तमान में, आटोमोबाइल के लिए एलपीजी परिवर्तन किटों का बाजार मूल्य सीएनजी परिवर्तन किटों की तुलना में काफी कम है।

नदी अपरदन से प्रभावित होने वाले रेलवे स्टेशनों का बचाव

3088. श्री अबु अयीश मंडल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने नदी के कटाव से नदी अपरदन से प्रभावित होने वाले रेलवे स्टेशनों को बचाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से मात्र 30 मीटर की दूरी पर स्थित समुद्रगढ़ और कालीनगर रेलवे स्टेशनों के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां, रेल भूमि में रेलवे द्वारा उपचारक उपायों जिसमें रिवर कोर्स एम्बैंकमेंट को ऊंचा उठाना, रेलवे तट की बोल्डर पिचिंग और अन्य सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। संबंधित राज्य सरकारों को भी सूचित किया जाता है एवं समय-समय पर उनसे आवश्यकतानुसार संपर्क किया जाता है। रेलवे बाढ़ के दौरान जल कटाव की जांच हेतु बोल्डरों, रेत, गनी बैगों, वायरनेट ट्रंगगरों आदि जैसी आपातकालीन सामग्री के स्टाक को पर्याप्त मात्रा में बनाए रखती है।

(ग) रेलवे ने पश्चिम बंगाल सरकार के सिंचाई विभाग के परामर्श से 3.26 करोड़ रु. की लागत वाले बचाव कार्यों की स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में कार्य शुरू किया गया है। इसके साथ-साथ, पश्चिम बंगाल के राज्य सरकार को भी अब क्षेत्राधिकार के भीतर पड़ने वाले अपेक्षित बचाव कार्यों को कराने के लिए संपर्क किया गया है।

ओएनजीसी द्वारा विद्युत संयंत्रों में निवेश

3089. श्री अमिताभ नन्दी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) अनेक विद्युत संयंत्रों की स्थापना पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं तथा ओएनजीसी के लिए ऐसे नए व्यापार में भारी धनराशि के निवेश में क्या जोखिम शामिल हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) स्थल-रुद्ध त्रिपुरा राज्य में अपनी बेकार पड़ी गैस परिसंपत्तियों को सक्रिय करने के उद्देश्य से, आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने 50% समांशता पण के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से त्रिपुरा राज्य में 726.6 मेगा वाट (एमडब्ल्यू) क्षमता वाली एक संयुक्त चक्रीय गैस टरबाइन आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है ताकि वह विद्युत कारोबार में अपनी अवस्थिति और जोखिम को कम कर सके। देश में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को काम में लाए जाने पर बल देने के लिए, ओएनजीसी ने गुजरात में 51 मे.वा. क्षमता की विंड टरबाइन आधारित विद्युत परियोजना स्थापित की है।

सरकारी क्षेत्र उपक्रमों का बंद होना

3090. श्री सुनील खां: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों जैसे बीओजीएल, आरआईसी, एफसीआईएल, एचएफसीएल और अन्य जो बंद कर दिए गए हैं, के कर्मचारियों को उच्च न्यायालय द्वारा आधिकारिक परिसमापक को दिए गए आदेशों के बावजूद अपनी बकाया धनराशि प्राप्त नहीं हो पायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रभावित परिवारों को सहायता देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा): (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार उद्योग पुनर्स्थापन निगम (आरआईसी) के मामले में मजूरी व वेतन से संबंधित कोई बकाया देनदारी नहीं है। उच्च न्यायालय, कोलकाता के निदेशानुसार भारत आप्थल्मिक ग्लास लि. (बीओजीएल) के मामले में स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वीएसएस), वेतन एवं मजूरी तथा सांविधिक देनदारियों के रूप में उक्त उद्यम के पूर्व कर्मचारियों के बकाये का भुगतान करने के लिए दिनांक 15.9.2008 को 199.15 लाख रुपये की राशि आधिकारिक परिसमापक को निर्मुक्त कर दी गई है।

फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (एफसीआईएल) के मामले में आधिकारिक परिसमापक की नियुक्ति नहीं की गई है, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने एफसीआईएल को बंद करने का आदेश पारित नहीं किया है। कंपनी में सेवारत 49 कर्मचारियों (वीएसएस के अंतर्गत सेवामुक्त किए गए तथा जिन कर्मचारियों की देनदारियों का भुगतान पहले ही कर दिया गया है उनके अतिरिक्त) को मासिक वेतन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि. (एचएफसीएल) का मामला फिलहाल, बीआईएफआर (न कि उच्च न्यायालय) के विचार क्षेत्र में है और इसलिए इसे वेतन के भुगतान आदि के लिए न्यायालय के परिसमापक से आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। कंपनी में सेवारत 36 कर्मचारियों (वीएसएस के अंतर्गत सेवामुक्त किए गए तथा जिन कर्मचारियों की देनदारियों का भुगतान पहले ही कर दिया गया है उनके अतिरिक्त) को मासिक वेतन का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है।

सरकारी सेवा में अल्पसंख्यक

3091. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों सहित अल्पसंख्यकों की नियुक्ति संबंधी कोई तारीख तय की है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कतिपय राज्य सरकारों/केन्द्रीय मंत्रालय विभाग सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों की नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने सरकारी नौकरियों में अल्पसंख्यकों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये हैं/ उठाये जा रहे हैं?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) से (च) जून, 2006 में घोषित अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अनुसरण में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने जनवरी, 2007 में सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को इस आशय के संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए थे कि सरकारी सेवाओं में अल्पसंख्यकों की भर्ती पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रस्तुत किए गए आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों/ विभागों में अल्पसंख्यकों की भर्ती की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। वर्ष 2006-07 और वर्ष 2007-08 के दौरान केन्द्रीय मंत्रालयों में मुस्लिमों सहित अल्पसंख्यकों की भर्ती से संबंधित विवरण के रूप में संलग्न है। वर्ष 2008-09 से संबंधित आंकड़े अभी देय नहीं हैं।

विवरण

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	वर्ष 2006-07 के दौरान नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या	वर्ष 2006-07 के दौरान नियोजित अल्पसंख्यक व्यक्ति	वर्ष 2007-08 के दौरान नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या	वर्ष 2007-08 के दौरान नियोजित अल्पसंख्यक व्यक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	संसदीय कार्य मंत्रालय	–	–	–	–
2.	आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय	63	16	12	1
3.	महिला तथा बाल विकास मंत्रालय	1	–	–	–
4.	विनिवेश विभाग	11	2	–	–
5.	विद्युत मंत्रालय	351	22	469	17
6.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	161	6	81	5
7.	पंचायती राज मंत्रालय	–	6	12	4
8.	व्यय विभाग	4	1	10	–
9.	अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय	–	–	–	–
10.	डाक विभाग	5077	386	4578	302
11.	इस्पात मंत्रालय	–	–	–	–
12.	भारी उद्योग विभाग	186	–	–	–
13.	गृह मंत्रालय (अर्धसैनिक बल)	28450	2700	49606	4905
14.	वित्तीय सेवा विभाग (बैंक, वित्तीय संस्थान और भारतीय रिजर्व बैंक)	7079	539	15838	1615
15.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग	7	–	510	31
16.	वाणिज्य विभाग	85	15	178	18
17.	प्रवासी कार्य मंत्रालय	–	–	10	–
18.	रक्षा उत्पादन विभाग	6706	302	1304	151
19.	आर्थिक कार्य विभाग	181	–	101	15
20.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग	450	33	363	119
21.	रेल मंत्रालय	54484	1456	36353	2295
22.	परमाणु ऊर्जा विभाग	16139	1116	3534	287

1	2	3	4	5	6
23.	कोयला मंत्रालय	41	–	5	1
24.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	77	6	43	2
25.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	–	–	59	15
26.	कृषि एवं सहकारिता विभाग	100	45	140	19
27.	जल संसाधन मंत्रालय	227	14	140	13
28.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	38	2	41	1
29.	उपभोक्ता मामले विभाग	82	2	40	2
30.	विधायी विभाग	3	–	4	1
31.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	–	–	80	45
32.	शहरी विकास मंत्रालय	410	265	831	32
33.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	12232	1453	–	–
34.	अंतरिक्ष विभाग	498	73	628	102
35.	नागर विमानन मंत्रालय	–	–	10	–
36.	उर्वरक विभाग	2	1	–	–
37.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	1	–	9	–
38.	खान मंत्रालय	–	–	58	1
39.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	–	–	5	1
40.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	–	–	4	–
41.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	52	7	71	5
42.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	3	1	77	13
43.	युवा मामले एवं खेल मंत्रालय (संलग्न कार्यालय)	21	1	30	–
44.	रक्षा मंत्रालय	2891	159	3354	298
45.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	83	4	–	–
46.	दूरसंचार विभाग	57	2	117	3
47.	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	–	–	263	8
48.	रसायन एवं उर्वरक विभाग	–	–	3	–
49.	विधायी कार्य विभाग	–	–	26	3
50.	मंत्रिमंडल सचिवालय	–	–	125	9

1	2	3	4	5	6
51.	उच्चतर शिक्षा विभाग (कुछ अधीनस्थ कार्यालयों को छोड़कर)	1770	239	112 (मात्र 9 संगठन)	3
52.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग	174	56	192	11
53.	आयुष विभाग	102	33	76	15
54.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	–	–	–	–
55.	रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन	462	28	739	33
56.	वस्त्र मंत्रालय (मात्र संलग्न कार्यालय)	217	25	–	–
57.	रसायन एवं पैट्रो रसायन विभाग	6	1	–	–
58.	राजभाषा विभाग (संलग्न कार्यालय)	15	1	–	–
59.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	2921	103	–	–
60.	वित्तीय सेवा विभाग (सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियां)	3055	163	–	–
61.	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	42	12	–	–
62.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय	447	62	–	–
63.	राजस्व विभाग	166	4	–	–
64.	सीजीडीए	257	23	–	–
65.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	323	15	–	–
66.	गृह मंत्रालय (संलग्न कार्यालय)	28482	2705	–	–
67.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	750	12	–	–
68.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	307	30	–	–
69.	पेयजल आपूर्ति विभाग	5	–	–	–
70.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	39	10	–	–
	कुल योग	175793	12157 (6.92%)	120245	10402 (8.65%)

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

3092. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में सदस्यों के कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) ये पद कब से खाली पड़े हुए हैं;

(ग) उक्त पदों को भरने में हो रही देरी के कारण क्या हैं; और

(घ) उक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में सदस्य का कोई पद रिक्त नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

एटीएफ की कीमतों में कमी

3093. श्री रामजीलाल सुमन:
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान एविएशन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो अगस्त, 2008 से 20 नवम्बर, 2008 तक एटीएफ की कीमतों में आई कमी का ब्यौरा क्या है;

(ग) कीमतों में हुई इस कटौती के कारण उड़ानों की प्रचालन लागत में कितने प्रतिशत की कमी आई है;

(घ) क्या यात्रियों/उपभोक्ताओं को भी इसके लाभ मिले हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। क्रूड तेल की कीमतों में गिरावट के बाद एटीएफ के मूल्यों में पिछले कुछ महीनों में कमी आई है। चारों मेट्रो शहरों में अगस्त 2008 से नवम्बर, 2008 तक एटीएफ की कीमतों में गिरावट के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं-

	चेन्नई (रुपये कि./ली.)	मुम्बई (रुपये कि./ली.)	दिल्ली (रुपये कि./ली.)	कोलकाता (रुपये कि./ली.)
अगस्त, 2008	77661.17	73673.55	71028.26	80763.48
सितम्बर, 2008	64209.44	60584.80	58450.07	67755.90
अक्टूबर, 2008	62050.59	58479.36	56447.80	65677.53
नवम्बर, 2008	-	-	-	-
1 से 3 नवम्बर	51893.75	48656.59	47017.93	55828.33
4 से 15 नवम्बर	49673.63	46518.85	44695.70	53663.53
16 से 30 नवम्बर	43641.64	40687.41	39380.52	47805.04

(ग) इस समय उड़ान की प्रचालनात्मक लागत की प्रतिशतता का आकलन नहीं किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा विमान किरायों का विनियमन नहीं किया जाता है। एयरलाइनें मार्केट शक्तियों के अनुसार कोई भी विमान किराए वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं। अब, एटीएफ की गिरती हुई कीमतों से एयरलाइनों ने किरायों में कमी करनी आरंभ कर दी है। तथापि एयरलाइनें अर्थव्यवस्था में विश्वव्यापी वित्तीय मंदी से प्रभावित हैं।

[अनुवाद]

ओएनजीसी द्वारा खुदरा बिक्री केंद्रों को बंद किया जाना

3094. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) ने अपने पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा बिक्री केन्द्रों को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) खुदरा बिक्री व्यवसाय के बंद होने के कारण इसकी आनुषंगिक मैंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल लिमिटेड (एमआरपीएल) सहित सार्वजनिक क्षेत्र के इस उपक्रम को कितनी हानि होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) दिनांक 8 मार्च, 2002 के सरकार के संकल्प के संदर्भ में परिवहन ईंधन के व्यापार को प्राधिकृत करने

के परिणामस्वरूप तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग लिमिटेड (ओएनजीसी) और मैंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लि. (एमआरपीएल) ने मैंगलोर और मदूर (बंगलौर-मैसूर राज्य राजमार्ग) प्रत्येक पर क्रमश: एक-एक खुदरा बिक्री केन्द्र आरम्भ किया है। ओएनजीसी और एमआरपीएल ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने खुदरा बिक्री केन्द्र बन्द नहीं किए हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अहमदाबाद और मुंबई के बीच तीसरी रेल लाइन

3095. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री काशीराम राणा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सूरत-अहमदाबाद-भुसावल-मुंबई के बीच तीसरी रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्य के कब तक प्रारंभ होने की संभावना है;

(घ) क्या अहमदाबाद और मुंबई के बीच तीसरी रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) जी, नहीं। बहरहाल, सूरत-कोसाम्बा (35 कि.मी.) तीसरी लाइन के कार्य को 2000-01 से रेलवे बजट में शामिल किया गया था; परन्तु निम्न परिचालनिक प्राथमिकता के कारण इसे शुरू नहीं किया गया।

(घ) जी नहीं।

(ङ) 2004-05 के दौरान विरार तथा अहमदाबाद के बीच तीसरी लाइन के निर्माण के लिए एक अद्यतन सर्वेक्षण पूरा किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 504 कि.मी. निर्माण की लागत प्रतिफल की 3.57% की दर सहित 1851 करोड़ रु. आंकी गयी थी। इस मार्ग की क्षमता में स्वचालित सिगनलिंग अपनाकर वृद्धि की जा रही है। पश्चिमी मार्ग पर समर्पित गलियारे के निर्माण से भी इस मार्ग पर अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था हो जायेगी।

[अनुवाद]

अभिवर्धित भार सहित मालगाड़ियों का प्रचालन

3096. श्री भर्तृहरि महताब: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने अभिवर्धित भार सहित मालगाड़ियों के प्रचालन के प्रथम चरण को पूर्णत: पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2005 में शुरू की गयी अभिवर्धित भार वाली प्रायोगिक परियोजना की लागत तथा उससे प्राप्त आय कितनी है;

(घ) क्या रेलवे का उच्च एक्सल भार प्रणाली में आगे बढ़ने के निर्णय से पटरी ढांचे में उन्नयन के साथ-साथ चल स्टाक खरीदने में भारी निवेश की आवश्यकता होगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या अन्य यातायात माध्यम के साथ इकाई लागत की तुलना की गयी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) मालगाड़ियों के बढ़े हुए भार के साथ चलना एक निरंतर कवायद है, जिसके लिए रेलपथ संरचना तथा अन्य संरक्षा तथा परिचालनिक मानदंडों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न चरणों में मार्ग क्लीयर कर दिए गए हैं।

(ग) रेलों जैसे परिवहन संगठन में लागत तथा आमदनी के लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं अत: केवल बढ़े हुए भार के उपाय द्वारा लागत तथा आमदनी पर हुए शुद्ध प्रभाव को अलग से निर्दिष्ट करना बहुत कठिन है।

(घ) और (ङ) उच्चतर धुरा-भार रनिंग में निवेश करना पुन: एक लंबी अवधि की चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है तथा इस स्थिति में निवेश की सही राशि निर्धारित करना संभव नहीं है।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अतिरिक्त उर्वरकों का आबंटन

3097. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री संतोष गंगवार:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों को उनकी मांग पर अतिरिक्त उर्वरक विशेषकर डाई अमोनियम फास्फेट डीएपी मुहैया कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ अन्य राज्य सरकारों ने भी अतिरिक्त उर्वरकों की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ङ) यूरिया एकमात्र उर्वरक है जो सरकार के आंशिक संचलन और वितरण के अधीन है। केन्द्र सरकार राज्य स्तर पर यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। राज्य सरकारें राज्य के अंदर इसके वितरण के लिए जिम्मेदार होती हैं।

अन्य सभी उर्वरकों अर्थात् डीएपी, एमओपी, एसएसपी और एनपीके आदि 1992 से नियंत्रणमुक्त/असरणीबद्ध हैं। नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की मासिक आपूर्ति योजनाएं राज्य सरकार के परामर्श से इन उर्वरकों के उत्पादकों/आयातकों द्वारा बनाई जाती हैं। फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की उपलब्धता पर निर्णय बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर लिया जाता है। चालू वर्ष 2008-09 में अप्रैल 2008 से नवंबर 2008 तक के दौरान डीएपी की राज्य-वार संचयी आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

2008-09 (अप्रैल-नवम्बर 2008) के दौरान उर्वरकों की संचयी उपलब्धता

2008-09

राज्य	डीएपी		
	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
आंध्र प्रदेश	621.00	881.90	880.60
कर्नाटक	540.00	578.07	577.61
केरल	25.30	19.34	19.29
तमिलनाडु	315.46	326.24	325.18
गुजरात	569.00	713.85	712.80
मध्य प्रदेश	780.64	762.85	760.98
छत्तीसगढ़	157.00	157.76	157.74
महाराष्ट्र	630.00	707.68	706.13
राजस्थान	505.00	543.37	543.07
हरियाणा	550.00	627.77	627.15
पंजाब	710.00	757.67	756.39
जम्मू-कश्मीर	52.29	37.66	37.62
उत्तर प्रदेश	1150.00	1276.39	1274.13
उत्तराखण्ड	24.00	22.48	22.48
बिहार	340.00	321.85	321.48
झारखण्ड	83.00	72.98	72.92
उड़ीसा	132.50	156.21	156.03
पश्चिम बंगाल	297.80	293.00	292.76
असम	67.90	8.77	6.99
अखिल भारत	7576.66	8274.84	8260.32

[अनुवाद]

कोरापुट जिला, उड़ीसा में भेषज इकाइयों की स्थापना

3098. श्री परसुराम माझी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के अविभाजित कोरापुट जिले में भेषज इकाइयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त इकाइयों की स्थापना के लिए किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (ग) जी नहीं। उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, भुवनेश्वर वर्तमान में उड़ीसा में कार्यरत है।

रंगिया-मुरकोंगसलेक खंड का आमान परिवर्तन कार्य

3099. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान उत्तर सीमांत रेलवे जोन के रंगिया-मुरकोंगसलेक के आमान परिवर्तन कार्य को पूरा करने में हुई खण्डीय प्रगति और निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है तथा इस हेतु कितना वार्षिक आबंटन किया गया और कितने लक्ष्यों को पूरा किया गया;

(ख) इस स्वीकृत कार्य के निष्पादन में हुए अत्यधिक विलंब के कारण क्या हैं;

(ग) ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान कुल परिव्यय, वार्षिक आबंटन और कार्य आरंभ करने के निर्धारित समय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस लाइन के टूटे हुए भाग को पूरी तरह से जोड़ दिया गया है;

(ङ) क्या सरकार ने पहले किए गए सर्वेक्षण के अनुसार चालू वित्त वर्ष में उत्तर सीमांत रेलवे जोन के डांगोरी सैखोवा का 5.68 कि.मी. तक विस्तार करने के कार्य को भी अंतिम रूप दे दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रंगिया-मुरकोंगसेलक परियोजना के रंगिया-रंगापाड़ा खंड का कार्य मार्च, 2010 तक बकाया कार्य मार्च, 2012 तक पूरा करने की योजना है।

रंगिया-रंगापाड़ा के बीच मिट्टी तथा पुल संबंधी कार्य शुरू कर दिए गए हैं। बकाया भाग के लिए निविदा संबंधी कार्रवाई की जा रही है। 2008-09 के दौरान रेलवे की सकल बजटीय सहायता से आबंटन 75.00 करोड़ रु. है।

(ख) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इस कार्य को निष्पादित किया जा रहा है। इस परियोजना को दिसंबर, 2006 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था।

(ग) परियोजना की नवीनतम प्रत्याशित लागत 915.70 करोड़ रु. है। वार्षिक परिव्यय को बजट के समय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार अंतिम रूप दिया जाएगा। इसे पूरा करने की समय अनुसूची ऊपर भाग (क) के उत्तर में दी गयी है।

(घ) जी, हां। संबंधित चार पुलों को अस्थायी सर्विस गर्डरों के साथ बहाल कर दिया गया है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। बहरहाल, डांगरी से धोला (5.683 कि.मी.) तक नयी बड़ी लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है।

[हिन्दी]

इस्पात क्षेत्र के अनुसंधान और विकास में निवेश

3100. श्री अजीत जोगी: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी और निजी क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों द्वारा इस्पात संबंधी अनुसंधान और विकास पर किए गए निवेश/व्यय का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ख) सरकारी और निजी क्षेत्र में चल रहे अनुसंधान और विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) विचाराधीन परियोजनाएं कौन सी हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विश्वस्तरीय गुणवत्ता युक्त इस्पात के विनिर्माण हेतु अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) चालू वर्ष और अगले तीन वर्षों के दौरान सरकारी और निजी इस्पात विनिर्माण इकाइयों में कुल कितना निवेश किए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुंवर जितिन प्रसाद): (क) भारत में इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का कार्य मुख्यत: स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) और टाटा स्टील लिमिटेड (टीएसएल) के आंतरिक अनुसंधान एवं विकास केंद्रों में किया जाता है। इन कंपनियों द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	अनुसंधान एवं विकास व्यय		
	सेल	आरआईएनएल	टीएसएल
2005-06	63.48	10.46	25.00
2006-07	76.85	11.68	33.25
2007-08	101.86	17.93	34.85

अन्य इस्पात संयंत्रों में नई अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं अथवा मौजूदा सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की जा रही है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले 3 वर्षों के दौरान सेल, आरआईएनएल और टाटा स्टील लिमिटेड में अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त उल्लिखित कंपनियों ने अनेक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं शुरू की हैं जिनमें बुनियादी तौर पर निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है:

(1) उत्पादकता में सुधार

(2) ऊर्जा संरक्षण

(3) कच्चे माल का सज्जीकरण

(4) उत्पाद विकास

(5) गुणवत्ता सुधार

(घ) और (ङ) जी, हां। सरकार ने अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ गुणवत्ता उन्नयन भी शामिल है को बढ़ावा देने के लिए पहली बार 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 118 करोड़ रुपए का बजटीय आबंटन किया है।

(च) उपलब्ध सूचना के अनुसार उपर्युक्त उल्लिखित कंपनियों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किया गया/प्रस्तावित कुल निवेश निम्नानुसार है:

सेल : 69.11 करोड़ रुपए (अप्रैल-सितम्बर; 08)

आरआईएनएल : 14.20 करोड़ रुपए (अप्रैल-नवंबर; 08)

टीएसएल : 35.00 करोड़ रुपए

अगले 3 वर्षों के दौरान सरकारी तथा निजी क्षेत्र की इस्पात इकाइयों में भावी निवेश अगले वर्षों में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं और उत्पाद विकास संबंधी कार्यकलापों पर निर्भर करेगा।

विवरण

पिछले 3 वर्षों के दौरान इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में प्रमुख उपलब्धियां

क. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड

प्रौद्योगिकी विकास

* कोक ओवन बैटरियों में कोकिंग प्रोसेस का आन लाइन कंट्रोल जिससे ऊर्जा की खपत में 5 प्रतिशत की कमी और कोक स्ट्रैंथ में 0.5 प्वाइंट्स का सुधार।

* सिंटर मशीनों में कर्टेन फ्लेम इग्निशन जिसके परिणामस्वरूप विशिष्ट गैस खपत में 30 प्रतिशत की कमी हुई, उत्पादकता में 10 प्रतिशत बढ़ोत्तरी और सिंटर मशीन की पूरी विड्थ में यूनीफार्म हीटिंग (± 10°C) के जरिए सिंटर क्वालिटी में सुनिश्चित निरंतरता।

* कंटीन्यूअस कास्टर में आटोमेटेड सेकेंडरी कूलिंग सिस्टम जिसके परिणामस्वरूप मीडियम कार्बन, हाई कार्बन और कास्ट बिलैट के एसयूपी 11ए ग्रेड्स में री-हीटिंग क्रैक समाप्त हो गए हैं।

* व्हील्स के उत्पादन के लिए राउंड इंगट टैक्नोलाजी के विकास के परिणामस्वरूप ब्लाक स्टेज पर इंगट का उत्पादन 70 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत हो गया है और व्हील्स की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

नए उत्पाद विकास

* कोल्ड रिड्यूसिंग और इंजीनियरिंग फैब्रिकेशन सैगमेंट के लिए मीडियम कार्बन (एमसी-11, एमसी-12) हाट रोल्ड क्वायल्स।
* आटो सिलेंडरों के लिए टाइटेनियम बेयरिंग एलपीजी ग्रेड स्टील।
* निर्यात गुणवत्ता वाले सिलेंडरों के लिए ईएन 10120 पी 265 एनबी तथा जेआईएसजी 3116 एसजी 255/295 के समतुल्य हाई स्ट्रैंथ एलपीजी स्टील।
* एटीएम चैस्ट्स तथा अर्थमूवरों के लिए सेल हाईटैन 690 एआर ग्रेड प्लेट्स।
* हाइडल पावर प्लांट्स के लिए पैन स्टाक्स हेतु सेल एमए-550 एचआई प्लेट्स।
* मेन बैटल टैंक तथा बुलेट प्रूफ रेलवे वैगन के लिए स्पेड ग्रेड आर्मर प्लेट्स।
* युद्ध में प्रयोग किए जाने हेतु स्वदेशी रूप से निर्मित गोला बारूद के परीक्षण के लिए टार्गेट ग्रेड आर्मर प्लेट्स।
* भूमिगत खनन के लिए हाईस्ट्रैंथ रूफ बोल्ट ग्रेड थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड (टीएमटी) री-बार्स।
* भूकंप संभावित क्षेत्रों में आरसीसी स्ट्रक्चर्स की सुरक्षा के लिए एफई-500 ग्रेड में अर्थक्वैक रैजिस्टैंट (ईक्यूआर) टीएमटी री-बार्स। वाणिज्यिक वाहनों के लिए लीफ तथा हैलीकल स्प्रिंग्स के निर्माण के लिए हाई एसयूपी 11ए ग्रेड स्प्रिंग स्टील बिलैट्स।
* ईक्यूआर टीएमटी री-बार्स की हाई कोरोजन रैजिस्टैंट (एचसीआर) वैराइटी विकसित की गई है।
* नेवल वारशिप एप्लीकेशंस के लिए डीएमआर 249 ग्रेड प्लेट्स/एचआर क्वायल्स।
* माल की आवाजाही के लिए प्रयुक्त होने वाले ट्रैकों में हायर एक्सल लोड और हाई स्पीड सहित हाई स्ट्रैंथ वैनेडियम माइक्रो-अलायड रेल्स। इन रेलों का उपयोग भारतीय रेलवे द्वारा विकसित किए जा रहे फ्रेट कारीडोर में किया जाएगा।

ख. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

* समुद्री जल से प्रक्रमित जल के उत्पादन के लिए एक तकनीकी रूप से व्यवहार्य रूट की स्थापना।
* लौह अयस्क की सिंटरिंग के लिए लघु नियंत्रित प्रतिशतता में कोक ब्रीज का एंथ्रेसाइट कोल द्वारा प्रतिस्थापन।
* बेहतर अपशिष्ट उपयोग के लिए कनवर्टर में चार्जिंग हेतु एसएमएस जीसीपी स्लज की ब्रिक्वैटिंग।
* आयातित कोककर कोयले में कमी करने के लिए कोक निर्माण हेतु कोयला मिश्रण में अकोककर कोयले का उपयोग।
* पायलट कोक ओवन शेड फ्लोर में फ्लाइऐश का उपयोग।
* ठोस धातुकर्मीय अपशिष्ट की री-साइकिलिंग।

ग. टाटा स्टील लिमिटेड

* कोयले के सज्जीकरण की दक्षता बढ़ाने के लिए एक नए कैमिकल कंपाउंड का विकास जिसके परिणामस्वरूप उसी राखांश स्तर पर उत्पादन में काफी बढ़ोत्तरी हुई।
* लोहे की गुणवत्ता बढ़ाने और उसमें एल्यूमिना की मात्रा कम करने के लिए लीन ग्रेड आयरन ओर का बैनिफिकेशन।
* इस्पात संयंत्र के अधिशेष ताप और अपशिष्ट जल का उपयोग करते हुए हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करने के लिए पायलट प्लांट स्टडी।
* क्रोमियम पैसिवेशन का उपयोग समाप्त करते हुए और जिंक के उपयोग में कमी करते हुए स्टील पर एडवांस्ड कोटिंग का विकास।
* काफी कम विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हुए क्रोमियम अयस्क सांद्रण में हैक्सेवेलेंट क्रोमियम में कमी करने के लिए नई प्रौद्योगिकी का विकास।
* हाई फार्मेबिलिटी (20 प्रतिशत एलांगेशन से अधिक) सहित नई हाई स्ट्रैंथ (800 एमपीए) हाट रोल्ड स्टील का विकास।

ग्राहक परिचर्चा अधिकारियों को प्रशिक्षण

3101. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने ग्राहक परिचर्चा अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का ठेका/कार्य किसी निजी कंपनी को दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कार्य में हुई प्रगति की मौजूदा स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में भविष्य में किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) भारतीय रेल के अग्रणी कर्मचारियों को 5 दिवसीय कस्टमर केयर प्रशिक्षण देने के लिए एक निजी कंपनी को निविदा प्रक्रिया द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए ठेका दे दिया गया है। यह प्रशिक्षण 13.10.2008 से प्रारंभ हो गया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अग्रणी कर्मचारियों के अंतर-व्यक्तित्व कौशल में सुधार लाने तथा रेल उपयोगकर्ताओं के साथ शिष्टता से पेश आने के लिए तैयार करना है।

[अनुवाद]

सांस्कृतिक शिक्षा हेतु शैक्षणिक सहायता

3102. श्री नवीन जिन्दल: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सांस्कृतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई शैक्षणिक सहायता दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए अन्य राष्ट्रों से प्राप्त आदानों का उपयोग किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अध्यापकों द्वारा किए गए योगदान के लिए उन्हें कोई प्रोत्साहन दिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, हां।

(ख) संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीसीआरटी) भारतीय कला और संस्कृति के वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, मंच कला तथा शास्त्रीय नृत्यों जैसे विभिन्न पहलुओं पर प्रकाशनों, रंगीन स्लाइडों, पूर्व-रिकार्डिड आडियो कैसेटों तथा वीडियो सीडी के रूप में शैक्षिक सहायक उपकरण उपलब्ध करता आ रहा है।

(ग) और (घ) यूनेस्को, टोक्यो, जापान के एशिया/प्रशान्त सांस्कृतिक केन्द्र की राष्ट्रीय सह-एजेंसी होने के नाते सीसीआरटी उक्त क्षेत्र से प्राप्त निविष्टियों का अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इस्तेमाल करता है।

(ङ) प्रत्येक वर्ष सीसीआरटी द्वारा 10 अध्यापकों को शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है जिसमें एक प्रशस्ति-पत्र, अंगवस्त्रम, एक प्रमाण-पत्र तथा 10,000/- रु. नकद दिए जाते हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

उड्डयन क्षेत्र में कैरियर के लिए अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता

3103. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उड्डयन क्षेत्र में कैरियर के लिए अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतिम तिथि से पहले वैध लाइसेंस धारक व्यक्तियों को इस प्रस्ताव से छूट होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) फ्लाईंग के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा पहले ही अनिवार्य भाषा है क्योंकि भारत में विमानन क्षेत्र के प्रारंभ से ही फ्लाईंग से संबंधित सभी लिखित/मौखिक परीक्षाएं, साक्षात्कार आदि अंग्रेजी में ही लिए जाते हैं। विमानन क्षेत्र में मानक अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) में प्रयोग होने वाली बाषा अंग्रेजी भाषा में ही होती है। सभी पायलट तथा विमान यातायात नियंत्रण अधिकारी (एटीसीओ) पहले से ही अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।

नागर विमानन महानिदेशालय ने दिनांक 5 मार्च 2008 को वैमानिकी सूचना परिपत्र (एआईसी) 3/2008 जारी किया है जिसमें प्रावधान है कि 5 मार्च, 2008 से 3 वर्षों की अवधि के भीतर सभी विमान कार्मिकों यथा पायलट लाइसेंस, फ्लाईट इंजीनियर लाइसेंस, फ्लाईट दिक्चालन लाइसेंस धारकों (ग्लाइडरों, बैलूनों तथा माइक्रोलाईट विमानों के लिए स्टूडेंट पायलट लाईसेंस तथा पायलेट लाइसेंस को छोड़कर), विमान परिवहन नियंत्रकों तथा वैमानिकी स्टेशन प्रचालकों को इकाओ भाषा में प्रवीणता मानकों के अनुरूप अपनी अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता का मूल्यांकन कराना होगा।

बहरहाल, सभी मौजूदा विमान कार्मिक यथा पायलट लाइसेंस धारक फ्लाइट इंजीनियर लाइसेंस धारक, फ्लाइट दिक्चालन लाइसेंस धारक विमान यातायात नियंत्रक तथा वैमानिकी स्टेशन प्रचालकों को 5 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार इकाओ भाषा प्रवीणता स्तर 4 (प्रचालनिक) के अनुसार अंग्रेजी भाषा को बोलने व समझने की क्षमता होनी चाहिए।

5 मार्च, 2008 के पश्चात् लाइसेंस प्राप्तकर्ता, आवेदक की भाषा प्रवीणता का आकलन करने के लिए संचालित मूल्यांकन के आधार पर लाइसेंसों के जारी किए जाने तक, उन्हें अपेक्षित इकाओ भाषा प्रवीणता स्तर 4 (प्रचालनिक) प्राप्त माना जाएगा। इस तरह प्रदान किए गए लाइसेंस इस शर्त पर दिए जाएंगे कि लाइसेंसधारी की भाषा प्रवीणता का मूल्यांकन 3 वर्षों की अवधि के भीतर किया जाएगा जो किसी भी स्थिति में 5 मार्च 2011 तक होनी चाहिए।

श्रीलंका में श्रीराम से संबंधित स्थान

3104. श्री सुव्रत बोस: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्रीलंका सरकार द्वारा किए जा रहे अन्वेषण के दौरान श्रीलंका में श्रीराम, सीता, रावण और हनुमान जी से संबंधित स्थान मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में हुए अन्वेषणों के परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार श्रीराम, सीता और हनुमान जी से संबंधित स्थानों के अन्वेषणों में सहयोग देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ङ) संस्कृति मंत्रालय को श्रीलंका सरकार द्वारा किए गए ऐसे पुरातत्वीय अन्वेषणों की कोई जानकारी नहीं है।

भारत और अन्य देशों के बीच संयुक्त पैनल

3105. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अन्य देशों के बीच कोई संयुक्त पैनल बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले कृषि उत्पादों की प्रौद्योगिकी का भी हस्तांतरण किया जाएगा; और

(ग) भारत और इन देशों के बीच खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अंतर्गत किन खाद्य मदों को शामिल किया जाएगा?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) भारत और इटली के बीच खाद्य प्रसंस्करण पर एक संयुक्त कार्यबल है। खाद्य प्रसंस्करण पर इस संयुक्त कार्यबल की पिछली बैठक 7 नवंबर, 2006 को परमा, इटली में आयोजित की गई थी जिसमें खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं, वाइन, टमैटो सास, फ्रूट जूस समेत सब्जियों, समुद्री उत्पादों, पाल्ट्री और फल, मौजारैला चीज तथा एलोवेरा के क्षेत्र में संभावित संयुक्त उद्यमों/प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर विचार-विमर्श किया गया था।

कार विनिर्माता कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें

3106. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र सहित अन्य कार विनिर्माता कंपनियों द्वारा विकलांगों के लिए वाहन बनाना बंद करने संबंधी शिकायतों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को विकलांग व्यक्तियों की उपयुक्त वाहन की कमी के कारण हो रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) क्या सरकार ने कार विनिर्माताओं को कोई उपयुक्त निदेश जारी किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा): (क) और (ख) आटोमोबाईल विनिर्माता संघ, एसआईएएम ने सूचित किया है कि भारतीय विनिर्माता पहले विकलांग व्यक्तियों के लिए आटोमेटिक ट्रांसमिशन युक्त वाहन मुहैया करा रहे थे लेकिन उन्हें इसे बंद करना पड़ा क्योंकि इस वाहन की मांग बहुत कम है और उन्हें आफ द शेल्फ उपलब्ध

कराना आर्थिक रूप से संभव नहीं है। तथापि, एसआईएएम ने यह भी सूचित किया है कि भारतीय आटोमोबाईल उद्योग विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक वाहन विशेष आदेश पर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उल्लेखनीय है कि मारूति उद्योग लिमिटेड (एमयूएल) के विनिवेश के बाद सरकारी क्षेत्र में कोई कार विनिर्माता कंपनी नहीं है।

(ग) से (ङ) सरकार कार विनिर्माता कंपनियों को सलाह देती रही है कि वे अपनी कारों में विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक कम से कम एक या दो माडल का उत्पादन करने पर विचार करें। भारत सरकार विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाए गए वाहनों पर उत्पाद शुल्क में छूट भी मुहैया करा रही है।

रेल पर्यटक सुविधा केन्द्र

3107. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने नए रेल पर्यटक सुविधा केन्द्रों की शुरूआत की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यकरण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम ने 8 पर्यटन सुविधा केन्द्र स्थापित किए है।

मुंबई सीएसटीएस, सिकन्द्राबाद, सिलीगुड़ी, गया, चेन्नई सेन्ट्रल, बेंगलूरू सिटी तथा एर्नाकुलम जंक्शन (सभी स्टेशनों पर एक-एक) तथा जवाहर व्यापार भवन, टालस्टाय मार्ग जनपथ, नई दिल्ली में एक। पर्यटन सुविधा केन्द्र पर्यटकों को विभिन्न पर्यटन उत्पादों तथा सेवाओं की जानकारी देकर उनके लिए बुकिंग की व्यवस्था करके मदद करते हैं।

[हिन्दी]

सामान्य उद्योग विपणन योजना

3108. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) डीलरशिप की स्थापना के लिए सामान्य उद्योग विपणन योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अनावश्यक विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त योजना कितने स्थानों पर कार्यान्वित की गई है;

(घ) वे स्थान कौन-कौन से हैं जहां उक्त योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सका और कार्यान्वित नहीं किए जाने के कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ङ) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को उनके वाणिज्यिक मूल्यांकन के अनुसार एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने की स्वतंत्रता दी है तथा स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटरशिपें बनाए रखने के लिए उपलब्ध रिफिल बिक्री संभाव्यता के आधार पर उनके द्वारा स्थलों का पता लगाया जाता है। तथापि, सरकार ने ओएमसीज को अर्ध-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करते हुए विपणन योजनाएं तैयार करने की सलाह दी है। दिनांक 1.11.2008 को, ओएमसीज देश में 9378 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का प्रचालन कर रही थी। इन डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के माध्यम से, ओएमसीज देश में लगभग 1036.9 लाख एलपीजी ग्राहकों की सेवा कर रही हैं। ओएमसीज ने मुख्यत: ग्रामीण और शहरी-ग्रामीण (अर्ध-शहरी) स्थलों में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए देश में 1340 स्थलों के लिए एक साझी उद्योग विपणन योजना को भी अंतिम रूप दिया है। देश में सभी स्थलों के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं और नीति के अनुसार उनकी चयन प्रक्रिया प्रगति पर है।

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है और इसमें उपयुक्त स्थल का पता लगाना, गोदाम बनाने के लिए भूमि की व्यवस्था तथा अन्य सांविधिक मंजूरियां आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र द्वारा रेलवे स्टेशनों का उन्नयन

3109. श्री के.एस. राव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुराने आदर्श स्टेशनों को रेलगाड़ियों, यात्रियों और माल यातायात संबंधी औसत हैंडलिंग क्षमता क्या है;

(ख) इन रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने और यात्रियों को सुविधाएं देने तथा राजस्व अर्जित करने में सहायक मान यातायात का उन्नयन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार एक निश्चित समय-सीमा में प्रमुख और अन्य महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों के उन्नयन के लिए आकर्षक निबंधन और पैकेज का प्रस्ताव देकर बड़े स्तर पर विदेशी निवेशकों सहित निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने और प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) माडल स्टेशनों की अवधारणा 1999 में शुरू की गई थी, जब उच्चतर स्तर पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था के लिए 61 महत्वपूर्ण स्टेशनों, प्रत्येक मंडल पर लगभग एक स्टेशन माडल स्टेशन के रूप में चुना गया था। यह गाड़ियों, यात्रियों अथवा माल यातायात की सम्हलाई क्षमता के आधार पर नहीं था।

भारतीय रेलों ने 80 के दशक में ''मालडिब्बा भार'' अवधारणा से ''रेक भार'' अवधारणा अपनाकर अपनी कार्य प्रणाली में बड़ा परिवर्तन किया। इसके लिए माल शेड अवसंरचना में वृद्धि आवश्यक है जो मुख्यत: माल डिब्बा भार से पूर्ण रेक क्षमता के लिए डिजाइन तथा निर्मित किए गए थे। यह रेलों पर एक सतत् प्रक्रिया है। उन मामलों में जिनमें कमियां है, नए माल शेडों के लिए वैकल्पिक स्थानों का पता लगाया जा रहा है। इसी बीच रेलों ने माल शेडों को अपग्रेड करने का बड़ा काम शुरू किया है। इस अपग्रेडेशन में क्षमता बढ़ाने के अलावा, परिचलन क्षेत्र, पहुंच सड़क में सुधार चौबीसों घंटे कार्य के लिए प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी, श्रमिकों तथा व्यापारियों के लिए सुविधाएं शामिल हैं। इन स्थानों पर माल परिचालन सूचना प्रणाली तथा दूरसंचार सुविधाएं भी मुहैया की जाएंगी। शुरूआत में, 50 माल शेडों का अपग्रेडेशन किया जाएगा।

माडल स्टेशन योजना के अंतर्गत चिन्हित किए गए स्टेशनों पर सुविधाओं के अपग्रेडेशन के प्रयोजन के लिए, स्टेशन की कोटि के आधार पर उच्चतर स्तर की सुविधाएं मुहैया की जाती हैं। जिन्हें ''वांछनीय सुविधाएं'' कहा जाता है। 1999 के दौरान चिन्हित किए गए माडल स्टेशनों को माडल स्टेशन के रूप में विकसित कर दिया गया है। इसके अलावा, 26 स्टेशन आधुनिक स्टेशन भवन जो देखने में सुंदर लगें तथा फूड प्लाजा, मुद्रा विनिमय काउंटर, टूरिस्ट बूथ, रिटेल आउटलेट, इंटरनेट कैफे, आटोमैटिक टेलर मशीन सुविधाओं, होटलों, किराए पर कार आदि जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ विश्व स्तर के स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए निर्धारित किए गए हैं।

(ग) और (घ) चिन्हित स्टेशनों का विश्व स्तर के स्टेशनों में विकास आसपास की भूमि की रियल एस्टेट संभावना तथा स्टेशन के ऊपर एयर स्पेस का पता लगाकर सार्वजनिक निजी भागीदारी माडल के आधार पर होता है।

दक्षिण पश्चिम तटीय जोन

3110. श्री पी.सी. थामस: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल तथा अन्य सरकारों ने केरल में मुख्यालय वाले दक्षिण पश्चिम तटीय जोन बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। केरल में क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना हेतु विभिन्न अतिविष्टि व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। प्रस्ताव की जांच की गई है परंतु इसे रेल सुधार समिति एवं सलाहकारों की समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के मद्देनजर व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

(ग) नए जोनों की स्थापना विभिन्न कारकों जैसे आकार, कार्यभार, सुगम्यता, यातायात पैटर्न और अन्य परिचालन/प्रशासनिक आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखकर की जाती है। इसके साथ ही इनकी स्थापना बिना किसी क्षेत्रीय भेदभाव के अर्थव्यवस्था संबंधी आवश्यकताओं और कुशलता के अनुकूल होनी चाहिए। केरल में मुख्यालय के साथ दक्षिण पश्चिम तटीय जोन की स्थापना के प्रस्ताव की जब उपर्युक्त मानदण्ड के आदार पर जांच की गई तो इसे व्यवहारिक नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

रेलवे ट्रैवल एजेंट

3111. श्री वी.के. ढुम्मर:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे ट्रैवल एजेंट की नियुक्ति के मानदण्ड/अर्हता क्या है;

(ख) नियमों का पालन न करने के कारण कितने एजेंटों की नियुक्ति रद्द कर दी गई;

(ग) क्या इन एजेंटों की नियुक्ति में भेदभाव बरतने की घटनाएं सामने आई हैं;

(घ) यदि हां, तो इस पर रेलवे की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) रेल यात्री एजेंटों की नियुक्ति रेल यात्री सेवा एजेंट नियम, 1985 के प्राधिकार के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

(ख) वर्ष 2008-09 (नवंबर तक) के दौरान रेल यात्री सेवा एजेंट नियम, 1985 के प्रावधानों का अनुपालन न किए जाने के कारण 4 रेल यात्री सेवा एजेंटों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं।

(ग) हाल ही में इस प्रकार का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आजादी एक्सप्रेस में अग्निकांड

3112. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में खड़ी अवस्था में आजादी एक्सप्रेस में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस घटना में नष्ट हुए मूल्यवान दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेलवे ने इस घटना की कोई जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(च) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, हां। समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार आजादी एक्सप्रेस का प्रदर्शन 24.3.2008 को 18.50 बजे पर जनता के लिए बंद कर दिया गया था और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के रंगिया मंडल के अंतर्गत न्यू बोंगाईगांव रेलवे स्टेशन के लाइन सं. 5 (प्लेटफार्म सं. 4) पर खड़ी कर दी गई थी। एक्सप्रेस को 25.3.2008 को 13.10 बजे पर दीमापुर की ओर जाना निर्धारित था। 24.3.2008 को लगभग 21.05 बजे आन ड्यूटी रेलवे सुरक्षा बल स्टाफ/पावर वैन स्टाफ ने कोच सं. 1077 के अंदर से आती हुई जलने की गंध महसूस की। मामले को तत्काल राज्य अग्नि शमन ब्रिगेड/स्थानीय पुलिस, बोंगाईगांव सहित सर्वसंबंधितों को सूचित किया गया। उक्त कोच में बाहर से ताला लगा हुआ था। उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल/राजकीय रेलवे पुलिस/रेल कर्मचारी आग नहीं बुझा सके। बहरहाल, 24.3.2008 के लगभग 21.30 बजे फायर ब्रिगेड पहुंची और आग बुझा दी गई।

(ग) आजादी एक्सप्रेस में आग लगने के कारण विभिन्न प्रकार की प्रदर्शन सामग्री, खादी ग्रामोद्योग कार्यालय दस्तावेजों, गांधी स्मृति किताबें, दर्शन समिति और विभिन्न प्रकार के उपकरण जैसे सैमसंग एलसीडीटीवी, डीवीडी, एसी, सोफा आदि क्षतिग्रस्त हो गए।

(घ) और (ङ) मामले की जांच करने के लिए मंडल रेल प्रबंधक/रंगिया द्वारा एक जांच समिति गठित की गई थी जिसमें व. डीएमई/रंगिया, डीईई/रंगिया एवं डीएससी/रे.पु.ब./रंगिया शामिल थे और जांच समिति ने अपने निष्कर्षों को नीचे दिए अनुसार प्रस्तुत किया था:

"ऐसा प्रतीत होता है कि मैसर्स एन.के. कपूर प्रा.लि./दिल्ली से मार्गरक्षी स्टाफ अथवा डीएवीपी स्टाफ अथवा दोनों ने 18.50 बजे के बाद वीआईपी लांज को खोला था और वहां रुके थे। ऐसा भी प्रतीत होता है कि अपने प्रवास के दौरान उन्होंने वीआईपी कक्ष (शायद अनजाने में) में माचिस की तीली/मोमबत्ती/सिगरेट जली हुई अवस्था में छोड़ दी थी जिससे जमीन (कारपेट फ्लोरिंग) पर आग लग गई और वहां से बिक्री काउंटर की ओर तथा पावर कार साइड की ओर फैल गई।"

फोरेंसिक विज्ञान निदेशालय, असम को आग का कारण सुनिश्चित करने के लिए भी अनुरोध किया गया था। तदनुसार, डा. आर.एन. खौंड, उपनिदेशक इन्स्ट्रूमेनटेशन मंडल की अध्यक्षता में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, असम से तीन सदस्यीय दल ने दौरा किया तथा जांच की और यह निष्कर्ष निकाला कि आजादी एक्सप्रेस के पूर्वोक्त कोच सं. 1077 में आग का कारण बिजली का शार्ट सर्किट था।

(च) 1. गाड़ियों में ज्वलनशील सामग्री और खतरनाक माल को ढोने के विरुद्ध अनेक अभियान चलाए जाते हैं और रेल सुरक्षा बल द्वारा रेल अधिनियम की धारा 164 के अंतर्गत मामले दर्ज किए जाते हैं।

2. गाड़ियों में धूम्रपान के विरुद्ध नियमित जांचें आयोजित की जाती हैं और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल अधिनियम की धारा 167 के अंतर्गत मामले दर्ज किए जाते हैं।

3. रेलवे किसी दुर्घटना के मामले में आग से निपटने हेतु पिछले द्वितीय श्रेणी लगेज कक्ष में और वातानुकूल कोचों (सवारी डिब्बों) में गार्ड के प्रभार के अधीन अग्निशामक उपकरण मुहैया कराती है।

4. यात्रा करने वाली जनता को गाड़ियों पर ज्वलनशील सामान न ढोने के लिए मेगा फोन और जन उद्घोषणा प्रणाली के जरिए बताया/शिक्षित किया जाता है।

5. गाड़ियों पर पारवहन हेतु बुक किए जाने वाले दो पहिया वाहनों पर औचक जांचे आयोजित की जाती हैं और यदि वाहन पेट्रोल के साथ पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाती है।

6. सभी गाड़ी मार्गरक्षी स्टाफ और स्टेशन ड्यूटी स्टाफ को समझाया जाता है कि जब भी रनिंग गाड़ियों पर आगजनी की घटनाओं का पता चले तो ऐसी स्थिति से निपटने हेतु वे समीपवर्ती अग्नि सेवा स्टेशन को तुरंत सूचित करें।

7. गाड़ियों में ज्वनलशील सामान/विस्फोटकों का ढोने के खतरे के विरुद्ध समाचार पत्रों/इलैक्ट्रानिक मीडिया के जरिए व्यापक प्रचार किया जाता है।

भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण करने के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग

3113. श्री एल. राजगोपाल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाल ही में इटली से एक दल ने सिग्लिंग और संचार इत्यादि के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के लिए भारत का दौरा किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) भारतीय रेल ने भारतीय रेल के हित वाले क्षेत्रों सहित रेल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस, इटली, दक्षिण अफ्रीका तथा चीन की रेलों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) और (ग) इटली के साथ समझौता ज्ञापन के अंतर्गत संचालन समिति की पिछली बैठक, जिसके लिए इटालियन रेलवे से एक दल आया था, नई दिल्ली में 20 फरवरी, 2008 को हुई थी।

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्प/गैस एजेंसियों के आबंटन में अनियमितताएं

3114. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री काशीराम राणा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियों के आबंटन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई प्रावधान किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रावधानों के बावजूद पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियों के आबंटन में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने मामले ध्यान में आए; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ङ) मंत्रालय द्वारा जारी किए गए व्यापक नीति दिशा निर्देशों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) अर्थात् इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसी) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन (बीपीसी) ने पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन के लिये अपने-अपने विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। ओएमसीज द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए प्रत्याशियों का चयन स्वतंत्र चयन समितियों द्वारा किया जाता है जिनमें कार्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। 100 पूर्णांकों में से लगभग 90% अंक प्रत्याशी द्वारा भूमि, अवसंरचना, वित्त उपलब्ध कराने के सामर्थ्य, शैक्षिक अर्हता, आयु

आदि जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करने पर आधारित सत्यापनीय विषयपरक मानदण्डों पर दिए जाते हैं। लगभग 10% अंक व्यक्तित्व, पेट्रोलियम व्यापार की जानकारी, संचार कौशल आदि जैसे विषयपरक मानदण्डों पर दिए जाते हैं। चयन पारदर्शी होता है और सभी प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त प्राचल-वार अंकों सहित परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किए जाते हैं और संबंधित ओएमसीज की वेबसाइट पर भी डाले जाते हैं।

इसके अलावा चयन दिशा निर्देशों में शिकायत निवारण पद्धति का भी प्रावधान शामिल है जहां पर प्रत्येक शिकायत का पंजीकरण किया जाता है और संवीक्षा समिति द्वारा उसकी जांच की जाती है। प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत होने वाली शिकायतों की जांच की जाती है और शिकायतकर्ता को अपने आरोपों के समर्थन में कोई सामग्री हो तो प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। शिकायतें स्पष्ट रूप से निपटायी जाती हैं और उसकी एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाती है। सिद्ध हुई शिकायतों के मामले में ओएमसीज द्वारा कार्रवाई की जाती है जिसमें पुन: विज्ञापन देना, दुबारा साक्षात्कार, चयन प्रक्रिया को रद्द करना, कार्पोरेशन के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना आदि शामिल हैं। गत तीन वर्षों के दौरान ओएमसीज द्वारा चयन प्रक्रिया के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतों के राज्य-वार ब्यौरे ओएमसीज के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

चामराज नगर-मेट्टूपलयम के बीच आमान परिवर्तन

3115. श्री एम. शिवन्ना: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चामराज नगर-मेट्टूपलयम के बीच 33 किमी. दूरी तक आमान परिवर्तन का कार्य रेल ट्रैक पर एलिफेंट कारीडार के आने के कारण से थम गया है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा इस अवरोध को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि आमान परिवर्तन का कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा हो सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां। चामराज नगर-मेट्टूपलायम नई लाइन पर सर्वेक्षण कार्य को रोकना पड़ा था, क्योंकि तमिलनाडु वन विभाग ने यह सूचित करते हुए कि शामिल क्षेत्र पश्चिमी घाटों के महत्वपूर्ण हाथी गलियारें में है, इसलिए वन क्षेत्र में सर्वेक्षण करने की अनुमति नहीं दी थी।

(ख) और (ग) बेन्नारी और गट्टेवाडी (58 किमी.) के बीच खंड में सर्वेक्षण करने हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ रेलवे द्वारा प्रयास किए गए हैं। तमिलनाडु वन विभाग द्वारा अनुमति मिलने से इन्कार किए जाने पर रेलवे ने सर्वेक्षण करने हेतु अनुमति के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश के अंतर्गत गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) से संपर्क किया है। अनेक सुनवाइयां करने के बाद सीईसी ने 14.5.2008 को अपना निर्णय दिया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इसने न तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सर्वेक्षण कार्य हेतु समर्थन दिया था न ही इसकी संस्तुति की थी। आगे सर्वेक्षण केवल आवश्यक अनुमति मिलने के बाद संभव होगा।

छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर संकट

3116. श्री उदय सिंह: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के धंसने का खतरा मंडरा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रनवे के नीचे से गुजरने वाले जल के पाइप अत्यधिक पुराने हैं तथा फट सकते हैं तथा विमानों को खतरा हो सकता है; और

(घ) यदि हां, तो जल के पाइपों के फटने से रनवे क्षतिग्रस्त न हो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) छत्रपति शिवाजी अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के धंसने का कोई खतरा नहीं है।

(ग) और (घ) तीन पानी के मुख्य पाइप, जिनसे मुंबई शहर में जल आपूर्ति होती है, हवाई अड्डे के दोनों रनवे के बहुत नीचे से गुजरते हैं। ये पानी के मुख्य पाइप दोनों रनवे के नीचे अलग-अलग गहराई पर स्थित हैं और अभी तक हवाई अड्डे पर इनसे संबंधित कोई मुद्दा नहीं है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (मायल) द्वारा कमजोर भू क्षेत्रों तथा पेवमेंट क्षेत्रों की पहचान करने के लिए रनवे का अविनाशी परीक्षण और पाइपलाइन की अलाइनमेंट में कोई खामी नहीं पाई गई है।

[हिन्दी]

ओ.एन.जी.सी. द्वारा तेल के कुओं के विश्लेषण पर किया गया व्यय

3117. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री काशीराम राणा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओएनजीसी द्वारा तेल के कुओं के विश्लेषण पर इसके लिए अनुमानित धन से अधिक राशि व्यय की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (च) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को वित्तीय राहत

3118. श्री रामजीलाल सुमन: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम. जगन्नाथ राव समिति ने मई, 2008 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या समिति कतिपय सिफारिशें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को वित्तीय राहत दिए जाने के बारे में है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त सिफारिशों पर सरकार द्वारा कब तक कार्य किए जाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) द्वितीय वेतन संशोधन समिति की अनुशंसाओं पर समुचित विचार-विमर्श करने के बाद सरकार ने दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(70)/08-लो उ वि-मजूरी कक्ष के माध्यम से केंद्रीय सरकार उद्यमों के कार्यपालकों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

(ङ) संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के निदेशक मण्डलों को श्रमिक संघों से वार्ता के आधार पर अपने कामगारों का वेतन संशोधित करने की शक्ति प्रदान की गई है। निदेशक मण्डलों को असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतनमान में संशोधन करने की भी शक्ति प्रदान की गई है। दिनांक 26.11.2008 के दिशा-निर्देशों के संदर्भ में संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यम के निदेशक मण्डल अपने उद्यम की भुगतान क्षमता के आधार पर वेतन संशोधन संबंधी प्रस्तावों पर विचार करेंगे और इसे अनुमोदन हेतु प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को प्रस्तुत करेंगे। वेतन संशोधन के कारण होने वाले व्यय का वहन पूर्ण रूप से केंद्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अपने संसाधनों से किया जाएगा।

[अनुवाद]

अत्याधुनिक स्कैनिंग उपकरण लगाना

3119. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोज्जा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विमानपत्तन पर यात्रियों की शर्मनाक शारीरिक जांच से बचाने के लिए अत्याधुनिक स्कैनिंग उपकरण लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर कब तक कार्रवाई किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) हवाई अड्डा प्रचालक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार, स्कैनिंग के उपस्करों समेत सुरक्षा उपस्कर उपलब्ध कराते हैं। विभिन्न हवाईअड्डों पर मौजूद सभी सुरक्षा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बीसीएएस द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार यात्रियों की जांच (फ्रिस्किंग) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल/राज्य पुलिस/एयरलाइनों के सुरक्षा कर्मियों द्वारा की जाती है।

मेगा टूरिस्ट सर्किट

3120. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में तीन मेगा टूरिस्ट सर्किट खोलने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय ने आगमन और भविष्य की संभावना के आधार पर और राज्य सरकारों के परामर्श से मेगा परियोजनाओं के लिए 22 गंतव्यों/परिपथों को अभिनिर्धारित किया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 9 के लिए 21742.27 लाख रुपए सहित, पन्द्रह मेगा परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

मेगा परियोजनाओं हेतु अभिनिर्धारित किए गए गंतव्य/परिपथ

क्र.सं.	परियोजना	स्वीकृत राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	आगरा में ताज का पुनरुद्धार (उत्तर प्रदेश)	1525.00
2.	वाराणसी (उत्तर प्रदेश)	786.00
3.	बोधगया-राजगीर-नालंदा (बिहार)	1922.42
4.	दिल्ली के स्मारकों का प्रदीप्तिकरण (दिल्ली)	2375.09
5.	महाबलीपुरम (तमिलनाडु)	10वीं योजना के दौरान 1039.66 और 2008-09 के दौरान 273.03
6.	भुवनेश्वर-पुरी-चिल्का (उड़ीसा)	3022.80
7.	हरिद्वार-ऋषिकेश (उत्तराखण्ड)	-
8.	हम्पी (कर्नाटक)	3283.58
9.	गंगटोक (सिक्किम)	2390.70
10.	अजमेर (राजस्थान)	-
11.	पानीपत-कुरूक्षेत्र-पिंजौर (हरियाणा)	1630.03
12.	हैदराबाद की चारमीनार का क्षेत्र (आंध्र प्रदेश)	994.75
13.	जगदलपुर-तीर्थगढ़-चित्रकूट-बरसू (छत्तीसगढ़)	-
14.	द्वारका-नागेश्वर-बेट द्वारका (गुजरात)	798.90
15.	तिरूपति हेरिटेज परिपथ (आंध्र प्रदेश)	4652.49
16.	गोवा की चर्चें	-
17.	गंगा हेरिटेज रिवर क्रूज परिपथ (पश्चिम बंगाल)	2042.35
18.	विदर्भ हेरिटेज परिपथ (महाराष्ट्र)	-
19.	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	-
20.	अमृतसर (पंजाब)	1585.53
21.	पुदुचेरी	-
22.	कडापा हेरिटेज पर्यटक परिपथ	3692.89

[हिन्दी]

किरोसिन की उपलब्धता

3121. श्री रामदास आठवले: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान राज्यों में किरोसिन की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता क्या है;

(ख) क्या उक्त उपलब्धता इनके लिए राष्ट्रीय औसत के समतुल्य है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) वर्तमान वर्ष के दौरान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत वितरण के लिए मिट्टी तेल के प्रतिव्यक्ति आबंटन के राज्य/संघ शा. क्षेत्र-वार (यूटीज) ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

कुछ राज्यों में प्रतिव्यक्ति आबंटन राष्ट्रीय औसत से कम है। भारत सरकार राज्यों/सं.शा. क्षेत्रों को पूर्ववर्ती आधार पर मिट्टी तेल का आबंटन कर रही हैं।

विवरण

वर्तमान वर्ष 2008-09 के दौरान एस.के.ओ. का राज्य-वार प्रतिव्यक्ति आबंटन

राज्य/संघ शा. क्षेत्र	(आंकड़े कि.ग्रा. में)
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16.32
आंध्र प्रदेश	6.83
अरुणाचल प्रदेश	8.48
असम	9.69
बिहार	7.81
चंडीगढ़	14.50
छत्तीसगढ़	7.07
दादरा और नगर हवेली	12.62
दमन और दीव	13.40
दिल्ली	12.22
गोवा	14.29
गुजरात	14.70
हरियाणा	6.91
हिमाचल प्रदेश	8.32
जम्मू-कश्मीर	7.55
झारखण्ड	7.85
कर्नाटक	8.75
केरल	6.79
लक्षद्वीप	13.12
मध्य प्रदेश	8.09
महाराष्ट्र	13.20
मणिपुर	8.33
मेघालय	8.85
मिजोरम	6.98
नागालैण्ड	6.69
उड़ीसा	8.58
पांडिचेरी	12.59
पंजाब	9.77
राजस्थान	7.06
सिक्किम	10.33
तमिलनाडु	9.00
त्रिपुरा	9.66
उत्तर प्रदेश	7.48
उत्तरांचल	10.60
पश्चिम बंगाल	9.38
राष्ट्रीय औसत	8.92

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग तथा आपूर्ति

3122. श्री पी.सी. गद्दीगउडर:
श्री महावीर भगोरा:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विशेषरूप से कर्नाटक में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने विदेशी भंडार को बचाने हेतु घरेलू उपभोग हेतु देश में खोज हेतु नए कच्चा तेल भंडार की पहचान की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन तथा उनके आयातों के संबंध में ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष (अप्रैल-अक्तूबर, 2008) में देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग तथा उसकी वृद्धि दर नीचे दर्शाए अनुसार है:-

	मांग (मिलियन मीट्रिक टन) (एम एम टी)	वद्धि दर (%)
2005-06	113.213	1.4
2006-07	120.749	6.7
2007-08	128.946	6.8
2008-09 (अप्रैल-अक्तूबर, 2008)	75.521	4.1

(ग) और (घ) देश में कर्नाटक राज्य सहित पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। सरकार को कुछ राज्यों में जुलाई से अक्तूबर, 2008 की अवधि में डीजल उपलब्ध न होने के बारे में कुछ शिकायतें/रिपोर्ट मिली थी। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने रिपोर्ट दी थी कि डीजल उपलब्ध नहीं होने की छुट-पुट घटनाएं होने का कारण इन राज्यों में विद्युत उत्पादन के लिए डीजल की मांग में वृद्धि होना था। तथापि, कृषि और परिवहन क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों की मांग पूर्णतया पूरी की जाती है।

(ङ) और (च) जी, हां। नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के सातवें दौर (एनईएलपी-7) के अंतर्गत, भारत सरकार ने 1.22 लाख वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में तेल तथा गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए 44 ब्लाक (11 गहरे समुद्री ब्लाक, 7 उथले समुद्री ब्लाक तथा 26 जमीनी ब्लाक) प्रदान किए हैं।

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान चालू वर्ष में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन तथा उनके आयातों से संबंधित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं-

अवधि	उत्पादन (एमएमटी)	आयात (एमएमटी)
2005-06	124.10	13.441
2006-07	140.00	17.660
2007-08	149.90	22.716
2008-09 (अप्रैल-अक्तूबर, 2008)	90.80	11.596

यूरेनियम अन्वेषण हेतु ओ.एन.जी.सी. तथा यू.सी.आई.एल. के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

3123. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) ने यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के साथ संयुक्त यूरेनियम अन्वेषण के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, हां।

(ख) यूरेनियम कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) तथा आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने यूरेनियम अन्वेषण व दोहन के निश्चित प्रयोजन के साथ दिनांक 11.11.2008 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ओएनजीसी तथा यूसीआईएल संयुक्त रूप से भारत और विदेश में यूरेनियम के अन्वेषण व दोहन के अवसरों को तलाशेंगे।

[हिन्दी]

गरीबों का सामाजिक तथा शैक्षिक स्तर

3124. श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सच्चर समिति की तरह गरीब लोगों का सामाजिक तथा शैक्षिक स्तर का पता लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे कर्मचारियों की छंटनी

3125. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे अपने कर्मचारियों की छंटनी करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर छंटनी किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या रेलवे छंटनी उपरांत योग्य शिक्षित बेरोजगार लोगों का उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पूर्व तटीय रेलवे जोन में आर.ओ.बी./आर.यू.बी. का निर्माण

3126. श्री अर्जुन सेठी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्व तटीय रेलवे जोन में राज्य और रेलवे के बीच 50:50 लागत वहन आधार पर निर्माणाधीन 'रोड ओवर ब्रिज'/'रोड अंडर ब्रिज' की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इस अवधि के दौरान उक्त परियोजना में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्माण कार्य की प्रगति तथा इस प्रकार की परियोजनाओं के निर्माण में कार्य निष्पादकों द्वारा उपेक्षा के कारण विलंब हो रहा है, विशेषकर बौदपुर तथा भद्रक रेलवे स्टेशन के बीच रंदिया पर निर्माण कार्य अगस्त, 2008 की निर्माण कार्य पूर्ण करने की लक्षित तिथि के बावजूद लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो समय-सीमा के भीतर निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) ऊपरी सड़क पुलों के सभी 8 कार्यों को पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वतट रेलवे जोन पर लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया था।

(ख) 1. निर्माण स्थल पर शुरू किया गया कार्य : 1 अदद

2. सामान्य व्यवस्था आरेखण (जीएडी)/संरेखण योजना जिसे अभी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है : 3 अदद

3. फाउंडेशन और उपसंरचना का डिजाइन और ड्राइंग : 2 अदद

4. जिसके लिए जीएडी तैयार किया जा रहा है : 2 अदद

(ग) जी नहीं। परियोजनाओं के निर्माण कार्य की प्रगति एवं समाप्ति में निष्पादकों की लापरवाही के कारण देरी नहीं हुई है बल्कि इसके लिए अन्य कारक भी हैं। बौदपुर और भद्रक स्टेशनों के बीच ऊपरी सड़क पुल के मामले में, देरी का श्रेय (1) विस्तृत अनुभाग संशोधन, (2) स्टील अथारिटी आफ इंडिया (सेल) द्वारा उत्पादित विशेष आकार की स्टील और बाजार में ओपीसी सीमेंट की कमी, (3) 2007-08 के दौरान स्टील और सीमेंट की लागत में अभूतपूर्व वृद्धि, (4) निर्माण स्थल के भूमि के निचले क्षेत्र में होने के परिणामस्वरूप निर्माण कार्य में देरी, और (5) पहुंच मार्गों के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण व्यस्त यातायात के लिए सड़क के परिवर्तन ने भी समय लिया था।

(घ) स्टील और सीमेंट के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति, निर्माण स्थलों उन सभी बाधाओं से मुक्त होने के साथ ही कार्य को एजेंसी के साथ अगस्त, 2009 तक पूरा करने की योजना बनाई गई है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा एनटीपीसी से अधिक मूल्य प्रभारित करना

3127. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा आरआईएल को दिए गए ब्लाक से अन्वेषित गैस के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) द्वारा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) से अधिक मूल्य प्रभारित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान स्वदेशी ब्लाक से अन्वेषित गैस और तेल के मूल्यों को नियंत्रित करने की ओर भी गया है ताकि इसका लाभ ग्राहकों तथा किसानों को भी पहुंचाया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने अपने द्वारा आबंटित ब्लाकों से स्वदेशी रूप से अन्वेषित तेल और गैस के मूल्य के निर्धारण के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश तैयार किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) द्वारा नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) को कोई गैस नहीं बेची जा रही है।

(ग) और (घ) सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) बनाई है जिसके द्वारा अन्वेषण में निवेश को बढ़ावा दिया जाता है ताकि पर्याप्त तेल और गैस बाजार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर उपलब्ध हो सके। नामांकन ब्लाकों से ओएनजीसी और आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्पादित की जा रही प्राकृतिक गैस एपीएम मूल्यों पर विद्युत और उर्वरक क्षेत्र को बेची जाती है।

(ङ) और (च) एनईएलपी के तहत गैस आर्म्स लैंथ पर निर्धारित मूल्यों पर बेचनी होती है। कच्चे तेल का मूल्य, वैसी ही विशेषताओं और गुणवत्ता के ऐसे कच्चे तेलों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर निर्धारित करना होता है जिसके संबंध में मूल्य निर्धारित किया जा रहा है। ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत गैस मूल्य सूत्र सरकार द्वारा अनुमोदित कराना होता है। कच्चे तेल के मामले में, गणना, गणना का आधार और ठेकेदार द्वारा निर्धारित मूल्य भी सरकार द्वारा किए जाने वाले करार के अध्यधीन होता है।

युवा नेतृत्व कार्यक्रम

3128. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने व उसके संवर्धन में छात्रों को शामिल करने के लिए 'कलचरल हैरिटेज यूथ लीडरशिप' नामक युवा नेतृत्व कार्यक्रम आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने विशेषकर मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों सहित राज्यों से स्वयंसेवकों को भी आमंत्रित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या खर्च का वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा अथवा राज्य सरकारों से भी कार्यक्रम हेतु निधियां देने को कहा गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (च) युवा पीढ़ी खासकर विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से, ''सांस्कृतिक विरासत युवा नेतृत्व कार्यक्रम'' (सी.एच.वाय.एल.पी.) नामक स्कीम को अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि युवा पीढ़ी में बेहतर जागरूकता पैदा हो सके और उनमें गौरव बोध पनप सके। यह स्कीम मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जाएगी और इसे भारत सरकार द्वारा वित्त-पोषित किया जाएगा।

मादक औषधि सेवन के मामले

3129. श्री फ्रांसिस फैन्थम: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार के ध्यान में राज्य-वार कितने मादक औषधि सेवन के मामले लाए गए;

(ख) इन मामलों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कितने नशामुक्ति केन्द्र खोले गए हैं; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस समस्या से निबटने के लिए स्थान-वार कितने ऐसे केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मादक औषधि मांग में कमी करने के कार्यक्रमों के लिए शीर्षस्थ मंत्रालय के रूप में स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से व्यसनियों में जागरूकता सृजित करने, उनका पता लगाने, उपचार और पुनर्वास सहित अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए मद्यमान और पदार्थ (मादक औषधि) दुरुपयोग निषेध योजना कार्यान्वित कर रहा है। गत 3 वर्षों के दौरान नशामुक्ति सेवाओं के लिए मंत्रालय द्वारा समर्थित केन्द्रों में पंजीकृत व्यसनियों की अनुमानित संख्या दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) अब तक खोले गए नशामुक्ति केंद्रों की संख्या संलग्न विवरण-II पर दी गई है।

(घ) प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में गठित बहु-पक्षीय सहायता अनुदान समिति स्वयंसेवी संगठनों के प्रस्तावों पर विचार करती है

और प्रस्तावों की अनुशंसा करती है। उन्हें उन क्षेत्रों से प्रस्तावों को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया गया है जहां सेवाओं की कमी है। राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से सहायता अनुदान समिति की सिफारिशों के साथ समय-समय पर प्राप्त प्रस्तावों की मंत्रालय में योजना के मानदंडों और संगत दिशा-निर्देशों के अनुसार संवीक्षा और विचार किया जाता है और यह एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण I

गत तीन वर्षों के दौरान नशा मुक्ति उपचार और सेवाओं के लिए पंजीकृत व्यसनियों की अनुमानित संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5471	3988	4680
2.	असम	2918	2127	2496
3.	बिहार	5107	3722	4368
4.	छत्तीसगढ़	1094	798	936
5.	गोवा	365	266	312
6.	गुजरात	1824	1329	1560
7.	हरियाणा	7295	5317	6240
8.	हिमाचल प्रदेश	1459	1063	1248
9.	जम्मू-कश्मीर	730	532	624
10.	झारखंड	726	0	0
11.	कर्नाटक	10943	7976	9360
12.	केरल	8025	5849	6864
13.	मध्य प्रदेश	7295	5317	6240
14.	महाराष्ट्र	17144	12496	14664
15.	मणिपुर	7660	5583	6552
16.	मेघालय	1094	798	936
17.	मिजोरम	3648	2659	3120
18.	नागालैंड	1824	1329	1560
19.	उड़ीसा	10578	7710	9048
20.	पंजाब	6566	4786	5616
21.	राजस्थान	5471	3988	4680
22.	सिक्किम	365	266	312
23.	तमिलनाडु	9484	7445	8736
24.	त्रिपुरा	730	532	624
25.	उत्तर प्रदेश	17508	13293	15288
26.	उत्तरांचल	1824	1329	1560
27.	पश्चिम बंगाल	5471	3988	4680
28.	चंडीगढ़	365	266	312
29.	दिल्ली	3283	2393	2808
	कुल	146267	107145	125424

विवरण II

क्र.सं.	राज्य/संघ शाक्ति क्षेत्र का नाम	नशा मुक्ति केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	15
2.	बिहार	14
3.	छत्तीसगढ़	3
4.	गोवा	1
5.	गुजरात	5
6.	हरियाणा	20
7.	हिमाचल प्रदेश	4
8.	जम्मू-कश्मीर	2
9.	कर्नाटक	30
10.	केरल	22

1	2	3
11.	मध्य प्रदेश	20
12.	महाराष्ट्र	47
13.	उड़ीसा	29
14.	पंजाब	18
15.	राजस्थान	15
16.	तमिलनाडु	26
17.	उत्तर प्रदेश	49
18.	उत्तराखंड	5
19.	पश्चिम बंगाल	15
20.	दिल्ली	9
21.	अरुणाचल प्रदेश	2
22.	असम	8
23.	मणिपुर	21
24.	मेघालय	3
25.	मिजोरम	10
26.	नागालैंड	5
27.	त्रिपुरा	2
28.	सिक्किम	1
	कुल	401

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में हिन्दू

3130. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या अल्पसंख्यक मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कुछ राज्यों में हिन्दू जनसंख्या को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में दर्जा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों का उसकी जनसंख्या के अनुसार पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे कितने राज्य हैं, जहां राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है तथा एक हिन्दू को इसका सभापति मनोनीत किया गया है;

(घ) अन्य राज्यों में राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिमों, इसाईयों, सिक्खों, बौद्धों और पारसियों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में घोषित किया गया है। कुछ राज्यों में जैनों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में घोषित किया गया है।

(ग) राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में 15 राज्यों - असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। इन राज्यों में राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के वर्तमान अध्यक्षगण की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) और (ङ) जिन राज्यों में अल्पसंख्यक आयोगों का गठन नहीं हुआ है और उन राज्यों से अल्पसंख्यक आयोगों का गठन करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के अध्यक्षगण की सूची

1. श्री यूसुफ कुरेशी
   अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग,
   कमरा सं. 301, ए-ब्लाक, सचिवालय, भवन,
   हैदराबाद-500 002

2. मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) सफीकुल हक
   अध्यक्ष, असम राज्य अल्पसंख्यक आयोग,
   सुजाता अपार्टमेंट्स (प्रथम तल),
   निलोमणि पुकन पथ, क्रिश्चियन बस्ती,
   गुवाहाटी-781 005

3. श्री नौशाद अहमद
   अध्यक्ष, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग,
   बैरक नं. 7, पुराना सचिवालय,
   पटना-300 015

4. श्री हाजी इनायत अली
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग
सी-186, शैलेन्द्र नगर,
रायपुर (सी.जी.)-492 001

5. श्री कमाल फारूकी
अध्यक्ष, दिल्ली राज्य अल्पसंख्यक आयोग,
प्रथम तल, सी-ब्लाक, विकास भवन,
नई दिल्ली-110 002

6. श्री जेवियर हेरेंज (अध्यक्ष की तैनाती नहीं)
सचिव, झारखंड अल्पसंख्यक आयोग,
बिल्डिंग नं. 3, आर्टिजन हास्टल,
धुर्वा, रांची

7. श्री तहसीन अहमद (अध्यक्ष की तैनाती नहीं)
सचिव, कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग,
5वां तल, विश्वेश्वरैया टावर, डा. बी.आर. अम्बेडकर विधि,
बैंगलोर-560 001

8. श्री उमर फारूक खतनी (अध्यक्ष की तैनाती नहीं)
सचिव, मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग,
ई-ब्लाक, पुराना सचिवालय,
भोपाल-462 011

9. श्री नसीम सिद्दिकी
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग,
जे.जे. स्कूल आफ आर्ट्स के पीछे,
बदरुद्दीन तैय्यबजी मार्ग, सी.एस.टी. रेलवे स्टेशन के पास,
मुम्बई-400 001

10. श्री अब्दुल हलीम चौधरी
अध्यक्ष, मणिपुर राज्य अल्पसंख्यक आयोग,
तृतीय तल, मिनिस्टर्स ब्लाक, कमरा सं. 165,
सचिवालय भवन, इम्फाल-795 001

11. सरदार जसबीर सिंह
अध्यक्ष, राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग,
कमरा सं. 308-309, एसएसओ भवन, सचिवालय,
जयपुर-302 001

12. डा. एम. प्रकाश
अध्यक्ष, तमिलनाडु राज्य अल्पसंख्यक आयोग,
124, सर थियागराया रोड,
अलयामन कोल शापिंग काम्पलेक्स, त्यानमपेट,
चेन्नई-600 018

13. श्री शेख सुलेमान
अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग,
609, इंदिरा भवन,
लखनऊ-226 001

14. सरदार हरविन्दर सिंह विर्क
अध्यक्ष, उत्तरांचल राज्य अल्पसंख्यक आयोग,
14/1, लक्ष्मी रोड, देहरादून

15. डा. सैय्यद सज्जाद जहीर अदनान
अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक आयोग,
भवानी भवन (2वां तल), अलीपुर,
कोलकाता-700 027

साहित्य अकादमी

3132. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) साहित्य अकादमी के कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) 1.1.2004 से 30.9.2008 तक अकादमी द्वारा कितने कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा इन पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अकादमी हिन्दी भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को अनुदान देती है;

(घ) यदि हां, तो 1.1.2004 से 30.9.2008 तक कितने गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान दिया गया तथा इसकी धनराशि कितनी है; और

(ङ) यह अनुदान किस आधार पर दिया गया है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) साहित्य अकादमी के संविधान के खण्ड 3(ख) के अनुसार अकादमी के कार्य इस प्रकार हैं:

(1) भारतीय भाषाओं में साहित्य के विकास हेतु साहित्यकारों में सहयोग बढ़ाना;

(2) एक भारतीय भाषा से अन्य भारतीय भाषाओं में तथा साथ ही विदेशी भाषाओं से भारतीय भाषाओं में और भारतीय भाषाओं से विदेशी भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के अनुवाद को प्रोत्साहित करना तथा उनकी व्यवस्था करना;

(3) विभिन्न भारतीय भाषाओं में ग्रन्थ-सूचियों, शब्दकोशों, वृहत्तकोशों, मूल शब्दावलियों आदि सहित साहित्यिक कृतियों का प्रकाशन करना या इनके प्रकाशन में संघों तथा व्यक्तियों की सहायता करना;

(4) अखिल भारतीय या क्षेत्रीय आधार पर साहित्यिक सम्मेलन, सेमिनार तथा प्रदर्शनियां प्रायोजित या आयोजित करना;

(5) पुरस्कार तथा उपाधियां प्रदान करना और उत्कृष्ट कृतियों हेतु निजी लेखकों का सम्मान करना;

(6) भारतीय भाषाओं तथा साहित्य में शोध को प्रोत्साहित करना;

(7) क्षेत्रीय भाषाओं तथा साहित्य से बाहर के क्षेत्रों में उनके शिक्षण तथा अध्ययन को प्रोत्साहित करना;

(8) आम जनता में साहित्य के प्रसार तथा अध्ययन को प्रोत्साहित करना;

(9) (क) ऐसी विभिन्न लिपियों में सुधार करना तथा उनका विकास करना जिनमें देश की भाषाएं लिखी गई हैं;

(ख) देवनागरी लिपि के प्रयोग को प्रोत्साहित करना और किसी भारतीय भाषा की लिपि में लिखी चुनिंदा पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना;

(ग) आवश्यक समझे जाने पर एक भारतीय भाषा की मानक पुस्तकों को अन्य भाषाओं की लिपियों में प्रकाशित करना;

(10) अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना तथा साहित्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध स्थापित करना;

(11) अनुदान, उत्तरदान तथा अन्य दान प्राप्त करना, भूमि खरीदना, सभी प्रकार की सम्पत्ति धारित करना तथा अपने कार्यों के विस्तार में सम्पत्ति का रख-रखाव करना, बेचना, रहन रखना या अन्यथा उसे बेचना; और

(12) अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए यथापेक्षित ऐसे सभी अन्य कार्य और बातें करना, चाहे वे उक्त शक्तियों से संबंधित हो या नहीं।

(ख) साहित्य अकादमी द्वारा 1.1.2004 से 30.9.2008 तक आयोजित कार्यक्रमों की संख्या तथा उन पर किये गये व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	किया गया व्यय (लाख रु. में)
2003-04	209	102.55
2004-05	203	100.20
2005-06	222	175.00
2006-07	202	211.00
2007-08	310	230.00
2008-09 (30.9.2008 तक)	210	240.00

(ग) से (ङ) अकादमी की गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान देने की कोई स्कीम नहीं है। तथापि, अकादमी, संबंधित संगठन के साहित्यिक स्तर के आधार पर साहित्यिक कार्यक्रमों के आयोजन में लेखकों/विद्वानों का प्रायोजन करके या उनमें सहयोग करके अन्य साहित्यिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों की सहायता करती है।

[अनुवाद]

एयर इंडिया के कर्मचारी

3133. **श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:**
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों को वेतन रहित लंबे अवकाश पर भेजने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) एयर इंडिया द्वारा कितने अधिशेष स्टाफ की पहचान की गई है; और

(घ) छंटनी के फलस्वरूप एयर इंडिया को अनुमानत: वार्षिक रूप से कितनी बचत होगी?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रेवल एजेंटों को कमीशन

3134. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमान कंपनियों ने अक्तूबर, 2008 से ट्रेवल एजेंटों के माध्यम से बेची गई टिकटों के लिए उन्हें कमीशन का भुगतान रोकने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार स्वामित्व वाली एयर इंडिया द्वारा भी ऐसा किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या कमीशन से होने वाली आय से वंचित ट्रेवल एजेंटों को सेवा शुल्क के रूप में उपभोक्ताओं के अतिरिक्त धनराशि लेने की अनुमति दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) पूर्ण सेवा वाली एयरलाइनें पहले ही ट्रेवल एजेंटों को मूल किरायों पर 5 प्रतिशत कमीशन दे रही थीं। तथापि 1 नवम्बर, 2008 से एयर इंडिया, जेट एयरवेज तथा किंगफिशर एयरलाइन्स ने एजेंसी कमीशन देने की नीति को बन्द कर दिया तथा कारोबार शुल्क माडल आरंभ कर दिया। उसके बाद, जेट एयरवेज तथा किंगफिशर एयरलाइन्स ने मूल किराए तथा ईंधन अधिभार पर एजेंसी कमीशन देना आरंभ कर दिया। एयर इंडिया ने 2 दिसम्बर से आगे कारोबार शुल्क देने की प्रथा को बंद कर दिया है।

कम लागत वाले कैरियरों के मामले में, यदि यात्री किसी यात्रा एजेंट के माध्यम से टिकट खरीदता है, तो वहां कुल विमान किराए पर कारोबार शुल्क जोड़ा जाता है जो 5 से 6 प्रतिशत के बीच होता है तथा इसे संपूर्ण रूप से यात्रा एजेंट द्वारा अपने पास रखा जाता है।

विमान टिकट कमीशन दिया जाना ट्रेवल एजेंटों तथा एयरलाइनों के बीच वाणिज्यिक मामला है सरकार द्वारा एयरलाइनों के वाणिज्यिक मामलों का विनियमन नहीं किया जाता है।

विशेष विद्यालय

3135. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों में ब्लाक स्तर पर विशेष विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेष विद्यालयों की स्थापना करने हेतु ऐसे ब्लाकों की पहचान कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे ब्लाकों का चयन करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

'फेसलेस गेट्स' लगाया जाना

3136. श्री मुन्शी राम: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'फेसलेस गेट्स' लगाए जाने संबंधी प्रायोगिक परियोजना शुरू की जा चुकी है जैसाकि 4 दिसंबर, 2008 के अमर उजाला में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन पर कितना खर्च आने की संभावना है तथा ऐसे कितने गेट लगाए जाने की संभावना है; और

(ग) उस तकनीकी संस्थान का नाम क्या है जहां यह प्रणाली विकसित की गई है तथा रेलवे द्वारा इसके साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज लिमिटेड

3137. श्री पन्नियन रवीन्द्रन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल की स्वामित्ववाली केरल इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज लिमिटेड (के.एस.आई.ई.) जो कार्य निष्पादन में उत्कृष्टता के लिए आई.एस.ओ. प्रमाणन प्राप्त एक लाभकारी कंपनी है, अनेक दशकों से दो विमानपत्तनों तिरुवनंतपुरम और कालीकट पर एयर कार्गो की सम्भलाई करती आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन विमानपत्तनों का पुनरुद्धार व पुनर्निर्माण किए जाने के पश्चात् के.एस.आई.ई. के विमानपत्तन का प्रबंधन करने के इस अधिकार को नकार दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व स्थिति बहाल करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर विमान कार्गो परिसर की स्थापना मैसर्स केरल राज्य औद्योगिक उपक्रम (केएसआईई), द्वारा वर्ष 1979 में त्रिवेन्द्रम हवाईअड्डे के बाहर एक अस्थाई शेड में की गई थी। बाद में केएसआईई ने वर्ष 1987 में कार्गो के आयात एवं निर्यात के लिए हवाईअड्डे के बाहर एक उचित विमान कार्गो परिसर का निर्माण किया था। कालीकट हवाईअड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कार्गो निर्यात प्रक्रिया के लिए एक भवन का निर्माण किया तथा उसे मैसर्स केएसआईई को सौंप दिया है जबकि मैसर्स केएसआईई के पास कार्गो आयात हैंडलिंग के लिए हवाईअड्डे के समीप अपना स्वयं का वेयरहाउस विद्यमान है।

(ग) से (ङ) आज तक, त्रिवेन्द्रम तथा कालीकट हवाईअड्डों पर कार्गो सुविधाओं का प्रचालन मैसर्स केएसआईई द्वारा स्वयं किया जा रहा है, जो कि सीमाशुल्क विभाग द्वारा नियुक्त कस्टोडियन भी है।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में स्थायी रोजगार

3138. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया के विभिन्न विभागों जैसे वाणिज्य, वित्त, सुरक्षा, ग्राउण्ड सपोर्ट में पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया इन विभागों हेतु व्यक्तियों की सेवाएं ठेके के आधार पर ले रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन रिक्तियों को विज्ञापन के माध्यम से स्थायी आधार पर भरने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) जी, हां। दिनांक 30.9.2008 की स्थिति के अनुसार, वाणिज्यिक, वित्त, सुरक्षा और ग्राउंड सपोर्ट विभागों में ठेके पर लिए गए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 13, 13, 1 तथा 29 थी।

(घ) से (च) जी, नहीं। पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइन्स तथा एयर इंडिया ने उच्च विमान कर्मचारी अनुपात को ध्यान में रखकर, सरकार ने प्रचालनात्मक श्रेणियों को छोड़कर इन कंपनियों में नई भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो अब भी लागू है।

[हिन्दी]

ऊना से रेलगाड़ियां

3139. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को दिल्ली-चंडीगढ़ जनशताब्दी एक्सप्रेस का ऊना (हिमाचल प्रदेश) तक विस्तार करने तथा ऊना से हरिद्वार के लिए एक नई पैसेंजर ट्रेन शुरू करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) 2057/2058 नई दिल्ली-नागलैंड जनशताब्दी एक्सप्रेस को 14.12.2008 से ऊना (हिमाचल प्रदेश) तक बढ़ा दिया गया है। बहरहाल, परिचालनिक और संसाधनों की तंगी के कारण, ऊना-हरिद्वार के बीच नई पैसेंजर गाड़ी चलाने का प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं है।

कैंसर के मरीजों के लिए रेल टिकटें

3140. श्री राकेश सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार कैंसर मरीजों के लिए सुनिश्चित रेल टिकटें उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ मौजूदा तत्काल कोटे में वृद्धि की गई है; और

(घ) यदि हां, तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन से चलने वाली ट्रेनों में ऐसे कोटे में वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) अनुदेश जारी किए जा चुके हैं कि कैंसर के मरीजों और उनके परिचरों को, जो रियायत प्रमाणपत्र के बदले जारी किए गए रियायती टिकटों पर यात्रा कर रहे हैं, निम्नलिखित क्रम से गाड़ी में स्थान मुहैया कराया जाना चाहिए:-

(1) सामान्य कोटा से, यदि टिकट खरीदते समय जगह खाली है;

(2) कैंसर कोटा से, उपलब्धता तक और जैसा भी परिभाषित हो;

(3) उस श्रेणी के आपात कोटा से उपलब्धता तक।

इसके पश्चात्, कैंसर के मरीजों और उनके परिचरों को सामान्य प्रतीक्षा सूची वाले टिकट जारी किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं। तत्काल कोटा पूरे किराए का भुगतान करने वाले यात्रियों के लिए है और रियायत पर यात्रा कर रहे कैंसर के मरीजों सहित सभी छूट प्राप्तकर्ताओं को तत्काल कोटा के अंतर्गत टिकट खरीदने की अनुमति नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पर्यटन को बढ़ावा देना

3141. श्री अधीर चौधरी: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (घ) पर्यटन मंत्रालय अपने चल रहे प्रचार कार्यकलापों के भाग के रूप में, देश के भीतर पर्यटन का संवर्धन कर रहा है। वर्ष 2008-09 के लिए आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार की योजना के अंतर्गत परिव्यय 72.00 करोड़ रुपए का है, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के विज्ञापन और प्रचार के लिए आबंटित किए गए 7.00 करोड़ रुपए सम्मिलित हैं।

पर्यटन मंत्रालय अपने वेबसाइट, ब्रोशरों, पोस्टरों, आदि जैसे विभिन्न कालेट्रल्स के निर्माण देश में प्रमुख ट्रेवल मार्टों में भागीदारी के माध्यम से और अपने स्वदेशी भारत पर्यटन कार्यालयों के माध्यम से घरेलू पर्यटन का भी संवर्धन करता है।

बांग्लादेश में करीमगंज और लाटू के बीच रेल संपर्क

3142. श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बांग्लादेश में करीमगंज और लाटू के बीच रेल संपर्क बहाल किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे बहाल किए जाने की समयावधि क्या है;

(ग) क्या पुरानी दिल्ली से पाकिस्तान में अटारी तक समझौता एक्सप्रेस की तर्ज पर ही इसे भी बहाल किया जा सकता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) इस समय, इस संपर्क लाइन को बहाल करने का फिलहाल न तो कोई प्रस्ताव है और न ही कोई औचित्य।

अपराह्न 12.01½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.-9884/08]

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) निम्नलिखित संस्थानों के संबंध में वर्ष 2007-08 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:-

(एक) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलाजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, कोलकाता।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9885/08]

(दो) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलाजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, जयपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9886/08]

(तीन) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलाजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, हैदराबाद।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9887/08]

(चार) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलाजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, मुंबई।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9888/08]

(पांच) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, लखनऊ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9889/08]

(छह) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, नई दिल्ली।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9890/08]

(सात) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलाजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, शिलांग।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9891/08]

(आठ) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, शिमला।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9892/08]

(नौ) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलाजी, तिरुवनंतपुरम।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9893/08]

(दस) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलाजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, ग्वालियर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9894/08]

(ग्यारह) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, हाजीपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9895/08]

(बारह) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलाजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, गुवाहाटी।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9896/08]

(तेरह) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन (सोसाइटी), गुरदासपुर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9897/08]

(चौदह) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलाजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, गोवा।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9898/08]

(पंद्रह) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलाजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, चेन्नई।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9899/08]

(सोलह) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलाजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, भोपाल।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9900/08]

(सत्रह) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलाजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, बंगलौर।

[ग्रंथालय में रख गए। देखिए संख्या एल.टी.-9901/08]

(अठारह) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलाजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, अहमदाबाद।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9902/08]

(उन्नीस) इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलाजी एण्ड एप्लाईड न्यूट्रीशन, भुवनेश्वर।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9903/08]

(बीस) डा. अम्बेडकर इंस्टिट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एण्ड न्यूट्रीशन, चंडीगढ़।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9904/08]

(2) उपर्युक्त संस्थानों के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टूरिज्म एण्ड ट्रैवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ टूरिज्म एण्ड ट्रैवल मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9905/08]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण):-

(क) (एक) एयरलाइन एलाईड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयरलाइन एलाईड सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9906/08]

(ख) (एक) इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9907/08]

(ग) (एक) पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9908/08]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9909/08]

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड तथा नागर विमानन मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.-9910/08]

(6) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.-9911/08]

(7) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वायुयान (संशोधन) नियम, 2008 जो 26 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 687(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) वायुयान (संशोधन) नियम, 2008 जो 19 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 660(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(तीन) वायुयान (संशोधन) नियम, 2008 जो 8 अक्तूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 722(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-9912/08]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, श्री विजय हान्डिक की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9913/08]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9914/08]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रायगढ़ के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रायगढ़ का वर्ष 2007-2008 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9915/08]

(3) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2004-2005, 2005-2006 और 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी.-9916/08]

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भारतभाई रठवा): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) राइट्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राइट्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9917/08]

(ख) (एक) इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9918/08]

(ग) (एक) इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9919/08]

(घ) (एक) रेलटेल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेलटेल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9920/08]

(ङ) (एक) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9921/08]

(च) (एक) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नवी मुंबई का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9922/08]

(2) (एक) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9923/08]

(3) (एक) इंडियन रेलवे वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन रेलवे वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी.-9924/08]

(4) 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती और प्रोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरे जाने में हुई प्रगति के बारे में प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9925/08]

(6) रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेल दावा अधिकरण (चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) (संशोधन) नियम, 2008, जो 19 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 797(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी.-9926/08]

(7) रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत रेल संरक्षण बल (संशोधन) नियम, 2008, जो 19 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 803(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी.-9927/08]

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) इंडियन रेलवे फाइनांस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेलवे फाइनांस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9928/08]

(ख) (एक) मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9929/08]

(2) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत भारतीय रेल (खुली लाइन) सामान्य (संशोधन) नियम, 2008 जो 10 दिसम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 847(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी.-9930/08]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) नेशनल ट्रस्ट फार द वेलफेयर आफ पर्सन्स विद आटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एण्ड मल्टीपल डिसएबिलीटीज के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ट्रस्ट फार द वेलफेयर आफ पर्सन्स विद आटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एण्ड मल्टीपल डिसएबिलीटीज के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9931/08]

(2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार द विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार द विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.–9932/08]

(4) (एक) स्वामी विवेकानन्द नेशनल इंस्टिट्यूट आफ रिहैबिलीटेशन ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कटक के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वामी विवेकानन्द नेशनल इंस्टिट्यूट आफ रिहैबिलीटेशन ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, कटक के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.–9933/08]

(6) (एक) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फार द फिजिकली हैंडीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टिट्यूट फार द फिजिकली हैंडीकैप्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.–9934/08]

(8) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, फरीदाबाद का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.–9935/08]

(ख) (एक) नेशनल सफाई कर्मचारीज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सफाई कर्मचारीज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.–9936/08]

(ग) (एक) नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.–9937/08]

(9) नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.–9938/08]

(10) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फार द विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फार द विजुअली हैंडीकैप्ड, देहरादून के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9939/08]

(12) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 73 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 1108(अ) जो 6 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आरपीएफ/आरपीएसएफ में योधक कार्मिकों के सभी श्रेणी के पदों को नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के उपबंधों से तीन वर्ष की अवधि के लिए छूट दिए जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 1109(अ) जो 6 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आरपीएफ/आरपीएसएफ में योधक कार्मिकों के सभी श्रेणी के पदों को नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 47 के उपबंधों से तीन वर्ष की अवधि के लिए छूट दिए जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1110(अ) जो 6 जुलाई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन में सेक्शन इंजीनियर, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन आपरेटर, सहायक स्टेशन कंट्रोलर, कनिष्ठ स्टेशन कंट्रोलर, मेंटेनर्स/कुशल कारीगरों, वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट/सिस्टम एनालिस्ट के पदों तथा किसी अन्य तकनीकी पद, जिसमें जनता की सुरक्षा अपेक्षित हो, को नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 के उपबंधों से छूट दिए जाने के बारे में है।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9940/08]

[हिन्दी]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) संभार साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) संभार साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9941/08]

(ख) (एक) सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9942/08]

(ग) (एक) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9943/08]

(घ) (एक) भारत पम्प्स एण्ड काम्प्रेशर्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत पम्प्स एण्ड काम्प्रेशर्स लिमिटेड, इलाहाबाद का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9944/08]

(ङ) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9945/08]

(च) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9946/08]

(छ) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9947/08]

(ज) (एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9948/08]

(झ) (एक) रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9949/08]

(ञ) (एक) एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9950/08]

(ट) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9951/08]

(ठ) (एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उटकमंड के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उटकमंड का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9952/08]

(2) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9953/08]

(3) (एक) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9954/08]

(4) (एक) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पालक्काड के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पालक्काड के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9955/08]

(5) (एक) नेशनल आटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल आटोमोटिव टेस्टिंग एण्ड रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9956/08]

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) बिको लारी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बिको लारी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9957/08]

(ख) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9958/08]

(ग) (एक) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9959/08]

(घ) (एक) बामर लारी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बामर लारी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9960/08]

(ङ) (एक) बामर लारी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बामर लारी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9961/08]

(च) (एक) आयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9962/08]

(छ) (एक) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-08 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी.-9963/08]

अपराह्न 12.02 बजे

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि मुझे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री पुन्नूलाल मोहले का 17 दिसम्बर, 2008 का पत्र प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा उन्होंने तत्काल प्रभाव से लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया है और मैंने उनका त्यागपत्र 17 दिसम्बर, 2008 से स्वीकार कर लिया है।

अपराह्न 12.02½ बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है:-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 16 दिसम्बर 2008 को हुई अपनी बैठक में पारित पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक बीमारियों का निवारण और नियंत्रण विधेयक, 2008 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा दिनांक 16 दिसम्बर, 2008 को यथापारित पशुओं में संक्रामक और सांसर्गिक बीमारियों का निवारण और नियंत्रण विधेयक, 2008 भी सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.02¾ बजे

संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन अध्यक्ष का विनिश्चय

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं संविधान की दसवीं अनुसूची और लोक सभा सदस्य (दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1985 के अधीन श्री किन्जरपु येरननायडु, संसद सदस्य द्वारा डा. एम. जगन्नाथ के विरुद्ध दी गई याचिका पर लोक सभा के दिनांक 15 दिसंबर, 2008 के विनिश्चय की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी.-9964/08]

अपराह्न 12.03 बजे

अंतर संसदीय संघ (आईपीयू) की 119वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल द्वारा भाग लेने संबंधी प्रतिवेदन

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं 11 से 16 अक्तूबर, 2008 तक जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में आयोजित अंतर संसदीय संघ की 119वीं सभा में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल द्वारा भाग लेने संबंधी प्रतिवेदन का हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी.-9965/08]

अपराह्न 12.03$^{1}/_{4}$ बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री वीरचन्द्र पासवान (नवादा): महोदय, मैं "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण और उनके नियोजन" के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 26वें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-अंतिम कार्यवाही दर्शाने वाले विवरणों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03$^{1}/_{2}$ बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

42वां से 45वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के 42वां, 43वां, 44वां एवं 45वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 37वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 42वां प्रतिवेदन;

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुदान और शिक्षा विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 43वां प्रतिवेदन;

(3) कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 44वां प्रतिवेदन; और

(4) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-2009) के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 45वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

(एक) 32वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): महोदय, मैं 'कारगिल समीक्षा समिति प्रतिवेदन-रक्षा प्रबंधन का विशेष संदर्भ के अनुसरण में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली सुधार के संबंध में मंत्रिसमूह (जीओएमएस) के प्रतिवेदन के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 32वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(दो) विवरण

श्री बालासाहिब विखे पाटील: महोदय, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2006-07 की अनुदानों की मांगों के बारे में 15वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन

[श्री बालासाहिब विखे पाटिल]

(चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण;

(2) 'अधिप्रापण नीति और प्रक्रिया' के बारे में 19वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण;

(3) 'रक्षा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम' के बारे में 21वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण;

(4) 'रक्षा क्षेत्र में चिकित्सा सेवा और शिक्षा की समीक्षा' के बारे में 23वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण;

(5) 'विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की आलोचनात्मक समीक्षा' के बारे में 24वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण;

(6) 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन' के बारे में 25वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण;

(7) 'हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) का गहन अध्ययन और आलोचनात्मक समीक्षा' के बारे में 27वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण;

(8) 'भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) का गहन अध्ययन और आलोचनात्मक समीक्षा' के बारे में 28वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12.04½ बजे

विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति

(एक) 22वां और 23वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): महोदय, मैं विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) विदेश मंत्रालय (2008-2009) की अनुदानों की मांगों संबंधी 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 22वां प्रतिवेदन।

(2) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (2008-09) की अनुदानों की मांगों संबंधी 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में 23वां प्रतिवेदन।

(दो) विवरण

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: महोदय, मैं ''प्रवासी भारतीयों से संबंधित मामले; वर्ष 2007-08 के लिए विदेश मंत्रालय और प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों'' विषय के बारे में क्रमश: 17वें, 18वें और 19वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदनों के अध्याय-एक पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही दर्शाते हुए विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

73वां से 79वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति (2008-09) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्त सेवाएं और विनिवेश विभागों) की अनुदानों की मांगों (2008-09)

के बारे में 67वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 73वां प्रतिवेदन;

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 68वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 74वां प्रतिवेदन;

(3) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 69वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 75वां प्रतिवेदन;

(4) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 70वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 76वां प्रतिवेदन;

(5) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 71वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 77वां प्रतिवेदन;

(6) कृषि क्षेत्र को ऋण प्रवाह संबंधी 78वां प्रतिवेदन; और

(7) परिचालन में जाली करेंसी नोटों संबंधी 79वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05$^{1}/_{4}$ बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

23वां और 24वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी): मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2008-09) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) 'तेलशोधक कारखाना - एक समालोचना' के बारे में 23वां प्रतिवेदन; और

(2) 'सीएनजी और एलएनजी समेत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति, वितरण और विपणन' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी 24वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05$^{3}/_{4}$ बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

38वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा (बोब्बिली): मैं शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' विषय पर शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2008-2009) का 38वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

(एक) 33वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. चिन्ता मोहन (तिरुपति): मैं स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2008 के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 33वां प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) साक्ष्य

[अनुवाद]

डा. चिन्ता मोहन: मैं स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2008 के बारे में समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के 27वें, 32वें और 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): मैं 1 सितम्बर, 2004 को लोक सभा बुलेटिन भाग-2 में

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-9966/08

[श्रीमती मीरा कुमार]

प्रकाशित अध्यक्ष के निदेश 73-ए के अनुसरण में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्थायी समिति की 27वीं, 32वीं और 33वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों की कार्यान्वयन स्थिति के संबंध में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं।

2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्थायी समिति की 27वीं रिपोर्ट विकलांग व्यक्तियों के लिए यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए उन्हें सहायता देने की योजना से संबंधित है। रिपोर्ट 6.9.2007 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई और उसी दिन राज्य सभा में भी प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में 14 सिफारिशें अंतर्विष्ट थी। 27वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई 25.6.2008 को समिति को भेज दी गई थी।

3. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्थायी समिति की 32वीं रिपोर्ट वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम की योजना से संबंधित है। रिपोर्ट 4.3.2008 को लोक सभा में और उसी दिन राज्य सभा में प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में 12 सिफारिशें अंतर्विष्ट थी। 32वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई 20.6.2008 को समिति को भेज दी गई थी।

4. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्थायी समिति की 33वीं रिपोर्ट वर्ष 2008-09 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को अनुदान सहायता देने के संबंध में है। रिपोर्ट 21.4.2008 को लोक सभा में और उसी दिन राज्य सभा में प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट में 13 सिफारिशें अंतर्विष्ट थी, जिनका संबंध मंत्रालय के कार्य निष्पादन, अनुसूचित जातियों के विकास, समाज रक्षा और उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से है। 33वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई 26.9.2008 को समिति को भेज दी गई थी।

5. समिति द्वारा अपनी 27वीं, 32वीं और 33वीं रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति मेरे विवरण पत्र के क्रमश: अनुबंध-1, 2 और 3 पर दर्शायी गई है जिसे सदन पटल पर रख दिया गया है। मेरा अनुरोध है कि इसे यथा पठित समझा जाए।

अपराह्न 12.07¼ बजे

(दो) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 33वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान): महोदय, मैं यह वक्तव्य दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग-2 के अनुसार माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निदेश 73-ए के अनुसरण में कोयला एवं इस्पात से संबंधित स्थायी समिति की 33वीं रिपोर्ट (चौदहवीं लोक सभा) में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में सभा पटल पर रखता हूं।

उपर्युक्त 33वीं रिपोर्ट 16.4.2008 को लोक सभा में प्रस्तुत कर दी गई थी। यह रिपोर्ट इस्पात मंत्रालय की वर्ष 2008-09 की अनुदान की मांगों की जांच से संबंधित है।

उक्त रिपोर्ट में समिति ने मंत्रालय के उद्देश्य, लक्ष्यों और उपलब्धियों के संबंध में कुल 14 सिफारिशें (5 पैराग्राफ में) की हैं और इन पर सरकार की ओर से कार्रवाई अपेक्षित है।

समिति की रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की-गई-कार्रवाई का विवरण कोयला एवं इस्पात से संबंधित स्थायी समिति को दिनांक 24.9.2008 को भेजा गया था।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक में दर्शाई गई है जो लोक सभा के पटल पर प्रस्तुत है। इस अनुलग्नक की संपूर्ण विषयवस्तु का वाचन करके मैं सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

अपराह्न 12.07½ बजे

(तीन) (क) इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यकरण और निष्पादन के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 108वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): महोदय, मैं इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यकरण और निष्पादन के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 108वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी विवरण सभा पटल पर रखती हूं।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-9967/08

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-9968/08

(ख) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 95वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): महोदय, लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश के अनुसरण में, मैं परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 95वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की अवस्थिति पर यह विवरण दे रही हूं, जो निम्न प्रकार है:-

"संबंधित मंत्री छः महीनों में एक बार, उनके मंत्रालय के संबंध में लोक सभा की संसदीय स्थायी समिति से विभाग-संबंधी रिपोर्टों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की अवस्थिति के संबंध में सदन में एक विवरण देगा।"

2. परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति पर स्थायी समिति ने पर्यटन विभाग की अनुदान मांगों (2005-06) पर 87वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर समिति की 95वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति ने 22 फरवरी, 2006 को आयोजित इसकी बैठक में रिपोर्ट पर विचार किया और अपनाया। (रिपोर्ट 27.2.2006 को राज्य सभा में प्रस्तुत की गई थी और 27.2.2006 को लोक सभा के पटल पर भी रखी गई थी)।

3. अध्यक्ष महोदय, स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुल 21 सिफारिशें की थी। समिति द्वारा की गई 21 सिफारिशों में से इस मंत्रालय ने 19 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, 2 सिफारिशों की विस्तृत रूप से जांच की गई और इसे स्वीकार नहीं किया गया। समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई रिपोर्ट पर्यटन मंत्रालय के दिनांक 10.7.2006 के का.ज्ञा. द्वारा राज्य सभा सचिवालय को प्रस्तुत कर दी गई है।

4. मैं, अनुबंध के रूप में प्रत्येक सिफारिश के कार्यान्वयन की वर्तमान अवस्थिति सदन के पटल पर भी रख रही हूं।

(ग) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 104वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति**

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): महोदय, लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश के अनुसरण में, मैं परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 104वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की अवस्थिति पर यह विवरण दे रही हूं, जो निम्न प्रकार है:-

"संबंधित मंत्री छः महीनों में एक बार, उनके मंत्रालय के संबंध में लोक सभा की रिपोर्टों में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की अवस्थिति के संबंध में सदन में एक विवरण देगा।"

2. परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति पर स्थायी समिति ने पर्यटन मंत्रालय की अनुदान मांगों (2006-07) पर समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर समिति की 104वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति ने 19 मई, 2006 को आयोजित इसकी बैठक में रिपोर्ट पर विचार किया और अपनाया। (रिपोर्ट 22.5.2006 को राज्य सभा में प्रस्तुत की गई थी और 22.5.2006 को लोक सभा के पटल पर भी रखी गई थी)।

3. अध्यक्ष महोदय, स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुल 26 सिफारिशें की थी। समिति द्वारा की गई 26 सिफारिशों में से इस मंत्रालय ने 24 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और 2 सिफारिशों की जांच की गई और इसे स्वीकार करने हेतु व्यवहार्य नहीं पाया गया। समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई रिपोर्ट पर्यटन मंत्रालय के दिनांक 21.9.2006 के का.ज्ञा. द्वारा राज्य सभा सचिवालय को प्रस्तुत कर दी गई है।

4. मैं, अनुबंध के रूप में प्रत्येक सिफारिश के कार्यान्वयन की वर्तमान अवस्थिति सदन के पटल पर भी रख रही हूं।

(घ) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 113वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): महोदय, लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश के अनुसरण में, मैं परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 113वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की अवस्थिति पर यह विवरण दे रही हूं, जो निम्न प्रकार है:-

"संबंधित मंत्री छः महीनों में एक बार, उनके मंत्रालय के संबंध में लोक सभा की संसदीय स्थायी समिति से विभाग-संबंधी रिपोर्टों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की अवस्थिति के संबंध में सदन में एक विवरण देगा।"

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-9969/08

**सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-9969क/08

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-9969ख/08

[श्रीमती अम्बिका सोनी]

2. परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति पर स्थायी समिति ने पर्यटन विभाग की अनुदान मांगों (2006-07) पर 104वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर समिति की 113वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति ने 16 अप्रैल, 2007 को आयोजित इसकी बैठक में रिपोर्ट पर विचार किया और अपनाया। (रिपोर्ट 14.5.2007 को राज्य सभा में प्रस्तुत की गई थी और 14.5.2007 को लोक सभा के पटल पर भी रखी गई थी)।

3. अध्यक्ष महोदय, स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुल 24 सिफारिशें की थीं। समिति द्वारा की गई 24 सिफारिशों में से इस मंत्रालय ने 15 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, 7 सिफारिशों को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है, 1 सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है और शेष 1 सिफारिश टिप्पणी की प्रकृति की है। समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई रिपोर्ट पर्यटन मंत्रालय के दिनांक 12.9.2007 के का.ज्ञा. द्वारा राज्य सभा सचिवालय को प्रस्तुत कर दी गई है।

4. मैं, अनुबंध के रूप में प्रत्येक सिफारिश के कार्यान्वयन की वर्तमान अवस्थिति सदन के पटल पर भी रख रही हूं।

(ङ) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 119वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): महोदय, लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश के अनुसरण में, मैं परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 119वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की अवस्थिति पर यह विवरण दे रही हूं, जो निम्न प्रकार है:-

"संबंधित मंत्री छः महीनों में एक बार, उनके मंत्रालय के संबंध में लोक सभा की रिपोर्टों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की अवस्थिति के संबंध में सदन में एक विवरण देगा।"

2. परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति पर स्थायी समिति ने पर्यटन विभाग की अनुदान मांगों (2007-08) पर समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर समिति की 119वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति ने 9 मई, 2007 को आयोजित इसकी बैठक में रिपोर्ट पर विचार किया और अपनाया। (रिपोर्ट 14.5.2007 को राज्य सभा में प्रस्तुत की गई थी और 14.5.2007 को लोक सभा के पटल पर भी रखी गई थी)।

3. अध्यक्ष महोदय, स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुल 22 सिफारिशें की थीं। समिति द्वारा की गई 22 सिफारिशों में से इस मंत्रालय ने 8 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और 12 सिफारिशों को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है और शेष 2 सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। समिति की सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई रिपोर्ट पर्यटन मंत्रालय के दिनांक 5.9.2007 के का.ज्ञा. द्वारा राज्य सभा सचिवालय को प्रस्तुत कर दी गई है।

4. मैं, अनुबंध के रूप में प्रत्येक सिफारिश के कार्यान्वयन की वर्तमान अवस्थिति सदन के पटल पर भी रख रही हूं।

अपराह्न 12.08 बजे

(चार) भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग से संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 195वें, 204वें और 208वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[हिन्दी]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ झा): महोदय, श्री संतोष मोहन देव की ओर से मैं माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा दिनांक 1.9.2004 के बुलेटिन भाग-2 के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं जिसमें उद्योग पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 195वीं, 204वीं और 208वीं रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति संलग्न है।

विभिन्न सिफारिशों के संबंध में कार्रवाई पूरी कर ली गई/आरंभ की गई है। प्रत्येक सिफारिश पर की-गई-कार्रवाई के संबंध में कार्रवाई नोट समिति के समक्ष क्रमशः 26.11.2007, 18.11.2008 और 26.11.2008 को प्रस्तुत कर दिया गया है।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-9969/08

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-9970/08

अपराह्न 12.09 बजे

(पांच) रेल संरक्षा आयोग के कार्यकरण के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 98वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति*

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): मैं, 'रेल संरक्षा आयोग के कार्यकरण पर परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 83वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई रिपोर्ट पर समिति के 98वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा जारी निर्देश 73ए के अनुसरण में लोक सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 389 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के संसदीय बुलेटिन भाग-2 के तहत, यह दूसरा वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं। पहला वक्तव्य 30 अगस्त, 2007 को दिया गया था। दूसरा वक्तव्य बजट सत्र के दौरान हो जाना चाहिए था तथापि ऐसा नहीं हो पाया जिसके लिए खेद है।

परिवहन, पर्यटन तथा संस्कृति की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 98वें प्रतिवेदन में 10 सिफारिशें की गई हैं। स्वीकृत/आंशिक रूप से स्वीकृत आठ सिफारिशों में से छः सिफारिशों पर कार्रवाई पूरी की जा चुकी थी। स्थायी समिति के प्रतिवेदन में दी गई बाकी की दो सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई स्थिति से संबंधित विवरण संलग्न है।

अपराह्न 12.09¼ बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2008-09

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): मैं वर्ष 2008-09 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी.-9972/08]

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी.-9971/08

अपराह्न 12.09½ बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2008-09

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): महोदय, श्री लालू प्रसाद की ओर से मैं वर्ष 2008-2009 के बजट (रेल) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी.-9973/08]

अपराह्न 12.10 बजे

भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2008*

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): महोदय, मैं श्री पी. चिदम्बरम की ओर से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ-साथ अभिहित स्थानों पर यात्रियों और माल के सीमा पार संचलन के लिये सुविधाओं के विकास और प्रबंधन के लिये भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की स्थापना और उनसे संबद्ध अथवा उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ-साथ अभिहित स्थानों पर यात्रियों और माल के सीमा पार संचलन के लिए सुविधाओं के विकास और प्रबंध के लिए भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की स्थापना और उनसे संबद्ध या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. शकील अहमद: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, क्या मैं निवेदन

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2, दिनांक 18.12.2008 में प्रकाशित।

[श्री पवन कुमार बंसल]

कर सकता हूं? यदि आप अनुमति दें तो मद संख्या 34 पर इस समय पर विचार कर सके अर्थात् इस विधेयक पर विचार किया जा सकता है क्योंकि भोजनावकाश के पश्चात् हम देश में आर्थिक स्थिति से संबंधित मामले में व्यस्त हो जायेंगे? ...*(व्यवधान)*। यह एक छोटा विधेयक है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इसे 'अविलंबनीय विषयों' से पहले लेना चाहते हैं? नहीं। हमारे पास प्रश्न काल के पश्चात् अविलंबनीय विषय चर्चा के लिए है।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, उसे बाद में लिया जा सकता है क्योंकि इसकी भी तत्काल आवश्यकता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यहां पर काफी विरोध हो रहा है। पहले से ही वहां पर काफी विरोध है।

श्री पवन कुमार बंसल: केवल दो सदस्य ही विरोध कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.11 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

26.11.2008 को आतंकवादी हमले में मुंबई एटीएस चीफ के मारे जाने के बारे में कैबिनेट मंत्री के कथित वक्तव्य से उत्पन्न स्थिति के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: चर्चा किये जाने वाले मामलों के संबंध में मैं श्री संतोष गंगवार को बुलाऊंगा क्योंकि मैंने उनसे वायदा किया है। परन्तु मेरा उनसे केवल एक अनुरोध है कि संक्षेप में बोलें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): अध्यक्ष महोदय, जैसा समाचार-पत्रों और मीडिया के माध्यम से सब की समझ में आ रहा है कि डा. मनमोहन सरकार के एक मंत्री के द्वारा ऐसा बयान दिया गया, जो वास्तव में दुर्भाग्य की बात है। ...*(व्यवधान)* इतनी बड़ी तादाद में मुंबई में जो घटनाएं हुईं, आतंकवादियों के द्वारा लोग शहीद किए गए और उसमें आपका यह कहना कि यह दिखाई दे रहा है कि इस हत्या में हमारे एटीएस के चीफ श्री करकरे की हत्या में कोई और बात समझ में आती है। वास्तव में यह ऐसा बयान है कि देश के लिए बहुत ही समस्या पैदा करता है। इससे यह भी लगता है कि लोगों के दिमाग में क्या है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि कल जब यहां पर शिवसेना के श्री गीते जी बोल रहे थे, तब माननीय मंत्री जी ने कुछ कहा भी था, परन्तु उसका कोई मतलब नहीं है। ...*(व्यवधान)* एक मंत्री के द्वारा इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना बयान देना, ...*(व्यवधान)* दुर्भाग्य की बात है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरा विश्वास है कि उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: इससे देश में समस्या पैदा हो रही है। वास्तव में कितने केजुअल ढंग से इस बात को सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। हम चाहेंगे कि प्रधान मंत्री जी सदन में आकर बयान दें। ...*(व्यवधान)* उस मंत्री के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जाए, जिससे भविष्य में ऐसी घटना घटित न हो। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, आपको माननीय प्रधानमंत्री से सभा में आने हेतु अनुरोध करना चाहिये। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: संसदीय कार्य मंत्री खड़े हुए हैं। वह सरकार का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। वह कुछ कहना चाहते हैं

[हिन्दी]

आप थोड़ी शांति रखिए। हमने आपको इस मैटर को उठाने दिया, आपने ठीक ढंग से उठाया। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, आप उनकी बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): महोदय, मामला उठाया जा रहा है और

इससे पहले मैं माननीय प्रधान मंत्री जी की मांग पर आऊं या जो बात भी है, उस पर आऊं; माननीय प्रधान मंत्री जी दूसरी सभा में हैं। मैं निश्चितरूप से माननीय सदस्यों की भावनाओं से उन्हें अवगत कराऊंगा, लेकिन इसी बीच मुझे एक बात कहनी है, आज सुबह समाचार पत्रों में माननीय मंत्री श्री अंतुले द्वारा इनकार संबंधी समाचार छपा है, उन्होंने कहा है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि वह आतंकवादियों द्वारा मारे गए हैं। उन्होंने ऐसा कहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसके पश्चात्, मैं नहीं जानता कि आपकी मांग क्या है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया, एक-एक करके बोलें।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: महोदय, हमारी मांग विशेष है। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस सदन में आना चाहिए और श्री अंतुले द्वारा दिए गए उपर्युक्त वक्तव्य के बारे में उन्हें अपना वक्तव्य देना चाहिए। ...*(व्यवधान)* दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री जी को संसद सदस्य के नाते कदाचार के लिए हटा दिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)* हम एक और बात की मांग कर रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह कह रहे हैं कि श्री अंतुले ने अपने वक्तव्य का पहले ही स्पष्टीकरण दे दिया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनका वक्तव्य सभी चैनलों और इलेक्ट्रानिक मीडिया पर दिखाया गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमें आशा करनी चाहिए कि इस स्पष्टीकरण को सभी समाचार चैनल दिखाएंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: योगी आदित्यनाथ जी का मैटर है। योगी जी यही बोलना चाहते हैं। उन्हें इस पर बोलने दीजिए। योगी जी, आपके लीडर आपको नहीं बोलने दे रहे हैं। हम क्या करें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वायालार रवि: जो कुछ उन्होंने कहा है सरकार उसकी जांच करेगी। सरकार को इसकी जांच करनी होगी। निश्चितरूप से मैं इस सभा को आश्वस्त कर सकता हूं कि सरकार माननीय सदस्यों की मांग को मानेगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सरकार इसको मानेगी।

[हिन्दी]

आपका काम तो हो गया।

...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, कल जब मंत्री जी भाषण दे रहे थे, तो मैं उनकी एक-एक बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उस समय भारत का एक मंत्री, गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहा था, वह अत्यंत शर्मनाक है। यह पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी मुम्बई में जब इस प्रकार के विस्फोट हुए थे, सीरियल विस्फोट हुए थे, उस समय भी माननीय मंत्री जी ने इस प्रकार का गैर-जिम्मेदाराना बयान दिया था। वे इस प्रकार के बयान देने के आदी हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बात संगत नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: महोदय, हम लोग मांग करना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी, बार-बार जो आतंकवादी घटनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें तुरन्त बर्खास्त किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वायालार रवि: यह सही नहीं था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बसुदेव आचार्य जी ने भी स्थगन प्रस्ताव का एक नोटिस दिया था। लेकिन मैंने आपको इसे एक बार ही उठाने की अनुमति दी है। इस मामले को दुबारा नहीं उठाया जा सकता है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: योगी जी, आपका मैटर हो गया। अब आप बैठ जाइए। आप मार्गदर्शन कीजिए। यह ठीक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष महोदय, इन्हें बर्खास्त किया जाए। *...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस भाग को कार्यवाही-वृत्तांत से हटा दिया जाये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसे कार्यवाही-वृत्तांत से हटा दिया है। मैंने इसे न केवल कार्यवाही-वृत्तांत से हटाया है बल्कि सभा में दूसरे सदस्य के प्रति ऐसी भाषा प्रयुक्त करने के प्रति कटु भर्त्सना की है। मैं ऐसी भाषा को कभी अनुमति नहीं देता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह करने का यह तो कोई तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: शहीदों का कोई अपमान नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको सम्मान दिया। मैंने आपको अवसर दिया। आप इस तरह से किसी संसद सदस्य को बुरा-भला नहीं कह सकते हैं, वह भी उतने ही सम्मानित हैं जितने कि आप। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन इन सब बातों की एक सीमा होती है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम सभी शहीदों का सम्मान करते हैं। सभा ने एक मत से अपने विचार व्यक्त किये हैं। एक या दो सदस्य इसे बदल नहीं सकते।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया, अपनी सीट पर चले जाएं, मैं अब इसकी और अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): महोदय, पंजाब में प्रेस की स्वतंत्रता की हत्या हो रही है। वे पंजाब में चैनलों को बंद करवा रहे हैं। वे पंजाब के लोगों को वचन नहीं दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गुरजीत सिंह राणा (जालंधर): सर, मैं रिगार्डिंग प्रैस बोलना चाहता हूं कि पंजाबी खबरों के चैनल बन्द किए जा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने नोटिस नहीं दिया। मेरे पास कोई नोटिस नहीं है। आप इस मामले को कल उठाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री गुरजीत सिंह राणा: यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसके लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि यह क्या है। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तब तो आपको मुझसे मिलना चाहिए था। आपको मुझे कहना चाहिए था और लिखित में मुझे देना चाहिए था।

...(व्यवधान)

श्री गुरजीत सिंह राणा: यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: तो क्या हुआ? मैं क्या कर सकता हूं? आप 1 बजे मुझसे मिल सकते हैं, मैं इसको देखूंगा, इस तरह से इसे उठाना सही तरीका नहीं है। आप सभा को अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चला सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, आरबीआई के नवम्बर 1997 के पूर्व में पेंशन भोगियो की अद्यतन पेंशन योजना को एक पक्षीय रूप से भारत सरकार के इशारे पर वापिस लेने के कारण देश के भारतीय रिजर्व बैंक, सेन्ट्रल बैंक में बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो गयी है। *...(व्यवधान)* भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10 अक्तूबर, 2008 को जारी किए गए प्रशासनिक आदेश से यह योजना अब अक्तूबर, 2008 माह से वापस ले ली गई है।

कार्यान्वयन के छह वर्ष पश्चात् इससे 1000 रुपये से 5000 रुपये तक पेंशन की कमी हुई है। इस एक पक्षीय निर्णय जिसे एसोसिएशन से बिना परामर्श किया गया है के विरोध में मुख्य महाप्रबंधक से लेकर अटैन्डेंट तक पूरे स्टाफ ने 21 अक्तूबर, 2008 को एक दिन का आकस्मिक अवकाश लिया था और इसके कारण भारतीय रिजर्व बैंक के सभी कार्यकलाप रुक गये थे। 99 प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के स्टाफ द्वारा विरोध जताने के बावजूद भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक के 99 प्रतिशत स्टाफ की 1997 पूर्व पेंशन योजना से संबंधित अक्तूबर 2008 में जारी की गई अधिसूचना को वापस लेने की जायज मांग पर कार्रवाई नहीं कर सके। महोदय, स्टाफ के सभी वर्गों द्वारा व्यापक क्षोभ व्यक्त करने और यूनाइटेड फोरम जो कि आरबीआई के सभी स्टाफ का एकल संगठन है के द्वारा बैंक के आदेश को आस्थगित रखने और मुद्दे के समाधान के लिए सौहार्दपूर्ण रूप से आपसी चर्चा करने की बार-बार अपील के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक ने कठोर और समझौता न करने वाला रवैया अपनाया हुआ है। इसलिये दिनांक 1 और 2 अक्तूबर को 2 दिनों का सामूहिक आकस्मिक अवकाश लेना पड़ा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि अधिसूचना को वापस लिए जाने को आस्थगित रखा जाए और जो योजना 1997 से पहले के पेंशनरों के लिए थी उसे बहाल किया जाए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, वैट का कानून संसद ने पास किया। वैट का उद्देश्य यह था कि सभी प्रदेशों में कर की दरें एक जैसी हों और व्यापार का संतुलन न बिगड़े। दुनिया के जितने भी देश हैं, वहां वैट लगा हुआ है, वहां कोई दूसरा कर नहीं होता।

इतना सब कुछ होने के बावजूद एक जनवरी, 2008 से उत्तर प्रदेश में वैट लगा और चार प्रतिशत कर की जगह कृषि कार्य में प्रयुक्त जैनरेटर, पम्पिंग सैट, पाइप इत्यादि पर टैक्स चार प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत, बिजली के उपकरण जैसे पंखा, इलैक्ट्रिक प्रैस एवं मिक्सी, सर्जिकल एक्विपमेंट्स और 300 रुपये से ऊपर की कीमत का जो जूता है, उस पर भी चार परसेंट से 12.5 परसेंट टैक्स उत्तर प्रदेश में लगा दिया। जूता उद्योग एक कुटीर उद्योग है। अल्पसंख्यक और दलित समुदाय के लोग इसमें काम करते हैं। यह 12.5 प्रतिशत टैक्स उत्तर प्रदेश में इन चीजों पर होगा, जबकि हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में यह टैक्स चार प्रतिशत होगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में बोलिये।

श्री रामजीलाल सुमन: इससे कर की चोरी बढ़ेगी। वित्त राज्य मंत्री पवन बंसल जी यहां बैठे हैं, वे जानते हैं कि इसमें यह भी कमिटमेंट था कि अगर वैट से किसी राज्य को राजस्व की हानि हो रही है तो उसकी भरपाई भारत सरकार करेगी।

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है, इससे चोरी बढ़ेगी, व्यापार का संतुलन बिगड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से आम आदमियों की जरूरत की चीजों पर 4 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत तक टैक्स लगाया है, मैं आपके मार्फत् भारत सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार तत्काल इसका संज्ञान ले और उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देशित करे कि जो बढ़ा हुआ टैक्स है, उसे वापस ले।

श्री संतोष गंगवार: अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय रेल मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, मैं आपके माध्यम से उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि शाहजहांपुर से फरूखाबाद के बीच 90 किलोमीटर नयी रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव 20 वर्षों से स्थानीय लोगों कर रहे हैं। ये दोनों शहर उत्तर प्रदेश के मुख्य शहर हैं और राज्य के बिल्कुल मध्य में स्थित हैं। यहां पर कोई भी रेल लाइन नहीं है। यहां कृभको, श्याम खाद कारखाना, रिलायंस कंपनी का थर्मल प्लांट, केंद्रीय खाद्य निगम का गोदाम, खांडसारी यूनिटें, बड़ी चीनी मिलें हैं। यहां रोजा, तेला, पवाया, हरदोई के किसानों के द्वारा गन्ना उपलब्ध कराया जाता है। यह क्षेत्र मुख्यत: चावल व आलू उत्पादक के रूप में जाना जाता है। यहां बड़ी संख्या में शीतगृह मौजूद हैं। यहां किसानों और व्यापारियों का आना-जाना लगा रहता है, पर समुचित रेल सुविधा न होने के कारण इस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। शाहजहांपुर, टनकपुर, फतेहगढ़, बरेली, आगरा, मथुरा के साथ ग्वालियर, जहां सैनिक छावनियां भी हां, इस कारण यहां आना-जाना बहुत रहता है। आपके माध्यम से मैं आज कहना चाहूंगा कि वहां के स्थानीय लोग करीब 50 हजार हस्ताक्षर करके माननीय रेल मंत्री जी को देना चाहते हैं कि उनकी इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर वे ध्यान दें और 20 वर्षों से जिस रेल लाइन की मांग हो रही है, इस संदर्भ में तुरंत प्रभावी कार्यवाही किये जाने के आवश्यक निर्देश दें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे 46 माननीय सदस्यों के नाम प्राप्त हुए हैं। क्या मैं प्रत्येक को बुला सकता हूं।

कुछ माननीय सदस्य: जी हां महोदय।

अध्यक्ष महोदय: हां, सभी को एक साथ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप यहां आएं और कार्यवाही को चलायें। क्या आप नहीं समझते कि इससे कितनी परेशानी हो रही है? कोई सदस्य कुछ कह रहा है और 20 सदस्य 'जी हां महोदय, हां महोदय' कह रहे हैं। क्या आप नहीं समझते? मेरे पास पूरी सूची है। मुझे देखना पड़ता है कि मैं किस मुद्दे को वरीयता दूं। वे कपड़ा फैक्टरी के कामगारों से संबंधित आम आदमी के मुद्दे को उठा रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, मेरा नाम भी इसमें है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे हटा दिया गया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं जानता हूं कि अगले चुनाव पास आ रहे हैं और स्वाभाविक रूप से हर सदस्य अब मुद्दे उठाना चाहता है। आप लोग कड़ी मेहनत कर रहे है।

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कपड़ा उद्योग में कार्यरत महिला कामगारों की समस्याओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं।

महोदय, कर्नाटक में दस लाख कामगार कपड़ा उद्योग में लगे हुए हैं। इन्हें बहुत सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इनको बहुत कम वेतन दिया जाता है। कपड़ा उद्योग में कार्यरत कामगार विशेष रूप से महिला कामगारों को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें प्रात: नौ बजे से रात्रि के नौ बजे तक कार्य करना पड़ता है। वे असुरक्षित हैं। इसके अलावा, नियोक्ता के साथ-साथ अन्य अनैतिक तत्वों द्वारा महिला कामगारों का शोषण किया जाता है। महोदय, कपड़ा उद्योग में कार्यरत कामगारों का कार्य महत्वपूर्ण है क्योंकि संपूर्ण विश्व के लोग उनके उत्पादों का प्रयोग करते हैं।

अत:, महोदय मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कपड़ा उद्योग में कार्यरत कामगारों के लिए बेहतर कार्य स्थिति सुनिश्चित करने हेतु हर संभव कदम उठाए। उन्हें आवास और कार्यकुशलता आधारित प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। केवल तभी वे शांतिपूर्वक कार्य कर सकेंगे और कपड़ा क्षेत्र में अपना योगदान दे पाएंगे।

उन सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जहां कपड़ा निर्माण इकाइयों की अधिकता है वहां मूलभूत संरचना का विकास किया जाए।

मुझे आशा है कि केंद्र सरकार कपड़ा उद्योग में कार्यरत कामगारों विशेष रूप से महिला कामगारों के हितों की रक्षा के लिए निश्चित रूप से यथाशीघ्र ठोस कदम उठाएगी। धन्यवाद महोदय।

अध्यक्ष महोदय: यह समय अति तात्कालिक मामलों का उल्लेख करने के लिए है। अब, हर व्यक्ति भाषण दे रहा है। ठीक है। धन्यवाद। इसे रिकार्ड कर लिया गया है। मैं 15वीं लोक सभा के पीठासीन अधिकारी को शुभकामनाएं देता हूं।

श्री जे.एम. आरुन रशीद (पेरियाकुलम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र में किसानों की दयनीय स्थिति के संबंध में सरकार और विशेष रूप से कृषि मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय को अवगत कराना चाहता हूं।

महोदय, थेनी जिला पूर्ण रूप से पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र है जैसे कोडाइकनाल, मेगमलाई, हाइबेविस, कंबम मेट्टू, बोडिमेत्तु, अगामलाई आदि। छोटे और सीमांत किसान धूप और बारिश में अपनी कड़ी मेहनत से विभिन्न सब्जियां जैसे आलू, बैंगन, बींस, बंदगोभी, फूलगोभी आदि और फल जैसे आलूबुखारा, रसभरी, बटर फ्रूट, अनन्नास, सेब, पहाड़ी केला आदि उगाते हैं। जब ये सब्जियां तैयार हो जाती हैं, तो उन्हें इनको अपने सिर पर टोकरियों में रखकर या खच्चर, छोटे घोड़े, लगाकर परिवहन हेतु मुख्य मार्ग और बाजार तक लाना पड़ता है। यहां ग्रामीण सड़कों की उचित व्यवस्था नहीं है। पिछली वर्षा ऋतु में, मूसलाधार वर्षा के कारण कई टन सब्जियों और फलों को बाजार तक नहीं लाया जा सका और ये खराब हो गईं तथा किसानों को मजबूर होकर इन्हें फेंकना पड़ा।

महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र में शीतागार बनाए जाएं ताकि किसान लाभान्वित हो सकें। कई बार इनकी कीमतें बहुत कम होती हैं। उन दिनों में वे फूलगोभी, बींस आदि को सड़कों पर फेंक देते हैं। यदि सरकार दो शीतागार एक कंबम घाटी में और दूसरा कोडाइकनाल घाटी में बनाती है, तो कृषकों को लाभ होगा। वे लोग जो सामान बनाते हैं, उसे रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बहुत जरूरी है।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, हमारे देश में एक कहावत है जिसे हमारे पूर्वज दोहराते थे: 'सही समय पर उठाया गया कदम ज्यादा फायदेमंद होता है', किन्तु मेरे विचार से...*

अध्यक्ष महोदय: क्षमा करें, इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अधीर चौधरी: हमारे देश में लाखों गरीब लोग कुक्कुट पालन के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित कर रहे हैं। कुछ माह पहले एवियन फ्लू- जिसे बर्ड फ्लू या चिकन फ्लू कहते हैं- पश्चिम बंगाल में भयावह रूप से फैल गया, जिसके फलस्वरूप हजारों कुक्कुट पालकों ने अपनी आजीविका का साधन खो दिया ...*

अध्यक्ष महोदय: आप केन्द्र सरकार के संबंधित मामले ही उठायें।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, यह मामला केन्द्र सरकार से संबंधित है। प्रत्येक राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करे। कुछ माह पहले, जब पश्चिम बंगाल में बर्ड फ्लू फैला था....* अब, पुन: हमें पता चला है कि हमारे समीपवर्ती राज्य असम में बर्ड फ्लू भयावह रूप से फैल गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अवसर का दुरुपयोग न करें।

...(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी: महोदय, समीपवर्ती राज्य असम में भी, बर्ड फ्लू भयावह रूप से फैल गया है। परंतु, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसार पहली बार बर्ड फ्लू के फैलने पर, यदि सुझावों का पालन किया गया होता तो पुन: इसका प्रभाव नहीं पड़ता। पहले ही, उत्तर बंगाल के मालदा जिले में बर्ड फ्लू फैल गया था। पहली बार भी किलिंग आपरेशन और मॉपिंग आपरेशन सही ढंग से नहीं किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप पुन: बर्ड फ्लू *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। श्री सर्वानन्द सोनोवाल।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इससे ज्यादा नहीं; नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्षमा करें। आप अवसर का उचित प्रयोग नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो सभी राज्यों में गरीब कुक्कुट पालकों को बचाने के लिए हर संभव उपाय करे।

अध्यक्ष महोदय: राज्य सरकार से संबंधित सभी संदर्भों को हटा दिया जाएगा।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रूगढ़): असम में मनुष्य और हाथी का संघर्ष बहुत गंभीर मुद्दा है। इस समस्या ने जोरहाट, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, गोलाघाट, कर्बी अंगलौंग, सोनितपुर और नौगांव जिलों में तबाही मचा रखी है। इस समस्या के कारण, अब तक छह जानें जा चुकी हैं। साथ ही बहुत से लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। असम की राज्य सरकार शक्तियों की कमी के कारण इस समस्या का प्रभावी ढंग से सामना नहीं कर पा रही है। वन्य जीव अधिनियम के अनुसार, वन्य हाथी के नियंत्रण और विनियमन का प्राधिकार केंद्र सरकार के हाथ में है। इसकी वजह से राज्य सरकार वन्य हाथियों का प्रभावी ढंग से सामना नहीं कर पा रही है।

भारत सरकार से मेरा विनम्र अनुरोध है कि राज्य सरकार को यह विशेष अधिकार दिया जाए ताकि वे वन्य हाथियों को नियंत्रित व विनियमित कर सकें और ग्रामीणों के हितों की रक्षा कर सकें।

महोदय, मेरे जिले डिब्रूगढ़ में लारूआ मोजा-लेजाई, कोलखोवा, मधुपुर, गोरुधोरिया और बोगीबिल ये पांच पंचायतें हैं। इन पांच पंचायतों में 100 से भी अधिक ग्रामीण बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इस विशाल हाथी ने धान के खेत, घरों और अन्य बहुत सी संपत्तियों का विनाश कर दिया है। इन ग्रामीणों को बचाने के लिए, केन्द्र सरकार को आवश्यक रूप से राज्य सरकार को यह विशेष अधिकार देने के लिए आगे आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: कृपया दोहराएं नहीं। आप बात जो दोहरा रहे हैं।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल: महोदय, मैं अपने आखिरी मुद्दे पर आता हूं।

महोदय, केन्द्र सरकार को असम के सभी जिलों में बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने के लिए एक पैकेज की तुरन्त घोषणा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: अब, ी चेंगरा सुरेन्द्रन।

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन (अट्टूर): महोदय, अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आप जरा ध्यान से देखने और सुनने का प्रयत्न करें कि मैं किस प्रकार के मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान कर रहा हूं। ये मामले आम लोगों और उन कामगारों से संबंधित हैं जो प्रभावित हुए हैं।

[हिन्दी]

आप लोगों को इस बारे में कोई सिम्पैथी भी नहीं है। क्या यह विषय सुनने लायक नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: महोदय, अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पहली अप्रैल 2007 से देश के लगभग सभी जिलों में चल रही है। केरल में, इस योजना के अंतर्गत लगे हुए मजदूरों को 125 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिहाड़ी मिल रही है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई बढ़ोत्तरी को देखते हुए आजकल यह दिहाड़ी एक परिवार के लिए अपर्याप्त है। केरल में स्थानीय स्तर पर कृषि मजदूरों की दिहाड़ी 250 रुपये और 275 रुपये के बीच चल रही है। इसलिए मौजूदा दिहाड़ी की दर को बढ़ाना बहुत आवश्यक है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार केन्द्र सरकार के पास देश के विभिन्न भागों में मौजूद विशेष परिस्थितियों को देखते हुए दिहाड़ी की दर निर्धारित करने का अधिकार है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह केरल में दिहाड़ी की दर को 125 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाए।

श्री अबु अयीश मंडल (कटवा): महोदय, मैं देश में हथकरघा बुनकरों की गंभीर समस्या को उठाना चाहता हूं।

हथकरघा क्षेत्र जो मूलत: असंगठित क्षेत्र है, का हमारे देश के लोगों को आजीविका उपलब्ध करवाने में कृषि के बाद दूसरा स्थान है। वर्ष 1995-96 में हथकरघों और विद्युतकरघों में लगे लोगों के संबंध में करवाई गई संयुक्त जनगणना के अनुसार हमारे देश में 65.50 लाख लोग हथकरघा बुनाई और इससे संबंधित कार्यकलापों में लगे हुए हैं। इनमें से आठ लाख बुनकर पश्चिमी बंगाल में हैं और अब उनको विद्युतकरघों और कपड़ा मिलों से कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा स्पर्धा बहुत कड़ी हो गई है क्योंकि पावरलूम के उत्पादों को हथकरघा उत्पाद के नाम से बेचा जा रहा है। यह भी बड़ी चिन्ता की बात है कि इस क्षेत्र को हथकरघा ऋणों पर लगभग 12 प्रतिशत ब्याज देना पड़ रहा है जो उनकी बेहद दुर्दशा का प्रमुख कारण है।

इन परिस्थितियों में एक वर्ष से भी अधिक समय पहले पश्चिमी बंगाल सरकार और अन्य राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से हथकरघा ऋणों को माफ करने का अनुरोध किया था। केन्द्र सरकार के विकास आयुक्त, हथकरघा द्वारा कराए गए सर्वेक्षण को वित्त विभाग के पास अनुमोदन हेतु भेजा गया है और यह वित्त विभाग के पास अभी भी लंबित है।

अत: मैं वित्त मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस दिशा में शीघ्र पहल करें ताकि बकाया ऋण की बहुत बड़ी धनराशि को माफ किया जा सके जैसाकि देश के ऋण ग्रस्त किसानों के लिए किया गया है।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य और सामाजिक दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, मानसिक रूप से विकलांग बच्चों तथा उनके परिवारजनों के बारे में बोलने जा रहा हूं। विकलांग बच्चों को अतिशय दुर्लक्षित किया गया है और आजादी के बाद से अब तक सरकार ने इनके लिए कोई प्रमोशनल योजना नहीं बनाई है। मैंने इन मेंटली रिटार्डेड बच्चों और उनके घरवालों की जो अवस्था देखी है, वे लोग बहुत बुरी अवस्था में जीते हैं। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र, चन्द्रपुर में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान के माध्यम से एक कैम्प आयोजित किया था, जिसमें उनके स्वास्थ्य की जांच और उनके परिजनों के मार्गदर्शन की व्यवस्था की गयी थी। उसमें मेरे एक जिले से लगभग एक हजार ऐसे विकलांग बच्चे आए और उनके परिजनों ने भी इसमें भाग लिया था। जब मैंने उनके बारे में जानकारी ली तो पता चला कि इनकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य की जांच के लिए सरकार कोई प्रावधान नहीं करती है। मैं इन लोगों के लिए प्रभावशाली योजना बनाने की सरकार से प्रार्थना करता हूं। इन बच्चों के लिए ऐसे स्कूल नहीं हैं, जहां ये पढ़ सकें। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि हर जिले में विकलांग बच्चों के लिए एक स्कूल बने। मैं इनके परिजनों के लिए निर्वाह भत्ता या पेंशन देने की मांग करता हूं ताकि ऐसे बच्चों को पालने में गरीब परिजनों को जो तकलीफ होती है, वे बहुत मुश्किल से इन बच्चों को पालते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं पेंशन की मांग करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अहीर, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए आपका धन्यवाद।

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, देश के डाक कर्मचारी पूरे देश में कल से हड़ताल पर हैं। उनकी मांग यह है कि डाक विभाग के लाखों ई.डी. कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी माना जाना चाहिए।

इस संबंध में सरकार द्वारा नटराज मूर्ति समिति गठित की गई थी। इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। लेकिन समिति की सभी सिफारिशें डाक विभाग के कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध हैं। देशभर में कल से ही डाक की आवाजाही अवरुद्ध हो गई है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करे और डाक कर्मचारियों के नेताओं के साथ समझौता वार्ता करने के लिए बैठक बुलाए और देश के डाक कर्मचारियों के पक्ष में और उनके हित में इस मुद्दे का समाधान करे।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि देश के लाखों डाकघरों में डाकसेवाएं अस्त-व्यस्त हो गयी हैं। 17 दिसम्बर से साढ़े तीन लाख ग्रामीण डाक सेवक हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप गांवों में डाकसेवाएं अस्त-व्यस्त हो गयी हैं। जगह-जगह से खबरें आ रही हैं कि डाक नहीं पहुंच पा रही है और डाकघरों में जो छोटी-छोटी बचत वगैरह के काम होते थे, तीन से पांच घण्टे तक का काम, ठप हो गए हैं।

अध्यक्ष जी, जब आप संचार संबंधी स्थायी समिति के सभापति थे, आपने डाक विभाग के कल्याण के लिए बहुत सी बातें सोची थीं। उसी सन्दर्भ मे भारत के ग्रामीण क्षेत्र में 74.2 प्रतिशत जनता, उसमें 1,27,823 शाखा डाकघर हैं, उन सभी में काम ठप हो गया है और उनमें काम करने वाले लगभग 3,10,296 ग्रामीण डाकसेवक हैं। इन ग्रामीण डाकसेवकों के लिए पांचवें वेतन आयोग के बाद तलवार समिति गठित की गयी थी, लेकिन उस समिति की सिफारिशों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। अब छठा वेतन आयोग आ चुका है। इन ग्रामीण डाकसेवकों को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सर्वेंट माना है, लेकिन अभी तक इनको सिविल सर्वेंट्स के समान सुविधाएं जैसे मकान किराया भत्ता, ग्रेच्युटी, पेंशन, वेतनमान और वेतनवृद्धि आदि से वंचित रखा गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र की डाकसेवाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अविलम्ब इन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर बातचीत करे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन थोड़ा धीरे बोलिए।

प्रो. रासा सिंह रावत: महोदय, इस तरह से लम्बे समय से ऐसे डाककर्मियों के साथ अत्याचार और शोषण हो रहा है। एक ओर असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है और दूसरी तरफ संगठित क्षेत्र के इन साढ़े तीन लाख ग्रामीण डाकसेवकों, जो गांवों में रात-दिन, पांच से सात घंटे तक काम करने वाले लोग हैं, की कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि वह माननीय प्रधान मंत्री और संबंधित संचार मंत्री जी तक हमारी आवाज को पहुंचाने का कष्ट करें ताकि उनकी हड़ताल खत्म हो। इसलिए सरकार को उनके प्रतिनिधियों के साथ मिलकर समस्या का समाधान करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने नटराज मूर्ति कमेटी गठित की।

अध्यक्ष महोदय: क्या इसका भी इससे संबंध है?

प्रो. रासा सिंह रावत: उस कमेटी ने इन कर्मियों के जले पर नमक छिड़कने वाली बात कर दी। उस कमेटी ने इनके वेतनमानों में कमी और रिटायरमेंट की आयु सीमा घटाने की सिफारिश की। इससे इन साढ़े तीन लाख ई.डी. कर्मचारियों में काफी आक्रोश व्याप्त हो रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह अविलम्ब इस हड़ताल को खत्म कराए और ग्रामीण डाक व्यवस्था को फिर से सुचारू रूप से चलाने हेतु कार्य में डाक सेवक कर्मचारियों की मांगें अविलम्ब स्वीकार करें।

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव, श्री पी.एस. गढ़वी, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, श्री गणेश सिंह, श्रीमती सुशीला बंगारू और श्री किशन सिंह सांगवान भी इस विषय के साथ एसोसिएट करते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अपने आपको सम्बद्ध कर रहे हैं?

एडवोकेट सुरेश कुरूप (कोट्टायम): मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: हां, देखते हैं।

श्री टी.के. हमजा (मंजेरी): महोदय, मैं देशभर के हज यात्रियों की दुर्दशा की तरह सरकार का ध्यान आकर्षित करना

[श्री टी.के. हमजा]

चाहता हूं जिसका समाधान तुरन्त किये जाने की आवश्यकता है। जेद्दाह से पहली वापसी उड़ान 27 घण्टे के विलम्ब स कालीकट पहुंची। दूसरी उड़ान इससे भी विलम्ब से पहुंची जिसमें 30 घण्टे का विलम्ब हुआ। स्थिति और भी बदतर हो गई जब पहले जत्थे के यात्रियों में से 50 से भी अधिक का सामान उनके साथ नहीं पहुंचा। अब 19 दिसम्बर तक वापसी की सभी उड़ानों को रद्द कर दिये जाने के बाद पूरी तरह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे हुई परेशानी पूरे देश में महसूस की जा रही है।

हज यात्रियों को जेद्दाह हवाई अड्डे पर कई घण्टों तक भोजन के अभाव और अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी को झेलना पड़ रहा है। कुछ लोगों के पासपोर्ट में कुछ अनियमितताओं के कारण पूरे जत्थे को ही रोक लिया गया है। यही नहीं अपितु प्रतीक्षा सूची में शामिल यात्रियों को समायोजित किया जाता है जिससे मूल रूप से पहले ही चुने गए यात्रियों में रोष उत्पन्न होता है।

हम अपनी राष्ट्रीय विमान सेवाओं से पर्याप्त सहायता न मिलने के कारण विदेशी निजी चार्टर्ड विमानों पर निर्भर हो जाते हैं। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स दोनों को ही हज यात्रियों की मांगों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

इसलिए मैं हज यात्रा के प्रभारी मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें। मंत्री जी केवल निजी ऑपरेटर्स में रुचि लेते हैं। इसलिए सरकार को इस त्रुटि में सुधार करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: डा. मनोज और श्रीमती सती देवी भी अपने आपको इससे संबद्ध कर रहे हैं। हां, आपके नाम रिकार्ड कर लिए गए हैं। आपको भी ऐसे ही नोटिस मिल चुके हैं।

डा. आर. सेनथिल (धर्मपुरी): महोदय, ऊटी में स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स फैक्ट्री ऊटी के सिर के ताज में जड़ी हुई मणि है। हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स फैक्ट्री को रुग्ण कंपनी घोषित किया गया था *...(व्यवधान)*

इसका कारण यह नहीं है कि देश में फोटोग्राफी के लिए, एक्स-रे के लिए और रेडिएशन के लिए फिल्मों की आवश्यकता नहीं है या उनकी खरीद ही नहीं होती। ऐसा खराब प्रशासन के कारण हुआ है।

लेकिन आज मेरे पास इस मामले को उठाने का कारण यह है कि वहां सैंकड़ों कामगार हैं। वे एक ही वेतनमान में वर्ष 1987 से वेतन ले रहे हैं। पिछले वर्ष गठित की गई राव समिति ने सुझाव दिया था कि वेतन में अवश्य वृद्धि की जाए। इसके बावजूद, वे विगत 21 वर्षों से एक ही वेतन ले रहे हैं।

मैं सरकार से मामले की जांच करने और वर्तमान वेतनमान के अनुसार वेतन में वृद्धि करने का अनुरोध करता हूं।

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान सीसी कोलधर से टेकेलीफुटा तक के क्षेत्र में अचानक तटबन्ध टूट जाने से और ब्रह्मपुत्र नदी का मार्ग बदल जाने से आई आपदा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह मटमोरा से अरकेप बालिचापुरी और जांझी क्षेत्र तक तीन किलोमीटर का क्षेत्र है। इसके कारण इस वर्ष 30,000 परिवार बेघर हो गए हैं। पिछले दो वर्षों से यह तटबन्ध बार-बार टूटते रहा है। असम सरकार ने एशियाई विकास बैंक की 142 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से इस बांध को ठीक करने की एक योजना शुरू की है। इसके अलावा केन्द्रीय राहत कोष से 54 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव भी है। लेकिन अभी तक यह योजना साकार नहीं हो पाई है। यदि इन दरारों को इस वर्ष इसी शीत ऋतु में बन्द नहीं किया गया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी तथा और अधिक विनाश होगा।

महोदय वहां बहुत भारी नुकसान होगा। इसके अतिरिक्त लोगों का पुनर्वास करना भी बहुत आवश्यक है। अभी तक केन्द्रीय राहत कोष से 700 करोड़ रुपये की धनराशि असम सरकार को मिली है। ये निधियां प्रभावित लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। अभी तक इन लोगों को एक भी पुनर्वास पैकेज नहीं दिया गया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप ऐसे आरोप लगाते हैं तो आपको इन आरोपों को जिम्मेदारी लेनी होगी। यहां राज्य सरकार के विरुद्ध आरोप बहुत सहजता से लगाये जाते हैं। लेकिन इन आरोपों का उत्तर देने के लिए कोई भी राज्य सरकार यहां पर नहीं होती है।

...(व्यवधान)

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जिस पर मैं अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा हूं।

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, केन्द्रीय राहत कोष केन्द्र सरकार का एक कोष है।

अध्यक्ष महोदय: अत:, वे इसे खर्च कर रहे हैं या नहीं एक बहुत गम्भीर आरोप हैं जो आप लगा रहे हैं।

डा. अरुण कुमार शर्मा: यह सही है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा। जिम्मेदारी लीजिए। अब आप समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह हर तरफ से हो रहा है। मैं केवल आपका ही नाम नहीं ले रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अपील करता हूं कि वह बांध की मरम्मत के कार्य हेतु एशियाई विकास बैंक की 142 करोड़ रुपये की निधि जारी करे ताकि राहत कार्य शुरू किए जा सकें। ...*(व्यवधान)*

मैं गृह मंत्रालय से स्थिति की निगरानी करने का अनुरोध भी करता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। अब श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी बोलेंगी।

...*(व्यवधान)*

डा. अरुण कुमार शर्मा: मैं केन्द्रीय राहत कोष की निधियों के उपयोग की निगरानी करने का भी अनुरोध करता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप से अनुरोध है कि जब मैं किसी अन्य माननीय सदस्य को बोलने के लिए कहूं तो आप लोग बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

डा. अरुण कुमार शर्मा: यह मेरी अपील है। धन्यवाद। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा (बोब्बिली): महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे महान तेलुगु कवि गुराजादा अप्पाराव गारू के सम्मान में डाक टिकट जारी करने के मामले को उठाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। यह मुद्दा लोकप्रिय, प्रसिद्ध और विख्यात महान तेलुगु कवि गुराजादा अप्पाराव गारू, जिनका जन्म 30 नवम्बर, 1861 को हुआ था, से संबंधित है। तेलुगु भाषा के गूढ़ लेखक गुराजादा वेंकट अप्पाराव गारू ने नाटक, उपन्यास, कविता, लघु कहानियां जैसी साहित्य की सभी विधाओं में एक समान कौशल और सहजता से लेखनी चलाई। ...*(व्यवधान)* वे न केवल लोकप्रिय कवि थे अपितु एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने काव्य और नाटकों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया और उन्होंने लोगों के मन में देशभक्ति की भावना उत्पन्न की ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। अब श्रीमती तेजस्विनी गौडा बोलेंगी।

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: महोदय, केवल एक मिनट। महोदय, उनकी तुलना राजा राम मोहन राय और बाल गंगाधर तिलक इत्यादि जैसे समाज सुधारकों से की जा सकती है। उनके प्रसिद्ध नाटक—कन्याशुल्कम—दहेज प्रथा के विरुद्ध था। यह नाटक पहली बार सन् 1892 में अभिनीत किया गया था और 116 वर्ष बाद भी इस नाटक का आंध्र प्रदेश में आज भी मंचन किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, ठीक है। इतना सारा विवरण देना आवश्यक नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: महोदय, एक बात है। यह महान रिकॉर्ड है। ब्रिटिश काल में उन्होंने राज्य के लोगों का आवाहन किया था—'देशमान्ते माट्टी कडोई, देशमान्ते मनुचुलोई ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: महोदय, इसका अर्थ यह है कि देश लोगों से मिलकर बनता है और न कि भौतिक वस्तुओं से ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: मैं उनके सम्मान में डाक टिकट जारी करने की अपील आपके माध्यम से सरकार से करती हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं। केवल श्रीमती तेजस्विनी गौडा का भाषण ही कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप अध्यक्षपीठ से सहयोग नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती तेजस्विनी गौडा (कनकपुरा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार से निवेदन करती हूं कि कन्नड़ सिनेमा उद्योग के माध्यम से भारतीय सिनेमा को प्रख्यात फिल्म अभिनेता, श्री विष्णुवर्धन द्वारा दिये गये उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको दादासाहेब फाल्के सम्मान से विभूषित किया जाए। उन्होंने पांच भाषाओं सहित 200 फिल्मों में काम किया। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर का लाभ उठाते हुए कन्नड़ और तेलुगु दोनों भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए केन्द्र सरकार का धन्यवाद करती हूं। मैं अपने राज्य के लोगों की तरफ से सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूं। *...(व्यवधान)*

श्री विष्णुवर्धन ने पौराणिक से लेकर ऐतिहासिक और विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं, जिन्होंने विभिन्न वर्गों के मध्य भाईचारा, एकता, प्रगति और समरसता को बढ़ावा दिया, के माध्यम से कन्नड़ फिल्म उद्योग में बहुत योगदान दिया *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। अब श्री गिरधारीलाल भार्गव बोलेंगे।

श्रीमती तेजस्विनी गौडा: महोदय, केवल एक मिनट और दीजिए। विगत 35 वर्षों में डा. राजकुमार, प्रथम दादासाहेब फाल्के पुरस्कार विजेता के बाद अब श्री विष्णुवर्धन ही कर्नाटक से योग्य और प्रख्यात अभिनेता हैं जो इस उच्चतम पुरस्कार प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं।

महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): अध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार ने एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) जैसी डाक्टरों की सुविधा कुछ राज्यों में देने की घोषणा की थी, जिसमें राजस्थान का नाम भी सम्मिलित था। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सबसे बड़ा और आधुनिक उपकरणों सहित सवाई मानसिंह अस्पताल स्थित है, जिसके प्रत्येक विभाग में कुशल डाक्टर्स उपलब्ध हैं। इस अस्पताल का भवन विस्तार भी हो गया है। संपूर्ण भारत से विभिन्न प्रकार के रोगी उपचार के लिए इस अस्पताल में आते हैं। इस अस्पताल में जब सभी प्रकार की एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इस अस्पताल को शीघ्र ही एम्स (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) का दर्जा दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री अनवर हुसैन (धुबरी): महोदय, गोलपाड़ा जिले में रावा-हजांग आन्दोलन के कारण वहां पंचायत चुनाव नहीं करवाए जा सके। गोलपाड़ा जिला बीआरजीएफ हेतु पहचाने गए 250 जिलों में से एक है। चूंकि वहां पर नौ लोग मारे गये इसलिए चुनाव स्थगित किये गये थे। क्योंकि चुनाव नहीं हुए इसलिए बी.आर.जी.एफ. जारी नहीं की गई है जिससे परियोजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। मैं इस तथ्य को देखते हुए मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि निधियां जारी की जायें और स्वीकृत धनराशि का अविलम्ब उपयोग किया जाए।

धन्यवाद, महोदय *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब एडवोकेट सुरेश कुरूप जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्षम होदय: मैंने 20 सदस्यों को पहले ही बोलने की अनुमति दे दी है। 55 मिनटों में से आप देखिए कि आपने कार्यवाही में बाधा डालने में कितना समय ले लिया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह क्या 'सर', 'सर' लगा रखी है। यह मुझे बहुत बुरा लगता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप खड़े होकर चिल्लाते रहो। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। यदि आप बैठ नहीं सकते तो बाहर चले जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मोहन जी, आप बैठ जाइए। मैंने आपके सहयोगी का नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

एडवोकेट सुरेश कुरूप: महोदय, संघ परिवार संगठन उड़ीसा के ईसाई अल्पसंख्यकों को कुछ दिनों से सुनियोजित ढंग से निशाना बना रहे हैं और उन पर हमला कर रहे हैं। क्रिसमस की

पिछली पूर्व संध्या के दौरान उन्होंने ईसाइयों के विरुद्ध सुनियोजित हमला किया था और गिरिजाघरों पर भी हमला किया था। हाल ही में कंधमाल जिले में ईसाइयों पर किये गये हमले सर्वविदित हैं। अब विश्व हिंदू परिषद ने 'क्रिसमस डे' पर 'बंद' का आह्वान किया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसी कारण मैंने आपका नाम अंत में पुकारा था। मैं जानता था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: गणेश सिंह जी, मैं आपको दोपहर बाद बोलने का अवसर दूंगा।

...(व्यवधान)

एडवोकेट सुरेश कुरूप: अब उन्होंने 'क्रिसमस डे' पर 'बंद का आह्वान किया है ...*(व्यवधान)* पूरी सभा द्वारा इसकी निंदा की जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री फ्रांसिस जॉर्ज इस मुद्दे से अपने को सम्बद्ध कर लें।

सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.57 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.03 बजे पुन: समवेत हुई।

[श्रीमती सुमित्रा महाजन *पीठासीन हुईं*]

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: आज की कार्यवाही के लिए नियम 377 के अंतर्गत सूचीबद्ध मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(एक) भारतीय वायुसेना को अतिरिक्त जनशक्ति और नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से लैस किये जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश कलमाड़ी (पुणे): महोदया, विशेष रूप से आतंकवादी धमकियों के मद्देनजर हमें न केवल अपनी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बल्कि अपनी रक्षा प्रणाली पर भी ध्यान देने और इसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

वायु रक्षा प्रणाली में सुधार लाने के संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं। महोदया, हमारी वायु सेना में प्रतिस्थापन की कमी है जिससे इसमें लड़ाकू विमान दलों की संख्या कम हो रही है। हमारे लड़ाकू विमान दलों की संख्या 39 होनी चाहिए, वर्तमान में यह संख्या घटकर 32 हो गई है। इस विलंब से बचने के लिए भारतीय वायु सेना की प्रापण प्रणाली को भी सरल बनाये जाने की आवश्यकता है।

इस कमी को पूरा करने के लिए हमें और विमानों की आवश्यकता है जिससे युद्ध के दौरान बड़ी सैन्य कार्रवाई के लिए भारतीय वायु सेना की क्षमता प्रभावित हो सकती है। यहां मैं एलसीए कार्यक्रम का संदर्भ देता हूं जो निर्धारित समय से पीछे चल रहा है। मेरे विचार से, हमारे चालू विमानों के बेड़े में एक-तिहाई से अधिक पुराने मिग-21 विमान शामिल हैं। अन्य विमान जैसे मिराज-2000 का उन्नयन किया जाना है। 126 मीडियम मल्टी रोल लड़ाकू विमानों की खरीद किये जाने की तत्काल आवश्यकता है।

राडारों के संदर्भ में, गत 17 वर्षों में हमने इसके नए उन्नत माडल नहीं खरीदे हैं और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नवीनतम प्रतिवेदन के अनुसार हमारी वायु रक्षा प्रणाली 1976 के मॉडल पर आधारित है।

(दो) देश में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना की नीति की पुनरीक्षा किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदया, केन्द्र सरकार द्वारा देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की स्वीकृति देने के बाद देश में कतिपय राज्यों में इसका किसानों द्वारा किये जा रहे विरोध को देखते हुए इस नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आज प्राथमिकता के आधार पर उद्योगों को विशेष सहूलियतें देकर उन्हें प्रश्रय देने की नीति के अंतर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना हो रही है। सरकार द्वारा एस.ई.जेड. को विकास का पैमाना

[श्री हंसराज गं. अहीर]

मानकर देश में कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण कराये जा रहे हैं। आज देश में 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत किसानों की भूमि अधिग्रहीत की जा रही है। इतने पुराने कानून से किसानों को भूमि का उचित दाम मिलता है ना उनके विस्थापन पश्चात् भलीभांति पुनर्वसन होता है। कृषि कार्य में संलग्न किसान विस्थापन के पश्चात झुग्गियों में रहने और मजदूरी करने के लिए बाध्य किये जा रहे हैं। एस.ई.जेड. में इन किसानों को कैसे रोजगार दिया जा सकता है। क्या सरकार उद्योग स्थापित करने के लिए कर-सहूलियतें और कम दाम में भूमि उपलब्ध कराने में उद्योगों को सहायता दे सकती है। हमारी प्राथमिकता किसान और कृषि होनी चाहिए लेकिन सरकार की यह प्राथमिकता नहीं होने से देश के किसान और बदहाल होते जा रहे हैं। एस.ई.जेड. के देश भर में हो रहे विरोध को इसका प्रतीक समझकर एस.ई.जेड. पर पुनर्विचार करने तथा देश की प्राथमिकता में बदलाव कर इसे किसान और कृषि आधारित बनाने के लिए विचार करना आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि एस.ई.जेड. पर पुनर्विचार करे।

(तीन) भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): महोदया, विश्व की सबसे बड़ी बोली भोजपुरी लगभग 70 हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 16 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा झारखण्ड में इसका प्रयोग व्यापक है। नेपाल के तराई क्षेत्र, मारीशस, फिजी, ट्रिनिडाड, थाईलैंड, हालैंड, मलेशिया तथा सिंगापुर सहित 27 देशों में भी इसका व्यापक आधार है। ऋग्वेद में महर्षि विश्वामित्र द्वारा "भोज" शब्द जिससे भोजपुरी बनी, का उल्लेख तो है ही, महाभारत सहित विभिन्न धर्म-ग्रंथों से होते हुए मालवा के राजा भोज, उज्जैन के भोज, गुर्जर प्रतिहार भोज, काशी तथा डुगरांव के भोज राजाओं का इतिहास भोजपुरी की व्यापकता, विशालता और प्राचीनता का गवाह है।

संत साहित्यकारों गुरु गोरखनाथ जी, चौरंगीनाथ जी, योगिराज भतृहरि, कबीरदास, कमलदास, धरनीदास, पलटूदास, भीखा साहेब जैसे सैकड़ों संत साहित्यकारों, विचारकों और चिंतकों ने अपनी लोक कथाओं, गीतों, लोकगाथाओं और लोकोक्तियों को भोजपुरी की पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक कंठ से दूसरे कंठ तक पहुंचाया। महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डा. भगवतशरण उपाध्याय और चतुरी चाचा जैसे रचनाकारों ने भोजपुरी गद्य साहित्य को नयी ऊंचाइयां प्रदान कीं।

महोदया, जैसा कि विदित है कि भारतीय संविधान के मूल रूप में 14 भाषाएं ही आठवीं सूची में थीं। बाद में इसे संशोधन कर सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, डोगरी तथा अन्य भाषाओं को भी शामिल कर लिया गया।

यद्यपि गृह मंत्रालय ने भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की बात को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार भी किया है, फिर भी अभी तक भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है।

अत: महोदया, हम 16 करोड़ लोगों की भावनाओं को समझते हुए भोजपुरी को तत्काल आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये।

(चार) दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को रोके जाने की आवश्यकता

श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर): महोदया, पिछले दो वर्षों में दिल्ली में रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में बेतहाशा इजाफा हुआ है। प्राईवेट बसों के साथ-साथ ट्रकों व अन्य गाड़ियों ने भी अनेक दुर्घटनाएं की हैं। इन दुर्घटनाओं में पीड़ित परिवारों को न तो सरकार की ओर से और ना ही गाड़ी मालिकों की ओर से कोई मुआवजा मिला है और न ही इन गाड़ियों के मालिकों, ड्राईवरों के खिलाफ ही कोई कड़ी कार्रवाई की गई। दुर्घटना करने वाली गाड़ियां पुन: सड़कों पर उसी रफ्तार से दौड़ रही हैं। ऐसे ही दिल्ली में हो रही अनेक घटनाओं में उदाहरण के तौर पर एक घटना है जिसमें दिनांक 11.8.2007 को नई दिल्ली के राजा गार्डन पेट्रोल पम्प के सामने एक 12 वर्षीय छात्र की एक ट्रक दुर्घटना में तत्काल मृत्यु हो गई थी। नवम्बर, 2007 से ही केस भी दर्ज करा दिया गया है। किंतु, महोदया, एक वर्ष से अधिक का समय हो चुका है अभी तक पीड़ित परिवार को किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है।

आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि पीड़ित परिवार को मुआवजा जो कि वर्तमान में पचास हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख पचास हजार रुपए हो चुका है, दिलवाया जाए तथा दोषियों के विरुद्ध जल्द सख्त कार्यवाही की जाये तथा इन दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सख्त से सख्त कानूनी कदम उठाये जाने चाहिए।

(पांच) पश्चिम बंगाल में हुगली के डनलप रबड़ कारखाने को भारत सरकार द्वारा अधिगृहीत किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित डनलप रबड़ फैक्टरी में कार्य रुक जाने के कारण बहुत गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण हजारों कामगार बेरोजगार हो गए हैं। वर्ष 1936 में स्थापित यह फैक्टरी देश की

सबसे पुरानी रबड़ विनिर्माण ईकाइयों में से एक है। यह रक्षा विभाग को एयर टायरों की आपूर्ति करती है। इसके अलावा, इसे दुपहिया वाहनों और मिलिटरी वाहनों के लिए टायरों का उत्पादन करने में महारत हासिल है। इसके अतिरिक्त नए प्रबंधन द्वारा इस फैक्टरी को खरीदे जाने से पहले भारत सरकार के पास भारतीय जीवन बीमा निगम और बैंकों के शेयरों के माध्यम से इसके 30% शेयरों का स्वामित्व था। इसके उत्पाद जैसे हाई प्रैशर व्हील और स्टील कॉर्ड की अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजारों में बड़ी भारी मांग है।

वर्तमान प्रबंधन की नीतियों के कारण डनलप के कामगारों, जिन्होंने इस इकाई के सुचारू कार्यकरण के लिए बहुत त्याग किया है, में बहुत असंतोष है।

यदि दक्ष प्रबंधन द्वारा इसे उचित ढंग से चलाया जाए तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डनलप की संभाव्यताएं बहुत प्रचुर हैं। विशेष रूप से रक्षा विभाग की आवश्यकता को पूरा करने में इसके महत्व को दृष्टिगत रखते हुए, यह समीचीन होगा कि हुगली स्थित डनलप इकाई को शीघ्र भारत सरकार द्वारा अधिग्रहीत कर लिया जाए।

(छह) समेकित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के निजीकरण के निर्णय को वापस लिये जाने की आवश्यकता

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड): यह विदित है कि सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) परियोजना के प्रमुख घटकों जैसे अनुपूरक पोषण और मुफ्त स्कूली शिक्षा को गैर-सरकारी संगठनों तथा स्व-सहायता समूहों आदि को सौंपकर इस परियोजना का निजीकरण करने का निर्णय लिया है। इन उपायों से छह वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं वर्तमान में मिल रहे छोटे लाभों से वंचित हो जाएंगे।

गत 17 वर्षों से देश में कार्यान्वित की जा रही आर्थिक नीतियों के तहत लोगों को मूलभूत कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के दायित्व से सरकार के पीछे हटने के कारण महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा, हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 3 वर्ष से कम आयु के 80% बच्चे और लगभग 60% महिलाएं रक्त अल्पता से ग्रस्त हैं; 46% बच्चों का वजन सामान्य से कम है; 38% बच्चों का विकास होना बंद हो गया है; प्रत्येक 1000 में से 57 बच्चों की मृत्यु एक वर्ष पूरा होने से पहले हो जाती है; इनमें से 55% मृत्यु कुपोषण के कारण होती है। हालांकि समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), जो भारत सरकार का अग्रणी कार्यक्रम है। इसमें बाल विकास के प्रति पूर्ण दृष्टिकोण रखने का दावा किया गया है। इसमें भारत सरकार द्वारा जो वर्ष 2008-09 हेतु जो आवंटन किया गया है वह कुल बजट अनुमान का केवल 0.8% है।

मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा लिये गये इस निर्णय को वापस लेने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

[हिन्दी]

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): सभापति महोदया, सरकार के एक मंत्री अंतुले जी के वक्तव्य पर सदन में सुबह प्रश्न उपस्थित किये गये थे और पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर ने यह कहा कि सरकार उत्तर देगी। अभी प्रधान मंत्री जी सदन में हैं और सदन के नेता भी सदन में हैं। आतंकी हमले में जो लोग शहीद हुए, उसे लेकर अलग-अलग बयान दिये जा रहे हैं। *...(व्यवधान)* सरकार की तरफ से इस पर कब बयान आएगा, यह बता दिया जाए। *...(व्यवधान)* यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

सभापति महोदया: आपको बता दिया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदया, इस विषय को इस समय यहां नहीं उठाना चाहिए *...(व्यवधान)* इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)* उन्हें इसकी सूचना देनी चाहिए *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया: आप जब चाहें, कोई बात नहीं उठा सकते हैं। जब सरकार को जवाब देना होगा, दे दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते: सदन में बयान कब होगा? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप जब चाहें, तब सदन में अपनी बात नहीं उठा सकते। यह तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते: लेकिन सदन में पार्लियामेंटरी अफेयर मिनिस्टर ने कहा है कि सरकार जवाब देगी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: जब उनको कहना है तब कहेंगे।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदया, वह सरकार का समय नहीं ले सकते ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदया: जो समय जिसके लिए निहित है वही काम होगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): सुबह जब माननीय सदस्यों ने विरोध किया तो संसदीय कार्य मंत्री ने सरकार की ओर से कहा कि सरकार उत्तर देगी। हम उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: आप समय बताइए कि कब बयान होगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: कृपया कुछ धैर्य रखें। इस पर चर्चा कल की जा सकती है। 23 तारीख को सभा की कार्यवाही स्थगित होने से पूर्व सरकार इसका उत्तर दे देगी। कृपया धैर्य बनाए रखें।

अपराह्न 2.07 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में आर्थिक स्थिति की समीक्षा

[अनुवाद]

सभापति महोदया: अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

इसमें बसुदेव आचार्य जी का नाम दिया गया है।

[अनुवाद]

हमें श्री आचार्य से निवेदन प्राप्त हुआ है कि उनके स्थान पर श्री रूपचंद पाल को बोलने की अनुमति प्रदान की जाए। अत: श्री रूपचंद पाल को चर्चा आरम्भ करने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): सभापति महोदया, भारतीय पृथक्करण के सिद्धांतवादियों ने अपने आपको गलत साबित कर दिया है। पूर्व वित्त मंत्री न केवल गृह मंत्रालय का कामकाज देख रहे हैं बल्कि वित्त मंत्रालय से जुड़े संसदीय प्रश्नों तथा अन्य कार्य भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि विकसित देशों को निगलने वाले गम्भीर संकट से भारत का बचा हुआ है। परन्तु पृथकता के ये सिद्धान्तवादी गलत साबित हुए।

हमने देखा कि बीएसई सूचकांक जो जनवरी 2008 में लगभग 21000 अंक तक चढ़ा अब गिरकर लगभग 9000 अंकों तक आ गया है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान छोटे निवेशकों को हुआ है। हमारा निर्यात बड़े बड़े दावों के बावजूद घट रहा है और यह अप्रत्याक्षित स्तर तक कम हो गया है। परिणाम यह हुआ है कि निर्यातोन्मुखी इकाइयां, विशेषरूप से छोटे, मध्यम और लघु क्षेत्रों, श्रम आधारित क्षेत्रों, हथकरघा क्षेत्र, हस्तकला क्षेत्र, वस्त्र उद्योग, हीरा और आभूषण, चमड़ा क्षेत्र के सैकड़ों-हजारों लोगों की नौकरियां चली गयी हैं। मंत्री जी ने दूसरे दिन राज्य सभा में कहा कि अब तक लगभग 65000 लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं। जो कि सही आंकड़ों से काफी हैं क्योंकि रियल एस्टेट क्षेत्र के निर्माण कार्य में काफी संख्या में काम करने वाले मजदूरों की गणना इन आंकड़ों में नहीं की गई थी। नि:सन्देह उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में लगभग आठ लाख लोग नौकरियां खो सकते हैं लेकिन ये भी कम करके बताए गए आंकड़े हैं।

यदि आप पिछले 15 वर्षों के औद्योगिक आंकड़ों पर नजर डालें तो हमने पहले ऐसा अनुभव नहीं किया, जब मंदी इतने निचले स्तर पर आ गयी हो वर्तमान औद्योगिक विकास स्तर जो लगभग 0.4 और 0.5 अथवा इससे भी कम हो सकता है। यद्यपि सरकार पहले यह दावा कर रही थी कि मंदी में औद्योगिक विकास दर 10.5 प्रतिशत से घटकर 1.5 हो गयी। उन्होंने कहा था कि कुछ गलत, यद्यपि नवीनतम आंकड़े जनवरी के मध्य तक आएंगे उसके पश्चात् ही स्थिति स्पष्ट होगी। मुख्य क्षेत्रों जैसे सीमेंट, इस्पात, लोहा, बिजली, कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों में विकास की दर नकारात्मक है या विकास दर बहुत कम है जिससे संगठित क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मंत्री जी कह रहे हैं कि हमें कृषि क्षेत्र से आशा है और इस वर्ष अच्छी फसल होने की संभावना है। परन्तु जिस प्रकार का राष्ट्रीय कृषि संकट का सामना हम लोग कर रहे हैं जैसे प्रत्येक आधे घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है, उर्वरकों की कीमत आसमान छू रही है, ऋण माफी और इस प्रकार की योजनाों के बावजूद देश के किसान साहूकारों पर निर्भर हैं, इस प्रकार की स्थिति में, रबी और खरीफ की फसलों में मामूली वृद्धि भारत की संकटपूर्ण स्थिति की भरपाई नहीं कर सकता। इस प्रकार पृथकता के सिद्धांत को मानने वाले गलत साबित हुए हैं और संकट का असर न केवल शेयर बाजार अपितु, उद्योगों, आम लोगों की आजीविका और समाज के गरीब वर्ग पर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है।

इसके पश्चात् रुपये का अवमूल्यन हुआ। यह एक विचित्र घटना है। सब-प्राइम गृह ऋण गिरवी संकट से वित्तीय क्षेत्र संकट से पूर्व आर्थिक संकट से मंदी, ये सब अमरीका द्वारा उत्पन्न किये गये संकट हैं। इससे हमें 1930 की भारी गिरावट की स्मृति हो आती है लेकिन डालर की कीमत तो अधिकांश समय में बढ़ती ही रहती है और अमरीका द्वारा बनाए गए संकट का शिकार हमारे रुपये की कीमत घट रही है। अब तक इसमें अवमूल्यन हो रहा है और हम ऊंची दरों पर आयात कर रहे हैं। यद्यपि कच्चे तेल की कीमत 143 प्रति डालर से गिरकर लगभग 40 डालर हो गयी है परन्तु इन आयातकों का करार 39 रु. की तुलना में एक डालर पर किया गया था। यहां व्युत्पन्न उत्पाद भी है। इस प्रकार आयातक और कुछ निर्यातक भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। विदेशी मुद्रा में भी भारी गिरावट आयी है और सरकार अपनी बात बढ़ा-चढ़ा कर रही है कि हमारे पास भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा है और हमें कौन पछाड़ सकता है? हमने उसे स्वीकार किया। यह नियंत्रणीय स्तर पर होगा। विदेशी मुद्रा के उपयोग के लिए अनेक सुझाव आए हैं उदाहरण के लिए बुनियादी ढांचे संबंधी क्षेत्र आदि जो किसी अन्य द्वारा नहीं बल्कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष की ओर से परन्तु किसी कारणवश यह नहीं किया जा सका। अब हम यह पाते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आ रही है और यह चिंताजनक स्थिति तक पहुंच गया है। यह लगभग 3.34 से कम होकर लगभग 2.50 हुई है।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): हमें सही आंकड़े बताएं।

श्री रूपचंद पाल: सही आंकड़े सरकार की ओर से आने चाहिए क्योंकि वे हर बार इनमें परिवर्तन कर रहे हैं। मैं भारतीय रिजर्व बैंक में कार्यरत नहीं हूं।

सभापति महोदया: कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री रूपचंद पाल: मैं आज के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त करूंगा और फिर बोलूंगा। आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक देगा। मैं विदेशी मुद्रा स्तर के बारे में कुछ अंदाजा बता रहा हूं कि विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आयी है। यह सत्य है कि यूपीए अध्यक्षा सार्वजनिक बैठक में कह रही थीं कि हमारे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और हमारे सार्वजनिक विनियमन व्यवस्था ने हमारी अर्थव्यवस्था में जो बढ़िया काम किया है उस पर हमें गर्व होना चाहिए। वामपंथी दलों ने 1969 में राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया था। परन्तु क्या हुआ? इस सरकार और पिछली सरकार के द्वारा भी सार्वजनिक क्षेत्र की दिशापरिवर्तन के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं और आज भी बैंकिंग विनियमन विधेयक लंबित पड़ा है। पिछले दिनों हम पर यह दबाव था कि हमें बैंकिंग विनियमन विधेयक जो निजी बैंकों में विदेशी निवेश का मार्ग खोलती है पर चर्चा हेतु सहमत होना चाहिए और एसबीआई के निजीकरण को लाने वाला एक विधेयक भी लंबित पड़ा है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अधिकतम सीमा को 26 प्रतिशत से बढ़ा 49 प्रतिशत करने संबंधी प्रस्तावित विधेयक भी राज्य सभा में लंबित है। वाशिंगटन सहमति के वही दिशानिर्देश—यद्यपि कुछ समाधान किये गये हैं—प्रक्रिया को प्रतिवर्तित किया गया है। नए उदार सिद्धांत के परामर्शदाताओं और समर्थकों ने अपने आप को बदल लिया है।

नि:सन्देह यह एक भिन्न मार्ग था। वे लाभ का निजीकरण कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर घाटे का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं इसमें 26 बैंक है जो वालस्ट्रीट के बड़े और प्रतीक बैंक थे जैसे मार्लिन, लेहमन ब्रादर्स, मॉर्गन स्टेनले आदि बैंक तक शामिल हैं। संकट वाल स्ट्रीट से मिंट स्ट्रीट और वित्तीय क्षेत्र से आर्थिक क्षेत्र तक फैल गया। राहत पैकेज अविश्वसनीय है जो 3.5 ट्रिलियन डालर का है जो भारत ने अपनी स्वतंत्रता से आज तक जितना खर्च किया है, उससे कहीं ज्यादा है। इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। यह वित्तीय क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में फैल रहा है।

आप जनरल मोटर, फोर्ड क्रिस्लर की कहानी जानते हैं और आप यह भी जानते हैं कि हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव्स में क्या हुआ, सीनेट ने राहत पैकेज से इन्कार कर दिया, आप वाक्सवैगन की कहानी जानते हैं, आप टोयोटा के बारे में भी जानते हैं। कोई भी राहत पैकेज व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाया। यह व्यवस्था का प्रश्न था। बाजार के पक्षधर, बाजार के मूलतत्ववादी और कारोबारी उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए सुराग पाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी मृत्यु 125 साल पहले हो गयी थी और बड़े बड़े लोगों द्वारा ही नहीं, अपितु मुक्त बाजार के बड़े-बड़े दिग्गज दास कैपिटल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मंत्री और गॉर्डन ब्राउन

[श्री रूपचंद पाल]

केवल राष्ट्रीयकरण का ही समर्थन कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्रीयकरण और अमरीका को छः बड़ी आस्तियों के अधिग्रहण न करने के बारे में अहम भूमिका निभाई थी परन्तु यह एक जटिल राष्ट्रीयकरण प्रक्रिया होगी। यूरोप के मामले में भी यही स्थिति है। यह प्रक्रिया का उलट है। विख्यात महान लेखक जिन्होंने अनेक उत्कृष्ट पुस्तकें लिखीं, द एंड आफ हिस्ट्री अपनी पुस्तकें पुनः लिख रहे हैं। इस स्थिति में भारत सरकार 15 नवम्बर के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कतिपय बातें कह रही है कि वह और अधिक विनियमन और विशेषरूप से वित्तीय क्षेत्र में और अधिक सख्त नियंत्रण की बात कह रहे हैं और किस प्रकार बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में इन नियंत्रणों के कारण भारत को इस संकट से बचाया जा सका।

परन्तु, वे कुछ और कह रहे हैं। सुधार प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य जिससे हम आगे प्रगति कर सकते हैं—वह है विकास, विकास और विकास, यह विकास की सनक है। और अब, वे कह रहे हैं कि विकास दर लगभग 8-9 प्रतिशत रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक इस दर को संशोधित कर रहा है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंकटाड ने इस दर को संशोधित किया था और इसलिए, यह दर इसी प्रकार रहेगी।

आम आदमी के लिए विकास के क्या मायने हैं? स्वयं आपकी रिपोर्ट के अनुसार लगभग 80 प्रतिशत जनता 19-20 रुपये प्रतिदिन अर्जित कर रही है। परंतु दिल्ली में एक किलो आटे की कीमत क्या है? इसकी कीमत 13-14 रुपये है। ऐसी स्थिति में, जो 'भुखमरी सूचकांक' आया है, उसमें कहा गया है कि 20 प्रतिशत भारतीय बहुत गरीब हैं और अति भुखमरी से पीड़ित हैं। यह अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट है और सरकार ने इसका प्रतिवाद नहीं किया है।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): इस सूची में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है।

श्री रूपचंद पाल: इन लोगों के साथ यही समस्या है। आप इन्हें कोई भी गंभीर बात बताएं, परंतु वे पुरानी बातों को दोहराते रहेंगे, इनमें परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए इनका भाग्य ऐसा है ...*(व्यवधान)* मैं इस मुद्दे पर आऊंगा और पश्चिम बंगाल के संबंध में चर्चा करूंगा। यदि कुछ किया जाना है, तो पश्चिम बंगाल के अपने विधायकों से कहें कि वे पश्चिम बंगाल विधान सभा में इसकी चर्चा करें ...*(व्यवधान)* यही समस्या है। मैं उनका उत्तर नहीं दे रहा हूं। यह गंभीर चर्चा है।

मैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा की इस टिप्पणी के संबंध में चर्चा कर रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण से बहुत बचाव हुआ है। हमें इस बात पर गर्व है कि वामपंथियों सहित वे लोग, जो बहुत भाषण दे रहे थे, अब वे बहुत खुश होकर कह रहे हैं कि अब यह मुक्त है और सरकार कहती है कि अब वे बंधुआ मजदूर नहीं है।

मानो सरकार वामपंथियों के नियंत्रण में थी। इसलिए, वामदलों ने समर्थन वापस ले लिया। हम अपनी उदारवादी नीतियों को लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें लगता कि वामदलों के हस्तक्षेप से सरकार बची है। वे इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता जानती है कि बैंकिंग सुधारों के विरोध, बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा को बढ़ाने का विरोध, पूर्ण परिवर्तनीयता का विरोध, पेंशन कोष को उतार-चढ़ाव वाले पूंजी बाजार में लगाये जाने के विरोध ने इस देश को बचाया है। फिर भी, जैसाकि पूंजी बाजार, हमारे निर्यात, औद्योगिक परिदृश्य, छोटे, मध्यम लघु उद्योगों और इन सब क्षेत्रों पर पड़े प्रभाव से देखा जा सकता है हम अलग नहीं है। ऐसी स्थिति में, क्या करना चाहिए? क्या इस संबंध में मेरा विचार निश्चित है कि क्या किया जाए।

सरकार पैकेजों की घोषणा कर रही है। नकदी बढ़ा रही है मानो नकदी की समस्या हो। यह गलत संकल्पना है। नकदी की समस्या नहीं है। यह समस्या का एक अंश है। समस्या मूल सिद्धांतों में है। यह एक असामान्य, असाधारण स्थिति है। असाधारण स्थिति के लिए असाधारण समाधान की आवश्यकता होती है। आप अमेरिका का उदाहरण न लें। मैं यह नहीं कहता कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। उनके पास समस्या का हल नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि यूनाइटेड किंगडम वापस समाजवाद की ओर अग्रसर है। यह सही नहीं है। वे हानियों का समाजीकरण कर रहे हैं। वे उन लोगों को शह दे रहे हैं जो शीर्ष पर हैं और जो बैंकिंग प्रणाली में भ्रष्ट कार्यों में लिप्त रहे हैं। मैं जानता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने काफी पहले इस प्रणाली के बारे में ऐसी चेतावनी दी थी। परन्तु इस पर पत्रों और पत्रिकाओं में बहुत शोरगुल हुआ था। वे क्या कहते हैं? क्या हम चिरकालिक पूंजीवाद की ओर नहीं बढ़ रहे हैं?

वह सीईओ के लिए मुआवजा पैकेजों का संदर्भ दे रहे थे। अमेरिका के लिए भी यह चिंता का विषय है। प्रोमोटर और सीईओ ऐसा गठजोड़ है जिसने हमारे उद्योग को वास्तविक रूप से लूट लिया है। मैं उन अन्य पहलुओं की बात नहीं कर रहा हूं जो बहुत सी अन्य रिपोर्टों से सामने आये हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की है कि भारत जैसे देश, जहां कोई राष्ट्रीय मजदूरी नीति नहीं है और न्यूनतम भुगतान पाने वाले इतना भी पैसा नहीं कमा रहे जिससे कि उन्हें दिन में एक समय का भोजन मिल सके, में सीईओ के लिए ऐसे मुआवजा पैकेजों की कोई आवश्यकता

नहीं हैं और इसपर बहुत हो-हल्ला मचा था और प्रधानमंत्री जी की आलोचना हुई थी।

हमारे देश में, न केवल हमारी चिरकालिक पूंजीवादी प्रक्रिया बल्कि अति पूंजीवाद के अपने मुख्य उद्देश्य और वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के नाम पर पूरे यत्न से अमेरिकी मॉडल को अपनाने और इन सब कार्यों के फलस्वरूप अमीर और गरीब के बीच कोई फर्क नहीं रह गया है। एक ओर अरबपतियों और दूसरी ओर गरीबों की संख्या बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में, हमारा सुझाव है कि इस असाधारण समय में हमें अपने लक्ष्यों जैसे वित्तीय घाटा आदि के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक दिन मैंने यह प्रश्न पूछा था जब माननीय पूर्व वित्त मंत्री ने कहा था कि यह बुद्धिमत्तापूर्ण सुझाव नहीं है। राज्यों की क्या स्थिति है? आप उन्हें कह रहे हैं कि तेरहवें वित्त आयोग के मानदंड निर्धारित हैं; नियम एवं शर्तें हैं–राज्यों का लक्ष्य मार्च 2009 तक राजस्व घाटा शून्य करने का है। क्या यह संभव है? कार्यनिष्पादन करने के केन्द्र सरकार के दबाव में क्या हो रहा है कि राज्य सरकारें माल की आपूर्ति नहीं कर पा रही या सामाजिक, स्वास्थ्य अथवा शिक्षा के क्षेत्र में अधिक धन नहीं दे पा रहीं जिससे कि और अधिक रोजगारों का सृजन हो सके।

यहां तक कि केन्द्र सरकार के लिए भी इस सीमा के भीतर संभव नहीं है। वे कहते हैं कि जब हम इसी सीमा का उल्लंघन करते हैं तो हमें संसद में आना होगा और संशोधन करने की बजाए हमें एफआरबीएम को समाप्त कर देना चाहिए।

पश्चिमी देशों में वे बहुत सी चीजों को समाप्त कर रहे हैं। हम एफआरबीएम के संबंध में इतना क्यों सोचते हैं? कुछ दिन पहले राज्य के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी और उन्होंने मांग की थी कि प्रोत्साहन पैकेज-1 या प्रोत्साहन पैकेज-2 के साथ-साथ राज्य सरकारों को 20,000 करोड़ रु. की अतिरिक्त धनराशि दी जाए ताकि वे इस मंदी से प्रभावित हुए लोगों और संबंधित मामलों का समाधान कर सकें। निस्संदेह, यदि आप वास्तविक अर्थव्यवस्था की ओर देखें तकनीकी रूप से तो लगातार दो वर्षों तक नकारात्मक विकास नहीं है अत: मंदी नहीं हुई है लेकिन मंदी आस-पास मंडरा रही है और यदि आप वास्तविक अर्थव्यवस्था को देखें तो आज भारत के दरवाजे पर भी मंदी दस्तक दे रही है। इसलिए, हमने मांग की थी जनता के खर्च को और बढ़ाया जाए और एफआरबीएम को समुचित रूप से संशोधित किया जाए। करों के संबंध में और राज्यों पर प्रभारित किये जा रहे ब्याज तथा अन्य सभी बातों के संबंध में राज्य सरकारों को यथोचित सहायता दी जाए।

अब इस स्थिति में, योजना आयोग का क्या कहना है। यह मेरा तर्क नहीं है। योजना आयोग ने अपने दृष्टिकोण पत्र में कहा है और मेरे विचार से यह उपयुक्त मार्ग है, यह कहता है कि योजना आयोग 11वीं योजना के दौरान राजस्व व्यय को बढ़ाने में वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन के कुछ नियमों को प्रमुख बाधा मानता है और इसने दृष्टिकोण पत्र में एफआरबीएम नियमों में छूट का सुझाव दिया है। परंतु एक दिन जब मैंने कहा कि इसे यथोचित रूप से संशोधित किया जाए या बल्कि इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, तो वित्त मंत्री ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा सुझाव इसलिए दिया गया क्योंकि भारत के लाखों लोग भुखमरी से ग्रस्त हैं और मर रहे हैं, 20 प्रतिशत भारतीय भुखमरी की सूची में है, 40 से 50 प्रतिशत बच्चे मर रहे हैं। यह अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट है और आपने इसे स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में, इस देश के श्रम गहन उद्योगों में मंदी है। एसएमई के लिए पैकेज दिये गये हैं और भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति बनाई है। कुछ पुनर्वित्तीयन व्यवस्थाएं भी हैं पर ये बहुत अपर्याप्त हैं। इसके अलावा, इसकी दिशा गलत है। यह जनता के व्यय की दिशा में होना चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि यदि आप कोई मौद्रिक और वित्तीय राहत देंगे, तो इसका प्रभाव होने में महीनों लगेंगे। परंतु जनता के व्यय का प्रभाव तुरंत होगा। पुन: जो व्यक्ति सुबह से शाम तक काम करता है। अगले दिन उसके पास खरीदारी के लिए कुछ पैसा होगा। उसके पास क्रय शक्ति होगी। क्रय शक्ति से मांग सृजित होगी और इस मांग से छोटी, मध्यम और अन्य इकाइयां प्रचालन कर सकती हैं। आप क्या चाहते हैं? आप सर्वसमावेशी विकास की बात कर रहे हैं परन्तु इसकी दिशा गलत है। मैं जानता हूं कि सरकार के अंदर भी, विचारों की भिन्नता है।

अब मैं वित्तीय पैकेज की चर्चा करता हूं। इसके लिए समर्थन जुटाया जा रहा है। यहां तक कि कार्य नहीं करने वाले भी समर्थन जुटा रहे हैं। मैं उनकी बात जानता हूं परंतु मैं उनका नाम नहीं ले रहा। नागर विमानन का क्षेत्र लें, जिसने अचानक ही बहुत तेजी से प्रगति की। अब अचानक उन्होंने विमान परिचारिकाओं को निकाल दिया और जब हो-हल्ला मचा तो उन्हें पुन: काम पर ले लिया गया और अंतत: पायलटों की बारी आ गई। इनके पारिश्रमिक में कमी जारी है। वे सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। अब एटीएफ की कीमतों में गिरावट आई है। इनकी कीमतें पहले की अपेक्षा 50 प्रतिशत से भी कम के स्तर पर है। इसकी कीमत 72,000 रुपये किलो लीटर से कम होकर 32,000 रुपये किलो लीटर हो गई है परंतु क्या वे इसका लाभ ग्राहकों को दे रहे हैं यदि ऐसा है, तो कितना लाभ दिया जा रहा है? पारिश्रमिक में कटौती जारी है और यह केवल नागर विमानन क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। यह कटौती और भी बहुत से क्षेत्रों में हो रही है।

[श्री रूपचंद पाल]

'द इकोनोमिक टाइम्स' में एक प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न था: क्या यह सच है कि वे कंपनियां जिनका कार्यनिष्पादन अच्छा नहीं है वे अपने घटिया कार्यनिष्पादन पर पर्दा डालने का कार्य रही हैं और राहत पैकेज दिये जाने की दलील दे रही हैं? लगभग 85 प्रतिशत लोगों ने उत्तर 'हां' में दिया था। मैं डनलप इंडिया लिमिटेड के एक मामले के बारे में जानता हूं। नये प्रमोटर का विगत अढ़ाई वर्ष से कार्य निष्पादन अच्छा नहीं था। अचानक वह अन्तर्राष्ट्रीय संकट, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी और अन्य कहानियों के बारे में बातें करने लगा है और यह भी कहने लगा है कि राज्य सरकार 100 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित करे, और सभी कर माफ करे। वह ये सब बातें कह रहा है।

घटिया कार्य-निष्पादन करने वाले लोग कभी-कभी केन्द्र सरकार पर और कभी कभी राज्य सरकारों पर अनुचित दबाव डालते हैं। लेकिन क्या किया जाए? हमने लिखित में अपने सुझाव दिये हैं और सार्वजनिक रूप से भी कहा है कि सार्वजनिक खर्च, सामाजिक क्षेत्र पर खर्च, एफ.आर.बी.एम. सीमा को समाप्त करना ही इसका उत्तर है। रियायतें देना, ब्याज माफ करना और राज्यों की मांगों को पूरा करना ही इसका उत्तर है। राज्यों को अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। केन्द्र सरकार को एस.ई.एम. पर विचार करना होगा। पुनर्वित्तपोषण पैकेज से स्थिति कैसे सुधर सकती है? अप्रत्यक्ष करों में असाधारण गिरावट आई है। विशेष रूप से उत्पाद शुल्क में और यह उद्योगों के कार्यनिष्पादन की स्थिति से परिलक्षित होता है। यह लक्ष्य का 40% से भी अधिक हो सकता है। अग्रिम कर जमा करवाने के क्षेत्र में भी गिरावट आई है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां करों की बहुत चोरी होती है। आज भी कर प्रशासन की स्थिति कमजोर है। आज तक भी आय कर का पूरी तरह से कम्प्यूटरीकरण नहीं हो पाया है यद्यपि लक्षित तिथि कब की निकल चुकी है। आज भी कर संग्रह में 1,30,00,000 करोड़ रुपये का बकाया शेष है और सरकार कहती है कि केवल 12,000 करोड़ रुपये का ही संग्रह किया जा सकता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे कानून, हमारी व्यवस्था ऐसी ही है और हमारा प्रशासन कार्यान्वयन के मामले में अच्छा नहीं है। ऐसा ऐसे देश में हो रहा है जहां विश्व के 10 महाधनाढ्य व्यक्तियों में से चार व्यक्ति यहां रहते हैं, और लगभग एक लाख लोग जो डॉलर में करोड़पति नहीं तो रुपये में करोड़पति बनने के करीब हैं। यहां रहते हैं। ऐसे देश के सार्वजनिक खर्च में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए, बेहतर कर अनुपालना होनी चाहिए और बकाया करों का बेहतर संग्रह होना चाहिए।

कर-सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात क्या है? सरकार बढ़ा-चढ़ाकर दावे कर रही है कि यह लगभग 13 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है। क्या यही लक्ष्य है? क्या यह इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश एक रास्ता हो सकता है लेकिन शहरी अवसंरचना नियोजन में कोई यंत्रीकरण नहीं है। रोजगार का सृजन करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। पूरा ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करने पर होना चाहिए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना को और बढ़ाया जाए। इसका विस्तार किया जाना चाहिए तथा और अधिक धन इसके अंतर्गत आवंटित किया जाना चाहिए। मै जानता हूं कि प्रशासनिक प्रणाली में समस्याएं हैं लेकिन उसमें सुधार किया जाना चाहिए। राज्यों को यह कार्य करने के लिए कहा जाना चाहिए। इस व्यवस्था में खामियां हैं जैसे धनराशि में, समय पर आवंटन होने में, धन की उपलब्धता इत्यादि में। मैं बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। रिपोर्ट आ गई है और सरकार योजना का कार्यान्वयन करने वाले लोगों के सामने आ रही समस्याओं पर ध्यान देगी। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार एक ऐसा ही क्षेत्र है। सामजिक क्षेत्र में भी कई अन्य क्षेत्र हैं। ऐसा ही एक और क्षेत्र है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। मैं जानता हूं कि यह कहा जा सकता है कि प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सारी समस्याएं हैं। धन खर्च नहीं किया जा सकता लेकिन इस मसले को राज्यों के साथ मिलजुल कर उपयुक्त रूप से सुलझाया जा सकता है।

मेरी अंतिम बात मुद्रास्फीति के संबंध में सरकार की अवधारणा के बारे में है। सरकार का कहना है कि मुद्रास्फीति की दर 6.5 प्रतिशत के स्तर से नीचे आ गई है। कोई कहता है कि यह 7 प्रतिशत है। लेकिन खाद्य की स्थिति को देखिए। मैं अनुरोध करूंगा कि कोई दिल्ली के किसी भी बाजार में जाकर पता लागए कि आज गेहूं किस भाव में बिक रहा है।

मुझसे पूछिए और मैं चावल, चीनी, गेहूं, दवाइयां इत्यादि के मूल्यों का पूरा ब्यौरा पढ़कर सुना सकता हूं जो मैंने केवल दिल्ली से ही जुटाया है। ...*(व्यवधान)* यह सही नहीं है क्योंकि डब्ल्यू.पी.आई. से निर्देशित सूची में खाद्य का हिस्सा लगभग 15.5 प्रतिशत है और यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को नहीं दर्शाता। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य मुद्रास्फीति को समुचित रूप से परिलक्षित किया जा सकता है लेकिन ऐसा डब्ल्यूपीआई निर्देशित मुद्रास्फीति में नहीं किया जा सकता है। इसलिए गरीब लोग आवश्यक वस्तुओं और खाद्य सामग्रियों जैसे आटा, चीनी, चावल, वनस्पति तेल और इस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं और हम देखते हैं कि इन लोगों को ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

आप की रुचि के लिए मैं नवीनतम आंकड़े पढ़कर सुना सकता हूं। वर्ष 2004 में चावल का भाव 13 रुपये प्रति किलोग्राम था और अब यह 19 रु. प्रति किलोग्राम है। आपके कार्यकाल के

दौरान इसमें 46.15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2004 में गेहूं 8 रुपये कि.ग्रा. था और अब यह 13 रुपये प्रति कि.ग्रा. है जो 62.5 प्रतिशत की वृद्धि बैठती है। यही हाल मूंगफली इत्यादि का है। एल.पी.जी. के सिलेंडर का मूल्य था 241 रु. और आपने इसे बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया है। डीजल का मूल्य 21.70 रुपये था जिसे आपने बढ़ाकर 34 रुपये कर दिया है। पेट्रोल के मूल्य 33 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिये गये हैं और अब भी कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय दामों के 147 डालर प्रति बैरल से 42 डॉलर प्रति बैरल तक गिर जाने के बाद भी सरकार ने कंजूसी का परिचय देते हुए पेट्रोल में 5 रुपये और डीजल में 2 रुपये की कमी की है। कुछ दिन पहले इसी सदन में मांग की गई थी और हमने डीजल के दामों में 10 रुपये की कटौती करने पर जोर दिया था। सरकार बाजार के आधार पर, राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए इस बारे में सोच रही है। लेकिन सरकार राष्ट्र के प्रति ऋणी है ...*(व्यवधान)*

यदि आप केवल पेट्रोल और डीजल के दाम घटा देंगे तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इससे आवश्यक वस्तुओं के दामों में कमी आ जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारा यह सुझाव है कि सरकार यह कह कर कि भारतीय रिजर्व बैंक कुछ मौद्रिक नीतियां, कुछ रिपोर्ट इत्यादि सार्वजनिक करने जा रहा है। खंडित पैकेज घोषित करने की बजाय व्यापक पैकेज घोषित करे लेकिन बैंकों को इस प्रकार के कार्यों पर कोई विश्वास और भरोसा नहीं है। वे बहुत सतर्क हैं। उद्योगपति शिकायत कर रहे हैं कि यद्यपि आप बहुत सारी बातें कह रहे हैं लेकिन उनको ऋण नहीं दिया जाता है। आज आवास ऋणों के मामले में कोई गारन्टी, बीमा और आयकर के मामले में और प्रोत्साहन और ऐसी ही अन्य चीजें आ गई हैं। लेकिन फिर भी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। सरकार ने आयोजना प्रक्रिया में 20,000 करोड़ रुपये का एक प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया है। यह हो सकता है कि जो खर्च नहीं हुआ है उसी को पुन: दिया जा रहा हो। यह बॉन्ड्स के रूप में है। कुल योग 35,000 करोड़ रुपये का है। यह न केवल बहुत ही अपर्याप्त है अपितु दिशाविहीन भी है। आपको एक व्यापक पैकेज तैयार करना चाहिए। अधिकतर विकसित देश व्यापक पैकेज घोषित कर रहे हैं।

आपने अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया था। आपने कुछ किया और कतिपय बातों की स्वीकृति दी। जल्दी ही एक और अनुपूरक बजट आने वाला है। यह सब तदर्थ ढंग से किया गया है। इसको एक ही दिशा क्यों नहीं दी गई? ये लोग, ये गरीब लोग ही हमारा लक्ष्य हैं। जिन लोगों के बारे में सर्वेक्षण किया गया है उसमें से 78 प्रतिशत लोग कष्ट झेल रहे हैं और उनकी दैनिक आय 20 रुपये से भी कम है। वे महंगाई से ग्रस्त हैं। सामाजिक क्षेत्र को और अधिक आवंटन किया जाए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाए तथा छोटे, लघु और मध्यम क्षेत्रों, जो भारी संख्या में रोजगार प्रदान करते हैं और जिनकी हमारे निर्यात में 40 प्रतिशत की भागीदारी है को आवश्यक ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस स्थिति में और अधिक सार्वजनिक व्यय पर विचार करना चाहिए। यह दिशा प्रदान करने वाला हो और आरबीआई द्वारा की गई घोषणाओं, सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज-1 और प्रस्तावित राहत पैकेज-2 अथवा अनुपूरक बजट के माध्यम से अथवा प्रस्तावित अनुपूरक बजट के माध्यम से उनके द्वारा जो कुछ भी किया गया है, को कवर करने वाला व्यापक पैकेज होना चाहिए।

मेरे विचार से सरकार राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी है उसने देश से यह वायदा किया था कि वह एनडीए से अलग है। देशवासियों ने एनडीए को नकार दिया है क्योंकि उन्होंने 'शाईनिंग इंडिया' का नारा देकर चतुराई दिखाने की कोशिश की थी। उन्होंने देश की समस्याओं की चिंता नहीं की। यदि आप वही गलतियां करते हैं आपका भी वही हाल होगा एक बार पुन: मैं आपको यह याद दिलाता हूं।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): सभापति महोदया, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

मैं देश में आर्थिक संकट, आर्थिक मंदी की समीक्षा संबंधी चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। इससे पूर्व कि हम इस संकट पर विस्तृत चर्चा करें, मैं समझता हूं कि हमें भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक दृष्टि डालने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री भी सभा में उपस्थित हैं जो वित्त मंत्रालय का कामकाज भी देख रहे हैं।

सभापति महोदया, भारतीय अर्थव्यवस्था में तीन मुख्य क्षेत्र हैं—असंगठित क्षेत्र, किसान भूमिहीन किसान, बढ़ई और सभी कारीगर। साठ प्रतिशत सकल घरेलू उत्पाद इन्हीं पर निर्भर है और 92 प्रतिशत मजदूर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं।

सभापति महोदया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एक दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह दूसरा क्षेत्र है। उसमें कारपोरेट क्षेत्र की छोटी क्रीमी लेयर है। आज क्या हुआ है? आर्थिक संकट से सभी क्षेत्र ग्रस्त हैं और असंगठित क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। देश का सम्पूर्ण मध्य वर्ग, अर्थात् 29 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और लगभग 30 करोड़ लोग मध्य व उच्च आय समूह में आते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि देश में लगभग 78 करोड़ लोग गरीब अथवा गरीबी रेखा के नीचे हैं, इस संकट ने उन्हें प्रभावित किया है। पिछले एक वर्ष

[श्री अनंत कुमार]

में हर क्षेत्र में मंदी आयी है विशेष रूप से पिछले कुछ महीनों में इसका प्रभाव और अधिक हो गया है। आवास निर्माण, अवसंरचना, वस्त्र, परिधान, आटोमोबाइल, उत्पादन, पूंजीगत माल सभी सेवा क्षेत्र, निर्यात आदि सभी क्षेत्रों में मंदी है। मंदी का क्या प्रभाव है? सकल घरेलू उत्पाद जो 9 प्रतिशत अपेक्षित है वह गिरकर 6 प्रतिशत के आस-पास रह सकती है।

माननीय प्रधानमंत्री ने विदेश दौरे से आने के पश्चात् अगले दिन कहा कि सकल घरेलू उत्पाद दर 7 प्रतिशत के ऊपर रहेगी। परन्तु पिछले एक सप्ताह से लोग कह रहे हैं कि यह सात प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यह सात प्रतिशत से कम रहेगी। मैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के महीने-वार आंकड़ों पर नजर डाल रहा था। अप्रैल 2008 में यह 6.22 प्रतिशत, मई में 4.37 प्रतिशत, जून में 5.44 प्रतिशत, अगस्त 1.42 प्रतिशत, सितम्बर 5.45 प्रतिशत और दुर्भाग्यवश अक्तूबर 2008 में यह 0.42 प्रतिशत थे। इस प्रकार से इसमें गिरावट का रुझान देखा जा सकता है।

इस संकट के क्या कारण है? इसका मुख्य कारण डा. मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए की सरकार और श्रीमती सोनिया गांधी का योग्य मार्गदर्शन है। वित्तीय संकट के कारण राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है परन्तु यह एक राजनीतिक कारण है। समूचा राजस्व संग्रह कम हो गया है। सरकार ने 10 दिसम्बर, 2008 को कहा था "कि वह चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शुल्क में छूट और आर्थिक मंदी के कारण लगभग 3.2 लाख करोड़ रु. के अप्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी"। ऐसा वाणिज्य सचिव श्री जी.के. पिल्लई द्वारा कहा गया था। यहां तक कि केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष श्री टी.सी. झा ने कहा कि "वर्ष 2008-09 की बजट घोषणा के पश्चात् शुल्क में कटौती के कारण सरकार को कर वसूली में लगभग 40,475 करोड़ रु. की हानि होगी।" इसका अर्थ हुआ कि ऋणात्मक वृद्धि दर। राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है।

महंगाई दर जो लगभग 14 प्रतिशत के आस-पास थी अभी 8 से 9 प्रतिशत के बीच है। ऐसा दुनिया भर में कीमतों में गिरावट के कारण है। तेल की कीमतें जो 146 से 147 डालर प्रति बैरल थी अचानक गिर कर 40 डालर प्रति बैरल रह गई हैं। लेकिन महंगाई में कोई कमी नहीं हुई है। लेकिन महंगाई में थोड़ी बहुत कमी भी हुई है तो वह यूपीए सरकार अथवा किसी प्रबंधन के प्रयासों से नहीं हुई है बल्कि वह वैश्विक स्तर पर गिरते मूल्यों के कारण हुई है। परन्तु अभी भी यह लगभग 8 से 9 प्रतिशत तक है। वास्तव में यह अच्छी परम्परा है, वित्त का सुशासन है कि जब आपूर्ति कम हो हम खाद्य आपूर्ति सुधारते हैं, हम आपूर्ति बढ़ाते हैं और मुद्रा स्थिति कम करते है। परन्तु जब भी यूपीए सरकार ने सख्त मौद्रिक नीति को अपनाया और लगभग 3.5 लाख करोड़ रु. की राशि बाजार से निकाल ली गई, कृषि क्षेत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। खाद्यान्नों के कारण आयात बिल में वृद्धि हुई है।

मेरे प्रिय मित्र श्री चिदम्बरम, जो पहले वित्त मंत्री थे इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं। वे वित्त मंत्रालय में नहीं हैं। वे गृह मंत्रालय में हैं।

[हिन्दी]

हिन्दी में कहते हैं, अर्थ मंत्री, लेकिन मुझे कभी-कभी लगता है कि चिदम्बरम जी अर्थ मंत्री नहीं रहे, भारत के लिए अनर्थ मंत्री रहे और चिदम्बरम जी ने भारत की आर्थिक स्थिति को नग्न बना दिया है।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदया, मैं इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणियों का विरोध करता हूं।

श्री अनंत कुमार: महोदया यह व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं हैं ...*(व्यवधान)* फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। डा. मनमोहन सिंह, श्री पी. चिदम्बरम और श्री मोंटेक सिंह अहलुवालिया को ड्रीम टीम कहा गया था। परन्तु इस काबिल नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था भयावह स्थिति में आ गई है, भारत संकटपूर्ण स्थिति में है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष सभी क्षेत्रों जैसे उत्पादन क्षेत्र, कृषि, निर्यात, विकास सभी क्षेत्र धराशायी हो गए हैं। मेरे विचार से इसका मुख्य कारण गलत रणनीति है।

रणनीति क्या थी? न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में यूपीए ने कहा था कि उनकी रणनीति एक आम आदमी को केन्द्रित कर आर्थिक विकास की रचना करना है।

[हिन्दी]

लेकिन आम आदमी फोकल प्वाइंट नहीं रहा। आम आदमी के बदले खास आदमी को आपने फोकल प्वाइंट बना दिया। खास आदमी के लिए एसईजेड, खास आदमी के लिए स्पेक्ट्रम, खास आदमी के पावर प्लांट्स, यानि वोट के लिए आम आदमी और नोट के लिए खास आदमी।

[अनुवाद]

यह यूपीए सरकार का मंत्र था और इसी कारणवश आर्थिक मंदी आयी है। चिदम्बरम जी जब वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे।

वे कहा करते थे कि हमारी रणनीति विकास और मुद्रास्फीति का संतुलन है। अब वे गृह मंत्री हैं। अब वे कह रहे हैं कि आतंकवाद से लड़ने की रणनीति में आतंक के खिलाफ युद्ध में संतुलन बनाना होता है जिसमें धर्मनिरपेक्षता और मानव अधिकारों का भी ध्यान रखना पड़ता है। कल जब आतंकवाद विरोधी दो विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किये गये थे तब हमने यूपीए सरकार की अनिच्छा और अनमने कदम का समर्थन किया क्योंकि हम पिछले 10 वर्षों से आतंकवाद के विरोध में सख्त कानून की मांग कर रहे हैं।

अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के संबंध में उन्होंने विकास और मुद्रास्फीति के मध्य संतुलन और आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध और धर्मनिरपेक्षता के मध्य संतुलन की गलत रणनीति अपनाई है।

[हिन्दी]

मैं इतना ही प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वोट बैंक का बैलेंस मत करिए, देशहित के लिए फोकस करना चाहिए, लेकिन वोट बैंक के लिए आप बैलेंस करने का काम कर रहे हैं।

[अनुवाद]

महोदया, मैं यहां कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। सन् 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी। उससे पहले इस देश के आर्थिक संकेतक क्या थे? सन 1991 से 1996 तक यह डा. मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने वित्त मंत्रालय को संभालते हुए देश की अर्थव्यवस्था का संचालन किया था और 1996 और 1998 के बीच श्री चिदम्बरम वित्त मंत्री बने और उन्होंने 'ड्रीम बजट' पेश किए। जब 1998 में हम सत्ता में आए तो विदेशी मुद्रा भण्डार 30 बिलियन अमेरीकी डॉलर का था, सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 5 प्रतिशत थी, राजकोषीय घाटा 6.1 प्रतिशत था और निर्यात वृद्धि दर 3 प्रतिशत के स्तर पर लड़खड़ा रही थी। यह स्थिति थी। सन् 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के 6 वर्ष के शानदार शासन के बाद जब वे सत्ता में आए तो विदेशी मुद्रा भण्डार 100 बिलियन अमरीकी डॉलर का था, सकल घरेलू उत्पाद में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हो रही थी, राजकोषीय घाटा घटकर 4.1 प्रतिशत के स्तर पर आ गया था। निर्यात वृद्धि दर 20 प्रतिशत की दर से सरपट दौड़ रही थी और मुद्रास्फीति को 3.5 प्रतिशत और 4 प्रतिशत के बीच नियंत्रित करके रखा गया था। इन 6 वर्षों में हम सभी यहां पर थे। परन्तु किसी भी सत्र में मूल्य वृद्धि अथवा मुद्रास्फीति पर एक बार भी बहस नहीं हुई।

लेकिन विगत साढ़े चार वर्षों में सं.प्र.ग. सरकार की तीन विशेष उपलब्धियां हैं, वे हैं महंगाई, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी। बेरोजगारी, आर्थिक मन्दी, महंगाई और मुद्रास्फीति सं.प्र.ग. सरकार की तीन विशेष उपलब्धियां हैं।

अब · ·008 में आर्थिक संकेतक क्या हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अर्थशास्त्री हैं, अत: मैं आर्थिक संकेतकों की बात कर रहा हूं। विदेशी मुद्रा भण्डार तेजी से घट रहे हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक यहां से भाग रहे हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी आई है। सकल घरेलू उत्पाद की दर जो 9 प्रतिशत प्रत्याशित थी, को अब पुन: 6 प्रतिशत के स्तर पर आकलित किया जा रहा है। राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। निर्यात वृद्धि की गति मन्द पड़ती जा रही है। मुद्रास्फीति 9 प्रतिशत के स्तर पर बनी हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो धरोहर हमने छोड़ी थी, तीव्र आर्थिक विकास के अवसर, आर्थिक वृद्धि का अवसर, सर्वसमावेशी वृद्धि के अवसर इन सभी को विगत साढ़े चार वर्ष में गंवा दिया गया है।

मुझे श्री पी. चिदम्बरम द्वारा लिखित पुस्तक–'ए व्यू फ्रॉम द आउटसाइड–व्हाई गुड इकनोमिक्स वर्क्स फॉर एवरीवन' पढ़कर सुखद आश्चर्य और निराशा हुई। श्री चिदम्बरम ने इस पुस्तक को तब लिखा था जब वे विपक्ष में थे। इसलिए मुझे आश्चर्य हो रहा था पुस्तक का शीर्षक 'ए व्यू फ्रॉम द आउटसाइड' है इसका शीर्षक 'ए व्यू व्हेन यू आर इनसाईड द गवर्नमेंट' क्यों नहीं होना चाहिए।

व्यू क्या है? माननीय प्रधानमंत्री जी और समूचे सदन के लिए मैं पुस्तक में से पढ़ कर सुनाता हूं। जॉन मेनार्ड केन्स ने कहा था और मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं: "मुद्रास्फीति कराधान का एक रूप है जिससे जनता के लिए बचना भी कठिन है और सबसे कमजोर सरकार भी जब किसी भी अन्य चीज को लागू नहीं कर सकती इसे लागू कर सकती है।" बहुत सही। वे आगे लिखते हैं, "आम आदमी की भाषा में मुद्रास्फीति कराधान का सबसे निकृष्ट रूप है। यह धनी और निर्धन दोनों पर समान रूप से कर का बोझ डालती है। यदि मुद्रास्फीति की दर दस प्रतिशत हो तो यह धनवान व्यक्ति की 10 लाख रुपये की आय में से 1 लाख रुपये पर डाका डाल देती है और यह गरीब व्यक्ति की 1000 रुपये की आय में से 100 रुपये उड़ा लेती है। धनवान के पास अधिक आय अथवा बचत के रूप में मुद्रास्फति से निपटने का एक उपाय होता है लेकिन गरीब के पास यह नहीं होता है।" चिदम्बरम जी ने यही लिखा है।

एक अध्याय में वे कहते हैं, "वित्त मंत्री अकेले वादक नहीं हैं। अब माननीय प्रधान मंत्री वित्त मंत्री हैं "वह आर्केस्ट्रा के संचालक हैं ...." यू.पी.ए. यानि उल्टा-पुल्टा गठबंधन का बेसुरा

[श्री अनंत कुमार]

आर्केस्ट्रा। ''उन्हें सक्रिय होकर अन्य वादकों को एक ही तान छोड़ने के लिए कहना चाहिए। जहां तक अर्थव्यवस्था का संबंध है, गाड़ी उनकी मेज तक आकर रुक जाती है। उनकी मेज से मतलब है प्रधानमंत्री की मेज।

प्रधानमंत्री जी, क्या मैं आपको एक बात बता सकता हूं? भरोसा उठ रहा है और स्टॉक मार्किट में उतार-चढ़ाव है और इसमें गिरावट आ रही है। इस संकट के कारण रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं। वस्त्र, परिधान, निर्यात, निर्माण, गृह निर्माण, सेवाओं, सब जगह जा रही हैं। मेरे प्रिय मित्र, श्री रूपचन्द पाल जी ने पहले ही बताया है कि

[हिन्दी]

महंगाई के साथ आर्थिक मंदी के साथ, बेरोजगारी को भी जोड़ दिया यूपीए सरकार ने।

अपराह्न 3.00 बजे

[अनुवाद]

सार्वजनिक खर्च में कमी क्यों हो रही है? परियोजनाएं अधूरी क्यों पड़ी हुई हैं? विगत साढ़े चार वर्षों में सं.प्र.ग. सरकार एक भी राजमार्ग परियोजना को पूरा नहीं कर पायी। राजमार्ग सं.प्र.ग. सरकार द्वारा अगले पांच वर्षों में 60 बिलियन का निवेश करते हुए विकास हेतु पहचाने गए प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की एक आंतरिक रिपोर्ट जो अक्तूबर में अंतिम समय-सीमा समाप्त हो जाने के बाद तैयार की गई थी, के अनुसार राजमार्ग विनियामक उत्तर-दक्षिण-पूर्व-पश्चिम गलियारे (एन.एस.ई.डब्ल्यू) के दूसरे चरण में 47 परियोजनाओं में से किसी भी एक परियोजना को पूरा नहीं कर सका। यह स्थिति है। उन्होंने किसी भी राजमार्ग परियोजना को पूरा नहीं किया है। हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बहु प्रशंसित स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को शुरू किया था।

महोदया, अन्त में जब प्राथमिकताओं का निर्धारण पूरी तरह गड़बड़ है, और जब अर्थव्यवस्था बहुत बुरी स्थिति में है तो मुझे एक लेख (एन ओपन लेटर टु द प्राइम मिनिस्टर' से एक पैरा उद्धृत करने के अलावा कुछ नहीं कहना है। मुझे लगता है कि वही एकमात्र उत्तर है क्योंकि रूपचन्दपाल जी, यद्यपि उनके रास्ते अलग हो गए हैं, आशा कर रहे थे कि लेखानुदान जो फरवरी में पारित हो सकता है, में वे कुछ सुधारों की घोषणा करें। कोई सुधार नहीं होंगे। हम निराश हो रहे हैं। सुधार लाने में यह सं.प्र.ग. सरकार, यह नेतृत्व असमर्थ है। परिवर्तन होना चाहिए और वह परिवर्तन रा.ज.ग. के रूप में ही होना चाहिए। पुनः ग्राफ बढ़ने वाला है। इसलिए मैं इसे पढ़कर सुना रहा हूं। यह निर्णय करना देश के लोगों के हाथ में है; मैं भी सहमत हूं और उसके समक्ष नमन करता हूं। मैं लेख के उस अंश को पढ़ूंगा और अपना भाषण समाप्त करूंगा। यह इस प्रकार है:

> ''आज, सत्ता में आने के चार साल बाद और भारत द्वारा अपनी ही भूमि पर युद्ध को देखने के बाद, लोगों में आपकी सरकार ने सारी विश्वसनीयता खो दी है और प्रधान मंत्री जी, इसकी जिम्मेदारी आप पर आती है। आपके पास तथाकथित अकाट्य साक्ष्य होने का दावा करने के बावजूद आप अपने भाषणों में पाकिस्तान का नाम लेने से डर रहे हैं, यही नहीं, वास्तव में अब हर बार जब आप इस बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ कहते हैं तो यह संवेदना संदेश की तरह लगता है और यह ऐसा नहीं लगता जिससे विश्वास उत्पन्न हो। आर्थिक सुधार बहुत पहले ही बन्द हो चुके हैं क्योंकि आपके गठबंधन के साथियों ने उनको पसन्द नहीं किया। आपके मंत्रिमंडल में बहुत से मंत्री ऐसे हैं जो वाल मार्ट के कैश-एण्ड-कैरी मॉडल में पारंगत हो चुके हैं और आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। नेता के रूप में आप सभी तरह से असफल हो चुके हैं। इसलिए अब जब भारत पर अपनी ही भूमि में आक्रमण हो रहा है, तो कम से कम अब तो आप कुछ कीजिए। यदि आप नहीं कर सकते तो कृपा करके रास्ते से हट जाइए और अपने से अधिक प्रभावशाली किसी अन्य व्यक्ति को देश चलाने दीजिए।''

महोदया, यह लेख लिखा गया है। लेखक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है। वह यह भी कहता है:

> ''लेकिन फिर, इतिहास, आपके संबंध में अपना फैसला लेगा। यदि आप में कुछ अन्तरात्मा की आवाज बची हो तो कृपा करके कुछ कीजिए। यह मत भूलिए कि केवल नुकसान पहुंचाने के लिए हृदय रहित मस्तिष्क, आचार रहित बुद्धि, अच्छाई रहित चतुराई सभी औजार हैं।''

देश की अर्थव्यवस्था को क्षति मत पहुंचाओं। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ मत करो। देश की नाभिकीय प्रभुसत्ता के साथ खिलवाड़ मत करो। प्रधानमंत्री हम आपसे और भी आशा रखते हैं। यदि आप शासन नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दें। महोदया, यही सन्देश है।

श्री आर. प्रभु (नीलगिरि): महोदया, कल इस सभा में हमने देश को आतंकवाद, बाहरी आतंकवाद और आंतरिक आतंकवाद से

सुरक्षित रखने संबंधी दो दूरगामी विधेयक पारित किए। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि नियम 193 के अंतर्गत यह चर्चा हो रही है जिससे कि हम वैश्विक वित्तीय मंदी से भारत को बचाने का प्रयास कर सकें और इस देश की आर्थिक सुरक्षा को बचाने का भी प्रयास कर सकें।

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वैश्विक मंदी में इतनी गिरावट आई है जितनी पहले कभी नहीं हुई। जब श्री रूपचंद पाल बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि इस प्रकार की मंदी 1930 के दशक में आयी थी। उस समय मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था। इसलिए मैं उस मंदी के बारे में नहीं जानता। परन्तु अब मैं यह जानता हूं कि सभी राष्ट्र अपनी सामर्थ्य से ज्यादा आर्थिक संकट झेल रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय परिदृश्य बहुत निराशाजनक हैं। परन्तु मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहूंगा जिससे कि इस प्रकार की समस्या हमारे इस देश में न आये। वास्तव में यह संकट अमरीका में आवास और गिरवी क्षेत्र में सब प्राइम संकट के कारण आया है। यह समस्या इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि बैंकों में बहुत अधिक धन था जो सट्टेबाजी के प्रयोजनार्थ गलत ढंग से निवेश हो रहा था। इस प्रकार यह वित्तीय संकट पूरे विश्व में फैल गया। आज जब सम्पूर्ण विश्व में यह संकट व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे देशों के संकट से स्वयं को बचा सकते हैं और वित्तीय बाजार भी विश्वव्यापी हैं। इस प्रकार अधिकांश देशों को यह समस्या मिली है। हमें भी कुछ अन्य समस्याएं दूसरे देशों से मिली हैं परन्तु इसका दबाव भारत पर ज्यादा पड़ा है। सभापति महोदया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। अन्य सभी देशों में भी अब लोगों का बैंकिंग प्रणाली से विश्वास उठ गया है, चाहे वह अमरीका हो यूरोप हो, प. जर्मनी हो अथवा ब्रिटेन हो सभी लोगों का बैंकिंग व्यवस्था से विश्वास उठ गया है। लेकिन हमारे यहां बैंकों का उस समय राष्ट्रीयकरण हो गया था। मैं पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस कारण लोगों का बैंकिंग प्रणाली से विश्वास नहीं उठा है क्योंकि जहां तक राष्ट्रीय बैंकों का संबंध है, राज्य इनमें जमा राशि की गारंटी देता है।

श्री अनंत कुमार इस बात से सहमत नहीं होंगे कि पिछले कुछ वर्षों से विकास दर में लगातार वृद्धि हो रही है। आप विश्वास कीजिए कि एक अरब की जनसंख्या में पिछले कुछ वर्षों से 8 से 9 प्रतिशत तक की विकास दर दर्ज हुई है। परन्तु अब यह गिरकर सात प्रतिशत तक रह गई है। पिछले पांच वर्षों में औसत विकास दर 8.9 से 9 प्रतिशत रही है। यह एक उल्लेखनीय विकास दर है जो कि अन्य देशों के द्वारा आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती।

महोदया, जब इस सरकार ने कार्यभार संभाला था तो हमने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में बहुत से दूरगामी गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। परन्तु इसके लिए सरकार को संसाधन बढ़ाने होंगे। आप लोगों को विश्वास में लिये बिना और साथ ही उन पर कर लगाए बिना आप संसाधन कैसे जुटाएंगे? ज्योंही इस सरकार ने कार्य भार सम्भाला त्योंही हमने राजकोषीय उत्तरदायी बजट प्रबंधन विधेयक पारित कर दिया और वह अधिनियम बन गया। अधिनियम के अनुसार हमें 2009 तक राजकोषीय घाटे को कम करके शून्य तक लाना होगा। परन्तु माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि वे दो एक वर्षों में ऐसा करेंगे। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि हमें एफआरबीएम अधिनियम से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वह हमारे भावी संदर्भ के लिए बैंचमार्क हो सकता है परन्तु अगले दो-तीन वर्षों तक जब तक मंदी है हमें अपने देश को इस वैश्विक मंदी से बचाना होगा, हमें लोगों की सहायता करनी होगी और हमें एफआरबीएम के बारे में भूल जाना होगा क्योंकि हमसे यही उम्मीद की जाती है कि राजकोषीय घाटा 2.5 प्रतिशत रहे जबकि यह पहले ही पांच प्रतिशत से अधिक है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारी संख्या में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को लागू किया गया है। मैं हाल ही में घोषित वित्तीय पैकेज की घोषणा के लिए माननीय प्रधानमंत्री और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित वित्तीय पैकेज के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि हमारे देश के पास वे शक्तियां हैं जो अन्य देशों के पास नहीं है। हाल ही में चीन में एक करोड़ लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो चुके हैं और देश के भीतर भी पूर्ण अव्यवस्था है क्योंकि लोगों से अपने-अपने घरों को वापस जाने को कहा गया है। उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं रह गया है। परन्तु भारत में सौभाग्यवश हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधरित है। भारत के लोग कृषि के कारण सुरक्षित हैं। इस प्रकार यदि लोगों की नौकरियां जाती भी हैं तब भी एक महीने-दो महीने, तीन महीने बिना भुखमरी की नौबत नहीं आएगी। परन्तु किसी भी स्थिति में हमें लोगों को भूख से मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। हमें लोगों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट से ग्रस्त होने से बचाना चाहिए। हमें लोगों का संरक्षण करना चाहिए और हमें देश की आर्थिक सुरक्षा और लोगों का संरक्षण करना चाहिए।

मैं भारतीय रिजर्व बैंक की रियायतों के बारे में चर्चा करूंगा। सात दिसम्बर को समाचारपत्रों में यह आया था और शायद ये रियायतें उससे पिछली शाम को घोषित की गई थीं। आरबीआई द्वारा दी गई मुख्य रियायत मुख्यत: रेपो रेट में कटौती से संबधित है। फिर भी एसएलआर और सीआरआर में कटौती नहीं की है। इसने रेपो रेट कम करके 6.5 प्रतिशत कर दिया है। यह एक अच्छा प्रयास है क्योंकि इससे धन की और अधिक आपूर्ति होगी।

[श्री आर. प्रभु]

दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा इसमें देय बिलों पर बीपीएलआर से कम 250 बेसिक अंक कम करके ब्याज दर में कटौती करने की महत्वपूर्ण घोषणा की थी। तीसरी महत्वपूर्ण घोषणा और अधिक ऋणों को, पुनर्गठित करने और गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को कम करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने के बारे में है। मुझे गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के बारे में कतिपय टिप्पणियां करनी हैं। एक वर्ष अथवा दो वर्ष पूर्व गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया था यदि आप छः महीने से अधिक के अपने ब्याज को सेवाओं में नहीं लेते तो यह गैर-निष्पादनकारी आस्ति बन जाती है। फिर हम बेजिल कनवेंशन की लीक पर चलने लगे और इस अवधि को तीन माह की अवधि बना डाला जो बहुत ही कम अवधि है। यदि आप अपने ऋण को तीन महीने में सेवा में नहीं लेते तो यह गैर-निष्पादनकारी आस्ति बन जाते हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारी कंपनियों में बेहतर वित्तीय प्रबंधन होना चाहिए। परन्तु आज भी उतनी ही सख्त घोषणाएं लागू की जानी चाहिएं क्योंकि हमें थोड़ी और छूट मिलनी चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती की है। यह वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को 6.5 प्रतिशत पर ऋण प्रदान करता है। मैं यह पाता हूं कि अधिकांश बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ बड़ौदा ने अपनी ब्याज दरें 13 प्रतिशत से कम करके 11 प्रतिशत से 12 प्रतिशत नहीं की हैं जो की खेदजनक है। ऐसी स्थिति में यदि छोटे और मझौले उद्योगों की सहायता नहीं की जाती तो हमारे यहां भी चीन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी। फिलहाल आई.टी. क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है। परन्तु आई.टी. उद्योग अधिक वेतन देय उद्योग है अतः इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये लड़के और लड़कियां दो-तीन महीने अपना गुजारा कर सकते हैं।

लेकिन उस उद्योग के बारे में आपका क्या ख्याल है जिसके पास रोजगार सृजन है, ढेर सारी लेबर है, वृक्षारोपण, वस्त्र, चीनी तथा किन्हीं अन्य उद्योगों जैसे हमारे परम्परागत उद्योगों की भांति ढेर सारा अप्रत्यक्ष रोजगार है। जैसाकि रूपचन्द पाल जी ने उल्लेख किया। जहां तक वस्त्र उद्योग का संबंध है। प्रधानमंत्री ने इन्हें वित्तीय पैकेज दिया है जिससे उद्योग को बचाया जा सका क्योंकि मैं कोयम्बटूर, तमिलनाडु से हूं हम समाचारपत्रों में पढ़ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री दूसरा पैकेज भी देंगे।

मुख्य समस्या यह है कि बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों, उनकी अधिसूचनाओं और उनके परिपत्रों की अनदेखी कर रहे हैं। हाल ही में स्थायी समिति की बैठक में जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उपस्थित थे, मैंने उनसे कहा "आपके दिशा-निर्देश, आपकी अधिसूचनाएं और आपके परिपत्र अनिवार्य तो हैं वे परामर्शी नहीं है।" अतः मैं माननीय प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री जो यहां उपस्थित हैं से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ बैठक करनी चाहिए और उन्हें यह बताना चाहिए कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देश, अधिसूचनाएं और परिपत्र अनिवार्य हैं। आपको कम से कम समय-सीमा निर्धारित कर यह देखना चाहिए कि बैंक के उच्च स्तर से निम्न स्तर तक इन्हें लागू किया जाये क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऋण दिये जाने और इनके पुनर्गठन में अधिक समय लगता है।

महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि देश को इस आर्थिक मंदी से उबारने और हमारे नागरिकों को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने की दृष्टि से हमें बहुआयामी रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। मैं कुछ छोटे-मोटे सुझाव देना चाहूंगा जिनके संबंध में मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री सकारात्मक रूप से विचार करेंगे और देश की आर्थिक प्राथमिकताओं के साथ संतुलन बनाए रखते हुए वह सब कुछ करेंगे जो वह कर सकते हैं।

असल में मैं लोगों के हाथ में और ज्यादा धन देना चाहता हूं क्योंकि इससे उनमें विश्वास पैदा होगा। उदाहरण के लिए बैंकों ने आवासीय ऋण ब्याज दर में कमी की है परन्तु खास बात यह है कि केवल निश्चित तिथि से लिये गये ऋणों को कम करके 8.5 प्रतिशत किया गया है। उन पहले वाले लोगों के बारे में स्थिति क्या है जिन्होंने आवासीय ऋण ले रखे हैं? उन्होंने इसे फ्लोटिंग दर पर लिया है; उन्होंने निश्चित ब्याज दर पर न लेकर फ्लोटिंग दर पर ऋण लिया था। अतः, उन्हें क्यों नहीं यह 8.5% का लाभ मिलना चाहिए? जैसाकि आप जानते हैं उस समय मकान बहुत महंगे थे। इसलिए, उन्हें बैंकों से बहुत ज्यादा धन लेना पड़ा। अतः मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इन्हें भी छूट दिये जाने पर विचार करें।

इस समय एक अन्य समस्या यह भी है कि हमें अपनी कीमतों में कमी करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि तभी आम आदमी को उससे लाभ मिलेगा। पूरे देश में नागरिकों को निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। मेरे पास कुछ सुझाव हैं। वैट जैसे करों में कटौती की जानी चाहिए। वैट ने बिक्री कर की जगह ली है। अब, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में भी वैट को कम करने की बात हो रही है। मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह, जैसाकि उन्होंने सेनवैट के मामले में किया है, वैट के पीक रेट को 12 अथवा 13% के पीक रेट को कम करके 8 प्रतिशत करे। सेनवैट मूलतः उत्पादन शुल्क है। सेवा कर के मामले में भी यही किया जाना चाहिए। इस कर में विगत दो वर्षों में वृद्धि हुई है।

उदाहरण के लिए पिछले बजट में सेवा कर का अनुमान 65,000 करोड़ रुपये के आस-पास था। अब कहां से यह 65,000 करोड़ रुपये आ रहे हैं? यह धन आम जनता से आ रहा है। इसीलिए, कीमतों में वृद्धि हुई है।

मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि वह कम से कम छह माह अथवा एक वर्ष हेतु पीक रेट को 12.5% से कम करके 8% करने पर विचार करे। मुझे विश्वास है कि इससे कीमतों को नीचे लाने में मदद मिलेगी तथा इस देश में सभी व्यक्तियों को कीमतों को नहीं बढ़ाने की अपनी जिम्मेदारी का अहसास होगा।

अब मैं आयात तथा निर्यात की बात करने जा रहा हूं। आज भारत में डालर की कीमत अभूतपूर्व है। विगत तीन माह में यह 39 रुपये से बढ़कर 50 रुपये हो गया है। वे यह कह रहे हैं कि कुछ समय के पश्चात् यह 53 रुपये होगा यद्यपि अभी डालर की कीमतें नीचे आ रही हैं। परन्तु मुझे यह विश्वास है कि इसका मुख्य कारण यही है कि हमने अगस्त 2008 में डेरिवेटिव्स तथा विदेशी मुद्रा में फारवर्ड ट्रेडिंग शुरू की। यद्यपि ऐसा बहुत ही भिन्न उद्देश्य के साथ किया गया था जिससे अपने निर्यातकों को डालर संबंधी उतार-चढ़ाव से बचाया जा सके। उस समय हमारे निर्यातक रुपये तथा विभिन्न अन्य यूरोपियन मुद्राओं के साथ डालर की कीमत को समायोजित कर रहे थे। परन्तु दुर्भाग्य से उनके लिए, जैसाकि उस समय प्रवृत्ति थी, डालर की कीमत नीचे जाने की बजाए ऊपर चली गई। अत: हमारे अधिकांश निर्यातक, जिन्होंने डालर का मूल्य कम आंका था, को घाटा हुआ। उनमें से कुछ व्यक्तियों को तो करोड़ों में नुकसान हुआ है। वास्तव में, तिरुपपुर में जो कोयम्बटूर के पास है, उससे हमें 7000 करोड़ रुपये से 8000 करोड़ रुपये के आस-पास निर्यात आय होती थी। आज, यह 3000 करोड़ रुपये तक रह गई है। इसका कारण यह है क्योंकि अधिकांश कंपनियां बंद हो गई हैं। इनमें से कुछ कंपनियों ने अपना उत्पादन 50% अथवा 60% कम कर दिया है। अत: मैं माननीय प्रधानमंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस पहलू की ओर भी देखें।

जब आप दिशानिर्देश दें अथवा आप लघु तथा मध्यम स्तर के उद्यमों का पुनर्गठन करने का प्रयास करते हैं तो यह रोजगारोन्मुखी होना चाहिए। उदाहरण के लिए मुझे समाचारपत्रों से यह पता चलता है कि एक बहुत बड़े उद्योगपति जिन्होंने इंग्लैंड में कुछ कंपनियों का अधिग्रहण किया था 50 बिलियन डालर के पैकेज हेतु कह रहे हैं। उन्होंने संभवत: प्रबंधन कर्मचारियों को छोड़कर किसी भी भारतीय को नौकरी नहीं दी है। सभी श्रमिक इंग्लैंड के हैं। इनमें कोई भी भारतीय नहीं है। अत:, मै चाहता हूं कि सरकार हमारे उद्योगों को राहत पहुंचाने हेतु अपना धन खर्च करे और सबसे पहले भारत में केवल रोजगारोन्मुखी उद्योगों के लिए पुनर्गठन ऋण दे तथा उसके बाद अन्य बातों पर ध्यान दें।

मैं यह अनुरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि आगे की सोच वाले ये सभी कदम उठाये जायें। निस्संदेह, मैं माननीय प्रधानमंत्री को सलाह नहीं दे सकता हूं क्योंकि वे एक उत्कृष्ट अर्थशास्त्री हैं। मैं उन्हें बेलआउट पैकेज की घोषणा द्वारा तुरंत कार्यवाही करने पर बधाई देता हूं। मेरा उनसे यह अनुरोध है कि वह शीघ्र ही एक अन्य बेलआउट पैकेज की भी घोषणा करें। मुख्य बात यह है कि उन्हें यह देखना चाहिए कि इन बेलआउट पैकेजों का, बैंकिंग प्रणाली द्वारा जो लघु तथा मध्यम स्तर के उद्यमों को तथा इस देश में छोटे व्यक्तियों को राहत देने में ढील बरती जाती है, द्वारा सही मायने में अनुसरण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदया, आज सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। देश की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अमरीका हो या दुनिया के दूसरे देश हों, सभी आर्थिक मंदी से बुरी तरह परेशान हैं। आर्थिक मंदी का कुप्रभाव हिंदुस्तान पर भी पड़ रहा है। यह बात सही है कि आर्थिक मंदी के कुप्रभाव को कोई भी एकदम नहीं रोक सकता है। आर्थिक मंदी पर नियंत्रण पाने में कुछ समय लगता ही है। हम लोग जीडीपी ग्रोथ और सैंसेक्स की बहुत चर्चा करते हैं। जीडीपी ग्रोथ और सैंसक्स की भाषा हमारे देश के आम लोग, गांवों के लोग नहीं समझ सकते हैं। आम लोग विकास की भाषा समझते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की भाषा समझते हैं, भारत निर्माण की भाषा समझते हैं। आजादी के बाद सिर्फ 20 परसेंट लोग, जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, केवल उन लोगों को सारी सुविधाएं देने की कोशिश की गई है। सड़क की सुविधा, बिजली की सुविधा, संचार की सुविधा, अस्पताल की सुविधा, रोजगार की सुविधा केवल इन 20 परसेंट लोगों को देने की कोशिश की गई। लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं, उन्हें भारत निर्माण योजना के अंतर्गत पहली बार सुविधाएं देने की कोशिश की गई। ऐसा नहीं है कि सरकार की नीयत में खोट है। भारत सरकार की नीयत बिल्कुल साफ और पाक है। पहली बार इतनी ज्यादा राशि गांव के विकास के लिए दी गई है। गांव के किसान का मतलब गरीब है। आज गांव का किसान, गांव के लोग गरीबी का पर्यायवाची बन गए हैं। गांवों के विकास के लिए सरकार ने प्रथम चरण में बहुत कोशिश की है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना और भारत निर्माण योजना का फायदा उन लोगों को देने की कोशिश की गई है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। यह पहला क्रांतिकारी अधिनियम है। प्लानिंग कमीशन के अनुसार लगभग 26 परसेंट

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति के अनुसार आज भी 78 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण इलाकों में, सुदूर इलाकों में रहते हैं।

श्री अर्जुन सेन गुप्ता की अध्यक्षता में जो कमीशन बना था, उसके अनुसार लगभग 77 प्रतिशत आबादी रोजाना सिर्फ 20 रुपये प्रतिदिन खर्च पर गुजारा करती है। इन लोगों के लिए ही राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना बनाई गई है, जिससे कि इन्हें कम से कम सौ रुपया रोजाना मेहनताना मिल सके। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति दिन दो डालर मजदूरी मिलनी चाहिए। दो डालर का मतलब भारतीय हिसाब से सौ रुपया बनता है। आप तो जानते हैं कि रुपये का अवमूल्यन हो रहा है और डालर की कीमत भी ज्यादा है। हमारे देश की 77 परसेंट आबादी को ऊपर उठाने के लिए यह योजना लाई गई है, ताकि आम लोगों के जीवन में तब्दीली आए। 111वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें 20 लाख लोगों को स्वरोजगार का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।

सरकार कोशिश नहीं कर रही है, ऐसी बात नहीं है। जो गांव के गरीब किसान हैं, वे बैंकों से लोन लेते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत प्रोग्रैसिव काम किया था। उन्होंने पिछले बजट में किसानों को 7 प्रतिशत की दर पर ऋण देने का स्पष्ट निर्णय लिया था। गांवों में काम हुआ है लेकिन इसे और अधिक करने की जरूरत थी। श्री एम.एस. स्वामीनाथन कमेटी की स्पष्ट सिफारिश है कि चार परसेंट की दर पर किसानों को ऋण दिया जाए। किसान एक ऐसा वर्ग है जिसकी तरफ हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। सरहद की रक्षा करने वाला जवान हो या देश की आवाम हो, सब को भोजन चाहिए। भोजन कौन पैदा करता है? कृषि उत्पादन कौन करता है? कृषि उत्पादन किसान करते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। मैं आर्थिक सर्वे की रिरपोर्ट देख रहा था। पिछले वर्ष कुछ अनाज का ट्रैंड डिक्लाइन हुआ था लेकिन इस साल अनाज का ट्रैंड अच्छा रहा है। किसानों को 4 प्रतिशत की दर पर ऋण दिया जाएगा तो किसानों को अनाज का उत्पादन बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा। आदमी रुपया-पैसा नहीं खा सकता है। उसे खाने के लिए अनाज चाहिए चाहे वह मोटा अनाज खाए या चावल खाए, या गेहूं खाए। इन्हें कौन पैदा करता है? ये पैदा करने वाले मेहनतकश किसान हैं। आपने ऋण की दर 7 परसैंट करके प्रोग्रैसिव काम किया है लेकिन इसे कम करके चार परसेंट करें जिससे किसान कृषि का काम अच्छी तरह कर सके। नेशनल कमिशन ऑन फॉर्मर्स के चेयरमैन श्री एम.एस. स्वामीनाथन ने भी ऐसी सिफारिश की है और मैंने भी इसीलिए इस बात का अनुरोध किया है।

मेरा दूसरा अनुरोध है कि मरुआ, जिसे अंग्रेजी में मिलेट्स कहते हैं, रागी, बाजरा, ज्वार और दालें पौष्टिक आहार हैं। मोटा अनाज गरीब लोग खाते हैं। इनको वायदा बाजार से बाहर रखें तो अच्छा होगा जिससे इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान प्रोत्साहित हो सकें। यूपीए सरकार ने गरीबी उन्मूलन के कार्य किए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत क्रय शक्ति बढ़ी है और इसका कारण यह है कि उनको रोजगार मिला है। इससे इंडिकेशन मिलता है कि देश में रोजगार का सृजन हुआ है। सौ दिन का रोजगार मिलने की गारंटी होने से परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ी है। जब तक परचेसिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, भूख का इलाज नहीं हो सकता है। देश में गरीबी इसलिए है कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी ही गरीबी का कारण है। रोजगार के अवसर खुल जाएं और उनका सृजन हो जाए तो गरीबी हट जाएगी। गरीबी इस कारण है कि हम अभी उतने रोजगार दे नहीं पाए हैं। क्रय शक्ति को और बढ़ाने की आवश्यकता है।

सिंचाई क्षमता में जितनी वृद्धि होनी चाहिए, नहीं हुई है। इसका टारगेट अभी पूरा नहीं हुआ है। इससे भारत और इंडिया का दर्शन स्पष्ट हो जाता है।

इंडिया गेट के भीतर इंडिया है और इंडिया गेट के बाहर भारत है। भारत के लिए यूपीए सरकार ने काम किया है। इंडिया गेट के भीतर जो इंडिया है इसके लिए सब सरकारें काम करती हैं लेकिन इस सरकार ने असली भारत के लिए काम किया है।

अब मैं कुछ बेसिक सवाल उठाना चाहता हूं। सरकार की कार्य योजना में कुछ प्राथमिकता फिक्स होनी चाहिए। कोई राज्य पिछड़ा क्यों है? आज आर्थिक मंदी की चर्चा चल रही है। आर्थिक व्यवस्था की चर्चा हो रही है। आज पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी से हम प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि हमने बेसिक समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया है। देश के पिछड़े राज्य, चाहे उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड या छत्तीसगढ़ हो, का सीडी रेशो देखा जाए।

अपराह्न 3.31 बजे

[श्री बालासाहिब विखे पाटील *पीठासीन* हुए]

बैंकिंग प्रणाली पर बहुत चर्चा हुई है और हमारे विद्वान साथियों ने बैंकिंग सिस्टम पर काफी चर्चा की है। मैं जानना चाहता हूं कि आम आदमी कमा कर दस या पन्द्रह हजार अपने लिए बैंक में निवेश करता है, जमा करता है लेकिन उस पैसे का खर्च और सीडी रेश्यो देखा जाए तो बैंक का सीडी रेश्यो 10 से 15 परसेंट उस राज्य में खर्च होता है बाकी मुंबई जैसे बड़े शहरों

में चला जाता है। जब तक सीडी रेश्यो ठीक नहीं होगा तब तक पिछड़ापन ठीक नहीं होगा। इस देश में जितने पिछड़े राज्य हैं, उनके पिछड़ेपन का यही कारण है। यदि सीडी रेश्यो ठीक नहीं होगा, इनका पिछड़ापन सात जन्मों तक दूर नहीं हो सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाईडलाईन है कि कम से कम 30, 35 से 40 परसेंट तक उस राज्य में पैसा खर्च होना चाहिए जहां के लोग पैसा जमा करते हैं। क्या ऐसा हो रहा है? क्या आरबीआई की गाईडलाईन का अनुपालन हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है। इसका पालन होना चाहिए। इसका उपयोग कृषि विकास के लिए उस राज्य में होना चाहिए। जब कोई पैसा उस राज्य में जमा करता है तो उसका निवेश भी वहीं होना चाहिए जबकि दूसरे शहरों में यह पैसा निवेश के लिए चला जाता है। यह सीडी रेश्यो का बेसिक सवाल है कि बिहार में 15 से 16 परसेंट निवेश होता है और शेष 83 या 84 परसेंट बाहर चला जाता है। इस तरह से बिहार राज्य का पैसा बड़े शहरों में चला जाता है। मेरा निवेदन है कि आरबीआई की गाईडलाईन के अनुसार काम होना चाहिए ताकि राज्यों का पिछड़ापन दूर हो सके।

इसके अलावा एक और बेसिक सवाल है। मैंने पहले ही कहा है कि मैं कार्य प्रणाली के विषय में अपनी बात रखूंगा। फाइनेंशियल कमीशन की इंस्ट्रक्शन के अनुसार समय-समय पर प्लान करने का आकार राज्यों को दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं प्लान का आकार किस आधार पर दिया जाता है? यह आकार गाडगिल फार्मूला के तहत संबंधित राज्य के इन्टरनल रिसोर्सिस के बेसिस पर दिया जाता है लेकिन इस तरह से कैसे विकास होगा? हमारे यहां बालू और पानी है, कहीं पैसा नहीं है, आर्थिक स्रोत नहीं है, हम इन्टरनल रिसोर्सिस मोबिलाइज नहीं कर सकते। उड़ीसा में आंतरिक संसाधन होंगे, यह उड़ीसा के सदस्य बताएंगे। उड़ीसा में आंतरिक संसाधनों को मोबिलाइज करने का कोई साधन नहीं है तो पैसा कहां से आएगा? केवल शराब बेचने से आएगा? यह किस चीज से आएगा? आपने राज्य के लिए फार्मूला बनाया है, गाडगिल फार्मूला बनाया है कि प्लान का कार्य उस राज्य को उतना ही मिलेगा जितना वह उस अुपात में आंतरिक संसाधन मोबिलाइज करेगा जबकि इन्टरनल रिसोर्सिस को मोबिलाइज करने का कोई विकल्प नहीं है। वहां बालू, पानी और बाढ़ है। आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले बिहार में बाढ़ ने क्या विनाशलीला की है। इसमें लगभग दस जिले बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। वहां जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है क्योंकि पूरा इलाका पानी से डिस्ट्राय हो गया है। वहां पानी है, बालू है तो वहां इन्टरनल रिसोर्सिस कहां से आएंगे? वहां पानी है या बालू है। वहां छः महीने लगातार बाढ़ रहती है और छः महीने सुखाड़ रहता है। इसलिए मैं इस बेसिक सवाल को उठाना चाहता हूं कि पिछड़े और गरीब राज्यों को उनकी आबादी के आधार, गरीबी के आधार पर, बेरोजगारी के आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर प्लान का आकार होना चाहिए। जब तक यह नहीं होगा, तब तक पिछड़ा राज्य आगे नहीं बढ़ पायेगा।

सभापति महोदय, इसी तरह से नॉर्थ-ईस्ट की स्टेट्स हैं। पिछड़े राज्यों में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तो प्रमुख हैं, लेकिन उसी तरह से आप देख सकते हैं कि नॉर्थ-ईस्ट के इलाकों में भी यही हाल है। आप यहां से जो स्पेशल असिस्टैन्स देते हैं, वह वहां खर्च नहीं होती है। वहां भी इन्टरनल रिसोर्सेज, आंतरिक संसाधनों के मोबिलाइजेशन का कोई उपाय नहीं है। इस तरह से नॉर्थ-ईस्ट बराबर पिछड़ा रहेगा। लेकिन इससे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ता है। यह एक राष्ट्रीय सवाल है। इसीलिए सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यद्यपि सरकार ध्यान दे रही है, जैसा मैंने शुरू में उद्धृत किया। लेकिन सरकार को पिछड़े इलाकों पर और जोर देना है। जहां आर्थिक विषमता है, इकोनोमिक डिसपैरिटी है, उस पर सरकार को ध्यान देना होगा। अभी कुछ लोग मिलियनेयर्स हो रहे हैं। कुछ लोग 35 हजार फीट पर उड़ रहे हैं। ठीक है, हम एम.पीज. और एम.एल.एज. को टिकट मिल गया है, इसलिए हम सब लोग तो सरकारी व्यवस्था में उड़ते हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं, उन्हें देख लीजिए, आज 35 हजार फीट पर है। लेकिन जो पांच फीट का इंसान है, प्राचीन काल में जो अमीर आदमी होता था, यदि बहुत ऊंचाई होती थी तो 16 फीट से 18 फीट की ऊंचाई होती थी। वह हाथी पर चलता था। हाथी पर चलने का मतलब वह बड़ा आदमी होता था। प्राचीन काल में हाथी पर चलने वाले को अमीर आदमी माना जाता था। लेकिन हाथी पर बैठे इंसान से पांच फीट के इंसान की कम दूरी होती थी, यह लगभग 10 फीट होती थी। आज दूरी 35 हजार फीट हो गई है। यह आर्थिक विषमता है, यह इकोनोमिक डिसपैरिटी है। इस तरह से गरीबी और अमीरी का फासला इतना अधिक बढ़ गया है कि इसके कारण आज देश में हिंसा हो रही है। इसका मुख्य कारण बेरोजगारी है। इसलिए जब तक आर्थिक विषमता दूर नहीं होगी, तब तक देश में अमन-चैन कायम नहीं हो सकता। इसलिए आर्थिक स्थिति पर चर्चा करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि आर्थिक विषमता को कम करने के लिए यदि कोई कठोर फैसला भी लेना पड़े तो करना चाहिए। हमें जीयो और जीने दो के सिद्धांत पर चलना चाहिए। कम से कम सबको बराबरी का और जीने का हक तो मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे वामपंथी लोग नारा लगाते हैं-दुनिया के गरीब एक हो जाओ। दुनिया के गरीब और अमीर को एक कर दो। दुनिया के गरीब जब एक होंगे तो देखेंगे, लेकिन कम से कम संभव

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

बराबरी होनी चाहिए। मोहन सिंह जी जानते हैं, डा. राम मनोहर लोहिया ने कहा था-सबको बराबरी न हो, लेकिन संभव बराबरी तो हो सकती है। कम से कम सबको जीने का और रोजगार का हक तो दिया जा सकता है। कम से कम आर्थिक विषमता को कुछ कम किया जाए। कुछ संभव बराबरी हो। इसलिए आर्थिक विषमता दूर किये बिना आर्थिक व्यवस्था पर आप चाहें जो चर्चा कीजिए, कुछ नहीं होगा। इसे हमें प्रायोरिटी से लेना चाहिए।

मैं अंतिम बिन्दु पर अपनी बात खत्म करूंगा। अभी आप महंगाई को देखें, इस महंगाई में क्या हालत है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 147 डालर प्रति बैरल से घटकर आज 42 डालर प्रति बैरल पर आ गये हैं। इस एक-तिहाई से ज्यादा की गिरावट के बावजूद भी आज सरकार ने डीजल के दाम मात्र तीन रुपये घटाये हैं। जबकि पिछली बार डीजल के दाम पांच रुपये बढ़ाये गये थे। पेट्रोल में भी यही हालत है। आज डीजल और रसोई गैस के दामों का मूल उपभोक्ता पर भारी बोझ पड़ रहा है। डीजल से कृषि जुड़ी हुई है, सिंचाई जुड़ी हुई है, किसान और आम आदमी जुड़ा हुआ है। सेवा के सारे क्षेत्र इससे जुड़े हुए हैं। इसलिए आम आदमी और किसानों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। महंगाई के बोझ को कम करने के लिए सरकार को डीजल के दाम दस रुपये कम करने चाहिए। यह मेरी मांग है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़े हुए दामों से आज आम उपभोक्ता बहुत परेशान है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: सर, अनंत कुमार जी ने जो बोला है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने जो बोला है, उसमें से ये शब्द हटाने चाहिए। उन्होंने कहा, ''हिन्दी में कहते हैं अर्थ मंत्री लेकिन मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि पी. चिदम्बरम जी अर्थमंत्री नहीं रहे, भारत के लिए अनर्थ मंत्री रहे और उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति को *..... बना दिया।''

यह जो शब्द यूज किया है, यह अनपार्लियामेंट्री, डेरोगेट्री शब्द है और इसे उस वाक्य में से निकाला जाना चाहिए।

सभापति महोदय: जो असंसदीय शब्द होगा, उसे हटा दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यदि कोई असंसदीय टिप्पणी है तो हमें उसे कार्यवाही-वृत्तांत से हटा देंगे।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं मांग करता हूं कि इसे हटाया जाए।

[हिन्दी]

इस शब्द से जो जैन धर्म की शाखा है, उसका अपमान होता है, निकाला जाना चाहिए। *...(व्यवधान)* यह शब्द उसमें से हटाया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: असंसदीय शब्दों को कार्यवाही-वृत्तांत से हटा दिया जाएगा। आप चिंता न करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मैं विशेष रूप से कह रहा हूं कि जो असंसदीय टिप्पणी होगी उसे कार्यवाही-वृत्तांत से हटा दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: जो अनपार्लियामेंट्री होगा, वह रिमूव कर दिया जाएगा। आप चिंता मत करिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हम इसका ध्यान रखेंगे। कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय: जो अपमानित करने की बात होगी, जो शब्द असंसदीय होगा, वह उसमें से निकाल दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): सर, उसमें कुछ अनपार्लियामेंट्री नहीं है। मिस्त्री जी, आप उसका अर्थ बता दीजिए। आपको जब उस शब्द का अर्थ ही नहीं पता तो आप कैसे कह रहे हैं कि यह शब्द अनपार्लियामेंट्री है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: प्रधान जी, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: मधुसूदन जी, जो असंसदीय होगा, वह निकाल देंगे। आप चिंता मत करिए।

...(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह (देवरिया): सभापति जी, मैं धन्यवाद करता हूं कि आर्थिक मंदी पर जो चर्चा है, उसमें आपने मुझे भाग लेने का मौका दिया। अपनी चर्चा प्रारम्भ करने से पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके, एक अदद वित्त मंत्री ढूंढ़कर वित्त मंत्रालय का फुल-फ्लैज्ड चार्ज किसी मंत्री के हवाले करें। यह भारत के सार्वजनिक जीवन का सचमुच दिवालियापन है कि हमें सार्वजनिक जीवन में आज की तारीख में ढूंढ़े एक अदद गृह मंत्री और एक अदद वित्त मंत्री नहीं मिल रहे हैं। बड़ा अच्छा किया, प्रधान मंत्री जी ने ऐसे व्यक्ति को भारत का गृह मंत्री बनाया जिनको भारत के 75 फीसदी लोगों की भाषा नहीं आती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे ही व्यक्ति को भारत का वित्त मंत्री बनाएं जिसको जैसा हमारे मित्र कह रहे थे कि उसे 77 फीसदी लोगों की पीड़ा कभी संवेदित न करती हो लेकिन एक अदद वित्त मंत्री इस देश को मिल जाएगा, यह एक सुविधा इस देश के वित्त मंत्रालय के पास हो जाएगी।

दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, दुनिया के लोग वर्ष 1991-1992-1993 में ताली पीट रहे थे कि साम्यवाद दुनिया से उठ गया और यह विचारधारा अब मौजूद नहीं है और अब केवल पूंजीवाद का जमाना है और सबको उस दिशा की ओर दौड़ना चाहिए। रूस में वह ऐसा जमाना था जब लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था और कूड़ेदान में फेंकी हुए रोटी से रूस के लोग अपना पेट भरने का काम करते थे। उस समय दुनिया का पूंजीवादी विचार साम्यवादी विचार के ऊपर अट्टहास करके उसका मजाक उड़ा रहा था। आज जो दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर चला है, मैं ऐसा मानता हूं कि यह पूंजीवाद का अन्तर्विरोध है और इसलिए जिन लोगों ने 1991-1992-1993 में दुनिया में ताली पीट-पीटकर साम्यवाद को गाली दी, आज उनकी मुस्कुराहट खत्म हो गई है और अब उनको दुनिया के छोटे-बड़े मुल्कों के 8-9 प्रतिनिधियों को अपने देश में बुलाकर कहना पड़ रहा है कि यह जो आर्थिक मंदी है, यह अकेले अमरीका की नहीं है, यह अन्तर्राष्ट्रीय मंदी है और दुनिया के लोगों को इसको समाप्त करने की दिशा में विचार करना चाहिए। मुझे खुशी है कि कम से कम ऐसे देशों की जमात में भारत की भी शुमार हुई जिसके बारे में उन बड़े लोगों ने यह सोचा कि तुम भी चाहो तो हमारी आने वाली विपत्ति के ऊपर हमारी थोड़ी-बहुत मदद कर सकते हो, इसलिए जल्दी-जल्दी हमारे देश में आ जाओ। हमारे देश के प्रतिनिधि और नेता बड़े चाव के साथ वहां जाकर बोलते हैं कि तुम्हारी गरीबी और दुर्दशा में आज की तारीख में हम भी शामिल हैं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि भारत के राष्ट्रनिर्माताओं ने 150 वर्षों के अपने अथक परिश्रम से एक विचारधारा को इस देश में जन्म दिया था और यह कहा था कि दुनिया के उपनिवेशवाद, दुनिया की गरीबी, दुनिया की बेरोजगारी के खात्मे के लिए न साम्यवाद मौजूद विचार है, न पूंजीवादी मौजूद विचार है बल्कि भारत का लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और लोकतांत्रिक समाजवाद ही एक मौजू विचारधारा है जो पूरी दुनिया की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और महंगाई है, उससे मुक्ति दिला सकती है। मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि हमने एक ही मिनट में उन सारे विचारों को, जो हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की उपज थे, उन पर झाड़ू लगा दी। इसलिए, आज हमें चीखने-चिल्लाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है क्योंकि हमने अपने पुरखों की पूंजी के ऊपर खुद ही कालिख पोतकर उन्हीं विपत्तियों को, जिन विपत्तियों को ये झेल रहे हैं, हमने अपने सिर पर कूड़ा ओढ़ने का काम किया है।

सभापति महोदय, इसलिए मैं पहली बात यह कहना चाहूंगा कि भारत को श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो नारा-स्वदेशी और स्वावलम्बन का दिया था। उसके ऊपर आये बिना, मैं ऐसा समझता हूं कि कोई भी चीज हो, आतंकवाद आ गया, कहते हैं कि यह ग्लोबल फिनामना है, देश में मंदी आयी, ग्लोबल फिनामना है, भ्रष्टाचार बढ़ गया, यह ग्लोबल फिनामना है। हमारे देश में मंदी आयेगी, ग्लोबल फिनामना है। यह जो गलोबल फिनामना है, इससे मुक्ति पाकर हिन्दुस्तान भी कुछ है, ऐसा करने का संकल्प हमें अपने देश में पैदा करना चाहिए। उसके दो रास्ते हैं। एक तो यह है कि हमारे देश की पब्लिक इनवैस्टमेंट का जो पुराना तरीका था, उसे हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार करना पड़ेगा। यह बहुत अच्छी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक पैकेज दिया। लेकिन उस पैकेज से क्या होगा? जब यू.पी.ए. सरकार बनी थी, यह विचारधारा उसके कार्यक्रम में थी कि भारत सरकार के स्वामित्व में चलने वाले बड़े कारखाने हैं, यदि वे अस्वस्थ हैं तो भारत सरकार उन्हें स्वस्थ बनाने के लिए इन्तजाम करेगी। मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि भारत सरकार ने इस दिशा में अपेक्षित प्रयास नहीं किया। यह कोई मामूली बात है कि भारत सरकार खेतिहर मुल्क है। ऐसा कहते हैं कि हम कृषि प्रधान देश हैं। लेकिन इस देश में जो मिट्टी की खाद है, जिसके बिना खेती नहीं हो सकती है, वही 100 प्रतिशत मिट्टी की खाद हमें विदेशों से मंगानी पड़ती है। यह खाद एक छोटे से देश यमन से आयात करनी पड़ रही है। डीएपी और यूरिया, जिसका इस्तेमाल इस देश

[श्री मोहन सिंह]

का किसान बड़े पैमाने पर करता है, उसके 60-70 प्रतिशत भाग को खरीदने के लिए हमें विदेशों में जाना पड़ता है। हमारे देश के जो कारखाने हैं, 14 वर्षों से नई आर्थिक नीति आने के बाद, हमने उसे उनकी बीमारी पर छोड़ दिया कि तुम्हें जिन्दा करना हमारा अधिकार नहीं है। अगर प्रतिस्पर्द्धा में जिन्दा रह सकते हो तो तुम अपने जिन्दा रहने के लिए इन्तजाम करो। इसलिए जो जिन्दा रहने लायक थे, हमने उन्हें नवरत्न की श्रेणी में रख दिया और कहा कि ये हमारे कमाऊ पूत हैं और एक पिता होने के नाते जो अपनी जायज सन्तानें हैं, कमाऊ पूत को हम अपना लेंगे लेकिन जो नालायक पूत हैं, उस पर 4 लाख रुपया लगाकर उसे अपने घर से बाहर कर देंगे। यह हमारी अर्थ नीति की जो तकनीक थी, इसने आज की तारीख में हमारे देश की आर्थिक नीति की पोल खोल दी है। इसलिए मैं भारत सरकार से पहली अपील करना चाहता हूं कि जो यू.पी.ए. का घोषणा पत्र था, उसके अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार कारखानों में सारी पूंजी लगाकर पैकेज देने से काम नहीं होगा। किसी भी कीमत पर उनका आधुनिकीकरण करके उनकी प्रतिस्पर्द्धा को जगाने का इन्तजाम हमारी सरकार को करना चाहिए।

दूसरा हमारे देश का सब से बड़ा सैक्टर, नयी अर्थ नीति आने के बाद उसे हमने जंगल में छोड़ दिया। गांधी जी का वह बताया हुआ रास्ता था कुटीर उद्योग-धंधों को चलाने का। सामान्य आदमी को सब से अधिक खपाने के रोजगार के अवसर देने की क्षमता इन कुटीर उद्योगों में है। ग्राम स्तर के लोग इन कामों में जाते हैं और अपने गांव छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होते हैं। कल इसी सदन में एक फहरिस्त के अनुसार बताया गया कि जितने छोटे कारखाने हैं, बिहार में सब से अधिक साढ़े पांच लाख कारखाने बंद हैं। दूसरे नंबर पर अगर किसी राज्य में सबसे अधिक कारखाने बंद है तो उस राज्य का नाम बंगाल है। महोदय, इसमें हम यह कहना चाहते हैं कि जो कुटीर उद्योग और छोटे उद्योग हैं उन्हें हमने बड़े उद्योगों के हवाले कर दिया है। उनका बहुत सारे उत्पादनों पर जो रिजर्व एरिया था, आरक्षण था, उनका जो स्वामित्व था, उसको समाप्त करके हमने उन्हें बड़े उद्योगों के हवाले कर दिया है। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़े उसको हड़पते गये, छोटे समाप्त होते गये, बेरोजगारी भी बढ़ती गयी और छोटी पूंजी बढ़ती चली गई। वह सारी छोटी पूंजी हमारे राष्ट्र की थी और हमारे राष्ट्र की पूंजी को इस बेरहम तरीके से आपने मरने देने का काम कराया। इसके लिए हम भारत सरकार से यह कहना चाहते हैं कि इस पर पुनर्विचार करे। आज भारत के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि मंदी का हमारे ऊपर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने अपने देश की अर्थ नीति को बहुत ही साउंड सूटिंग के ऊपर खड़ा कर दिया है। अब साउंड सूटिंग की पोल खुल रही है। इस साल सबसे अधिक धान की उपज हुई, यह खुसी की बात है कि आपने धान का खरीद मूल्य बढ़ाया। इससे किसान का उत्साह बढ़ा है। आप पूरे देश में सर्वे कराइए कि क्या किसान अपनी उपज का मूल्य 900 रुपये पा रहा है। जब हमारे देश में धान अधिक हो गया, चावल अधिक हो गया तो आपने उसके निर्यात के ऊपर पाबंदी लगा दी, जिससे उसका दाम बढ़ने न पाए, दाम नीचे रहे और किसान उसे बिचलियों को साढ़े छः सौ रुपए, सात सौ रुपए के भाव से बेचने के लिए मजबूर हो जाए। कृषि की दुश्वारियां सबसे अधिक हैं। यदि कृषि करने वाले कृषि कर्मकार की हालत को हमने दुरुस्त नहीं किया तो, उसकी सूत दर कम कर दी जाए, यह तो एक मुद्दा है कि चार फीसदी का सुझाव हुआ, आपने 60 फीसदी कर दिया, यह तो ठीक बात है लेकिन कृषि के उपकरणों की खरीद और कृषि निवेश में बैंकों का कर्जा आज की तारीख में सबसे कम है, लेकिन केवल कर्जदार बनाकर किसानों से, महोदय, आप स्वयं अपने अनुभव से जानते हैं, आप उस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस इलाके में किसानों ने सबसे अधिक आत्महत्याएं की हैं। उसके बाद सदन में और इसके बाहर पैकेज की घोषणा हुई। यह कहा गया कि पैकेज लेने के बाद किसानों की माली हालत में सुधार होगा और आत्महत्याएं घट जाएंगी, लेकिन आंकड़े इस बात के आ रहे हैं कि पैकेज मिलने से पहले जितनी आत्महत्याएं थीं उनके प्रतिशत में वृद्धि हो रही है और इसमें किसी भी तरह की कमी नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है? किसानों को कर्ज नहीं चाहिए, किसानों को अपने मिलने वाले निवेश की कीमत में कमी होनी चाहिए, उसे अपनी उपज का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए क्या इसके लिए कोई समन्वित नीति बनती है? भारत का वित्त मंत्रालय यह कहता है कि हमारे ऊपर सबसे बड़ा बोझा खाद की सब्सिडी है, राज सहायता है। हमारे देश में नीतिनियंता इसके ऊपर सबसे अधिक परेशान हैं। एक लाख दस हजार करोड़ रुपये खाद के ऊपर सब्सिडी हो गयी, सरकार इसके लिए परेशान है। कई बार इस बात को इसी सदन में कहा गया कि यह एक लाख दस हजार करोड़ रुपये आप सीधे किसान को क्यों नहीं बांटते हैं, लेकिन पिछली बार अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक साथ इसको लागू करना ज्यादा मुश्किल है, इसलिए हम एक-एक जिले को, पायलट के रूप में उसका इंतजाम करेंगे और प्रयोग के तौर पर एक-एक जिले में शुरू करेंगे। हम विनम्रतापूर्वक यह पूछना चाहते हैं कि क्या किसी एक भी राज्य के एक भी जिले में भारत सरकार के वादे की शुरुआत की गयी, उसको पूरा किया गया। हमने यह पूछा कि ऐसा क्यों नहीं किया तो कहते हैं कि फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री यह कहती है कि कंपनियों को यह सब्सिडी मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ये कंपनियां अपनी झूठी बेलेंसशीट लगाकर किसानों के नाम पर खाद की सब्सिडी

लूट रही हैं और इस लूट का कोई विकल्प आज की तारीख तक भारत की सरकार नहीं निकाल पा रही है। नयी अर्थ नीति आयी, हमने लंबे-चौड़े वादे किये, बहुत खुश हुए, क्यों, क्योंकि हमारे देश के नौजवान को आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बम्बई से निकलने के बाद साल में तीन करोड़ का पैकेज मिल रहा है। अमेरिका में 36 करोड़ सालाना का पैकेज मिल रहा है, पैकेज कितना मिल रहा है, 60 करोड़ सालाना का। एक तरफ 60 करोड़ सालाना का पैकेज, एक तरफ 3 करोड़ सालाना का पैकेज और दूसरी तरफ 50 रुपये रोज की रोजगार गारंटी स्कीम होगी। आपको 50 रुपये पाने की भरपूर गारंटी होगी, वह भी साल भर नहीं, साल में कुल 100 दिन आपको सौ रुपये पाने की पूर्ण गारंटी हम देंगे और वे आईआईटी पास हैं, इसलिए उनको तीन करोड़ रुपये का पैकेज देंगे। हम वित्त मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि यदि भारत को किसी भी आर्थिक विपत्ति से बचाना है तो ऊंची तनख्वाहों पर काबू पाने का कोई विशेष कानून इस संसद में पास किया जाना चाहिए चाहे वह हिन्दुस्तान का कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो। चीन में क्या है-वे कहते हैं कि एक आदमी को एक लाख रुपये महीना तनख्वाह देने से अच्छा है कि दस हजार रुपये के हिसाब से एक लाख रुपये में हम दस आदमियों को नियुक्त कर देते हैं। एक आदमी की जगह वहां दस आदमी नियुक्त हो जाते हैं। हमारे यहां क्या है? रोजाना इस सदन में किसी न किसी की तनख्वाह एक लाख रुपये से ऊपर बनाने के कानून हम बनाते रहते हैं, ताली बजाते रहते हैं। उनका नतीजा क्या होता है? मास्टर लोग बाहर आंदोलन कर रहे हैं कि क्या बाबू हमसे बड़े हैं? यदि बाबू एक लाख रुपये पाएंगे तो इन बाबू बनाने वाले मास्टरों की भी तलब एक लाख रुपये से ऊपर होनी चाहिए। एक लाख पाने की प्रतियोगिता हमारे देश में बड़े पैमाने पर चल रही है। मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे देश में विपत्ति का यह सबसे बड़ा कारण है। इसलिए एक ऐसा कंप्रिहैन्सिव कानून बनना चाहिए कि चाहे वह निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, सरकार का बड़ा बाबू हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो, हिन्दुस्तान की सरकार का प्रधानमंत्री या भारत का राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, किसी भी कीमत पर इस देश में 75 हजार रुपये से ऊपर की तलब किसी को नहीं मिलेगी। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस देश में पूंजीकरण नहीं होगा। सरकार चिल्लाती है हमारे देश में 40 हजार करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। किस पर? लोगों कोपैंशन देने पर। इनकी पैंशन रोक दो। पैंशन रोकने से 40 हजार करोड़ बढ़ जाएगा। हम आपसे कहते हैं कि वे कौन लोग हैं जो 40 हजार करोड़ रुपये पा रहे हैं? ये वे लोग हैं जिनको जीवन भर 10 हजार रुपये, 15 हजार रुपये या 20 हजार रुपये की तलब मिलती है, साढ़े नौ बजे से लेकर साढ़े पांच बजे तक वे नौकरी करते हैं। यदि वे अलीगढ़ से यहां दिल्ली आते हैं और दिल्ली से अलीगढ़ जाते हैं तो छः महीने बाद अपने बच्चों के दर्शन करते हैं। अपने ही घर में उनको बच्चों के दर्शन नहीं होते। 20 हजार रुपये पर नौकरी खत्म करने के बाद सरकार कहती है कि हमको मितव्ययिता बढ़ानी है, इसलिए बाबुओं की पैंशन को खत्म कर दो, इसका बोझा हमारे देश में बढ़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पैंशन खत्म करने से पूंजीकरण और पूंजी नहीं बढ़ेगी। बड़े लोगों के ठाट-बाट, फिजूलखर्ची और उनकी लंबी तनख्वाहों पर अंकुश और बंदिश लगाने से इस देश में पूंजीकरण बढ़ेगा। जब पूंजीकरण बढ़ेगा और नकदी हमारे देश में बढ़ेगी, तो मैं समझता हूं कि उसकी एक बुनियाद इस देश में खड़ी हो सकती है। अब क्या कह रहे हैं। वित्त मंत्री जी बार-बार दावा करते थे कि हमारी वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर 9.5 फीसदी पर होगी। आर्थिक मंदी का जब डंका बजा तो उन्होंने कहा, नहीं बहुत कम होगी तो 9 पर आ जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि कितनी भी खराब हालत होगी तो 7.5 तो रहेगी। अब विश्व बैंक वाले कहते हैं कि चार फीसदी कर लो तो हम तुम्हारी पीठ ठोक देंगे। ऐसा क्यों है? इस तरह के झूठे दावे क्यों निरर्थक हो जाते हैं? इसके तीन कारण इस देश में हैं। पहला कारण यह है कि हम ऐसे मुल्क के बाशिंदे हैं कि आज की तारीख में हमारा एक्सटर्नल डिफैन्स एक्सपैंडीचर और किन्हीं खास परिस्थितियों में इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपैंडीचर लगातार बढ़ रहा है। उसी के साथ-साथ हमारे देश के जो बड़े लोग हैं, उनकी सुरक्षा का भार भी हमारे देश में निरंतर बढ़ रहा है। आज के अखबारों में हैडलाइन है कि हमारे देश के बड़े लोगों की जान की हिफाजत में कितने पुलिसमैन लगे हैं तो कहते हैं 45 हजार। श्रीमन्, यह गांधी जी का मुल्क है। आप गांधी जी की बनाई हुई टोपी लगाकर इस सदन के सबसे बड़े मंच पर बैठे हैं। हम गांधी जी का एक जिक्र करना चाहते हैं। क्योंकि अब तो गांधी जी केवल तस्वीर के विषय हैं, उनके विचारों की चर्चा नहीं होगी। ...*(व्यवधान)* हम पांच मिनट में खत्म करते हैं, आप नाराज न हों। पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना 1914 में की। बैरिस्टर मोहनदास करमचन्द गांधी 25 साल के बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत आए।

अपराह्न 4.00 बजे

मालवीय जी ने उन्हें बुलाया। भारत के वायसराय स्थापना सम्मेलन में गए थे, श्रीमती एनी बेसेंट उसकी अध्यक्षता कर रही थी। मालवीय जी ने कहा, बेरेस्टर मोहनदास कर्मचंद गांधी इस सभा में अपने कुछ शब्द कहेंगे तो गांधी जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जब मैं बनारस के रेलवे स्टेशन पर उतरा तो हजारों पुलिस के जवान संगीन लिए खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि आप किस खुशी में खड़े हो तो उन्होंने कहा कि लार्ड गवर्नर साहब दिल्ली

[श्री मोहन सिंह]

से आ रहे हैं, उनकी जान की हिफाजत में खड़े हैं। जब मैं रास्ते में तांगे से जा रहा था तो मैंने देखा कि दोनों तरफ रंगीन ताने लोग खड़े थे। हमने उनसे कहा कि आप क्यों परेशान हो रहे हो तो उन्होंने कहा कि लार्ड गवर्नर आ रहे हैं, उनकी जान की हिफाजत में हम खड़े हैं। मैं जब लार्ड साहब की सभा में खड़ा होकर बोल रहा हूं तो चारों तरफ लोग संगीन ताने खड़े हैं। हमने उनसे पूछा कि आप क्यों अपने हाथों और टांगों को परेशान कर रहे हो तो उन्होंने कहा लार्ड साहब को कोई गोली न मार दे, इसलिए हम खड़े हैं। गांधी जी ने लार्ड साहब को हाथ जोड़ा और कहा कि लार्ड साहब, इस देश के करोड़ों लोगों का भोजन काट कर यदि अकेले तुम्हारी एक जान की रक्षा होती है तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि तुम आज ही मर जाओ, तुम्हारे जिन्दा रहने की जरूरत नहीं है। यह गांधी जी ने लार्ड गवर्नर के मुंह पर 1914 में कहा था।

महोदय, हम गांधी जी की तस्वीर टांगते हैं, दुनिया में जाकर हमने कहा कि दुनिया गांधी जी को मान गई। दो अक्तूबर दुनिया में मनाया जाएगा। दुनिया अहिंसा दिवस मनाएगी, लेकिन गांधी जी का कोई भी विचार हमारे देश में नहीं माना जाएगा, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए हम दो-तीन बिन्दु सुझाव के तौर पर कहना चाहते हैं। भारत की सारी तरक्की को भ्रष्टाचार लूट रहा है। आप जितने आंकड़े दे दीजिए, ग्यारह फीसदी का आंकड़ा किताब में लिख दीजिए। इसे कौन लिखता है, बाबू लोग साऊथ और नार्थ ब्लॉक में बैठ कर किताब लिख देते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 90 फीसदी के हिसाब से बढ़ रही है। हम उस किताब को पढ़ लेंगे और कहेंगे कि 90 फीसदी बढ़ रही है, लेकिन व्यावहारिक धरातल पर जाइए तो पता चलेगा कि इस देश की तरक्की का सारा पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। इस देश की सरकार ने बहुत ही धूम-धड़ाके के साथ गरीबों के लिए कानून बना कर रोजगार गारंटी योजना शुरू की। यूपीए सरकार कहती है कि हमारी यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप पार्लियामेंट के सदस्यों की एक टीम भेज कर इस बात की समीक्षा कराइए कि इसका गरीबों को कितना लाभ हुआ। केवल चंद ठेकेदार, बिचौलिए और स्थानीय अधिकारियों ने उस भ्रष्टाचार के पैसे को लूट लिया। हमारे मित्र देवेन्द्र यादव जी कह रहे थे कि परचेजिंग केपेसिटी बढ़ रही है, परचेजिंग केपेसिटी किस से बढ़ रही है, यह भ्रष्टाचार के पैसे से बढ़ रही है। यदि हमें मंदी के दौर को खत्म करना है तो भ्रष्टाचार को जैसे हमने आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक मजबूत कानून बना कर, उसके ऊपर चौतरफा हमला बोलने का संकल्प किया, उसी प्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ भी इसी तरह के कानून बना कर चौतरफा हमला बोलने की जरूरत है। राजनैतिक, प्रशासकीय और अफसरशाही का भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, यदि इसके ऊपर हमने काबू नहीं पाया तो भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जितना भी दावा करें, मैं ऐसा समझता हूं कि इस देश की मंदी खत्म नहीं हो सकती और इस देश का विभाजित और विभक्त भारत एक भारत के रूप में काम नहीं कर सकता। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप कृपा कर कोऑपरेट कीजिए।

श्री मोहन सिंह: सभापति महोदय, हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। अभी बातें बहुत करनी थीं, लेकिन आपका हुक्म हो गया, इसलिए हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं।

[अनुवाद]

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): सभापति महोदय, देश में आर्थिक स्थिति की समीक्षा के संबंध में चर्चा में अपनी पार्टी, डीएमके की ओर से भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

इस संबंध में, मैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी और माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को उनके सक्षम मार्गदर्शन में वैश्विक मंदी और वैश्विक आर्थिक संकट, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सब-प्राइम संकट से शुरू हुआ था, का सामना करने के लिए प्रभावी उपाय करने पर बधाई देना चाहता हूं। अब इस वैश्विक आर्थिक संकट ने अधिकांशत: सभी विकसित देशों को प्रभावित किया है और इसका प्रभाव एशिया पर भी पड़ रहा है। वैश्विक आर्थिक स्थिति में विश्वास बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में विभिन्न देशों ने वित्तीय प्रोत्साहन कार्य आरंभ किये हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बैंकिंग उद्योग और वित्तीय संस्थानों को बेल-आउट पैकेज दिए हैं।

भारतीय परिदृश्य में, हम सकल घरेलू उत्पाद के विकास और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट का रुझान देख रहे हैं। भू-संपत्ति क्षेत्र, कपड़ा क्षेत्र और बैंकिंग तथा वित्त उद्योग में काफी मंदी आई है। अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपया भी महंगा हुआ है। वैश्विक मंदी के कारण हमारा निर्यात आय भी कम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने उद्योग के प्रमुखों से मुलाकात की और वित्त मंत्री से परामर्श के पश्चात्, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कम दरों पर ऋण सुविधा देने और रेपो रेट में कटौती करके अतिरिक्त नकदी बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की और बहुत से अनुसूचित बैंकों द्वारा इन दरों को लागू किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी की जरूरतों को पूरा करने में बैंकों को समर्थ बनाने के लिए 25,000 करोड़ रुपये भी दिये हैं। उसने कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर में भी एक प्रतिशत की कटौती की है।

इसके अलावा, विभिन्न बैंकों ने ऋण ब्याज दरों में भी कटौती की है। उदाहरण के लिए, एक लाख से पांच लाख रुपये और 5 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक के आवास ऋणों पर ब्याज में काफी कटौती की गई है। इससे भूसंपत्ति क्षेत्र में तेजी आएगी। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य की समीक्षा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विकल्पों की खोज करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी अध्यक्षता में एक पैनल भी गठित किया है।

यह अच्छी खबर है कि मुद्रास्फीति की दर घट रही है और स्थिति नियंत्रण में है। हाल ही में सं.प्र.ग. सरकार ने पेट्रोल और डीजल के मूल्य में भी 5 रुपये की कटौती की है। हमारे नेता डा. कलाईगनार ने पहले ही सरकार के इस कदम की सराहना की है और विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पेट्रोलियम मूल्यों में और कटौती करने की अपील भी की है। हम सरकार से मांग करते हैं कि पेट्रोलियम और एलपीजी के मूल्यों में कटौती की जाए ताकि आम आदमी आर्थिक संकट का सामना कर सके। तमिलनाडु राज्य में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, डा. कलाईगनार गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले समस्त परिवारों को एक एलपीजी चूल्हे के साथ एक एलपीजी सिलेंडर मुफ्त बांट रहे हैं।

इसी प्रकार, अरिगनार अन्ना जन्मशती समारोह के एक भाग के रूप में तमिलनाडु सरकार गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली जनता को एक रुपये प्रति किलो की दर पर चावल बांट रही है जिससे गरीब जनता को संकट की स्थिति से उबरने में मदद मिलेगी।

रोजगार के क्षेत्र में, वास्तव में यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कुछ उद्योग वैश्विक मंदी के नाम पर बहुत से कामगारों की सेवाएं समाप्त कर रहे हैं जिससे वे और उनके परिवार सड़क पर आ गए है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पूरी स्थिति की समीक्षा करे और उद्योगपतियों को कड़े मार्गनिर्देश दे कि वे अनुचित श्रम व्यवहार का सहारा न लें या कामगारों की सेवाएं समाप्त न करें। उद्योग को बड़े पैमाने पर ले-ऑफ जैसी 'बिना सोचे-समझे' की जाने वाली प्रतिक्रिया से बचना चाहिए जिसके कारण नकारात्मक प्रवृत्ति पैदा हो सकती है।

इस वैश्विक संकट के प्रभावों से निपटने में उद्योगों को अपने सामाजिक दायित्वों को ध्यान में रखना होगा। अत: मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह मजदूरों के पक्ष को भी ध्यान में रखे ताकि उनके हितों की भली-भांति सुरक्षा हो सके और उन्हें कुछ सामाजिक सुरक्षा दी जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के लिए सं.प्र.ग. सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई है। इसी प्रकार, अन्य कल्याणकारी परियोजनाओं जैसे इंदिरा आवास योजना और दूसरी रोजगार गारंटी योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाए। स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जाये और उसकी समीक्षा की जाए तथा आवश्यकता के अनुसार सुधारात्मक उपाय किये जाएं।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): सभापति महोदय, देश में आज जो वित्तीय हालात हैं, उनके कारण आम आदमी परेशान है। हर वर्ग का आदमी, चाहे फिर वह कोई हो, किसान, मजदूर और अलग-अलग उद्योगों में काम करने वाले इंडस्ट्रियल वर्कर्स परेशान हैं। बढ़ती हुई महंगाई के कारण हर घर की गृहिणी परेशान है, यानी उन्हें घर की किचन चलाने में बहुत कठिनाई हो रही है। देश में इन हालात के कारण समाज का कोई भी वर्ग कहीं भी संतुष्ट दिखाई नहीं देता है। हर जगह परेशानियां हैं। आज जब हम इस पर बहस कर रहे हैं तो मैं यहां पर हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि जो आज सारे विश्व में मंदी की लहर है और उसका प्रभाव हमारे देश पर भी होने जा रहा है या हो रहा है, इसके लिए उन्होंने एक पैकेज डिक्लेयर किया है और उस मंदी से राहत दिलाने का उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन हमारे देश में जब यह चर्चा शुरू हुई कि जो सारी दुनिया में आज मंदी की लहर है, उसका प्रभाव भारत पर भी होगा तो अब यहां पर पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम जी नहीं हैं, अभी थोड़े समय पहले वे थे, वे इस बात को स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं थे, इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे कि जो विश्व में मंदी की लहर है, उसका प्रभाव भारत पर होगा। इस बात को वे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। बार-बार वे कहते थे कि मंदी का कोई असर हमारे देश पर नहीं है और बार-बार वे यह बताते थे, यह कहते थे कि हमारी जी.डी.पी. रेट सात से आठ कैसे हो गई, 8 से 9 कैसे हो गई और यह कहने का प्रयास करते थे कि इसका कोई असर नहीं होगा, जबकि इस मंदी का असर पूरे देश पर है।

आज की जो हमारी हालत है, उस पर पूरी तरह बुरा असर है और जब यह पैकेज हमने प्रधानमंत्री जी से सुना तो इस बात के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं कि सरकार अब इस बात को स्वीकार तो करती है कि हमारे देश में मंदी है। आज हमारे देश की वित्तीय हालत बिगड़ी है। आज हमारे देश की वित्तीय हालत दिन-ब-दिन खराब होती जा रही है। इस बात को कम से कम

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

सरकार आज स्वीकार करने लगी है और हमें इस स्तर पर जो आज हमारे देश की वित्तीय हालत है, उससे लड़ना चाहिए, उससे जूझना चाहिए। आम आदमी का तो आज जीना मुश्किल हो गया है, उसको राहत दिलाने की आवश्यकता है।

मैंने एक बार इसी सदन में किसी विषय पर कहा था कि दुनिया के जो 10 अमीर हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर हैं, उनमें से चार भारतीय हैं। हमें इस बात का गर्व है कि दुनिया के 10 अमीरों में चार भारतीय हैं, लेकिन जब हम इस बात का गर्व करते हैं, तब इस वास्तविकता को भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि उसी देश में 70 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, उसी देश में भुखमरी से लोग मर रहे हैं, उसी देश में ट्राइबल वर्ग के बच्चे कुपोषण के कारण मर रहे हैं। उसी देश में ऐसे मजदूर हैं, जिनकी रोजाना आय 20 रुपये भी नहीं है। यह परिस्थिति, यह हालत हमारे देश की है और इसलिए पहले तो सरकार को इस बात को स्वीकार करना चाहिए और इसे स्वीकार करके यदि हमें मंदी से या इस वित्तीय हालत से लड़ना है तो सबसे पहले आवश्यक है कि जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें किस प्राथमिकता की ओर, किस विषय की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए या किस विषय को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें उनके एक स्टेटमेंट की याद आती है, जो अखबारों में आया था, जब महंगाई की चर्चा इस सदन में हुई थी, उसके बाद में जब मीडिया में उनसे पूछा गया था कि जो महंगाई है, उस पर हम काबू पा सकते हैं क्या। वैसे महंगाई एक ऐसा विषय है, जिस पर काफी चर्चा हो सकती है, तब पूर्व वित्त मंत्री का एक बयान हमने अखबारों में पड़ा था कि हम महंगाई पर काबू पा सकते हैं, लेकिन यदि हम महंगाई पर काबू पाने का प्रयास करते हैं तो हमारी जो औद्योगिक विकास की दर है, वह घटेगी, मतलब हमारी इण्डस्ट्रियल ग्रोथ घटेगी। हम इण्डस्ट्रियल ग्रोथ के खिलाफ नहीं हैं। हम कारपोरेट हाउसेज के खिलाफ नहीं हैं, हम उद्योग जगत के खिलाफ नहीं हैं। इस देश की जनता इस बात को स्वीकार करती है कि जब बड़े-बड़े उद्योग घराने हैं, उद्योग हैं, तो उद्योगों के माध्यम से कुछ न कुछ तो रोजगार है। आज जो भी रोजगार हैं, उन रोजगारों में उनकी अहम भूमिका है। इस बात को इस देश की जनता मानती है, स्वीकार करती है। इसको स्वीकार करते हुए, हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आज भी इस देश की 70 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में है, जो पूरी तरह खेती पर निर्भर है।

महोदय, आज किसानों की हालत क्या है? जो आत्महत्यायें हो रही हैं, उनमें विदर्भ को लेकर शिवसेना ने महाराष्ट्र में आंदोलन शुरू किया और धीरे-धीरे वह आंदोलन विदर्भ से लेकर पूरे देश में फैल गया। अंत में सरकार को इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि यदि किसानों की आत्महत्याएं रोकनी हैं, तो किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। पिछले बजट सत्र में वित्त मंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा की और पैकेज डिक्लेयर किया। 60 हजार करोड़ रुपये कर्जमाफी का पैकेज सरकार को डिक्लेयर करना पड़ा। इसके बावजूद क्या आज आत्महत्याएं रुकी हैं? आप आज भी विदर्भ में देखिए, आत्महत्याओं का सिलसिला अभी भी रुका नहीं है। आज, पूरे देश में रोजाना लगभग 46 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे देश में आज भी ऐसे किसान हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा कि सरकार को जब अपनी प्राथमिकता तय करनी है, तो इस बात को स्वीकार करना चाहिए, इस बात को नजर के सामने रखना चाहिए कि आज भी 70 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में है और वे खेती पर निर्भर हैं।

महोदय, हम बार-बार यहां आंकड़े देते हैं कि हमने इतने लाख किसान क्रेडिट कार्ड दिए। वित्त मंत्री बार-बार यह कहते हैं कि हमने इतना एग्रीकल्चर क्रेडिट बढ़ाया, हम उसको नकारते नहीं हैं। आप यह कहते हैं कि हमने 8 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, एक लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा एग्रीकल्चर क्रेडिट दिया; लेकिन एग्रीकल्चर क्रेडिट देने के बाद, कर्ज देने के बाद, क्या सचमुच उस किसान की हालत में सुधार हुआ है या कर्ज लेने के बाद उस किसान की हालत और खराब हुई है? इस बारे में भी कभी सोचना चाहिए। एक लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा हम किसानों को क्रेडिट दे रहे हैं, फिर भी हमारे देश के किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपये।

श्री अनंत गंगाराम गीते: मंत्री जी ने मुझे आंकड़ा दिया है कि 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपये का हमने किसानों को क्रेडिट दिया है। 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपये का कर्ज देने के बाद भी किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं। कुछ न कुछ तो हमारी नीतियों में कमियां हैं और हमारे जो अलग-अलग कार्यक्रम हैं, उनके क्रियान्वयन में कुछ न कुछ तो कमियां है, इसीलिए 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपये के एग्रीकल्चर क्रेडिट के बाद भी इस देश का किसान आज आत्महत्या कर रहा है।

महोदय, दुर्भाग्य से हमारा देश एक बहुत बड़ा कांटीनेंटल, मतलब खंड की तरह का देश है। हमारे हर राज्य की भौगोलिक रचना अलग है। एक राज्य में अलग-अलग जिलों की भौगोलिक रचना अलग है। दुर्भाग्य से हमें इस देश में ऐसा दिखायी देता है

कि एक ही राज्य में एक ओर सूखा है, तो दूसरी ओर बाढ़ है। हमारे यहां बिहार जैसा एक राज्य है, हर साल उसको बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात का कुछ हिस्सा है, जिनको हर साल सूखे का सामना करना पड़ रहा है। हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है, वह भी भिन्न है। दुर्भाग्य से मुझे यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि ऐसी हालत में हम जो पालिसी बनाते हैं, वह सारे देश के लिए एक होती है। पालिसी बनाते समय इस बात के बारे में हम सोचते नहीं हैं कि जिन किसानों के लिए हम पालिसी बना रहे हैं, वह यू.पी. का गंगा किनारे रहने वाला या फर्टाइल लैंड में खेती करने वाला किसान या पहाड़ों में रहने वाला किसान जिसके पास जमीन भी नहीं है या रेगिस्तान में रहने वाला किसान है, उन दो किसानों में कितना अंतर है? किसान, किसान है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। जब हम नीति बनाते हैं, तो इस संदर्भ में कुछ सोचते नहीं है। सारे देश के लिए हमारी एक ही नीति लागू है जबकि हमारी एकता इस प्रकार की नहीं है। जहां भी जाएं, जैसे सिंचाई का मामला है, आज उसकी हालत क्या है। हमारे देश की कितनी जमीन में सिंचाई होती है। यदि आप पूरे देश की जमीन देखें, तो दुर्भाग्य से दस प्रतिशत जमीन भी सिंचाई के नीचे नहीं है, वहां सिंचाई के साधन नहीं हैं। इसलिए यदि हमें इन सारी परिस्थितियों में सुधार लाना है और आम आदमी, जो गरीब से गरीब है, जैसे आज मजदूरों की हालत है। कल हमने अनआर्गनाइज्ड सैक्टर के वर्कर्स को सोशल सिक्युरिटी देने के बारे में यहां एक बिल पारित किया। आज मजदूरों की हालत क्या है? आज अन्तर्राष्ट्रीय मंदी का प्रभाव हमारे यहां हो रहा है। आज कितने उद्योग ऐसे हैं जो बंद होने जा रहे हैं। कई उद्योगों ने ले ऑफ शुरू किया है। कई उद्योगों ने सात दिन के बदले चार दिन का वीक बना दिया है, तीन दिन छुट्टी कई इंडस्ट्रीज इस प्रकार की हैं जो कहती हैं कि हम पहले आपको जितना वेतन दे रहे हैं, उतना वेतन अब नहीं दे पाएंगे, बीस प्रतिशत कम देंगे। यदि आपको नौकरी करनी है तो बीस प्रतिशत कम वेतन पर करनी होगी, नहीं तो हम ताला लगा देंगे। सरकार को इस तरफ भी गंभीरता से देखने की आवश्यकता है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय मंदी का असर हमारे देश पर हुआ है तो हमें मंदी से जूझना तो है लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उसका नाजायज फायदा भी किसी उद्योग, जगत को यह कहकर नहीं उठाना चाहिए कि मंदी है, इसीलिए हमने कामगारों को निकाल दिया, कामगारों को कम कर दिया, कारखाने को बंद कर दिया। आज इस प्रकार की कई इंडस्ट्रीज हैं जो इसका नाजायज फायदा उठा रही हैं। इससे दिन-ब-दिन बेरोजगारी की संभावना बढ़ती जा रही है। आज रोजगार कम होते जा रहे हैं। हमारे देश की जो हालत है, उसे देखते हुए आज हम सदन में चर्चा कर रहे हैं। लेकिन चर्चा के बाद इसके परिणाम क्या होंगे? क्या इस पर सरकार कोई निर्णय करने वाली है? क्या सरकार अपनी नीति में कुछ सुधार करने वाली है या बदलाव लाने वाली है? आज आम आदमी को किस प्रकार राहत मिलेगी? महंगाई को रोकने के लिए हम क्या प्रयास करने जा रहे हैं? आम आदमी को कम से कम दो वक्त की रोटी मिले, उसकी सुविधा के लिए हम क्या करने जा रहे हैं? जिन योजनाओं का जिक्र यहां बार-बार किया जाता है, करोड़ों रुपये के आंकड़े दिये जाते हैं कि हमने यहां इतना रोजगार उपलब्ध करवाया है। ...*(व्यवधान)*

अभी मोहन सिंह जी यहां बोल रहे थे। उन्होंने नरेगा का जिक्र किया। रोजगार की ऐसी कई योजनाएं हैं। क्या आज सचमुच उनसे रोजगार मिल रहा है? करोड़ों रुपये लूटे जा रहे हैं, लेकिन मजदूर की स्थिति में, मजदूर की हालत में कोई सुधार नहीं है। मैं नरेगा का एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमने इम्प्लॉयमैंट गारंटी एक्ट बनाया। उसके तहत हमारी स्कीम चल रही है। आपने उसमें 60:40 का रेशियो लगा दिया है-60 प्रतिशत लेबर कम्पोनैंट है, 40 प्रतिशत मेटीरियल कम्पोनैंट है। लेबर कम्पोनैंट, मेटीरियल कम्पोनैंट तब यूटीलाइज होगा जब हम कोई काम करेंगे, मतलब कोई डेवलपमैंट करेंगे। इसके लिए हमने कुछ प्रॉयरिटीज तय की हैं। भारत सरकार ने भी की हैं और अलग-अलग राज्यों ने भी की हैं। लेकिन आज महाराष्ट्र जाकर उसकी हालत देखिए। हमने पानी को प्रॉयरिटी दी है। हमें वाटर कन्जर्वेशन को प्रॉयरिटी देनी चाहिए, हम इसके विरोध में नहीं हैं, लेकिन हर जिले में वाटर कन्जर्वेशन संभव नहीं है। जैसे मेरा क्षेत्र पहाड़ी है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश में सबसे अधिक वर्षा कोंकण रीजन में होती है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि सबसे पहला टैंकर भी कोंकण में लगता है, पीने के पानी के लिए सबसे पहले कोंकण में टैंकर की मांग होती है, क्योंकि हमारे वहां की भौगोलिक रचना ऐसी है। वहां जितना भी पानी बरसता है, वह एक घंटे में समुद्र में जाकर मिलता है। आप इरीगेशन या वाटर कन्जर्वेशन के जो भी छोटे-छोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे गांव में छोटा तालाब बना दिया, बांध लगा दिया, यह सब हमारे यहां काम नहीं करता, बिल्कुल काम नहीं करता। हमारा सारा धन बेकार जाता है। आप बांध बना दीजिए, चाहे वह मिट्टी का बनाइये या कंक्रीट का बनाइये, लेकिन जब बारिश होगी, पानी रुकेगा, तो फिर आप एक महीने बाद जाकर देखिये कि वह बांध पूरा सूखा होगा। मंत्री जी, अगर आप बोलना चाहें, तो बोल सकती हैं। मैं बैठ जाता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील: गीते जी, धन्यवाद। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहती हूं कि आरडी में ...*(व्यवधान)*

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

श्री अनंत गंगाराम गीते: मंत्री जी, अगर आप मेरा पूरा भाषण सुनकर बोलेंगी, तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि आप कन्सर्न मिनिस्टर हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील: मैं एक बात का क्लेरीफिकेशन देना चाहती हूं, क्योंकि आप भी महाराष्ट्र के हैं और मैं भी महाराष्ट्र की हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि कोंकण की जिस तरह की दिक्कत है, हमने वहां की ग्राम सभा को पूरा अधिकार दिया है कि वह वहां किसी भी तरह के काम ले सकती है। राज्य सरकारों को भी हमने इसका पूरा अधिकार दिया है कि अगर वे हमारे चयन से कुछ विभिन्न काम करना चाहती हैं, तो उनको वह करने में पूरा अधिकार है। माननीय सदस्य काफी सीनियर हैं। वह ग्राम सभा के माध्यम से अपने इलाके के अनुसार कुछ भी मांग रख सकते हैं। धन्यवाद।

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापति महोदय, मंत्री महोदया ने अभी जो कहा, उससे मैं सहमत हूं। मंत्री जी, मैं आपके ऊपर कुछ आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन राज्य सरकार इस बात को स्वीकार नहीं करती है। आपने यह नहीं कहा है। आपने तो प्रॉयरिटीज दी हैं और राज्यों को भी प्रॉयरिटीज हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि एक ही ढंग का काम करना चाहिए। जैसे हमारे यहां आप वाटर कन्जर्वेशन के प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं कि आप सड़कें बनाओ, भवन निर्माण कराओ, स्कूल के भवन बनाओ, कम्युनिटी टायलेट बनाओ। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है, अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैं अपना भाषण खत्म कर रहा हूं। मैं इस बात को इसलिए यहां कह रहा हूं, क्योंकि हम जो नीतियां तय करते हैं, कार्यक्रम चलाते हैं, उनके इम्प्लीमैंटेशन में जो बाधाएं आती हैं, उन्हें हम समझ नहीं पाते हैं और सारे देश के लिए हम एक ही प्रोग्राम बना देते हैं। आज हमारे यहां ऐसी हालत है कि पिछले पूरे साल में, जब से आपने योजना लागू की है, मेरे जिले में एक रुपया भी खर्च नहीं हो पाया है। यह मैं आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जब हम लोग योजना बनाते हैं और उसमें करोड़ों रुपये खर्च करने वाले हैं, तो जब हम सड़क, भवन निर्माण करने जायेंगे, तो इस योजना में केवल लेबर और मैटीरियल है, मशीनरी का कोई कम्पोनेंट नहीं है। मतलब सड़क बनानी है, पहाड़ और पत्थर लगा है, तो हम सुरंग नहीं लगा सकते। यदि सड़क बनी है, तो उसके ऊपर हम रोलर नहीं चला सकते। यदि हमने कुआं खोदना है और पत्थर लगा है, तो हम सुरंग नहीं लगा सकते। ...*(व्यवधान)* मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इसलिए सरकार को यदि वास्तविकता में, जो आज की वित्तीय हालत है, गरीबों की हालत है, जमीनी स्थिति है, धरती पर आम आदमी की जो स्थिति है, यदि उसमें सुधार करना है, तो इन सारी बातों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप आम आदमी की माली हालत में सुधार करने के बारे में कोई नीति बनायेंगे, तो आप इस प्रकार के वित्तीय हालात का सामना कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं यहां पर देश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा से संबंधित मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हाल ही में, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस वर्ष नवम्बर में एक अपटेड जारी किया है जिसमें कहा गया है कि विश्व विकास दर वर्ष 2007 में 5 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2008 में 3-3/4 प्रतिशत तथा वर्ष 2009 में 2 प्रतिशत से कुछ अधिक होने का अनुमान है। अब वर्ष 2009 में विकसित अर्थव्यवस्थाओं के क्रियाकलापों के वार्षिक आधार पर एक चौथाई प्रतिशत तक संकुचित होने का अनुमान है जो कि अक्तूबर, 2008 से तीन चौथाई प्रतिशत प्वाइंट तक कम है। ये आंकड़े वर्ड इकोनोमिक आउटलुक के अनुमान से हैं। यह युद्धोपरान्त अवधि के दौरान पहला वार्षिक संकुचन होगा। वर्ष 2009 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में उदीयमान और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कुछ अधिक कमी होने का अनुमान है।

हमें यह बात विदित है कि इस कमी में क्षेत्रवार काफी अन्तर होता है। जींस मूल्य अनुमानों के तेजी से कम होने और बाह्य वित्तीय और नकदी की गम्भीर समस्याओं से जुझने वाले देशों को देखते हुए इससे सबसे अधिक प्रभावित जींस निर्यातक होंगे। हमें बताया जा रहा है कि चीन सहित पूर्वी एशिया में सामान्यत: कम असर हुआ क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति विशेषरूप से सुदृढ़ थी। उन्हें जींस मूल्यों में गिरावट से व्यापार सुधार से लाभ लिया और उन्होंने मैक्रो आर्थिक नीति सुधार के लिए पहले ही पहल कर ली है। मैं सरकार से पूछता हूं कि वह क्या कर रही है?

हाल ही में मुद्रास्फीति की दर कम होने के कारण प्रमुख केन्द्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरों में कमी करने का रास्ता साफ हो गया है। नीतिगत ब्याज दरों में नवीनतम कटौती को देखते हुए, वर्ष 2009 में ब्याज दरों के अमरीका और यूरोप में लगभग 1 प्रतिशत प्वाइंट कम होने तथा जापान में आधा प्रतिशत प्वाइंट कम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। यह बाजार अनुमानों के अनुसार है। अन्य विकसित देशों ने भी दरों में कटौती की है। उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में, यह दृश्य मिश्रित है। कुछ केन्द्रीय बैंकों ने पूंजी बहिर्गमन को रोकने के लिए दर बढ़ाई है और अन्यों ने आर्थिक क्रियाकलापों का समर्थन करने के लिए दरें कम की हैं।

तथापि, ये सभी उपाय सीमित हैं तथा राजकोषीय स्टीमूलस का निर्माण नहीं करते हैं। अत:, ऐसे मैक्रो आर्थिक नीति प्रोत्साहकों की स्पष्ट रूप से आवश्यकता है जो विकास का अनुसमर्थन करते हों तथा वित्तीय क्षेत्र की बहाली की बात करते हों। मौद्रिक नीतियों को सरल बनाने के तरीकों को खोजा जाना चाहिए। यह बात बार-बार कही गई है खासकर तब जब मुद्रास्फीति काफी कम हो गई है। लेकिन मेरा मत है कि मौद्रिक नीति को सरल बनाया जाना काफी नहीं होगा क्योंकि मौद्रिक सरलीकरण कठिन वित्तीय हालातों में कम प्रभावी होगा। कुछ मामलों में भी इसको सरल बनाये जाने की गुंजाइश सीमित है। राजकोषीय प्रोत्साहक तभी प्रभावी हो सकते हैं। जब इनका लक्ष्य ठीक हो, इन्हें समायोजन्य मौद्रिक नीति द्वारा समर्थन प्राप्त हो और उन देशों में लागू किया जाए जहां राजकोषीय गुंजाइश हो। क्या हमें यह विशेषाधिकार प्राप्त है?

विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में विश्व अर्थव्यवस्था की बहुत शोचनीय तस्वीर प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्तमान वित्तीय संकट को '1930 के बाद की सबसे अधिक गम्भीर मंदी'' कहा गया है, जिन दो देशों के बारे में विश्वास किया गया है कि वे वैश्विक थे वाहक होंगे, वे देश हैं चीन और भारत। कहा जाता है कि चीन की वृद्धि निर्यात आधारित है और यह भारत से अधिक मंदी की पीड़ा महसूस करेगा। भारत में घरेलू खपत वृद्धि को बढ़ाता है लेकिन भारत की वित्तीय स्थिति चीन की वित्तीय स्थिति की तरह मजबूत नहीं है जिससे कि संकट से बाहर निकला जा सके। चीन के 581 बिलियन अमरीकी डालर के प्रोत्साहक पैकेज की तुलना में भारत का हाल का एक बिलियन डालर पैकेज अत्यधिक कम प्रतीत होता है।

अब, चूंकि मुद्रास्फीति कम होगी, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बहुत धीमी गति से मौद्रिक नीति को लचीला बनाना शुरू किया है। सरकार के पास मंदी का मुकाबला करने के लिए बहुत विकल्प नहीं है। इसके पास अवसंरचना पर व्यय करने के लिए धन नहीं है। हमने विश्व बैंक से अधिक सहायता के बारे में किये गये अनुरोध के बारे में नहीं सुना है जिसे मैं मानता हूं कि नहीं माना जाएगा क्योंकि अन्य देशों को इसकी अधिक जरूरत है।

तो सरकार क्या करे? मेरा सुझाव यह है कि यह तेल की कीमतों, करों तथा ब्याज दरों में अत्यधिक कटौती करे। मुझे मालूम है कि भारत में पहले से ही बहुत ज्यादा वित्तीय घाटा है जो कि विश्व में सबसे ज्यादा है। यदि सही तरह से गणना न की जाये तथा असावधानी बरती जाये तो भविष्य में आर्थिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है।

मैं इस सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह कम से कम करावकाश संबंधी निर्णय ले तथा सरकारी खर्च उचित तथा पारदर्शी तरीके से किया जाये। माननीय प्रधानमंत्री यह अवश्य जानते होंगे कि राजकोषीय प्रोत्साहन रूपी मधुकलश पर मधुमक्खियां मंडरा रही हैं। प्रत्येक उद्योग संबंधी लाबी अपने सदस्यों हेतु बेलआउट पैकेज के लिए सरकार से कह रही है।

माननीय प्रधानमंत्री को करदाताओं को यह स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि इसे एक प्रकार का उद्योग अथवा कार्यकलाप सहायता का पात्र क्यों माना जाता है। बैंक इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इनके ठप हो जाने से प्राय: बाकी की अर्थव्यवस्था में आतंक-सा छा जाता है। हमारे यहां ऐसे भी उद्योग हैं जहां तथाकथित 'मल्टीप्लायर' ज्यादा हैं। इन क्षेत्रों में निर्माण का क्षेत्र इसका एक उदाहरण है जिसमें मल्टीप्लायर का प्रभाव ज्यादा है। और फिर ऐसे भी उद्योग हैं जो लाखों लोगों को रोजगार दिये हुये हैं उदाहरण के तौर पर वस्त्र उद्योग। रीयल इस्टेट तथा एअरलाइन जैसे क्षेत्रों में साधनसम्पन्न कंपनियां अपनी अनुचित समृद्धि के कारण मुसीबत में हैं। उनकी इन मुसीबतों का इस अचानक हुई मंदी से कोई लेना देना नहीं है। मैं यह कहूंगा कि यदि आप इस पर जोर दे रहे हैं तो आप वित्तीय प्रोत्साहन पर जोर दें। परन्तु यह सुनिश्चित कर लें कि समर्थ कम्पनियों/उद्योगों के हाथों उनके हितों का हनन न हो।

जैसाकि ऋण संबंधी जोखिमों से वैश्विक संकट गहराता जा रहा है इसलिए बैंकों के पास और अधिक पूंजी होनी चाहिए। देश में बैंकिंग की इस प्रवृत्ति तथा प्रगति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के वार्षिक प्रकाशन में इसे दोहराया गया है। यहां तेजी से ऋण संबंधी वृद्धि हुई है तथा गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में कुछ खामियां रही हैं। क्या यह सत्य नहीं है कि विगत कुछ वर्षों में बढ़ती हुई ब्याज दरों से गैर-निष्पादनकारी आस्तियां बढ़ी हैं? क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि वित्तीय वर्ष 2008

[श्री भर्तृहरि महताब]

में वाणिज्यिक बैंकों की कुल गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में 6,136 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जो कि वित्तीय वर्ष 2002 से इस प्रकार का प्रथम उदाहरण है।

मैं दिनांक 8 नवम्बर, 2008 को 'द हिन्दू' में प्रकाशित लेख में डा. रंगाराजन की बात का उद्धरण दे रहा हूं:

"संसद द्वारा हाल ही में अनुमोदित अनुपूरक अनुदानों से यह लगभग स्पष्ट है कि चालू वर्ष में केन्द्र का वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4% होगा जोकि कम से कम वित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन लक्ष्य से एक प्रतिशत अधिक है।"

जो कि 1% ज्यादा है।

मैं पुन: अर्जुन के. सेनगुप्ता की बात को उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने दिनांक 24 अक्तूबर, 2008 को 'द हिन्दू' में भी लिखा है। मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं:

"इसमें कोई शंका नहीं है कि हमारे बैंक कुछ समय से मुद्रास्फीति को व्यवस्थित करने हेतु नकदी निकासी संबंधी हमारी पूर्व नीति के कारण नकदी संबंधी संकट का सामना कर रहे हैं परन्तु जब तक उधार लेने वालों को अपना निवेश बढ़ाने हेतु रुपये लगाने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिरता में विश्वास नहीं होगा तथा बैंकों को यह विश्वास नहीं होगा कि ये उधार लेने वाले उस धन को वापिस कर पायेंगे तब तक इस प्रणाली में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुपये को डालने से बैंक ऋणों में अनिवार्य रूप से वृद्धि नहीं होगी।"

नि:संदेह, मुझे तथा कई अन्य व्यक्तियों को इस सभा में यह जानकारी है कि दो अर्थशास्त्री एक जैसी स्थिति पर सहमत नहीं होते हैं तथा उपाय ढूंढ़ने के लिए एक ही निर्णय पर आ जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे सुझाव हैं परन्तु मैं वही कहूंगा जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इस वर्ष अक्तूबर के आखिरी सप्ताह में टोक्यो में कहा था। मैं उद्धृत कर रहा हूं:

"विश्व आज कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऊर्जा तथा खाद्य कीमतों में तेजी से वृद्धि के परिणामस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका है तथा जिससे अनेक विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था विकास में बाधा पहुंचेगी।"

आप समस्या को पहचानिये। परन्तु कौन से कदम उठाये गये हैं? उन्होंने इसे अक्तूबर के आखिरी सप्ताह में कहा है। नवम्बर के प्रथम सप्ताह में हमने 'इकोनोमिक्स टाइम्स' में पढ़ा था: शीर्षक में यह कहा गया है: "भारत सहित नौकरियों में कटौती शुरू संकट गहराया" उसी तरह इकोनोमिक्स टाइम्स' में यह कहा गया है: "वस्त्र उद्योग में 6 माह में 7 लाख नौकरियों में कटौती। यह संख्या चौंका देने वाली है तथा इसे किसी भी क्षेत्र ने अब तक नहीं देखा है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात तथा उत्तर भारत में 2-3 माह में पांच लाख लोगों की नौकरियां छूटने की संभावना है।" दिनांक 24 अक्तूबर को पुन: यह बात समाचारपत्र में आई है।

अपराह्न 4.41 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि वे सारे मौद्रिक उपाय जिनसे ऋण संबंधी संकट से निपटने की आशा थी, सारे के सारे टांय-टांय फिस हो गये। क्योंकि इसमें चालू आर्थिक स्थिति संबंधी नकदी से निपटने की आवश्यकता को स्वीकार नहीं किया गया था। यह घोषित 20,000 करोड़ रुपये का पैकेज जीडीपी के 0.5% से भी कम है तथा यह बहुत ही छोटा राजकोषीय आदान है जो वास्तव में इतना कम है कि यह काउंटर-साइक्लिकल नहीं हो सकता।

घरेलू शुल्कों पर कर कटौती उपाय; मूल्यानुसार सेनवैट दर को 4% तक कम किया जाना है। यदि उत्पादक कीमतों के कम किये जाने के संबंध में बोलेंगे तो इसका प्रभाव पड़ेगा। आप किस प्रकार से उसे सुनिश्चित कर सकते हैं? अथवा क्या इसका भी वही हश्र होगा अर्थात् और ज्यादा आर्थिक कार्यकलापों का सृजन किये बिना सरकारी राजस्व का कम होना।

कुछ प्रस्तावित उपाय काफी नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर लौह-अयस्क पर निर्यात शुल्क को खत्म करना तथा लौह-अयस्क पर निर्यात कर में कमी करना। किन व्यक्तियों को ये प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं? हम इस्पात में इसके घरेलू प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करने की बजाय निर्यात को प्रोत्साहित क्यों कर रहे हैं? राज्य सरकारों ने पहले ही संसाधन संबंधी बाधाओं (संकटों) को महसूस करना शुरू कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय: महताब जी, आपने आपको आबंटित 5 मिनट के स्थान पर लगभग 15 मिनट ले लिए हैं। कृपया अपनी बात दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब: हां, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। राज्य सरकारों ने पहले ही संसाधनों की कमी को महसूस करना शुरू कर दिया है चूंकि उनके कर राजस्व आर्थिक मंदी से प्रभावित हो

रहे हैं। राज्य अधिकांश जन सेवाओं हेतु जिम्मेदार है जो प्रत्यक्ष रूप से लोगों; कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा तथा इसी तरह की चीजों को प्रभावित करते हैं। लेकिन अभी तक राज्य सरकारों के वित्तीय संकट को खत्म करने हेतु कुछ भी प्रस्तावित नहीं किया गया है। केन्द्र राज्यों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए कुछ उपायों की आसानी से घोषणा कर सकता था। इस प्रकार के उपायों में घटती हुई ब्याज दरें, और अधिक केन्द्रीय निधियां प्रदान करना तथा इसी प्रकार की अन्य बातों को शामिल किया जा सकता था। आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार में प्रत्येक व्यक्ति खाद्य संकट के बारे में भूल गया है। खाद्य संकट को पूरी तरह से भुला दिया गया है। खाद्य असुरक्षा हर जगह बनी हुई है। मैं यह कहूंगा कि जन सेवाओं का विस्तार करके और ज्यादा धन का आवंटन करने का यही समय है।

जो कुछ भी सरकार ने किया है वह इस आर्थिक स्थिति, जिसकी निकट भविष्य में और अधिक खराब होने की संभावना है, से निपटने हेतु अनमने ढंग से तथा आवश्यक रूप से आश्वस्त न करने वाला प्रयास है।

जैसाकि पहले कहा गया है इस सरकार को अपनी 'कुंभकरण निद्रा' से जागना चाहिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, कल हमने आपराधिक आतंकवाद पर चर्चा की थी और सरकार आतंकवाद से निबटने के लिए अत्यधिक असाधारण शक्तियां हासिल करना चाहती थी, और संसद ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। आज हम सामाजिक आतंकवाद की चर्चा कर रहे हैं: सामाजिक आतंकवाद के कारण हानि होती है; सामाजिक आतंकवाद से जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आती है; सामाजिक आतंकवाद मूल रूप से हर किस्म की मानवीय समस्याओं को बढ़ाता है।

हम यहां यह जानने के लिए हैं कि सरकार संसद को क्या बताना चाहती है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसलिए, आपके कहने से पहले ही मैंने इस चर्चा की शुरुआत की है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, आपके सहयोग से, संसद को सरकार से यह पूछने और जानने का अधिकार है कि सरकार क्या करना चाहती है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम वही कर रहे हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, निस्संदेह अर्थव्यवस्था संकट में हैं। अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई है। इसमें अघोषित मंदी आ गई है। मैं शब्दावली और शब्दाडंबर का सहारा नहीं ले रहा हूं। सांख्यिकी क्या है? औद्योगिक उत्पादन में गत वर्ष की इसी अवधि के 14 प्रतिशत केवल दो प्रतिशत की गिरावट आई है। उत्पाद शुल्क के संग्रहण के अनुमानित आंकड़े में 12 प्रतिशत की गिरावट आई है। सकल घरेलू उत्पाद में केवल दो या 2.5 प्रतिशत की कमी आई है; जो पहले 9.5 प्रतिशत थी, तो आज यह लगभग सात प्रतिशत है।

महोदय, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का कहना है कि सकल घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत की कमी के कारण चार करोड़ लोग प्रभावित होंगे। इसका अर्थ है कि यदि सकल घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत की कमी होती है तो चार करोड़ लोग और गरीब हो जाएंगे। इसका तात्पर्य है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद की हानि से लगभग आठ करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं और इस बात को सरकार ने भी स्वीकार किया है।

महोदय, वास्तविकता यह है कि अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय वैश्विक बाजार में बहुत गहरा संबंध है। इसलिए, आप पर भी इस मंदी का प्रभाव पड़ा है। आप केवल आतंकवादियों के बम धमाकों का ही नहीं बल्कि अमेरिकी मंदी के प्रभाव का भी सामना कर रहे हैं। महोदय, सरकार अपनी स्वयं की सफलता के प्रभाव के बारे में इतनी व्याकुल थी कि उसने पूर्ण परिवर्तनीयता की बात करनी शुरू कर दी थी। हमने इसका विरोध किया था। उस समय हम इस सरकार के समर्थक थे और हमने इसका पूर्ण विरोध किया था और आज कौन कहता है कि पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं है।

महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र से धन जुटाकर और घरेलू बचतों से मिली घरेलू निधियों के माध्यम से भी स्टॉक बाजार को काफी समर्थन दिया गया है। जहां तक स्टॉक मार्केट का संबंध है सरकार द्वारा अब तक दिये गये समर्थन के कारण बाजार में बहुत तीव्र परिवर्तनशीलता है। वस्तुत: हमने एक अनुमान आधारित अर्थव्यवस्था बनाई है। यहां तक कि खाद्यान्न व्यापार में भी अनुमान लगाने की अनुमति है। महोदय, उदारवाद को बिना किसी रक्षोपाय के काफी आगे तक बढ़ाया गया है, और हम इसी की कीमत चुका रहे हैं। अमेरिका में जो हुआ अब उसका तीव्र प्रभाव हम पर पड़ रहा है। निजीकरण समय की मांग है। परंतु मैं जानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री या भूतपूर्व वित्त मंत्री कभी भी इसके लिए 'हां' नहीं कहेंगे ...*(व्यवधान)* मैं भूतपूर्व वित्त मंत्री कह रहा हूं ...*(व्यवधान)* मैं जानता हूं। मुझे इसका थोड़ा ज्ञान है। परन्तु वास्तविकता तो यह है कि वे कभी भी हमें इसका श्रेय नहीं देंगे और ऐसा वामपंथ के कारण है कि उदारवाद को आगे बढ़ने से रोका गया और उस समय हम उनके समर्थक थे ...*(व्यवधान)*

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

अध्यक्ष महोदय: श्री त्रिपाठी इससे सहमत नहीं हैं। श्री त्रिपाठी, क्या आप सहमत हैं?

श्री गुरुदास दासगुप्त: मुझे विश्वास है कि कोई भी सहमत नहीं होगा परन्तु मुझे सच्चाई बताने दें क्योंकि इतिहास की अपनी स्वयं की स्वीकृति होती है।

यदि अमेरिकी मंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर और अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है, तो इसका कारण काफी मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र का होना है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए किसने संघर्ष किया? विनिवेश का विरोध किसने किया? बैंकिंग उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? निस्संदेह इसका श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी को जाता है, परंतु इसकी मांग किसने की थी? महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र को भिन्न-भिन्न तरीकों से किनारे करने की मांग की गई थी।

निस्संदेह कृषि की सीधे पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है। घरेलू बाजार को प्रोत्साहन देने की बजाय, निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया था, निर्यात का समर्थन किया गया और निर्यात को उदारीकृत किया गया था। अब हमें इसकी चुभन महसूस हो रही है क्योंकि बाहरी मांग में गिरावट आ गई है और इसलिए, हमें संकट का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कारपोरेट को वास्तव में भारी भरकम समर्थन दिया गया है और जनता को कंगाल बना दिया गया। इसके लिए वही आर्थिक नीति जिम्मेदार है जिसका वे अनुपालन कर रहे हैं। इससे असंतुलित आर्थिक विकास हुआ है। चंद लोगों के पास अकूत समृद्धि है; और बहुत सारे लोगों के पास वास्तव में बहुत कमी है। इस गरीब देश में, यह समृद्धि द्वीप के समान है।

महोदय, राजनैतिक लोकतंत्र से आर्थिक लोकतंत्र नहीं बना। मताधिकार से जीने का अधिकार नहीं मिला है। राजनैतिक प्रणाली ने कोई लाभ नहीं दिया। जनता अपना फैसला देगी। राजनैतिक प्रणाली से कोई लाभ नहीं मिला; आर्थिक प्रणाली विफल हो गई है। हमें स्वयं को अमेरिकी मंदी के पीछे नहीं छुपाना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से ही नाजुक स्थिति में थी। इसलिए, हमें यह कहकर कि "यह सब अंतरराष्ट्रीय विकास के कारण हो रहा है" स्वयं को अमेरिकी मंदी के पीछे नहीं छुपाना चाहिए। नहीं। अमेरिकी मंदी से पहले, इसका प्रभाव पड़ा है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा गठित किये गये आयोग द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह प्रकाशित किया गया था कि 77 प्रतिशत से अधिक की आबादी के पास दैनिक आधार पर 20 रुपये से भी कम की क्रय शक्ति है। कितनी खराब बात है? एक अन्य अध्ययन में कहा गया है जोकि एकमात्र अध्ययन नहीं है-इसमें कहा गया है कि इस देश में 86 प्रतिशत जनता गरीब है।

सरकार के हमारे नेता विश्व बैंक के प्रशंसक हैं। उन्हें होना भी चाहिए, क्योंकि उनका स्वयं का आदर्श है। भारत में गरीबी के संबंध में विश्व बैंक की क्या रिपोर्ट है? भारत में गरीबी के संबंध में एशियन बैंक की क्या रिपोर्ट है? सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत में रहते हैं। यह कितनी शर्म की बात है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने प्रथम चेतावनी के रूप में घंटी बजाई है।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त: यह उदारीकरण की वास्तविकता है, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: आप एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था चाहते हैं और मैं इसे नियंत्रित कर रहा हूं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मैंने कभी भी नियंत्रित अर्थव्यवस्था नहीं चाही; मैं एक सधी हुई अर्थव्यवस्था चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। मैं इसे यहां मार्गनिर्देशित कर रहा हूं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, कृपया मुझे भ्रमित न करें; कृपया मुझे उचित मार्गनिर्देश दें।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा प्रथम चेतावनी के बाद दो मिनट का समय होता है, परंतु मैं आपको चार मिनट का समय दूंगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मुझे थोड़ा और समय दें।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। कृपया जारी रखें।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, तथ्य यह है कि वे विश्व बैंक के प्रशंसक हैं। विश्व बैंक क्या कहता है? एशियाई विकास बैंक के संबंध में उनका अपना आकलन है। उसका क्या कहना है? इसलिए, मैं आपको बताता हूं कि वे अमेरिकी मंदी के पीछे नहीं छिप सकते; अमेरिका में कुछ घटित होने के कारण वे अपनी विफलता को नहीं छिपा सकते।

महोदय, सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये की पुनरुद्धार पैकेज योजना की घोषणा की है। इसका क्या अर्थ है? यह सरकार के

एक वर्ष के अनुमानित व्यय के चार प्रतिशत से भी कम है। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से यह एक प्रतिशत से भी कम अर्थात् यह 0.5 प्रतिशत है।

महोदय, हमारी सरकार अमरीका की बात करती है और हमारे प्रधानमंत्री उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध रखेंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने क्या कहा है? उन्होंने अमेरिका के लिए विशाल राजकोषीय पैकेज का वादा किया है। एक स्थिति से अब दूसरी ओर चलते हैं। चीन ने क्या घोषणा की है? चीन ने अपने सार्वजनिक व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा की है और भारत ने क्या घोषणा की? भारत ने केवल नाममात्र 20,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है:

महोदय, डा. मनमोहन सिंह स्वयं अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने जॉन मैनार्ड केन्स को समूह-7 के सम्मेलन में भाग लेते समय याद किया था। लेकिन ऐसा लगता है कि वे दिल्ली पहुंचते ही जॉन मैनार्ड केन्स को भूल गए हैं क्योंकि जॉन मैनार्ड ने कहा था, घाटा होने पर भी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए सार्वजनिक खर्च में भारी वृद्धि की जानी चाहिए। वह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप केन्स के जमाने की ओर वापिस मुड़ना चाहते हो।

श्री गुरुदास दासगुप्त: नहीं, महोदय। आज केन्स एक तरह का संकेत देते हैं कि देश को किस दिशा में चलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने केन्स का उल्लेख किया। मैं तो उनकी बात को ही दोहरा रहा हूं। मैं पीछे की ओर नहीं जाना चाहता। हमें आगे ही की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन भविष्य का यह अर्थ नहीं है कि हम अतीत को भूल जाएं क्योंकि बिना अतीत के भविष्य का आगमन नहीं होता है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आप जारी रखिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त: इसलिए, मुद्दा यह है कि सरकार की मुहिम नगण्य है। सरकार की जवाबी कार्यवाही नगण्य है।

महोदय, भारत की खनिज सम्पदा का निर्यात करने के लिए लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क घटाया जाएगा। आप आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ कर जाएंगे? हमें धन कमाने के लिए अपनी सारी खनिज सम्पदा का निर्यात करना पड़े तो करना चाहिए क्योंकि हम धन का सृजन नहीं कर सकते। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ना चाहिए? मेरे मित्र ने सही कहा है। हम लौह अयस्क क्यों बेचें? हम स्वयं इस्पात क्यों नहीं बना सकते, रोजगार सृजन क्यों नहीं कर सकते और बढ़ती हुई मांग को पूरा करने को सुनिश्चित क्यों नहीं कर सकते?

ब्याज दर में कटौती की गई है। इसका क्या अर्थ है? इसका कारण यह है कि बैंक गरीब लोगों को ऋण नहीं देते। वे केवल साखशुदा, समृद्ध अथवा तुलनात्मक रूप से बेहतर आर्थिक स्थिति वाले लोगों को ऋण देते हैं। इसलिए इससे हमारे देश में घरेलू मांग को प्रोत्साहन नहीं मिलता है और देश में घरेलू मांग को प्रोत्साहित किये बिना एन्टी साइक्लीकल उपायों को सफल नहीं बनाया जा सकता। बिना घरेलू बाजार को प्रोत्साहन दिए इस मन्दी को रोका नहीं जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: अब आप को समाप्त करना होता।

श्री गुरुदास दासगुप्त: अत: ऐसा लगता है कि सरकार के कुछ कदमों का उद्देश्य स्टॉक मार्किट को ही बढ़ावा देना है न कि वास्तविक अर्थव्यवस्था को। उन्होंने तरलता के रूप में 2.5 लाख करोड़ रुपये झोंक दिए हैं। वह धन कहां गया और इससे किस को सहायता मिली है? वास्तविक अर्थव्यवस्था को इससे कोई सहायता नहीं मिली है। यदि इससे कोई सहायता मिलती है तो भी इससे सट्टा आधारित अर्थव्यवस्था को सहायता मिलती है। इससे बाजार में अत्यधिक उतार चढ़ाव आता है जिसका श्रेय सरकार को अधिक जाता है जो विश्व को बताती है कि भारत के बाजार में उछाल आ रहा है, आप अपना धन भारत भेजिए और यहां निवेश कीजिए। निवेश के लिए भारत सर्वोत्तम स्थान है। यह तो भूखमरी, तंगहाली और व्यवस्था में से खून चूसने की कीमत पर गलत संकेत देने जैसी बात हुई। वे धन भेज रहे हैं। वे स्टॉक मार्केट में धन लगा रहे हैं।

महोदय, पहले ही 10 लाख कामगार नौकरी से हाथ धो चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय: हां, अब आप कृपा करके समाप्त कीजिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त: उन लोगों, जिनकी नौकरी छूट गई है, के विषय में चिन्ता कहां है? वस्त्र उद्योग, निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी, निर्यात और परिधानों के क्षेत्र में लोगों की नौकरियां गई हैं। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व मे दो करोड़ लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। यदि विश्व में दो करोड़ लोगों की नौकरियां जाती हैं तो भारत में इस हिसाब से कम से कम दो लाख लोगों की नौकरियां जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं समाप्त कर रहा हूं।

कृषि का संकट बढ़ रहा है। औद्योगिक उत्पादन गिर गया है। सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आई है। उत्पाद कर के संग्रह में गिरावट आई है। कृषि संकट गंभीर होता जा रहा है क्योंकि नकदी फसलों के दामों में कमी होने से किसान प्रभावित हो रहे हैं। सरकार कहां हैं? क्या मुम्बई के हादसे के कारण इस ओर ध्यान गया था? आतंकवादी हमले के कारण इस ओर ध्यान गया है।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री लक्ष्मण सिंह।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मुझे दो मिनट और दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए। आपको पांच मिनट मिले हैं। मैं 15 मिनट दे रहा हूं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: इसलिए मुद्दा यह है कि ध्यान परिवर्तित हुआ है। हम यह चाहते हैं कि सामाजिक अवसंरचना के निर्माण, रोजगार का सृजन करने, वृद्धि को बढ़ावा देने, मांग को बढ़ावा देने और घरेलू बाजार को बढ़ावा देने के लिए भारी भरकम सार्वजनिक खर्च किया जाए। कम से कम 1 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए।

इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सामाजिक आतंकवाद के संबंध में सरकार क्या कर रही है। देश अधिक समय तक इंतजार नहीं कर सकता। अब स्थिति बहुत कटुतापूर्ण हो गई है।

अध्यक्ष महोदय: धन्यवाद। व्यवधान के लिए मुझे खेद है। लेकिन मुझे यहां कुछ कर्त्तव्य बेमन से भी पूरे करने होते हैं। अध्यक्षपीठ पर बैठने वाला हर कोई इस बात को जानता है। इन जैसे अच्छे वक्ता के भाषण में व्यवधान डालकर किसको खुशी मिलेगी। कम से कम मुझे तो उनसे अच्छी अंग्रेजी और अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञान मिल रहा है। लेकिन मुझे आपको टोकना पड़ रहा है क्या करें।

श्री गुरुदास दासगुप्त: धन्यवाद, महोदय।

अपराह्न 5.00 बजे

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं, जो इस प्रस्ताव को सदन में लेकर आये हैं। मैं आपका भी आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं सर्वप्रथम कहना चाहूंगा कि मैं इस विषय का कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। मेरे सामने चिदम्बरम जी बैठे हैं, जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। वैसे भी जो पुराने राजा-रजवाड़ों के परिवार थे, उस परिवार से मैं भी संबंध रखता हूं। उनका वित्तीय प्रबंधन या वित्तीय ज्ञान कोई बहुत अच्छा नहीं था। मैं यह कहूंगा कि दक्षिण भारतीय रजवाड़ों में इस बारे में बेहतर राजकोषीय प्रबंधन और बेहतर ज्ञान था। कुछ भी हो, इसका विषय से कोई संबंध नहीं है। यह सर्वविदित है कि सारी दुनिया में मंदी का एक माहौल बना है और यह ऐसी समस्या है कि इस पर एकदम से काबू नहीं पाया जा सकता। अमरीका में जो हुआ, उसका प्रभाव दक्षिण एशियाई देशों पर पड़ा और हमारे देश पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। लेकिन अगर शासन चाहे तो कुछ ऐसे कदम उठा सकता है, जिससे कि इसके दुष्प्रभाव को किसी हद तक कम किया जा सकता है। जो कदम आपने उठाये हैं, जिन लोगों के चेहरे हमने टी.वी. पर इन घोषणाओं को करते हुए देखे हैं, वे चेहरे अधिकतर अधिकारियों के थे। मैं उनका नाम नहीं लेता, वे सदन के सदस्य नहीं हैं। लेकिन जिन अधिकारियों के चेहरे टी.वी. पर इन घोषणाओं को करते हुए दिखाये गये थे, उन चेहरों को देखकर एक शंका यह होती है कि जो बेल आउट पैकेज आप देरहे हैं, वित्तीय सुधार के लिए आप जो कदम उठा रहे हैं, कहीं वे विकसित देशों के अमरीकन मॉडल, यूरोपियन मॉडल या यू.के. मॉडल पर न हों। क्योंकि अगर उन देशों की लाइन पर हम चलते हैं तो हम बहुत मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी परिस्थितियां अलग हैं। जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि अगर एक प्रतिशत जी.डी.पी. ग्रोथ कम होती है तो करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित होता है। आपकी एक परसैन्ट ग्रोथ कम होने से ऐसे कई परिवार हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे चले जाते हैं। आपने गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों का जो सैन्सज किया था, वह वर्ष 2001 में किया था। अब क्या होगा, अब सैन्सज नहीं हो रहा है, उनके बी.पी.एल. कार्ड नहीं बनेंगे, उन्हें हम खाद्यान्न नहीं दे सकते। ये बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में हैं, जो दूसरे देशों में नहीं हैं। इसलिए जो अमरीकन मॉडल ऑफ बेल आउट है, उससे हमें बचना चाहिए।

महोदय, इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि एक अमरीकन बैंक ने 42 बिलियन डालर का घाटा उठाया। अब जिन लोगों, जिन अधिकारियों और एक्जीक्यूटिव्ज की वजह से उसने घाटा उठाया, बजाय उन्हें हटाने या सजा देने के अमरीकन बैंक ने उन सारे अधिकारियों को एक क्रूज पर ग्रीस भेजा कि जाओ अपने परिवार के साथ छुट्टी मना आओ। ऐसे ही दुनिया की मानी हुई एक इंश्योरेन्स कंपनी बहुत घाटे में गई, उसने

अपने 80 प्रतिशत शेयर वहां की सरकार को बेच दिये और सरकार ने उसे 85 बिलियन डालर दे दिये। एक घाटे की कंपनी खरीदकर उसे 85 बिलियन डालर दे दिये गये। इस कंपनी ने 85 बिलियन डालर का क्या किया? उस कंपनी ने दुनिया भर में मानी हुई जगह छांटकर अपने रिजॉर्ट्स और स्पा खोल दिये।

लीमैन ब्रदर्स को घाटा हुआ, कबाड़ा हुआ, हमने देखा। उन्होंने क्या किया, जो उनके टॉप एक्जिक्यूटिव्ज थे, उन्हें तो तनख्वाह दे दी, लेकिन जो कम तनख्वाह वाले क्लीनर्स थे, कर्मचारी थे, कम्प्यूटर ऑपरेटर्स ते, उनको वेतन नहीं दिया और यह स्थिति यहां तक आ गई कि ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। लीमैन ब्रदर्स और यू.एस. सरकार से कहना पड़ा कि आप इनका वेतन दीजिए। इसलिए, हमें इस प्रकार का बेल-आउट पैकेज नहीं चाहिए। वैसे भी जो विदेशी बैंक हैं, आप विदेशी बैंक यहां लाइए, हमें आपत्ति नहीं है। डब्ल्यू.टी.ओ. से आपने एग्रीमेंट किया है और डब्ल्यू.टी.ओ. की गाइडलाइन्स के हिसाब से आप 12 विदेशी बैंकों को यहां आने की अनुमति दे सकते हैं लेकिन उन बैंकों में भी 25 प्रतिशत वृद्धि हुई और इन बैंकों की जो कमियां हैं, वह अब मंदी के आते ही दिखना शुरू हो गई हैं। जैसाकि अभी अन्य माननीय सदस्यों ने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने 20 हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया है, यह बहुत कम है और इसे बढ़ाने की हम सभी मांग करते हैं। जो पूर्व एनडीए सरकार थी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सैक्टर में जो कदम उठाये थे, जो पैसा दिया था, नेशनल हाइवे का जो प्रोजेक्ट था, नेशनल हाइवे के प्रोग्राम से कितना रोजगार बढ़ा था और आपने क्या किया, मैं आपकी अनुमति से पायनियर अखबार में जो 26 नवम्बर को जो एक लेख छपा था, उसकी कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा।

[अनुवाद]

इसका शीर्षक है 'अवरुद्ध राजमार्ग परियोजना' और इसका पाठ इस प्रकार है:

> "केन्द्र में सं.प्र.ग. सरकार के सत्ता में आने के बाद अवसंरचना विकास के मोर्चे पर देश को लगने वाला सबसे बड़ा झटका राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन का तकरीबन पूरी तरह रुक जाना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नोडल एजेन्सी है जो कार्यक्रम का पर्यवेक्षण करने के लिए बनाई गई है जो नौ वहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट भेजती है...*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। आपने कोई नोटिस नहीं दिया है। मुझे खेद है। नोटिस दिया जाना चाहिए।

श्री लक्ष्मण सिंह: ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा। मैं आपका कहा मानूंगा।

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: सर, कहने का मतलब यह है कि जो नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट्स जिस गति से चलाने चाहिए थे, वे नहीं चल रहे हैं और यहां तक कि वित्त मंत्री जी को विश्व बैंक वालों से स्वयं यह कहना पड़ा कि आप अपनी फंडिंग बंद मत करिए। हमारे प्रोजेक्ट्स हम टेक-अप कर रहे हैं नहीं तो विश्व बैंक वाले नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट की जो गति चल रही थी, उसको देखते हुए इसकी फंडिंग को बंद करने वाले थे। अगर इस तरह आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, इतनी धीमी गति से काम चलेगा तो हम समझते हैं कि समस्या और बढ़ेगी, घटेगी नहीं।

आज देश में क्या स्थिति है, 13.8 ग्रोथ रेट जो मैन्युफैक्चर सैक्टर में अक्तूबर 2007 में थी, वर्ष 2008 में वह घटकर -1.2 प्रतिशत मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में हो गई। पहली बार 15 साल में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ थी, वह घटकर नैगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ -0.4 प्रतिशत हो गई। जो हमारे निर्यात हैं और जो जीडीपी का 22 प्रतिशत होता है, वह घटकर 12.1 प्रतिशत हो गया। अब निर्यात घट रहा है और कॉमर्स का मामला है। कॉमर्स मिनिस्टर साहब के दर्शन दुर्लभ होते हैं। सदन में दिखते नहीं हैं। उनका पूरा ध्यान मध्य प्रदेश पर था, वहां मुख्यमंत्री बनने गये थे, दुर्भाग्य से नहीं बन पाए। कहने का मतलब यह है कि जो प्रयास होने चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने बनने नहीं दिया, क्या करें।

श्री लक्ष्मण सिंह: जनता ने नहीं बनने दिया। जो प्रयास हमें एक्सपोर्ट्स में करने चाहिए, वे आज नहीं हो रहे हैं और इसलिए इनको बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं दो-तीन मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। आप जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टमेंट 17.4 बिलियन के यू.एस. डॉलर के एफआईआई लाए। जैसे ही मंदी शुरू हुई, ये सारे एफआईआई के शेयर मार्केट से गायब हो गये।

[श्री लक्ष्मण सिंह]

एफआईए लाने का क्या फायदा हुआ? अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इनवैस्टमेंट लाते, वह हमारी ग्रोथ रेट बढ़ाता, हमारे यहां उसका पूंजी निवेश होता और उद्योगों को बढ़ावा मिलता। इस संबध में हमारी पार्टी के वित्त विशेषज्ञों ने और विशेष रूप से पूर्व वित्त मंत्री ने सुझाव दिया था लेकिन सरकार ने उचित नहीं समझा कि विपक्ष से कोई सलाह ली जाये। यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर सैक्टर में इनवैस्ट करते जैसा विकासशील देशों ने किया तो हमारे यहां भी ग्रोथ रेट बढ़ता। चीन ने 586 बिलियन डालर पब्लिक इनवैस्टमेंट किया और दस हजार किलोमीटर रेल लाइन बनाने का काम किया। यदि हम दस हजार किलोमीटर रेल लाईन नहीं बनायें, तो कम से कम पांच हजार किलोमीटर बना सकते हैं। इससे 6-7 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता, कई मिलियन मीट्रिक टन स्टील और सीमेंट लगता। इससे ग्रोथ रेट बढ़ता और कम लागत वाले घरों में निवेश करें। और जहां बाढ़ आई है, उन्हें बसाइये। बिहार में फायदा हो सकता था, जहां प्राकृतिक आपदा आई, उनके लिए नये घर बनाये जा सकते थे। इससे ग्रोथ रेट बढ़ता। अगर सामाजिक सैक्टर में इनवैस्टमेंट होती तो निश्चित रूप से ग्रोथ रेट बढ़ेगी।

माइक्रो इकोनोमिक एक्टीविटीज। स्वयं सहायता समूह। यहां ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्ष 1997 में वाशिंगटन में एक कांफ्रेंस हुई थी। भारतवर्ष भी इस कांफ्रेंस में शामिल हुआ था। विश्व के देशों से 2600 डैलीगेट्स आये थे जो कांफ्रेंस ने डेकलेयरेशन जारी किया, उसमें सबसे बढ़िया बात यह कही गई कि पहले यह माना जाता था कि गरीब आदमी पैसा लेकर देता नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि असल बात यह है कि अमीर आदमी पैसा लेकर खा जाता है, देता नहीं है। यह जो धारणा है, उसके मुताबिक गरीब और आदमी में फर्क नहीं करना चाहिए। बल्कि आज गरीब आदमी जिनता लोन लेता है, वह वापस लौटा रहा है, उतना अमीर आदमी नहीं लौटा रहा है। इसलिए आवश्यक है कि उस समिट में जो निर्णय लिये गये थे जिसमें भारत की भी भागीदारी थी, उन्हें लागू करना चाहिए। जो माइक्रो इकोनोमिक एक्टीविटीज हैं, सैल्फ हैल्प ग्रुप्स हैं, उन्हें जितना लोन आप दे सकें, और गरीब लोगों को जितना लोन दे सकें, उन्हें दीजिए। जैसे बेरोजगारी बढ़ी है, उस संबंध में आप मुरादाबाद का उदाहरण ले लीजिए। वहां पर कॉपर का काम होता है। हैंडीक्राफ्ट, का काम करने वाले कामगर हैं, बेरोजगार हो गये हैं और मजदूर बन गये हैं। जहां उन्हें रोजाना 300-400 रुपये मिलते थे, अब वे 25-30 रुपये प्रतिदिन कमा पा रहे हैं। ये लोग अल्पसंख्यक हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री, बजाये इसके कि वे अल्पसंख्यकों की ओर ध्यान दें, वे कल सदन में बोल रहे थे। वह उनके बारे में कोई बयान देते कि उनके बारे में वे क्या करने वाले हैं, उनको छोड़कर एक उलटा-सीधा बयान दे रहे थे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने मुद्दे पर बोलें।

श्री लक्ष्मण सिंह: मैं मुद्दे पर ही बोल रहा हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं इस मुद्दे पर आप इस प्रकार नहीं बोल सकते।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: और जो उन्हें करना चाहिए, वह नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 40 परसेंट बेरोजगारी बढ़ी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है कि सोशल सैक्टर में आप अपना पैसा लगायें। सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपये का जो पैकेज दिया है, वह बहुत कम है। इसे कई गुना बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर हम इस महंगाई से जूझ पायेंगे और हम अपनी अर्थव्यवस्था सुधार पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, इस चर्चा के लिए आवंटित चार घंटों में से तीन घंटे और 14 मिनट का समय बीत चुका है। दस माननीय सदस्य इस समयावधि में बोल चुके हैं। दो प्रमुख दलों को छोड़कर सभी पार्टियों ने आवंटित समयावधि से बढ़कर कहीं अधिक समय लिया है। अत: केवल 45 मिनट का समय शेष है और फिर मंत्री जी को जवाब देना है। इसलिए आपको कृपा समय का ध्यान रखना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सन्दीप दीक्षित अगले वक्ता हैं। मैं हर किसी को बोलने के लिए समय नहीं दे पाऊंगा। इसका मुझे खेद है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बड़े दलों के पास अभी समय शेष है। मैं हर किसी से निवेदन कर रहा हूं कि वे सभा की स्थिति को देखें। जो सदस्य बोल चुके हैं उनमें से तीन सदस्यों को छोड़कर कोई भी माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय वे माननीय सदस्य जो चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे हैं वे भी यहां उपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय: उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री खारबेल स्वाईं: आपको कुछ पुरस्कार देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास कुछ नहीं है क्योंकि मैं खुद मुफलिस हूं। आप मेरे कक्ष में आएं मैं आपको एक प्याला चाय पिला सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा, मैं बहुत कम समय लेने की कोशिश करूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके दल का समय बचा हुआ है, अत: आप अपना समय ले सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित: अध्यक्ष महोदय, जो आर्थिक मंदी का एक दौर चल रहा है, मैं सवेरे से श्री रूपचंद पाल जी को उसके बाद श्री अनंत कुमार जी को और तमाम वक्ताओं को सुन रहा हूं। मुझे पूरी तरह से एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हमारे जो वामपंथी मित्र हैं या हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र हैं, वे इस पूरी समस्या में किस तरफ अंदेशा करना चाहते हैं। श्री गुरुदास जी ने यह बात बताई कि अगर एक प्रतिशत भी जीडीपी कम हो जाता है तो कोई तीन या चार करोड़ व्यक्तियों की जीवन व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ता है। मुझे यह नहीं मालूम है कि इतना बड़ा नंबर कहां से आया है और एक प्रतिशत का इतने ज्यादा लोगों पर असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, लेकिन इसका यह भी मतलब है कि अगर चार या पांच साल से यूपीए सरकार आठ या नौ प्रतिशत ग्रोथ की बात कर रही है, जो पहले औसतन पांच या साढ़े पांच प्रतिशत होती थी, तो हो सकता है कि अगर हम इसी आंकड़े को वहां भी इस्तेमाल कर लें और तीन का आंकड़ा चार से लगायें तो बारह, तेरह करोड़ व्यक्तियों के जीवन पर हर वर्ष सकारात्मक असर भी जरूर पड़ा होगा। मैं इसके बीच में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि आपने यह आंकड़ा प्रस्तुत किया है, अगर यह बात सही है तो श्री रूपचंद जी ने तो सवेरे यह बात कही थी कि ग्रोथ पर क्यों बार-बार इतना ध्यान दिया जाता है, ग्रोथ को हौव्वा बनाकर वित्त मंत्री जी इसके बारे मे बार-बार क्यों बात करते हैं, पूरी वित्तीय प्रणाली केवल ग्रोथ की बात करती है। इससे यह विदित हो जाता है कि अगर इतनी बड़ी संख्या को एक छोटा सा नंबर भी प्रभावित कर सकता है तो कम से कम इस देश की जो वित्तीय प्रणाली है उसे अपने मुख्य बिंदु में ग्रोथ को रखना ही पड़ेगा। ग्रोथ के बाद, उसको क्या हम सार्वजनिक जीवन में बराबरी से बांट पाते हैं या नहीं, इक्विटी के सवाल या समता के सवाल को हम किस तरह से देख पाते हैं, यह दूसरी बात है। मैं ज्यादा उन चीजों में नहीं जाना चाहता हूं, मैं एक-दो बातों पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, विशेषकर हमारे वित्त मंत्री जी यहां नहीं हैं, मैं राज्य मंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को एक-दो बातें कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे वित्त मंत्री हों या वित्त प्रणाली का प्रबंधन करने वाले हमारे अधिकारीगण हों, इस देश में एक विशेष वर्ग है जो वित्त मंत्रालय की नीतियों को, जब कहीं भी आपदा आती है, उस आपदा से उनको जिस संरक्षण की आवश्यकता होती है, वह कुछ व्यक्तियों पर ज्यादातर आधारित हो जाती है। उन व्यक्तियों और उनकी पूरी क्लास का क्या चरित्र है, मैं इस बारे में एक-दो टिप्पणी जरूर करना चाहता हूं। कम से कम पिछले 15-20 साल से, वर्ष 1991-92 के बाद से जब आर्थिक मंदी का दौर आया, इस देश का जो वित्तीय प्रबंधन है, उसमें राजनीतिक तंत्र भी लगे रहे हैं, हर पार्टी उसमें लगी रही है और यह कोशिश रही है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर को सशक्त किया जाए, अगर टैक्स में कोई दिक्कत होती है तो राहत दी जाए। अगर उनकी जीवन प्रणाली आज दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है तो उस पर कोई रोक न लगाई जाए। मैं उस विचारधारा में नहीं जाना चाहता हूं। मेरी विचारधारा क्या है, मैं उस बारे में इस समय टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हर भरसक प्रयास किया गया है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर सशक्त हो और अपना काम सुचारू ढंग से करता रहे। जब उस पर पहली मार पड़ती है, जब यह पहली बार देखा जाता है कि ऊपर से नीचे कहीं कमी पड़ती है तो वही वर्ग सरकार के पास चिल्लाने के लिए सबसे पहले भागता है कि हमारी मदद करो और सरकार दस या पन्द्रह दिन के अंदर उसकी मदद कर देती है। पन्द्रह, बीस साल से सब पार्टियां इसमें बराबर की हिस्सेदार हैं, कोई कम नहीं हैं। हिन्दुस्तान में किसान आत्महत्या करता रहा है, लेकिन किसान को एक पैकेज मिलने में बीस साल लगे और प्राइवेट सेक्टर को पैकेज मिलने में बीस दिन नहीं लगे। इसमें सब पार्टियां हैं, कोई अलग

[श्री सन्दीप दीक्षित]

नहीं हैं, लेकिन जहां से ये सूचनाएं हमारे पास आती हैं, जो बार-बार वित्त मंत्री को या प्रधानमंत्री को सूचित करती हैं कि देश में दरार कहां पड़ रही है, इसमें उन आवाजों का भी इसी सशक्त रूप में आना आवश्यक है। हमारा किसान लालायित होकर आपकी तरफ नहीं देखता है कि हमें 60 हजार करोड़ का बेनीफिट दो, वह अपने आप कोशिश करता है और जब हार जाता है, तो एक आध आत्महत्या भी कर लेते हैं। वह आत्महत्या भी प्रकाशित नहीं करता है, वह किसी टीवी चैनल को टेलीफोन नहीं करता है कि आकर मुझे आत्महत्या करते हुए देखो। एक दूसरा वर्ग है प्राइवेट सैक्टर का, जो अगर सैंसेक्स भी नीचे जाता है तो उसकी गूंज टीवी पर बताता है। वह तो उसका अपना दांव है, अपना पासा वह फेंकता है कि 300 का शेयर खरीदूंगा तो 700 में बाद में बेचूंगा या 150 में बेचूंगा। सरकार का कोई बहुत बड़ा दायित्व नहीं है, लेकिन उस पर भी वह चाहता है कि सरकार उसकी मदद करने आए। मेरा यही निवेदन है, केवल आज की वित्तीय प्रणाली से नहीं, बल्कि उन सब अधिकारियों से, रिजर्व बैंक से कि सही आवाजें सुनना शुरू करिये। अगर उन आवाजों को हम सुनना शुरू करेंगे तो दिक्कतें नहीं पड़ेंगी। बात 20 हजार करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज की नहीं है। बात यह है कि अगर 20 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है या पांच लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता है, तो उसकी इनवैस्टमेंट कहां हो। क्या ये 20 हजार करोड़ रुपये हम प्राइवेट सैक्टर को बचाने में कहीं न कहीं देंगे, जिस तरह से अमरीका देने की गलती कर रहा है, या हम इसका इनवैस्टमैंट वहां करेंगे जहां पिछले 20 सालों से हमें लगता है कि उपेक्षा हुई है? क्या ये 20 हजार करोड़ रुपये हम सुचारू रूप से इरीगेशन में डालने की बात करेंगे, क्या रूरल कनैक्टिविटी में डालने की बात करेंगे, क्या उन स्कूलों में एक-एक कमरा देने की बात करेंगे जहां हमारे बच्चे दिन में सूरज में और रात में चांद को देखकर पढ़ाई करते हैं? क्या उन प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स में देने की बात करेंगे जहां हमारी बहनें जब प्रसूति के लिए जाती हैं और ठंडी हवाएं चल रही हों तो ठंडी हवा से वे नहीं बच पातीं और गर्मी हो तो गर्मी से नहीं बच पातीं? अगर आपको पब्लिक स्पैन्डिंग में इनवैस्टमेंट करनी है तो इन इलाकों में कीजिए। अगर पब्लिक स्पैन्डिंग से हमारी अर्थव्यवस्था में ऊर्जा आएगी तो ऊर्जा का असर उस व्यक्ति पर जाएगा जो आपसे कभी कुछ नहीं मांगता है, जिसकी कराह आप तक नहीं पहुंचती है। केवल चुनाव के आसपास उसकी कराह पर सब गूंजने लगते हैं। हमें उन लोगों से बचना पड़ेगा जो जरा सा, जब उन पर दिक्कत आती है और उनके पास आवाज है, तो वे आवाज करने लगते हैं। क्योंकि वे उन जगहों पर घर बनाए हुए हैं जहां आप और हम भी विवशता से आकर रहते हैं। उनकी गूंज में हम उस हिन्दुस्तान को न भूल जाएं जो सही में आर्थिक मंदी में रहता है। मेरा सरकार से विनम्रता से निवेदन है और प्रत्येक व्यक्ति से कि हम जब भी कोई सुझाव दें, बहुत सोच-समझकर सुझाव दें।

हमारे बहुत ही सम्मानित सदस्य मोहन सिंह जी ने अपनी बात कही। वे समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। समाजवाद के कुछ गुणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने व्यक्तिगत जीवन के आचरण पर भी एक टिप्पणी की और कहा कि हम सवा लाख और डेढ़ लाख रुपये तक की तनख्वाहें रोकें, जिस तरीके से लोग उपभोक्ता युग में जीते हैं, उस उदाहरण को कम करें। यह इस विषय से संबंधित बात नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने यह बात कही और वे ऐसे नेता हैं जिनकी तरफ हम सब युवा लोग देखते हैं, मै उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि हम राजनीतिक लोग अगर इस बात को अपने आचरण में ले आएं-माफ कीजिएगा स्पीकर साहब, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा-लेकिन अगर 60-60 लाख रुपये की गाड़ियों में मैम्बरान-ए-पार्लियामेंट संसद आएंगे तो हम किसी को कह नहीं सकते कि आप सवा लाख की तनख्वाह से ऊपर मत लीजिए। आचरण यहां से शुरू होता है। आचरण शुरू होता है कि हम लोगों से वाद-संवाद करते हैं।

मैं वित्त मंत्री जी को एक और बात बताना चाहता हूं। जो बाद की बातें हैं वे तो जरूर बताएंगे। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मंदी क्या है, इसके लिए किन स्टैप्स की जरूरत है, इस बात का भी उल्लेख करें। पूरा राष्ट्र आज संसद के माध्यम से उनकी बात को सुनेगा लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि संवाद जब भी आप नीति के बारे में करें तो उसमें हिन्दुस्तान के सही लोगों से भी संवाद करें। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मैंने पिछले पांच सालों में किसी वित्त सचिव या आरबीआई के गवर्नर को जब भी देखा है तो सीआईआई की कॉन्फ्रैंस में बात करते देखा है, एसोचैम की कॉन्फ्रैंस में बात करते देखा है, फिक्की की कॉन्फ्रैंस में बात करते देखा है। जरूर बात करिए। वे भी मेहनत करते हैं, वे भी देश का 60 प्रतिशत जीडीपी देते हैं। उन्होंने भी आज अपने को इतना सशक्त कर लिया है कि दुनिया की बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज का वे मुकाबला करते हैं। मैं उन सबको सलाम करता हूं। लेकिन उससे भी मिलिए जो देश का सत्तर प्रतिशत व्यक्ति है, उससे भी मिलिये जो अगर मेहनत नहीं करेगा तो मेरे घर में रोटी नहीं परोसी जाएगी, उससे भी मिलिये जो अगर मोहनत नहीं करेगा तो मेरे घर में कपड़े नहीं धुलेंगे या मैं जो जूता पहनता हूं, वह जूता नहीं बनेगा या जिस बिजलीघर से बिजली आती है, वहां की सफाई नहीं होगी। उस संवाद को कभी मत तोड़िये। तभी अविश्वास होता है। तभी विकास करके भी, काम करके भी हम कभी-कभी समझते हैं कि जनता के बीच में हमारा संदेश नहीं जा पाता है। क्योंकि संदेश उसी व्यक्ति के साथ जाता है जो जगता है और जनता वह 70-80 प्रतिशत व्यक्ति है

जो गुलाबी रंग का अखबार नहीं पढ़ता, जो हमेशा टीवी नहीं देखता क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है टीवी देखने का। जो पिक्चर हॉल में जाकर इश्तहार नहीं देख पाता क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है पिक्चर हॉल में जाने के लिए। उस संवाद को मेनटेन करिये, उस संवाद के द्वारा इस देश को विश्वास में लीजिए, इस देश के असली नागरिक को विश्वास में लीजिए। मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि जब आप उल्लेख करें कि आप इस मंदी पर किस प्रकार से हमला करेंगे तो उन व्यक्तियों को जो आज भले ही इस मंदी से प्रभावित न हों लेकिन अंतत: सारा प्रभाव अगर वित्तीय गिरावट का किसी पर पड़ता है तो उस व्यक्ति पर पड़ता है। उस पर आप इस प्रभाव को किस तरीके से रोक पाएंगे, इस बात का उल्लेख आप अवश्य करें। इस देश की जो वित्तीय प्रणाली है, उसे पिछले पांच सालों में इस सरकार ने बड़े सुचारू रूप से चलाया है। भले ही हमारे विपक्ष या वामपंथी मित्र लोग कुछ भी कहें, लेकिन आपने एक ऐसा विकास दर दिया है, जिससे देश प्रगति की राह पर बढ़ा है। अगर हमारी किसी जमाने में 40 या 50 प्रतिशत गरीबी होती थी तो आज वह घटी है। ऐसा नहीं है कि यह संतोष की बात है कि तीस प्रतिशत गरीब हों, लेकिन उस राह पर कुछ कदम बढ़ाए हैं। उसे हम किस तरीके से और तेजी से बढ़ा सकते हैं। बहुत से वित्तीय विशेषज्ञों ने कहा है कि आर्थिक मंदी का जो दौर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ रहा है, यह भारत के लिए एक अपोरचुनिटी भी है।

अध्यक्ष महोदय, आज अगर अमेरिका किसी तरह गिर रहा है और यूरोप के देशों पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हमारी आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ है, हमारे पास आज भी ऐसी वित्तीय प्रणाली है जो हर आवाज को सुनती है। हमारे पास केवल पूंजीवाद, समाजवाद या वामपंथी विचारधारा को सुनने वाले, एक रूप में चलने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हर रूप से हम लोग उस बात का समावेश करके अपनी आर्थिक नीति बनाते हैं। अपने देश की उस शक्ति को संजोएं, उसे एक करें, एकत्रित करें। जिस लक्ष्य के प्रति, आज से 60 साल पहले हमने अगर आजादी की लड़ाई के अंदर अपने देश पर तिरंगा बुलंद किया था तो उस पर चलने के लिए आज इस देश को सशक्त करें। आज मेरे हिसाब से यह एक मौका है। यह समय वह नहीं है कि हम किसी भी तरह अपने आपको कमजोर समझें। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंदी ने इस देश को आज मौका दिया है, उस मौके की राह पर आप देश को अवश्य लेकर चलें, यही बातें मैं कहना चाहता था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सन्दीप दीक्षित जी मैं आपको भाषण के लिए बधाई देता हूं।

श्री पी. करुणाकरण जी-आपकी पार्टी को आवंटित समय पूरा हो चुका है आप पांच अथवा छ: मिनट का समय और ले सकते हैं।

श्री पी. करुणाकरण (कासरगोड): माननीय अध्यक्षपीठ के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार हमने देश के समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की है। सभी वर्ग एक बात पर एकमत है कि विश्व अर्थव्यवस्था में भारी संकट उत्पन्न हो गया है। विश्व बैंक ने भविष्यवाणी की है कि वर्ष 2008 की तुलना में वर्ष 2009 में वृद्धि दर 0.9 प्रतिशत रहेगी। मैं आंकड़े का उल्लेख नहीं करना चाहता। इससे भारत किस प्रकार प्रभावित होगा यह अधिक महत्वपूर्ण है? भारत और अंतरराष्ट्रीय जगत में जहां यह नारा है कि नई उदार नीति सभी समस्याओं को हल कर सकती है। बाजार सब कुछ जानता है। सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं है। ऐसा अमरीका में देखा गया है और यही वाल स्ट्रीट की भी नीति है जिसके द्वारा दुनिया भर के वित्तीय मुद्दों को निर्देशित और मानिटरिंग की जाती है। परन्तु हम देखते हैं कि अमरीकी बैंकिंग व्यवस्था पूर्णत: धराशायी हो गयी है और सरकार निजी क्षेत्र को बचाने के लिए भारी धनराशि खर्च कर रही है।

यह सत्य है कि भारत में अचानक क्षति नहीं हुई है। यूपीए सरकार को वामपंथी दलों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि हम आपका समर्थन कर रहे थे। साथ ही हम श्रमिक विरोधी कानूनों और सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विरोध कर रहे हैं। सरकार ने बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम और पेंशन (संशोधन) अधिनियम और लगभग सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने का प्रयास भी किया। वामपंथी दलों के विरोध और हमारी वित्तीय व्यवस्था के प्रगतिशील कार्यकलापों के कारण इतनी अधिक क्षति नहीं हो पायी है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम वर्तमान आर्थिक संकट से मुक्त हैं। अन्य सदस्यों ने यह उल्लेख किया है कि लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया है कि बागानों, वस्त्र में 65,000 लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं और विशेषरूप से हम पाते हैं कि अर्ध-उद्योगों में भारी संख्या में मजदूरों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ रही है। अत: श्रम मुद्दे और औद्योगिक क्षेत्र में यह स्थिति है।

परन्तु मेरे विचार से कृषि सबसे अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का यह कहना सही है कि वर्तमान वैश्विक संकट 1930 में आए संकट के समान हैं चूंकि इस समय दुनिया भर में मंदी थी। उन दिनों कृषि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था। हमारी सरकार ने भी 20000 करोड़ रु. के राहत पैकेज की घोषणा की है।

[श्री पी. करुणाकरण]

लेकिन मुझे कृषि को बढ़ावा देने जैसी कोई बात दिखाई नहीं देती है। नकदी फसलों जैसे सभी कृषि उत्पादों के मूल्य भी लगभग गिर गए हैं। रबड़ का मूल्य 160 रुपये से घटकर 60 रुपये हो गया है, सुपारी का मूल्य 160 रुपये से घटकर 50 रुपये हो गया है। काली मिर्च का मूल्य 20,000 रुपये से 8,000 रुपये हो गया है। इस प्रकार से लगभग सभी उत्पादों के मूल्यों में गिरावट आई है। किसान इसे किस तरह से सह सकते हैं? यह सत्य है कि विदर्भ पैकेज किये गये उपायों में से एक है। साथ ही किसान इससे कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। उर्वरकों, बीजों, दवाओं आदि जैसे आगतों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। इस प्रकार से कृषि क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार को कृषि क्षेत्र में और अधिक निवेश करना होगा और उत्पादन बढ़ाना होगा। जैसाकि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि एनआरईजी तथा कृषि में और अधिक निवेश किये जाने की आवश्यकता है।

20,000 करोड़ रुपये के पैकेज के संबंध में, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस राशि को चार माह के भीतर किस तरह से खर्च करेगी? भारत एक संघीय ढांचा है; लेकिन राज्यों का कोई उल्लेख नहीं हुआ है। आप चीन को ही लीजिए। इसने पैकेज बनाया था जिसमें से 50 प्रतिशत राज्यों और क्षेत्रों को जाता है। लेकिन आप यहां देखेंगे कि 20 प्रतिशत बहुत कम है। यह स.घ.उ. का मात्र 0.5 प्रतिशत बैठता है और 20,000 करोड़ की धनराशि में केन्द्र सरकार का अधिकार है लेकिन राज्यों का कोई अधिकार नहीं है।

मैं समझता हूं कल राज्यों के वित्त मंत्री यहां आए थे और उन्होंने यह मांग की थी कि कम से कम उन्हें 20,000 करोड़ दिये जायें अन्यथा राज्य कुछ नहीं कर सकते। केन्द्र राज्यों को मजबूत किए बिना कैसे मजबूत हो सकता है? इस प्रकार से राज्यों और स्थानीय निकायों के संबंध में सरकार को अधिकतम कार्रवाई करनी होगी।

आपने कुछ मदों में कर लाभों को दिया है-यह अच्छी बात है-मैं भी इसी बात को कहना चाहता हूं। नकदी फसलों और नारियल जटा पर विशेषकर केरल में लाखों श्रमिक आश्रित हैं। लेकिन आपने इस क्षेत्र को कोई राहत नहीं दी है। इस प्रकार से सरकार को और आय सृजित करने और अधिक रोजगार पैदा करने, उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाने होंगे और आपने नव उदार नीति में जिस रास्ते का अनुपालन किया है, उसे बदलना होगा।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): अध्यक्ष महोदय, मैं कोई बहुत बड़ी अर्थशास्त्री नहीं हूं। इसलिए मैं इस पर कोई बहुत लम्बा भाषण नहीं दे सकती।

अध्यक्ष महोदय: हम इस बात को जानते हैं कि आप रैलेवेंट बात ही बोलेंगी।

श्रीमती सुमित्रा महाजन: मैं रैलेवेंट बात ही बोलूंगी और एक-दो पाइंट ही रखूंगी, जो कहीं न कहीं एकदम पर मन पर आघात करते हैं।

महोदय, आज सबसे ज्यादा चर्चा देश की आर्थिक परिस्थिति पर हुई और जब यह चर्चा हो रही थी, तो 'इकनोमिक पैकेज' की बात सबसे ज्यादा की गई। हालांकि यह कोई नया शब्द नहीं है, क्योंकि अगर हम इतिहास को देखें, तो वर्ष 1930 में भी जब रिसैशन की बात आई थी, उस समय भी ऐसी चर्चा चली थी। उस समय भी दो अलग-अलग थ्योरी थीं-एक कीन्स की थी और दूसरी एडम स्मिथ की जो लिबरल पॉलिसी जैसी थीं। एक तो यह थी कि ऐसी स्थिति में सरकार को कुछ करना चाहिए। राष्ट्रों को सरकार की तरफ से खर्च करने की सलाह दी जा रही थी। दूसरी लिबरल पॉलिसी थी। इन दोनों की हमेशा से बात चलती रही है। आजकल भी संकट के समय में फिसकल स्टीमुलेट्स की चर्चा होती है। यह भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन कभी-कभी मन में यह बात आती है कि कार्य-योजना अगर ठीक नहीं बनी, तो किस प्रकार से विपरीत परिणाम आते हैं, यह सोचना चाहिए। हमारी प्रायर्टीज क्या हैं, यह भी हमें देखना चाहिए।

महोदय, ऐसा कहते हैं कि-

[अनुवाद]

"विज्ञान अच्छा सेवक है लेकिन बुरा स्वामी है।"

[हिन्दी]

आज हमारे प्रधानमंत्री जी को देखकर एक बात मन में आती है। वही बात हम थोड़े अलग तरीके से कह सकते हैं।

[अनुवाद]

अर्थशास्त्री अच्छे सेवक हैं लेकिन बुरे स्वामी हैं।"

[हिन्दी]

क्योंकि नरसिंह राव जी की सरकार में हमारे प्रधानमंत्री जो उस समय वित्त मंत्री थे और उनका बोलबाला भी उस समय बड़ा था। हालांकि उस समय से उनका नाम डबल डिजिट इन्फ्लेशन पड़ा था। जब-जब वे रहे, उस समय 12-13 परसेंट का इन्फ्लेशन इनकी अपनी सरकार में भी था, करीब-करीब सतत 10 परसेंट से

प्लस ही इन्फ्लेशन रही है। अभी कम आई है, लेकिन कोई इनकी कार्ययोजना से नहीं आई है, यह भी एक सोचने की बात है। मेरा इतना ही कहना है कि हम इकोनोमिस्ट हैं, इससे भी बात नहीं बनेगी। कहीं न कहीं एक पोलिटिकल फिलोसफी की आवश्यकता है। यह मैं नहीं कहती हूं, इनकी ही नेता रहीं माननीया इंदिरा जी ने कहा था, 80 के दशक में, आपको याद होगा कि उस समय भी संकट की घड़ी चल रही थी और प्रो. धर और दूसरे प्रो. झा आपस में अलग-अलग सलाह दे रहे थे तो एक दिन झल्लाकर इंदिरा जी ने कहा था,

[अनुवाद]

"यदि मैं अर्थशास्त्रियों पर निर्भर रहूं तो, मैं निर्णय नहीं ले सकती राजनीतिक दर्शन का प्रसार होना चाहिए।"

[हिन्दी]

यह करके उन्होंने उस समय बैंकों का नेशनलाइजेशन वगैरह किया। हालांकि वह सक्सेसफुल है या नहीं है, वह एक अलग चर्चा का विषय है, मेरा कहना यह है कि पोलिटिकल फिलोसफी में आज हमारी प्रायरटी क्या है? आज हमारी जो फिलोसफी है, उसमें क्राइसेस तो आएंगे, जाएंगे और उन क्राइसेस से डरकर भी काम नहीं चलेगा। अगर देखें तो ट्रेड हमारी जी.डी.पी. का 40 परसेंट कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन बाकी 60 परसेंट जो हमारा अपना है, उसके लिए हम क्या सोच रहे हैं, उसका फायदा कैसे उठायें।

आज मैं केवल एक ही पाइंट पर कहूंगी, जो शुरूआत में मैंने कहा था इकोनोमिक पैकेज और जब भी किसी पैकेज की बात आती है तो मेरी जैसी सामान्य महिला के पेट में भी, जिसे कहा जाता है कि खड्डा सा पड़ जाता है, जिसे गोला उठना बोलते हैं, क्योंकि इकोनोमिक पैकेज कभी सक्सेसफुल नहीं रहे, यह हमने विदर्भ में देखा है। विदर्भ में भी जब किसान आत्महत्या कर रहे थे, उस समय उनके लिए करोड़ों रुपये का इकोनोमिक पैकेज डिक्लेयर किया गया था, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ। उसके कारण क्या हो गया, किसान आत्महत्या क्यों करता है, यह अलग-अलग बोलने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे उसके लिए जो खाद, बीज और बाकी सब चीजों की आवश्यकता रहती है, लेकिन हुआ यह कि पैकेज के अंतर्गत जो कोआपरेटिव बैंक्स थे, उनको पैसा दिया गया, जर्सी गाय दे दी गई, मैंने तो यहां तक सुना कि किसान उसे चारा भी खिलाने की स्थिति में नहीं थे तो किसी पोलिटीशियन के रिलेटिव के यहां चली गई। उस पैकेज की यह स्थिति हुई। इसलिए आज भी जब बात आती है, 75 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की बात हमने सुनी, वह होते-होते 20 हजार करोड़ तक पैकेज की बात आ गई है और उसमें कहा गया है कि रियल एस्टेट को बांटो। जब मैंने यह सुना कि पांच लाख से 20 लाख रुपये तक के लोन पर इन्होंने ब्याज दर कम करने की उस पैकेज में बात की, मैं मुम्बई की भाषा में कहूं तो पांच लाख रुपये में एक खोली भी आजकल नहीं आती। अभी-अभी दिल्ली में डीडी.ए. के फ्लैट्स निकले हैं, पांच हजार फ्लैट्स निकले, उसका 22 लाख रुपये सबसे कम प्राइस है, उससे ऊपर ही है। यानी जो कीमतें हैं, उसमें किसको हम पैकेज दे रहे हैं, किसको हम क्या सुविधाएं दे रहे हैं, जो वास्तव में इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, स्पैकुलेटिव इन्वैस्टमेंट जो रियल एस्टेट में हो रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह 30 लाख हो गया।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): देश में पांच लाख रुपये की जरूरत वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुमित्रा महाजन: यह स्पैकुलेटिव इन्वैस्टमेंट रियल एस्टेट में मैं इसलिए बोल रही हूं, क्योंकि इस पर हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जबकि चीन ने किया। मैं इसलिए भी कह रही हूं कि यह कदम न उठाने के कारण बदनामी पोलिटीशियंस पर ही आ रही है, क्योंकि आज सत्ता के गलियारे में भी यह बोला जा रहा है कि रियल एस्टेट में जो भारी प्राइसेस बढ़ रहे हैं और जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आता है, वह घूम-फिरकर कहीं न कहीं हमारे ही लोगों का है, चाहे मारीशस के रास्ते में आ जाये या कहीं से आ जाये और पोलीटिशियंस का ही काला धन यह होता है, ब्लैक मनी होती है और हर चीज में हम बदनाम होते हैं। इसीलिए कहीं न कहीं यह पेट में दर्द आता है तो मैं बोल रही हूं। इसमें मूल कुठारा करना पड़ेगा, रियल एस्टेट में जो प्राइस बढ़ रही है, यह प्राइस क्यों बढ़ रही है, इसके लिए कहीं न कहीं स्पैकुलेटिव इन्वैस्टमेंट पर कुठाराघात करना पड़ेगा।

महोदय, यहां फिजिकल स्टिम्युलेशन कहा गया, इस बारे में मैं कहूंगी कि यह बाकी क्षेत्रों के लिए भी दिया गया है, जैसे आईटी क्षेत्र है। आईटी आज हमारे लिए बूम बन सकता है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि कई बार उनका इंप्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं होता। कई सारे पैकेज हमारे यहां है। उस समय हमने जो सुविधायें दीं, मेरे यहां पीतमपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है, उस समय एडीआई और आइसगेट ट्रेड के लिए दिये गये थे, जिससे इंडस्ट्रियलिस्ट अपना कस्टम का फार्म वहीं बैठे-बैठे भरेंगे, उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। यह सब सुविधा उन्हें एनडीए की गवर्नमेंट में दी गयी थीं, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ।

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

आज भी हमारे यहां के इंडस्ट्रियलिस्ट भटकते फिरते हैं। इससे उनका कास्ट ट्रांजेक्शन हाई हो गया है, वह लो नहीं हो पा रहा है। योजना का इंप्लीमेंटेशन न होना भी एक सफरिंग का कारण बनता है, मेरा यही कहना है।

अभी आप आईटी क्षेत्र में कुछ पैसा दे रहे हैं और कुछ अन्य क्षेत्रों में दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात सेलरी कट की है। उससे और अधिक अनइंप्लायमेंट बढ़ रहा है, कई लोगों को नौकरी से निकाला जा चुका है। हमारे देश में सेलरी के पैकेज तो हाई हो गए थे, लोगों के 20-20 लाख रुपये वार्षिक तक के पैकेज हो गए थे, उसके साथ-साथ लोन के भी बहुत सारे पैकेजेज आ गए। हमारे नौजवानों ने दोनों को एक साथ चलाया। आज सेलरी कट के कारण वे लोन नहीं चुका पा रहे हैं। मुझे मां होने के नाते डर लगता है कि सेलरी कट और अनइंप्लायमेंट के कारण उनके अंदर फ्रस्टेशन आएगा, क्योंकि अनइंप्लायड यूथ पढ़ा लिखा रहेगा। इससे अपराधीकरण और आतंकीकरण बढ़ सकता है। अगर हमने ठीक पालिसी नहीं चलायी तो मुझे डर लगता है कि देश की केवल आर्थिक स्थिति पर ही प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके साथ-साथ देश की संस्कृति और संस्कारों पर भी आघात होगा, कुटुंबिक बिखराव हो सकता है, सामाजिक टूटन हो सकती है। इसलिए पूरे देश की इकॉनामिक, सोशल, कल्चरल, नैतिक क्राइसेज जो आएंगी, इस दृष्टि से पूरी पालिसी पर विचार करना चाहिए न कि एक छोटा-मोटा पैकेज दे करके ठीकरा लगाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। कहीं न कहीं एक अच्छी पालिटिकल फिलास्फी पर भी उसके साथ वर्क करना जरूरी है, यही मेरा निवेदन है।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, आज यह सदन एक अहम विषय को लेकर चिंतित है। आज देश निश्चित तौर पर आर्थिक मंदी झेल रहा है या यूं कहिए कि आज दुनिया ही आर्थिक मंदी से गुजर रही है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे आम लोगों को राहत जरूर मिली है। किसी भी स्टेट के किसी इलाके के डेवलपमेंट के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है और सरकार ने इसको प्राथमिकता दी है। रोड, बिजली, रेल लाइन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर विशेष तौर पर ध्यान देकर लोगों को राहत देने की उसने कोशिश की है। इसके बावजूद हमारे देश की जो आवाम है, वह खुशहाल नहीं है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। आज भी कई ऐसे लोग हैं, जो दिन भर कमाने के बाद भी अपने परिवार का और अपना भरण-पोषण नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि बहुत से लोगों को रहने तक की जगह नसीब नहीं हो पा रही है। उनके पास घर नहीं हैं, वे खुले आकाश के नीचे जीने को मजबूर हैं। जब आर्थिक मंदी है, तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने विशेष आर्थिक पैकेज दिया। आर्थिक मंदी को झेलने के लिए कई हजार करोड़ रुपये का निवेश उन्होंने किया, लेकिन इसके बावजूद हम आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। हमारे देश का सेंसेक्स 21 हजार प्वाइंट से घटकर 9 हजार प्वाइंट पर आ गया है। इससे बहुत सी जगहों पर असर पड़ा है, छोटे उद्योगों पर असर पड़ा है। छोटे उद्योगों में साठ हजार से ज्यादा लोग रोजगार से वंचित हो गए हैं और निर्माण कार्य में लगे हुए बहुत बड़ी संख्या में लगभग 8 लाख लोग अपने कार्य से वंचित हो गए हैं। हमारे देश के सामने यह स्थिति है जबकि हमारे यहां पहले से ही बेरोजगारी है, गरीबी है। उसके बावजूद अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो निश्चित तौर पर यह देश के लिए चिन्ता का विषय है।

आर्थिक मंदी का असर केवल शेयर बाजार पर ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि सब सेवाओं पर पड़ रहा है। इसका असर संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों पर पड़ रहा है। आर्थिक मंदी का दुष्परिणाम यह है कि गरीबी बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है। माननीय वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी स्वयं आर्थिक विशेषज्ञ हैं। जो अवाम् इन कठिनाइयों को झेल रहे हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जी कोई विशेष कार्य योजना बनाएं ताकि आम लोगों को उससे सहायता मिल सके। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था गांवों पर निर्भर करती है। खेतीहर मजदूरों और किसानों की स्थिति बहुत बदतर है। आपको स्वयं इस बात का एहसास होगा कि आज खेतों में काम करने वाले लोग वहां काम करने की इच्छा नहीं रखते। इसका कारण यह है कि वे खेत में जो पूंजी लगाते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, उसका उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिलता। आज महंगाई बढ़ गई है, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, खाद ब्लैक में मिल रही है। किसानों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं हैं। कई प्रदेश ऐसे हैं जिनकी स्थिति बद से बदतर है। जैसे बिहार में कोई उद्योग धन्धा नहीं है। मैं माननीय रेल मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ उद्योग धन्धे लगवाकर वहां की व्यवस्था को ठीक करने का सफल प्रयास किया है, लेकिन आज भी वहां की आर्थिक व्यवस्था खेत और खलिहान पर निर्भर है। आपने देखा होगा कि इस बार वहां बाढ़ की विभीषिका से कितनी बड़ी तादाद में लोग अफैक्ट हुए हैं। लाखों लोग बेघर हो गए, उनकी पूरी सम्पत्ति नष्ट हो गई और आज उनकी स्थिति बहुत खराब है। आज खेत और खलिहान में काम करने वाले लोग व्यवस्थित नहीं हैं। उनके गांवों तक पानी ठीक ढंग से नहीं पहुंच पाता जिसकी वजह से उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार को एक पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि गांवों की दशा से ही देश की दशा बदल सकती है। जब तक गांवों की दशा नहीं बदलेगी, तब तक हम इस देश की दशा बदलने का सपना भी नहीं देख सकते। सरकार

को चाहिए कि वह गांवों में खुशहाली लाने के लिए कुछ करे। मैं समझता हूं कि इस बारे में माननीय वित्त मंत्री जी निश्चित तौर पर गौर करेंगे और कोई आवश्यक कदम उठाने का काम करेंगे। आज स्थिति यह है कि हम बेरोजगारी कम करने का काम नहीं कर पा रहे हैं। जब तक बेरोजगारी कम नहीं होगी तब तक हम देश की अर्थव्यवस्था को आगे कैसे ले जा सकते हैं। ...*(व्यवधान)* रोजगार के अवसर लाने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने पड़ेंगे, तभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। ...*(व्यवधान)*

हम माननीय दासगुप्त जी की बात से बिल्कुल सहमत हैं जिन्होंने कहा कि हम खुला बाजार हैं। हमारा देश बाजार बनकर रह गया है। ...*(व्यवधान)* हम ढंग से निर्यात करने का काम करें। ...*(व्यवधान)* हमारे यहां का उत्पादित माल लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ...*(व्यवधान)* हम निर्यात का विरोध नहीं करते, लेकिन दुनिया में आज की जो नई अर्थव्यवस्था है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, थैंक यू।

...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप यह बोलकर बैठ जाइए कि ठीक कदम उठाने चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मेहरबानी करके बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: हमें अपने उद्योग धन्धों से उत्पादित सामान की मार्किटिंग के लिए लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। जो कलकारखाने बंद पड़े हुए हैं, उनके लिए फंडिंग करनी चाहिए। जब तक हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तब तक हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो सकती।

अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लास्ट सैन्टेंस पर आइए।

श्री राम कृपाल यादव: मैं लास्ट सैन्टेंस पर ही आ रहा हूं। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि जब तक खेत और खलिहान में लगे हुए हाथों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं जायेगा तब तक आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं हो सकती और न ही हम इस वित्तीय मंदी से निकल पायेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: 'कि हम बैठते हैं' के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, विश्व वित्तीय संकट के संदर्भ में देश की आर्थिक स्थिति के संबंध में इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने पर मुझे प्रसन्नता है।

यूरोप में फोर्टिस और अमरीका के वाशिंगटन में मेरिल लिंच और लेहमन ब्रादर्स जैसे बैंकिंग संस्थानों के बर्बाद हो जाने के कारण दुनिया भर के विकसित और विकासशील दोनों ही देशों पर प्रभाव पड़ा है, और भारत इस विश्व समुदाय का एक भाग होने के कारण इस संकट की खामियों और खराबियों से अपने आप को नहीं बचा सकता। परन्तु साथ ही मैं इस दृष्टिकोण का समर्थन भी नहीं करता कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार और ढांचा इस संकट से प्रभावित हुआ है। यह संकट यूरोप के दो बड़े देशों के वित्तीय संस्थानों से उत्पन्न हुआ है यदि इसका थोड़ा बहुत भी प्रभाव पड़ा है तो वह हमारे देश की वित्तीय व्यवस्था पर पड़ा और इससे अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्रों जैसे कृषि और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को बहुत अधिक प्रभावित नहीं किया है।

यह समस्या इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि लोग जो बाहरी वित्त पर निर्भर थे उन्हें विदेशों से पर्याप्त धन जुटाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है इसलिए भारत की बैंकिंग व्यवस्था में भारी मांग है और इस मांग को पूरा किया जाना चाहिए। सरकार ने इस स्थिति को उचित ढंग से सम्भाला है और बैंकिंग व्यवस्था में नकदी की बढ़ोत्तरी कर निधियों की बढ़ती मांग को पूरा किया है।

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था आज पूर्णत: सुरक्षित है जिसके दो मुख्य कारण हैं जिसका किसी भी सदस्य द्वारा उल्लेख नहीं किया

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[प्रो. एम. रामदास]

गया है। मैंने सोचा कि यह मेरा कर्त्तव्य है कि मैं इसका उल्लेख करूं। जब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री वित्त मंत्री थे तो उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में नरसिंहमन समिति का गठन किया जिसने बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री जी को जाता है। भारत सरकार तथा साथ ही रिजर्व बैंक ने भी उन सिफारिशों पर गम्भीरता से विचार किया और उन्होंने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत नींव प्रदान की जो देश के बाहर विश्व के किसी भी भाग में होने वाली घटना से प्रभावित नहीं हो सकता। पूंजी पर्याप्तता सिद्धांत जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किये थे, ने हमारी बैंकिंग व्यवस्था की सहायता की है और बैंकिंग व्यवस्था ने देश के बाहर पूंजी निवेश की अनुमति नहीं दी और इससे भी स्थिति को बचाया जा सका।

इसके अतिरिक्त देश के अन्य भागों में बैंकिंग व्यवस्था जो कि निजी क्षेत्र के हाथों में हैं, विपरीत देश के अधिकांश बैंकिंग संस्थान सरकारी क्षेत्र में हैं। इनका विनियमन इक्विटी पर विचार करके, आर्थिक वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है इसका श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी को जाता है जिन्होंने 1969 में इन संस्थानों का राष्ट्रीयकरण करवाया था। इस प्रकार वित्तीय संस्थानों का स्वरूप सरकारी होने के कारण ये वित्तीय संकट का कुशलतापूर्वक सामना कर पाए हैं। यदि कोई देश की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को आंकना चाहता है तो उसे देश की आर्थिक विकास दर एक नजर डालनी चाहिए जो तथाकथित मंदी के दौर में भी बेहतर निष्पादन करती रही हैं।

अनेक सदस्यों, जिन्होंने अपने मत रखे, ने कहा कि देश में भारी मंदी है। शायद उन्हें मंदी की अवधारणा की जानकारी नहीं है। मंदी उस स्थिति में होगी जब खपत व्यय निम्नतम स्तर पर चला जाए, परन्तु भारतीय अर्थव्यवस्था में आज ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि चालू वित्त वर्ष के दौरान माननीय वित्त मंत्री द्वारा दी गयी रियायतों से भारत के करदाता लाभान्वित हुए हैं। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को 40000 रु. से 45000 रु. प्रति वर्ष का लाभ मिलेगा और इस वृद्धि से लोगों की क्रय शक्ति में बढ़ोत्तरी हुई है।

अध्यक्ष महोदय: उनको उत्तर मत दीजिए। कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

...(व्यवधान)

प्रो. एम. रामदास: मैं अर्थव्यवस्था की वास्तविक दृष्टि प्रस्तुत कर रहा हूं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप आपसी चर्चा में केवल अपना समय व्यर्थ कर रहे है। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हैं।

...(व्यवधान)

प्रो. एम. रामदास: अत: मंदी की स्थिति हमारे देश में बहुत अधिक मायने नहीं रखती है क्योंकि लोगों के पास क्रय शक्ति है। छठे वेतन ने भारतीय लोगों के हाथों में 22,000 करोड़ रु. की राशि दी है। देश में वर्तमान जारी निवेश लगभग तीन लाख करोड़ रुपये का होगा, जिससे अर्थव्यवस्था 4.5 गुना बढ़ेगी। जिससे आय में वृद्धि होगी और फलत: लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। कंपनियों के श्रम बिलों में 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 8000 रु. और वर्ष में 100 दिनों के रोजगार का आश्वासन दिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब तक उपेक्षित रहे समाज के इस वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी और उपभोग क्षमता में भी मामूली वृद्धि होगी। सरकार द्वारा किसानों को दी गई ऋण माफी योजना से लोगों को अप्रत्यक्ष अतिरिक्त क्रय शक्ति प्राप्त होगी। ये सभी कारक क्रय शक्ति लोगों के हाथ में बनाए रखेंगे और वह कम नहीं होगी। इसलिए आज भी देश के सभी संस्थानों द्वारा अनुमान लगाया गया है। इस वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की न्यूनतम विकास दर 8.2 प्रतिशत रहेगी। जहां एक ओर विश्व अर्थव्यवस्था की विकास दर 0.9 प्रतिशत रहेगी वही भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 8.2 प्रतिशत रहेगी, जो यह दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार बहुत सुदृढ़ है। विदेशों में चाहे कुछ भी हो अथवा उनके वित्तीय संकट के कारण इस सुदृढ़ अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ग्रामीण क्षेत्र का आधार बहुत सुदृढ़ है। मानसून की स्थिति ने कृषि क्षेत्र में सकारात्मक वातावरण उत्पन्न कर दिया है। इसलिए हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस गलतफहमी में रहने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किसी संकट की ओर अग्रसर है अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ रही है और यह कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी का सामना कर रही है। ये सभी लोगों की निराधार आशंकाएं हैं।

मेरे विचार से भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। सभा में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि इस देश में मुद्रास्फीति की दर 15 अथवा 16 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। परन्तु आज क्या हो रहा है 11.2 प्रतिशत अथवा 12.2 प्रतिशत पहुंचने के पश्चात् मुद्रास्फीति की दर गिरकर 7.1 प्रतिशत हो गयी है। जनवरी तक यह लगभग छ: प्रतिशत होगी। आज भारतीय अर्थव्यवस्था को मंदी की चिंता किये बिना विकास प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए।

भारतीय अर्थव्यवस्था का यह चित्रण करना कि उसमें गिरावट आ रही है यह स्वार्थपूर्ण होगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री के. येरननायडु जी।

नायडू जी आपको केवल दो मिनट का समय आवंटित किया गया है। परन्तु मैं आपको चार मिनट का समय दूंगा।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। आज हम वैश्विक आर्थिक संकट के संदर्भ में देश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। हमारे बहुत से मित्रों ने कई सुझाव दिये हैं। सर्वप्रथम, भारत सरकार को बैंकों के माध्यम से अवसंरचना, आवास आदि के लिए और अधिक नकदी का सृजन करना चाहिए। केवल तभी रोजगार में वृद्धि होगी। अब बहुत सी कंपनियां अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं। विशेष रूप से कपड़ा क्षेत्र और निश्चित रूप से अन्य क्षेत्रों में भी लाखों लोगों का रोजगार छिन गया है।

हमें ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति का सृजन करना होगा। हमारी सत्तर प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। वे कृषि पर आश्रित हैं। अब, कृषि क्षेत्र में मंदी है। अभी भी कृषक आत्महत्या कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पैकेज की घोषणा किये जाने के बाद भी, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जिले में कृषकों का आत्महत्या करना जारी है।

अब, फसल की कटाई का मौसम है। इसलिए, उन्हें रोजगार मिल रहा है। दो या तीन महीने के बाद, पुन: कठिनाई होगी। इसीलिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को 1 जनवरी के बाद से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। जहां कहीं भी रोजगार नहीं है। वहां हमें निर्देश देने होंगे। अब ये रोजगार रुक गए हैं। यह मंदी का समय है। कटाई चल रही है। इसलिए जिला कलेक्टर किसी कार्य की मंजूरी नहीं दे रहे हैं।

सायं 6.00 बजे

इसलिए, वर्तमान संदर्भ में, हमें रोजगार और क्रय शक्ति का सृजन करना होगा। यदि उनके पास पैसा होगा तो वे बाजार जा सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। अत: इस तरीके से आर्थिक कार्यकलापों का सृजन होगा।

महोदय, हमारा बैंकिंग क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र में है। वामपंथी दलों के हमारे मित्रों के कारण हमने बैंकिंग, बीमा और अन्य क्षेत्रों में न तो उदारीकरण किया और न ही निजीकरण किया। इससे देश की अर्थव्यवस्था को मदद मिली है।

महोदय, इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि धन की कमी के कारण राज्य भी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इसलिए, भारत सरकार को राज्य सरकारों की भी सहायता करनी चाहिए और जब कभी भी राज्य केन्द्र सरकार से मदद मांगे, तो उन्हें राज्य सरकारों को कुछ सहायता देनी होगी। अन्यथा, इससे बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए, वर्तमान परिदृश्य में, सरकार को भविष्य को ध्यान में रखना चाहिए और आने वाले पांच या छह महीनों में देश में अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए भारत सरकार को आवश्यक निर्णय लेने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: अब, छह बजे हैं। हम चर्चा पूरी होने तक इसे जारी रखेंगे।

श्री बैसीमुथियारी, आपको चार मिनट के भीतर अपना भाषण समाप्त करना होगा।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। सर, मेरा दृष्टिकोण यह है कि हमारे देश की अवस्था के बिगड़ने के कुछ कारण हैं। आज हिंदुस्तान के हरेक सेक्टर के विकास के लिए, जितने प्रोजेक्ट्स और स्कीमें वगैरहा, देश के कोने-कोने और अंचलों के विकास के लिए ली जाती हैं, उसके अनुपात में उतनी धनराशि आवंटित नहीं की जाती है। उन स्कीमों और प्रोजेक्ट्स वगैरह की जिस तरह पॉलिटिकल एसपैक्ट को ले करके घोषणाएं की जाती हैं, वे अच्छे ढंग से लागू नहीं होती हैं। करोड़ों रुपया उन प्रोजेक्ट्स और स्कीमों पर खर्चा किया गया लेकिन खर्चा करने के बाद, इंवैस्टमेंट करने के बाद उन प्रोजेक्ट्स और स्कीमों से कुछ न कुछ फायदा आना चाहिए था, प्रोडक्शन होने की जरूरत थी, लेकिन वह रुपया उसके मुताबिक खर्च नहीं हो पाया है।

हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को जितना मजबूत करना था, डेवलप करना था, उसके मुताबिक हम आज तक इस सेक्टर को डेवलप नहीं कर पाए हैं। भारत की 80 प्रतिशत आबादी कृषि क्षेत्र में काम करती है और कृषि पर भी उसका जीवन निर्भर करता है। हमारे जितने ट्राइबल्स अंचल हैं, उनमें किसानों को जिस ढंग से सहायता और मदद करनी चाहिए थी, उसके मुताबिक आज तक मदद और सहायता नहीं की गयी है।

मैं भारत सरकार का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश की आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 130 करोड़ है। इस 130 करोड़ की

[श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी]

आबादी का डेवलपमेंट, हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। इसलिए 60 साल की आजादी के बाद भी हमें जिस ढंग से आगे बढ़ना चाहिए था, उस ढंग से हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि जितने भी हमारे सेक्टर हैं, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो या कोई और सेक्टर हो और खासकर जो ट्राइबल अंचल हैं, ट्राइबल्स एरिया हैं, उनका विकास करने के लिए, उन्हें डेवलप करने के लिए, भारत सरकार की तरफ से जितनी भी धनराशि देने की जरूरत हो, उतनी धनराशि की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से दर्खास्त करना चाहता हूं कि हमारी बोडोलैंड पीपल कौंसिल सरकार को, भारत सरकार की तरफ से पिछले पांच सालों में, हरेक साल के लिए 100 करोड़ रुपया मिल चुका है। लेकिन इन 500 करोड़ रुपयों से हमारे लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है।

अध्यक्ष महोदय, आगामी पांच सालों में हर साल के लिए कम से कम पांच सौ करोड़ रुपये देने की व्यवस्था करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2007 में हमारे यहां आ कर एडिशनल रुपया देने के लिए वायदा किया था, लेकिन अभी तक वह एडिशनल फंड नहीं मिला है। मेरी दर्खास्त है कि हमारे बोडोलैंड अंचल, ईस्टर्न रीजन और जितना भी पिछड़ा हुआ ट्राइबल एरिया है, उनके विकास के लिए पर्याप्त धनराशि देने की आवश्यकता है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे बोडोलैंड एरिया के ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए कम से कम सरकार की तरफ से एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय सैंक्शन करने की जरूरत है।

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए आपका अत्यंत आभारी हूं। आज सदन में विश्व में छाई हुई आर्थिक मंदी पर गंभीर चर्चा हो रही है। जहां एक ओर हमारे प्रधानमंत्री जी यह कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है और हमारा ग्रोथ रेट साढ़े सात परसेंट से ज्यादा है, वहीं दूसरी तरफ वे यह भी कह रहे हैं कि विश्व की आर्थिक मंदी का असर देश के ऊपर बहुत तेज गति से पड़ सकता है। लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। मैं मानता हूं कि विश्व की आर्थिक मंदी से समूची दुनिया डरी हुई है। चूंकि हमारा देश प्रगतिशील देश है और हमारी आर्थिक स्थिति निश्चित तौर पर दूसरे देशों से कमजोर है। मैं प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। लेकिन इस मंदी से हमारी आर्थिक स्थिति को जो नुकसान हुआ है, उसके बारे में बताना चाहता हूं। श्री आडवाणी जी से देश के उद्योगपति मिलने के लिए आए थे। उन लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि आने वाले समय में हमारे देश के भीतर लगभग 25 लाख लोग बेरोजगारी का शिकार होने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई बड़े कारखाने बंद होने की स्थिति में आने वाले हैं। हमारी लगभग 121 कम्पनियां, जो निर्यात का काम कर रही थीं, उनका पूरी तरह से धंधा बंद हो गया है। उन्हें बैंक ने लोन देना बंद कर दिया है। उन कम्पनियों को 1800 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खेती है और देश में जितने भी धंधे चल रहे हैं, उनमें सबसे घाटे का धंधा खेती का है। हमारे देश के 70-80 फीसदी लोग इस काम में लगे हुए हैं। जब तक हम इस धंधे को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। दूसरी तरफ हमें कुछ सैक्टर्स को सिलेक्ट करना चाहिए, जिससे कि हम आत्मनिर्भर बने रहें और अगर कभी इस तरह की आर्थिक मंदी आ जाए, तो भी हम अपनी अर्थव्यवस्था को संकट में पड़ने से बचा सकें। इस विषय पर हमें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए।

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत हम 365 दिनों में से केवल 100 दिन का रोजगार देने का नियम हैं। एक आदमी काम करने वाला है और दस लोग खाने वाले होते हैं। इतनी महंगाई में कैसे वह व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमारी प्रति व्यक्ति आय रोज बढ़ती चली जा रही है। मैं समझता हूं कि ये बातें अपने आप में विरोधाभासी हैं। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, तो कहीं न कहीं हमारे उत्पादन के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। गरीब आदमी की जिंदगी कैसे सुधरे, कैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, कैसे हमारे उत्पादन की रफ्तार बढ़े? विश्व बैंक ने जिन-जिन कार्यों के लिए हमें सहयोग दिया है, आज वे सारे काम या तो बंद होने की स्थिति में हैं या उनके निर्माण के काम की गति धीमी हो गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मंदी का बहुत व्यापक असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। भारत सरकार को बहुत गंभीरता से इस विषय पर सोचना चाहिए। हम देश की जनता को कैसे पूरी तरह कह सकेंगे कि आर्थिक मंदी से देश को बचाएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है। बैंकों में जनता का जो जमा है, वह पैसा मारा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ बैंक वालों ने फाइनेन्स करना बंद कर दिया है। केन्द्र सरकार ने किसानों का 65 हजार करोड़ रुपये का ऋण माफ किया लेकिन रिजर्व बैंक को अभी मात्र 20 हजार करोड़ रुपये दिये हैं। 45 हजार करोड़ रुपये कब देंगे? आखिरकार

बैंक पैसा कहां से लाएंगे और वे कैसे दूसरे सैक्टर्स में फाइनेंस करने का काम करेंगे? प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री देश और दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं। अभी आपकी जॉर्ज बुश के साथ मीटिंग हुई। जॉर्ज बुश साहब आपका इंतजार कर रहे थे क्योंकि आप दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने कहा कि मैं आपका इंतजार कर रहा था। आपके अनुभव का लाभ देश को मिलना चाहिए या नहीं? प्रधानमंत्री के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में, एक अच्छे अर्थशास्त्री के रूप में आपके अनुभव का लाभ देश को मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि लाभ नहीं मिला। आज अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है और वह किसी से छिपी नहीं है। केन्द्र सरकार चारों तरफ से विफल रही है।

मैं इतना ही कहते हुए आपको धन्यवाद देता हूं। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत की आर्थिक स्थिति चिन्ताजनक है और इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

[अनुवाद]

*डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, देश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा पर चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

आरंभ में, मैं अवश्य ही यह सार्वभौमिक सत्य उद्धृत करना चाहूंगा कि किसी भी अनियंत्रित प्रणाली का अंततः विनाश होगा, जो कि अपरिहार्य है। विश्व की आर्थिक प्रणालियों के साथ भी यही हुआ है। जो गाड़ी अनियंत्रित गति से चल रही हो उसके साथ अंततः दुर्घटना होती है। यहां तक कि मानव शरीर में भी कोशिका के अनियंत्रित या अनियमित गुणन के परिणामस्वरूप उस अंग में कैंसर का विकास होगा जिसका उपचार नहीं किया गया तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसके उपचार के लिए हानिकारक औषधियों की आवश्यकता होती है जिससे जीवन की गुणवत्ता और जीवनप्रत्याशा कम होगी। मैं वर्तमान आर्थिक संकट की तुलना "आर्थिक कैंसर" से करता हूं जिसका यदि उपचार नहीं किया गया तो इसके परिणामस्वरूप आर्थिक प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आर्थिक विकास आवश्यक है परंतु यह सु-विनियमित होना चाहिए। इसलिए हमें सुविनियमित समावेशी आर्थिक विकास करना है। इस आर्थिक कैंसर का जन्म काफी पहले नब्बे के दशक के आरंभ में ही हो गया था जब हमने अपने देश की समाजवादी आर्थिक विशेषताओं को भूलते हुए वैश्वीकृत आर्थिक नीति को अपनाया और उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण का आरंभ किया। अपने अनुभवों से शिक्षा लेकर, हमारे देश के भूतपूर्व प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी आर्थिक नीतियों का अनुपालन किया था। वे राष्ट्रीयकरण में विश्वास करते थे। उनकी दृष्टि में, हर क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए विशेष रूप से उन क्षेत्रों का जो देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। उन्होने सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व दिया। उस समय बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पुनः श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इसे सुदृढ़ किया गया, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। परंतु जब हमने स्वर्गीय श्री नरसिंहा राव के शासनकाल में नव-उदारवादी नीति को अपनाया, तो कांग्रेस दल नेहरूवादी आर्थिक नीति और इंदिरा जी की नीति से अलग हो गया। हमारे देश में यह वामपंथी प्रगतिशील आंदोलन था जो राष्ट्रीयकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण का पक्षधर था और जिसने सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने का पक्ष लिया। यद्यपि संप्रग सरकार का इरादा सभी क्षेत्रों का निजीकरण करने और सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) तथा विदेशी संस्थागत निवेश बढ़ाने का है, ये केवल वाम और वाम दल ही थे जिन्होंने प्रत्येक क्षेत्र को खोलने का विरोध किया था। इन्होंने ही बीमा क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने का विरोध किया था। वास्तव में इसी ने देश को उस आर्थिक मोर्चे पर असफल होने से बचाया। जिसका सामना अब शक्तिशाली अमेरीकी अर्थव्यवस्था और यूरोपीय अर्थव्यवस्था को करना पड़ रहा है। इसलिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार और भारत के लोगों को देश के वामदलों का ऋणी होना चाहिए।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री सहित वैश्वीकरण के पैरोकारों ने यही कहा था कि वैश्वीकरण का कोई विकल्प नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि अब उनका क्या कहना है? मैं उनको यह स्मरण कराना चाहता हूं कि वैश्वीकरण का विकल्प है और वह है समाजवाद। भूतपूर्व वित्तमंत्री के इस नुस्खे कि नव-उदारवादी नीति जैसा कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 26% से बढ़ाकर 49% तक करने और उदारीकरण के पक्ष में बैंककारी विनियमन और पेंशन फण्ड विनियमनों की मुहिम से परिलक्षित होती है, पर दृढ़तापूर्वक और तेजी से आगे बढ़ा जाए, के कारण देश रसातल में डूब जाएगा। इसलिए कृपा करके उदारवादी नीतियों पर न चलें। इसलिए वर्तमान संकट से उबरने के लिए राष्ट्रीयकरण सार्वजनिक खर्च में बढ़ोत्तरी करने और कृषि क्षेत्र जिस पर देश की 85% आबादी अपनी आजीविका हेतु निर्भर है, पर ध्यान देने के माध्यम से समाजवादी आर्थिक सुधारों को वापिस लाना ही उपचारात्मक उपाय है। कृषि, लघु उद्योगों, अवसंरचना विकास में सार्वजनिक खर्च को बढ़ाना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु और अधिक निधि प्रदान करने, घरेलू व्यापार को बढ़ावा देने पर जब यथा समय ध्यान दिया जाए तो इससे राज्यों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकती है। यदि कोई आर्थिक पैकेज

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डा. के.एस. मनोज]

केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किये जाएं तो उसमें भी राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए।

***श्री फ्रांसिस फैन्थम** (नामनिर्दिष्ट): महोदय, मैं देश में व्याप्त आर्थिक स्थिति के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यद्यपि देश को इस बात की संतुष्टि है कि तुलनात्मक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी लचीलापन देखने को मिला है लेकिन माननीय वित्त मंत्री द्वारा बार-बार यह आश्वासन दिये जाने के बावजूद कि अमेरिका की आर्थिक मन्दी से भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं होगी, विगत चार महीनों में, यद्यपि हम चाहे मंदी के चपेट में नहीं भी हों तो भी आर्थिक सुस्ती से आर्थिक विकास की दर लगभग 8.5 प्रतिशत से घटकर लगभग 6.5% रह गई है।

महोदय, चाहे विनिर्माण का क्षेत्र हो या फिर सेवा क्षेत्र, देश के उद्योगों को जबरदस्त मन्दी का सामना करना पड़ रहा है। परिणामस्वरूप, निर्यात में कमी आ रही है और लोगों की क्रयशक्ति में काफी गिरावट आई है। फलत: जैसाकि हमेशा से होता आया है, गरीब लोग सबसे अधिक प्रभवित होते हैं। लघु उद्योग बन्द हो रहे हैं। मध्य और निम्नस्तर की नौकरियों में छंटनी हुई है। आम आदमी के मनोबल में बेहद गिरावट आई है और अपने भविष्य में उनका विश्वास डगमगाया है और इसके परिणामस्वरूप वृहतर राष्ट्रहित में योगदान देने के उनके सामर्थ्य में कमी आई है।

महोदय, मैं सरकार का ध्यान विशेष रूप से इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मन्दी की मार कृषि क्षेत्र पर भी पड़ रही है। यह बात उल्लेखनीय है क्योंकि वर्ष 2008-2009 का बजट प्रस्तुत करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने अपेक्षा की थी कि इस क्षेत्र में 2.8 प्रतिशत से 4.6 प्रतिशत की भारी वृद्धि देखने को मिलेगी। क्रय शक्ति में कमी आने के साथ-साथ किसान बीज, उर्वरक और डीजल खरीदने तथा मजदूरों को भाड़े पर लेने में असमर्थ हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि इससे उत्पादकता प्रभावित हुई है।

सं.प्र.ग. सरकार का मुख्य जोर ग्रामीण अर्थव्यवस्था चाहे यह स्वास्थ्य सेवाएं हों, कनेक्टिविटी हो, रोजगार हों या सुख सुविधाएं हों, इनमें सुधार लाने पर रहा है। ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने और वह उत्पादकता जिस पर महान देश के नागरिक होने के नाते उनका हक बनता है, लाने पर जोर दिया गया है। वर्तमान आर्थिक मन्दी का परिणाम आकांक्षाओं में कमी होने और उनके वाजिब सपनों के साकार होने की संभावनाएं क्षीण हो गई हैं। यह राष्ट्र के लोगों की संख्या का लगभग 70% बैठता है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

आर्थिक परिदृश्य पर दृष्टि डालने से यह दिखाई देता है:

- सीमेन्ट, इस्पात, ऊर्जा उत्पादन में गिरावट आई है;
- धन के प्रवाह में कमी;
- शेयर बाजारों में उत्पादकता का अभाव;
- (मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और इसमें गिरावट आ रही है);
- विदेशी मुद्रा भण्डार 265 बिलियन अमेरीकी डॉलर से घटकर 250 बिलियन अमेरीकी डॉलर रह गया है;
- ग्रामीण क्षेत्र अनुकूल प्रोत्साहनों के कारण राजकोषीय घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 5% हो गया है;
- रुपये का मूल्य एक अमेरीकी डॉलर के बदले में 48 रुपये से घटकर 39 रुपये रह गया है।
- निर्यात में कमी का रुख दिखाई दे रहा है।

ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज राष्ट्रीय आर्थिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने हेतु लोगों में विश्वास की भावना उत्पन्न करने में सफल नहीं हो पाए हैं। न केवल राजकोषीय क्षमता सीमित रही है, अपितु सट्टेबाजी के कारण वित्तीय संस्थाओं में विश्वास का अभाव भी बढ़ा है।

लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किये जाने की आवश्यकता है:

- लोगों की क्रयशक्ति को बढ़ाना;
- आवश्यक वस्तुओं के दामों को घटाना;
- ब्याज दर को घटाकर लगभग 9% तक लाना;
- अमेरीकन डॉलर के मूल्य में उतार-चढ़ाव से रुपये को बचाना;
- उन उद्योगों को प्रोत्साहन देना जो आम लोगों के लिए रोजगार में वृद्धि करते हैं;
- निर्यात और विदेशी मुद्रा अर्जन हेतु प्रोत्साहन देना;
- उन लोगों को सुविधाएं प्रदान करना जो दीर्घावधि अवसंरचना विकास परियोजनाओं में निवेश करते हैं।

इससे हमें मुद्रास्फीति का सामना करने और उत्पादकता में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी। इन्हीं टिप्पणियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री एस.के. खारवेनथन** (पलानी): महोदय, मुझे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने पर मैं सभापीठ का धन्यवाद करता हूं।

अमरीकी वित्तीय संकट की गूंज विकसित और विकासशील दोनों देशों में सुनाई पड़ी है। हमारे भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को उतनी क्षति नहीं उठानी पड़ी है जितनी कि अमेरिका और पश्चिमी विश्व के बैंकों को उठानी पड़ रही हैं। विदेशी बैंक अर्थात् यूरोप में फोर्टिस बैंक और अमरीका में मेरील लिन्च, लागमेन ब्रदर्स और वॉशिंगटन म्युचुअल बुरी तरह पिट चुके हैं। वैश्विक वित्तीय सुनामी ने भारतीय वित्तीय संस्थाओं पर आक्रमण नहीं किया है। भारतीय बैंकों ने विदेश स्थित अपने समकक्षों की तुलना में कम जोखिम लिया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने विद्यमान वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने के लिए श्री एम. नरसिम्हम को प्राधिकृत किया है। श्री एम. नरसिम्हम ने भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की संरचना तैयार करने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को एक बहुमूल्य रिपोर्ट सौंपी है। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने एम. नरसिम्हम समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और उनको कार्यान्वित करने का भी निर्णय लिया है। हमें संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल बैंक की तुलना में भारतीय रिजर्व बैंक की इसके बेहतर कामकाज के लिए प्रशंसा करनी होगी। यू.एस. फेडरल रिजर्व की तुलना में भारतीय रिजर्व बैंक का विनियमन बेहतर रहा है। वर्ष 2006-07 के दौरान यू.एस. फेडरल रिजर्व का लाभ लगभग 39 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा जिसमें से इसने 34 बिलियन अमेरीकी डॉलर यू.एस. रिजर्व में अन्तरित कर दिये थे। यह हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के विपरीत हैं जो तकरीबन 50,000 करोड़-60,000 करोड़ रुपये के लाभ का भारत की आकस्मिक निधि में विनियोग करता है और यह केवल 10,000 करोड़ रुपये सरकार को अंतरित करता है। यदि इसने यू.एस. फेडरल रिजर्व का अनुकरण किया होता तो क्या होता। इस समय तक हमारा बैंकिंग उद्योग ध्वस्त हो चुका होता।

यद्यपि वैश्विक वित्तीय संकट से बैंकिंग उद्योग प्रभावित नहीं हुआ लेकिन इससे कुछ हद तक औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित हुआ है। टाटा मोटर्स ने नवम्बर में छह दिन तक अपनी पुणे स्थित इकाई और तीन दिन तक जमशेदपुर संयंत्र को बन्द करने की घोषणा की। अशोक लीलैण्ड ने अपने कार्यदिवसों में कटौती करके 3 दिन प्रति सप्ताह कर दिया। इस्पात विनिर्माता एस्सार ने अपनी उत्पादन क्षमता को घटाने का निर्णय लिया। टाटा स्टील की अमेरीकी अनुषंगी कंपनी ने भी 400 नौकरियों को समाप्त करने का निर्णय लिया।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मांग में तेज गिरावट के कारण सीमेंट विनिर्माताओं ने अपनी उत्पादन क्षमता में 85% की कटौती करने का निर्णय लिया है। विमान-सेवा उद्योग ने भी पायलटों सहित अपने कर्मचारियों की छंटनी करने का निर्णय लिया है। एल एंड टी इंफोटेक के स्वामित्व वाली एल एंड टी ने भी अपने कर्मचारियों पर त्यागपत्र देने के लिए दबाव डाला है और 100 व्यक्ति पहले ही त्यागपत्र दे चुके हैं।

श्रीमती सोनिया जी की अध्यक्षता में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को प्रभावी ढंग से और सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है और इसलिए हमारी ग्रामीण जनता गरीबी से बची हुई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इस संकट का सामना करने के लिए हर संभव उपाय किये थे। 3 नवंबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने भारतीय उद्योगों से आग्रह किया कि वे नौकरियों में कटौती न करें। हमारी यूपीए सरकार ने पहले ही प्रमुख अवसंरचना विकास कार्यक्रमों यथा सड़क, रेलवे, अस्पताल, स्कूल और कॉलेजों आदि के निर्माण के लिए और अधिक धनराशि का निवेश करने का निर्णय लिया है। निश्चित रूप से इससे देश में गरीब जनता के लिए रोजगार का सृजन होगा। भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए पहले ही कर कटौती सहित नए पैकेजों की घोषणा की है। सरकार ने समान रूप से सब पर शुल्क में मूल्यानुसार 4% कटौती करने की घोषणा की है और चालू वर्ष में अवसंरचना विकास के लिए 20000 करोड़ रुपये का व्यय करने का निर्णय लिया है। हमारी यूपीए सरकार द्वारा समय पर की गई कार्रवाई के कारण मुद्रास्फीति की दर में दिन-प्रतिदिन गिरावट आनी आरंभ हो गई है। सरकार पहले ही पट्रोल की कीमत में 5 रुपये प्रति लिटर और डीजल की कीमत में 2 रुपये प्रति लिटर की कटौती करने की घोषणा कर चुकी है। डा. कलाईगनार करुणानिधि की अध्यक्षता में तमिलनाडु सरकार पहले ही रियायती दरों पर चावल देने की योजना कार्यान्वित कर चुकी है। सभी जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर एक रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल की बिक्री की जा रही है। इस योजना को सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जाना है।

कृषकों की सुरक्षा के लिए, तमिलनाडु सरकार ने संपूर्ण तमिलनाडु में समस्त कृषकों द्वारा लिये गये 6786 करोड़ रुपये के सहकारी ऋणों से कृषकों को ऋण मुक्त कर दिया है। भारत सरकार ने भी 70,000 करोड़ रुपये तक के कृषक ऋणों का अधित्याग कर दिया है और उन्हें ऋण मुक्त कर दिया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए ये सभी उपाय सराहनीय हैं।

[श्री एस.के. खारवेनथन]

इस समय मैं देश को वित्तीय संकट से बचाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा समय पर की गई कार्रवाई के लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

गृह मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): अध्यक्ष महोदय, मैं श्री रूपचंद पाल जिन्होंने इस चर्चा को आरंभ किया और 17 अन्य माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। मैं क्षमा चाहता हूं कि जब इनमें से तीन या चार सदस्यों ने अपनी बात कही तब मैं सभा में उपस्थित नहीं था, परन्तु मैंने उनकी मुख्य बातों को बहुत ध्यान से नोट कर लिया है।

महोदय, मुझे खुशी है कि अब राष्ट्र विकास पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है और विकास में एक या दो प्रतिशत की गिरावट से माननीय सदस्य चिंतित हैं। मुझे याद है कि गत चार वर्षों में जब हमने विकास की बात की, तो विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए इस सरकार की खिल्ली उड़ाई गई। आज एक माननीय सदस्य ने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद विकास में एक प्रतिशत की गिरावट का अर्थ है कि 4 करोड़ लोग गरीब हो जाएंगे। अत: मैं इस तर्क को उलट देता हूं। जब औसत विकास दर 5.8 प्रतिशत से बढ़कर 8.8 प्रतिशत हो गई, यानि 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, तब निश्चित रूप से 12 करोड़ लोगों की स्थिति बेहतर होनी चाहिए। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अपनी कथनी, अपनी सैद्धांतिक स्थिति तथा अपने सुझावों में एकरूपता रखनी चाहिए।

हम इस बात से इन्कार नहीं कर रहे कि वर्ष 2008-09 एक कठिन वर्ष रहा है और बाकी चार महीनों के दौरान भी यह वर्ष कठिन रहेगा। वस्तुत:, मैंने अपने बजट भाषण में ऐसा कहा था। हमने चार अच्छे वर्ष देखे हैं और मैं हमारे किसानों, हमारे कामगारों, हमारे सेवा प्रदाताओं, व्यापारियों, श्रमिकों और हर व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने चार वर्षों तक इस देश के अभूतपूर्व विकास में अपना योगदान दिया। यदि सरकार विकास के इन चार वर्षों का श्रेय लेती है, तो आप श्रेय दे भी सकते हैं, और नहीं भी दे सकते, परंतु हमारे किसानों, हमारे कामगारों या श्रमिकों या हमारे सेवा प्रदाताओं को श्रेय देने से इन्कार नहीं किया जा सकता, जिन्होंने हमें असाधारण विकास की यह अवधि प्रदान की, जिसे यूपीए सरकार के प्रथम चार वर्षों के अलावा भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा गया।

यह वर्ष एक कठिन वर्ष है। मैंने ऐसा कहा है और यदि आपको मेरी बात पर ज्यादा भरोसा नहीं है, तो प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है और विश्व में प्रत्येक व्यक्ति ने यही कहा है। कई कारणों से यह वर्ष एक कठिन वर्ष है। मैं इनमें से कुछ का उल्लेख करता हूं ताकि हम उस संदर्भ को समझ सकें जिसमें हम इस विषय की चर्चा कर रहे हैं। विकास की लंबी अवधि, निम्न मुद्रास्फीति, निम्न ब्याज दर और पूरे विश्व में स्थूल आर्थिक स्थायित्व के कारण प्रचुर मात्रा में बचत की गई। एशियाई बचत ने मार्ग प्रशस्त किया, और नकदी बढ़ाने में योगदान दिया और इसके कारण न केवल एशिया में बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी अपव्यय हुआ। अमेरिका में मुख्यत: आवास क्षेत्र में कम साख वाले लेनदारों को अधिकाधिक ऋण दिया गया। इसे सब प्राइम मोर्टगेज मार्केट के रूप में जाना जाता है।

इन ऋणों को विधिवत प्रक्रिया अपनाए बगैर बैंक काउंटर पर प्रतिभूतिबद्ध और श्रेणीबद्ध किया गया तथा इस संबंध में तत्काल सौदेबाजी की गई जिसके कारण वित्तीय प्रपत्रों के अधिक होने की वजह से बाजार में अत्यधिक उठान आ गया। वर्ष 2005 के मध्य में आवास मूल्यों में गिरावट, ब्याज दरों में वृद्धि और विकास में कमी आने के कारण सब-प्राइम उधार लेने वाले उधार लौटाने में चूक गए जिससे वित्तीय क्षेत्र में संकट आया और आपने देखा कि वर्ष 2007-08 में क्या हुआ, मंदी, दिवालियापन और बेलआउट।

इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। विदेशी निवेशकों ने भारत सहित नवोदित बाजारों में अपनी शेयरधारिता को बेच दिया। बैंकों ने नवोदित बाजार बैंकों के लिए ऋण में कटौती कर दी। बैंकों ने नवोदित बाजार की कंपनियों के विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों का समायोजन करने से मना कर दिया। इससे डॉलर की कमी हो गई। चूंकि कंपनियां अपने विदेशी ऋणों का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रही थी, इसलिए उन्होंने धन के लिए, घरेलू संसाधनों का सहारा लिया। इसके कारण स्थानीय बाजार में कठिनाई की स्थिति हो गई, अवसंरचना विकास में मंदी आ गई, विदेशी व्यापार में गिरावट आई, जो कंपनियां उत्पाद या सेवाओं का निर्यात कर रही हैं उन्होंने प्रथम नकारात्मक आघात झेला और अब ये आघात अन्य बाजारों में भी फैल रहा है।

हमने बारंबार कहा है कि हम इस संकट का कारण नहीं हैं। चीन इस संकट का कारण नहीं है, भारत इस संकट का कारण नहीं है। ईश्वर की कृपा है कि अब चीन और भारत को इसके समाधान का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। जी-20 की बैठक में हमारे प्रधानमंत्री को जो उच्च सम्मान दिया गया

उसे मैंने देखा और मुझे इसका गर्व है। आज विश्व हमारे प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह, चीनी नेताओं और एशिया के अन्य नेताओं की ओर देखता है कि हम उन्हें इस समस्या से छुटकारा दिलाएं, इसी कारण इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जी-20 एकमात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंच बन गया है।

हमने थोड़ी पीड़ा झेली है और मैं ये नहीं कर रहा कि ये इस पीड़ा का अंत है। यदि विश्व में और अधिक मंदी आती है तो हमें थोड़ा और कष्ट हो सकता है। परंतु एक परिपक्व लोकतंत्र और परिपक्व अर्थव्यवस्था के रूप में हम गरीब और कम आय वाले वर्गों की पीड़ा को कम करने का अवश्य ही प्रयास करेंगे। हमें गरीबों पर अत्यधिक भार नहीं डालना चाहिए, परंतु जब तक विश्व की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती और हम पुनः 9 प्रतिशत के विकास मार्ग पर नहीं आते तब तक अनिवार्य रूप से हमें समायोजन की इस कष्टप्रद अवधि से गुजरना होगा।

महोदय, मेरे मित्र श्री अनंत कुमार यहां नहीं हैं। मैंने यह नहीं कहा कि वह आदतन यहां नहीं हैं, परन्तु आज वे यहां नहीं हैं। परंतु यदि वे चुनौती देने के लिए तैयार हैं, तो उन्हें निश्चित ही इसका जवाब सुनने के लिए यहां रुकना चाहिए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): अन्य मित्रगण यहां हैं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। उस परिपाटी का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया है।

श्री पी. चिदम्बरम: उन्होंने एक लेख का उद्धरण दिया है जो कथित रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी द्वारा लिखा गया है। मैंने उस लेख को पढ़ा है। मैं नहीं जानता कि उस लेख में लेखक का जो नाम दिया गया है वह सही नाम है या कोई छद्म नाम है। मैं यह भी नहीं जानता कि वह आईएएस अधिकारी है या नहीं। मैं बस इतना जानता हूं कि या तो वह एक निष्ठाहीन अधिकारी है या कायर है अथवा दोनों ही है। यदि उनमें साहस था, तो उन्हें पत्र लिखना चाहिए था, अपने नाम से उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए था और प्रधानमंत्री को भेजना चाहिए था। परंतु मुझे आशा है कि वे ऐसे अधिकारियों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने ऐसा नहीं किया था। इसलिए, छद्म नाम से या गुमनाम लेखक के लेख का उद्धरण देने और अपना बचाव करने का क्या मतलब है जब आप उत्तर देने के समय अनुपस्थित हैं।

चूंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन में प्रतिष्ठित सदस्य हैं, मैं इस बात को कई बार दोहरा चुका हूं। उन्होंने इस देश में छह वर्षों तक शासन चलाया है। शुरूआती पांच वर्षों में जो उनके वित्त मंत्री थे, वे उन्हें हटाकर उनके स्थान पर किसी अन्य को वित्त मंत्री बनना पड़ा। हमने उन्हें वित्त मंत्री बदलने के लिए नहीं कहा, उन्होंने उनको बदला। यदि उनका रिकार्ड इतना गौरवपूर्ण था, तो उन्होंने वित्त मंत्री को क्यों बदला?

उनकी सरकार के प्रथम पांच वर्षों में औसत विकास दर 5.3 प्रतिशत थी। इस सरकार के प्रथम चार वर्षों के दौरान औसत विकास दर 8.9 प्रतिशत है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: बिना अनुमति के ऐसे हस्तक्षेप को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, क्या उन्होंने आपसे अनुमति ली है?

अध्यक्ष महोदय: जो कुछ भी उन्होंने कहा मैंने उसे कार्यवाही-वृत्तांत से हटा दिया है।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं (बालासौर): मैं यहां हूं। मैं आपको चुनौती देता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम: अध्यक्ष महोदय की अनुमति के बिना आप ऐसा कहने वाले कौन होते हैं?

अध्यक्ष महोदय: यह चुनौती बाहर लॉबी में दें। यह शारीरिक मुकाबला जैसा लगता है।

श्री पी. चिदम्बरम: पिछले वर्ष को जोड़कर, आपकी विकास दर औसतन 5.8 प्रतिशत बनती है। विकास के संदर्भ में हमने बेहतर विकास दर हासिल की है। अब मैं राजकोषीय घाटे पर

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी. चिदम्बरम]

आता हूं। मैंने यह पहले भी कहा है और मैं इसे पुन: कह रहा हूं ताकि आपको यह संदेश मिले। आपको 4.8 प्रतिशत का राजकोषीय घाटा विरासत में मिला। जब आपके पहले वित्त मंत्री ने पद छोड़ा, यह 5.9 प्रतिशत था जो कि 1.1 प्रतिशत अधिक था। अंतिम वर्ष आपने इसे आंशिक रूप से कम किया और यह 4.5 प्रतिशत हो गई। हमें यह 4.5 प्रतिशत विरासत में मिला और वर्ष 2007-08 में वास्तविक आंकड़े बताते हैं कि राजकोषीय घाटा 2.8 प्रतिशत था। इसलिए, राजकोष के संबंध में कौन दूरदर्शी है राजग अथवा संप्रग।

अब हम राजस्व घाटे को लें। आपको यह 3 प्रतिशत विरासत में मिला। जब आपके पहले वित्त मंत्री ने पद छोड़ा यह 4.4 प्रतिशत था। जब आपके दूसरे वित्त मंत्री ने पद छोड़ा तो यह 3.6 प्रतिशत था जो पहले की तुलना में 0.6 प्रतिशत बढ़ गया, हमें यह 3.6 प्रतिशत विरासत में मिला और वास्तविक आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष हम इसे 1.2 प्रतिशत तक नीचे लाए हैं। इसलिए, राजस्व घाटे के संबंध में राजकोषीय रूप से कौन दूरदर्शी है।

आपको कर-सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात 9.1 प्रतिशत विरासत में मिला था। छह वर्ष के बाद यह बढ़कर 9.2 प्रतिशत हो गया। छह वर्ष बाद कर-सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 0.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमें यह 9.2 प्रतिशत विरासत में मिला और गत वर्ष हमने इस अनुपात को 12.5 प्रतिशत तक बढ़ाया। इसका तात्पर्य क्या है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसकी अनुमति नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम: इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि देश में पहली बार राज्यों के पास जितना वे खर्च कर सकते थे उससे अधिक धन उपलब्ध था, जिसकी वजह से उन्होंने राजस्व घाटे को लगभग समाप्त किया और उनका राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत से भी कम हुआ है।

वर्ष 2003-04 में, राज्यों को हस्तांतरित की गई कुल धनराशि 1,82,048 करोड़ रुपये थी। वर्ष 2007-08 में हमने 2,75,705 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये। चालू वर्ष में बजट आंकड़े दर्शाते हैं कि हम 3,28,422 करोड़ रुपये हस्तांतरित करेंगे।

महोदय, समस्यायें हैं और कई सदस्यों ने जिनमें बाधा डालने वाले मेरे मित्र शामिल नहीं हैं इन मुद्दों को उठाया है और मैं उनका उत्तर दूंगा। समस्याएं हैं। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर रहा हूं।

पहली समस्या नकदी की है। हमने नकदी की समस्या का समाधान किया है। सीआरआर में कटौती की गई है। एसएलआर में कटौती की गई है। हमने नकदी की समस्या का समाधान किया है और प्रणाली में पर्याप्त नकदी है। मैं यह नहीं कहूंगा कि प्रणाली में भरपूर नकदी है, लेकिन प्रणाली में पर्याप्त नकदी है। लेकिन नकदी ही काफी नहीं है। तीन चरण की कवायद होती है। हमारे पास नकदी होनी चाहिए, उस नकदी को वास्तविक ऋण में बदला जाना चाहिए और ऋण उचित दर पर उपलब्ध होना चाहिए। नकदी दी जा रही है। मैं मानता हूं कि ऋण का प्रवाह उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए क्योंकि अब बैंकर ऋण देने के अनिच्छुक हो गए हैं। मंदी के पश्चात् विश्व में बैंकिंग प्रणाली में ऋण विमुखता हुई है। लेहमन और अन्य बैंकों के नाम सामने आने के पश्चात्, जिन बैंकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, वे जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं। वे उधार देने के इच्छुक नहीं हैं। लेकिन प्रधानमंत्री, मैं, जब मैं वित्त मंत्रालय में था, और मेरे अन्य साथी बैंकरों से बात कर रहे हैं। हम ऋण देने के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं। ऋण देना नवम्बर के मध्य से आरम्भ हो गया है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंक, अर्थव्यवस्था के हर उत्पादक क्षेत्र खासकर लघु और मझौले क्षेत्रों, जिनमें बड़ी संख्या में देश के लोग नियोजित हैं, को ऋण देना जारी रखें।

ऋण देना ही काफी नहीं है। आपको उस दर पर यह ऋण देना होगा जिस पर वह ऋण लेने का इच्छुक है। यदि आप किसी गृह ऋण लेने वाले को 12 प्रतिशत या 13 प्रतिशत की दर पर ऋण देते हैं, तो वह ऋण लेने का इच्छुक नहीं होगा क्योंकि वह इस बात से आश्वस्त नहीं होगा कि क्या उसके मकान के मूल्य से पहले वह ऋण चुका पाएगा और क्या उसे पूंजी की हानि नहीं होगी। इसलिए, हमने बैंकों पर गृह ऋण दरों में कटौती करने हेतु दबाव डाला है। एक बार कटौती की गई है और दूसरी बार कटौती की गई है, गृह ऋण दरों को घटाया गया है। अब नए ऋणों के लिए 5 लाख रुपये तक के गृह ऋण 8.5 प्रतिशत तथा 5 लाख से 20 लाख रुपये तक के ऋण 9.5 प्रतिशत पर दिये जा रहे हैं। इस संबध में यह प्रश्न ठीक ही पूछा जा रहा है कि पिछले ऋणों, ऋण की परिवर्तनीय ब्याज दरों के लिए क्या किया गया है। हां, हम बैंकों से बात कर रहे हैं। चूंकि बैंकों की पीएलआर पुनर्निर्धारित की गई है इसलिए पहले के ऋण लेने वालों के लिए भी वे ऋण दरों को पुनर्निर्धारित करेंगे। चूंकि पीएलआर नीचे लाई गई है इसलिए ऋण की परिवर्तनीय ब्याज दरें कम होंगी।

आवास एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आवास अर्थव्यवस्था का प्रमुख उत्प्रेरक है। स्टील, सीमेंट, ईंटें, पाइप्स, तारें, बिजली के उपकरण, निर्माण मजदूर और सब कुछ आवास क्षेत्र पर निर्भर है। इसलिए,

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आवास क्षेत्र विश्वभर में अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है। भारत में भी यह महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंक न केवल नए ऋणकर्त्ताओं को ही ऋण दें बल्कि पूर्व में दिये गये परिवर्तनीय दरों को भी पुनर्निर्धारित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करेंगे क्योंकि पीएलआर में कमी हुई है।

अन्य उद्योगों–ऑटोमोबाइल उद्योग, वस्त्र उद्योग, हीरा-जवाहरात और आभूषण उद्योग तथा स्टील उद्योग के बारे में भी समस्याएं हैं वे मंदी का सामना कर रहे हैं। हमने इनमें से प्रत्येक उद्योग की सावधानीपूर्वक जांच की है। बेल-आउट पैकेज तैयार किया है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन यदि आप चाहते हैं, तो मैं विस्तार में जाऊंगा। मोटे तौर पर, हमारा दृष्टिकोण यह रहा है कि हम यह सुनिश्चित करते हुए कि इन उद्योगों में उत्पादन जारी रहे और वे अपने उत्पादों की बिक्री कर सकें, मांग को बढ़ाएं।

हमने सभी वस्तुओं के उत्पाद शुल्क में 4 प्रतिशत की कमी करने का साहसिक कदम उठाया है, सेनवैट की दर में भी चार प्रतिशत की कटौती की गई है। यह सबसे अधिक शक्तिशाली प्रोत्साहन है जिसे आप अपनी अर्थव्यवस्था को दे सकते हैं और यह प्रोत्साहन अर्थव्यवस्था में कुछ हफ्तों या महीनों में ही फलदायी होगा। हमने कई उत्पादों के सीमा शुल्क में कटौती की है। मैं समझता हूं इस उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में कटौती होने से आपको लगेगा कि प्रोत्साहन मिला है। एफएमसीजी क्षेत्र इसका पहले ही स्पष्ट प्रमाण है और 30 क्षेत्रों में से लगभग 11 क्षेत्रों में दो अंकों की विकास दर प्रदर्शित हो रही है। कल समाचार पत्रों में ऐसा प्रकाशित हुआ था, मेरे पास अधिकारिक आंकड़े नहीं हैं। मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता लेकिन यह बात स्पष्ट है कि कई क्षेत्र आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे।

महोदय, कुछ मूलभूत मुद्दे हैं जिनका समाधान तत्काल नहीं किया जा सकता। यदि विश्व में इस्पात की मांग कम होती है तो भारत में इस्पात का उत्पादन भी कम होगा। इसलिए, समस्याएं हैं। लोग पूछते हैं कि हमने लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क क्यों हटाया। यदि भारतीय इस्पात मिलें उत्पादित पूरे लौह अयस्क की खपत कर लें तो भी हम लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क लगाएंगे, लेकिन मांग कम होने के कारण इस्पात उत्पादन में कमी आई है। लेकिन यदि आप अयस्क के निर्यात की अनुमति नहीं भी देते हैं, तो कम से कम परिष्कृत लौह का निर्यात करना ही होगा, नहीं तो खदानों में काम करने वाले लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। परिष्कृत लौह का निर्यात करना ही होगा। पिंडों की खपत हो सकती है लेकिन परिष्कृत लौह का निर्यात करना होगा। यही कारण है कि हमने परिष्कृत लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क को शून्य तक हटाया है और पिंडो पर नाममात्र का शुल्क रखा है। इसलिए, मुझ पर विश्वास करें कि सरकार द्वारा लिये गये प्रत्येक निर्णय का युक्तिसंगत कारण है। इस कारण का आप युक्तिसंगत आलोचना कर सकते हैं, और हम इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या हम सही हैं, क्या हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि हमारा निर्णय सही है लेकिन इन मामलों में लिया गया हर निर्णय–हमने गत 12 सप्ताहों में कई त्वरित निर्णय लिये हैं–इनका भी युक्तिसंगत कारण है। मैं किसी भी माननीय सदस्य अथवा किसी भी माननीय सदस्यों के समूह के साथ बैठने और यह स्पष्ट करने का इच्छुक हूं कि पिछले 12 महीनों में कतिपय निर्णय क्यों लिये गये और घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए अन्य क्या कदम उठाये जा सकते हैं।

महोदय, यह बात लगातार कही जा रही है कि इस देश के 80% लोग एक दिन में 20 रुपये कमाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि डा. अर्जुन सेनगुप्ता कब अपनी रिपोर्ट के एक पैराग्राफ की गलत आलोचना को खत्म करने जा रहे हैं। वास्तव में निजी वार्ता में वे यही कहते हैं कि उन्होंने इसे दूसरे शब्दों में लिखना चाहिए था।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा): दूसरे शब्दों में, मतलब?

श्री पी. चिदम्बरम: जी हां। उस पैराग्राफ में दूसरे शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था क्योंकि जिस तरीके से इसे लिखा गया है उससे प्रत्येक व्यक्ति उस पैराग्राफ पर ही अटक जाता है। परन्तु आपको पूरी रिपोर्ट पढ़नी है। यहां पर मुद्दा यह है कि इस देश में विगत चार वर्षों में 'प्रति व्यक्ति' आय में वार्षिक रूप से 7.2% की वृद्धि हुई है। यहां पर गरीब लोग हैं। कोई भी व्यक्ति इससे इन्कार नही करता। इस देश में गरीब लोग हैं। शायद यहां पर लगभग 250 से 300 मिलियन अत्यधिक गरीब हैं तथा उनकी मदद की जानी चाहिए। यही कारण है कि इस सरकार का ध्यान वहां पर केन्द्रित है। मैं यही बता रहा हूं कि गरीब लोगों, सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित है तथा ऐसे क्षेत्रों में धन खर्च किया जा रहा है जहां पर इससे प्रत्यक्ष रूप से गरीब लोगों को लाभ मिलेगा।

हम आंकड़ों में भी जा सकते हैं तथा मैं इसका वर्णन कर सकता हूं कि किस प्रकार से हमने इसे किया है। उदाहरण के लिए, सर्वशिक्षा अभियान को ही लें। वर्ष 2003-2004 में सर्वशिक्षा अभियान पर केन्द्र सरकार का व्यय 1,951 करोड़ रुपये था; तथा इस वर्ष यह 13,100 करोड़ रुपये है। अब, इसे किसने लाभदायक बनाया है? इसी तरह, वर्ष 2003-04 में मिड-डे मील योजना पर व्यय 1,175 करोड़ रुपये था; तथा इस वर्ष यह 8,000 करोड़ रुपये है। इससे किसको लाभ मिला? गरीब बच्चों को। एन.डी.ए.

[श्री पी. चिदम्बरम]

सरकार के आखिरी वर्ष में आई.सी.डी.एस. पर व्यय 2,356 करोड़ रुपये था; तथा इस वर्ष यह 6,300 करोड़ रुपये है। उस समय कोई 'नरेगा' नहीं थी परन्तु ग्रामीण रोजगार योजनायें थीं। विगत वर्ष में कुल खर्च 4,986 करोड़ रुपये था; तथा इस वर्ष 'नरेगा' पर 26,500 करोड़ रुपये खर्च होने जा रहे हैं। अब, इससे किसको लाभ मिला है? सर्व शिक्षा अभियान से गरीब बच्चों को लाभ मिलता है; मिड-डे-मील योजना से गरीब बच्चों को लाभ मिलता है; आई.सी.डी.एस. से अत्यधिक गरीब बच्चों को लाभ पहुंचता है; तथा 'नरेगा' से गरीब, अत्यधिक गरीब, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को लाभ पहुंचता है।

इस सरकार ने पहले ही दिन से अपना ध्यान वृद्धि तथा सामाजिक न्याय पर केन्द्रित किया है। इसीलिए हम इसे समग्र वृद्धि कह सकते हैं तथा योजना संबंधी दस्तावेज में भी तेजी से तथा और सभी के विकास की बात कही गई है। हमें तेज विकास की आवश्यकता है; हमें और ज्यादा सभी को शामिल करते हुए की गई वृद्धि की आवश्यकता है; तथा हमने इनमें से किसी भी उद्देश्य से अपना धयान नहीं हटाया है। जब हमने विकास की बात की तथा हमने विकास हेतु मेहनत से काम किया तब भी हमने स्टीक सामाजिक न्याय कार्यक्रमों के माध्यम से गरीब लोगों तथा कमजोर वर्गों तक विकास का लाभ पहुंचाने पर पूरी तरह से ध्यान केन्द्रित किया। तथा, हम यह नहीं कह रहे हैं कि सभी कार्यक्रम सफल हैं। कुछ कार्यक्रमों को अच्छी सफलता मिली है; तथा कुछ कार्यक्रमों ने अच्छा काम नहीं किया है। हम यह जानते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 40% गायब हो जाता है। इसीलिए क्या हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को छोड़ देना चाहिए। क्या हम नहलाने के बाद पानी के साथ बच्चे को भी फेंक सकते हैं? सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 40% तक गायब हो जाता है। राज्यों को अवश्य ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बंद कर देना चाहिए। यही बात 'नरेगा' के साथ भी है। हमें रिपोर्टों से पता चलता हैं-आप यहां-वहां रिपोर्टों को पढ़ते हैं कि 'नरेगा' (एन.आर.ई.जी.ए.) में बहुत सारा धन गायब हो जाता है; गलत हाजिरी रजिस्टर बनाये जाते हैं। जी हां, मैं स्वीकार करता हूं कि यहां-वहां एन.आर.ई.जी.ए. की समस्यायें हैं। परन्तु क्या हमें इसीलिए एन.आर.ई.जी.ए. को बंद कर देना चाहिए? हम एन.आर.ई.जी.ए. को बंद नहीं कर सकते हैं। हमें त्रुटियों को दूर करते हुए एन.आर.ई.जी.ए. को कार्यान्वित करना है। हमारे पास इस देश में त्रुटिरहित प्रणाली नहीं है। माना कि प्रणाली में त्रुटियां हैं। परन्तु इस त्रुटिपूर्ण प्रणाली में सरकार ने गरीब लोगों, सामाजिक न्याय तथा सभी को शामिल करते हुए की गई समग्र वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित किया है।

महोदय, यदि श्री अनंत कुमार यहां होते तो मैं उनसे प्रश्न पूछता। यदि एन.डी.ए. की अवधि स्वर्ण अवधि थी तथा 5.3% वृद्धि औसत भारत की स्वर्ण अवधि थी तो आपने ऋणों में छूट क्यों नहीं दी? मैं आपसे आठ प्रश्न पूछता हूं। कृपया आप मुझे कभी इनके उत्तर देना।

अध्यक्ष महोदय: आज नहीं। आज कोई उत्तर नहीं।

श्री पी. चिदम्बरम: जी हां, अगले छः माह में कभी भी ...*(व्यवधान)*

आपने ऋण माफ क्यों नहीं किया? हमने 66,000 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया है। आपने एन.आर.ई.जी.ए. को शुरू क्यों नहीं किया? हमने 200 जिलों में एन.आर.ई.जी.ए. को शुरू किया तथा वर्ष की समाप्ति से पहले 330 जिलों तक इसका विस्तार किया तथा दूसरे वर्ष में हमने इसे सभी जगह लागू किया। आपने एन.आर.ई.जी.ए. को लागू क्यों नहीं किया? आप क्यों 10% पर कृषि ऋण देते थे जबकि हम इसे 7% पर देने में सक्षम है? आपने शिक्षा ऋण के बारे में क्या किया? आज, 14,09,930 विद्यार्थियों को शैक्षणिक ऋण के तौर पर दी गई बकाया राशि—बकाया खातों और वे नहीं जिन्होंने इसे लौटा दिया है—की राशि 24,268 करोड़ रुपये है जो कि विश्व में कहीं भी सबसे बड़ा शैक्षणिक ऋण कार्यक्रम है।

आपने मिड-डे-मील योजना को सभी जगह लागू क्यों नहीं किया? आपने खाद्यान्नों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि क्यों नहीं की? आपने गेहूं के लिए प्रति क्विंटल 10 रुपये तक वृद्धि की थी। हमने इसमें प्रथम वर्ष के 640 रुपये से वृद्धि करके इस वर्ष 1000 रुपये कर दिया है। क्या इससे किसान को लाभ नहीं मिलता है? धान के मामले में हमने 560 रुपये से बढ़ाकर 850 रुपये कर दिया है। क्या इससे किसानों को लाभ नहीं मिलता है? प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न उत्पादन में 10 मिलियन टन वृद्धि हुई है। हमने राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना की शुरुआत की। हाल ही में हमने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की शुरुआत की है। अब बात यही है कि आपने इन्हें क्यों नहीं लागू किया?

बात यह है कि हमने विकास किया है। हम इस सभी कार्य को करने में सक्षम थे। यह वर्ष एक कठिन वर्ष है। इस वर्ष हमें, जैसाकि प्रो. रामदास ने इंगित किया था। थोड़ा सा आपने आप को सीमित करना होगा। फिर भी यदि हम अपने आप को सीमित भी करते हैं तो भी विकास की गति बनी रहेगी तथा कम से कम 7% वृद्धि होगी। विश्व की उत्पादन वृद्धि दर 0.9% है। अगले माह से कौन जानता है कि विश्व बैंक शायद रिपोर्ट दे दे कि विश्व

में वृद्धि शून्य प्रतिशत होने जा रही है। हम नहीं जानते हैं। परन्तु इस वर्ष हेतु मैं विश्वस्त हूं। वर्ष की पहली छमाही में लगभग 7.8% की वृद्धि दर रही है। मैं आश्वस्त हूं कि पूरे वर्ष में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि दर रहेगी। इससे हम विश्व में दूसरी सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था बनेंगे।

हम अपने आप की बरकिनो फासो के साथ तुलना नहीं करते हैं। हम अपने आप की चीन के साथ तुलना करते हैं। हम अपनी ब्राजील के साथ तुलना करते हैं। हम अपनी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ तुलना करते हैं। हम अभी भी विश्व में दूसरी सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था होंगे। इसका कारण यह है कि माननीय प्रधानमंत्री के दिशानिर्देश के अंतर्गत हमारी नीतियों को वर्ष 1991 से इसी तरीके से बनाया गया है। मैं इसके आगे आने वाली सरकारों को श्रेय दूंगा कि उन्होंने सुधार नीति में कोई बदलाव नहीं किया है। उन्हें इस तरीके से बनाया गया है कि हमारा तेजी से विकास जारी रहेगा तथा हम सामाजिक न्याय पर ध्यान केन्द्रित करते हैं ताकि वृद्धि का लाभ गरीब लोगों तक पहुंचे।

महोदय, सैद्धांतिक स्थितियों तथा बैंकों के बारे में अनेक सवाल उठाये गये थे। मैं आपको बता दूं कि मुझे इस बात की भी कोई परेशानी नहीं है यदि सभा का कोई वर्ग इसका श्रेय लेता है। हम सभी एक ही सभा के सदस्य हैं। हम एक देश से संबंधित हैं। मैं किसी भी व्यक्ति के श्रेय लेने पर द्वेष क्यों करूं? आप श्रेय ले सकते हैं यदि आप चाहते हैं। मैं इसका क्षेत्र आप को देकर बहुत प्रसन्न होऊंगा। कृपया मुझसे श्रेय लें परन्तु कृपया यह याद रखें कि वर्ष 1970 से बैंक सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। हमने इसे सबसे पहली बात के रूप में कहा था कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही बने रहेंगे। आप इस बात को लगातार क्यों कहते रहते हैं कि हम बैंकों का निजीकरण करेंगे? ऐसा किसने कहा है? उन्होंने इस प्रकार कहा था। इसीलिए हमने नीति को विपरीत किया है। हम बैंकों का निजीकरण नहीं करने जा रहे हैं।

दूसरी ओर मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि तीन माह पहले मैंने यह घोषणा की थी कि हम अपने बैंकों का फिर से मूल्यांकन करने जा रहे हैं ताकि पूंजी पर्याप्तता दर में 12% तक वृद्धि हो सके। क्या यह निजीकरण है? नहीं, असल में मैं तो यही कहूंगा कि यह तो बैंक का 'सार्वजनिक क्षेत्रीयकरण' से भी बढ़कर है।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): अभी तक, बल्कि कल भी हम पर एस.बी.आई. (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करने हेतु दबाव डाला गया था कि इससे धीरे-धीरे निजीकरण होगा तथा इक्विटी 55% से घटकर 51% हो जायेगी तथा इससे प्रिफ्रेंशियल शेयर दिए जाएंगे तथा इन सभी बातों को किया जाएगा।

श्री गुरुदास दासगुप्त: यहां पर लगातार प्रयास हुए हैं तथा इसी लगातार प्रयास के परिणामस्वरूप बैंकों में सरकार की हिस्सेदारी 70% से घटकर 51% पर उतर गई है। यह मार्जिन पर है।

अध्यक्ष महोदय: यह अभी भी आधे से ज्यादा है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: यह अभी आधे से ज्यादा तो है पर यह मार्जिन पर है।

श्री पी. चिदम्बरम: मेरे योग्य मित्र ने यह प्रतीत कराया कि हम संकट के कगार पर खड़े हैं। यह पूर्णत: गलत है। मार्जिन क्या है? भारत की प्रभुसत्ता सम्पन्न संसद ने यह कानून बनाया कि यह 51 प्रतिशत से कम नहीं हो सकता। अत: मार्जिन क्या है? जब तक प्रभुसत्ता सम्पन्न संसद सुस्ती न दिखाए और कोई जोड़ तोड़कर करके इसे 51 प्रतिशत से कम न कर दें—संसद द्वारा एक कानून बनाया गया है-यह कभी भी 51 प्रतिशत से कम नहीं हो सकता ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: ऐसा मारूति में हुआ ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: कृपया मेरी बात सुनिए। मारूति के मामले में 51 प्रतिशत संबंधी कोई कानून नहीं था। इस मामले में संसद द्वारा पारित कानून है कि यह 51 प्रतिशत से कम नहीं हो सकता। जब तक सांसदों द्वारा बनाए गए कानून को वे स्वयं न भूल जाएं, आप सरकार पर यह आरोप क्यों लगाते हो कि बैंकों का निजीकरण किया जाएगा?

इसके विपरीत, तीन महीने पूर्व हमने यह घोषणा की कि हम बैंकों को सुदृढ़ करेंगे जिससे कि उनकी सीआरएआर 10 प्रतिशत से कम नहीं होगी। अत: कथित निजीकरण, जो हम नहीं कर रहे हैं, करने के लिए हमारी आलोचना करने के बजाए आपने मुझे नहीं मालूम कि आपने इतनी जोर-शोर से अपनी-अपनी आवाज उठायी थी या नहीं जब वे 33 प्रतिशत से कम की वकालत कर रहे थे।

श्री रूपचंद पाल: उस दिन भी मैंने इसका पुरजोर विरोध किया था।

श्री पी. चिदम्बरम: मुझे प्रसन्नता है कि आपने विरोध किया।

[श्री पी. चिदम्बरम]

श्री बसुदेव आचार्य: आपने यह सीमा कम करके 51 प्रतिशत क्यों कर दी।

श्री पी. चिदम्बरम: कानून यही कहता है। बैंक बाजार में क्यों जा रहा है? बैंक बाजार इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे अपनी पूंजी बढ़ानी है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात जैसी भी कोई चीज होती है। यदि आपके पास 100 रु. की पूंजी है। मैं एक सामान्य दलील दे रहा हूं। ठीक ठीक ऐसा नहीं, आप 100 रु. का ऋण और दे सकते हैं। यदि आपकी ऋण देयता उस बिन्दु तक पहुंच गयी है जहां ऋण देने के लिए आपके पास वर्तमान पूंजी नहीं है, यदि आप गरीबों को, लघु और मझौले उद्यमियों, विद्यार्थियों, महिलाओं आदि को और ऋण देना चाहते हैं तो आपको अपनी पूंजी बढ़ानी होगी। पूंजी केवल तीन तरीकों से बढ़ायी जा सकती है। पहला आय प्रतिधारित करके: दूसरा बाजार से धन जुटाकर अथवा तीसरा सरकार द्वारा और पूंजी प्रदान करके। अभी उन्होंने आय प्रतिधारित की हुई है। अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए वे बाजार जाते हैं। आज सरकार आगे आयी और कहा है कि हां हम महसूस करते हैं कि हम और अधिक पूंजी प्रदान करने के इच्छुक हैं। मैंने वर्ष 1997 में इंडियन बैंक को 1000 करोड़ रु. प्रदान किये थे। उसके पश्चात् से अनेक बैंकों को अतिरिक्त पूंजी प्रदान की गयी है। अब हमने कहा है कि सभी बैंक, जिनकी सीआरएआर 10 प्रतिशत से कम है हम इसे 12 प्रतिशत करेंगे। मेरे विचार से इस धारणा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जब तक तब तक कि संसद इस कानून में संशोधन नहीं करती।

श्री रूपचंद पाल: हमारी पूंजी का स्तर बसिल-2 मानक के तहत अंतरराष्ट्रीय मानदंड की पूंजी पर्याप्तता के अनुसार संतोषजनक है।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं कह सकता हूं कि बार-बार ये सब वही तर्क दिए जा रहे हैं जिनके प्रभावों को समझा नहीं गया। बसिल मानक 8 प्रतिशत है: आरबीआई मानक 9 प्रतिशत है यदि आप 8 प्रतिशत पर बल देते हैं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि यह एक प्रतिशत अधिक आठ प्रतिशत हो। अब सरकार कह रही है कि जब दुनिया भर के बैंक मंदी का सामना कर रहे हैं तो 9 प्रतिशत दर भी सुरक्षित नहीं है। हम संकट से तीन कदम पीछे हटेंगे, हम 12 प्रतिशत के पक्षधर हैं। ऐसा निर्णय लेने के लिए आपको हमें बधाई देनी चाहिए और हमारी आलोचना नहीं करनी चाहिए कि हम 12 प्रतिशत की बात कर रहे हैं।

श्री रूपचंद पाल: फिर इसे 55 प्रतिशत से कम कर 51 प्रतिशत क्यों किया जा रहा है?

श्री पी. चिदम्बरम: मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं मैं बार-बार स्पष्ट नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय: आप बता चुके हैं। आप उसे लिख सकते हैं और एक प्रति मुझे दे सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: इसलिए महोदय, हमें समायोजन करना होगा। इसमें कुछ परेशानी हो सकती है। कुछ कठिनाई हो सकती है, परन्तु हमने कठिनाइयों को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमें उत्पादन इंजन को जारी रखना होगा और उत्पादकता वाले इंजन कृषि, लघु और मध्यम उद्यम और निस्सन्देह बड़े उद्योग जो माल और सेवाओं का उत्पादन करते हैं जिनकी उपभोक्ताओं की आवश्यकता होती है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस देश के उत्पादक ईंजन कार्य करना जारी रखे और माल और सेवाओं का उत्पादन जारी रखें। हम सुझावों का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्षस्थ समिति है जो कड़ी निगरानी कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर समिति के सदस्य हैं। जब भी आवश्यकता होगी हम इस संबंध में कदम उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि निर्धारित दिनों में ही निर्णय लिया जाना है। हमने शीघ्र एक के बाद एक निर्णय लिये हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि हो। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सामाजिक न्याय के सभी कार्यक्रमों को पर्याप्त निधि मिले और इस वर्ष हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सात प्रतिशत से अधिक की विकास दर प्राप्त कर लें। मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष की दूसरी छमाही में हम उच्च विकास दर प्राप्त कर लेंगे। जब विश्व भर में उत्पादन पुन: बढ़ेगा जिसकी सम्भावना है क्योंकि दुनिया भर में मंदी अनिश्चितकाल के लिए जारी नहीं रह सकती हमें आशा है कि अगले वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में विश्व उत्पादन में सुधार आएगा और जब ऐसा होगा मुझे विश्वास है कि भारत उच्च विकास दर को प्राप्त कर लगेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं चर्चा के लिए माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह निर्भर करता है कि मंत्री स्वीकार करते हैं अथवा नहीं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह: मंत्री जी ने लोन वेवर के संबंध में हमसे पूछा था कि आपने लोन वेवर क्यों नहीं किया। हमने नहीं किया, आपने किया, बहुत अच्छी बात है। लोन वेवर आपने किया और उसके छ: महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में चार चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा हुआ राज्य है। अगर लोन वेवर का कुछ लाभ

होता तो वहां मिलना था, लेकिन क्या परिणाम आया, चारों चुनाव आप हमारे और तीन में आपकी जमीन जब्त हुई। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह प्रासंगिक प्रश्न नहीं है। मंत्री जी क्या आप उनको उत्तर देना चाहेंगे?

श्री पी. चिदम्बरम: ऋण माफी का कारण और प्रभाव जैसा कोई संबंध नहीं है। यह दर्शाता है कि सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों के ऋण बिना किसी भेदभाव के माफ किये गये।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सरकार राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्यों का राजस्व बढ़ाने के लिए इस मंदी से बाहर आना आवश्यक है। सरकार वास्तव में राज्यों का राजस्व बढ़ाने के लिए क्या कर रही है? और क्या केन्द्र सरकार राज्यों को अपनी ऋण सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करने की अनुमति दे रही है? अब इसकी अनुमति नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, हमने 1,05,000 करोड़ रु. अतिरिक्त नकद व्यय का पहला अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया और दूसरा अनुपूरक जिसे आज अथवा कल इस सभा के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, आप पाएंगे कि अधिकांश धन राज्यों द्वारा राज्यों में कार्यान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों को दिया जा रहा है। चाहे भारत सरकार किसी कार्यक्रम का वित्त पोषण करे और पैसा दे अथवा चाहे वह राज्य का राजस्व हो पैसा पैसा है। राज्यों का अपना धन है, भारत सरकार अनुदान और ऋण के रूप में भी राज्यों को धन देती है। इस प्रकार यह सब अतिरिक्त व्यय केवल राज्यों में हो रहा है और अधिकांश मामलों में कार्यक्रम राज्यों द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे हैं। यदि कोई राज्य यह चाहता है कि उसकी ऋण क्षमता को बढ़ाया जाए तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री रूपचंद पाल: महोदय, जब मैंने अपनी बात कही तब माननीय वित्त मंत्री जी यहां नहीं थे। मैंने दो प्रश्न रखे थे। पहला प्रश्न था राज्यों की मांगों के मद्देनजर तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष के संबंध में लोक मत के मद्देनजर आज के हालात में अत्यधिक पैसा खर्च करने वाले राज्यों के रास्ते में आड़े आने वाले एफआरबीएम नियम। मैंने पहले भी इस संबंध में एक प्रश्न पूछा था कि आज के हालात में राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे की ऊपरी सीमा के संबंध में सरकार की क्या सोच है?

दूसरी बात यह है कि विश्व भर में यह आम राय बनी हुई है कि यह स्थिति डेढ़ वर्ष में समाप्त नहीं होगी बल्कि यह उससे भी अधिक समय तक चलेगी। यहां तक कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का भी यह मत है कि अगले वर्ष स्थिति बहुत गंभीर होगी और उसके भी अगले वर्ष में स्थिति और अधिक गंभीर हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने पूछा था कि वैश्विक स्तर पर हो रही घटनाओं के प्रति प्रतिक्रियाशील रहने की बजाए क्या सरकार वार्षिक योजना में 'आशोधनों' के साथ एक वृहद् योजना लाने जा रही है ताकि सरकार इस उभरते हुए संकट का सामना कर सके?

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैंने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। वित्तीय पुनर्गठन और बजट प्रबंधन अधिनियम संसद द्वारा बनाया गया बहुत ही युक्तिसंगत विधान है। सामान्य स्थिति में एफआरबीएम अधिनियम विद्यमान रहना चाहिए। एफआरबीएम अधिनियम ने ही राज्यों की वित्तीय स्थिति को इतना सुदृढ़ बनाया है और साथ ही केन्द्र की वित्तीय स्थिति को भी काफी मजबूत किया है। परंतु यह वर्ष एफआरबीएम अधिनियम के मानदंडों के संबंध में चिंता करने का वर्ष नहीं है। मैंने पहले भी ऐसा कहा। मैंने पॉल क्रुगमैन की बात को उद्धृत किया है। यह वर्ष राजकोषीय घाटे के संबंध में चिंता करने का नहीं है। मैंने कहा है कि यदि हम एफआरबीएम मानदंडों का उल्लंघन करेंगे तो हम संसद में आकर इस बात को उठायेंगे। इस वर्ष हमारा ध्यान केवल एफआरबीएम लक्ष्य पर ही नहीं है। यदि हमने एफआरबीएम लक्ष्य का उल्लंघन किया है तो हम संसद में आकर इस संबंध में प्रश्न उठायेंगे। परंतु दीर्घावधि के लिए एफआरबीएम अधिनियम युक्तिसंगत विधान है। इस संरचना को तोड़ने में बुद्धिमानी नहीं होगी।

आपका दूसरा प्रश्न एक वृहद् योजना के संबंध में है। यह दिसम्बर माह चल रहा है। अभी इस वित्तीय वर्ष को समाप्त होने में हमारे पास तीन महीने बाकी हैं। प्रथम छमाही 7.8 प्रतिशत विकास के साथ समाप्त हुई है। वर्ष की दूसरी छमाही के लिए हमारे पास व्यय कार्यक्रम है। हमने दूसरी छमाही में व्यय की जाने वाली धनराशि में वृद्धि की है। परंतु कृपया याद रहे कि केवल धन व्यय करना ही पर्याप्त नहीं है। विभागों, मंत्रालयों, कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वे इस धनराशि को आमेलित कर ले और वास्तव में इसका व्यय करें। इसलिए, इस विषय पर हमारा व्यापक दृष्टिकोण है, और आज जैसी स्थिति विद्यमान है हमें इसकी अच्छी समझ है। अगले तीन या चार महीनों में पैदा होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम तैयार हैं। यदि आवश्यक होगा तो हम संसद में वापस आयेंगे। प्रथम अनुपूरक मांगों और दूसरी अनुपूरक मांगों में क्या किया गया है। प्रधानमंत्री के पैकेज में दस दिन पहले इसकी घोषणा की गई है। मेरे विचार से अगले साढ़े तीन महीनों में अर्थव्यवस्था को तेज गति से चलाने के लिए यह पर्याप्त है। परंतु, यदि व्यय करने के

[श्री पी. चिदम्बरम]

लिए अर्थव्यवस्था अधिक धन का आमेलन करती है तो निश्चित रूप से हम अर्थव्यवस्था को आमेलन और व्यय करने के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराएंगे।

महोदय, क्या मैं अच्छा समाचार सुनाकर अपना भाषण समाप्त करूं?

अध्यक्ष महोदय: जी हां।

श्री पी. चिदम्बरम: सप्ताह के अंत में साप्ताहिक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति गिरकर 6.84 प्रतिशत पर आ गई है।

अध्यक्ष महोदय: इतने महत्वपूर्ण विषय पर संरचनात्मक चर्चा के लिए मैं सभा के सभी दलों को धन्यवाद देता हूं।

श्री खारबेल स्वाईं: मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: आप यह कैसे कह सकते हैं कि आप अंतिम सदस्य हैं? अन्य और सदस्य भी हो सकते हैं। आप इतने वाक्पटु हैं कि आप बहुत से अवसरों का सदुपयोग कर ही लेते हैं। मैं जानता हूं।

आइये हम अविलम्बनीय महत्व के विषयों पर चर्चा करें।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, मैं देश के एक ऐसे बड़े शैक्षणिक संस्थान, आई.आई.टी. दिल्ली में अध्ययनरत उन 20 छात्रों का मुद्दा उठा रहा हूं, जिन्हें संस्थान से यह कह कर निष्कासित कर दिया गया है कि उनका शैक्षणिक स्तर कमजोर है।

सायं 6.51 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय, उक्त 20 छात्रों में से 12 छात्र, एस.सी. और एस.टी. वर्ग से आते हैं, जिन्हें भारत सरकार ने आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई है। यदि उन छात्रों का शैक्षणिक स्तर ठीक होता तो, आरक्षण का लाभ उन्हें क्यों दिया जाता। छात्रों ने संस्थान के डायरेक्टर, सुरेश प्रसाद जी एवं डीन, श्री एस.आर. काले के समक्ष मर्सी अपील भी की थी, लेकिन उनकी अपील को एकतरफा खारिज कर दिया गया। संस्थान ने उक्त छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तथा यू.जी.सी. की गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया है। मैं आपके माध्यम से भारत .सरकार से मांग करता हूं कि सभी 20 छात्रों को पुन: आई.आई.टी. दिल्ली में वापस लिया जाए और उनके भविष्य की रक्षा की जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, पूरे विश्व में लगभग 8,30,000 बच्चों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और लाखों बच्चों को गंभीर चोटें आती हैं। विकसित देशों की तुलना में गरीब और विकासशील देशों में मृत्यु दर दस गुना अधिक है। इनमें से अधिकांश की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में होती है। इस रिपोर्ट में यह उल्लेख भी किया गया है कि यदि उचित सुरक्षा उपाय किये गये होते, तो प्रतिदिन कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु को रोका जा सकता था। बच्चों की मृत्यु और उनको लगी चोटों के कारण गरीब परिवारों पर अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ता है। हमारे देश में, सड़क दुर्घटनाओं में सैंकड़ों लोग बहुमूल्य जीवन को खो देते हैं। उचित परिवहन सुविधाओं की कमी के कारण, बच्चे बिना किसी सुरक्षा उपाय वाले असुरक्षित परिवहन साधन का उपयोग करने को बाध्य हैं। अत:, स्कूली बच्चों के लिए उचित परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करना और सुरक्षा संबंधी मानदंडों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़े नियम बनाना भी अनिवार्य है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में आवश्यक कदम उठायें।

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई (शिवकाशी): भारतीय रेलवे ने एक सही अध्ययन और सर्वेक्षण किया है और नई रेलवे लाइनें बनाने के लिए कुछ उचित क्षेत्रों को चिन्हित किया है। रेलवे ने तमिलनाडु में पांच नई लाइनों-डिंडीगुल-कुमली; धर्मपुरी-मुराप्पुर; अरियालुर-तंजावुर; मनारगुडी-पट्टुकोट्टाई; को उद्दिष्ट किया है; तथा एक और लाइन का कार्य अभी और किया जाना है।

ऐसा प्रतीत होता है कि योजना आयोग ने इसकी लागत लगभग 1,500 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया है और यह सुझाव दिया है कि आर्थिक व्यवहार्यता को देखते हुए संबंधित राज्य सरकार इसकी 50 प्रतिशत लागत का वहन करे। वर्तमान तमिलनाडु सरकार इस परियोजना की लागत में अपनी भागीदारी देने की इच्छुक नहीं है यह जानकर निराशा हुई ...*(व्यवधान)*

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन (रामनाथपुरम): वह जानबूझकर तमिलनाडु सरकार को भला-बुरा कह रहे हैं।

सभापति महोदय: यदि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक होगा, तो मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: जबकि अन्य आठ राज्य भी 50 से 70 प्रतिशत तक लागत में हिस्सेदारी देने के इच्छुक हैं। उपर्युक्त

परियोजनाएं अधिकांशत: पिछड़े क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं जहां अभी भी रेल सेवा की सुविधाओं का लाभ मिलना बाकी है। मैं हर प्रकार से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह येन केन प्रकरेण इन योजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

डा. बाबू राव मीडियम (भद्राचलम): यह कुछ जनजातीय गांवों को आंध्र प्रदेश राज्य के पांचवें अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित करने से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के नौ जिलों में लगभग 805 गांव हैं जहां मुख्यतया जनजातीय आबादी रहती है। इन गांवों में लगभग 50 से 100 प्रतिशत जनजातीय आबादी है। इन लोगों को समेकित जनजातीय विकास योजना या सरकार के अन्य कल्याणकारी कार्यकलापों का लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि ये अनुसूचित क्षेत्र से बाहर हैं। इन क्षेत्रों में लगभग 3.5 लाख लोग हैं। अत: मैं सरकार से विशेष रूप से जनजातीय कार्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वे दिल्ली में अपने पास दो वर्ष से लंबित फाइल को पारित कर दें ताकि ये क्षेत्र पांचवें अनुसूचित क्षेत्र में शामिल हो जाएं।

***श्री पी. मोहन** (मदुरै): तमिलनाडु का वैल्लोर किला पूरे भारत में प्रसिद्ध है और भारत के इतिहास में इसका अपना महत्व है क्योंकि इसका संबंध टीपू सुल्तान के इतिहास से है। वर्ष 1806 में टीपू सुल्तान के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता के पहले संघर्ष का आरंभ दक्षिण भारत में वैल्लोर किले से हुआ था। हालांकि मुस्लिम शासकों के प्रतिनिधियों ने इसका रख-रखाव किया और वर्षों तक एक हाथ से दूसरे हाथ में इसका हस्तांतरण होता रहा। भीतर बहुत से पूजा स्थलों को सजाया गया है। कृष्णदेव राय के काल में इस स्थान पर भगवान जलगणटेश्वरर मंदिर का निर्माण हुआ था। स्वतंत्रता से पहले जब यह किला ब्रिटिश शासकों के हाथों में आया तो उन्होंने मंदिर को बंद कर दिया और काफी वर्षों तक यहां कोई पूजा अर्चना नहीं हुई। उन्होंने इस्लाम मत के अन्य पूजनीय स्थलों को भी बंद कर दिया था। परंतु, ब्रिटिश शासकों ने किले के अहाते के भीतर चर्च का निर्माण किया।

ब्रिटिश काल से ही वहां चर्च में पूजा अर्चना की जाती रही है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत सरकार के अधीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा कि वह यथास्थिति बनाए रखेगा। जिसके आधार पर इस्लामी मत की मस्जिद सहित जलगणटेश्वरर मंदिर कई वर्षों तक बंद रहा। परंतु इस बीच स्थानीय हिंदुओं ने स्वयं को संगठित किया और जबरन किले में प्रवेश किया तथा मंदिर में गंगाजल छिड़ककर इसे पवित्र किया। जिसमें आज तक पूजा अर्चना जारी है। इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है और हिंदुओं का अपना पूजनीय स्थल है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अदालत ने यह बताया कि इस तरह से खुले पूजास्थल खुले रहेंगे।

जाहिर है कि वैल्लोर में तथा इसके इर्द-गिर्द मुस्लिम आबादी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीका-टिप्पणियों को लेकर विधिक रूप से दु:खी है चूंकि यह उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूजा हेतु वहां मस्जिद नहीं खोलने के संबध में कोई कदम नहीं उठा रहा है।

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि टीपू सुल्तान ने अपने किले के भीतर हिंदु और मुसलमान दोनों को अपने पूजा के स्थल बनाने की अनुमति दी और इस प्रकार वे एक धर्मनिरपेक्ष राजा बने रहे। अत: भारत सरकार को अनिवार्य रूप से सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को बनाए रखना चाहिए और वैल्लोर के किले को सांप्रदायिक सौहार्द तथा राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में संरक्षित करने के लिए वैल्लोर के किले के भीतर स्थित मस्जिद को अवश्य ही इस्लामी मतानुयायियों के लिए खोल दिया जाना चाहिए। वहां संप्रदाओं के बीच मैत्री भावना को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक भी है ताकि मतभेद की किसी भी गुंजाइश को समाप्त किया जा सके। अब हिंदु और ईसाई सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने-अपने पूजा स्थलों पर जा रहे हैं फिर क्यों इस्लामी मत के लोगों को वैल्लोर किले के भीतर स्थित मस्जिद में पूजा करने के अधिकार से वंचित किया जाये, इसका कोई कारण नहीं है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता की वचनबद्धता को बनाए रखते हुए वह यह सुनिश्चित करे कि वहां स्थित मस्जिद को पूजा के लिए खोल दिया जाए।

सभापति महोदय: कृपया संक्षेप में बोलें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): मैं एकदम ब्रीफ में बोलूंगा।

माननीय सभापति महोदय, बिहार को आर्थिक पिछड़ा राज्य घोषित करने की मांग पिछले कई वर्षों से हो रही है, किन्तु केन्द्र सरकार इस पर अभी तक पूर्णरूपेण कोई कदम नहीं उठा रही है। बिहार की आर्थिक और आधारभूत संरचना की बदहाली सर्वविदित है। राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या 42 से 50 प्रतिशत है।

सायं 7.00 बजे

बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति आय मात्र 1,610 रुपए सालाना है, जबकि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 20,858 रुपये है। वहां कुछ

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

औद्योगिक इकाइयां भी थीं, जो मृतप्राय हैं। पिछले बीस-तीस वर्षों से बिहार में निवेश बंद पड़ा है। केन्द्र सरकार ने एक भी कल-कारखाना खोलने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किया। वैसे माननीय रेल मंत्री जी ने कुछ कल-कारखाने खोलने के लिए प्रयास किया, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। बिहार में बाढ़ हर वर्ष तबाही का आलम लाती है और इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बिहार को अविलंब आर्थिक पिछड़ा राज्य घोषित करने और कम से कम उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नार्थ ईस्ट राज्यों की तर्ज पर विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केन्द्र सरकार कदम उठाए।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि आप विशेष तौर पर इस पर निगाह रखें। बिहार की जो गरीबी और फटेहाली है, उसे दूर करने के लिए बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज देकर, बिहार के लोगों को मदद करने का काम करें।

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में प्रतिदिन लगभग 280 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। तमिलनाडु में हताहतों की संख्या 13,961 है जो कि सर्वाधिक है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में यह संख्या 10,944, महाराष्ट्र में 10,613 और उत्तर प्रदेश में 9,860 है। मेट्रो शहरों में दिल्ली शीर्ष पर है और यहां यह संख्या 1,717 है और चेन्नै में यह संख्या 1,055 है। वार्षिक सड़क यातायात वृद्धि दर 7 से 10 प्रतिशत है जो पूरे विश्व में सड़क दुर्घटनाओं के कारण हुई कुल मृत्यु का 8 प्रतिशत है। तमिलनाडु में मेरा निर्वाचन क्षेत्र पलानी राष्ट्रीय राजमार्ग-67, 209 और 07 से जुड़ा है। प्रतिदिन, विशेष रूप से करूर और कोयंबटूर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-67 पर, रेत ढोने वाली लॉरियों, बसों और ट्रकों के पहियों के नीचे आकर बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है। वेल्लाकोइल और कंगायम पुलिस स्टेशन की सीमा में प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती हैं और लोग मर रहे हैं।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिए तुरंत उपाय किये जाएं और देश में समस्त सड़कों को, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, विशेष रूप से राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों का बिना और विलंब किये उन्नयन किया जाए।

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): महोदय, मैं आपके संज्ञान में एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लाना चाहता हूं कि पूरे देश में एक ऐसी ग्राम सभा है, जहां अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। महोदय, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में मलासा ब्लाक की ग्राम सभा मलासा में प्रदेश सरकार द्वारा परिसीमन के समय जो गलत आरक्षण नीति अपनायी गयी थी, उसकी वजह से अभी तक वहां चुनाव नहीं हुआ है। उस गांव की आबादी 8 हजार है। वहां 43 सौ वोटर्स हैं, उनमें 42 सौ वोटर्स हाईकास्ट के हैं, मात्र सौ वोटर्स एससी के हैं, लेकिन चक्रण में वहां पुन: जो आरक्षण किया गया, उसमें यह गांव नहीं आ रहा था। उसमें उसी ब्लाक का गांव मटेहरापुर एससी आरक्षण में आ रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश की गलत नीतियों के कारण पक्षपातपूर्ण तरीके से मलासा ग्राम को आरक्षित ग्राम घोषित कर दिया गया। 6 बार उसका नोटिफिकेशन हुआ, 6 बार में भी उस ग्राम सभा का चुनाव नहीं हो सका। मैं केन्द्र सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो गलत आरक्षण किया गया, उसकी प्रक्रिया की जांच की जाए और आरक्षण प्रक्रिया पुन: कराकर मलासा ग्राम को सामान्य सीट घोषित कर, चुनाव प्रक्रिया पुन: प्रारंभ करायी जाए।

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): महोदय, मैं तमिलों के नेता, श्री वाइको के नेतृत्व में एमडीएम के दल की ओर से बोल रहा हूं। मैं नई टेलीकॉम कंपनियों को ऑल इंडिया लाइसेंस के लिए लगभग 1,650 करोड़ रुपये में स्पेक्ट्रम आवंटित करने में हुए कुप्रबंधन के संबंध में सदन में प्रश्न पूछना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन: महोदय, माननीय सदस्य इसी मुद्दे को कितनी बार सदन में उठायेंगे?

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, इस मुद्दे को कितनी बार उठाया जाएगा ...*(व्यवधान)*

डा. सी. कृष्णन: महोदय, दूरसंचार विभाग मंत्रालय द्वारा अंगीकार किये गये नियमों और विनियमों के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सवालों के घेरे में है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: विवादास्पद मुद्दे न उठाएं। आरोपों को रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

डा. सी. कृष्णन: महोदय, स्वान और यूनीटेक दोनों कंपनियों के पास अवसंरचना, उपकरण, नेटवर्क नहीं है और उन्हें दूरसंचार प्रौद्योगिकी का ज्ञान नहीं है ...*(व्यवधान)* यही मामला है।

सभापति महोदय: इस मामले पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है।

...*(व्यवधान)*

डा. सी. कृष्णन: अनुबंधित धनराशि से ज्यादा अधिक स्पेक्ट्रम आवंटित करने के मुद्दे पर दूरसंचार विभाग संतोषजनक उत्तर देने में विफल रहा है *...(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, वे इस मुद्दे को कैसे उठा सकते हैं? इस पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं क्या कर सकता हूं?

...(व्यवधान)

डा. सी. कृष्णन: केन्द्रीय सतर्कता आयोग को दिये गये अपने उत्तर में दूरसंचार विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किन परिस्थितियों में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया था और इन प्रचालकों से कोई शुल्क क्यों नहीं वसूला गया। माननीय मंत्री का दायित्व बनता है कि वे सदन में स्पष्टीकरण दें *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब, श्री सुनील खां अपनी बात कहें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री सुनील खां के वक्तव्य के अलावा कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: इसे रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: इसे रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, सदन को स्मरण होगा कि पांच वर्ष पहले नेप्था की ऊंची लागत के कारण बरौनी, दुर्गापुर, हल्दिया, सिंदरी और गोरखपुर स्थित पांच उर्वरक इकाइयों को बंद कर दिया गया था जिससे यूरिया उत्पादन की लगभग दो मिलियन टन की कुल क्षमता समाप्त हो गयी। इसी प्रकार, कानपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित इंकन फर्टिलाइजर इकाई और कोचीन स्थित एफएसीटी को भी इसी कारण बंद करना पड़ा था। सरकार की वर्तमान घोषित नीति यह है कि इन बंद पड़ी इकाइयों को केवल गैस के द्वारा पुन: चलाने की अनुमति दी जाएगी। जिसकी व्यवहार्यता आने वाले वर्षों में काफी संदेहास्पद है। यदि अब नेप्था की कीमत इस सीमा तक कम हो जाती है कि सरकार को बिजली उत्पादन के लिए गैस के विकल्प के रूप में इसे प्रयोग करने का निर्णय लेना पड़े, तो फिर इसका कोई कारण नहीं कि उपर्युक्त बंद पड़ी इकाइयों को गैस की उपलब्धता सुनिश्चित होने तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा जाए, हालांकि मंत्रीमंडल के निर्णय के कारण बरौनी इकाई का पहले ही पुनरुद्धार होने वाला है।

आज की तिथि में, देश में यूरिया की गंभीर कमी है और खपत तथा उत्पादन के इस अंतर को पूरा करने के लिए वर्तमान में लगभग सात मिलियन टन यूरिया को 750 से 800 अमेरिकी डॉलर के प्रचलित उच्च आयात मूल्य पर आयातित किया जा रहा है जिस पर अब नेप्था के माध्यम से उत्पादित यूरिया की तुलना में अधिक लागत आ रही है।

इसलिए, मेरी मांग है कि प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित होने तक आरंभ में नेप्था का प्रयोग करके इन बंद पड़ी और रुग्ण उर्वरक इकाइयों का तुरंत पुनरुद्धार और पुनर्गठन किया जाए।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): सभापति महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र का अलवर शहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से मात्र 150 किलोमीटर दूर है और रोज लगभग हजारों की तादाद में काम करने वाले कर्मचारी, मजदूर, छात्र दिल्ली आते हैं, लेकिन आने-जाने की समुचित व्यवस्था नहीं है। *...(व्यवधान)* पास के शहर रिवाड़ी से दिल्ली के बीच रिवाड़ी-दिल्ली, जिन्हें हम आरडी ट्रेन्स कहते हैं, करीब आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेन हैं जो रिवाड़ी से दिल्ली के बीच आती हैं और दिल्ली से वापिस रिवाड़ी जाती हैं। मेरा रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इन ट्रेन्स को रिवाड़ी से लेकर अलवर तक बढ़ा दिया जाए जिससे अलवर आने-जाने वाले यात्रियों को सुविधा हो सके। रिवाड़ी के बजाए उन्हें अलवर तक बढ़ाया जाए ताकि अलवर-दिल्ली के बीच रास्ता सुगम हो सके। मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इसे रिकार्ड नहीं किया जाएगा। आप दूसरा मुद्दा उठा रहे हैं।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): सभापति महोदय, आज शून्यकाल के दौरान मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लोक हित के विषय को उठाना चाहता हूं। देश में सीमेंट की इन दिनों किल्लत जारी है। *...(व्यवधान)* आज देश में हम सीमेंट की गुणवत्ता पर धीरे-धीरे नियंत्रण खोते जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर यूपीए सरकार द्वारा अवसंरचना के निर्माण, इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमैंट पर ध्यान दिया जा रहा है। *...(व्यवधान)* जहां ऐसे प्रोजेक्ट्स में सीमेंट की आवश्यकता है वहीं दूसरी ओर निजी मकानों को बनाने के लिए, बिजनेस आर्गनाइजेशन के लिए भी सीमेंट की आवश्यकता है। लेकिन सरकार के जितने उपक्रम और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे, वे सारे के सारे बंद होने के कगार पर हैं या बंद हो चुके हैं। सरकार की ओर से मूल्य नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण या उत्पादन नियंत्रण के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं है। इसका नतीजा यह है कि प्राइवेट हाथों में पूरा का पूरा सीमेंट उद्योग चला गया है और कल ऐसी स्थिति आ सकती है कि कृत्रिम क्राइसिस क्रिएट करके सीमेंट के उत्पादन, मूल्य तथा उसकी गुणवत्ता पर नियंत्रण करने की कोशिश नॉन गवर्नमैंट, नॉन स्टेट की तरफ से की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में हम आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीमेंट उद्योग में गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादन नियंत्रण एवं उसके मूल्य नियंत्रण के लिए एक अथॉरिटी बनायी जाये तथा सरकार की ओर से सीमेंट कार्पोरेशन को री-बैन किया जाये और उसे बेहतर बनाते हुए इस उद्योग को शुरू किया जाये ताकि वह किसी निजी हाथों में न आ सके।

श्री मुन्शी राम (बिजनौर): सभापति जी, देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को भारत सरकार हजारों करोड़ों रुपये का अनुदान देती है। जिस गरीब के लिए भारत सरकार वह अनुदान देती है, उस गरीब तक अनुदान का अधिकांश अंश अधिकारियों और चंद लोगों की जेब में चला जाता है। इसका उदाहरण भारत सरकार के तमाम सर्वे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी सदन में स्वीकार किया है कि यह 40 प्रतिशत तक की लिकेज है। *...(व्यवधान)* सर, मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए। ये सर्वे इसके सीधा-सीधा उदाहरण हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीपीएल की जो नयी सूची तैयार की गयी थी, उस पर ऐसे कारोबार करने वाले लोगों ने उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश से रोक लगवा दी है। मेरी इस सदन के माध्यम से भारत सरकार और प्रदेश सरकार से मांग है कि उच्च न्यायालय ने नयी बीपील की सूची जारी करने के लिए जो रोक लगायी है, उसे उच्चतम न्यायालय से निरस्त कराया जाये, जिससे जो गरीब लोग, बीपीएल की सूची में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार हैं, उनको उसका हक मिल सके।

सभापति महोदय, मेरा एक अनुरोध और था। यह एक बहुत ही गरीब परिवार का मसला है। *...(व्यवधान)* मेरे लोक सभा क्षेत्र का निासी श्री रोहतास सिंह *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से सदन में विशेष उल्लेख के रूप में लोक महत्व के एक गंभीर मामले को उठाना चाहता हूं जो एक ओर से केन्द्र सरकार और असम सरकार और दूसरी ओर से तत्कालीन बोडो लिबरेशन टाइगर्स (बी.एल.टी.) के नेताओं के बीच दिनांक 10 फरवरी 2003 को हुए नए बोडो समझौते के कुछ खण्डों के कार्यान्वयन को सुकर बनाने में सहायता करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा उपयुक्त पहल और तुरन्त कारगर कार्यवाही किये जाने की तत्काल आवश्यकता से संबंधित है।

नए बोडो समझौते के परिणामस्वरूप असम राज्य में बोडोलैण्ड प्रादेशिक क्षेत्र जिले का प्रशासन करने के लिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था अर्थात् वर्तमान बोडोलैण्ड प्रादेशिक परिषद का सृजन किया गया था। इस संबंध में यह उल्लेख करना उचित होगा कि पांच वर्ष की लम्बी अवधि गुजर जाने के बाद भी इस बोडो समझौते के कुछ खण्डों को अभी तक भी कार्यान्वित नहीं किया गया है जो कि गंभीर चिन्ता और बड़े खेद का विषय है। सभापति महोदय, उपर्युक्त नए 'बोडो समझौते' पर हस्ताक्षर करते समय भारत की संघीय सरकार ने कार्बी-आंगलोंग और उत्तरी कच्छार पर्वतीय स्वायत्तशासी जिलों में रहने वाले बोडो कच्छारी लोगों को अनुसूचित जनजाति (पर्वतीय) का दर्जा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।

लेकिन दुर्भाग्य से इस दिशा में अभी तक कुछ भी ठोस कार्य नहीं हुआ है। इसलिए मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि वह बिना और विलम्ब के असम में अनुसूचित जनजातियों (पर्वतीय) की सूची में कार्बी-आंगलोंग और उत्तरी कच्छार पर्वतीय स्वायत्तशासी जिलों में रहने वाले बोडो-कच्छारी लोगों को शामिल करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए।

राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त ''ओरांग उर्फ राजीव गांधी वन्य अभयारण्य'' को पहले बोडोलैण्ड प्रादेशिक क्षेत्र जिला की सीमा में शामिल किया गया था और उसके बाद इस अभयारण्य को असम सरकार के वन विभाग द्वारा बोडोलैण्ड प्रादेशिक क्षेत्र जिले की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि वह ओरांग उर्फ राजीव गांधी वन्य अभयारण्य को बोडोलैण्ड प्रादेशिक परिषद प्रशासन के अंतर्गत पुन: शामिल करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: मैं 'बी.टी.सी.' अवधारणा पर उपर्युक्त बोडो समझौते पर हस्ताक्षर करते समय तत्कालीन बोडो लिबरेशन टाइगर्स के नेताओं और सरकार के बीच हुई सहमति के अनुसार बोडोलैण्ड आन्दोलन से संबंधित सभी लंबित मामलों को अविलम्ब वापिस लेने के लिए उपयुक्त कदम उठाए। *...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण मुद्दे को यहां उठाना चाहता हूं।

महोदय, अपने देश के संविधान में देश की जो ट्राइबल भाषा है, जो उनकी संस्कृति है, उसको संरक्षित करने का प्रावधान है। बंजारा भाषा, गोंड़ बोली देश में सात करोड़ लोगों द्वारा विभिन्न राज्यों में बोली जाती है और उनके साथ रहने वाले अन्य तीन करोड़ लोग यह बोली बोलते हैं। इस तरह देश में दस करोड़ लोग ऐसे हैं जो बंजारा भाषा बोलते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आपने इस मामले को सुबह उठाया है।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़: महोदय, यह बंजारा भाषा हमारे देश का गौरव है जिसे दस करोड़ लोग जानते हैं। इस बोली में साहित्य अकादमी के लिए काफी किताबें लिखी गयी हैं, लेकिन अभी तक आठवीं अनुसूची में यह भाषा दर्ज नहीं हुई है। देश की एकता और अखण्डता बनाए रखने में भाषा एक अलग काम करती है। कांस्टीट्यूशन में ट्राइबल लोगों को अपनी भाषा में ही शिक्षा देने का प्रावधान है। दस करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली इस भाषा का संवर्धन करना सरकार का काम है। मेरी आपके माध्यम से यह मांग है कि गोंड़ बोली का संवर्धन करने के लिए, इन लोगों के जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, उनको इसी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए और इस भाषा को आठवीं अनुसूची में दर्ज किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा कल सुबह 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.18 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा शुक्रवार, 19 दिसम्बर, 2008/28 अग्रहायण, 1930 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री पंकज चौधरी	281
2.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	282
3.	श्री सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	283
4.	श्री कमला प्रसाद रावत श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम	284
5.	श्री निखिल कुमार	285
6.	श्री रामदास आठवले श्री सुब्रत बोस	286
7.	श्री बसुदेव आचार्य	287
8.	श्री फ्रांसिस फैन्थम प्रो. एम. रामदास	288
9.	श्री सुग्रीव सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	289
10.	श्री नवीन जिन्दल श्री भाईलाल	290
11.	श्री एस.के. खारवेनथन	291
12.	श्री उदय सिंह	292
13.	श्री नरहरि महतो	293
14.	श्री सनत कुमार मंडल श्रीमती जयाप्रदा	294
15.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	295
16.	श्री रवि प्रकाश वर्मा	296
17.	डा. धीरेन्द्र अग्रवाल श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	297
18.	श्री हरिकेवल प्रसाद श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	298
19.	श्री वी.के. दुम्मर श्री हेमलाल मुर्मू	299
20.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	300

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे.एम.	2962
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	3071, 3127
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3036, 3065, 3123
4.	अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र	3019, 3117
5.	अहीर, श्री हंसराज गं.	2922, 3015
6.	आठवले, श्री रामदास	3063, 3121
7.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2924, 3005, 3024, 3069, 3105
8.	बर्मन, श्री हितेन	2932, 3011, 3026
9.	बर्मन, श्री रनेन	2988
10.	बर्क, डा. शफीकुर्रहमान	2967
11.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	2997, 3085
12.	भगोरा, श्री महावीर	2957, 3048, 3122
13.	भाईलाल, श्री	3057
14.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	3134
15.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	2980
16.	बोस, श्री सुब्रत	3023, 3104
17.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	2972, 3005, 3061, 3119
18.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	2969
19.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3002
20.	चालिहा, श्री किरिप	2943, 3060
21.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	2976, 2981
22.	चौरे, श्री बापू हरी	2944, 2976
23.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	2956, 3083, 3108
24.	चिन्ता मोहन, डा.	2984, 3093

1	2	3
25.	चौधरी, श्री पंकज	3067
26.	चौधरी, श्री अधीर	3005, 3141
27.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	3068, 3124
28.	धोत्रे, श्री संजय	2944, 2955, 3001, 3086
29.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	3072, 3129
30.	गद्दीगउडर, श्री पी.सी.	2965, 3054, 3122
31.	गढ़वी, श्री पी.एस.	2958, 3049, 3079
32.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	2976, 2990, 3004, 3036, 3133
33.	गांधी, श्रीमती मेनका	2950, 3058
34.	गंगवार, श्री संतोष	2964, 3053, 3097
35.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	2960
36.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	3097
37.	जगन्नाथ, डा. एम.	3043, 3067, 3131
38.	जयाप्रदा, श्रीमती	3047
39.	जिन्दल, श्री नवीन	3016, 3102
40.	जोगी, श्री अजीत	2958, 3008, 3100
41.	जोशी, श्री प्रहलाद	2987, 3076
42.	कनोडीया, श्री महेश	2992, 3079
43.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3009
44.	खां, श्री सुनील	2993, 3090
45.	खन्ना, श्री अविनाश राय	3130
46.	खारवेनथन, श्री एस.के.	3017, 3103
47.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2921, 3014, 3101
48.	कृष्ण, श्री विजय	2995, 3084
49.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	3135
50.	कुसमरिया, डा. रामकृष्ण	2919, 3013
51.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारु	3033
52.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3032
53.	महरिया, श्री सुभाष	2941, 3030
54.	महतो, श्री नरहरि	3011, 3077
55.	महताब, श्री भर्तहरि	3006, 3096
56.	महतो, श्री टेक लाल	2971, 3080
57.	माझी, श्री परसुराम	2959, 3098
58.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	2994
59.	मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.	2939, 3064
60.	मंडल, श्री सनत कुमार	3078
61.	माने, श्रीमती निवेदिता	2976, 2990, 3004, 3036, 3133
62.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	3132
63.	मैन्या, डा. टोकचोम	2966
64.	मिश्रा, डा. राजेश	2983
65.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	2992, 3079
66.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	2953, 3092
67.	मुकीम, मो.	2946, 3033
68.	मोल्लाह, श्री हन्नान	2945
69.	मंडल, श्री अबु अयीश	2999, 3088
70.	मुन्शी राम, श्री	3136
71.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3041
72.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	2974
73.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	2961, 3010
74.	नन्दी, श्री अमिताभ	3000, 3089
75.	नायक, श्री अनन्त	2975
76.	निखिल कुमार, श्री	2952, 3031
77.	ओराम, श्री जुएल	2938, 3050

1	2	3
78.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2979, 3091
79.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	2916, 3021, 3042, 3107
80.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2961, 3097
81.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2930, 3022, 3128
82.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	2935, 3028, 3082, 3083, 3114
83.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3040, 3074, 3112
84.	पाठक, श्री हरिन	2978, 2992, 3079
85.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	2952
86.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	2934, 3051
87.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	3001
88.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	3015
89.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	2986
90.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	2915
91.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2915, 2956, 3027, 3039
92.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	2954, 3004
93.	राजगोपाल, श्री एल.	2940, 3044, 3113
94.	राजेन्द्रन, श्री पी.	2998, 3087
95.	रामदास, प्रो. एम.	3072
96.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2918, 3012
97.	राणा, श्री काशीराम	2992, 3095, 3114, 3117
98.	रानी, श्रीमती के.	2933, 2994
99.	राव, श्री के.एस.	2927, 3018, 3109
100.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2973, 3062, 3120
101.	राव, श्री डी. विट्टल	2937
102.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	2963, 3138
103.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	2976, 2981, 3137
104.	रावत, श्री कमला प्रसाद	3069, 3125
105.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	3045, 3097
106.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3082
107.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	2994
108.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3039, 3085
109.	रिजीजू, श्री कीरेन	2994
110.	साय, श्री नन्द कुमार	3040, 3074, 3112
111.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	2982, 3007, 3099
112.	सेठी, श्री अर्जुन	2985, 3070, 3126
113.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	2928
114.	शर्मा, श्री मदन लाल	3072
115.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3036, 3065, 3123
116.	शिवन्ना, श्री एम.	2947, 3046, 3115
117.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2925, 3073
118.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	2923
119.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2977, 3034, 3108, 3111
120.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2951, 3075
121.	सिंह, श्री दुष्यंत	2991, 3081
122.	सिंह, श्री गणेश	2942, 3042
123.	सिंह, श्री मोहन	2952, 2970, 3059
124.	सिंह, श्री राकेश	2936, 3140
125.	सिंह, डा. राम लखन	2920
126.	सिंह, श्री रेवती रमन	2949, 3038
127.	सिंह, श्री सुग्रीव	3040, 3112
128.	सिंह, श्री सूरज	2984, 3066
129.	सिंह, श्री उदय	3020, 3116

1	2	3
130.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	2992, 3079
131.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	2931
132.	सुगावनम, श्री ई.जी.	2929, 3024, 3025, 3106
133.	शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन	2989, 3142
134.	सुमन, श्री रामजीलाल	2982, 2984, 3066, 3093, 3118
135.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2926, 3029
136.	ठाकुर, श्री अनुराग सिंह	2914, 3139
137.	थामस, श्री पी.सी.	2948, 2954, 2998, 3037, 3110
138.	दुम्मर, श्री वी.के.	3028, 3034, 3035, 3111
139.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3052, 3055
140.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	3011
141.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	2977, 3095
142.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2996, 3094
143.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	2913, 3035
144.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3036, 3052, 3065
145.	विरूपाक्षप्पा, श्री के.	2917
146.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	3036, 3133
147.	यादव, श्री गिरिधारी	2977, 3003
148.	यास्खी, श्री मधु गौड	2976, 2990, 3004, 3036, 3133
149.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2968, 3043, 3056

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	282
नागर विमानन	:	285, 292, 293, 294
संस्कृति	:	286, 288
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
अल्पसंख्यक मामले	:	290
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	283, 287, 295, 298, 299
रेल	:	281, 284, 291, 296
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	297
इस्पात	:	
पर्यटन	:	289, 300

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

रसायन और उर्वरक	:	2913, 2920, 2930, 2932, 2937, 2946, 2948, 2961, 2970, 2971, 2988, 3008, 3011, 3020, 3031, 3033, 3063, 3097, 3098
नागर विमानन	:	2923, 2925, 2944, 2959, 2967, 2987, 2990, 2992, 2995, 3004, 3005, 3006, 3007, 3016, 3022, 3024, 3025, 3029, 3036, 3043, 3047, 3055, 3060, 3062, 3075, 3077, 3093, 3103, 3116, 3119, 3133, 3134, 3137, 3138
संस्कृति	:	2914, 2917, 2918, 2931, 2945, 2949, 2964, 2965, 2981, 3023, 3026, 3049, 3056, 3061, 3072, 3081, 3102, 3104, 3128, 3132
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	2941, 2991, 3021, 3105
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	2957, 2963, 2977, 2979, 3012, 3064, 3074, 3090, 3106, 3118
अल्पसंख्यक मामले	:	2933, 2950, 3091, 3130
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	2915, 2919, 2929, 2942, 2943, 2969, 2975, 2980, 2982, 2984, 2994, 2996, 2997, 2999, 3001, 3013, 3032,3 034, 3035, 3048, 3051, 3053, 3066, 3073, 3082, 3084, 3085, 3087, 3089, 3094, 3108, 3114, 3117, 3121, 3122, 3123, 3127

रेल	:	2916, 2921, 2922, 2924, 2928, 2934, 2935, 2936, 2938, 2939, 2940, 2947, 2952, 2956, 2960, 2962, 2966, 2968, 2972, 2974, 2985, 2986, 2989, 2998, 3002, 3003, 3010, 3014, 3015, 3017, 3018, 3019, 3027, 3028, 3030, 3039, 3040, 3041, 3042, 3046, 3050, 3052, 3054, 3057, 3059, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3076, 3078, 3079, 3080, 3083, 3088, 3095, 3096, 3099, 3101, 3107, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3115, 3125, 3126, 3131, 3136, 3139, 3140, 3142
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	2926, 2953, 2958, 2976, 2978, 3037, 3044, 3058, 3092, 3124, 3129, 3135
इस्पात	:	2983, 2993, 3000, 3009, 3100
पर्यटन	:	2927, 2951, 2954, 2973, 3038, 3045, 3065, 3086, 3120, 3141.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण, वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण तथा इनकी अनुक्रमणिकाएं, संसदीय समितियों के प्रतिवेदन एवं संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिह्न युक्त स्मारक मदें विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110 001 (दूरभाष: 23034726, 23034495, 23034496) पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स धनराज एसोसिएट्स प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।